यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया

Ref. No.: ISD/18-19/152

30th June, 2018

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. **BSE Ltd.** Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code-532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. **National Stock Exchange of India Ltd.** Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ

Madam/Sir,

Subject: Submission of Annual Report of the Bank for the year 2017-18

In terms of Regulation 34(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith Annual Report of the Bank for the year 2017-18 duly approved and adopted in the 16th Annual General Meeting of the Bank held on 27th June, 2018.

This is for your information and appropriate dissemination.

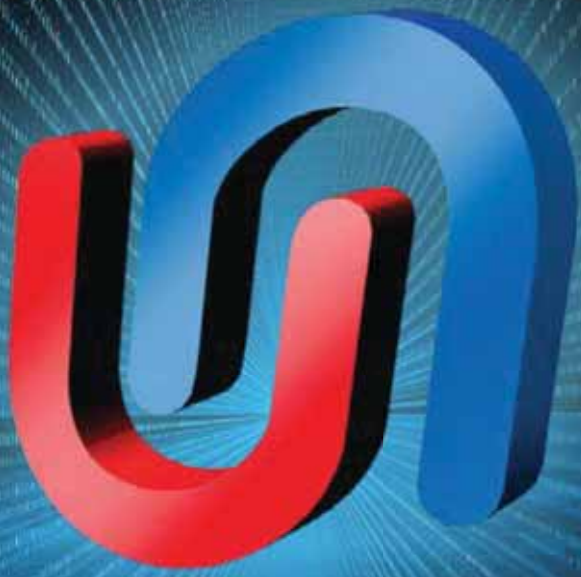
Thanking you,

Yours faithfully,

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2017-18



सुहाने सफर के...

CELEBRATING THE JOURNEY

100 वर्ष YEARS

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

प्रस्तुत करते हैं

यूनियन ट्रेड- जीएसटी

जीएसटी रिटर्न्स पर
आधारित आसानी से वर्धित
कार्यशील पूंजी वित्त सुविधा
प्रारंभ करने वाला प्रथम बैंक



यूनियन ट्रेड जीएसटी

- आसान वित्त
- *जीएसटी रिटर्न्स* पर आधारित वर्धित नियमित कार्यशील पूंजी
- न्यूनतम दस्तावेजीकरण
- फ्री पॉस स्थापना - प्रथम वर्ष हेतु वार्षिक प्रभार
- आकर्षक ब्याज दर

*शर्तें लागू

हमें गर्व है इनसे जुड़कर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 2530 0175 (शुल्क योग्य) | +91 80 2530 2510 (एनआरआई के लिए) www.unionbankofindia.co.in

हमसे जुडे रहें: @unionbankofindia @UnionBankTweets @UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube Unionbankofindia

विषय सूची

निदेशक मंडल	03
महाप्रबंधकों की सूची	12
उप महाप्रबंधकों की सूची	13
2017-18 की मुख्य बातें	14
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	17
सूचना	21
निदेशकों की रिपोर्ट	47
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	56
कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	74
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन)	128
स्टैंडअलोन तुलन-पत्र	132
स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखा	133
स्टैंडअलोन अनुसूचियाँ 1 से 18	134
स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण	169
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)	214
समेकित तुलन-पत्र	216
समेकित लाभ एवं हानि लेखा	217
समेकित अनुसूचियाँ 1 से 18	218
समेकित नकदी प्रवाह विवरण	238
जोखिम प्रबंधन	267
कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट	268
नामांकन फॉर्म	319
घोषणा-पत्र	321
व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र	325
लाभांश अधिदेश फॉर्म	329
प्रॉक्सी फॉर्म	331
हरित पहल - शेयरधारकों से अपील	333

CONTENTS

Board of Directors	03
List of General Managers	12
List of Dy. General Managers	13
Highlights of 2017-18	15
Key Financial Indicators	19
Notice	33
Directors Report	51
Management Discussion and Analysis	65
Corporate Governance Report	99
Independent Auditors Report (Standalone)	171
Standalone Balance Sheet	175
Standalone Profit & Loss Account	176
Standalone Schedule 1 to 18	177
Standalone Cash Flow Statement	212
Independent Auditors Report (Consolidated)	240
Consolidated Balance Sheet	242
Consolidated Profit & Loss Account	243
Consolidated Schedule 1 to 18	244
Consolidated Cash Flow Statement	265
Risk Management	293
Business Responsibility Report	294
Nomination Form	320
Declaration	323
Personal Information, Declaration and Undertaking	327
Dividend Mandate Form	330
Proxy Form	332
Green Initiative - Appeal to Shareholders	333

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

निवेशक सेवायें प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

डाटामैटिक्स बिजिनेस सोल्यूशन्स लि.
प्लॉट क्र. बी-5, पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एम.आई.डी.सी., मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai - 400 021.

Registrar & Share Transfer Agent

Datamatics Business Solutions Ltd.
Plot No. B-5, Part B,
Cross Lane, MIDC, Marol,
Andheri (E), Mumbai - 400 093.

लेखा परीक्षक/AUDITORS

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार

FOR S BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS



श्री केवल हांडा
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

Shri Kewal Handa
Non Executive Chairman &
Part-Time Non-Official Director

श्री केवल हांडा को वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2017 को जारी अधिसूचना के तहत बैंक के अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

श्री हांडा वर्ष 2005 से 2012 तक फाइजर लिमिटेड, इंडिया के प्रबंध निदेशक थे. आपने फाइजर लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक-वित्त तथा वर्ष 2009 से 2012 तक वाईथ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं. उनके नेतृत्व में फाइजर इंडिया को भारत की शीर्ष 10 फार्मास्युटिकल कंपनियों में स्थान प्राप्त हुआ. बहुआयामी संगठन का निर्माण आपका मुख्य उद्देश्य रहा है. इसके अंतर्गत आपने महिला सहकर्मियों की नियुक्ति एवं प्रबंधन में उन्हें बनाए रखने हेतु विभिन्न टीमों को प्रोत्साहित किया, विशेषकर आपने भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग में सेल्स पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की, जो इससे पहले अप्रचलित थी. यह आपके द्वारा महिला हितों को ध्यान में रखकर बनायी गईं संवेदनशील नीतियों के कारण ही संभव हो सका. ये पहलें अब अध्ययन का विषय हैं और तुर्की में आयोजित अनुसचिवीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्हें प्रदर्शित किया गया.

श्री हांडा को वित्त, वाणिज्य, रणनीति, कारोबार विकास, विलय और अधिग्रहण, बैंकिंग, कॉर्पोरेट मामलों का विविध अनुभव है और आपको श्रेडर स्कॉविल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल), विद्युत ब्लेड और राज्य औद्योगिक निवेश निगम, महाराष्ट्र (एसआईसीओएम) जैसी कंपनियों में इंजीनियरिंग, उपभोक्ता और परियोजना वित्त जैसे क्षेत्रों में भी कार्य का अनुभव है. आपने घरेलू और वैश्विक जेनेरिक कारोबार में कार्य किया है तथा आपको अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे बाजारों में भी कार्य का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में, आप परामर्शदाता के रूप में स्टार्ट अप्स और सामाजिक क्षेत्रों से भी जुड़े हैं.

आप एक योग्य प्रबंध लेखाकार एवं कंपनी सचिव हैं तथा आप वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं. आपने हावर्ड विश्वविद्यालय से फाइजर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं आईआईएम, अहमदाबाद से सीनियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पूर्ण किया है. इसके साथ ही आपने कोलंबिया बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सर्टिफिकेट कोर्स किया है. आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार- मूल्यांकन समूह द्वारा "इंडिया सीएफ़ओ 2004 - बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वित्तीय उत्कृष्टता", 2007 में भारत शिरोमणि अवार्ड एवं वर्ष 2010 के फार्मा लीडर - फार्मा प्रोफेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Shri Kewal Handa has been appointed as Chairman & Part-Time Non-Official Director of the Bank vide MOF notification dated July 6, 2017.

He has served as the Managing Director of Pfizer Limited, India from 2005 to 2012. He was also the Executive Director - Finance, Pfizer Limited and also Managing Director of Wyeth Ltd. from 2009 to 2012. Under his leadership, Pfizer India became one of the top ten pharmaceutical companies in India. Building a diverse organization is one of his key focuses. As part of this, he has driven the various teams to hire and retain women colleagues in management and most importantly in sales positions – an initiative unheard of in the Indian pharmaceutical industry. He has managed this by sensitization and developing policies that are women friendly. These initiatives are now case studies and were showcased at a ministerial roundtable conferences held in Turkey.

Shri Handa has diverse experience in Finance, Commercial, Strategy, Business Development, Merger & Acquisition, Banking, Corporate Affairs and also in sectors like Engineering, Consumer and Project Finance in companies like Schrader Scovill, Hindustan Lever Limited (HLL), Vidyut Blades & State Industrial Investment Corporation of Maharashtra (SICOM). He has also worked in the Domestic & Global Generic Businesses. He has wide experience in markets like US, South East Asia, Africa, Bangladesh, and Sri Lanka. He is also Mentor for start ups and work in Social Sector.

He is a qualified Management Accountant and Company Secretary and has Masters Degree in Commerce. He has completed the Pfizer Leadership Development Program from Harvard University and the Senior Management Development Program from IIM, Ahmadabad. He has also done a Certificate course on Marketing Strategy from Columbia Business School, New York. He was awarded with the 'India CFO 2004 – for Excellence in Finance in an MNC' by International Market – Assessment Group, the Bharat Shiromani Award in 2007 and the Pharma Leaders - Pharma Professional of the year 2010.

श्री राजकिरण रै जी. ने 1 जुलाई, 2017 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया. श्री राजकिरण रै जी. का जन्म 19 मई, 1962 को हुआ. आपने कृषि विज्ञान में स्नातक किया और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड़ एसोसिएट हैं. आपमें सीखने की जिज्ञासा हैं एवं देशभर के प्रतिष्ठित संस्थाओं में विभिन्न कार्यपालक डेवलप्मेंट कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं.

श्री रै को बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है. आप औद्योगिक वित्त शाखा, क्षेत्र एवं अंचल कार्यालयों के प्रमुख भी रहे हैं. आपने अपने करियर की शुरुआत 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में की. श्री रै 17 वर्ष से अधिक देश के विभिन्न भागों में अनेक शाखाओं के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए पदोन्नत होते गए. महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर उन्हें मानव संसाधन विकास विभाग का कार्यभार सौंपा गया. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत होने से पूर्व आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई अंचल के क्षेत्र महाप्रबंधक थे.

श्री रै यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू.के.) लि., और यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड पर निदेशक हैं. इसके पहले, आप केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि. के बोर्ड पर भी कार्यरत थे. आप उस समिति के सदस्य हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में व्यक्तिगत प्रबंधन के लिए समुचित प्रशिक्षण एवं डेवलप्मेंट कार्यक्रमों को विकसित करने के संबंध में बैंक बोर्ड ब्युरो को परामर्श प्रदान करते हैं. आप भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के प्रबंधन समिति के सदस्य हैं और भारतीय बैंक संघ के लेखा मानक एवं कर - निर्धारण की आईबीए स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं.



श्री राजकिरण रै जी.
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Rajkiran Rai G.
Managing Director &
Chief Executive Officer

Shri Rajkiran Rai G. is the Managing Director & Chief Executive Officer of Union Bank of India since July 1, 2017. Born on May 19, 1962, Shri Rai is an agricultural science graduate and also a certified member of Indian Institute of Bankers. A vivid learner, he has benefitted from several executive development programmes at prestigious institutions of the country.

Shri Rai has more than three decades of rich banking experience which includes heading Industrial Finance Branch, Regions and Zonal Offices. He started his career in 1986 as an Agricultural Finance Officer in Central Bank of India, Shri Rai rose through ranks while heading various branches at different parts of the country for more than 17 years. On his elevation as General Manager, he was given the responsibility of heading Human Resource Development Department. He was the Field General Manager of Mumbai Zone of Central Bank of India, when he was elevated to the post of Executive Director of Oriental Bank of Commerce.

Shri Rai is also a Director on the Boards of Union Bank of India (U.K.) Ltd. and Union Asset Management Company. Earlier, he also served on the Board of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. He is a member of Committee to advise the Banks Board Bureau (BBB) on evolving suitable training & development programs for management personal in public sector banks. He is also member of Managing Committee of Indian Banker's Association (IBA) and Chairman of IBA's Standing committee on Accounting Standards & Taxation.

श्री विनोद कथूरिया ने 22 जनवरी, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. श्री विनोद कथूरिया दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि धारक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं. 1983 में इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्य ग्रहण किया था और बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं का इन्हें 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त हैं.

पंजाब नेशनल बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान श्री कथूरिया 2 वर्षों से अधिक समय तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मुंबई में ट्रेजरी प्रभाग के प्रमुख भी रहे है. साथ ही, कॉर्पोरेट क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी विनिमय कारोबार एवं ट्रेजरी का भी कार्यभार वहन किया है.



श्री विनोद कथूरिया
कार्यपालक निदेशक
Shri Vinod Kathuria
Executive Director

Shri Vinod Kathuria has joined Union Bank of India as an Executive Director on January 22, 2016. He is Masters in Commerce from Delhi University and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He joined Punjab National Bank as a Management Trainee in 1983 and has gained vast experience spanning over more than 35 years in various facets of Banking.

During his tenure at Punjab National Bank, he headed the Treasury Division at Bandra Kurla Complex (BKC), Mumbai for 2 years plus. He has also handled Corporate Credit, Foreign Exchange Business and Treasury with a focus on Corporate Credit & Investment.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पदभार संभालने से पूर्व श्री कथूरिया पंजाब नेशनल बैंक के आगरा अंचल के प्रमुख रह चुके हैं. ट्रेजरी एवं कॉर्पोरेट क्रेडिट के क्षेत्र में श्री कथूरिया की योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के गठन का कार्य सौंपा था, जिसमें वे कोर मैनेजमेंट टीम के सदस्य थे.

इसी प्रकार श्री कथूरिया वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा बासल III मानदंडों के अंतर्गत गठित टीयर-I पर्पेचुअल बोंड्स समिति के सदस्य भी थे. विपणन परिचालनों में दक्षता के कारण श्री कथूरिया ने एमसीएक्स-एसएक्स बोर्ड के कार्यों के प्रबंधन हेतु सेबी द्वारा गठित समिति के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं.

वे प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक, इंडिया फ़ैक्टरिंग एंड फाइनेंस सोल्यूशन प्रा.लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक तथा पीएनबी इंश्योरंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं. वर्तमान में श्री कथूरिया बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लिमिटेड के निदेशक हैं.

Before joining Union Bank of India, Shri Kathuria headed the Agra Zone of Punjab National Bank. With knowledge and experience gained by Shri Kathuria in the field of Treasury and Corporate Credit, he was entrusted the assignment of formation of Bhartiya Mahila Bank by the Ministry of Finance (MoF) wherein he was member of the Core Management Team.

Similarly, Shri Kathuria was also member of the Committee of Tier I Perpetual Bonds under Basel III Norms, the initiative taken by the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), Government of India. Having niche in market operations, Shri Kathuria also served as the member of the Committee formed by SEBI overseeing working of the Board of MCX-SX.

He served as a Director on the Board of Principal Trustee Co. Pvt. Ltd., a Nominee Director on the Board of India Factoring and Finance Solutions Private Ltd. and Managing Director of PNB Insurance Broking Pvt. Ltd. Presently, Shri Kathuria is a Director on Union Asset Management Co. Pvt. Ltd., an Asset Management Company of the Bank.

श्री राज कमल वर्मा 9 अगस्त, 2016 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक हैं.

श्री राज कमल वर्मा कला स्नातक (ऑनर्स) हैं और भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के सर्टीफाइड एसोसिएट हैं.

आपने बैंक ऑफ इंडिया में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की और बैंकिंग के विविध क्षेत्रों में देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों के परिचालन का 36 वर्ष का व्यापक अनुभव प्राप्त है. उन्होंने शाखा प्रमुख, ऋण प्रमुख एवं अंचल प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर काम किया है.

बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय में वे निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग के प्रमुख रह चुके हैं. इसके अलावा, श्री वर्मा सितम्बर, 2012 से अक्तूबर, 2015 तक केन्या में समुद्रपारीय मुख्य कार्यपालक रहे हैं तथा तंजानिया में बैंक ऑफ इंडिया के अनुषंगी के बोर्ड पर रहे हैं.

श्री वर्मा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि. एवं नैशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के बोर्ड पर नामिती निदेशक हैं.



श्री राज कमल वर्मा
कार्यपालक निदेशक
Shri Raj Kamal Verma
Executive Director

Shri Raj Kamal Verma is an Executive Director of Union Bank of India since August 9, 2016.

Shri Raj Kamal Verma is Bachelor of Arts (Hons) and is a Certified Associate of the Indian Institute of Banking & Finance.

Having started his career as a Probationary Officer in Bank of India, he has vast experience of 36 years, both in domestic and International operations. He worked in various capacities including as Branch Head, Credit Head and Zonal Manager.

He had also headed Inspection & Audit Department of Bank of India at their Head Office. In addition, Shri Verma also had overseas stint at Kenya as Chief Executive from September 2012 to October 2015 and was on the Board of the subsidiary of Bank of India in Tanzania.

Shri Verma is a Nominee Director on the Board of Union Bank of India (UK) Ltd. and also on the Board of National Payment Corporation of India.



श्री अतुल कुमार गोयल
कार्यपालक निदेशक
Shri Atul Kumar Goel
Executive Director

श्री अतुल कुमार गोयल ने 15 सितम्बर, 2016 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया. कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति से पूर्व वे भारत के सबसे पुराने बैंक, इलाहाबाद बैंक में महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रह चुके हैं. दिसम्बर, 1964 में जन्में श्री गोयल वाणिज्य में ससम्मान स्नातक उपाधि धारक और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सदस्य हैं. वे भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट (सीएआईआईबी) हैं. इलाहाबाद बैंक में सनदी लेखाकार के रूप में 27 मार्च, 1992 को कार्यग्रहण के साथ उन्होंने अपने बैंकिंग जीवन की शुरुआत की. इलाहाबाद बैंक में अपने चौबीस वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शाखाओं, अंचलीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में बैंकिंग परिचालन की प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. उस अवधि के दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी विनिमय कारोबार और ट्रेजरी का कार्यभार संभाला तथा बैंक के बाजार अंश को बढ़ाने हेतु परिणामोन्मुख उपायों को सक्रियता से कार्यान्वित किया. उन्होंने इलाहाबाद बैंक के मुंबई अंचल का नेतृत्व किया है. इलाहाबाद बैंक में महाप्रबंधक और सीएफओ के रूप में उन्होंने वित्त एवं लेखा, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, ट्रेजरी एवं संयुक्त उद्यम पोर्टफोलियो को बखूबी संभाला. वे इलाहाबाद बैंक की अनुषंगी इकाई ऑल बैंक फ़ाइनेंस लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी रहे हैं. श्री गोयल आईबीए की टैक्सेशन समिति के सदस्य हैं और उन्होंने एनआईबीएम पुणे, आईएमटी दिल्ली द्वारा संचालित प्रतिष्ठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है. साथ ही, उन्होंने CAFRAL के तत्वावधान में विदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

Shri Atul Kumar Goel assumed the charge as Executive Director of Union Bank of India on September 15, 2016. Prior to his elevation as Executive Director he was General Manager and Chief Financial Officer (CFO) at India's oldest Bank, Allahabad Bank. Born in December 1964, Shri Goel holds a Bachelor Degree with Honours in Commerce and member of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). He is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB). His career in Banking began when he joined Allahabad bank as Chartered Accountant on March 27, 1992. His twenty four years of service in Allahabad Bank saw him rise in his career with key responsibilities held in Branches, Zonal Office and Head Office covering a vast spectrum of banking operations. During that period he handled Corporate Credit, Foreign Exchange Business and Treasury & take proactive result oriented measures to increase profitability of the Bank. He also headed the Mumbai Zone of Allahabad Bank. As a General Manager & CFO of Allahabad Bank his portfolio included Finance & Accounts, International Banking, Treasury & Joint Venture. He was also a Director on the Board of All Bank Finance Limited, a subsidiary of Allahabad Bank. Shri Goel has attended prestigious training programme conducted by NIBM Pune, IMT Delhi apart from member of Taxation Committee in IBA. He has also undergone training programme held abroad conducted under aegis of CAFRAL.



डॉ मदनेश कुमार मिश्रा
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Dr. Madnesh Kumar Mishra
Government Nominee Director

52 वर्षीय डॉ मदनेश कुमार मिश्रा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं तथा 22 जुलाई, 2016 से बैंक के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं. आपको 03 नवम्बर, 2017 से PFRDA के बोर्ड पर अंशकालिक सदस्य एवं भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर 17 जनवरी, 2018 से एमडीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर, गुडगाँव पर सदस्य के रूप में नामित किया गया है. उन्होंने एक्सएलआरआई, जमशेदपुर से संस्थागत व्यवहार (ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर) में पीएचडी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया है.

आप भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के 1990 बैच के अधिकारी हैं. उन्होंने आयकर विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य किया है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में सेंट्रल स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यपालक निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया है.

Dr. Madnesh Kumar Mishra aged 52 years is a Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and has been appointed as Government Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. July 22, 2016. He has been nominated as Part time member on the Board of PFRDA w.e.f. November 3, 2017 and Member on the Board of Governors of MDI, Gurgaon w.e.f January 17, 2018 for representing Government of India. He has done Ph.D. in Organisational Behaviour from XLRI, Jameshdpur and B.Tech in Production Engineering.

He is an officer of Indian Revenue Service (IRS) belonging to 1990 batch. He has worked in various capacities in Income Tax Department and on deputation in Ministry of Youth affairs and Sports as Executive Director of Sports Authority of India under Central Staffing Scheme.

वे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के प्रथम मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के संस्थापक सदस्य के रूप में मांट्रियल में भारत का प्रतिनिधित्व किया एवं रीजनल फिल्म सर्टीफ़िकेशन एंड सेंसर बोर्ड, हैदराबाद के सदस्य रहे हैं. डॉ मिश्रा को ISO 9001 एवं ISO 17025 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अग्रणी लेखापरीक्षक प्रमाणित किया गया है. आपने योग, समत्व, और संस्थागत सृजनात्मकता से संबंधित विषयों पर सेमिनार में 9 पर्चे प्रस्तुत किए हैं.

Dr. Mishra was the first Chief Executive Officer of National Dope Testing Lab of Sports Authority of India, founding member of World Anti-Doping Agency representing India at Montreal, member of Regional Film Certification & Censor Board at Hyderabad. Dr. Mishra was certified lead auditor of ISO 9001 and ISO 17025 Quality Management System. He has presented 9 papers in Seminars on topics related to Yoga, Samatva and Organisational Creativity.

श्री अनिल कुमार मिश्रा भारतीय रिज़र्व बैंक में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार कार्यपाालक निदेशक हैं.

उन्हें केंद्रीय बैंकर के रुप में 1982 से भारतीय रिज़र्व बैंक में मुद्रा प्रबंधन, विदेशी विनिमय, भुगतान प्रणाली, बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग संस्थानों के विनियम एवं पर्यवेक्षण, वित्तिय समावेशन तथा जोखिम अनुश्रवण क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है. आपको वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के मामलों तथा सुधारों के लिए कार्य करने वाली जी-20 की इकाई, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (स्विट्ज़रलैंड, बासेल में) के सचिवालय में सदस्य के रुप में कार्य करने का साढ़े चार वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी है.



श्री अनिल कुमार मिश्रा
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
Shri Anil Kumar Misra
RBI Nominee Director

Shri Anil Kumar Misra is an Executive Director in the Reserve Bank of India, responsible for supervision of banking and non-banking financial institutions.

As a career central banker since 1982, he has experience in the areas of currency management, foreign exchange, payment systems, regulation and supervision of banking and nonbanking institutions, financial inclusion and risk monitoring in the Reserve Bank. His international experience includes a four-and-a-half year stint as a Member of Secretariat at the Financial Stability Board (in Basel, Switzerland), which is the G20 arm for dealing with the global financial sector issues and reforms.

उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (हावर्ड विश्वविद्यालय, यूएसए) से स्नातकोत्तर की पदवी प्राप्त की है.

He holds Master's degrees in Business Management (Banaras Hindu University) and in Public Administration (Harvard University, USA).

श्री राजीव कुमार सिंह को बैंक के निदेशक मण्डल में दिनांक 6 फरवरी, 2018 से सनदी लेखाकर निदेशक के रूप में नामित किया गया है.

श्री राजीव कुमार सिंह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान(आईसीएआई) के फ़ेलो सदस्य, सूचना प्रणाली के प्रमाणित लेखापरीक्षक(यूएसए) तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्था (आईसीएआई) से मूल्यांकक हैं. उन्हें कारोबार के मूल्यांकन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट वित्त और रणनीति, विलयन और अधिग्रहण, रीस्ट्रक्चरिंग, विदेशी विनिमय जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और मूल्यांकन के साथ-साथ आर्थिक हर्जाने से संबंधित मुकदमेबाजी की विशेषज्ञता है. वे भारत और यूएसए में अग्रणी विधि फ़र्मों के साथ मूल्यांकन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं.



श्री राजीव कुमार सिंह
सनदी लेखाकार निदेशक
Shri Rajiv Kumar Singh
Chartered Accountant Director

Shri Rajiv Kumar Singh has been nominated as Chartered Accountant Director on the Board of the Bank w.e.f. February 6, 2018.

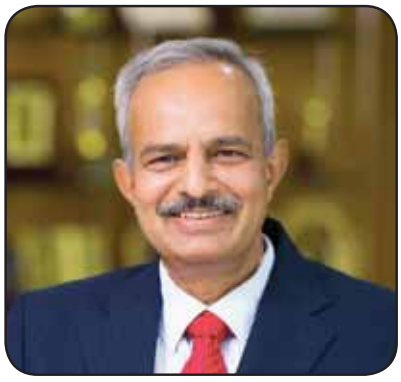
Shri Rajiv Kumar Singh is a fellow member of the ICAI, a qualified Certified Information System Auditor (USA) and Valuer from the ICAI. He is an expert on Business Valuation, Banking, Corporate Finance & Strategy, M&A, Restructuring, Forex Risk Management, Internal Controls and Valuation related to litigation including economic damages. He has also been actively working with leading law firms in India and USA in relation to valuation matters.

उन्होंने पिछले 22 वर्षों में, आईएफ़आरएस/इंड-एएस/एनएफ़आरएस/सिंगापुर-एफ़आरएस के लिए जटिल संव्यवहारिक मूल्य विश्लेषण, अंतरण मूल्यांकन, उचित मूल्य की गणना, फेमा के लिए मूल्यांकन तथा अमूर्त संपत्तियों के लिए मूल्यांकन किया है. श्री सिंह का शैक्षणिक क्षेत्र में भी योगदान रहा है, उन्होंने पहली बार भारत में कारोबार मूल्यांकन मानक (आईसीएसआई), मूल्यांकन पाठ्यक्रम (आईसीएआई व आईसीएसआई), विदेशी विनिमय व ट्रेजरी प्रबंधन पाठ्यक्रम और मास्टर ऑफ बिज़नेस फ़ाइनेंस कोर्स(आईसीएआई) तैयार कर लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

श्री सिंह एक प्रशिक्षक और वक्ता भी हैं. उन्होंने भारत और नेपाल में 4000 से अधिक सनदी लेखाकारों/कंपनी सचिवों/एमबीए को प्रशिक्षित किया है और विभिन्न व्यावसायिक/औद्योगिक मंचों से बैंकिंग और वित्त से संबंधित विषयों पर 700 से अधिक संगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान दिये हैं. श्री सिंह इंड एएस-113(उचित मूल्य मापन) विकसित करने हेतु आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड के सदस्य रहे हैं. वे आईसीएआई के मूल्यांकन और मास्टर ऑफ बिज़नेस फ़ाइनेंस कोर्स के प्रथम संयुक्त तकनीकी निदेशक और विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं.

Over the past twenty two years, he has carried out complex transactional valuation analyses, transfer pricing valuation, fair value measurement for IFRS/Ind-AS/NFRS/Singapore-FRS, valuation for FEMA, and intangible asset valuation. Shri Singh has contributed in academics by designing and delivering the maiden standards & courses viz. Business Valuation Standards in India (ICAI), the Valuation Course (ICAI & ICSI), Forex & Treasury Management Course and Master of Business Finance Course (ICAI).

Shri Singh is also a trainer and speaker. He has trained more than 4000 Chartered Accountants/Company Secretaries/MBAs in India and Nepal and has been a speaker in more than 700 seminars and training programs on valuation, banking and finance related topics at different professional/industry platforms. Shri Singh was a member of the Accounting Standards Board of the ICAI for development of Ind AS-113 (Fair Value Measurement). He was the first Joint Technical Director and Visiting Professor of Valuation and Masters in Business Finance courses of the ICAI.



डॉ. के. रमेश
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Dr. K. Ramesha
Part-Time Non-Official Director

डॉ. के. रमेश ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय में 4 वर्ष प्रवक्ता के रूप में कार्य करने के पश्चात 1986 में केरल कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर का पदभार ग्रहण किया. तदनंतर उन्होंने संकाय सदस्य के रूप में नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल बैंकिंग में कार्य किया. शोधकर्ता एवं शिक्षक के रूप में 14 वर्ष के अनुभव के साथ वर्ष 1996 में उन्होंने राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान में कार्य ग्रहण किया.

फाइनांस एरिया ग्रुप में प्रोफेसर के रूप में डॉ. रमेश स्नातकोत्तर शिक्षण, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और शोध / परामर्श गतिविधियों में सक्रिय हैं. पुणे विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को बैंकिंग और वित्त में मार्गदर्शन देने के अलावा डॉ. रमेश ने व्यावसायिक जर्नल और विख्यात पत्रिकाओं में सामान्य बैंकिंग, एसएमई वित्त, माइक्रो क्रेडिट/एसएचजी, को-ऑपरेटिव बैंकिंग और रिटेल वित्त से संबंधित अनेक शोध लेख प्रकाशित किए हैं. डॉ. रमेश ने डीन - एज्यूकेशन एवं प्राचार्य के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वे एनआईबीएम में डीन - शोध के रूप में पदस्थ हैं. उन्होंने बैंकरों के लिए अनेक उच्च/ वरिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों की रूपरेखा तैयार कर इनका सफल आयोजन किया है. एनआईबीएम में कार्य ग्रहण करने से पूर्व एवं पश्चात उन्होंने शोध एवं परामर्शी परियोजनाओं में सहभागिता एवं उनके समन्वय का कार्य किया है. वर्तमान में डॉ. रमेश सदर्न इंडियन बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के बोर्ड में कार्यरत हैं.

Dr K Ramesha, after serving the Department of Post Graduate Studies and Research in Economics, University of Mysore as a Lecturer for 4 years, joined Kerala Agricultural University as an Assistant Professor in 1986. Subsequently, he worked for National Institute of Rural Banking as a member of faculty. With around 14 years of experience as researcher and teacher, he joined National Institute of Bank Management in 1996.

As a Professor in the Finance Area Group, Dr. Ramesha is actively engaged in post graduate teaching, corporate training and research/ consulting activities. Apart from guiding Ph.D , students of University of Pune, in the area of banking and finance, Dr. Ramesha has published around 50 research papers in professional journals and reputed magazines mainly in the areas of general banking, SME finance, micro credit /SHGs, co-operative banking and retail finance. Dr. Ramesha has served one term as Dean – Education & Principal and currently serving as Dean – Research at NIBM. He has designed and organised several top/senior level training programmes, workshops and seminars for bankers. He has also participated and coordinated several challenging consultancy assignments and sponsored research projects before and after joining NIBM. Currently, Dr. Ramesha is serving on the Board of Southern Indian Banks Staff Training College.

डॉ मदुरा स्वामीनाथन को 27 दिसम्बर, 2017 से बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की है तथा खाद्य सुरक्षा, कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रही हैं.

डॉ मदुरा स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष तथा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के इक्नोमिक एनालिसिस यूनिट की प्राध्यापक एवं प्रमुख हैं. आप प्रगतिशील अर्थशास्त्री के रूप में आठ किताबें लिख चुकी हैं जिसमें से एक किताब भारत में खाद्य नीति पर है. आपने भारत सरकार की दीर्घावधि अनाज पॉलिसी पर उच्च स्तरीय समिति, यूएन कमिटी ऑन डेवलप्मेंट पॉलिसी एवं इंटरनैशनल पोटेटो सेंटर, लिमा, पेरु के निदेशक मंडल में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं.



डॉ मदुरा स्वामीनाथन
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
Dr. Madhura Swaminathan
Part-Time Non-Official Director

Dr. Madhura Swaminathan has been appointed as Part-Time Non Official Director of the Bank w.e.f. 27 December, 2017.

She has a doctorate in Economics from the University of Oxford and works on issues pertaining to food security, agriculture and rural development.

Dr. Madhura Swaminathan is the Chairperson of M S Swaminathan Research Foundation and Professor & Head of Economic Analysis Unit of Indian Statistical Institute, Bangalore. Being a development economist, she has authored eight books including one on food policy in India. She has served on Government of India's High Level Committee on Long Term Grain Policy, the UN Committee on Development Policy and on the Board of International Potato Centre in Lima, Peru.

लखनऊ निवासी 65 वर्षीय श्री गोपाल कृष्ण लाठ लखनऊ विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक सहित वाणिज्य में स्नातक हैं तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट की प्रेक्टिस का उन्हें 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वे 30 वर्षों से अधिक समय से मेसर्स ए.सचदेव एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंध भागीदार हैं.

श्री लाठ आईसीएआई द्वारा "पीअर रिव्यूवर" के पैनल में नामित हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने आईसीएआई विनिमयों के अनुरूप विभिन्न सीए फर्मों की समकक्ष समीक्षा की है. बैंकिंग उद्योग की लेखापरीक्षा के व्यापक अनुभव के अतिरिक्त उन्होंने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कई निगमों, बीमा कंपनियों, स्थानीय निकायों, केंद्रीय सहकारी समितियों, सरकारी विभागों एवं विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं की विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा एवं अन्य कार्य किया है.

श्री लाठ "श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार" द्वारा नामित "स्थायी त्रिपक्षीय समिति" तथा "न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री बोर्ड" के भी सदस्य थे. उत्तर प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस निर्धारण के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में भी उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया गया था.



श्री गोपाल कृष्ण लाठ
शेयरधारक निदेशक
Shri Gopal Krishan Lath
Shareholder Director

Shri Gopal Krishan Lath from Lucknow aged 65 years is a commerce graduate with gold medal from Lucknow University and is a practicing Chartered Accountant with more than 35 years of experience. He is a senior managing partner of M/s. A. Sachdev & Co., Chartered Accountants, Lucknow since more than 30 years.

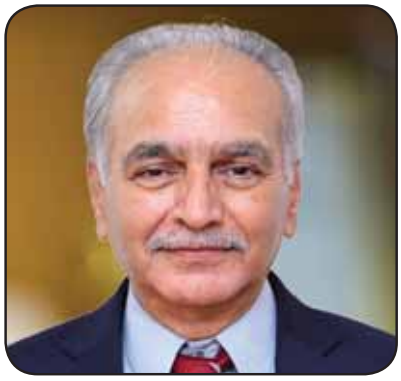
Shri Lath is in the panel of "Peer Reviewers" nominated by the ICAI and has also conducted peer reviews of various CA firms in accordance with the ICAI regulations in the last few years. Apart from vast experience of audits of banking industry, he has also handled various types of audit and other assignments of many private and public sector corporations, insurance companies, local bodies, central cooperative societies, government departments and several World Bank aided projects.

Shri Lath was also a member of the "Standing Tripartite Committee" and also the member of "Minimum Wages Advisory Board" nominated by the "Ministry of Labour and Employment, Government of India". He was also nominated by the Government of UP in the High Powered Committee constituted for "fixation of fees of private engineering colleges in U.P."

अहमदाबाद निवासी 65 वर्षीय डॉ. धोळकिया आईआईएम अहमदाबाद में अर्थशास्त्र एवं पब्लिक सिस्टम के प्रोफेसर हैं और उन्हें 41 वर्षो का अनुभव हैं. वे मास्टर ऑफ आर्ट्स (गोल्ड मेडलिस्ट), पीएचडी अर्थशास्त्र (एमएसयू, बड़ौदा) तथा पोस्ट-डॉक्टोरल फ़ेलो (यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो) है.

वे अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं.

वे छठे केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे तथा भारत सरकार एवं गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों में उन्होंने विशेषज्ञ सदस्य के रूप में कार्य किया है. उन्होंने आर्थिक विकास एवं नीति के क्षेत्र में अनेक पुस्तकें, विनिबंध (मोनोग्राफ) एवं शोध पत्र प्रकाशित किये हैं.



डॉ. रवींद्रराय एच धोळकिया
शेयरधारक निदेशक
Dr. Ravindrarai H. Dholakia
Shareholder Director

Dr. Dholakia from Ahmedabad aged 65 years is a Professor of Economics and Public Systems in IIM Ahmedabad and has 41 years of experience. He is Master of Arts (Gold Medalist), Ph. D. in Economics (MSU, Baroda) and Post-Doctoral Fellow (Univ. of Toronto).

He is a Director on the Board of Adani Transmission Limited and Gujarat State Petroleum Corporation Limited.

He was a Member of the Sixth Central Pay Commission and has worked as an expert Member on numerous High Powered Committees appointed by the Government of India and State Government of Gujarat. He has published several books, monographs and research papers in the field of economic development and policies.

कोलकाता निवासी 53 वर्षीय डॉ उत्तम कुमार सरकार ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में अपनी बी.टेक, एम.टेक तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. उन्हें 25 वर्ष से अधिक अध्यापन का अनुभव प्राप्त है.

वर्तमान में वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) कोलकाता में मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर हैं. उन्होंने मियामी, कोरल गेबल्स, फ्लोरिडा, यूएसए यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), दिल्ली में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परामर्शी परियोजनाओं में वे शामिल थे.



डॉ उत्तम कुमार सरकार
शेयरधारक निदेशक
Dr. Uttam Kumar Sarkar
Shareholder Director

Dr. Uttam Kumar Sarkar from Kolkata aged 53 years is B.Tech, M.Tech & Ph.D. in Computer Science & Engineering from IIT Kharagpur. He has more than 25 years of teaching experience.

Presently, he is a Professor of Management Information Systems at Indian Institute of Management (IIM) Calcutta. He was a Visiting Professor at University of Miami, Coral Gables, Florida, USA and Assistant Professor at Indian Institute of Technology (IIT), Delhi. He was involved in various Consulting Projects sponsored by Government of India.



निदेशक मंडल / BOARD OF DIRECTORS

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

मुख्य सतर्कता अधिकारी / CHIEF VIGILANCE OFFICER

श्री एम. वी. एस. एन. मूर्ती	Shri M. V. S. N. Murthy

महा प्रबंधक / GENERAL MANAGER

1	श्री पंकज शर्मा	Shri Pankaj Sharma
2	श्रीमती रेखा पी नायक	Smt Rekha P Nayak
3	श्री जी आर पाडलकर	Shri G R Padalkar
4	श्री ए के दीक्षित	Shri A K Dixit
5	श्री डी डी मिस्त्री	Shri D D Mistry
6	श्री पी सी पाणिग्रही	Shri P C Panigrahi
7	श्री आर कंदासामी	Shri R Kandasamy
8	श्री संजय शर्मा	Shri Sanjay Sharma
9	श्री वी वी शेणॉय	Shri V V Shenoy
10	श्रीमती मोनिका कालिया	Smt Monika Kalia
11	श्री पी आर राजगोपाल	Shri P R Rajagopal
12	श्री वी पी उसारिया	Shri V P Usharia
13	श्री आर रामानाथन	Shri R Ramanathan
14	श्री एस के महापात्रा	Shri S K Mohapatra
15	श्री ब्रजेश्वर शर्मा	Shri Brajeshwar Sharma
16	श्री लाल सिंह	Shri Lal Singh
17	श्री डी सी चौहान	Shri D C Chauhan
18	श्री एस एन कौशिक	Shri S N Kaushik
19	डॉ. के एल राजू	Dr. K L Raju
20	श्री आई ए खान	Shri I A Khan
21	श्री के पी आचार्या	Shri K P Acharya
22	श्री ए के सिंह	Shri A K Singh
23	श्री एम वेंकटेश	Shri M Venkatesh
24	श्री आर के गुप्ता	Shri R K Gupta
25	श्री एस एस चन्द्रशेखर	Shri S S Chandrashekhar
26	श्री बी श्रीनिवास राव	Shri B Shrinivasa Rao
27	श्री योगेंद्र सिंह	Shri Yogendra Sinigh
28	श्री नितेश रंजन	Shri Nitesh Ranjan
29	श्री आर के कश्यप	Shri R K Kashyap
30	श्री पी सत्यनारायण	Shri P Satyanarayana
31	श्री अतुल कुमार	Shri Atul Kumar

उप महा प्रबंधक / Dy. GENERAL MANAGER

1.	श्री एस एच कंथारिया	Shri S H Kantharia
2.	श्री अनिल कुरील	Shri Anil Kuril
3.	श्री वी एम काथवटे	Shri V M Kathavate
4.	श्री ए कृष्णास्वामी	Shri A Krishnaswamy
5.	श्री डी ए कामत	Shri D A Kamath
6.	श्री वी के श्रीवास्तव	Shri V K Srivastava
7.	श्री डी के नायक	Shri D K Naik
8.	श्री वी वी टेंभूर्णे	Shri V V Tembhurne
9.	श्री एन के श्रीवास्तव	Shri N K Srivastava
10.	श्री पी एस राजन	Shri P S Rajan
11.	श्री आई विश्वनाथन	Shri I Viswanathan
12.	श्री वी एम जैन	Shri V M Jain
13.	श्री भोला प्रसाद	Shri Bhola Prasad
14.	श्री आर के जगलान	Shri R K Jaglan
15.	श्री प्रवीण शर्मा	Shri Pravin Sharma
16.	श्री वी के सिंघल	Shri V K Singhal
17.	श्री एस के अग्रवाल	Shri S K Agrawal
18.	श्री के एस एन मूर्ति	Shri K S N Murthy
19.	श्री आशुतोष कुमार शर्मा	Shri Ashutosh Kumar Sharma
20.	श्री एस के सिंह	Shri S K Singh
21.	श्री आशीष पांडे	Shri Asheesh Pandey
22.	श्री डी बी कांबले	Shri D B Kambale
23.	श्री सी बी झा	Shri C B Jha
24.	श्रीमती रश्मि ई ईरानी	Mrs Rashmi E Irani
25.	श्री बी एस वेंकटेश	Shri B S Venkatesha
26.	श्री जगमोहन सिंह	Shri Jagmohan Singh
27.	श्री एस के पाणिग्रही	Shri S K Panigrahi
28.	श्री सी एम गुप्ता	Shri C M Gupta
29.	श्री एस सी तेली	Shri S C Teli
30.	श्री आर गणेशन	Shri R Ganeshan
31.	श्री एस के नारकर	Shri S K Narkar
32.	श्री पी के दास	Shri P K Das
33.	श्री टी वी वेणुगोपाल	Shri T V Venugopal
34.	सुश्री मीना आर खन्ना	Ms Meena R Khanna
35.	श्री एच सी मित्तल	Shri H C Mittal
36.	श्री आई ए नारायणन	Shri I A Narayanan
37.	श्री कल्याण कुमार	Shri Kalyan Kumar
38.	श्री एस एस सरोया	Shri S S Saroya
39.	श्री एन आर सामल	Shri N R Samal
40.	श्री पी के सोनी	Shri P K Soni
41.	श्री ए के सिरोही	Shri A K Sirohi
42.	श्री ए एम कुलश्रेष्ठ	Shri A M Kulshrestha
43.	श्री ए वी मराठे	Shri A V Marathe
44.	श्री एस दिलीप	Shri S Dilip
45.	श्री अंकेश ए जैन	Shri Ankesh A Jain
46.	श्री सी एम मिनोचा	Shri C M Minocha
47.	श्री आई पी यादव	Shri I P Yadav
48.	श्री अभिजीत बसाक	Shri Abhijit Basak
49.	श्री वी के एस शास्त्री	Shri V K S Sastry
50.	श्री के एस यादव	Shri K S Yadav
51.	श्री एम पी सिंह	Shri M P Singh
52.	श्री अखिलेश कुमार	Shri Akhilesh Kumar
53.	श्री वासुदेवन बीजू	Shri Vasudevan Biju
54.	श्री राकेश चोपड़ा	Shri Rakesh Chopra
55.	श्री एन के राउत	Shri N K Rout
56.	श्री डी चिरंजीवी	Shri D Chiranjeevi
57.	श्री जे एस तोमर	Shri J S Tomar
58.	श्री टी सरावानै	Shri T Saravanai
59.	श्री एन आर जैन	Shri N R Jain
60.	श्रीमती राजश्री बगलरी	Smt Rajashri Baglari
61.	श्री राजीव मिश्र	Shri Rajiv Mishra
62.	श्री सर्वेश रंजन	Shri Sarvesh Ranjan
63.	श्री सुमित श्रीवास्तव	Shri Sumit Srivastava
64.	श्री जी सी जोशी	Shri G C Joshi
65.	श्री विकास कुमार	Shri Vikash Kumar
66.	श्री अमरेन्द्र कुमार	Shri Amarendra Kumar
67.	श्री डी के गुप्ता	Shri D K Gupta
68.	श्री के जे श्रीनिवास राव	Shri K J Srinivasa Rao
69.	श्री पी के श्रीवास्तव	Shri P K Srivastava
70.	श्री एम आर महाले	Shri M R Mahale
71.	श्री रंजन कुमार	Shri Ranjan Kumar
72.	श्री पी आर गुप्ता	Shri P R Gupta
73.	श्री ओ एस कारवा	Shri O S Karwa
74.	श्री जी के सुधाकर राव	Shri G K Sudhakar Rao
75.	श्री आर के गुप्ता	Shri R K Gupta
76.	श्री जे एन शेठ	Shri J N Sheth
77.	श्री अनुराग चतुर्वेदी	Shri Anurag Chaturvedi
78.	श्री अरुण कुमार	Shri Arun Kumar
79.	श्री एस पी कर	Shri S P Kar
80.	श्री आर विश्वेश्वरन	Shri R Viswesvaran
81.	श्री गुरतेज सिंह	Shri Gurtej Singh
82.	श्री एस के सिंह	Shri S K Singh
83.	श्री महाबीर वर्मा	Shri Mahabir Verma
84.	श्री लुक़मान अली खान	Shri Luqman Ali Khan
85.	श्री ए के अग्निहोत्री	Shri A K Agnihotri
86.	डॉ. रवीन्द्रनाथ कोसाराजू	Dr. Ravindranath Kosaraju
87.	श्री जितेंद्र मणिराम	Shri Jithender Maniram
88.	श्री विपन सिंह	Shri Vipan Singh
89.	श्री धीरेंद्र जैन	Shri Dhirendra Jain
90.	श्री राजीव कुमार झा	Shri Rajiv Kumar Jha
91.	श्री अजय श्रीवास्तव	Shri Ajay Shrivastava
92.	श्री एन चेजीयन	Shri N Chezhian
93.	श्री ओ पी बलोदी	Shri O P Balodi
94.	श्री जी एन दास	Shri G N Das

वित्त वर्ष 2017-18 की मुख्य बातें

- 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल कारोबार 6.22% की वृद्धि के साथ ₹7,22,362 करोड़ रहा.
- 31 मार्च, 2018 को बैंक की कुल जमाराशियां 7.96% की वृद्धि के साथ ₹4,08,502 करोड़ रहीं.
- 31 मार्च, 2018 को बैंक का कुल अग्रिम 4.04% की वृद्धि के साथ ₹3,13,860 करोड़ रहा.
- कासा जमाराशियों का अंश 31 मार्च, 2017 को ₹1,30,308 करोड़ से 6.86% बढ़कर 31 मार्च, 2018 को ₹1,39,241 करोड़ हो गया.
- 31 मार्च, 2018 को अग्रिमों में रैम (रिटेल, कृषि, एमएसएमई) क्षेत्र में 8.35% की वृद्धि हुई तथा घरेलू ऋणों में इसका योगदान 55% से अधिक हो गया.
- शुद्ध ब्याज आय 4.52% की वृद्धि के साथ ₹8,903 करोड़ से बढ़कर ₹9,305 करोड़ हो गई.
- वित्त वर्ष 2017-18 में परिचालन लाभ 1.48% की वृद्धि के साथ ₹7,430 करोड़ से बढ़कर ₹7,540 करोड़ हो गया.
- प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2017 को 51.41% से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को 57.16% हो गया.
- 31 मार्च, 2018 को बासल-III के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 10.875% की न्यूनतम नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 11.50% रहा. सामान्य इक्विटी टियर-1 का अनुपात 7.375% की न्यूनतम नियामक अपेक्षाओं के सापेक्ष 7.60% रहा.
- 31 मार्च, 2018 को सम्पूर्ण भारत में बैंक की 4,301 शाखाएँ (4 ओवरसीज़ शाखाओं सहित) तथा 7,642 एटीएम का नेटवर्क था.

Highlights for FY 2017-18

- Total Business of ₹7,22,362 crore as on March 31, 2018, an increase of 6.22%.
- Total Deposits of ₹4,08,502 crore as on March 31, 2018, an increase of 7.96%.
- Gross Advances of ₹3,13,860 crore as on March 31, 2018, an increase of 4.04%.
- CASA deposit increased by 6.86% to ₹1,39,241 Crore as on March 31, 2018 from ₹1,30,308 as on March 31, 2017.
- In Advances as of March 31, 2018, RAM sector (Retail, Agriculture & MSME) increased by 8.35% and contributes more than 55% of domestic loan book.
- Net Interest Income increased by 4.52% from ₹8,903 crore to ₹9,305 crore.
- Operating Profit for FY 2017-18 increased by 1.48% to ₹7,540 crore from ₹7,430 crore.
- Provision Coverage Ratio increased from 51.41% as of March 31, 2017 to 57.16% as of March 31, 2018.
- Capital Adequacy Ratio (CRAR) under Basel III stood at 11.50% as on March 31, 2018 against the minimum regulatory requirement of 10.875%. Common equity tier 1 ratio stood at 7.60% against minimum regulatory requirement of 7.375%.
- Pan India presence- Network of 4,301 (including 4 overseas branches) and 7,642 ATMs as on March 31, 2018.

Less cash in hand?

Cashless solutions @ your fingertips



Union Bank Prepaid Cards

PAYROLL CARDS

- A Payroll Card is stored value card, which can be offered by companies, enterprises, institutions, organisations, government bodies to their employees, contractors, daily wage workers etc.
- Used for bill pay, at restaurants, entertainment venues, stores, online, or over the phone
- Eliminates the possibility of losing a cheque/cash
- Payroll card can be obtained for a period of one year and can be renewed for two more years
- To apply for Payroll Card, contact the nearest branch with KYC compliant documents: **a.** Address Proof. **b.** Identity Proof - Union Bank account Number/ Passport/ PAN Card/ Driving License, Aadhaar Card,Voter ID, Letter from any recognized public/Govt. authority. **c.** Contact Mobile Number

GIFT CARD

- Union Bank Gift card offers the flexibility of making purchases of your choice at your favorite store
- Used at locations accepting Visa Cards, including restaurants and entertainment venues
- Eliminates the possibility of losing a paper gift certificate, cheque/ cash
- Gift Card can be obtained for amounts between ₹500 and ₹10,000, and can be used in India before the expiry date embossed on the card
- To apply for Union Bank Gift Card, contact the nearest branch with KYC compliant documents: Identity Proof - Union Bank account Number/ Passport/ PAN Card/ Driving License, Aadhaar Card,Voter ID, Letter from any recognized public/Govt. authority

IRCTC PREPAID CARD

- A co-branded card that can be used on IRCTC website to purchase railway/ Air ticket reservations, season tickets and holiday packages
- Available in two variants - physical and virtual on UnionBank/ IRCTC website / Union bank branches
- Issued to customer and non customer for amounts ranging from ₹500/- to ₹10,000/- depending on KYC fulfillment
- Reloadable up to max. permissible limit as per card variant
- 3 years validity allows refund of balance on the card to customer

T&C apply

Proud to be associated with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (Toll free no.) | 080 2530 0175 (Chargeable) | +91 80 2530 2510 (for NRIs) www.unionbankofindia.co.in

Connect with us: @unionbankofindia @UnionBankTweets @UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube Unionbankofindia

यूनियन एल सी वी फाइनेंस

हमारा साथ, आपके कारोबार का विकास

प्रधानमंत्री mudra योजना



हल्के व्यावसायिक वाहन खरीदें और अपना कारोबार शुरु करें

- ✓ प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तपोषण
- ✓ आकर्षक ब्याजदर
- ✓ त्वरित टर्न अराउंड समय
- ✓ सभी प्रमुख ऑटोमोबाइल उत्पादकों के साथ टाई अप व्यवस्था

आपके सपने सिर्फ आपके नहीं

*शर्तें लागू

हमें गर्व है इनसे जुड़कर

Digital India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India

Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 2530 0175 (शुल्क योग्य) | +91 80 2530 2510 (एनआरआई के लिए) www.unionbankofindia.co.in

हमसे जुडे रहें: @unionbankofindia @UnionBankTweets @UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube Unionbankofindia

MAKE THE MOST OF EVERY OPPORTUNITY



Your funding requirement is taken care of when you bank with us.

Presenting **SME Plus**

Meet your immediate and temporary short term funding requirement

- Pre-approved Standby Term Loan / Ad-hoc Working Capital facility for MSMEs.
- Additional Limit upto 25% of regular WC limit. Maximum ₹ 2.50 crore.
- Provision for auto-enhancement of Working Capital limit.
- Quick disbursement

Your dreams are not yours alone

Proud to be associated with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य | Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 208 2244** / **1800 22 2244** (Toll free no.) | **080 2530 0175** (Chargeable) | **+91 80 2530 2510** (For NRIs)

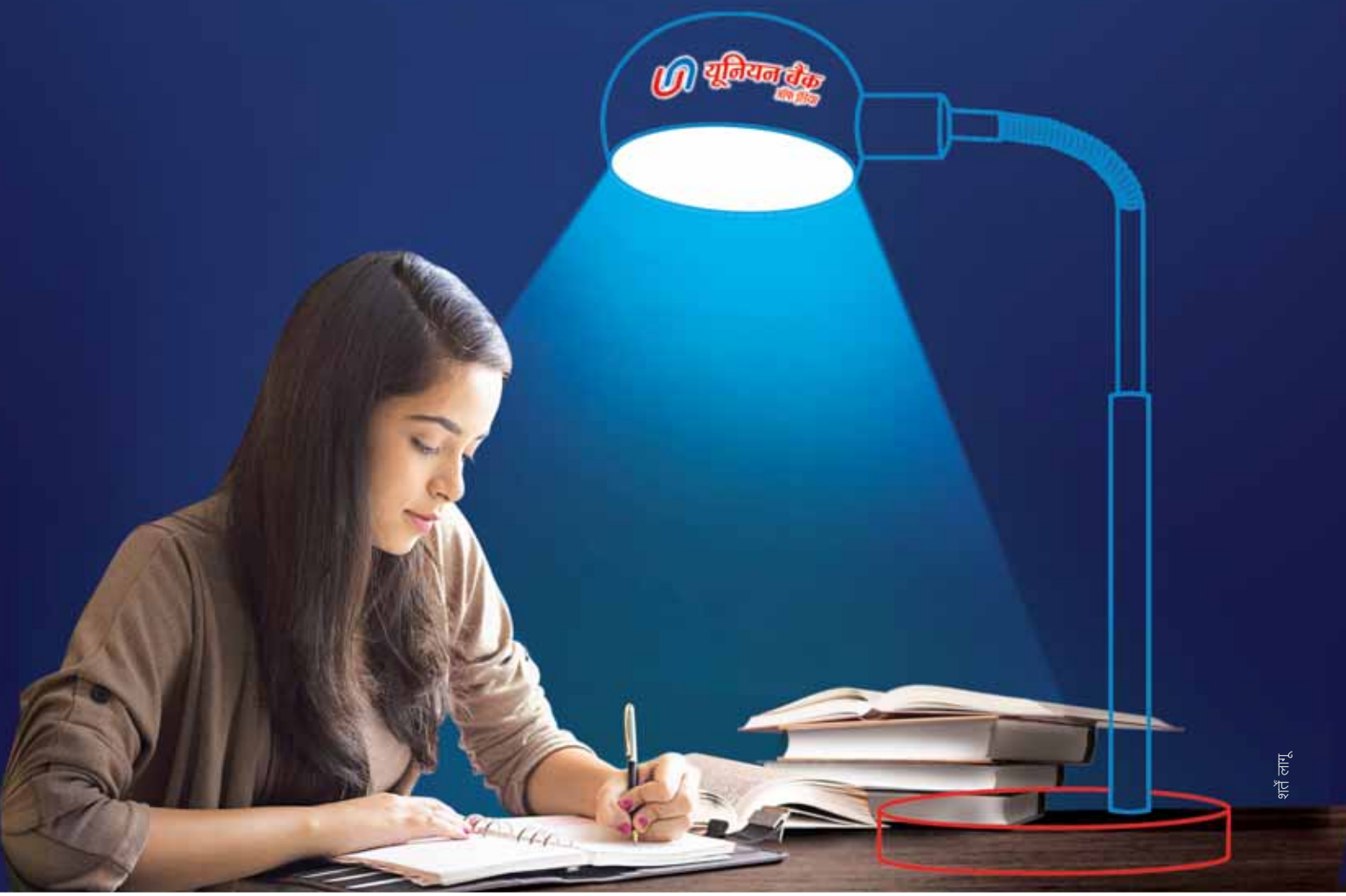
www.unionbankofindia.co.in | @unionbankofindia | @UnionBankTweets | UnionBankInsta | YouTube UnionBankofIndiaUtube | unionbankofindia

आपके भविष्य की ओर आपकी प्रतिबद्धता को पूरा करता है

यूनियन एज्यूकेशन
शिक्षा ऋण योजना

यूनियन बैंक का शिक्षा ऋण शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक छात्र का सपना करे साकार

- भारत या विदेश में अध्ययन के लिए
- ₹7.5 लाख तक के ऋण के लिए सरकार की गारंटी
- आईएसबी, आईआईटी, आईआईएमएस, एक्सएलआरआई तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए शून्य कोलेटरल/गारंटी के साथ स्पेशल ब्याज योजना
- उच्च शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य कौशल ऋणों के लिए भारतीय बैंक संघ की मॉडल ऋण योजना



शर्तें लागू.

गौरवशाली सहभागी:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य | Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नं.: **1800 208 2244** / **1800 22 2244** (टोल फ्री नं.) | **080 2530 0175** (सशुल्क) | **+91 80 2530 2510** (एनआरआई के लिए)

www.unionbankofindia.co.in | @unionbankofindia | @UnionBankTweets | UnionBankInsta | YouTube UnionBankofIndiaUtube | unionbankofindia

Avail Home / Car Loan at attractive interest rate

So you can get **a bigger home** and **bigger car**



Union Home

Sanction in 5 days
Repayment upto 30 years

Union Miles

Sanction in 2 days
Repayment upto 7 years

Conditions Apply.

Online loan application facility | Interest on Daily reducing balance

Proud to be associated with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 208 2244** / **1800 22 2244** (Toll free no.) | **080 2530 0175** (Chargeable) | **+91 80 2530 2510** (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in | @unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia



प्रस्तुत करते हैं एटीएम आधारित यूनियन ग्रीन कार्ड, इसे खास तौर पर बनाया गया है हमारे देश के परिश्रमी किसानों के लिए. आज ही कार्ड के लिए आवेदन कीजिए और ढेर सारी बैंकिंग सेवाओं, ऋणों और अन्य अनेक फायदों का आनंद लेना प्रारंभ कीजिए. • आसान ऋण योजनाएं • ब्याज दरों में रियायत • समय पर ऋण पुनर्भुगतान करने पर 4%* की ब्याज दर • कार्ड का इस्तमाल शाखा से, ATM से और POS से पैसे निकालने के लिए किया जा सकता है

*₹ 3 लाख तक ऋण

गौरवशाली सहभागी:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य | Member of Banking Codes & Standards Board of India

हेल्पलाइन नं.: 1800 208 2244 / 1800 22 2244 (टोल फ्री नं.) | 080 2530 0175 (सशुल्क) | +91 80 2530 2510 (एनआरआई के लिए)

www.unionbankofindia.co.in | @unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia

Add wings to your retail trade business with Union Trade Plus



- Working Capital & Term Loan Finance to eligible traders upto Rs. 10.00 crore
- Flexible calculation of Drawing Power
- Flat Margin of 20% for Working Capital and Term Loan Finance
- Attractive Rate of Interest offered to small traders
- Waiver of rentals for single POS Terminal for 12 months from the date of 1st installation

Conditions Apply

Proud to be associated with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Helpline Nos.: **1800 208 2244** / **1800 22 2244** (Toll free no.) | **080 2530 0175** (Chargeable) | **+91 80 2530 2510** (For NRIs)

www.unionbankofindia.co.in | @unionbankofindia @UnionBankTweets UnionBankInsta YouTube UnionBankofIndiaUtube unionbankofindia

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र.सं.	विवरण % (प्रतिशत में)	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
1	ब्याज आय/औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.60	6.71
2	ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53	4.80
3	ब्याज स्प्रेड/एडब्ल्यूएफ	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16	2.07	1.91
4	गैर-ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16	1.02
5	परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62	1.50	1.38
6	लागत आय अनुपात	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10	46.42	47.26
7	सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73	1.54
8	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86	(27.99)
9	अंतिम आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12	(1.08)
10	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13	(1.07)
11	अग्रिमों पर प्रतिफल	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72	7.67
12	जमाराशियों की लागत	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00	6.28	5.66
13	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	-	-
14	ऋण जमा अनुपात	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45	78.18
15	ऋण + गैर एसएलआर निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)-जमा अनुपात	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82	83.77
16	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल III)	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56	11.79	11.50
	टियर।							7.54	7.50	8.14	9.02	9.07
	टियर ।।							3.26	2.72	2.42	2.77	2.43

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
1	कर्मचारी (संख्या)	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877	37587
2	शाखाएं (संख्या)	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282	4301
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ करोड़ में)*	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43	17.83
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख में)	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13	20.15	20.06
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (₹ लाख में)	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51	(13.96)
6	प्रति शाखा कारोबार (₹ करोड़ में)*	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96	141.50	155.80
7	प्रति शाखा सकल लाभ (₹ करोड़ में)	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74	1.75
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13	(1.22)
9	प्रति शेयर आय (₹ में)	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08	(69.45)
10	प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76	243.44

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	:	कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां	:	कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम	:	कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार	:	औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश	:	कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड/एडब्ल्यूएफ	:	कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	:	कुल गैर ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
परिचालन व्यय	:	कुल व्यय में से ब्याज व्यय घटायें
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	:	परिचालन व्यय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
आय लागत अनुपात	:	परिचालन व्यय/गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ/एडब्ल्यूएफ	:	सकल लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियां एवं अर्मूत आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिफल	:	शुद्ध लाभ/कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	:	शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
अग्रिमों पर आय	:	आग्रिमों पर अर्जित ब्याज/औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत	:	जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात	:	कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश/शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात	:	कुल अग्रिम/ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां-अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी ईकाइयों में निवेश को छोड़कर)-जमाराशि अनुपात		कुल अग्रिम +गैर एसएलआर निवेश-अनुषंगी ईकाइयों में निवेश/ग्राहकों की जमाराशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	:	सकल लाभ को कर्मचारियों की कुल संख्या से भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार	:	औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा सकल लाभ	:	सकल लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	:	शुद्ध लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय	:	शुद्ध लाभ को इक्विटी शेयर केपिटल से भाग करें
प्रति शेयर बही मूल्य	:	नेट वर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) को इक्विटी शेयर कैपिटल से भाग करें

KEY FINANCIAL INDICATORS

S.No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
1	Interest Income/Average Working Funds (AWF)	8.35	8.78	8.04	8.33	9.35	9.19	8.95	8.88	8.37	7.60	6.71
2	Interest Expenses/AWF	5.76	5.96	5.51	5.19	6.33	6.43	6.55	6.54	6.21	5.53	4.80
3	Interest Spread/AWF	2.59	2.82	2.53	3.14	3.02	2.76	2.40	2.34	2.16	2.07	1.91
4	Non-Interest Income/ AWF	1.20	1.09	1.19	1.03	1.09	0.93	0.86	0.97	0.94	1.16	1.02
5	Operating Expenses/ AWF	1.44	1.63	1.52	2.00	1.77	1.65	1.67	1.70	1.62	1.50	1.38
6	Cost Income Ratio	38.17	41.81	40.66	47.85	43.15	44.70	51.24	51.34	52.10	46.42	47.26
7	Gross (Operating) Profit/ AWF	2.34	2.28	2.21	2.18	2.34	2.04	1.59	1.61	1.49	1.73	1.54
8	Return on Net Worth	24.70	24.79	23.69	18.63	13.67	13.68	9.99	9.73	6.84	2.86	(27.99)
9	Return on Terminal Assets	1.12	1.07	1.06	0.88	0.68	0.69	0.48	0.47	0.33	0.12	(1.08)
10	Return on Average Assets	1.26	1.27	1.25	1.05	0.79	0.79	0.52	0.49	0.35	0.13	(1.07)
11	Yield on Advances	10.12	11.06	9.94	9.86	11.22	11.05	10.53	10.42	9.63	8.72	7.67
12	Cost of Deposits	6.19	6.50	5.94	5.53	6.93	7.38	7.37	7.31	7.00	6.28	5.66
13	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	17.04	17.11	15.66	23.44	28.64	25.89	17.39	25.76	11.95	-	-
14	Credit - Deposit Ratio	75.55	73.22	73.71	78.11	84.94	84.11	82.04	86.65	83.69	81.45	78.18
15	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	78.44	76.75	80.75	84.08	86.51	87.63	90.36	93.51	88.91	87.82	83.77
16	Capital Adequacy Ratio (Basel III)	-	-	-	-	-	-	10.80	10.22	10.56	11.79	11.50
	Tier I							7.54	7.50	8.14	9.02	9.07
	Tier II							3.26	2.72	2.42	2.77	2.43

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
1	Employees (Number)	25722	27510	27772	27746	30838	31798	33806	35514	35473	36877	37587
2	Branches (Number)	2361	2558	2805	3016	3201	3511	3871	4081	4200	4282	4301
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	6.20	6.94	8.53	10.43	10.70	12.15	13.76	14.46	15.51	16.43	17.83
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	10.03	11.20	13.18	15.52	17.04	17.56	15.44	16.40	16.13	20.15	20.06
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	5.39	6.28	7.47	7.50	5.80	6.79	5.02	5.02	3.81	1.51	(13.96)
6	Business per branch (Rs in Crore) *	67.52	74.61	84.49	95.93	103.11	110.05	120.16	125.80	130.96	141.50	155.80
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	1.09	1.20	1.30	1.43	1.64	1.59	1.35	1.43	1.36	1.74	1.75
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.59	0.68	0.74	0.69	0.56	0.61	0.44	0.44	0.32	0.13	(1.22)
9	Earnings per Share (in Rupees)	27.46	34.18	41.08	39.71	34.07	38.93	27.99	28.05	20.42	8.08	(69.45)
10	Book Value per Share (in Rupees)	111.19	137.87	173.38	213.17	237.48	264.37	269.37	288.01	287.51	277.76	243.44

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fornightly average of total assets
Average Deposits	:	Fornightly average of total deposits
Average Advances	:	Fornightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fornightly average of total investments
Interest Income/AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses/AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread/AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income/AWF	:	Total Non interest income divided by AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses / Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit/AWF	:	Operating profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit / Net Worth (excluding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	:	Net Profit / Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit / AWF
Yield on Advances	:	Interest Earned on Advances / Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax / Net Profit (including Corporate dividend tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total advances / Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investments in subsidiaries / Customer Deposits
Business per employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit / Total No. of Employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances / Total No. of branches
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit / No. of Branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit / No. of Branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity share capital
Book Value per share	:	Net worth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets)/ equity share capital

सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया **("बैंक")** के शेयरधारकों की **16वीं** वार्षिक साधारण बैठक **("एजीएम") बुधवार, दिनांक 27 जून, 2018 को प्रात: 11.00 बजे रामा एंड सुंदरी वाटूमल ऑडिटोरियम, के. सी. कॉलेज, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मंबई-400020** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार

मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2018** के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

विशेष कारोबार

मद क्र. 2

एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमान आबंटन आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन.

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना.

संकल्प किया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 **("अधिनियम")** के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 **("योजना")** तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 यथा समय-समय पर संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक **("आरबीआई")**, भारत सरकार **("जीओआई")**, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड **("सेबी")** और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यधीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2009 **("आईसीडीआर विनियमन")** यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय-समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 (**"लिस्टिंग विनियमन"**) संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "**बोर्ड**" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाए एवं एतदद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर **₹6,850 (रुपये छ: हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र)** के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जो **₹1,168.57 करोड़ (रुपये एक हज़ार एक सौ अड़सठ करोड़ एवं सत्तावन लाख मात्र)** की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित **₹3,000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र)**, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों **("एनआरआई")**, निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं **(क्यूआईबी)**, विदेशी संस्थागत निवेशकों **("एफआईआई")**, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमनों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए.

"पुन: संकल्प किया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधि आबंटन विकल्प सहित या रहित के जरिये होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आबंटन, अधिनियम आईसीडीआर विनियमन, लिस्टिंग विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"पुन: संकल्प किया कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/ अभिगोपकों और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमनों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान सदस्य हों या नहीं."

"पुन: संकल्प किया कि लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रुप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरियां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII में उल्लेख है,

के अनुसार आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तो एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

"पुन: संकल्प किया कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णत: प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

बी) आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 85(I) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी.

"पुन:संकल्प किया कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार है."

"पुन:संकल्प किया कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नए इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम,1999 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यधीन होगा."

"पुन: संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरुप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरुप लाभांश, यदि कोई है, के लिए पात्र होंगे."

"पुन: संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिए बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन, आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिए, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है."

"पुन: संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिए बुक रनर(रों), लीड मैनेजर(रों), बैंकर्स, अभिगोपक(कों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रों), लेखापरीक्षक(कों) तथा अन्य ऐसी एजेन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया जाए एवं एतदद्वारा ऐसा किया जाता है."

"पुन: संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

"पुन: संकल्प किया कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

"पुन: संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुन: ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिए इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"पुन: संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतदद्वारा किया जाता है."

मद क्र.3

केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से वैध नामांकन वाले तीन निदेशकों के निर्वाचन हेतु, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i) के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "विनियमन अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 (इसके बाद "विनियमन" कहा जाएगा) अधिनियम की धारा 19 के अनुसार एवं अधिसूचना संख्या डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 95/29.39.001/2010-11

दिनांक 23 मई 2011 (इसके बाद आरबीआई "अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसार एवं भारत सरकार के पत्र संख्या एफ़ संख्या 16/83/2013-BO.I दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार, सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015, 20 जून 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-शासकीय निदेशकों के रूप में विचार हेतु मानदंड (इसके बाद "भारत सरकार दिशानिर्देश" कहा जाएगा) एवं निर्वाचन के बाद आशोधनों सहित एवं रहित निम्नलिखित साधारण संकल्प लिया जाता है.

"संकल्प लिया गया कि संबंधित योजना के साथ विनियमनों के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर धारा 9(3)(i) के अनुक्रम में केंद्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से ...., ...,एवं .....को निदेशकों के रूप में निर्वाचित किया गया है बैंक के निर्वाचित निदेशकों को **28 जून 2018** से कार्यालय संभालने के लिए अधिकृत किया जाए एवं वे निदेशकों के रूप में कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

राजकिरण रै जी

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

नोट:

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 2 और 3 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रुप से वोट देने का हकदार नहीं होगा. वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म "बी" के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में **कंपनी सचिव को निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वां तल, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 22 जून, 2018** को बैंक के कार्य-समाप्ति **सायं 5.00** बजे तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रुप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, उक्त पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 22 जून, 2018** को कार्य-समाप्ति अर्थात सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्योरे, ई-वोटिंग लॉग-इन आई डी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है. शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं. लेकिन जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर आयोजित होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया में अपना वोट डाल सकते हैं. इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्योरे का सत्यापन करें और खाली स्थान, यदि कोई है, तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें. शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर "परोक्षी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए. उपस्थिति पर्ची एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द की जाए और उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु सुपुर्द किया जाए.

5. अंतरण दायर करना

अतंरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र/ पत्रों को अतंरण हेतु बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाना चाहिए.

6. बुक क्लोजर

शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2018** से **बुधवार दिनांक 27 जून, 2018** तक (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा.

7. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के आरटीए से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अगले 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षो तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करना अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2009-10

तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वित्त वर्ष 2010-11 से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: http://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend का अवलोकन कर सकते हैं.

8. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैंडेट में परिवर्तन :

(ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डीपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रुप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डीपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रॉनिक रुप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैंडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकती है. ऐसे परिवर्तनों को केवल सदस्य के डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किया जाए.

(बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के आरटीए को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें :

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,
एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 093

(सी) बैंक का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की बेवसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

(डी) इलेक्ट्रॉनिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

(ई) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमेट रुप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रुप से उल्लेख करें.

9. स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि. को तत्काल सूचित करें:

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले नहीं दिया गया हो.

10. फोलियों का समेकन

एक से अधिक खातों में एक जैसे नामों से या संयुक्त नामों से उसी क्रम में भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों को एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के आरटीए, डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि. को प्रेषित करें.

11. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/कुरियर सेवा द्वारा भेजी जाएंगी तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक/डीपी में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा भेजी जायेंगी. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं.

12. निर्दिष्ट और कट-ऑफ तारीख

ए) निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट-तारीख :

विनियमन के नियम 12 के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले **तीन** निदेशकों के चयन हेतु चुनाव में अर्थात् **मनोनीत होने, चुनाव लड़ना और वोट डालने के पात्र** शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 18 मई 2018** को निर्दिष्ट तिथि किया गया है, जैसा सूचना के कार्यसूची मद संख्या 3 में उल्लिखित है.

बी) अन्य कार्यसूची मदों के लिए ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तारीख

संशोधित कंपनी नियम(प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014 के नियम 20 यथा संशोधित के अनुसार, **कार्यसूची मदें संख्या 1 एवं 2** के संबंध में शेयरधारकों को वोट देने के अधिकार के लिए **बुधवार 20 जून 2018** निर्दिष्ट तारीख माना जाएगा.

13. वोट देने का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक** के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के लिए वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन तथा विनियमन के नियम 68 के अनुसार कोई शेयरधारक, जो निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **शुक्रवार, 18 मई 2018** और **कट-ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, 20 जून 2018** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, तो वह हाथ उठाकर वोट देने पर एक वोट देने और मतदान होने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के नियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के

लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा.

14. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे.

15. भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

शेयरों को भौतिक रूप से धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज रूप में परिवर्तित करायें, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डीमैट खाता संचालित कर रहे हैं.

16. ई-वोटिंग

I. सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 के विनियमन 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कारोबार की सुविधा प्रदान की गई है.

II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

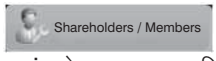
III. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे.

IV. वार्षिक साधारण बैठक ("रिमोट ई-वोटिंग") स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तथा बैठक स्थल पर वोटिंग की सुविधा **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** द्वारा प्रदान की जाएगी.

V रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार दिनांक 23 जून 2018 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **मंगलवार, दिनांक 26 जून 2018 (सायं 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक जो, **निर्दिष्ट-तारीख शुक्रवार 18 मई, 2018** को फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, **कार्यसूची मद संख्या 3** के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरधारकों, जो कट ऑफ तारीख **बुधवार, 20 जून 2018** को फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हैं तो **कार्यसूची मदें संख्या 1 एवं 2** के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बंद कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

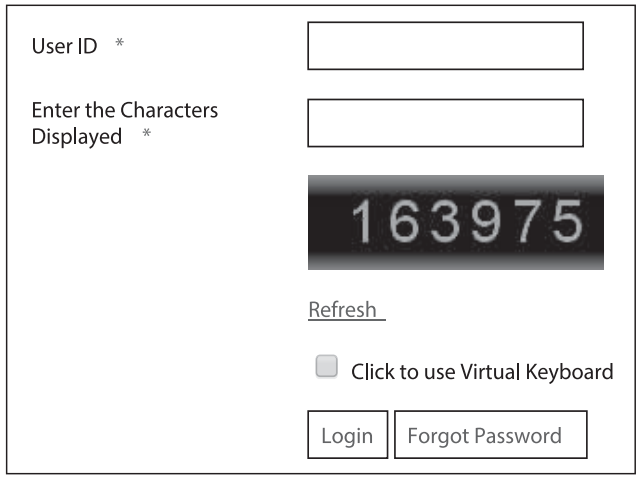
VI रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

(i) ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग ऑन करें **www.evotingindia.com.**

(ii) अपना वोट देने के लिए 

टैब पर क्लिक करें.

(iii) अब अपना यूजर आईडी एवं इमेज सत्यापन प्रविष्ट करके लॉग इन पर क्लिक करें.



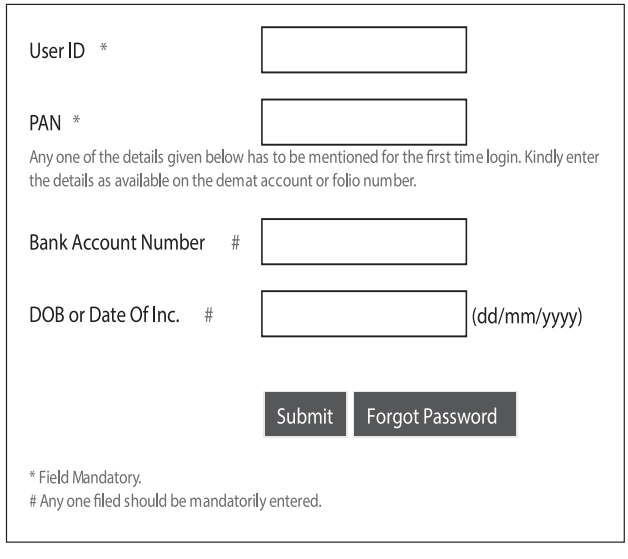
(ए) सीडीएसएल हेतु: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,

(बी) एनएसडीएल हेतु: 8 अंकों की क्लाइंट आईडी के बाद 8 अंकों की कैरेक्टर डीपी आईडी,

(सी) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी है.

(iv) यदि आपके शेयर डीमैट रूप में है एवं आपने www.evotingindia.comपर लॉग-ऑन कर पूर्व वोटिंग में किसी कंपनी या बैंक को वोट कर दिया है, तो आपकी विद्यमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.

(v) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता है तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

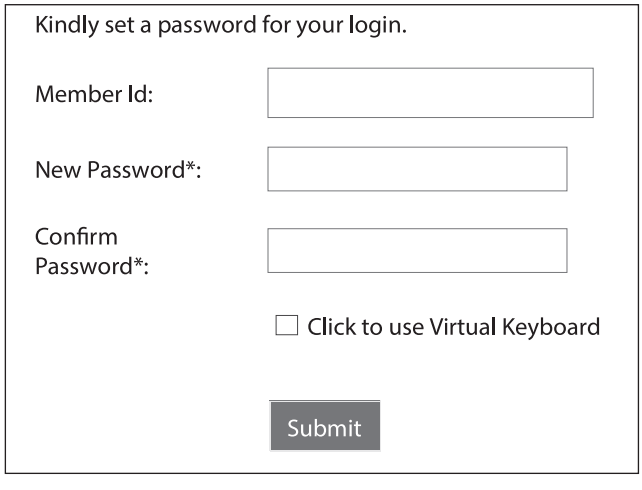


पैन	• आयकर विभाग(डीमैट शेयरधारक के साथ-साथ भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फा-न्यूमैरिक पैन की प्रविष्टि करें. • जिन सदस्यों ने अपने पैन कार्ड को बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि पैन फील्ड अथवा सीडीएसएल द्वारा प्रेषित ईमेल में उल्लिखित उपस्थिती पर्ची सह प्रवेश पास में मुद्रित क्रम संख्या का उपयोग करें
लाभांश का बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी)	• लॉग इन करने के लिए, बैंक में अथवा आपके डीमैट खाते में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्ट करें. • यदि डिपॉजिटरी या बैंक में दोनों विवरण दर्ज नहीं हुये है, तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें.

(vi) इन विवरणों की उचित रूप से प्रविष्टि के बाद "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें.

(vii) इसके बाद भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्य सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे.

(viii) अब डीमैट रूप में शेयर धारित सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू में जाएं, जिसमें नए पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यत: अपने लॉग-इन पासवर्ड की प्रविष्टि करनी होगी. कृपया ध्यान दें, कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी भी अन्य कंपनी के प्रस्तावों हेतु वोटिंग के लिए किया जाना चाहिए, जिस पर वे वोट देने के पात्र हैं, बशर्ते कंपनी सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प दें. **आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें.**



(ix) भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्यों हेतु, इस सूचना में दिए संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए विवरणों का उपयोग किया जा सकता है.

(x) **"यूनियन बैंक ऑफ इंडिया"** के ईवीएसएन पर क्लिक करें.

(xi) वोटिंग पृष्ठ पर, आपको कार्यसूची मद क्र. 1 एवं 2 के लिए "संकल्प विवरण (रिजोल्यूशन डिस्क्रीप्शन)" दिखाई देगा एवं इसी के साथ-साथ वोटिंग विकल्प "हाँ/नहीं" के लिए प्राप्त होगा. स्वेच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प का चयन करें. हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं.

(xii) कार्यसूची मद क्र. 3 यथा शेयर धारक निदेशकों के निर्वाचन हेतु वोट करते समय आप उम्मीदवारों के नाम देख सकते हैं तथा नाम के सापेक्ष आपके लिए वोट देने का विकल्प उपलब्ध होगा. आप अधिकतम तीन उम्मीदवारों को वोट दे सकते है.

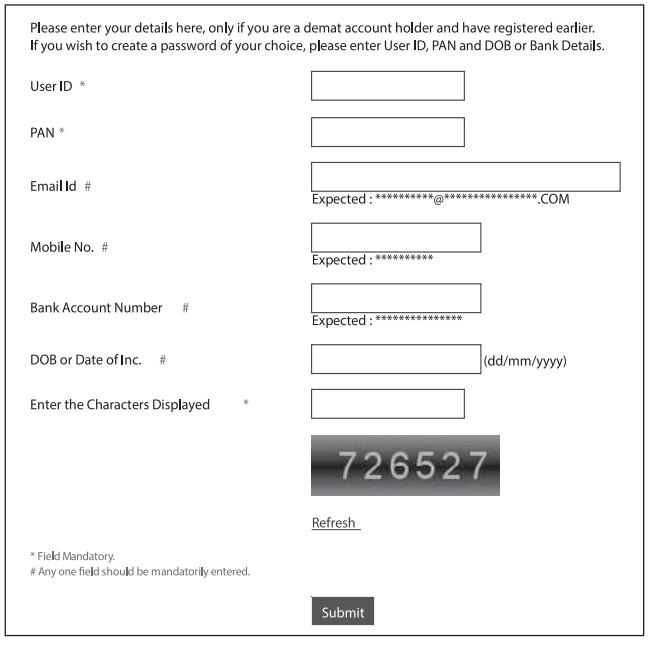
(xiii) सम्पूर्ण संकल्प विवरण देखने के लिए "रिसोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें.

(xiv) संकल्प चयन के बाद आपको वोट देने का निर्णय करना होगा, और इस हेतु "SUBMIT" पर क्लिक करें. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट परिवर्तित करें.

(xv) संकल्प पर अपना वोट "पुष्टि" (CONFIRM) करने के बाद आपको वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी.

(xvi) वोटिंग पृष्ठ के "Click here to print" पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं.

(xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गया है, तो उसे अपनी यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन कूट प्रविष्ट कर "Forgot Password" पर क्लिक करना होगा एवं सिस्टम द्वारा दिए गए विवरण की प्रविष्टि करनी होगी.



(xviii) शेयर धारक एंड्रोएड आधारित मोबाइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल के एम-वोटिंग मोबाइल ऐप से अपना वोट दे सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर से एम-वोटिंग ऐप डाउनलोड किया जा सकता है. ऐप्पल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमश: ऐप स्टोर एवं विंडोस फोन स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल ऐप से वोट करते समय ऐप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.

(xix) गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों एवं अभिरक्षकों हेतु नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों (जैसे वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और अभिरक्षकों से, www.evotingindia.comपर लॉग ऑन करके स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना अपेक्षित है.
- संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति कों helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें.
- लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडमिन लॉग इन और पासवर्ड के माध्यम से एक अनुपालन यूजर बनाया जाए ताकि अनुपालन यूजर जिस खाते कों वोट देना चाहता है, उसको लिंक करने में सक्षम हो.
- लॉग-इन लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जाए तथा खातों का अनुमोदन होने पर वे अपना वोट देने में सक्षम होंगे.
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु सिस्टम में उसकी पीडीएफ़ प्रति अपलोड की जाए.

VII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, www.evotingindia.comपर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (FAQs) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते है या टोल फ्री नं.: 1800225533 पर संपर्क किया जा सकते है.

VIII. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़े समस्त शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफ़तलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या 1800225533 पर कॉल करें.

IX. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख/निर्दिष्ट को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा

X. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव, मेसर्स एस एन अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (SNA&CO) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

XI. वार्षिक साधारण बैठक शुरू होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

XII. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जायेगी.

17. वोटिंग के परिणाम :

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल की वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट: www.evotingindia.com पर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे.

18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता :

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि कार्यसूची की मद संख्या 1-3 के लिए कंपनी सचिव, SNA&CO जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में ई-वोटिंग के लिए अन्य शेयरधारक के साथ भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे.

चुनाव के लिए ई-वोटिंग, बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर और SNA&CO (स्वतंत्र सलाहकार एवं जांचकर्ता) एवं केंद्र सरकार के नामित, जो एक निरीक्षक और द्वितीय जांचकर्ता के रूप में कार्य करेगा, के पर्यवेक्षण में सम्पन्न किया जाएगा.

व्याख्यात्मक विवरण

1. एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम:

बासल-III विनियामकों की अपेक्षानुसार बैंक को 31 मार्च, 2019 तक इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में कॉमन इक्विटी टीयर-1 (सीईटी-1) न्यूनतम 5.50% व पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 2.50%, टीयर 1 अनुपात (सीसीबी सहित) 9.50% और समग्र सीआरएआर (सीसीबी सहित) को 11.50% बनाए रखना है.

प्रतिवर्ष (वित्त वर्ष 2019 तक) 0.625% पूंजी संरक्षण बफर की बढ़ती अपेक्षाओं, बैंक की भावी विस्तार एवं समृद्धि योजनाओं एवं फलस्वरूप पूंजी प्रभार के कारण पूंजी की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते बैंक को अपनी पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है; ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करते हुए बासल -III की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके.

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने **₹6,850 करोड (रुपये छ: हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र)** की इक्विटी पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

दिनांक 23 जून, 2017 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में, पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या निजी प्लेसमेंट, अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी) और/या भारत सरकार या अन्य संस्थाओं को अधिमानी आबंटन और/या किसी अन्य माध्यम से, भारत सरकार और अन्य नियामक प्राधिकारणों और सेबी आईसीडीआर नियामकों से अनुमोदन की शर्त पर, बैंक को **₹4,950 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ**

पचास करोड़ मात्र) तक की इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो दिनांक 22 जून, 2018 तक वैध है.

बैंक ने दिसंबर 2017 में पात्र संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी) के लिए अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को प्रति शेयर ₹154.65 के निर्गम मूल्य पर 12,93,24,280 इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर ₹144.65 के शेयर प्रीमियम सहित) के आबंटन द्वारा ₹**2,000 करोड़ (रुपये दो हज़ार करोड़ मात्र)** की इक्विटी पूंजी उगाही की है. इसके अतिरिक्त बैंक ने मार्च, 2018 में अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर ₹144.62 के निर्गम मूल्य पर 31,28,19,803 इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर ₹134.62 के शेयर प्रिमियम सहित) का आंबटन कर ₹**4,524 करोड़ (रुपये चार हज़ार पाँच सौ चौबीस करोड मात्र)** की इक्विटी पूंजी एकत्रित की है.

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को ₹**6,850 करोड (रुपये छ: हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र)** तक बढ़ाने की योजना है.

इस विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य बोर्ड को यह अधिकार देना है कि वह ऐसे समय या समयों पर एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा उन निवेशकों, जिनका उल्लेख वहां है तथा जिन्हें बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, को इक्विटी शेयर जारी करे. इक्विटी शेयरों का निर्गम कब और कितनी बार किया जाए, इससे संबंधित विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकरों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाए, से विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा.

उपर्युक्त के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के माध्यम से जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

i. सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VIII और/या अन्य लागू विनियमनों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्यन की संबंधित तिथि वह तिथि होगी, जिसे अधिनियम की धारा 81(1ए) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा लागू अन्य नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल/या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत समिति अपनी बैठक में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है.

ii. चूंकि प्रस्ताव का मूल्य बाद में ही निर्धारित किया जा सकता है, अत: जारी किये जाने वाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है, तथापि यह आईसीडीआर विनियमनों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998, समय-समय पर यथा संशोधित एवं लागू या अपेक्षित अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों/ सहमतियों के अनुसार ही होगा.

iii. पूर्णत: चुकता शेयरों का निर्गम एवं आबंटन केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुसार किया जाएगा तथा आबंटन का कार्य इस संकल्प के पारित होने के 12 महीनों के अंदर कर लिया जाएगा.

iv. प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत शर्तों एवं नियमों का निर्धारण बोर्ड द्वारा सलाहकार(रों), लीड मैनेजर(रों), अभिगोपक(कों) तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाए, से विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा.

v. अधि आबंटन, प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, सहित इस प्रकार प्राप्त कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बैंक के नेटवर्थ के 5 गुने से अधिक नहीं होगी.

vi. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के तहत समय-समय पर प्राप्त अनुमति को छोड़कर, आबंटन की तिथि से 1 वर्ष तक प्रतिभूतियां विक्रय/ अंतरण योग्य नहीं होंगी.

vii. आबंटित किए गए इक्विटी शेयर बैंक के लाभांश सहित हर प्रकार से वर्तमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष मान्य होंगे.

आपके निदेशकगण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

बैठक की कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत सबंध या हित नहीं है.

2. शेयरधारकों के निदेशकों की नियुक्ति:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा (9)(3)(i) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से हमारे बैंक ने तीन निदेशकों यथा डॉ. रवींद्रराय एच. ढोळकिया, श्री गोपाल कृष्ण लाठ एवं डॉ. उत्तम कुमार सरकार का चुनाव किया है, जिन्होंने 27 जून, 2015 को कार्यभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 26 जून, 2018 को समाप्त हो रहा है.

उपर्युक्त रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से निदेशक मंडल वार्षिक साधारण बैठक में एक कार्यसूची के रूप में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव का प्रस्ताव करता है.

तद्नुसार सभी शेयरधारक विभिन्न संबंधित अधिनियम/योजना/विनियमनों/ अधिसूचना/ केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों, संबंधित उद्धरणों/ भागों, जिन्हें यहां पुन: प्रतिरूपित किया गया है, की व्यवस्थाओं के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं. तीनों निदेशकों का चुनाव या तो शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकन की जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके फिट और उचित स्थिति के निर्धारण या वार्षिक साधारण बैठक में अनुवर्ती चुनाव के बाद किया जाएगा. इस प्रकार चयनित निदेशक 28 जून, 2018 से कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं पदभार ग्रहण करने के तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे.

ए. कानूनी प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमनों/योजनाओं/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5(एनई) धारा 16(1) धारा 20	• सारभूत हित • सामान्य निदेशकों को निषेध • किसी निदेशक को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) तक धारा 9(3ए ए) व धारा 9(3ए बी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	• मतदान अधिकार पर प्रतिबंध • शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या • कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान • कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिए उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडो पर खरा (योग्य एवं उपयुक्त) नहीं उतरता. • धारा 9(3ए) व धारा 9(3ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले चुने गए निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार • गोपनीयता व निष्ठा का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	• चुने गये निदेशकों का कार्यकाल • बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं • कार्यालय का निदेशक पद खाली होना • चुने गये निदेशक को हटाया जाना • चुने गये निदेशक का रिक्त पद भरा जाना • अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों के अपने हितों का प्रकटन
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक विनियम, 1998 (2009 तक "संशोधित")	विनियमन 10 विनियमन 61 विनियमन 63 विनियमन 64 विनियमन 65 विनियमन 66 विनियमन 67 विनियमन 68 विनियमन 69 विनियमन 70	• सयुंक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग • साधारण बैठक में वोट डालना • साधारण बैठक में चुने जाने वाले निदेशक • शेयरधारकों की सूची • चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन • नामांकन की जांच • चुनावी विवाद • वोट देने के अधिकारों का निर्धारण • विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान • परोक्षी
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/ 29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए ए) और धारा 9(3ए बी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड हेतु चुने गये निदेशकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त का मानदंड

अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी संदर्भ एफ़ पत्र क्र.16/83/2013 -BO.I दिनांक 3 सितंबर 2013 एवं 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर- सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2014.		निदेशकों के संबंधियों को ऋण व अग्रिम देना

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/ विनियमन के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी क्र. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबंधित उद्धरण बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर दिए गए हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंपनी सचिव को उनके मुख्य कार्यालय में नामांकन फार्म जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 11 जून, 2015 तक या उससे पूर्व अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा भी भेज दिया जाएगा.

बी) चुनाव में भागीदारी :

जैसाकि पहले संकेत दिया गया है कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल के रजिस्टर में **निर्दिष्ट-तारीख** अर्थात् **शुक्रवार 18 मई, 2018** को शेयरधारकों/ हितग्राहियों के रूप में हों वे शेयरधारकों में से निदेशकों के चयन के लिए **नामांकन करने, भाग लेने और वोट देने** के लिए पात्र होंगे.

सी) बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए आवश्यक पात्रता

अधिनियम के धारा 9(3 ए) के अनुसार, उम्मीदवार जो बैंक के शेयरधारक होने के नाते, अधिनियम के धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप चुने जाने की इच्छा रखता है तो -

1. निम्नलिखित एक या एक से अधिक विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए अर्थात्:
   - i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
   - ii. बैंकिंग
   - iii. को-ऑपरेशन
   - iv. अर्थशास्त्र
   - v. वित्त
   - vi. विधि
   - vii. लघु उद्योग
   - viii. किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, (बैंक के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश परिपत्र क्र. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016 द्वारा उक्त पद की विशेषज्ञता में (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन को शामिल किया है.
2. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ; या
3. किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना और अधिनियम के धारा 9(3एए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक चुने जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को फिट और उचित स्थिति में होना चाहिए.

इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को अनुबंध विलेख को निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करना होगा.

डी . बैंक के निदेशक रूप में चयनित होने की अपात्रता

1. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार, व्यक्ति को बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अपात्र होगा यदि:

i. यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान निलंबित किया गया हो या ऋणदाताओं के साथ गलत समझौता किया हो; या

ii. यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है; या

iii. यदि उसे नैतिक भ्रष्टता जैसे अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो; या

iv. यदि उसने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के धारा 3 के उप धारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक(सहयोगी बैंकों) अधिनियम,1959 के धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में लाभ का पद ग्रहण किया हो, अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक के सिवाय.

2. यदि वह व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना-डीबीओडी न. बीसी न 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी न. 47/29.39.001/2007-08

दिनांक 01.11.2007 के अनुसार बैंक के निदेशकों के नामांकन समिति द्वारा फिट और उचित नहीं पाया जाता हो.

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा न करता हो.

ई. शेयरधारकों की सूची

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकों) विनियमन, 1998 के विनियम 64 में संशोधन के रूप में दिया गया है कि शेयरधारकों को शेयरधारकों के सूची की प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात् सीडी या ऐसे अन्य मीडिया) की खरीद के लिए "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में मुंबई में देय अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा ₹50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) के भुगतान पर शेयरधारकों के सूची की प्रति 18 मई 2018 से बैंक के केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध होगी. उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवार **कंपनी सचिव, निवेशक सेवा प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वां माला, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021** को संबोधित करते हुए एक अनुरोध पत्र इस वचन के साथ लिखेंगे कि सूची का प्रयोग निर्वाचन के प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन जो भी हो के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा.

एफ़. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

प्रतिभागियों को शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भी हिस्से से निष्कर्ष लेने के लिए शेयरधारकों के रजिस्टर को केंद्रीय कार्यालय में प्रात: 11 से सायं. 4 के बीच सभी कार्यदिवस (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक अवकाश को छोड़कर) में बैंक के शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए खोला जाएगा. यदि किसी शेयरधारक को इस चुने /भाग के सूचना की कम्प्युटर प्रिंट या प्रति चाहिए तो प्रत्येक 1,000 शब्दों के लिए या इसके आंशिक भाग के प्रतिलिपि के लिए ₹5 के दर से भुगतान पर इसकी आपूर्ति की जाएगी.

जी. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना डीबीओडी न. बीसी न 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 जो डीबीओडी न. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 पढ़ा जाएगा और भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भ फ. न.16/83/2013-BO.I द्वारा पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 के अनुसार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और 25 मार्च 2015, 20 जून 2016 (भारत सरकार के दिशानिर्देशों) को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचाराधीन हेतु केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंड और विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों, दिशानिर्देशों, निर्देशों के अनुसार निदेशक के रूप में चयनित किए जाने हेतु उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार होगा बशर्ते :

ए) चुनाव में भागीदारी के लिए **निर्दिष्ट-तारीख शुक्रवार 18 मई 2018** को उस शेयरधारक के पास बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर होने चाहिए और बैठक की तिथि और यदि उसका चयन होता है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तिथि तक न्यूनतम 100 शेयरों के होने का वचन दे.

बी) नामांकन भरने की अंतिम तारीख **मंगलवार 12 जून 2018** को, अधिनियम / योजना / विनियमन / आरबीआई अधिसूचना / जीओआई दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के पद के लिए अपात्र ठहराया नहीं गया हो.

सी) निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरों के धारकों या उनके द्वारा गठित प्रतिनिधियों द्वारा लिखित नामांकन भरना होगा, यदि शेयर होल्डर कंपनी हो तो निदेशकों द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए और इस संकल्प की प्रति, उस बैठक के अध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर, बैंक के केंद्रीय कार्यालय को, कंपनी सचिव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भेजी जाए तथा ऐसी प्रति कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.

डी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) को न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्टार या बीमा कंपनियों के सह-रजिस्टरों या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और उम्मीदवार के घोषणा के साथ वैध नामांकन देना है कि वह नामांकन को स्वीकार करता/करती है और चुनाव में खड़े होने के लिए इच्छुक है, तथा वह अपने विधिवत रूप से हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) के साथ निदेशक चुने जाने के लिए लागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों या विनियमनों या योजना विनियमन अधिनियम या अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र ठहराया नहीं गया है और पुष्टि करता / करती हूँ कि दी गई जानकारी मेरी सूचना इस घोषणा के बाद, इससे संबंधित किसी भी घटना से तुरंत अवगत करवाया जाएगा. नामांकन और घोषणा का प्रारूप इस सूचना में संलग्न है.

ई) नामांकन फॉर्म और घोषणा पत्र इस सूचना (प्रोफॉर्मा बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.comपर भी उपलब्ध है) में अनुलग्नक प्रोफॉर्मा के अनुसार और विनियमन द्वारा निर्धारित प्रारूप में है.

एफ़) निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध उपबंधों) योजना 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकों) विनियमन 1998 (इसके बाद "विनियमन" के रूप में संदर्भित किया गया) और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना क्र. डीबीओडी न. बीसीएनओ. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 और 25 मार्च 2015, 20 जून, 2016 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के गैर-सरकारी निदेशक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड या समय समय पर जारी ऐसे अन्य दिशानिर्देशों के तहत उसे अपात्र ठहराया नहीं गया हो.

एच. नामांकन फॉर्म की प्रस्तुति

केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए इच्छुक शेयरधारकों को इस सूचना में अनुलग्नक प्रारूपों को भरकर सीलबंद लिफाफे में **कंपनी सचिव, निवेशक सेवा प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12 वां माला, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021** को वार्षिक साधारण बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 14 दिन पहले अर्थात **मंगलवार 12 जून 2018 को 5:00 बजे बैंक की कार्य-समय तक या उससे पूर्व** किसी भी कार्यदिवस में निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने होंगे:

ए) विधिवत रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र.

बी) चुनाव में भाग लेने के पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से प्राप्त वैध नामांकन;

सी) सूचना में संलग्नक प्रारूपों में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा पत्र और वचन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेजों, प्रमाणों अर्थात बायो डाटा की स्वप्रमाणित प्रतियाँ, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र आदि.

डी) उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए अन्यथा नामांकनों को निरस्त किया जा सकता है.

आई) नामांकन की जांच एवं निदेशकों का चुनाव :

ए) नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद, पहले दिन अर्थात् **बुधवार, 13 जून 2018** को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और कोई नामांकन वैध न हो, तो उसका कारण रिकॉर्ड करते हुए, नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा.

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा वैध नामांकन की जांच की जाएगी.

सी) बैंक नामांकन की जांच करते समय या बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, उम्मीदवार से उसके उम्मीदवारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की मांग कर सकते हैं.

डी) यदि चुनाव द्वारा **तीन** रिक्तियों को भरने के लिए केवल तीन वैध नामांकन है, तो नामित उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम एवं पता निर्वाचित निदेशकों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो **कार्यसूची मद संख्या 3** वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाएगी. नवनिर्वाचित निदेशक **28 जून, 2018** से कार्यभार ग्रहण करेंगे.

ई) यदि **तीन** से अधिक नामांकन वैध मिलते हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे एवं चुनाव आयोजित किए जाएंगे और ई-वोटिंग तथा बैठक में हुए मतदान में मिलाकर बहुमत वोट पाने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और घोषित कर उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

जे. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई प्रतिभागी अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्यावधि अर्थात **शनिवार, दिनांक 22 जून, 2018 को सायं. 5.00 बजे से पूर्व** कभी भी बैंक के कंपनी सचिव, निदेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 के पते पर पत्र प्रेषित कर अथवा 022-22025238 नंबर पर फैक्स भेजकर अथवा investorservices@unionbankofindia.com पर हस्ताक्षरित व स्कैन किए हुए पत्र को भेजकर ऐसा कर सकता है.

के. विवाद

यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 1998 यथा संशोधित नियमन 67 के अनुसार किया जाएगा.

एल. सारांश:

जैसाकि नोटिस में पहले ही उल्लेख किया गया है कि लागू अधिनियम/ योजना/विनियमनों/ अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का सारांश बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर शेयरधारकों की सुविधा के लिए अपलोड है. चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक यदि चाहे तो इसके लिए बैंक के कंपनी सचिव को डाक द्वारा अथवा www.investorservices@unionbankofindia.com पर ई-मेल द्वारा भी लिख सकते है एवं बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा.

एम. निदेशकों का हित:

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता तक एवं नामांकन फाइल करने वाले ऐसे निदेशक उक्त कारोबारी मद से संबद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

राजकिरण रै जी

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Sixteenth** Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Shareholders of Union Bank of India (**"Bank"**) will be held on **Wednesday, 27th June, 2018** at **11.00 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** to transact the following:

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2018**, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:

Item No. 2

To raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("**Act"**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**"Scheme"**) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI"**), the Government of India ("**GOI"**), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI"**), and/ or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**"ICDR Regulations"**) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Regulations"**) as amended from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto **₹6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty crore only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity Share Capital of **₹1,168.57 crore (Rupees One Thousand One Hundred Sixty Eight Crore and Fifty Seven Lakhs Only)** will be within **₹3,000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only)**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("**NRIs**"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("**QIBs**") like Foreign Institutional Investors ("**FIIs**"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/ guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. Follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, thinks fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with

the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution."

b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.

c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions."

Item No. 3

To elect THREE Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred as "the Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBOD No. BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with Notification No. DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Letter No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on 25th March, 2015, 20th June 2016 and amendments made thereafter (hereinafter referred as "GOI Guidelines") and AFTER ELECTION pass with or without modifications the following resolution as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** _____, _____ and _____ elected as Directors from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification, GOI Guidelines, be and are hereby appointed as Directors of the Bank to assume office from **28th June, 2018** and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Directors".

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 10th May, 2018

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda 2 and 3 of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021**, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at **5.00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018**.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote by using e-voting facility available at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The Attendance Slip-Cum-Entry Pass is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM.

5. LODGEMENTS FOR TRANSFERS

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) for affecting the transfer.

6. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, 21st June, 2018 to Wednesday, 27th June, 2018** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

7. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's RTA or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2009-10 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2010-11, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: http://eremit.unionbankofindia.co.in/ UnclaimedDividend Procedure to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

8. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

b) Members holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's RTA at the following address:

Datamatics Business Solutions Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093.

c) The format for providing Bank details is annexed to the Annual Report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

d) Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.

e) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

9. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10. CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA of the Bank, Datamatics Business Solutions Ltd., for consolidation into a single folio.

11. COPIES OF ANNUAL REPORT

Please note that copies of the Annual Report 2017-18 in physical form shall be dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank/DP. The Annual Report shall also be hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the AGM and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

12. SPECIFIED AND CUT OFF DATE

a) **SPECIFIED-DATE FOR ELECTION:**

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, **Friday, 18th May, 2018** is fixed as Specified Date for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** in the Election of **THREE** directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in agenda item no. 3 of the Notice.

b) **CUT-OFF DATE FOR E-VOTING FOR OTHER AGENDA ITEMS:**

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders in respect of **agenda items no. 1 & 2** shall be reckoned as on **Wednesday, 20th June, 2018**.

13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date i.e. Friday, 18th May, 2018 and Cut-Off Date i.e. Wednesday, 20th June, 2018,** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible to nominate, contest and vote in the Elections.

14. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the AGM so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the AGM.

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

The Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

16. E-VOTING

I. Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide to shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services.

II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.

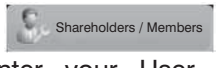
III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and Voting at the Venue will be provided by **Central Depository Services (India) Limited (CDSL).**

V. The remote e-voting period commences on **Saturday, 23rd June, 2018 (9:00 am IST) and ends on Tuesday, 26th June, 2018 (5:00 pm IST).** During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Specified Date i.e. Friday, 18th May, 2018** may cast their vote by remote e-voting for **agenda item no. 3**. Further, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Wednesday, 20th June, 2018** may cast their vote by remote e-voting for **agenda item no. 1 & 2**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

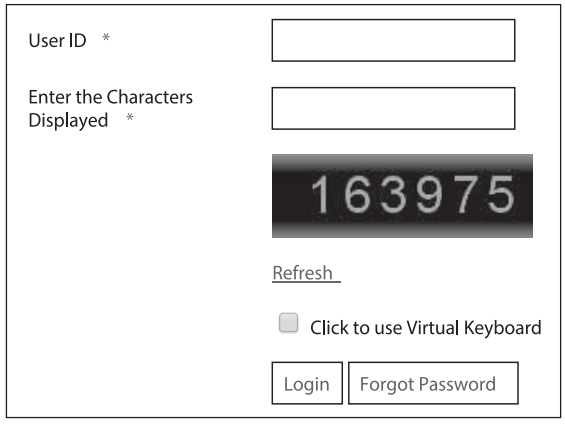
VI. The process and the manner for remote e-voting are as under:

(i) Log on to the e-voting website - **www.evotingindia.com**

(ii) Click on 

tab to cast your vote.

(iii) Now Enter your User ID and the Image Verification as displayed and Click on Login.



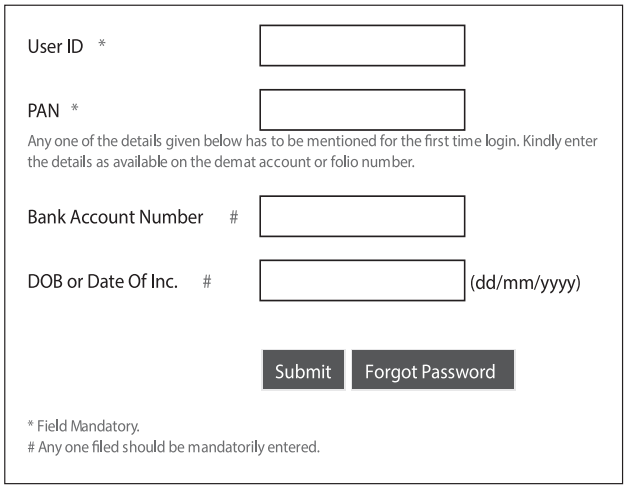
(a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,

(b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,

(c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank

(iv) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company or Bank, then your existing password is to be used.

(v) If you are a first time user follow the steps given below:

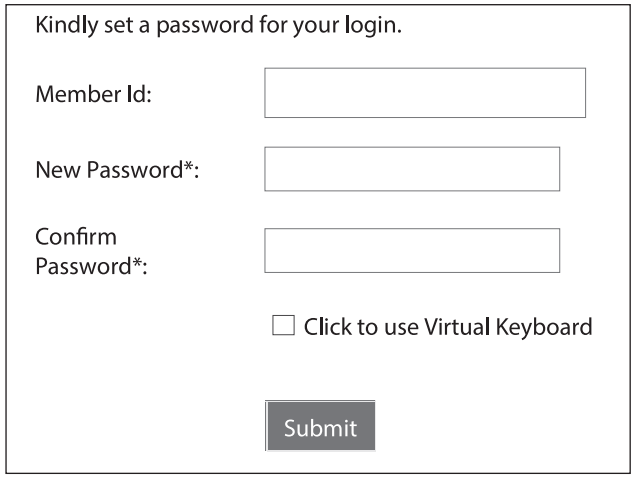


PAN	• Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Attendance Slip cum Entry Pass indicated in the PAN field or provided in the Email sent to you by CDSL.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	• Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in DD/MM/YYYY format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Members holding shares in Physical Form will then directly reach the Company selection screen.

(viii) Members holding shares in Demat Form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**



(ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(x) Click on the EVSN of **"Union Bank of India."**

(xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" for agenda item no. 1 & 2 and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xii) For voting on agenda item no. 3 i.e. Election of Shareholder Directors, you will see name of candidates and against the same the option to vote. You can vote for maximum 3 candidates.

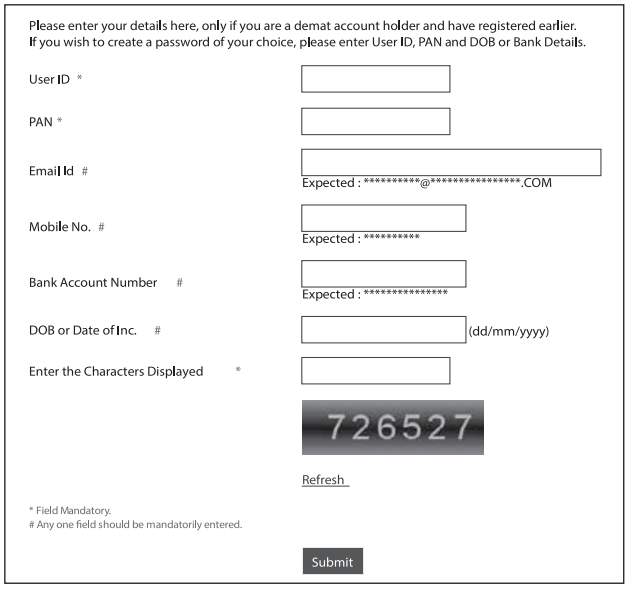
(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.



(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

VII. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

VIII. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

IX. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the specified date and / or cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.

X. M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co. (SNA&CO), Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XI. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are present at the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.

XII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him.

17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue alongwith the report of the

Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com immediately after the declaration of result. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

18. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for E-Voting, SNA&CO, Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda Items No. 1-3. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

The E-voting on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank, SNA&CO (Independent Consultant & Scrutinizer) and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and second Scrutinizer.

EXPLANATORY STATEMENT

1. ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.

The Basel III regulations require that the banks should maintain a minimum common equity tier 1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of Equity Share Capital, Tier 1 ratio (including CCB) of 9.50% and overall CRAR (including CCB) of 11.50% by 31st March, 2019.

With the increasing capital requirements on account of increasing requirement of capital conservation buffer of 0.625% every year (till FY 2019), future expansion & growth of the Bank and consequent capital charge, the Bank is required to raise capital for complying the BASEL III requirement, growth of the Bank as well as further strengthening the capital adequacy.

Based on the estimated growth your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to **₹6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty crore only)** including capital infusion from the Government of India. The Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank had obtained shareholders approval in the AGM held on 23rd June, 2017 for raising Equity Share Capital up to **₹4,950 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred and Fifty Crore Only)** through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations, which is valid up to 22nd June, 2018.

The Bank raised Equity Capital of **₹2,000 crore (Rupees Two Thousand Crore Only)** by allotment of 12,93,24,280 equity shares at an issue price of ₹154.65 per share (including share premium of ₹144.65 per share) to Qualified Institutional Buyers pursuant to the Qualified Institutions Placement (QIP) by the Bank in December, 2017. Further, the Bank raised Equity Capital of **₹4,524 crore (Rupees Four Thousand Five Hundred and Twenty Four Crore Only)** by allotment of 31,28,19,803 equity shares on prefrential basis at an issue price of ₹144.62 per share (including share premium of ₹134.62 per share) to the Government of India in March, 2018.

Keeping in view of future requirements, it has been planned to raise Equity Share Capital up to **₹6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty crore only)** as indicated above.

The special resolution seeks to give the Board, powers to issue equity shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices and to such of the investors as mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Banker(s), Lead Manager(s), Advisor(s) and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by the way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would , pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorized committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81 (1A) and other applicable provisions, if any of the act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;

ii. As pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and

the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required;

iii. The issue and allotment of the fully paid shares be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above resolution;

iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with Advisor(s), Lead Manager(s) and Underwriter(s) and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements;

v. The total amount raised in such manner, including the overallotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;

vi. The securities shall not be eligible to be transferred/ sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) regulations;

vii. The equity shares allotted shall rank pari passu in all respect with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Resolutions as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

2. ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

In terms of section (9)(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, your Bank had elected three Directors viz. Dr. Ravindrarai H. Dholakia, Shri Gopal Krishan Lath and Dr. Uttam Kumar Sarkar from amongst the shareholders other than Central Government, who assumed charge on 27th June, 2015 and their term ends on 26th June, 2018.

With a view to fill in the vacancies as aforesaid, the Board of Directors propose to conduct an election of shareholder Directors as one of the agenda items at the AGM.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations/ Notification / Directions from the Central Government, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Three directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall assume office from 28th June 2018 and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

Your Directors recommend passing of the Resolutions as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	• Substantial Interest • Prohibition of Common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA)& Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	• Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
		• Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	• Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended upto 2009)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	• Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non-official director in Public Sector Banks issued on March 25th, 2015.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD. No. BC.No.46and47/29.39.001/2007-08dated01.11.2007 and No. DBOD.BC. No. 95 / 29.39.001 / 2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines is hosted in the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Union Bank of India at their Head Office on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 11th June 2015.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Friday, 18th May, 2018** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall -

1. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
   - i. agriculture and rural economy
   - ii. banking
   - iii. co-operation
   - iv. economics
   - v. finance
   - vi. law
   - vii. small scale industry
   - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank (RBI vide its circular no. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)
2. represents the interest of depositors; or
3. represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
   - i. if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
   - ii. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
   - iii. if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
   - iv. if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
2. If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India -DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.
3. If he is not found to be satisfying the criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks.

E. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at the Head Office of the Bank from **18th May, 2018** onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000 (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of

Scheduled Bank in favor of "Union Bank of India" payable at Mumbai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

F. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Central Office of the Bank on all working days (other than 2nd & 4th Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 11.00 a.m. to 4 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of ₹5 for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

G. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks issued on 25th March, 2015, 20th June 2016 and amendments made thereafter (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, Guidelines, Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

a) He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 18th May, 2018** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and undertakes to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

b) As on **Tuesday, 12th June, 2018** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.

c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Union Bank of India and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

d) The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration. A specimen form of Nomination and Declaration is furnished in this notice.

e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank's website www. unionbankofindia.co.in).

f) He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No. DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 of Reserve Bank of India and Criteria laid down by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks issued on 25th March, 2015, 20th June, 2016 or such other directives as may be issued from time to time from being elected as a director.

H. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the

shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021** on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e. **on or before closing hours of the bank at 5.00 p.m. on Tuesday, 12th June 2018**:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,

d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which the nominations are liable to be rejected.

I. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

a) Nominations shall be scrutinized on **Wednesday, 13th June 2018**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.

b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines.

c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.

d) If there are only upto **three** valid nominations for three vacancies to be filled by the election, the candidate(s) so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. The newly elected director(s) will assume office on **28th June, 2018**. In such an event or in case no nomination is found valid, the **Agenda Item No. 3** at the AGM will not be conducted.

e) If there are more than **three** valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and Poll at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

J. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 5.00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018** by sending a letter addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 or sending fax at 022-22025238 or scanned and signed letter over e-mail at "investorservices@unionbankofindia.com".

K. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

L. EXTRACTS

As already mentioned elsewhere in the notice, extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website www.unionbankofindia.co.in for the benefit of the shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may also write to the Company Secretary of the Bank by post or email on investorservices@unionbankofindia.com and the Bank will provide the same.

M. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 10th May, 2018

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2017-18 का ''लेखापरीक्षित तुलनपत्र'', ''लाभ एवं हानि खाता'', ''नकदी प्रवाह विवरण'', और ''प्रबंधकीय चर्चा विश्लेषण'', पर रिपोर्ट सहित आपके बैंक की 99वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है. 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट' एवं 'कारोबारी दायित्व रिपोर्ट' भी वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 का एक भाग है.

1. प्रमुख बातें

1.1 विमुद्रीकरण से उभरते हुए, बैंकिंग उद्योग में बहुत से परिवर्तन एवं कई उतार-चढ़ाव आए, प्रारम्भ में ही दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी) के माध्यम से बड़े स्तर की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के समाधान पर भारतीय रिजर्व बैंक के, दबावग्रस्त आस्तियों की प्रारंभिक पहचान एवं उससे संबंधित प्रावधान करने पर निर्देश तथा उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए भारत सरकार की पुन: पूंजीकरण एवं सुधार कार्यक्रम तत्पश्चात दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित मानदंड आए जिससे देश में उत्कृष्ट ऋण संस्कृति के आगमन की प्रत्याशा है. इस विकास के साथ-साथ सभी स्टेकधारक विश्वास स्थापित करने, पारदर्शिता एवं किए गए निर्णय की जवाबदेहिता सहित पीएसबी के सुधार एवं पुन:प्रवर्तन का सुचक्र स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं.

1.2 आपका बैंक पहले से ही उक्त परिवर्तनों हेतु प्रावधान करने एवं वृद्धिशील पूंजी की उगाही के लिए तैयार था, जिसके फलस्वरूप बैंक तुलन-पत्र को भी सशक्त करने में सफल रहा.

1.3 आस्तियों की बेहतर गुणवत्ता हेतु केंद्रीकृत ऋण प्रक्रिया, विशेष अनुश्रवण एवं संकलन का अनुसरण तथा समग्र कारोबार दक्षता में डिजिटाईज़ेशन द्वारा ग्राहक सेवा को बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान आपके बैंक में विविध परिवर्तन जारी है. कारोबार की नई चुनौतियों का सामना करने में कार्यबल को कुशल बनाने के लिए विविध पहल किए गए. हमारे बैंक के लिए उक्त सभी परिवर्तन, नई चुनौतियों के साथ-साथ अन्य सहयोगी संस्थाओं में भी सशक्त प्रतिस्पर्धा स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं.

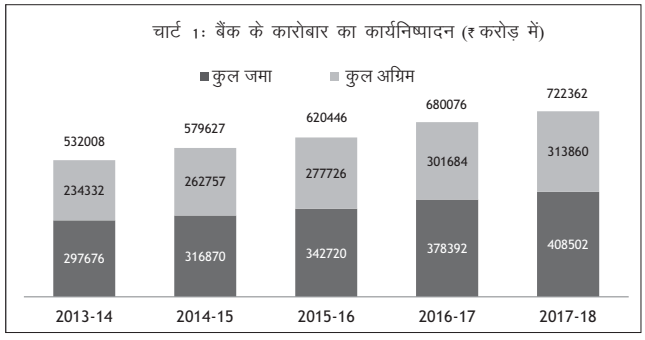
1.4 31 मार्च, 2018 को वर्ष 1919 में स्थापित आपके बैंक की 29 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 4,297 देशी शाखाएँ, 4 विदेशी शाखाएँ एवं 7,642 एटीएम का नेटवर्क है.

1.5 वर्ष के दौरान आपके बैंक ने करोबार के प्रमुख क्षेत्रों में अपने को सशक्त बनाते हुए, ₹7 ट्रिलियन से भी अधिक मिश्रित कारोबार से नया कीर्तिमान स्थापित किया है. आपके बैंक के पास 67 मिलियन से भी अधिक ग्राहक आधार और 37587 कर्मचारी हैं.

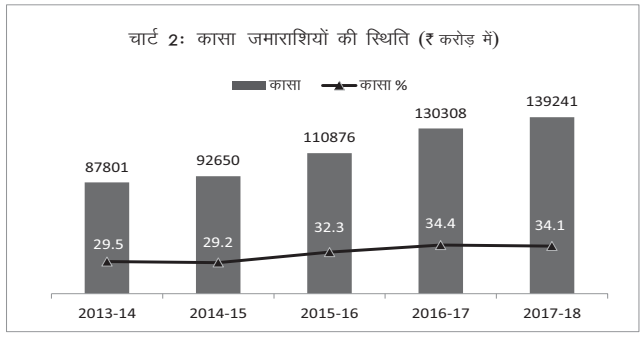
1.6 वित्त वर्ष 2017-18 में आपके बैंक द्वारा ₹6,524 करोड की सफलतापूर्वक ईक्विटी कॅपिटल की उगाही की गई है.

2. कारोबार

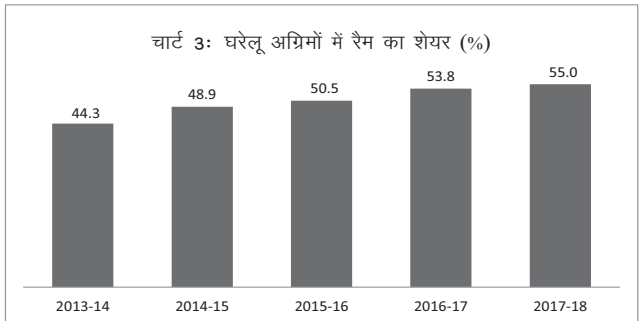
2.1 बैंक का कुल वैश्विक व्यापार 31 मार्च, 2017 के ₹6,80,076 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2018 को ₹7,22,362 करोड़ हो गया, जो 6.22% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है.



2.2 कुल जमाराशियाँ 31 मार्च, 2018 को ₹4,08,852 करोड़ हो गईं जो 31 मार्च, 2017 को ₹3,78,392 करोड़ थीं. इसमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.0% की वृद्धि नोट की गई. 31 मार्च, 2017 तक कुल जमाराशियों में कासा (चालू और बचत खाते) का अंश 34.1% था.



2.3 सकल अग्रिम 31 मार्च, 2017 के ₹3,01,684 करोड़ में 4.04% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2018 को ₹3,13,860 करोड़ हो गया. रैम (रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) क्षेत्र 31 मार्च, 2017 के ₹1,46,417 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2018 को ₹1,58,642 करोड़ रहा. रैम क्षेत्र समग्र रूप में 8.3% की वार्षिक दर से बढ़ा.



2.4 बैंक का समुद्रपारीय कारोबार 31 मार्च, 2017 के ₹36,062 करोड़ के सापेक्ष 31 मार्च, 2018 को ₹30,829 करोड़ रहा. आपके बैंक की हांगकांग, डीआईएफ़सी (दुबई), एंटवर्प (बेल्जियम) और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में चार समुद्रपारीय शाखाएँ हैं. इसके अतिरिक्त, शंघाई और आबु धाबी में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं. बैंक अपनी पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कंपनी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के माध्यम से यूके में भी कारोबार करता है.

3. आय एवं व्यय

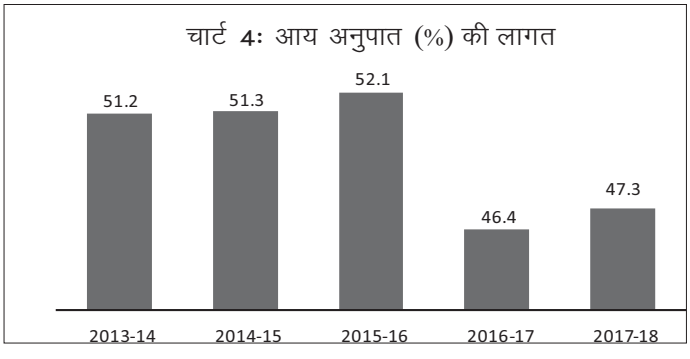
तालिका 1: आय एवं व्यय विवरण (₹ करोड़)					
क्र.	मानदंड	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	वार्षिक वृद्धि	
				वास्तविक	(%)
1	अर्जित ब्याज	32748	32660	88	0.3
2	अन्य आय	4990	4965	25	0.5
3	कुल आय (1+2)	37738	37625	113	0.3
4	व्यय किया गया ब्याज	23443	23757	-314	-1.3
5	शुद्ध ब्याज आय (1-4)	9305	8903	402	4.5
6	परिचालन व्यय	6755	6438	317	4.9
	जिसमें से स्थापना व्यय	3255	3434	-179	-5.2
7	कुल व्यय	30198	30195	3.0	0.0
8	परिचालन लाभ (3-7)	7540	7430	110	1.5
9	प्रावधान	12787	6874	5913	86.0
10	शुद्ध लाभ	-5247	555	-5803	-
11	प्रति शेयर आय	-69.45	8.08	-77.53	-

4. लाभप्रदता और दक्षता

4.1 आपके बैंक का परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2016-17 के ₹7430 करोड़ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2017-18 में ₹7540 करोड़ दर्ज किया गया है. वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक के परिचालन लाभ में 1.48% की वृद्धि दर्ज की गई.

4.2 बढ़ते एनपीए प्रावधानीकरण की वजह से, वित्त वर्ष 2016-17 के ₹555 करोड़ के लाभ के सापेक्ष वित्त वर्ष 2017-18 में बैंक की शुद्ध हानि ₹5,247 करोड़ रही.

4.3 आपके बैंक की लागत आय अनुपात वित्त वर्ष 2016-17 के 46.42% के सापेक्ष वित्त वर्ष 2017-18 में 47.26% हो गया.



4.4 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (-) 1.07 प्रतिशत रहा, जबकि इक्विटी पर प्रतिलाभ (-) 28.53 प्रतिशत रहा.

तालिका 2: दक्षता अनुपात		
मानदंड (%)	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
इक्विटी पर प्रतिलाभ	(-)1.07	0.12
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	(-) 28.53	2.91

4.5 वित्त वर्ष 2017-18 के प्रमुख उत्पादकता अनुपात निम्नानुसार हैं:

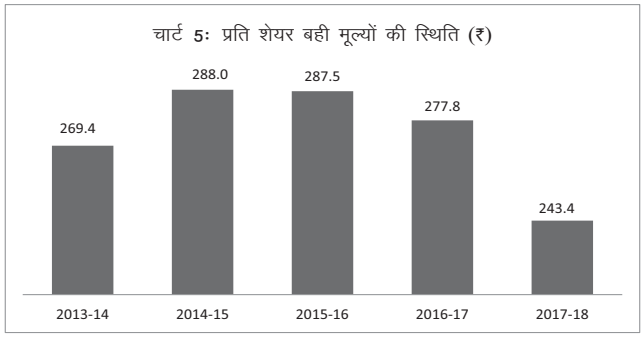
तालिका 3: उत्पादकता अनुपात		
मानदंड	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (₹ करोड़)	17.8	16.4
प्रति शाखा औसत कारोबार (₹ करोड़)	155.8	141.5
प्रति कर्मचारी सकल लाभ (₹ लाख)	20.06	20.2

5. लाभांश

एनपीए के लिए अधिक प्रावधान होने की वजह से आपके बैंक को ₹5,247 करोड़ की हानि हुई है. तद्नुसार, बोर्ड ने इस वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है.

6. शेयरधारकों को प्रतिलाभ

6.1

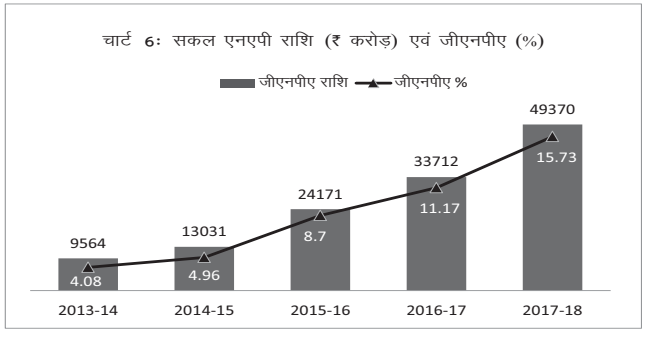


बैंक की शुद्ध संपत्ति 31 मार्च, 2017 के ₹19,094 करोड़ से 31 मार्च, 2018 को ₹18,395 करोड़ हो गयी.

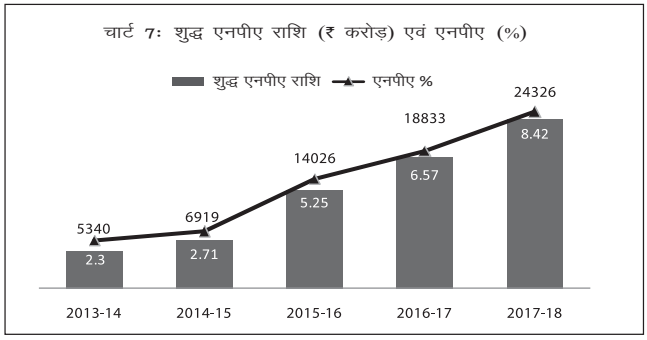
7. आस्ति गुणवत्ता

7.1 अपने बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) 31 मार्च, 2017 के ₹33,712 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2018 को ₹49,370 करोड़ रहा. सकल गैर-निष्पादित आस्तियों का प्रतिशत 31 मार्च, 2017 के 11.17 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 को बढ़कर 15.73 प्रतिशत हो गया.

7.2 बैंक का शुद्ध एनपीए 31 मार्च, 2017 के ₹18,833 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2018 को ₹24,326 करोड़ रहा.



8 पूंजी पर्याप्तता अनुपात:



बासल III मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2018 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.50 प्रतिशत रहा. बैंक की कॉमन इक्विटी टियर (सीईटी I) पूंजी मार्च, 2018 को 7.60 प्रतिशत रहा जो विनियामक न्यूनतम से लगभग 22 बेसिस पॉइंट अधिक है.

तालिका 4: पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बासल III (₹करोड़)

मानदंड	भा.रि.बैं. के न्यूनतम बेंचमार्क 31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां	लागू नहीं	286344	291204
कुल पूंजीगत निधि		32939	34334
सीईटी 1 पूंजी		21764	22463
टियर 1 पूंजी		25980	26280
सीआरएआर (%)	10.875	11.50	11.79
सीईटी 1(%)	7.375	7.60	7.71
टियर 1(%)	8.875	9.07	9.02
टियर 2(%)	लागू नहीं	2.43	2.77

नोट: भा.रि.बैं. के सीआरएआर, सीईटी I एवं टियर I अनुपात के न्यूनतम बेंचमार्क 1.875 प्रतिशत सीसीबी (पूंजी संरक्षण बफर) सम्मिलित है. टियर II अनुपात हेतु कोई न्यूनतम निर्धारण नहीं है.

8.1 **वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान जुटाई गई पूंजी:** वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक ने इक्विटी पूंजी और बासल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बांड (500 करोड़), क्यूआईपी द्वारा ₹2,000 करोड़ की पूंजी उगाही तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी ₹4,524 करोड़ की पूंजी से कुल ₹7,024 करोड़ जुटाया है.

8.2 **भारत सरकार द्वारा पूंजी का अंत:प्रवाह:** बैंक की पूंजी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक में ₹4,524 करोड़ की पूंजी लगाई है. आपके बैंक ने प्रति शेयर 144.62 (₹134.62 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर 31.28 करोड़ शेयर आबंटित किए हैं.

8.3 **बाजार से जुटाई गई पूंजी :** आपके बैंक ने ₹154.65 प्रति शेयर (₹144.65 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित) पर 12.93 करोड़ शेयरों को आबंटित कर, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) मार्ग द्वारा ₹2,000 करोड़ जुटाया हैं. इसके साथ ही साथ क्यूआईपी को भी निवेशकों से उल्लेखनीय प्रतिसाद प्राप्त हुए एवं जिससे क्यूआईपी ओवर सब्स्क्राइब हुआ.

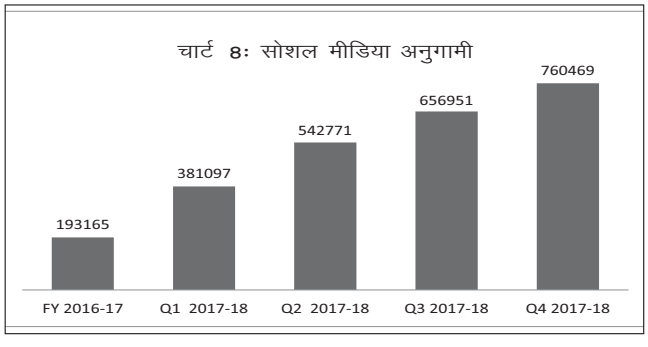
9. नेटवर्क

9.1 आपके बैंक की यथा 31 मार्च, 2018 को देश भर में 4297 शाखाएं है. विदेश में आपके बैंक की चार पूर्ण शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय है.

9.2 आपके बैंक के कुल एटीएम 31 मार्च, 2017 के 7,518 की तुलना में 31 मार्च, 2018 को 7,642 हो गए. आपके बैंक द्वारा देश के विभिन्न स्थानों में 50 नई ई-लॉबी एवं 61 नए कैशलेस कैंप का शुभारंभ किया गया है.

9.3 आपके बैंक के पास बैंक-रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कुल 5037 बिज़नेस करेस्पांडेंट (बैंक मित्र) हैं.

10. सोशल मीडिया में हमारा स्थान:



10.1 वित्त वर्ष 2016-17 में आपके बैंक ने अपने ग्राहकों व अन्य स्टेकधारकों के साथ जुड़े रहने के लिए ट्विटर एवं फेसबुक का शुभारंभ किया है. फेसबुक एवं ट्विटर पर हमारे आधिकारिक पेजों के लिए उल्लेखनीय प्रतिसाद प्राप्त होने के बाद, बैंक ने अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लैटफ़ार्म जैसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यू-ट्यूब पर अपनी आधिकारिक उपस्थिति दर्ज की है.

10.2 बैंक ने इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म पर अपने उत्पादों/सेवाओं का प्रचार-प्रसार किया है जिससे हमें ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाने एवं जनसमूह तक पहुँचने में मदद मिली है. बैंक ने फ़ेसबुक मैसेंजर में चैटबोट ''यूनियन वर्चुअल असिस्टेंट (यूवीए)'' का शुभारंभ किया है.

11. पुरस्कार एवं उपलब्धियां:

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक को डिजिटलाइजेशन, वित्तीय समावेशन और मानव संसाधन प्रबंधन आदि में किए गए नए पहलों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए है.

तालिका 5: वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक को प्राप्त पुरस्कार एवं उपलब्धियां

क्षेत्र	पुरस्कार	संस्था द्वारा सम्मानित	सम्मान श्रेणी
समग्र कार्य-निष्पादन	श्रेष्ठ उभरता बैंक	आईडीआरबीटी	वर्ष 2016-17 के लिए श्रेष्ठ उभरता बैंक अवार्ड
मानव संसाधन	गोल्डन पिकॉक	निदेशकों का संस्थान (आईओडी)	वर्ष 2017 हेतु एचआर मैनेजमेंट में बेस्ट एचआर प्रेक्टिसेस और एक्सीलेंस अवार्ड (लगातार 4 बार)
वित्तीय समावेशन	श्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल (विजेता)	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों में उत्कृष्ट पहल के लिए
बैंकिंग टेक्नोलोजी	श्रेष्ठ भुगतान पहल	भारतीय बैंक संघ (आईबीए))	भुगतान कार्यप्रणाली में उत्कृष्ट पहल के लिए
ग्राहक सेवा	बेस्ट कस्टमर सर्विस इनोवेशन	मेसर्स इंफ़ोसिस	ग्राहक सेवा के लिए

12 निदेशक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आपके बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए.

12.1 श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने 30 जून, 2017 को बैंक में अपना कार्यकाल पूरा किया.

12.2 भारत सरकार की अधिसूचना क्र. No.F.No.4/4/(2)2017-BO.I दिनांक 5 मई, 2017 के अनुसार श्री राजकिरण रै जी को दिनांक 1 जुलाई 2017 से बैंक का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया.

12.3 भारत सरकार की अधिसूचना क्र. No.F.No.4/7/2016-BO.I दिनांक 6 जुलाई, 2017 के अनुसार श्री केवल हांडा को दिनांक 6 जुलाई 2017 से गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में बोर्ड में नामित किया गया.

12.4 भारत सरकार की अधिसूचना क्र. No.F.No.6/1/2015-BO.I दिनांक 27 दिसंबर, 2017 के अनुसार डॉ. मदुरा स्वामीनाथन को 27 दिसंबर, 2017 से अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में बोर्ड में नामित किया गया.

12.5 भारत सरकार की अधिसूचना No.6/24/2017-BO.I दिनांक 6 फरवरी 2018 के अनुसार श्री राजीव कुमार सिंह को दिनांक 6 फरवरी 2018 से सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में बोर्ड में नामित किया गया.

13. निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन:

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को बनाए जाने के संबंध में निदेशकों द्वारा निम्न बातों की पुष्टि की गयी है:

13.1 लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है एवं निर्धारित लेखा मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

13.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित लेखा नीति का पूर्ण पालन किया गया है.

13.3 तार्किक एवं विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमानों का इस प्रकार उपयोग किया गया है कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के क्रियाकलापों एवं 31 मार्च, 2018 कों समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ के लिए सही व उचित रहे.

13.4 भारत में बैंकों में लागू विधि के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव में पर्याप्त समुचित सावधानी रखी गयी है

13.5 निरंतरता के अनुसार खाते तैयार किए गए हैं.

14. कॉर्पोरेट गवर्नेंस:

बैंक का निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गई है. वित्त वर्ष 2017-18 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है.

15. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

15.1 आपका बैंक समाज में योगदान देने के लिए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है. इसी प्रयास में, बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में अपने योगदान को अधिकतम बनाने के लिए वर्ष 2006 में ''यूनियन बैंक सोशल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट'' (यूबीएसएफ़टी) की स्थापना की है. आपके बैंक ने सीएसआर गतिविधियों के लिए यूबीएसएफ़टी को ₹467.06 लाख का अंशदान किया है.

15.2 यूबीएसएफटी ने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के 23 गांवो में बैंक के मोबाईल वैन के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का प्रावधान करने का दायित्व पूर्ण किया है.

16. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग व अन्य संस्थाओं से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं समर्थन के लिए आभारी है. बोर्ड अपने माननीय शेयरधारकों, ग्राहकों एवं अन्य सभी स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिए स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

राजकिरण रै जी

(श्री राजकिरण रै जी.)
एमडी एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 10 मई, 2018

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

The Board of Directors is pleased to present the 99th Annual Report of the Bank for the Financial Year 2017-18 together with the 'Audited Balance Sheet', 'Profit & Loss Account', 'Cash-Flow Statement' and the report on 'Management Discussion & Analysis'. The 'Corporate Governance Report' and 'Business Responsibility Report' also form part of the Annual Report 2017-18.

1. Highlights:

1.1 Emerging from the demonetization, banking industry witnessed a series of shifts and shocks, starting with the Reserve Bank's directive on resolution of big ticket non-performing assets (NPAs) through Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), which warranted frontloaded stress recognition and building of provisions, and followed by the Government's recapitalization & reform agenda for Public Sector Banks (PSBs) and then revised norms on resolution of stressed assets, which promises to usher a superior credit culture in country. These developments have augured a virtuous cycle of reforms and reinvigoration of PSBs, with all stakeholders making sincere efforts to restore trust, transparency & accountable decision-making.

1.2 Your Bank was able to anticipate and prepare for most of these shifts by building-up provisions and raising growth capital, thereby strengthening the balance-sheet.

1.3 Your Bank continued with transformational changes during the year for enhanced customer service, by increasing centralized processing of loans for improved quality of assets, by pursuing specialization in monitoring & collections and by scaling-up digitalization for all-round business efficiencies. Several capability building initiatives were undertaken to re-skill workforce for new realities of business. All these changes helped your Bank build competitive strengths vis-à-vis peers as well as new age challengers.

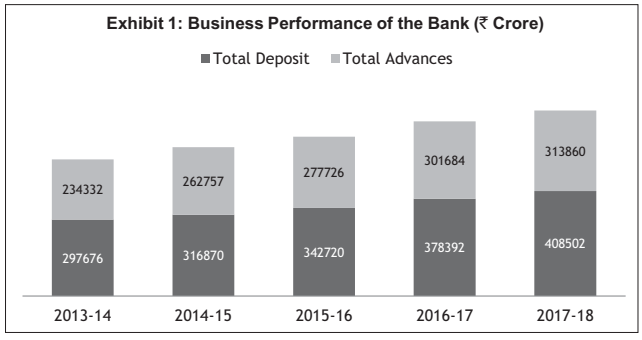
1.4 Established in 1919 your Bank has 4,297 domestic branches,4 overseas branches and 7,642 ATMs across 29 States and 5 Union territories as on March 31, 2018.

1.5 Your Bank achieved another milestone by crossing a business mix of ₹7 trillion during the year while building strengths in focus areas of business. Your Bank has a client base of over 67 million customers and 37,587 employees.

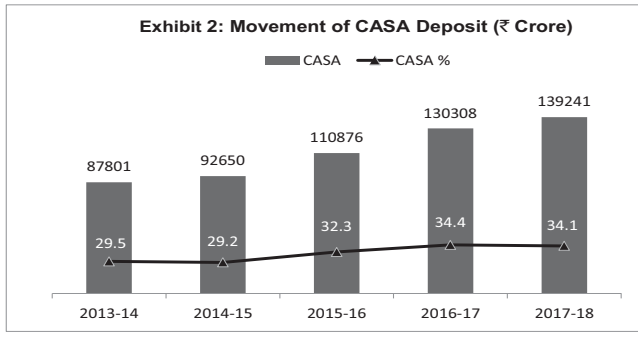
1.6 Your Bank has successfully raised equity capital of ₹6,524 crore in FY 2017-18.

2. Business:

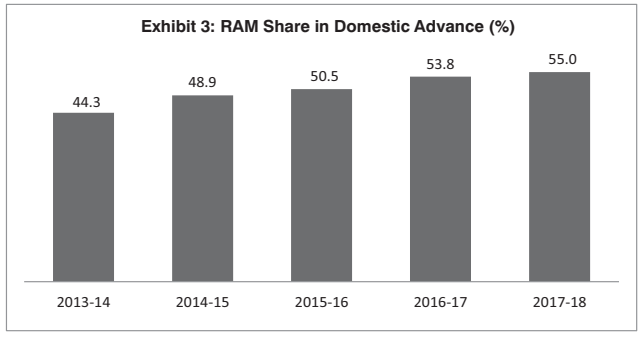
2.1 Global business of the Bank increased to ₹7,22,362 crore as on March 31, 2018 from ₹6,80,076 crore as on March 31, 2017, reflecting an annual growth of 6.22 per cent.



2.2 Total deposit increased to ₹4,08,502 crore as on March 31, 2018 from ₹3,78,392 crore as on March 31, 2017, noting a annual growth of 8.0 per cent. CASA (current account and saving account) share in total deposit stood at 34.1 per cent as on March 31, 2018.



2.3 Gross advances stood at ₹3,13,860 crore as on March 31, 2018 compared to ₹3,01,684 crore as on March 31, 2017 recording an annual growth of 4.04 per cent. The RAM (Retail, Agriculture and MSME) sector stood at ₹1,58,642 crore as on March 31, 2018 compared to ₹1,46,417 crore as on March 31, 2017. RAM Sector grew as a whole at an annual rate of 8.3 per cent.



2.4 Overseas business of the Bank stood at ₹30,829 crore as on March 31, 2018 compared to ₹36,062 as on March 31, 2017. Your Bank has four overseas branches at Hong Kong, DIFC (Dubai), Antwerp (Belgium) and Sydney (Australia). In addition, your Bank has representative offices in Shanghai, Beijing and Abu Dhabi. Bank also operates in the UK through its wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd.

3. Income and Expenditure:

Table 1: Income and Expenditure Statement (₹crore)

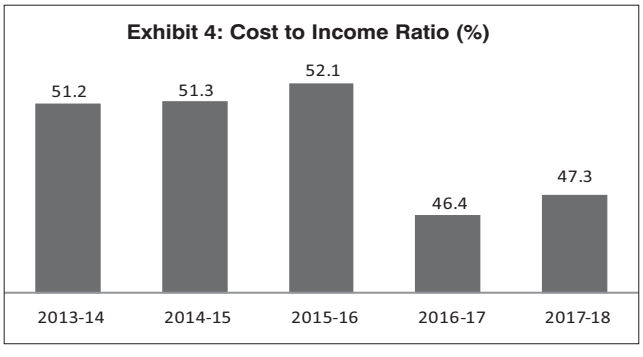
Sl. No.	Parameter	FY 2017-18	FY 2016-17	Annual Growth	
				Absolute	(%)
1	Interest Earned	32748	32660	88	0.3
2	Other Income	4990	4965	25	0.5
3	Total Income (1+2)	37738	37625	113	0.3
4	Interest Expended	23443	23757	-314	-1.3
5	Net Interest Income (1-4)	9305	8903	402	4.5
6	Operating Expenses	6755	6438	317	4.9
	w/w Establishment Expenses	3255	3434	-179	-5.2
7	Total Expenditure	30198	30195	3.0	0.0
8	Operating Profit (3-7)	7540	7430	110	1.5
9	Provisions	12787	6874	5913	86.0
10	Net Profit	-5247	555	-5803	-
11	Earnings per share	-69.45	8.08	-77.53	-

4. Profitability and Efficiency:

4.1 Your Bank reported Operating Profit of ₹7,540 crore in FY 2017-18 as compared to ₹7,430 crore in FY 2016-17. Operating Profit of the Bank increased by 1.48 per cent in FY 2017-18.

4.2 Net loss of the bank stood at ₹5,247 crore in FY 2017-18 compared to profit of ₹555 crore in FY 2016-17, on account of increased NPA provisions.

4.3 Cost-to-income ratio of your Bank was 47.26 per cent in FY 2017-18 compared to 46.42 per cent in FY 2016-17.



4.4 During FY 2017-18, Return on Average Assets stood at (-) 1.07 per cent, whereas Return on Equity stood at (-) 28.53 per cent.

Table 2: Efficiency Ratios

Parameter (%)	FY 2017-18	FY 2016-17
Return on Average Assets	(-)1.07	0.12
Return on Equity	(-) 28.53	2.91

4.5 The following are the key productivity ratios of the Bank for FY 2017-18

Table 3: Productivity Ratios

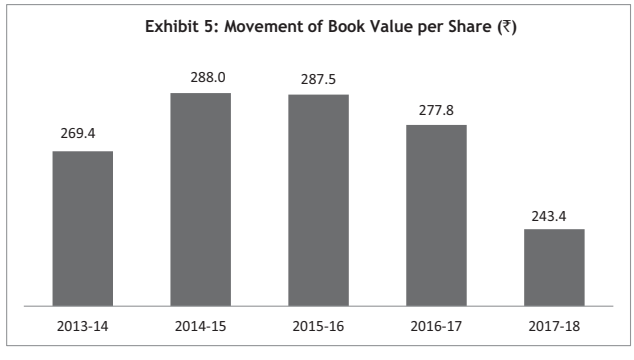
Parameter	FY 2017-18	FY 2016-17
Average Business per Employee (₹crore)	17.8	16.4
Average Business per Branch (₹crore)	155.8	141.5
Gross Profit per Employee (₹lakh)	20.06	20.2

5. Dividend:

Due to higher provisions for NPA, your Bank has reported loss of ₹5,247 crore in FY 2017-18. Accordingly, the Board has not declared any dividend for the year.

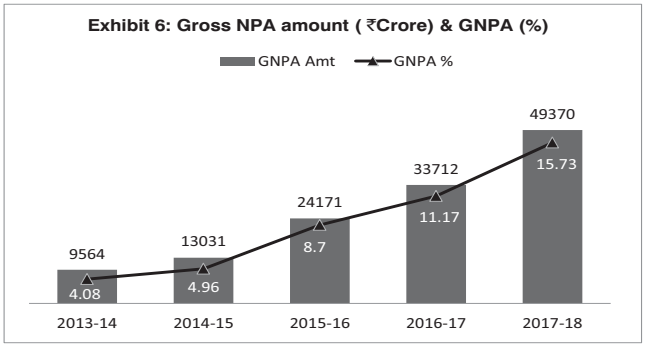
6. Shareholders' Return:

The Bank's net worth stood at ₹18,395 crore as on March 31, 2018 compared to ₹19,094 crore as on March 31, 2017.

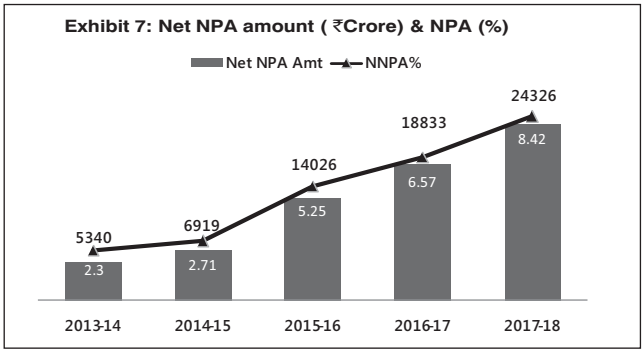


7. Asset Quality:

7.1 Gross Non-Performing Assets (GNPA) of the Bank stood at ₹49,370 crore as on March 31, 2018 compared to ₹33,712 crore as on March 31, 2017.GNPA as per cent to total advances increased to 15.73 per cent in March 2018 compared to 11.17 per cent in March 2017.



7.2 Net NPA of the Bank remained at ₹24,326 crore as on March 31, 2018 compared to ₹18,833 crore as on March 31, 2017.



8. Capital Adequacy Ratio:

The Capital Adequacy Ratio as per BASEL III norms stood at 11.50 per cent as on March 31, 2018. Common Equity Tier I (CET I) capital of the Bank stood at 7.60 per cent in March 2018 which is about 22 basis point higher than the regulatory minimum.

Table 4: Capital Adequacy Ratios - Basel III (₹crore)

Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2018	March 31, 2018	March 31, 2017
Total Risk Weighted Assets	NA	286344	291204
Total Capital Funds		32939	34334
CET1 Capital		21764	22463
Tier 1 Capital		25980	26280
CRAR (%)	10.875	11.50	11.79
CET 1(%)	7.375	7.60	7.71
Tier 1(%)	8.875	9.07	9.02
Tier 2(%)	NA	2.43	2.77

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 1.875 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

8.1 Capital raised during FY 2017-18: During the FY 2017-18, your Bank raised ₹7,024 crore through the issuance of BASEL III compliant Additional Tier I Bonds (₹500 crore), and by raising equity capital through QIP of ₹2,000 crore and infusion of ₹4,524 crore by Government of India.

8.2 Capital infusion by Government of India: To revitalize capital position of the Bank, Government of India infused ₹4,524 crore in your Bank during the FY 2017-18.Your Bank has allotted 31.28 crore shares at an issue price ₹144.62 per share (including premium of ₹134.62 per share).

8.3 Capital raised from the market: Your Bank has raised ₹2,000 crore via the Qualified Institutional Placement (QIP) route by allotting 12.93 crore shares at ₹154.65 per share (including premium of ₹144.65 per share). Your Bank received significant response of investors and QIP was oversubscribed.

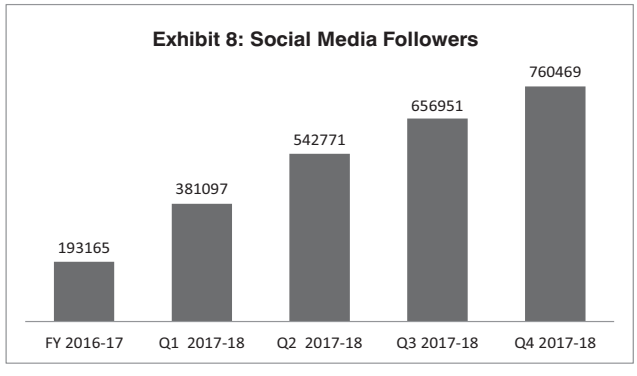
9. Network:

9.1 Your Bank is spread across the country with 4,297 branches as on March 31, 2018. The Bank has four full fledged branches and three representative offices in foreign countries.

9.2 Number of ATMs increased to 7,642 as on March 31, 2018 compared to 7,518 as on March 31, 2017. Your Bank has opened 50 new e-lobbies and 61 new cashless campuses at various locations in the country.

9.3 Your bank has total 5037 Business Correspondents (Bank Mitras) to serve the unbanked areas.

10. Social media presence:



10.1 In FY 2016-17 your Bank initiated its presence on Twitter and Facebook in order to connect with its customers and other stakeholders. After the overwhelming response to our official pages in Facebook and Twitter, Bank had made official presence in other popular social media platforms like Instagram, LinkedIn and YouTube.

10.2 Your Bank has explained its products/services on these social media platforms which have helped in reaching out to the masses and enhancing brand visibility. Bank has also launched Chatbot, Union Virtual Assistant (UVA) in facebook messenger.

11. Awards & Accolades:

During FY 2017-18, your Bank received various awards for its new initiatives taken in Digitalization, Financial Inclusion, HR management etc.

Table 5: Awards & Accolades received by the Bank during FY 2017-18

Area	Awards	Awarded by	Awarded For
Overall Performance	Best Emerging Bank	IDRBT	Best Emerging Bank Award for the Year 2016-17.
Human Resource	Golden Peacock	Institute of Directors (IOD)	Best HR practices and excelling in HR management for the year 2017 (4th time in a row).
Financial Inclusion	Best Financial Inclusion Initiatives (Winner)	Indian Banks Association (IBA)	Excellent initiatives taken in financial inclusion programs.
Banking Technology	Best Payment Initiative	Indian Banks Association (IBA)	Excellent initiatives taken in payment processing.
Customer Service	Best Customer Service Innovation	Infosys Ltd	Customer Services

12. Director:

The following changes took place in the Board of directors of your Bank during the financial year 2017-18.

12.1 Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director completed his term of office on June 30, 2017.

12.2 Shri Rajkiran Rai G. has been appointed as Managing Director & CEO of the Bank w.e.f. July 1, 2017 vide Government of India notification no. F. No. 4/4/(2)2017-BO.I dated May 5, 2017.

12.3 Shri Kewal Handa has been nominated on the Board as Non-Executive Chairman and Part-Time Non-Official Director w.e.f. July 6, 2017 vide Government of India notification no. F. No. 4/7/2016-BO.I dated July 6, 2017.

12.4 Dr. Madhura Swaminathan has been nominated on the Board as Part-Time Non-Official Director w.e.f. December 27, 2017 vide Government of India notification no. F. No. 6/1/2015-BO.I dated December 27, 2017.

12.5 Shri Rajiv Kumar Singh has been nominated on the Board as Chartered Accountant Director w.e.f. February 6, 2018 vide Government of India notification no. 6/24/2017-BO.I dated February 6, 2018.

13. Directors' Responsibility Statement:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018.

13.1 The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.

13.2 The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

13.3 Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2018.

13.4 Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing Banks in India.

13.5 The accounts have been prepared on going concern basis.

14. Corporate Governance:

The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate section of the Annual Report. The Corporate Governance report for financial year 2017-18 has no audit qualifications.

15. Corporate Social Responsibility (CSR):

15.1 Your Bank is committed to its Corporate Social Responsibility by contributing to the society. In this endeavor, Bank has set up the 'Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT)' in the year 2006 for spearheading your Bank's CSR initiatives. Your Bank has contributed ₹467.06 lakhs as donation to UBSFT for CSR activities.

15.2 UBSFT undertook the responsibility of healthcare facilities provision through Bank's mobile vans to flood affected, hilly and inaccessible areas of Uttarakhand thereby providing relief to 23 villages.

16. Acknowledgement:

The Board places on record its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India, Central Vigilance Commission and other institutions for the valuable guidance and support received from them. The Board also acknowledges unstinted support of the financial institutions, correspondent Banks, valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders. The Board also expresses its deep appreciation for the dedicated service and contribution made by members of staff in the overall performance of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Dated: 10th May, 2018

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

1. बृहद आर्थिक परिदृश्य

1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान, वैश्विक आर्थिक वातावरण विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल रहा. वर्ष के दौरान विश्व व्यापार के स्तर में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी. विश्व भर के केंद्रीय बैंकों ने मूल्य स्थिरता लक्ष्यों व संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उदार मौद्रिक नीतियों के लिए कार्य किया है. प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, अमेरिका, यूरो क्षेत्र और जापान ने अपने संबंधित देशों की समग्र विकास गतिशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए विस्तारित राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का चयन किया है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट (अप्रैल 2018) के अनुसार, 2018 और 2019 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में 3.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है.

1.2. उभरते आर्थिक परिदृश्य में उपभोग मांग और निर्यात में वृद्धि के जरिये वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में बहाली को बल मिला है. तथापि, वर्ष 2017 के दौरान निवेश परिदृश्य में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ. इसके विपरीत, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने सकारात्मक निवेश गति द्वारा समर्थित औद्योगिक गतिविधियों में तेज गति दर्ज की है. समग्र तौर पर वैश्विक संवृद्धि में वृद्धि हेतु उभरती अर्थव्यवस्थाओं में खपत आधारित संवृद्धि तथा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में निवेश आधारित संवृद्धि के सटीक सामन्जस्य की आवश्यकता है.

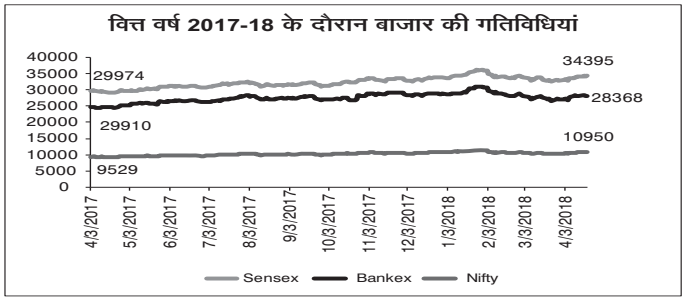
1.3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, उभरते बाजारों से बढ़ते निर्यात के द्वारा समर्थित, विश्व व्यापार की मात्रा 2018 में 4.9% तथा 2019 में 5.1% की उच्च गति से बढ़ने का अनुमान है, जो 2017 की 2.9% वृद्धि दर से काफी अधिक है. हालांकि, वर्तमान वैश्विक परिवेश, उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यापारिक अनिश्चिताओं से गुजर रहा है. अमेरिका द्वारा प्रमुख धातु आयातों पर आयात शुल्क लगाए जाने से न केवल व्यापार लाभों को प्रभावित किया है बल्कि वैश्विक प्लेटफॉर्म पर मुद्रा शक्तियां भी इससे बाधित हुई हैं.

1.4. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यान्वयन के रूप में प्रमुख बुनियादी बदलावों के साथ वर्ष 2017-18 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा. वित्त वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कम निवेश और कमजोर क्षमता निर्माण से आने वाली वृद्धि में बाधाएं देखी गईं. दूसरी छमाही में, सेवा संचालित गतिविधियों और निजी उपभोग खर्च में तेजी के समर्थन से अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे गति मिली.

1.5. बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण आय सृजन पर अधिक जोर के साथ वित्त वर्ष 2017-18 का केंद्रीय बजट विकास केंद्रित था. बजट में फसलों के अधिकतम विक्रय मूल्य(एमएसपी) को उनकी उत्पादन लागत के 1.5 गुना बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. हालांकि अधिकतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) वृद्धि के द्वारा ग्रामीण आय सृजन में सकारात्मक वृद्धि परिलक्षित होगी, लेकिन इससे तेजी से बढ़ते हुए खाद्य मुद्रास्फीति के लिए जोखिम बढ़ जाएगा.

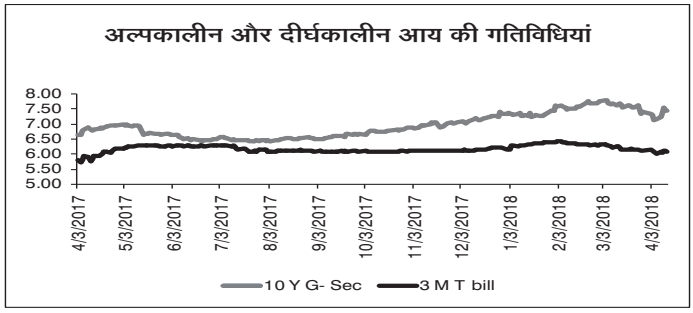
1.6. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कतिपय घरेलू और वैश्विक कारकों से अर्थव्यवस्था के मूल्य परिदृश्य में तेज अस्थिरता देखी गई. एक ओर, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से जहां कीमतों में इजाफा हुआ, घरेलू मोर्चे पर संयत खाद्य मुद्रास्फीति ने ऊपरी दबाव को संतुलित बनाए रखा.

1.7 वित्तीय इक्विटी बाजारों में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और वैश्विक सुधार में विश्वास प्राप्त करके वर्ष 2017-18 के दौरान मजबूत किया गया. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान सभी तीन प्रमुख बाजार संकेतक सेंसेक्स, बैंकेक्स और निफ्टी ने क्रमश: 11.3%, 11.4% और 10.7% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है.



2. बॉण्ड बाजार परिदृश्य

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 10 वर्षीय बेंचमार्क पर आय 03 अप्रैल, 2017 के 6.65% से उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 03 अप्रैल, 2018 में 7.33% हो गयी. साथ ही, वित्त वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में अल्पकालीन और दीर्घकालीन आय के बीच के अंतर में भी कमी की प्रवृत्ति देखी गयी, इसके बाद, दूसरी छमाही में आय के इस अंतर में बढ़ोत्तरी हुई.



3. विदेशी निवेश प्रवाह:

संवृद्धि में सुधार और सुदृढ़ बाजार भावनाओं के चलते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एफपीआई प्रवाह ₹1.44 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2016-17 में ₹48500 करोड़ से काफी अधिक है. विदेशी निवेश में पुनरुत्थान के फलस्वरूप रूपया मार्च 2017 के अंत में 67.0 / अमरीकी डालर से सुधरकर मार्च 2018 में 64.9 / अमरीकी डालर हो गया.

4. तरलता परिदृश्य:

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रथम तीन तिमाहियों में घाटे की स्थिति और अंतिम एक तिमाही में अधिशेष के साथ तरलता की स्थिति में तीव्र अस्थिरता देखी गई. भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्कर आवश्यकताओं के अनुसार तरलता बढ़ाई व अवशोषित की, ताकि अर्थव्यवस्था में सिस्टम आधारित तटस्थता लायी जा सके.

5. **भारतीय रिज़र्व बैंक के नीतिगत निर्णय:** वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति और मूल्य स्थिरता लक्ष्य के अपने तटस्थ रुख को 4% पर जारी रखा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 25 बीपीएस तक रेपो दर कम कर दी है. सामूहिक रूप से कई कारक, नीतिगत दरों को 6.0% पर, जैसाकि अस्थिर मुद्रास्फीति (फरवरी 2018 में 5.2% और जुलाई 2017 में 2.2% के बीच), सुदृढ़ जी-सेक आय, विस्तारित राजकोषीय नीतियों और कृषि उत्पादन में अपेक्षित तेजी बनाए रखने की दिशा में उत्प्रेरक रहे. केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2018-19 एमएसपी वृद्धि और कच्चे तेल में निरंतर वृद्धि पर लक्षित है तथा सामूहिक रूप से मूल्य दृष्टिकोण पर भारित है. इसके बावजूद, मुद्रास्फीति पर एचआरए के दूसरे दौर के प्रभाव के मानकीकरण ने भारतीय रिजर्व बैंक की समान ब्याज दर जारी रखने में मदद की.

6. बैंकिंग वातावरण:

6.1. बैंकिंग उद्योग संरचनात्मक सुधारों और आस्ति गुणवत्ता चुनौतियों संबंधी अनिश्चितताओं से जूझता रहा. नई कर व्यवस्था का भी बैंकिंग कारोबार पर अधिक प्रभाव पड़ा. जहां जीएसटी के अल्पावधि समायोजन से कारोबार संवृद्धि प्रभावित हुई, लघु उद्यमियों को कर के दायरे में लाने से इन इकाइयों के लिए अधिक पारदर्शिता आयी और इन इकाइयों का डाटाबेस तैयार किया गया.

6.2. निरंतर जारी आस्ति गुणवत्ता चुनौतियों के साथ, बैंकिंग उद्योग ने गंभीर अनुपालन असंगतताओं संबंधी दबाव का सामना किया. तथापि, प्रणाली में विभिन्न परिचालन जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के पास एक सुनियोजित जोखिम प्रबंधन तंत्र विद्यमान है. सरकार द्वारा बैंकों की दीर्घकालिक पूंजी बाध्यताओं के समाधान हेतु उपलब्ध करायी गयी पूंजी ने बैंकों की बासल III के तहत अपनी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद की है.

6.3. मौजूदा संरचनात्मक एवं कार्यात्मक चुनौतियों के बावजूद, बैंकिंग उद्योग अपने प्रमुख कार्य अर्थात ऋण देने संबंधी सेवा के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. निवेश भावनाओं में वृद्धि तथा बढ़ती मांग से वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में ऋण संवृद्धि में वृद्धि हुई. पुनर्संतुलित आस्तियों और पूंजीगत चुनौतियों के साथ आने वाले समय में क्रेडिट मांग में और बढ़ोत्तरी की उम्मीद है.

7. संसाधन प्रबंधन

7.1 जमाराशियाँ:

7.1.1 बैंक ने विगत वर्ष की तुलना में 8.0% की वृद्धि करते हुए ₹ 4.08 करोड़ की जमाराशियाँ संग्रह करने की उपलब्धि प्राप्त की है.

7.1.2 वित्त वर्ष 2017-18 में कुल जमाराशि में कासा का अंश 34.1% रहा.

7.2 विविध जमाराशि संविभाग:

तालिका 1 : जमा की संरचना

(₹ करोड़)

मानदंड	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
कुल जमा	408502	378392	30110	8.0
कासा जमा	139241	130308	8933	6.9
बचत	114183	104072	10111	9.7
चालू	25058	26236	-1178	(-) 4.5

निधियों की लागत को कम करने हेतु बैंक अपने कासा जमाराशियों को बढ़ाने में प्रयासरत रहा है. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कासा जमाराशि ₹13,9241 करोड़ रही जिसमें से चालू खाते की जमाराशि ₹25,058 करोड़ तथा बचत खाते की जमाराशि ₹1,14,183 करोड़ थी. कासा जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.9% की दर से वृद्धि हुई. कासा के तहत, बचत जमाराशियाँ वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9.7% की दर से बढ़ीं,

7.2.1 बैंक ने चेक सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुविधाएँ शुरू करते हुए ग्राहक सेवाओं को बेहतर बनाने के संबंध में सक्रिय कदम उठाए हैं. इसमें प्रत्येक चेक के लिए पाँच अंकों की यादृच्छिक अल्फा न्यूमरिक संख्या शामिल है तथा इसी संख्या को सर्वर में भी डाला जाता है, जो डुप्लिकेसी का पता लगाने और धोखाधड़ी से बचाने में सहायक होता है.

7.2.2 बैंक ने अपने वेबसाइट पर ग्राहकों और जो ग्राहक नहीं हैं दोनों के लिए ऑनलाइन लॉकर आवेदन सुविधा भी शुरू की है. इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सेवा दक्षता में वृद्धि करना है.

8. क्रेडिट प्रबंधन:

तालिका 2: अग्रिमों का वर्गीकरण

(₹ करोड़)

मानदंड	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
सकल अग्रिम	313860	301684	12176	4.0
घरेलू	288336	272238	16098	5.9
वैश्विक	25524	29446	-3922	-13.3
रैम क्षेत्र	158642	146417	12225	8.3
खुदरा	49446	40380	9066	22.5
कृषि	45825	44124	1701	3.9
एमएसएमई	63371	61913	1458	2.4
घरेलू अग्रिमों में रैम का हिस्सा (%)	55.0	53.8	120 बीपीएस	

बैंक का बकाया क्रेडिट पिछले वर्ष ₹ 3.02 लाख करोड़ था, जो 31 मार्च 2018 को बढकर ₹ 3.14 लाख करोड़ हो गया. क्रेडिट मांग को पुन: बढ़ाने और समष्टिगत मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने से समग्र क्रेडिट विकास में सहायता मिली है.

8.1 रिटेल

8.1.1 बैंक ने कम पूंजी खपत वाले रैम क्षेत्र पर बल देना जारी रखा है, जिससे घरेलू अग्रिमों में रैम का अंश वित्त वर्ष 2016-17 में 53.8% से उत्तरोत्तर बढ़कर वित्त वर्ष 2017-18 में 55.0% हो गया. वर्ष के दौरान बैंक के रिटेल लेंडिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, घरेलू अग्रिमों में रिटेल ऋण में वित्त वर्ष 2016-17 के 14.8% की तुलना में वित्त वर्ष 2017-2018 में 17.2% की वृद्धि हुई है.

8.1.2 बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष खुदरा ऋण योजना शुरू की है, जो सरकारी कर्मचारियों को शून्य प्रोसेसिंग शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर खुदरा ऋण प्रदान करती है.

8.1.3 बैंक ने खुदरा ऋण आधार को बढ़ाने के लिए बड़ी राशि के उधारकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से यूनियन होम ऋण के अंतर्गत फ्लेक्सिबल मार्जिन पेमेंट प्लान शुरू किया है.

8.2 कृषि :

8.2.1 कृषि अग्रिम (आरआईडीएफ़ को छोड़कर) 31 मार्च, 2017 को ₹44,124 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2018 को 3.9% की दर से बढ़कर ₹45,825 करोड़ हुआ. लघु एवं सीमांत किसानों को अग्रिम 31 मार्च, 2018 को ₹27,235 करोड़ रहा. एएनबीसी के 8% लक्ष्य के मुकाबले बैंक ने लघु एवं सीमांत किसानों को 9.7% ऋण देना बरकरार रखा है. साथ ही, विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अधीन कुल ₹22,041 करोड़ का संवितरण किया गया.

8.2.2 किसानों को ऋण सेवाएँ प्रदान करने में बैंक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 1.69 लाख नए किसानों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया. साथ ही बैंक ने वर्ष के दौरान ₹2,674 करोड़ की ऋण सुविधा सहित 1.75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए.

8.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई):

तालिका 3: एमएसएमई पोर्टफोलियो का विश्लेषण

(₹ करोड़)

मानदंड	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017	वार्षिक वृद्धि	
			वास्तविक	(%)
सूक्ष्म उद्यम	20071	19411	660	3.4
लघु उद्यम	28116	27739	377	1.4
मध्यम उद्यम	15185	14763	422	2.9
एमएसएमई अग्रिम	63371	61913	1458	2.4

8.3.1 एमएसएमई अग्रिम 31 मार्च, 2017 को ₹61,913 करोड़ रहा, जो 31 मार्च, 2018 को 2.4% की दर से बढ़कर ₹63,371 करोड़ हुआ. सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम क्षेत्रों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.4%, 1.4% और 2.9% की बढ़त हुई.

8.3.2 सरकारी योजनाओं को सक्रियता से लागू करते हुए बैंक ने 'मुद्रा' लोन संवितरण के लक्ष्यों का 88% प्राप्त किया है और स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए ₹61.3 करोड़ प्रदान किए.

8.3.3 हल्के वाणिज्यिक वाहन योजना के अधीन, बैंक ने ₹1,098 करोड़ का संवितरण किया है.

8.3.4 बैंक ने जीएसटी रिटर्न फ़ाइल करने वाले उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जीएसटी रिटर्न पर आधारित बाधा-रहित आंकलन के साथ यूनियन ट्रेड जीएसटी शुरू किया है. इस योजना में व्यापार/सेवाएँ/उत्पादन गतिविधियों में लगी सभी एमएसएमई इकाइयों को शामिल किया गया. इस योजना ने ₹2.0 करोड़ तक की कार्यशील पूंजी और आकर्षक ब्याज दर भी प्रदान किया है.

8.3.5 जीएसटी कार्यान्वयन के महत्त्वपूर्ण दौर में, बैंक ने नकदी प्रवाह की अस्थायी अनियमितताओं को कम करने के लिए यूनियन जीएसटी इनपुट ऋण शुरू किया है. इस योजना के तहत, खरीद पर लगने वाले इनपुट टैक्स ऋण पर आधारित अस्थायी कार्यशील पूँजी सीमा की सुविधा कारोबारी उद्यमों को प्रदान की जाएगी. इस योजना के तहत, सभी निधि आधारित कार्यशील पूँजी के उधारकर्ता 6 माह की अवधि के लिए विद्यमान निधि आधारित एक्सपोजर का 20% या इनपुट टैक्स दावे का 80% जो भी कम हो, प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे.

8.3.6 मिड-साइज़ क्षेत्रों के कारोबार का पता लगाने के लिए विद्यमान यूनियन हाई प्राईड योजना का आशोधन किया गया है. साथ ही चैनल वित्तपोषण संविभाग में बैंक के अधिक एक्सपोजर के लिए डीलर फ़ाइनेंस योजना का भी नवीनीकरण किया गया है.

8.4 बड़े निवेशों को वित्त प्रदान करना

आपके बैंक ने औद्योगिक वित्त शाखाओं के लिए व्यापार मॉडल को पुनर्निर्मित करते हुए अपने कॉर्पोरेट ऋण संविभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं. इसके अधीन, प्रत्येक कॉर्पोरेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने विशेषीकृत संपर्क प्रबन्धकों को नियुक्त किया है. साथ ही, यह मॉडल लार्ज कॉर्पोरेट से निधि आधारित, गैर-निधि आधारित और तृतीय पक्ष कारोबार प्राप्त करने में सहायक होगा.

बैंक ने कॉर्पोरेट क्रेडिट के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है, जिसमें शुल्क आधारित आय बढ़ाने, उच्च श्रेणी के उधारकर्ताओं को ऋण देने और विवेकसम्मत ऋण अप्रोच पर अधिक ज़ोर दिया है.

8.5 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम:

आपके बैंक के क्रेडिट निर्णय हमेशा से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अधिकतम बैंकिंग पहुँच बनाने के सरकार के उद्देश्य के साथ जुड़े रहे हैं. 31 मार्च, 2018 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ₹1,33,922 करोड़ था और जिसने पिछले वर्ष की इसी अवधि से 19.9% की वृद्धि दर्ज की है. 40.0% के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम ने समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) में 47.8% का गठन किया है.

बैंक ने समाज के सभी हिस्सों के लिए समान अवसर और सामाजिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है, तदनुसार बैंक ने समाज के विभिन्न कमजोर और संरक्षित वर्गों विशेष रूप से महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की हैं. बैंक ने ग्रामीण युवाओं के बीच बेरोजगारी की समस्या को कम करने पर जोर दिया है और जिन जिलों में बैंक प्रमुख (लीड) बैंक की ज़िम्मेदारी में है, बैंक ने **14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आर-सेटी** स्थापित किए हैं.

तालिका 4: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

(₹ करोड़)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017	वर्ष दर वर्ष (%)	एएनबीसी में %	आरबीआई मानदंड मार्च, 2018 (%)
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु ऋण	133922	111674	19.9	47.8	40
कृषि क्षेत्र*	52148	50773	2.7	18.6	18
लघु एवं सीमांत किसान	27235	24137	12.8	9.7	8.0
कमजोर वर्ग को ऋण	36430	33003	10.4	13.0	-
महिला लाभार्थियों को ऋण	19022	17635	7.9	6.8	

* प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम देने के आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, कृषि क्षेत्र के लिए अग्रिम के अंतर्गत ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास (ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट) आरआईडीएफ और पीटीसी के तहत बकाया शामिल है.

आपका बैंक काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी), वाराणसी का प्रायोजक है. इसकी पूर्वी यूपी के 8 जिलों यथा वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मऊ, भदोही और आंबेडकर नगर में 459 सीबीएस शाखाएँ हैं.

आपके बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी ने समाज के ग्रामीण हिस्से को ऋण उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट कार्य किया है, पिछले वर्ष की तुलना में ऋण बकाया 10.19% की दर से बढ़कर ₹3,259.77 करोड़ रहा. कुल अग्रिम का 80.25% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है. 62.20% कासा जमाराशि के साथ केजीएसजीबी की जमाराशि ₹11,182.65 करोड़ है.

एक आरआरबी के रूप में, केजीएसजीबी ने तकनीकी प्लेटफॉर्म अपनाने में अत्यधिक सफलता हासिल की है. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 43 एटीएम इन्स्टॉल किए गए हैं, जिसमें एक टॉकिंग (बोलनेवाला) एटीएम भी शामिल है. आरआरबी ने किसानों के लाभ के लिए एटीएम सक्षम केसीसी पेश किया है. तेजी से सेवा उपलब्ध कराने को सक्षम बनाने के लिए आरटीजीएस/एनईएफ़टी सेवा और डिजिटल अथॉरिटी चेक सिस्टम भी प्रस्तुत किया गया है. वर्तमान में, ग्राहकों को हमारे आरआरबी द्वारा नियमित अंतरणों के लिए एसएमएस एलर्ट और एसएमएस बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

कृषि के तहत अग्रिम बढ़ाने के लिए बैंक ने कृषि संभावित जिलों में क्लस्टर को बढ़ाने हेतु 21 क्षेत्रों में नई कृषि क्लस्टर योजना की शुरुआत की है. इन क्लस्टर का नेतृत्व क्षेत्र प्रबंधकों द्वारा किया जाता है और ये संतोषजनक प्रदर्शन कर रहे हैं.

बैंक कमजोर वर्ग को वित्त पोषण करने के लिए इच्छुक रहा है. तदनुसार, बैंक ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के साथ एक समझौता किया गया है, जिसके तहत विभिन्न योजनाओं में ₹128.81 करोड़ के पुनर्वित्त का लाभ लिया गया है.

बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई) के तहत जलवायु संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले किसानों के लाभ हेतु निरंतर प्रदान किए जा रहे सेवाओं का विस्तार कर रहा है. इसके अंतर्गत, बटाईदार और किराएदार किसान बीमा में समाविष्ट किए गए थे.

9 वित्तीय समावेशन, सामाजिक लक्ष्यों की उपलब्धि :

तालिका 5: वित्तीय समावेशन की हासिल उपलब्धियां

विवरण	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017	(%) वृद्धि
कुल खाते (लाख में)	86.22	68.06	26.68
शेष (लाख में)	193064	135384	42.6
आधार अंकित खाते	69.26	44.53	55.52
आधार अंकित खातों का %	80.33	65.43	22.76
मोबाइल अंकित खाते	45.85	33.98	34.96
मोबाइल अंकित खातों का %	53.18	49.92	6.53
एपीवाई नामांकन (लाख में)	3.15	1.80	75.47
वित्तीय साक्षरता केंपों की संख्या	5328	4118	29.38
केंप में लाभार्थियों की संख्या	215820	106849	101.9

9.1 आपके बैंक ने सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा इसे पूरा करने के लिए अनेक उपाय सुनिश्चित किए हैं. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर 255 शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र खोले गए हैं एवं 429 अतिरिक्त शाखाएँ खोलना प्रस्तावित है.

9.2 आपके बैंक ने सभी 14 अग्रणी जिलों के साथ-साथ गैर अग्रणी जिलों में 30 वित्तीय साक्षारता केंद्र खोले हैं. ग्राहकों में वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता सेवाओं के संबंध में जागरूकता लाने की दृष्टि से कुल 5328 ग्रामीण कैम्प का आयोजन किया गया. बैंक ने 54,833 व्यक्तियों के खाते खोलकर उन्हें ऋण सेवा प्रदान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है.

9.3 बैंक ने कुल 1044 डिजिटल कैम्प का आयोजन किया जिसमें से 230 ग्रामीण शाखाओं में तथा 814 वित्तीय समावेशन केन्द्रों में किया गया.

10. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग:

तालिका 6: विदेशी परिचालन				
				(यूएस $ मिलियन में राशि)
विवरण	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017	वृद्धि, वर्ष दर वर्ष	
			वास्तविक	(%)
विदेशी जमाराशि	813	1020	-207	-20.3
विदेशी अग्रिम	3913	4555	-642	-14.1
कुल विदेशी व्यापार	4726	5575	-849	-15.2

10.1 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक के विदेशी अग्रिमों में 14.1 प्रतिशत की कमी आई है. ऐसा, आरबीआई के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) वचन पत्र (एलओयू) को हटा लेने के परिणामस्वरूप हुआ है. आपका बैंक वैश्विक बाजार में परिचालनात्मक जोखिमों को बरकरार रखने एवं विदेशी परिचालनों में एक्सपोजर को कम करने में सख्त रहा है.

10.2 31 मार्च, 2017 के ₹10,047 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2018 को निर्यात अग्रिम ₹9,895 करोड़ तक कम रहा. बैंक की एनआरआई जमाराशि 31 मार्च, 2017 के ₹18,222 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2018 को ₹19,072 करोड़ है.

11. आस्ति गुणवत्ता:

11.1 आपके बैंक ने अथाह प्रयासों से आस्ति गुणवत्ता का प्रबंधन किया है.

11.2 दिवाला तथा शोधन अक्षमता कोड के कार्यान्वयन से वर्ष के दौरान वसूली की प्रक्रियाओं में तेजी हुई है. इससे ना केवल बैंक को विद्यमान प्रचंड आस्ति समस्याओं के निवारण में सहायता हुई है बल्कि सख्त अनुश्रवण तंत्र के निर्माण पर ज़ोर दिया है.

तालिका 7: एनपीए का संचलन		
		(₹ करोड़)
विवरण	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17
सकल एनपीए (प्रारंभिक)	33712	24171
बढ़ोत्तरी	21369	13244
घटाया, कमी	5711	3703
(I) अपग्रेडेशन	400	1051
(II) वसूली	1835	1388
(III) राइट-ऑफ	3477	1264
सकल एनपीए (अंतिम)	49370	33712
शुद्ध एनपीए	24326	18833

11.3 आपका बैंक एनसीएलटी के तहत संकल्प योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रहा है. बैंक के पास एनसीएलटी के संदर्भित ₹12,134 करोड़ का कुल एक्सपोजर है, जिसके तहत ₹7,650 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ऐसे खातों में, बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 63.0% रहा.

12. ट्रेजरी/कोषागार परिचालन:

12.1 ट्रेजरी प्रभाग घरेलू ट्रेजरी परिचालन, विदेशीमुद्रा परिचालन, नियत आय, डेरिवेटिव उत्पाद, इक्विटी और अन्य वैकल्पिक आस्ति वर्ग, संचालन करता है. देश भर में फैले अपने ग्राहकों को सभी प्रकार की कारोबार सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ट्रेजरी सभी सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक व्यवहार कक्ष से सुसज्जित है और यह बाजार के नवीनतम घटनाक्रम से तालमेल बनाए रखता है. बैंक के ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों का एक गुच्छा, जैसे-अग्रेषण, ऑप्शंस, ब्याज दर परिवर्तन, मुद्रा परिवर्तन, उन्नत प्रौद्योगिकी मंच द्वारा उपलब्ध कराया जाता है.

12.2 बैंक अपने उत्पादों जैसे कि ब्याज दर स्वैप (आईआरएस), मुद्रा स्वैप, ब्याज दर वायदा, फॉरवर्ड्स और आवश्यकतानुसार ब्याज दर का विकल्प एवं अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरत के अनुसार विदेशी मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण का प्रयोग कर व्यक्तिगत समाधान प्रदान करता है. स्वपूंजी ट्रेडिंग डेस्क उपलब्ध अंतरपणन को भुनाने एवं ट्रेडिंग अभिलाभ बुक करने में सक्रिय था.

13. संपदा प्रबंधन :

तालिका 8: वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान तृतीय पक्ष उत्पाद से प्राप्त आय			
			(₹ करोड़)
व्यापार के मानदंड	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	% वर्ष दर वर्ष वृद्धि
जीवन बीमा	71.33	58.67	21.58
गैर जीवन बीमा	9.37	6.36	47.3
म्यूचुअल फंड	19.31	8.36	130.98
हेल्थ इन्स्योरेंस	8.49	4.43	91.65
कुल आय	**108.50**	**77.82**	**26.14**

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने कई नए उत्पाद प्रारम्भ किए हैं, जिनमें यूनियन महिला सुरक्षा (बजाज एलियांज जनरल इन्स्योरेंस कं. लि. के सहयोग से), यूनियन कैंसर केयर (चोलामंडलम एमएस जनरल इन्स्योरेंस कं. लि. के सहयोग से) और यूनियन हेल्थ सुरक्षा (रेलिगेयर हेल्थ इन्स्योरेंस कं. लि. के सहयोग से) शामिल है.

14. मानव संसाधन प्रबंधन:

14.1 आपका बैंक अपने कार्यबल में नवप्रवर्तनशील प्रशिक्षण और कर्मचारी जुड़ाव कार्यक्रमों द्वारा कौशल विकास करने में हमेशा से उत्सुक रहा है. इस उद्देश्य के साथ वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण तंत्र ने 956 कैलेंडर कार्यक्रम, 87 स्थानीय कार्यक्रम और 42 कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें 28,172 स्टाफ सदस्य शामिल हुए. इसके अलावा 341 कर्मचारियों को भी प्रतिष्ठित बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया. जैसा कि बैंकिंग उद्योग आस्ति गुणवत्ता और अन्य नियमित चुनौतियों की विपरीत

परिस्थितियों का सामना करती है, बैंक ने ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं, जो कठिन समय का सामना करने में कर्मचारियों की मदद करते हैं. बैंक ने सरफेसिया के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारियों के लिए भी कार्यक्रम गठित किया है और वसूली प्रबंधन पर उन्नत कार्यक्रम आयोजित किया है.

तालिका 9: कर्मचारी श्रेणी

वर्ष	अधिकारी		लिपिक		अधीनस्थ कर्म.		कुल	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
2016-17	15389	4628	8642	3228	4284	706	28315	8562
2017-18	16215	5019	8716	3267	3734	636	28665	8922

14.2 नए स्टाफ सदस्यों को बैंकिंग उद्योग का एक समग्र दृश्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने सभी नव नियुक्त पीओ, आरडीओ और लिपिकों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है. बैंक कोर विशेषज्ञ अधिकारी जैसे एचआर अधिकारियों, विधि अधिकारियों, आईटी अधिकारियों, राजभाषा अधिकारियों, विपणन अधिकारियों और फॉरेक्स अधिकारियों के लिए भी नवीनीकृत तरीके से सामान्य बैंकिंग के साथ ही साथ कार्यक्षेत्र विशेष सहयोग प्रारम्भिक कार्यक्रम आयोजित करता है.

14.3 ज्ञान और अनुभव के कुशल संचरण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका नाम यूनियन भविष्य है. यह कार्यक्रम क्षमता निर्माण में उचित कौशल अंतर्निविष्ट करने और वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों में ज्ञान अंतरित करने से जुड़ा है. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यात्मक और नेतृत्व कौशल में वृद्धि कर 'भविष्य के लिए तैयार' करना है. अगस्त 2017 से शुरू किए गए यूनियन भविष्य के अब तक 1030 प्रतिभागी हुए हैं, जो व्यक्तिगत विकास यात्रा से गुजरे हैं. ये प्रतिभागी अब ऑन जॉब प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने क्षमता को साबित करने की राह पर हैं, जो कि बैंक के परिवर्तनकारी उद्देश्यों से गहरे रूप से संबद्ध हैं.

14.4 विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ बैंक एक पाक्षिक प्रश्नोत्तरी 'यूनियन ज्ञान कसौटी' का भी आयोजन करता है, जिसमें बैंक के आंतरिक परिचालन से संबन्धित विविध विषय शामिल रहते हैं. इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता के लिए आर्थिक पुरस्कार भी शामिल हैं, जो सहभागिता को प्रोत्साहित करता है. ज्ञान कसौटी न सिर्फ ज्ञान वृद्धि में मदद करती है बल्कि यह प्रतिभागियों के सीखने और उन्नति करने के उत्साह को भी प्रदर्शित करता है.

14.5 आपका बैंक ग्राहकों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है, तदनुसार, यह अपने कर्मचारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने हेतु तैयार करता है.

15. शाखा नेटवर्क:

आपका बैंक देश के वंचित क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने में सक्रिय रहा है. तदनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान 25 नई शाखाएं जोड़ी हैं, जिसमें से 9 शाखाएं देश के बैंक रहित ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों में खोली गयी हैं.

तालिका 10: शाखा नेटवर्क का गठन

विवरण	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	मेट्रो	विदेशी	कुल
शाखाओं की संख्या	1252	1288	851	906	4	4301
शाखाएं (%)	29	30	20	21	-	100

तालिका 11: एटीएम और ई-लॉबी

(संख्या)

चैनल	यथा 31 मार्च, 2018	यथा 31 मार्च, 2017	वृद्धि % - वर्ष दर वर्ष
एटीएम	7642	7518	1.65
पीओएस टर्मिनल	56700	51891	9.27
ई-लॉबी	201	151	33.11
नकद रहित कैंप	152	91	67.03
चेक जमा मशीन	574	370	55.14

बैंक ने अपने डिजिटल समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. नई प्रौद्योगिकी के आगमन और बदलते बैंकिंग आवश्यकताओं के साथ, आपके बैंक ने डिजिटल अभियान में बेहतर प्रदर्शन हेतु विभिन्न उपायों को अंगीकृत किया है. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने डिजिटल बैंकिंग उपयोगकर्ता आधार में 16.2% की उल्लेखनीय वृद्धि की है.

आपका बैंक अपने डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए उत्सुक है, तदनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ई-लॉबी उपस्थिति में 33% की वृद्धि हुई है.

16. डिजिटल नेटवर्क को बढ़ाने हेतु उपाय:

तालिका 12: नकदी रहित लेनदेन में वृद्धि

संख्या

उत्पाद	यथा 31 मार्च, 2018 (लाख में)	यथा 31 मार्च, 2017 (लाख में)	वृद्धि % - वर्ष दर वर्ष
डेबिट कार्ड	356.00	309.00	15.21
क्रेडिट कार्ड	2.18	1.80	21.11
आईआरसीटीसी कार्ड	0.25	0.21	18.35
प्रीपेड कार्ड	0.06	0.05	8.63
इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता	18.18	15.31	18.75
एसएमएस बैंकिंग उपयोगकर्ता	250.00	220.00	13.64
मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता	20.46	11.34	80.42
यूपीआई	3.54	1.96	80.61
भीम	4701	0.0	-

16.1 **भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस)** ग्राहकों को "कभी भी कहीं भी" बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाला सिंगल ब्रांड इमेज पर कार्य करता है. यह एक सिंगल बिल पेमेंट सिस्टम है, जो रोजमर्रा

की उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) टेलीविज़न सेवा के लिए बार-बार किए जाने वाले भुगतान की सेवाएं प्रदान करता है. यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग में बिल प्रेसेंटमेंट मॉड्यूल में समन्वित है.

16.2 बैंक ने संस्था से संबंधित जानकारी के प्रसार हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने और सभी मोबाइल एवं वेब आधारित भुगतान चैनल में सिंगल इंटरफेस हेतु **यूनियन सहयोग** एप्लिकेशन की शुरुआत की है.

16.3 ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग जागरूकता को प्रभावी ढंग से फैलाने के लिए आपके बैंक ने प्रत्येक अग्रणी जिले में गाँव को अंगीकृत किया है. तदनुसार, 158 गाँवों की पहचान की गई है. प्रत्येक गाँव में जागरूकता फैलाने एवं अभियान हेतु बैंक ने डिजिटल भुगतान चैनल एवं व्यापारी अधिग्रहण लेनदेन की उपलब्धता द्वारा "यूनियन ड़ीजि गांव" नाम दिया गया था.

16.4 आपका बैंक अग्रणी पीएसयू बैंक है जिसने एटीएम लेनदेन में बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत की है. वर्तमान में हमारे कार्ड धारकों के लिए भारत भर में 900+ एटीएम बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण हेतु सक्षम बनाए गए हैं. यह हमारे एटीएम को ऐसे कार्ड धारकों के फिंगरप्रिंट द्वारा प्रमाणीकरण के अतिरिक्त विकल्प के साथ सक्षम करता है, जिनके आधार नंबर को उनके बैंक खाते में अंकित किया गया है.

16.5 बैंक ने अपने यू मोबाइल एप्लिकेशन में डेबिट कार्ड कंट्रोल फंक्शन की शुरुआत की है जिससे ग्राहक अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक एवं व्यय सीमा को निर्धारित कर सकता है. यह सुविधा ग्राहकों को ना केवल उनके कार्ड से लेनदेन पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान कर विश्वास को बढ़ाता है, बल्कि सुरक्षा स्तर के नए आयाम से भी परिचित कराता है.

16.6 बैंक ने सभी ग्राहकों के लिए उनके औसत तिमाही शेष का लिहाज किए बिना वीज़ा पेवेब डेबिट कार्ड की शुरुआत की है. वीज़ा पेवेब डेबिट कार्ड नियर फील्ड कम्यूनिकेशन (एनएफ़सी) तकनीक पर आधारित है, जो ग्राहकों को बेहतर सुविधाजनक गति प्रदान करता है, चूंकि इन कार्ड से लेनदेन पूरा करने में विद्यमान मेग्नेटिक स्ट्रिप/ईएमवी कार्ड की तुलना में कम समय लगता है.

17. तकनीकी उन्नयन :

17.1 आपका बैंक सदैव से ही ग्राहकों को सरलीकृत बैंकिंग प्रदान करने की दृष्टि से आईटी मूलभूत सुविधाओं को विकसित कर रहा हैं. बैंक ग्राहक अनुकूल तकनीकी के कार्यान्वयन सहित सूचना सुरक्षा मॉड्यूल में वृद्धि हेतु प्रयासरत है.

ग्राहक सेवा उत्कृष्टता हेतु अपनी तकनीकी का लाभ उठाने में बैंक एक कदम आगे बढ़ गया है:

17.2 अपने परिसर में कार्यकुशल संसाधन के उपयोग हेतु निजी क्लाउड

17.3 साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आंतरिक साइबर सुरक्षा अभियान केन्द्र

17.4 परिचालन ग्राहक संपर्क प्रबंधन के साथ क्षेत्र कर्मियों को सहायता

17.5 ई-केवाईसी के माध्यम से वित्तीय समावेशन पहल का विस्तार

17.6 ओटीपी आधारित खाता खोलना एवं आधार भुगतान

बैंक ने आंतरिक प्रक्रिया में वृद्धि हेतु नई तकनीक को अंगीकृत किया है, जो निम्नानुसार है:

17.7 दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीयकृत खाता खोलने में वृद्धि.

17.8 ऋण प्रस्तावों का डिजिटलीकरण

17.9 उन्नत सुरक्षा, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता एवं प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के साथ केवाईसी सत्यापन के लिए ई-केवाईसी सोल्युशन.

17.10 डिजिटल भुगतान इको-सिस्टम के लिए आवश्यक एपीआई के अनुकूल नवीनतम संस्करण के लिए कोर बैंकिंग एप्लिकेशन का उन्नयन

17.11 एकीकृत मोबाइल एप का विकास एवं उदयम धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन सोल्युशन का विस्तार.

बेहतर निर्णय लेने के लिए विश्लेषित आंकड़ों का उपयोग:

17.12 बैंक ने एकीकृत सेवा निवेदन प्रबंधन एवं बिक्री प्रबंधन के साथ ग्राहक संपर्क प्रबंधन (सीआरएम) एप्लिकेशन को विकसित किया है, ग्राहक वर्गीकरण, धोखाधड़ी की पहचान एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन के माध्यम से यह एप्लिकेशन निर्णय लेने में सहायक है.

17.13 बैंक ने डिजिटल चैनल की उपयोगिता को बढ़ाने के लिये फ्यूचर ग्रुप, शॉपर्स स्टॉप, पतंजलि, आदित्य बिरला ग्रुप/ मेक माई ट्रिप के साथ रिटेल टाई-अप भी किया है.

17.14 साथ ही बैंक द्वारा तत्काल डेबिट कार्ड जारी करना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह आदि जैसे नए उत्पादों पर कार्य कर रहा है.

18. कारोबार निरंतरता के लिए जोखिम प्रबंधन

आपका बैंक सदैव से ही सुनियोजित जोखिम के प्रबंधन में सक्रिय रहा है चाहे फिर यह बाजार हो, परिचालन या क्रेडिट हो. संगठनात्मक स्तर पर, बैंक के पास विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए शीर्ष कार्यपालकों के परिचालन स्तर की समिति द्वारा समर्थित शीर्ष स्तर पर जोखिम प्रबंधन और आस्ति देयता प्रबंधन (एससीआर एवं एएलएम) पर बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति है. पर्यवेक्षी समिति जोखिम रणनीति और नीतियों के कार्यान्वयन की देखभाल, जोखिम की दिशा एवं स्तर की समीक्षा, विवेकपूर्ण सीमा, संविभागों में विविधता और जोखिम रिपोर्टिंग की निगरानी करता है.

18.1 ऋण जोखिम प्रबंधन:

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी): सीआरएमसी बैंक के ऋण जोखिम कार्य का पर्यवेक्षण करता है. अपनी आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन उद्देश्य के अनुरूप, बैंक अनुशासित ऋण जोखिम प्रबंधन के माध्यम से एक सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास करती है. बैंक के पास पहचान, मापन एवं अनुश्रवण के नियंत्रण हेतु सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन एवं जोखिम निर्धारण प्रणाली है. बैंक के पास ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न साधन है, जिसमें ऋण जोखिम

प्रबंधन नीतियाँ, ऋण अनुमोदन समिति, विवेकपूर्ण ऋण सीमाएं, जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित ब्याज निर्धारण एवं संविभाग प्रबंधन शामिल है.

बैंक रिटेल एवं कॉर्पोरेट ऋण जोखिम मूल्यांकन के लिए सुपरिभाषित आंतरिक रेटिंग मॉडल अवधारणा का प्रयोग करता है. साथ ही, बैंक ने रेटिंग गुणवत्ता में सुधार, रेटिंग मॉडलों के बेहतर प्रशासन के लिए सशक्त रेटिंग डाटाबेस बनाने हेतु केंद्रीय कार्यालय स्तर पर केंद्रीकृत रेटिंग पूल की स्थापना की है. जोखिम मूल्यांकन की बेहतर प्रशासन के लिए, केंद्रीकृत रेटिंग पूल शाखा स्तर पर तैयार किए गए कॉर्पोरेट लेनदारों की रेटिंग के निर्धारण एवं अंतिम रूप देने का कार्य करता है.

बैंक ने सभी अग्रिमों के लिए बैंक की मानकीकृत एवं पूर्ण परिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया अपनायी है, जिसमें ऋण मंजूरी हेतु समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है एवं विभिन्न स्तरों पर ऋण अनुमोदन समितियां कार्यरत है.

18.2 बाज़ार जोखिम प्रबंधन :

आस्ति देयता समिति (एलको): एलको बैंकिंग एवं ट्रेडिंग कारोबार में बाज़ार जोखिम को कम करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन नीति, ट्रेजरी नीति एवं बाज़ार जोखिम प्रबंधन नीति प्रस्तुत करती है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति की नियमित बैठकें होती हैं, जिनमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं की मात्रा, संमिश्र, अवधि, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है. आस्ति देयता प्रबंध समिति आस्तियों और देयताओं का मूल्य-निर्धारण भी करती है. यह मुख्यत: ब्याज दर जोखिम पहचान, मापन, अनुश्रवण एवं प्रबंधन करती है. बाज़ार जोखिम प्रबंधन के जरिए, बैंक सक्रिय तरलता प्रबंधन सुनिश्चित करता है, दबावग्रस्त परिदृश्य परिकल्पित करता है और साथ ही बैंक के लिए आकस्मिक निधि योजना रखता है.

तरलता प्रबंधन रणनीतियां: बैंक ने तरलता मानक पर बासल III के ढांचे के आधार पर आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तरलता जोखिम प्रबंधन को अंगीकृत किया है, इसमें अंतर दिवसीय तरलता प्रबंधन तथा तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) शामिल है. तरलता अनुपातों की गणना तिमाही आधार पर की जाती है एवं तरलता का अनुश्रवण एवं प्रबंधन सक्रियतापूर्वक किया जाता है.

जोखिम गणना कार्यपद्धतियों में स्थानांतरण: वर्तमान में, बाजार जोखिम का आकलन, मानकीकृत मूल्यांकन प्रणाली (एसएमएम) द्वारा किया जाता है. बैंक, बाजार जोखिम के लिए उन्नत अप्रोच के तहत बाजार जोखिम की गणना एवं उसके बेहतर मूल्यांकन हेतु आंतरिक मॉडल अप्रोच (आईएमए) लाने की प्रक्रिया में है.

18.3 परिचालन जोखिम प्रबंधन:

बैंकिंग के वर्तमान परिदृश्य में, परिचालन जोखिम प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण है. परिचालन जोखिम के प्रबंधन हेतु बैंक व्यापक प्रक्रियाओं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा का प्रयोग करता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. परिचालन जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नए उत्पादों को नव-उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है.

आपके बैंक ने विगत बारह वर्षों के दौरान परिचालनगत हानियों से संबंधित आंकड़ों का समेकन किया है तथा सुधारात्मक कदम उठाने हेतु उनका विश्लेषण किया जाता है; ताकि आगे ऐसी हानियों की पुनरावृत्ति ना हो. विभिन्न उत्पादों की प्रकृत्याओं में अवशिष्ट जोखिमों के आकलन हेतु जोखिम एवं नियंत्रित स्व-मूल्यांकन सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

जोखिम गणना पद्धति में स्थानांतरण : वर्तमान में बैंक द्वारा परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी आकलन हेतु प्राथमिक संकेतक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है, परिचालन जोखिम हेतु बैंक को अब समानान्तर आधार पर 'मानकीकृत अप्रोच (टीएसए)' को भी कार्यान्वित करने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक से मिली है.

बैंक परिचालन जोखिम के लिए एक पूंजी संगणना सोल्युशन लागू करने की प्रक्रिया में है, जो उन्नत मूल्यांकन अप्रोच (एएमए) की अपेक्षाओं को पूर्ण करती है. एएमए के दिशानिर्देशों के तहत, चार मुख्य घटक जैसे आंतरिक हानि आकड़े, वाह्य हानि आकड़े, कारोबार परिवेश और आंतरिक नियंत्रण कारक एवं परिदृश्य विश्लेषण के आधार पर पूंजीगत अपेक्षाओं का आकलन किया जाता है.

18.4 समूह जोखिम प्रबंधन :

बैंक, अपनी समूह जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से ग्रुप-वार अप्रोच लागू करने की ओर अग्रसर है; ताकि कारोबार संचालन में जोखिम के प्रमुख पहलुओं, जो सभी कारोबार समूहों को प्रभावित करते हैं, की ओर ध्यान दिया जा सके. तदनुसार, बैंक द्वारा सामान्य तथा तनावग्रस्त स्थितियों में अपने समूह प्रतिष्ठानों, आंतरिक नियंत्रणों तथा मिटिगेशन उपायों, पूंजी आकलन हेतु व्यवस्थित नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

18.5 धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन :

बैंक की एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति है. बैंक की आंतरिक धोखाधड़ी समीक्षा परिषद धोखाधड़ी के सभी प्रयासित मामलों की जांच करती है और सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रियाएं बनाए रखने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाए जाते हैं. बोर्ड को ₹1.00 लाख या उससे अधिक राशि के सभी धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग के अलावा, बैंक ₹ 1 करोड़ के या उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी मामलों की रिपोर्टिंग बोर्ड की विशेष समिति को करता है, ताकि समिति ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक राशि के धोखाधड़ी के अनुश्रवण कर सके. बैंक संदिग्ध एवं धोखाधड़ीग्रस्त लेनदेनों पर समग्र नजर बनाए रखने के लिए उद्यम-वार जोखिम प्रबंधन सामाधान लागू करने की ओर अग्रसर है. बैंक का लक्ष्य प्रारम्भिक चरण में धोखाधड़ी का पता लगाना है.

19. अनुपालन :

वर्तमान परिवेश में, अनुपालना की प्रमुख भूमिका है. चूंकि आपका बैंक बैंकिंग प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जिसकी एक सुव्यवस्थित अनुपालन संरचना है. अनुपालन विभाग सुव्यवस्थित संरचना के साथ एक स्वतंत्र वर्टिकल है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक है, जो कि मुख्य अनुपालन अधिकारी है एवं कार्यात्मक विभागों की

सहायता से समन्वय स्थापित करने के लिए सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी इन पर है. बैंक की एक संरचित रिपोर्टिंग व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संस्था की प्रत्येक स्तर अपनी अनुपालन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है. साथ ही, बैंक की विनियामक सांविधिक एवं उचित व्यवहार अचार संहिता कार्य स्व-नियामक संस्थाओं, सरकारी नीतियों, बैंक की आंतरिक नीतियों एवं धन शोधन निवारण अधिनियम द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप है.

अनुपालन को व्यवस्थित बनाने के उपाय के रूप में, बैंक ने सिस्टमेटिक जोखिम के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण हेतु एक टच पॉइंट की स्थापना की है, ताकि आरबीआई की सहायता की जा सके.

20. लेखापरीक्षा :

20.1 आपका बैंक अपनी जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र, समवर्ती लेखापरीक्षा, प्रबंध लेखापरीक्षा एवं सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है. आपके बैंक ने आंतरिक नीतियों को सुदृढ़ किया है. तद्नुसार, बैंक की बोर्ड ने अपनी लेखा परीक्षा नीतियों की समीक्षा की है.

20.2 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक ने 3778 की योजनाबद्ध संख्या के सापेक्ष 3880 शाखाओं की लेखापरीक्षा पूरी की है.

20.3 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कोई भी शाखा 'अत्यंत उच्च जोखिम' और 'बहुत उच्च जोखिम' रेटिंग के अंतर्गत नहीं पाई गई है. साथ ही, 'उच्च जोखिम' वाली शाखाओं की संख्या कम हुई है.

20.4 बैंक ने नए विकसित सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर दोनों की ऑफसाइट अनुश्रवण प्रणाली में सुधार किया है.

20.5 बैंक वित्त वर्ष 2018-19 से वेब आधारित लेखापरीक्षा प्रबंधन सोल्युशन (डब्लूबीएएमएस), जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रबंध लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, करेंसी चेस्ट की लेखापरीक्षा एवं सेवा शाखा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है.

21. सतर्कता:

21.1 बैंक के रोज़मर्रा के कामकाज में मूलभूत स्तर पर अनुपालन और प्रणाली की कमजोरियों को समाप्त करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, जिसमें सतर्कता की मुख्य भूमिका है.

21.2 आपके बैंक में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिदेशों के अनुरूप एक भली भांति संरचित सतर्कता प्रशासन है जो कि परिचालन के सभी क्षेत्रों को कवर करती है.

21.3 सतर्कता जागरूकता की ओर एक कदम बढ़ते हुए, बैंक द्वारा अपने अन्य कार्यालयों एवं शाखाओं में निवारक सतर्कता दौरे किए गए. साथ ही, क्षेत्र कर्मियों को प्रक्रियाओं के आवश्यक जागरूकता एवं नियमों के गैर- अनुपालन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में निर्देशित किया गया.

21.4 बैंक ने सतर्कता के बहुत से कार्यों को ऑनलाइन पोर्टल पर स्थानांतरित करके तकनीकी के साथ पारदर्शिता को जोड़ दिया है.

27. दृष्टिकोण:

हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र, संरचनात्मक एवं विनियामक परिवर्तनों का साक्षी रहा है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को और अधिक लचीला, समर्थ एवं सुदृढ़ बनाना है. इसके अतिरिक्त कुछ बैंक भविष्य में अपने विकास के लिए कर्मचारियों को सक्षम बनाने हेतु निवेश कर रहे हैं ताकि वे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का कर्मठता से सामना कर सके. आपके बैंक के पास भावी दृष्टिकोण है और वह धारणीय संवृद्धि क्षमता के लिए बहुत से पहलों पर अपना ध्यान केन्द्रित किए हुए है. अल्प कालिक मुद्दों के निपटान होने पर इस प्रकार के पहल आपके बैंक को आगामी वर्षों में विजेता शिखर पर ले जाएगा.

आपके बैंक का यह विश्वास है कि ग्राहक सेवा में सतत वृद्धि, जोखिम प्रबंधन संरचना में सुधार, अनुपालन में सुदृढ़ संस्कृति एवं कर्मचारी विकास, गुणवत्तापूर्ण संवृद्धि के मुख्य सिद्धान्त है. इस दिशा में बैंक वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान और अधिक प्रयासरत रहेगा. विद्यमान ग्राहकों के लिए क्रॉस-सेल एवं अप-सेल सुदृढ़ करते समय, सक्रिय ग्राहक अर्जन रणनीति नए संबंध बनाने के लिए प्रक्रिया में है. शाखाएं धीरे-धीरे सेवा एवं बिक्री केंद्र में बदल रही है क्योंकि खाते खोलना, ऋण मूल्यांकन एवं अनुश्रवण जैसी अधिकतम गैर-ग्राहक गतिविधियां संबंधी कार्य बॅक-ऑफिस में किया जा रहा है. कारोबार बढ़ोतरी के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2018-19 तक यह अपेक्षित है कि 3/4 से भी अधिक क्रेडिट अंडरराइटिंग फिर चाहे वे लार्ज एवं मिड कॉर्पोरेट, एमएसएमई, रिटेल या कृषि ऋण क्यों न हो, केंद्रीकृत प्रोसेसिंग हब हो जायेंगे. वास्तव में, ग्रमीण एवं अर्ध-शहरी केंद्रों के लिए हमारे पायलट हब-एंड-स्पोक मॉडल ने तुरंत प्रोत्साहनवर्धक परिमाण दिये है तद्नुसार अगले वर्ष के दौरान देश भर में उन्हें विस्तारित किया जाएगा. इसी तरह, यदि विश्लेषण तंत्र के माध्यम से आरंभ में ही क्रेडिट का अनुश्रवण किया जाए और जैसे ही हमें ऋण के संबंध में चेतावनी मिले, हम प्रारम्भ में ही सटीक उपाए करें ताकि ऋण बही की गुणवत्ता को सुधारा जा सके. डिजिटल बैंकिंग के मामले में आपका बैंक काफी आगे है; डिजिटल के पहल से हमारे ग्राहकों एवं कर्मचारियों को कम लागत, सेवा दक्षता एवं सुविधाजनक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध होगी. हमारा अन्य उद्देश्य कर्मचारी विकास में निवेश करना भी है.

आपका बैंक तुलन-पत्र को और अधिक सशक्त करने के लिए अधिक ऊर्जा एवं आशा के साथ नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है. कारोबार करने का तरीका बदल रहा है और आपका बैंक सभी हित धारकों के लिए मूल्य निर्माण करने हेतु निरंतर प्रयासरत है.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Macro-economic scenario:

1.1 During the year 2017-18, global economic environment remained favourable for driving growth. World trade volume also recorded optimistic gains during the year. Central Banks across the world have worked for accommodative monetary policies to attain price stability targets and growth. Major economies, the US, Euro area and Japan have opted for expansionary fiscal and monetary policies to revive the overall growth dynamics of their respective countries. As per the International Monetary Fund Report (April 2018), global economic activities are expected to pick-up by 3.9% each in 2018 and 2019.

1.2 Rebound in global economic activities was supported by gaining consumption demand and exports in emerging economic landscape. However, investment scenario did not witness any significant improvement during the year 2017. On the contrary, advanced economies have recorded sharp pick-up in industrial activities driven by gaining investment momentum. On aggregate basis, upturn in global growth calls for a perfect blend of consumption driven growth in emerging economies and investment driven growth in advanced economies.

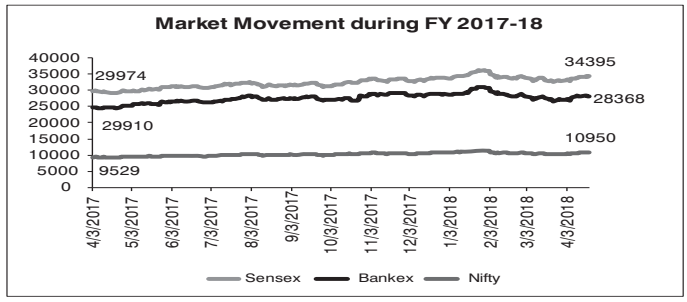
1.3 As per the World Economic Outlook report by International Monetary Fund, world trade volume is projected to grow at a higher pace of 4.9% in 2018 and 5.1% in 2019 significantly up from 2.9% in 2017, supported by growing exports from emerging markets. However, present global environment has been witnessing trade turbulences amongst advanced and emerging economies. Imposition of import duties by the United States on major metal imports has not only affected the terms-of trade gains for India and China, it also hampered the currency strengths on global platforms.

1.4 Year 2017-18 was very significant for Indian economy with major tectonic shift in the form of Goods & Service Tax (GST) implementation. In the first half of FY 2017-18, Indian economy witnessed growth constraints arriving from low investment and weak capacity building. In the second half, economy gradually gained pace supported by service driven activities and pick-up in private consumption spending.

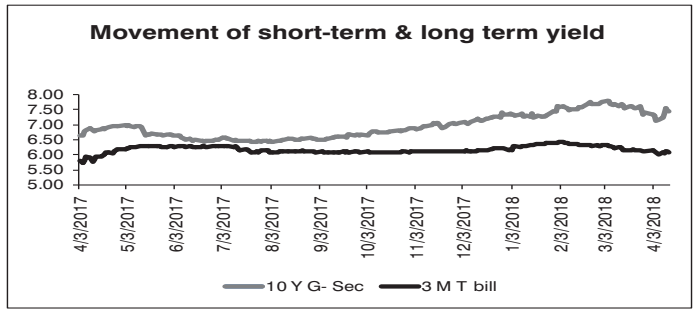
1.5 Union Budget FY 2017-18, was growth centric with greater emphasis on infrastructure development and rural income generation. Budget also focused on increasing Minimum Support Price (MSP) of crops to 1.5 times of its production cost. Even though MSP rise provides a positive push to rural income generation, it will pose upside risks to food inflation going forward.

1.6 Price scenario in the economy witnessed sharp volatility during FY 2017-18 owing to many domestic and global factors. On the one hand, rising crude prices pushed the prices high, moderating food inflation in the domestic front has balanced the upward pressure.

1.7 Indian equity markets strengthened during the year FY 2017-18 supported by gaining confidence in macroeconomic landscape and global recovery. All the three major market indicators Sensex, Bankex and Nifty have recorded annual growth of 11.3%, 11.4 %, and 10.7% respectively during FY 2017-18.



2. Bond Market performance: Yield on 10-year benchmark has witnessed remarkable hardening during the year FY 2017-18 from 6.65% in April 03, 2017 to 7.33% in April 03, 2018. Also, a trend of narrowing of gap between short-term and long-term yields was observed in the first half of the FY 2017-18, afterwards, spread between the yields widened in the second half.



3. Foreign investment inflows:

Driven by recovering growth and strengthening market sentiments, FPI inflows were ₹1.44 lakh crore during FY 2017-18, significantly up from ₹48,500 crore in FY 2016-17. Revival in foreign investment also resulted in appreciation in rupee from 67.0/ USD in end March 2017 to 64.9/USD in March 2018.

4. Liquidity scenario: Liquidity conditions witnessed sharp volatilities during FY 2017-18 with first three quarters of deficit and last one quarter with surplus. RBI injected and absorbed liquidity as per the marker requirements so as to bring the system level neutrality in the economy.

5. RBI's policy decisions: During FY 2017-18, RBI continued with its neutral stance of monetary policy and price stability target at 4%. RBI has reduced repo rate by 25 bps during FY 2017-18. Many factors have collectively driven towards maintaining policy rates at 6.0%, like volatile inflation (ranging between 5.2% in Feb 2018 and 2.2% in July 2017), hardening g-sec yield, expansionary fiscal policies, and expected pick-up in agricultural output. Union Budget FY 2018-19 targets for MSP rise and on-going increase in crude price collectively weighted on price outlook. Nevertheless, normalizing second round impact of HRA on inflation facilitated RBI to continue with same interest rate.

6. Banking environment:

6.1 Banking industry continued with structural reforms and headwinds of asset quality challenges. On-set of new tax regime also had a greater impact on banking business. While short-term adjustment to GST impacted the business growth, bringing small entrepreneurs under tax net added to greater transparency and database building for these units.

6.2 Along with on-going asset quality challenges, banking industry was put in the clutches of severe compliance inconsistencies. Nevertheless, banks have a well-defined risk management mechanism in place to cushion the system from various operational risks. Government's infusion of capital to address pro-longed capital constraints have helped banks in meeting their minimum capital requirements under Basel III.

6.3 Despite the on-going structural and functional challenges, banking industry continues to outperform in serving its prime duty, i.e lending. Credit growth recovered in the Q4 FY 2017-18 supported by regaining investment sentiments and demand. Going-forward, credit demand is expected to move in upward trajectory with re-balancing assets and capital challenges.

7. Resource management:

7.1 Deposits:

7.1.1 Bank has achieved milestone in having deposits of ₹4.08 lakh crore, up by 8.0% from previous year.

7.1.2 CASA share in total deposit stood at 34.1% as on March 31, 2018.

7.2 Diversified deposit portfolio:

Table 1 : Composition of Deposits

(₹crore)

Parameter	As of March 31st , 2018	As of March 31st , 2017	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Total Deposits	408502	378392	30110	8.0
CASA Deposits	139241	130308	8933	6.9
Savings	114183	104072	10111	9.7
Current	25058	26236	-1178	(-) 4.5

Bank strived to maximize its CASA deposits to lower cost of funds. CASA deposits as on March 31, 2018 were ₹1,39,241 crore of which current account amounted to ₹25,058 crore and savings amounted ₹1,14,183 crore. CASA deposits grew at a rate of 6.9% on y-o-y basis. Within CASA, savings deposits grew at 9.7% on y-o-y basis.

7.2.1 Bank has taken pro-active steps to improve customer services by introducing additional features for cheque security. This includes random alpha numeric five digit number for each cheque leaf, and feeds the same number in the server also, which helps in tracking the duplicacy and prevents frauds.

7.2.2 Bank has also introduced online locker application facility available on Bank's website for both customers and non-customers. This is intended to increase the service efficiency through digital mode.

8. Credit Management:

Table 2: Classification of Advances

(₹crore)

Parameter	As of March 31st , 2018	As of March 31st , 2017	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Gross Advances	313860	301684	12176	4.0
Domestic	288336	272238	16098	5.9
Global	25524	29446	-3922	-13.3
RAM sectors	158642	146417	12225	8.3
Retail	49446	40380	9066	22.5
Agri	45825	44124	1701	3.9
MSME	63371	61913	1458	2.4
RAM share to Domestic Advances (%)	55.0	53.8		120 bps

Bank's credit outstanding as of March 31, 2018 was ₹3.14 lakh crore, up from ₹3.02 lakh crore as of same period previous, Reviving credit demand and strengthening macro-fundamentals supported the overall credit-growth.

8.1 Retail:

8.1.1 Bank has continued to focus on capital light RAM sector with its share gradually increasing to 55.0% as on March 31, 2018 from 53.8% as on March 31, 2017.

Bank's emphasis on retail lending has improved significantly during the year with share of retail loan in domestic advances increasing to 17.2% in FY 2017-18 from 14.8% in FY 2016-17.

8.1.2 Bank has introduced special retail lending scheme for government employees which provides retail loans to government employees at zero processing charges and lower interest rates.

8.1.3 Bank has introduced flexible margin payment plan under Union Home loan for attracting big ticket size borrowers to widen the retail credit base.

8.2 *Agriculture:*

8.2.1 Agricultural advances (excluding RIDF) as of March 31, 2018 were ₹45,825 crore against ₹44,124 crore as of March 31, 2017 noting growth of 3.9%. Advances to small and marginal farmers were ₹27,235 crore as of March 31, 2018. Bank has maintained surplus target of 9.7% of ANBC, against 8% for lending to small and marginal farmers. Also, a total of ₹22,041 crore disbursements were made under special agriculture credit plan (SACP).

8.2.2 Bank has been pro-active in delivering credit services to farmers, accordingly, total 1.69 lakh new farmers were added to banking facilities during the financial year 2017-18. Also, Bank has issued 1.75 lakh Kisan Credit Cards during the year with credit facility of ₹2,674 crore.

8.3 *Micro, Small & Medium Enterprises (MSME):*

Table 3: Breakup of MSME Portfolio

(₹crore)

Parameters	As of March 31st , 2018	As of March 31st, 2017	Annual Growth	
			Absolute	(%)
Micro Enterprises	20071	19411	660	3.4
Small Enterprises	28116	27739	377	1.4
Medium Enterprises	15185	14763	422	2.9
MSME Advances	63371	61913	1458	2.4

8.3.1 MSME advances amounted to ₹63,371 crore as of March 31, 2018 up by 2.4% from ₹61,913 crore in March 31, 2017. Micro, small and medium sectors grew by 3.4%, 1.4% and 2.9% respectively on y-o-y basis.

8.3.2 Being pro-active in implementing government schemes, Bank has achieved 88% of its targets in MUDRA loan disbursement and extended ₹61.3 crore in stand-up India scheme.

8.3.3 Under Light Commercial Vehicle scheme, Bank has disbursed ₹1,098 crore.

8.3.4 Bank has initiated Union Trade GST, to provide financial support to entrepreneurs filing GST returns with in-built hassle free assessment based on GST returns. This scheme included all MSME units engaged in trading/services/manufacturing activities. This scheme provided working capital limit of ₹2.0 crore and attractive rate of interest.

8.3.5 In the crucial times of GST implementation, Bank has launched Union GST Input credit to mitigate the temporary mismatches of cash flow. Under this scheme, facility of temporary working capital limit based on input tax credit on purchases was provided to business enterprises. Under this scheme, all fund based working capital borrowers were eligible to receive adhoc upto 20% of the existing fund based exposure or 80% of the input tax claim whichever is lower, for a period of 6 months.

8.3.6 Existing Union High pride scheme has been modified to tap the potential business in Mid-sized sectors. Also Dealer Finance scheme has been revamped for increased exposure of Bank in Channel financing portfolio.

8.4 Catering to large investments & Corporate Credit:

Your Bank has made significant efforts to strengthen its corporate credit portfolio by re-designing business models for Industrial Finance Branches. Under this, Bank has appointed specialized relationship managers for catering the needs of corporate on one-to-one basis. Also, this model will help in generating fund based, non-fund based and third party products business from large corporates.

Bank has devised road map for corporate credit with greater emphasis on increasing fee based income, lending to high rated borrowers, and prudent lending approach.

8.5 Priority Sector Advances:

Your Bank's credit decisions remained in line with government's aim of maximizing banking outreach to priority sector. Outstanding credit to priority sector stood at ₹1,33,922 crore as of March 31, 2018 and registered a growth of 19.9% over same period previous year. Priority sector advances constituted 47.8% of the adjusted net Bank credit (ANBC), against the stipulated target of 40.0%.

Bank has continued to keep its focus on social development and equal opportunities for all segments of the society, accordingly Bank extended credit facilities to various weak and unserved sections of the society specifically, women, minority community and self help group. Bank has also emphasized

on mitigating the unemployment problem among the rural youth and established 14 **Rural Self Employment Training Institute RSETIs** in districts where the Bank has lead bank responsibility.

Table 4: Priority Sector Advances

(₹crore)

Particulars	As of March 31st, 2018	As of March 31st, 2017	Y-o-Y (%)	% to ANBC	RBI benchmark March 2018 (%)
Priority Sector Credit	133922	111674	19.9	47.8	40
Agriculture Sector*	52148	50773	2.7	18.6	18
Small and Marginal Farmers	27235	24137	12.8	9.7	8.0
Credit to Weaker Sections	36430	33003	10.4	13.0	-
Credit to Women Beneficiaries	19022	17635	7.9	6.8	

** Advances to agriculture sector includes outstanding under rural infrastructure development RIDF& PTC as per RBI guidelines on Priority sector lending.*

Your Bank sponsors Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. It has network of 459 CBS Branches, spread over 8 districts of Eastern U.P. namely, Varanasi, Azamgarh, Jaunpur, Ghazipur, Chandauli, Mau, Bhadohi and Ambedkar Nagar.

Your Bank sponsored RRB has done excellent job in delivering credit to rural segment of the society with credit outstanding of ₹3,259.77 crore up by 10.19 % from previous year. Of the total advances, 80.25% was under priority sector. Deposit of the KGSGB stood at ₹11,182.65 crore with 62.20% as CASA deposits.

As a RRB, KGSGB has made steep success in adopting technological platforms. During FY 2017-18, 43 ATMs have been installed, including a talking ATM. RRB has introduced ATM enabled KCC for the benefit of farmers. RTGS/NEFT service and Digital Authority Cheque system have also been introduced to facilitate faster service delivery. At present, SMS alert for regular transactions and SMS banking facility are being provided to the customers by our RRB.

Bank has launched new agri cluster scheme in 21 regions to scale up the clusters in agriculture potential districts for increasing the advances under agriculture. These clusters are headed by area managers and have been performing satisfactorily.

Bank has been keen on financing to weaker section. Accordingly, Bank has made a tie up arrangement with National Scheduled castes Finance and Development Corporation under which refinance of ₹128.81 crore have been availed in various schemes.

Bank has continued to extend its services under Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana (PMFBY) for the benefit of farmers facing climatic adversities. Under this, sharecroppers and tenant farmers were also covered within the insurance net.

9. Financial Inclusion, achieving social goals:

Table 5: Financial inclusion goals achieved

Particulars	As of March 31st, 2018	As of March 31st, 2017	(%) growth
Total Accounts (In Lakh)	86.22	68.06	26.68
Balance (In Lakh)	193064	135384	42.6
Aadhaar Seeded Accounts (In Lakh)	69.26	44.53	55.52
% of Aadhaar Seeded accounts	80.33	65.43	22.76
Mobile Seeding-Accounts (In Lakh)	45.85	33.98	34.96
% of Mobile Seeded accounts	53.18	49.92	6.53
APY Enrolments (In Lakh)	3.15	1.80	75.47
No of Financial Literacy Camps	5328	4118	29.38
No of beneficiaries in the camps	215820	106849	101.9

9.1 Your Bank has played a pivotal role in implementation of government programmes and taken a number of initiatives to fulfill the same. During FY 2017-18, Bank has opened Aadhaar Enrolment Centre in 255 Branches across India and also propose to open additional 429 Branches.

9.2 Your Bank has opened 30 Financial Literacy Centres in all 14 Lead Districts along with few Non Lead Districts. A total of 5,328 village camps were organized to create awareness about financial & digital literacy services amongst customers. Bank has made a milestone in bringing 54,833 persons to banking fold by opening their accounts and facilitating them with credit services.

9.3 Bank has conducted total 1044 digitized camps within which 230 were conducted at Rural Branches and 814 were conducted at financial inclusion centres.

10. International Banking:

Table 6: Overseas Operations				
				(Amount in US $ million)
Particulars	As of March 31st, 2018	As of March 31st, 2017	Growth Y-o-Y	
			Absolute	(%)
Overseas Deposits	813	1020	-207	-20.3
Overseas Advances	3913	4555	-642	-14.1
Total Overseas Business	4726	5575	-849	-15.2

10.1 Overseas advances of the Bank declined by 14.1 per cent during FY 2017-18. This has been due to RBI directive to withdraw Letter of Comfort (LOC) and Letter of Understanding (LOU) in international operations. Your Bank remained stringent on maintaining its operational risks in global markets and lowered its exposure in overseas operations

10.2 Export credit stood lower at ₹9,895 crore as on March 31, 2018 compared to ₹10,047 crore as on March 31, 2017. The Bank's NRI deposits stood at ₹19,072 crore as on March 31, 2018 compared to ₹18,222 crore as on March 31, 2017.

11. Asset quality:

11.1 Your Bank continued to make sincere efforts to manage asset quality.

11.2 With implementation of Insolvency and bankruptcy code, resolution processes have taken a speed-turn during the year. This has not only helped Banks to solve their existing bad asset problems, but also emphasized on building stringent monitoring mechanism.

Table 7: Movement of NPA		
		(₹crore)
Particulars	FY 2017-18	FY 2016-17
Gross NPAs (Opening)	33712	24171
Additions	21369	13244
Less, Reductions	5711	3703
(I) Upgradation	400	1051
(II) Recoveries	1835	1388
(III) Write-off	3477	1264
Gross NPAs (Closing)	49370	33712
Net NPAs	24326	18833

11.3 Your Bank remained pro-active in implementing resolution plans under NCLT. Bank has total exposure of ₹12,134 crore in accounts referred to NCLT, under which, ₹7,650 crore has been provided for, leading to Provision Coverage Ratio of 63.0% in such accounts.

12. Treasury operations:

12.1 The treasury division handles domestic treasury operations, forex operations, fixed income, derivatives products, equity and other alternate asset classes. Treasury is equipped with the state-of-the-art dealing room with all facilities to extend all types of treasury services to its clients spread across the country and keep pace with latest developments in the markets. A bouquet of financial products is offered to the Bank's clients like forwards, options, interest rate swaps and currency swaps facilitated by advanced technology platforms.

12.2 The Bank offers customized solutions using products viz. Interest Rate Swaps (IRS), Currency Swaps, Interest Rate Futures, Forwards and Options to cater to the Interest Rate and Foreign Exchange risk mitigation requirements of its corporate clients. The proprietary trading desk was active in encashing the available arbitrage and booking trading gains.

13. Wealth management:

Table 8: Income from third party business during FY 2017-18 (₹crore)			
Business Parameter	FY 2017-18	FY 2016-17	% YoY Growth
Life Insurance	71.33	58.67	21.58
Non Life Insurance	9.37	6.36	47.3
Mutual Fund	19.31	8.36	130.98
Health Insurance	8.49	4.43	91.65
Total Income	**108.50**	**77.82**	**26.14**

Bank has launched various new products during FY 2017-18, including, Union Mahila Suraksha (in association with Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd), Union Cancer Care (in association with Cholamandalam MS General Insurance Co Ltd) and Union Health Suraksha (in association with Religare Health Insurance Co Ltd).

14. Human Resource Management:

14.1 Your Bank remained keen on enhancing skills in its workforce with innovative training and employee engagement programmes. With this objective, during FY 2017-18, training system conducted 956 Calendar Programs, 87 locational Programs and 42 Workshops covering 28,172 staff members. Apart from this, 341 officials were also imparted training at reputed external Institutes. As banking industry withstands the headwinds of asset quality and other systematic challenges, Bank has planned training programmes that helped employees deal with the tough times. Bank also organized program for Authorized Officers under SARFAESIA and conducted Advanced Program on Recovery Management.

Table 9: Category of Employees								
Year	Officers		Clerks		Sub-staff		Total	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female	Male	Female
2016-17	15389	4628	8642	3228	4284	706	28315	8562
2017-18	16215	5019	8716	3267	3734	636	28665	8922

14.2 With an aim to provide an overview of banking industry to new entrants, Bank has organized Induction Training Program for all the newly recruited POs, RDOs and Clerks. Bank also conducted Induction Programs for core specialist officers like HR officers, Law officers, IT officers, official language officers, Marketing Officers and Forex Officers in renewed manner covering General Banking as well as Domain specific inputs.

14.3 In order to ensure efficient transmission of knowledge and experience, Bank has introduced a new training programme, Union Bhavishya. This programme deals with inculcating appropriate skills in capacity building and knowledge transfer in senior and middle level officers. This progamme is mainly aimed at enhancing functional and leadership skills to make them 'future ready'. Starting in August 2017, Union Bhavishya had 1,030 participants, who have gone through a personal development journey. These participants are now on the path to prove their mettle through on-job projects which are closely linked to the transformational objectives of the Bank.

14.4 Along with various training programmes, Bank also conducts a fortnightly quiz 'Union Gyan Kasauti' that included various topics relating to Bank's internal operations. This quiz contest also includes monetary prizes for winner which incentivizes participation. Gyan Kasauti not only helps in knowledge improvement, it also showcases the enthusiasm of participants in learning and uprgading.

14.5 Your Bank remains committed in delivering its best to the customers, accordingly, it prepares its employees to perform best in their respective areas.

15. Branch network:

Your Bank has been pro-active in expanding its presence to unserved areas of the country. Accordingly, Bank has added 25 new branches during the year, of which 9 were in unbanked rural and semi urban centres of the country.

Table 10: Composition of Branch Network						
Particulars	Rural	Semi Urban	Urban	Metro	Overseas	Total
No of Branches	1252	1288	851	906	4	4301
Branches (%)	29	30	20	21	--	100

Table 11: ATMs and e-lobbies			(Number)
Channels	As of March 31st, 2018	As of March 31st, 2017	Growth % (YoY)
ATM	7642	7518	1.65
PoS Terminals	56700	51891	9.27
e-lobby	201	151	33.11
Cashless Campus	152	91	67.03
Cheque Deposit Machine	574	370	55.14

Bank has performed well in achieving its digital-inclusion goals. With emergence of new technology and changing banking needs, your Bank adopted various measures to outperform in the digital drive. Digital banking user base of the Bank has increased significantly by 16.2% during FY 2017-18.

Your Bank has been keen on extending its digital network; accordingly, e-lobby presence has increased by 33% during FY 2017-18.

16. Measures to enhance Digital Network:

Table 12: Cashless transactions outreach			(Number)
Products	As of March 31st, 2018 (in lakhs)	As of March 31st, 2017 (in lakhs)	Growth % (YoY)
Debit Cards	356.00	309.00	15.21
Credit Cards	2.18	1.80	21.11
IRCTC Card	0.25	0.21	18.35
Prepaid Card	0.06	0.05	8.63
Internet Banking Users	18.18	15.31	18.75
SMS Banking Users	250.00	220.00	13.64
Mobile Banking Users	20.46	11.34	80.42
UPI	3.54	1.96	80.61
BHIM AADHAAR	4701	0.0	-

16.1 ***Bharat Bill Payment System (BBPS)*** functions with a single brand image providing convenience of "anytime anywhere" bill payment to customers. It is a single bill payment platform which covers repetitive payments for everyday utility services such as electricity, water, gas, telephone and direct-to-home (DTH) television service. This facility has been integrated under Bill Presentment module in Internet Banking.

16.2 Bank has launched ***Union Sahyog*** Application with an aim to simplify the procedure for disseminating information about the organization and to provide a single interface across all mobile and web based payment channels.

16.3 To spread digital banking awareness in rural area in an effective manner, your Bank adopted villages in each lead district. Accordingly, it identified 158

villages which were named as "Union DigiGaon" by providing Bank's digital channels of payment and merchants acquiring transactions, spreading awareness, and campaigning at each village.

16.4 Your Bank is one of the early PSU Bank to introduce biometric authentication of ATM transactions. Presently 900+ ATMs have already been configured for biometric authentication across India for our card holders. This enables our ATMs with additional option of authentication by finger print of the card holders whose Aadhaar number has been seeded in their Bank Account.

16.5 Bank has introduced debit card control functionality in its U mobile application which enables the customer to block or unblock debit card and set spending limit. This facility not only enhances customer confidence by exposing them to real time control over their card transaction but also introduce them to a new range of security level.

16.6 Bank launched Visa Paywave Debit Card for all the customers irrespective of their Avg. Quarterly Balance. The Visa Paywave Debit Cards are based on the Near Field Communication (NFC) technology, which provides customers with improved convenience of speed as these cards require significantly less time than the existing Magnetic Strip/EMV cards to complete a transaction.

17. Technological Upgradation:

17.1 Your Bank has always been keen on developing IT infrastructure for simplifying banking for customers. Bank is also working for enhancing its information security modules along with implementation of customer-friendly technology.

Bank has moved one step ahead in leveraging its technology for customer service excellence:

17.2 On-premise private cloud for efficient resource utilization

17.3 In-house Cyber Security Operation Centre (C-SOC) to strengthen cyber security

17.4 Facilitating field functionaries with Operational Customer Relationship management

17.5 Expansion of Financial inclusion Initiatives through e-KYC

17.6 OTP based account opening and Aadhaar Pay

Bank has also adopted new technology for internal process optimization by:

17.7 Expansion of centralized account opening under Document Management System.

17.8 Digitization of loan proposal

17.9 E-KYC solution for KYC verification with enhanced security, authenticity, credibility & digitization of processes.

17.10 Core banking application upgradation to latest version that supports required APIs for digital payment eco-system

17.11 Development of integrated mobile app and deployment of Enterprise Fraud Risk Management Solution.

Utilisation of data analytics for better decision making:

17.12 Bank has developed Customer Relationship Management (CRM) application with integrated service request management and sales management; this application also facilitates decisions through customer segmentation, fraud detection, and portfolio management.

17.13 Bank has also made retail tie-ups with Future Group, Shoppers Stop, Patanjali, Aditya Birla Group/Make My Trip to increase the usage of digital channels.

17.14 Bank is also working on launching new products like instant debit card issuance, national electronic toll collection etc.

18. Risk management for business continuity:

Your Bank has always been pro-active in managing systematic risks whether it be market, operational or credit. On organizational level, Bank has Supervisory Committee of Board on Risk Management and Asset Liability Management (SCR & ALM) at the apex level supported by operational level committees of top executives for managing various risks. The supervisory committee looks after the implementation of the risk strategy and policies, reviews the level and direction of risk, prudential ceilings, portfolio diversification and monitors the risk reporting.

18.1 **Credit Risk management:**

Credit Risk Management Committee (CRMC): CRMC oversees the credit risk function in the Bank. In line with its asset quality management objective, Bank strives to maintain a strong asset quality through disciplined credit risk management. Bank has well-defined credit appraisal mechanism and risk assessment practices in place for identification, measurement and monitoring. Bank has various instruments for credit risk management, which includes Credit risk management policies, Credit Approval Committee, Prudential Exposures Limits, Risk Rating System, Risk based pricing and Portfolio Management.

Bank has well-defined and comprehensive internal rating models for retail and corporate Credit Risk

Assessment. Also, Bank has set-up a centralized rating pool at Central Office to improve the rating quality, create a robust rating database for better administration of rating models. For better management of risk assessment, Centralized rating pool is given the final responsibility of validation of credit rating of the corporate borrowers whose rating process was initiated at the branch level.

Bank has a standardized and well-defined approval process for all advances. It adopts a Committee Approach for credit sanctions and has Credit Approval Committees at various levels.

18.2 **Market Risk Management:**

Asset Liability Committee (ALCO): ALCO puts in place Asset Liability Management Policy, Treasury Policy and Market Risk Policy to mitigate market risk in the banking and trading books. The ALCO meets regularly to review the size, mix, tenor and composition of various assets and liabilities. ALCO also decides on the pricing of Assets and Liabilities. ALCO does the identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. By managing market risk, Bank ensures proactive liquidity management, stress scenarios and also contingency funding for the Bank.

Liquidity management strategies: The Bank has adopted the liquidity risk management guidelines issued by RBI pursuant to the Basel III framework on liquidity standards. These include the intraday liquidity management and the Liquidity Coverage Ratio (LCR). The liquidity ratios are computed on a quarterly basis and monitoring and management of liquidity is proactively done.

Shift in risk computation methodologies: Currently, market risk capital is computed under the Standardised Measurement Method (SMM). Bank is in the process to migrate to the Internal Models Approach (IMA) under the Advanced Approaches for market risk for better evaluation and computation of market risk.

18.3 **Operational Risk Management:**

In the present scenario of Banking, role of operational risk management has gained prime importance. Your Bank has comprehensive procedures, internal control system and audit mechanism for managing Operational risk. The bank has a board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank of India Guidelines. All new products introduced by the bank pass through a New Product Approval Process to identify and address operational risk issues.

Your Bank has compiled data relating to operational losses incurred during the last twelve years and analyzed for taking corrective measures so that these losses do not recur. Process has also been put in place to conduct Risk and Control Self-Assessment (RCSA) for assessing the residual risks in the processes of the various products.

Shift in risk computation methodologies: Currently Bank is following the Basic Indicator Approach for capital computation under Operational Risk, Bank has now received the approval from RBI for adoption of "The Standardized Approach (TSA)" for Operational Risk on parallel run basis.

Bank is in the process to implement a capital calculation solution for Operational Risk which is meeting the Advanced Measurement Approach (AMA) requirements. Under AMA guidelines, the capital requirement is estimated on the basis of four essential elements viz., Internal Loss Data, External Loss Data, Business Environment and Internal Control Factors (BEICFs) and Scenario Analysis.

18.4 **Group Risk Management:**

The bank through its Group Risk Management Policy, aims to achieve a group-wide approach to ensure that key aspects of risk that have a group-wide impact are considered in its conduct of business. Accordingly, Bank has put in place a framework for assessment of risks in its Group entities, internal controls & mitigation measures, capital assessment, under normal and stressed conditions.

18.5 **Fraud Risk Management:**

The Bank has a Board approved Fraud Risk Management Policy in place. Bank has internal Fraud Review Council to examine all the cases of frauds attempted and suggests implementable action plan for keeping in place strong systems and procedures. Apart from reporting all the frauds cases of ₹1.00 lakh and above to the Board, the Bank also reports all the fraud cases of ₹1 crore and above to the Special Committee on monitoring of fraud of the 1 crore and above. Bank is in the process to implement Enterprise-wide Fraud Risk Management solution for ensuring 360 degree view of suspicious and fraudulent transactions. Bank also aims to ensure detection of frauds in early stages itself.

19. Compliance:

In the current environment, compliance is gaining prime importance. As your Bank is an integral part of the banking system, It has a well-established compliance structure. Compliance Department is an independent vertical with a well laid structure & headed

by a General Manager who is the Chief Compliance Officer with overall responsibility for coordinating with the assistance of the functional departments. Bank has a structured reporting mechanism under which each layer of the organization performs its compliance responsibilities. Also, Bank's Regulatory statutory and fair practice codes of conduct functions are well in line with guidelines specified by self regulatory organisations, Government policies, Bank's internal policies and Prevention of Money Laundering Act.

20. Audit:

20.1 Your Bank has been making efforts to strengthen its internal audit mechanism of risk based audit, concurrent audit, management audit and information security audit. Your Bank has emphasized upon strengthening its internal policies further. Accordingly, Board of the Bank has reviewed its audit policies.

20.2 During FY 2017-18, Your Bank has completed audit in 3880 branches against the planned number of 3778.

20.3 During FY 2017-18, no branch was rated as "Extremely High Risk" and "Very High Risk". Also, number of "High Risk" branches reduced.

20.4 Bank has improved the Offsite Monitoring System at both Central and Regional level with implementation of newly developed software.

20.5 Bank is in the process to implement Web Based Audit Management Solution (WBAMS) Risk Based Internal Audit, Management Audit, Concurrent Audit, Information System Audit, Audit of Currency Chest and Service Branches from FY 2018-19.

21. Vigilance:

21.1 Prime role of vigilance lies in nurturing a sense of alertness and awareness for careful compliance with system and procedures in the daily functioning of the Bank.

21.2 Your Bank has a well structured vigilance administration which covers all areas of operations and also is in line with the mandates of the Central Vigilance Commission.

21.3 By keeping one step forward in vigilance awareness, Bank conducted Preventive Vigilance visits to branches and other offices of the Bank. Also, field functionaries were guided by necessary awareness of procedures and pitfalls arising out of non-compliance with regulations.

21.4 Bank has collaborated technology with transparency by migrating most of the vigilance functions to online portal.

22. Outlook:

In recent years banking sector has witnessed a series of structural and regulatory changes aimed at making the sector more resilient, sound and healthy. Besides some banks have also been investing for creating enablers for future growth while diligently responding to challenges facing the banking & financial sector. Your Bank also has a forward looking approach and thus focused on multiple initiatives for building sustainable growth capabilities. As short-term issues settle down, such initiatives will provide your Bank a winning edge in coming years.

Your Bank believes that continuous enhancement in customer service, improvement in risk management architecture, deepening compliance culture and employee development are key tenets for a quality growth. Towards this, the Bank will futher its efforts during the year 2018-19. A proactice customer acquisition strategy is underway for building new relationship while deepening cross-sell and up-sell for existing customers. Branches are gradually turning into service and sales outlet as most of non-customer facing activities are being moved to back-office, like account opening, credit appraisal and monitoring. More than 3/4th of credit underwriting in terms of volume of business is expected to move to centralised processing hubs by 2018-19, be it large & mid corporate, MSME, Retail or even agriculture loans. In fact, our pilot hub-and-spoke model for rural and semi-urban centres has shown early encouraging results and their scale-up will be done across the country during the next fiscal. Similarly, monitoring of credit right from beginning using analytical tools and initiating corrective measures at stage of early warning signals shall improve quality of loan book. Your Bank is quite ahead in digital banking; nonetheless digital will cut across horizontally for all our initiatives providing cost effectiveness, service efficiency and convenience for our customers and employees alike. Investing in employee development will be yet another objective.

Your Bank is entering the new year with lot of hopes and energy for further strengthening the balance sheet. The way of doing business is changing for good and your Bank will continue to create value for all stakeholders.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अंगीकृत करने की परम्परा रही है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

1.3 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलत: सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन
- शेयरधारकों के साथ संबंध
- निदेशकों द्वारा प्रकटन
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि.

1.4 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का इस प्रकार अनुपालन करता है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी बैंक पर लागू होने वाले निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवीक्षा, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं.

2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं.

2.4 31 मार्च, 2018 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी व सीईओ) तथा तीन कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त नौ गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.5 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2018 निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप)
1	श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक)	06-07-2017	सीएससीबी आईटीएससी एनसी आरसी एससीएमएफ़ एससीआर एंड एएलएम एसआरसी	शून्य	5	3	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक तथा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रुप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 05.07.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नामित. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं :- i. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड ii.क्लेरिएंट केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड iii.ग्रीव्ज़ कॉटन लिमिटेड. iv. सलुस लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड. v. कौंसस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड.

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप)
							vi. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीएसआर फाउंडेशन vii. ओमसव फ़ार्मा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड viii.कोन्सटेलेशन अल्फा कैपिटल कॉर्प (नेस्डैक). ix. आर एम ड्रिप & स्प्रिंकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड. x. ओकनेट हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड.
2	श्री राजकिरण रै जी. एमडी व सीईओ (कार्यपालक)	01-07-2017	सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी डीपीसी डीपीसी-V एचआरएससीबी एमसीबी आरसीएनसीबी आरसीडबल्यूडीबी आरएमसीबी एससीएमएफ़ एससीआर एंड एएलएम	शून्य	0	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्त, 01.07.2017 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 30.06.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. वे यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं.
3	श्री विनोद कथूरिया कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	22-01-2016	सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरएमसीबी एससीआर एंड एएलएम एसआरसी एसटीसीबी	शून्य	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्त, दि.31.07.2018 अर्थात अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. वे यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं.
4	श्री राज कमल वर्मा कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	09-08-2016	एसीबी सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी डीपीसी एचआरएससीबी आईटीएससी एमसीबी	शून्य	2	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्त, दि.28.02.2019 अर्थात अधिवर्षिता की तारीख या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. वे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं.

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप)
			आरएमसीबी एससीएमएफ एससीआर एंड एएलएम एसआरसी एसटीसीबी				
5	श्री अतुल कुमार गोयल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	15-09-2016	सीएसी-I सीडीआरसीएफ सीईएसडी सीएससीबी सीएसआरसी एचआरएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरएमसीबी एससीआर एंड एएलएम एसआरसी एसटीसीबी	शून्य	1	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रुप में नियुक्ति से 3 वर्ष यथा दि.14.09.2019 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे. वे यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि. तथा स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं.
6	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	22-07-2016	एसीबी सीएससीबी डीपीसी डीपीसी-V एचआरएससीबी एनसी आरसी आरएमसीबी एससीएमएफ आईटीएससी	शून्य	1	0	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.
7	श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	06-07-2015	एसीबी डीपीसी-V एमसीबी आरसी ईडीसी	शून्य	1	0	केंद्र सरकार द्वारा भारिबैं की संस्तुति पर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रुप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे.
8	श्री राजीव कुमार सिंह सनदी लेखाकार निदेशक (गैर-कार्यपालक)	06-02-2018	एसीबी	शून्य	1	0	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के अधीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 05.02.2021 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नामित.

क्र. सं.	निदेशक का नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता #	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसी में अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरुप)
9	डॉ. के. रमेश अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक)	25-04-2016	सीईएसडी सीएसआरसी एमसीबी एनसी एससीएमएफ एससीआर एंड एएलएम एसआरसी	शून्य	1	1	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि यथा 24.04.2019 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नामित.
10	डॉ. मदुरा स्वामीनाथन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक)	27-12-2017	शून्य	शून्य	0	0	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि यथा 26.12.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रुप में नामित.
11	डॉ. आर.एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	सीएससीबी एचआरएससीबी एमसीबी आरसी आरसीडब्ल्यूडीबी एसआरसी	200	3	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुन: निर्वाचित. वह इन कंपनियों के निदेशक मंडल में भी निदेशक हैं : • अडानी ट्रांसमिशन लि. • गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
12	श्री जी. के. लाठ, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	आरसीएनसीबी एससीआर एंड एएलएम एससीएमएफ़ एसीबी आरसीडबल्यूडीबी सीईएसडी सीएसआरसी	100	1	1	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन, 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में पुन: निर्वाचित.
13	डॉ.उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	27-06-2015	सीएससीबी एचआरएससीबी आईटीएससी एमसीबी आरसी आरसीएनसीबी एससीआर एंड एएलएम	100	0	0	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन 27.06.2015 से 26.06.2018 तक 3 वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रुप में निर्वाचित.

#

एसीबी	-	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
सीएसी-I	-	साख अनुमोदन समिति-I
सीडीआरसीएफ	-	पूंजी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति
सीईएसडी	-	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव का निर्णय लेने हेतु समिति
सीएससीबी	-	बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
डीपीसी	-	निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी-V	-	अनुशासनिक कार्यवाही समिति- सतर्कता/गैर-सतर्कता
ईडीसी	-	निर्वाचन विवाद समिति
एचआरएससीबी	-	बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
आईटीएससी	-	बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
एमसीबी	-	बोर्ड की प्रबंध समिति
एनसी	-	नामांकन समिति
आरसी	-	पारिश्रमिक समिति
आरसीएनसीबी	-	गैर-सहयोगी उधारकर्ता के रुप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण हेतु समीक्षा समिति
आरसीडब्ल्यूडीबी	-	बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति
आरएमसीबी	-	बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
एससीएमएफ	-	रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति
एससीआर एंड एएलएम	-	जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआरसी	-	हितधारकों की संबंध समिति
एसटीसीबी	-	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति
सीएसआरसी	-	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

2.6 वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्तियां/कार्यकाल समापन:

नियुक्तियां : वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरुप	संक्षिप्त परिचय
1.	श्री राजकिरण रै जी.	55	01-07-2017	30-06-2020	बैंकिंग एवं वित्त	श्री राजकिरण रै जी. कृषि विज्ञान में स्नातक हैं एवं भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड़ सदस्य भी हैं. श्री रै को बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक से अधिक का अनुभव प्राप्त है. आपने अपने करियर की शुरुआत 1986 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि वित्त अधिकारी के रूप में की. जनवरी 2016 में आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए. आप केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरंस कं. लि. के बोर्ड पर भी कार्यरत रहे.
2.	श्री केवल हांडा	65	06-07-2017	05-07-2020	प्रबंधन एवं वित्त	श्री केवल हांडा एक योग्य प्रबंध लेखाकार एवं कंपनी सचिव हैं एवं आप वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं. आपने हावर्ड विश्वविद्यालय से फाइजर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं आईआईएम, अहमदाबाद से सीनियर मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम पूर्ण किया है. इसके साथ ही आपने कोलंबिया बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सर्टिफिकेट कोर्स किया है. आपको वित्त, वाणिज्य, रणनीति, कारोबार विकास, विलय और अधिग्रहण, बैंकिंग, कॉर्पोरेट मामलों का विविध अनुभव है और आपको श्रेडर स्कॉविल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड (एचएलएल), विद्युत ब्लेड और राज्य औद्योगिक निवेश निगम, महाराष्ट्र (एसआईसीओएम) जैसी कंपनियों में इंजीनियरिंग, उपभोक्ता और परियोजना वित्त जैसे क्षेत्रों में भी कार्य का अनुभव है. श्री हांडा वर्ष 2005 से 2012 तक फाइजर लिमिटेड, इंडिया के प्रबंध निदेशक थे, इससे पूर्व आपने फाइजर लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक-वित्त तथा वर्ष 2009 से 2012 तक वाईथ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं.

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरुप	संक्षिप्त परिचय
3.	डॉ. मदुरा स्वामीनाथन	57	27-12-2017	26-12-2020	अर्थशास्त्र	डॉ. मदुरा स्वामीनाथन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की है. आप एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष तथा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बेंगलोर के इक्नोमिक्स एनालिसिस यूनिट की प्राध्यापक एवं प्रमुख हैं.
4.	श्री राजीव कुमार सिंह	49	06-02-2018	05-02-2021	वित्त	श्री राजीव कुमार सिंह भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान(आईसीएआई) के फ़ेलो सदस्य, सूचना प्रणाली के प्रमाणित लेखापरीक्षक(यूएसए) तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्था (आईसीएआई) से मूल्यांकक हैं. आप कारोबार के मूल्यांकन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट वित्त और रणनीति, विलयन और अधिग्रहण, रीस्ट्रक्चरिंग, विदेशी विनिमय जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और मूल्यांकन के साथ-साथ आर्थिक हर्जाने से संबंधित मुकदमेबाजी के विशेषज्ञ हैं.

कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2017 -18 के दौरान पूर्ण हुआ:

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1.	श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30-06-2017	कार्यकाल पूर्ण

2.7 निदेशकों का परस्पर संबंध:

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं है.

2.8 निदेशकों की समिति सदस्यता:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है.

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है.

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2018 का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम #	सदस्य/अध्यक्ष
1	श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड 2. मुक्ता आर्ट्स लिमिटेड 3. ग्रीव्ज़ कॉटन लिमिटेड 4. क्लेरिएंट केमिकल्स (इंडिया) लिमिटेड 5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसी एसीबी एसीबी एसआरसी	अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष सदस्य सदस्य
2	श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
3	श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी एसीबी	सदस्य सदस्य
4	श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	सदस्य
5	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
6	श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
7	डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसी	अध्यक्ष

8	श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
9	डॉ.आर.एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	1. अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 2. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसीबी एसआरसी	सदस्य अध्यक्ष सदस्य
10	श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	अध्यक्ष

2.9 **निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का ब्यौरा:** निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की बेवसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx

3. वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयरधारकों की 15वीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार, दिनांक 23 जून, 2017 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री विनोद कथूरिया	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री राज कमल वर्मा	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री अतुल कुमार गोयल	कार्यपालक निदेशक
5.	श्री जी.के. लाठ	शेयरधारक निदेशक, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष और हितधारकों की संबंध समिति के सदस्य,

4. निदेशक मंडल की बैठकें :

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का ब्यौरा:

क्र	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख	निदेशक मंडल में निदेशकों की कुल संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या
1.	25.04.2017	10	6
2.	28.04.2017	10	8
3.	08.05.2017	10	10
4.	19.05.2017	10	9
5.	22.06.2017	10	8
6.	29.06.2017	10	8
7.	27.07.2017	11	10
8.	10.08.2017	11	10
9.	29.08.2017	11	8
10.	28.09.2017	11	11
11.	27.10.2017*	11	10
12.	27.10.2017	11	10
13.	03.11.2017	11	11
14.	11.12.2017	11	9
15.	08.01.2018	12	10
16.	02.02.2018*	12	11
17.	02.02.2018	12	11
18.	03.02.2018	12	10
19.	20.02.2018*	13	10
20.	27.02.2018	13	11
21.	16.03.2018	13	11

* रणनीति बैठक

निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक #	6	6
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक #	15	15
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	15	15
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	21	19
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	21	20
श्री अतुल कुमर गोयल, कार्यपालक निदेशक	21	19
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार नामित निदेशक	21	16
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	21	8
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	21	21
डॉ. मदुरा स्वामीनाथन, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	7	6
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	3	3
डॉ. आर.एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	21	19
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	21	17
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	21	18

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत दिनांक 06.07.2017 से श्री केवल हांडा, को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मंडल ने कारपोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं. महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशक की पर्यवेक्षण समिति (एससीआर एवं एएलएम)
4. ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
6. निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)
7. निदेशकों की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
8. हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)
9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
10. नामांकन समिति (एनसी)
11. पारिश्रमिक समिति (आरसी)
12. निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
13. निदेशकों की अनुशासनिक कार्यवाही समिति-सतर्कता/गैर सतर्कता (डीपीसी-V)
14. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
15. ऋणी को गैर सहयोगी ऋणी वर्गीकृत करने के लिए बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)
16. बैंक के जानबूझ कर चूककर्ताओं की समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)
17. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव का निर्णय लेने हेतु समिति (सीईएसडी)
18. चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)
19. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी-I)
20. पूंजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में यथा 31.03.2018 को निम्नलिखित सदस्य शामिल है: -

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3)(सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3)(ई),(एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर प्रत्येक छ: माह की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/अपलेखन प्रस्ताव, साख अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है.

5.1.3 एमसीबी बैठकों की उपस्थिति :

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति की 24 बैठकें आयोजित हुईं, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के अध्यक्ष #	7	7
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष #	17	17
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	24	20
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	24	23
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	24	22
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक	24	11
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	24	22
डॉ. आर.एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	24	20
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	24	15

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी, को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं :

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी
- भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती, एवं

- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यत: सनदी लेखाकार निदेशक होना चाहिए.

अन्य कार्यपालक निदेशक/कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो.

श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक जो सनदी लेखाकार हैं समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा.

5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-
    - अंतर-शाखा समायोजन खाते
    - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
    - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
    - धोखाधड़ी.
    - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.
3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

5.2.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति :

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 12 बैठकें हुई एवं उपस्थिति विवरण निम्नानुसार है :-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक, समिति के अध्यक्ष	12	12
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	5	5
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	12	12
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	12	10
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं नामित निदेशक	12	6
श्री राजीव कुमार सिंह, सनदी लेखाकार निदेशक	1	1

5.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एंड एएलएम)

5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति गठित की है. समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक एवं
- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक.

श्री केवल हांडा, बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है

5.3.3 एससीआर एवं एएलएम समिति की उपस्थिति :

वर्ष 2017 -18 में समिति की 5 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष #	1	1
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष #	4	4
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	4	3

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	5	5
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	5	4
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	3	3
डॉ आर. एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	5	5
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	3

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री केवल हांडा, को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.4 ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा/अंतर बैंक खातों,बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

श्री केवल हांडा, बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.4.2 कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य ₹1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना.
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना.
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना.
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना.
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना.

5.4.3 एससीएमएफ बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2017 -18 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के अध्यक्ष #	1	1
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष #	3	3
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	3	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	1
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	4	4
डॉ आर. एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	2	2

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री केवल हांडा, को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन

के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी हैं. यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना.

5.5.3 आरएमसीबी बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2017 -2018 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के अध्यक्ष #	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष #	3	3
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	4	2
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी., को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

5.6.1 संघटन :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक

सेवा समिति गठित की गयी है. समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक सहित चार गैर कार्यपालक निदेशक

इनके अतिरिक्त, इन बैठकों में आंतरिक लोकपाल तथा दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इस समिति के अध्यक्ष हैं.

5.6.2 कार्य:

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

i. सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना.

ii. मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाना तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना

iii. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना

5.6.3 सीएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई जिसमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, समिति के अध्यक्ष #	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष #	3	3
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष	2	2
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	2
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2
डॉ आर. एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	2	1
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	2	2
डॉ. एस. रविंद्रनाथ, विशेष आमंत्रित	4	4
डॉ. एस. जगन्नाथन, विशेष आमंत्रित	4	3

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी., को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.7 बोर्ड की एचआर उप-समिति (एचआरएससीबी)

5.7.1 संघटन :

समिति में 'अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक' अब 'प्रबंध निदेशक एवं सीईओ', कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा

नामित कोई दो निदेशक होते हैं. इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रुप में भाग लेते हैं.

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ इस समिति के अध्यक्ष हैं.

5.7.2 कार्य:

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और समीक्षा:

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति.
   - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
   - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
   - उत्तराधिकार की योजना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
   - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
   - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
   - पुरस्कार व प्रोत्साहन
   - पदोन्नति
   - तैनाती
4. प्रशिक्षण
   - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
   - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/ पुनश्चर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

5.7.3 एचआरएससीबी बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष #	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, अध्यक्ष #	3	3
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4
डॉ. आर.एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	4	4
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	4	2

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी., को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.8 हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी)

5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) गठित की गयी है.

डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर- कार्यपालक निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.8.2 कार्य :

यह समिति बैंक के प्रतिभूति धारकों की शेयर अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाण पत्र, लाभांश आदि की अप्राप्ति के संबंध में शिकायतों का अनुश्रवण करती है.

5.8.3 एसआरसी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	4	4
डॉ. आर.एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	2	2
श्री जी.के.लाठ, शेयरधारक निदेशक	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	2	1

5.8.4 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में श्री दीपक डी. संघवी को उनके सेवानिवृत्ति 30.11.2017 तक निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया था. उनके सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री मंगेश मांद्रेकर को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया.

5.8.5 वर्ष 2017-18 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

31.03.2018 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में 31.03.2017 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है:-

विवरण		31.03.18 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.17 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	2
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	231	249
सी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	231	251
डी.	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0

5.9 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

5.9.1 संघटन

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है. समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- कार्यपालक निदेशकगण
- सरकार द्वारा नामित निदेशक (28.09.2017 से समिति में शामिल)
- दो गैर-कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- एक बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, महाप्रबंधक)

डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

5.9.2 कार्य

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है.
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक-संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है.
- सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है.
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों.
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना.
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना.
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना.
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना.
- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ-जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो.
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं.
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना.
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए.

5.9.3 आईटीएससी बैठकों में उपस्थिति:

2017-18 के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक, समिति के अध्यक्ष	4	4
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	4	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	4	4
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	4	3
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	0
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	2	2

5.10 नामांकन समिति (एनसी)

5.10.1 संघटन:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट ''योग्य

एवं उपयुक्त'' मानदंड निर्धारित किए हैं. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने शेयरधारक निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण हेतु समुचित सावधानी प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन किया है, जिसमें तीन गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल किये गए हैं.

5.10.2 कार्य:

- समुचित सावधानी के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित शेयरधारक निदेशकों की ''योग्य एवं उपयुक्त'' स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) अनुभव एवं क्षेत्र की विशेषज्ञता (iii) ट्रैक रिकॉर्ड एवं सत्यनिष्ठा का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक/प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार/नियामक एजेंसी के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर यह समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या न करने का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी/ व्यक्तियों से संदर्भ प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

5.10.3 एनसी बैठकों में उपस्थिति:

2017-18 के दौरान समिति की 1 बैठक हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री केवल हांडा, अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, समिति के अध्यक्ष	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1	1

श्री केवल हांडा, बैंक के गैर कार्यपालक अध्यक्ष एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक हैं, जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं.

5.11 पारिश्रमिक समिति (आरसी)

5.11.1 संघटन:

भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना घोषित की है. भारत सरकार की सूचना के अनुसार बोर्ड की एक उप समिति बनाई गई है, जिसे ''पारिश्रमिक समिति'' कहा गया है. समिति के गठन में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया है:

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

5.11.2 कार्य:

भारत सरकार के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

5.11.3 आरसी बैठकों में उपस्थिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक. एफ.नं.12/1/2014-बीओए दिनांक 18.08.2015 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 से सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन हेतु प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक में परिवर्तन किया गया है तथा विस्तृत कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के आधार पर सचिव (वित्तीय सेवाएँ) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा. इसलिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन को तय करने में पारिश्रमिक समिति की अब कोई भूमिका नहीं है. अत: वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

5.12 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

5.12.1 संघटन:

भारत सरकार ने अपने पत्रांक एफ.नं.4/3/1/2012-आईआर दिनांक 08.12.2016 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को बोर्ड की सहमति से पदोन्नति प्रक्रिया के लिए चयन समिति की संरचना तय करने की स्वायत्तता प्रदान की है. बोर्ड निदेशकों ने समिति के गठन को निम्नानुसार अनुमोदित किया है-

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- एचआर पोर्टफोलियो की देखरेख करने वाले कार्यपालक निदेशक
- डोमेन जानकारी रखने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ (स्वतंत्र सदस्य)

दिनांक 27.02.2018 को निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया गया

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा अनुमोदित एचआर पोर्टफोलियो की देखरेख करने वाले कार्यपालक निदेशक या सरकार द्वारा नामित निदेशक
- डोमेन जानकारी वाले एक बाहरी विशेषज्ञ
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिज़र्व बैंक से सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक के अलावा किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के सीएमडी/ईडी/एमडी एवं सीईओ के पद से सेवानिवृत्त एक अतिरिक्त स्वतंत्र सदस्य.

5.12.2 कार्य:

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन वर्ग वेतनमान VII में चयन/अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

5.12.3 डीपीसी बैठकों में उपस्थिति:

2017-18 के दौरान समिति की एक बैठक हुई और उसमें निम्नलिखित उपस्थिति रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
डोमेन जानकारी वाले एक बाहरी विशेषज्ञ	1	1
अतिरिक्त स्वतंत्र सदस्य	1	1

5.13 अनुशासनिक कार्यवाही समिति-सतर्कता/ गैर-सतर्कता (डीपीसी-V)

5.13.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक की अनुशासनिक कार्यवाही समिति-सतर्कता/गैर सतर्कता को यह निर्देश दिया है कि अर्ध वार्षिक आधार पर सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों व विभागीय जांच की समीक्षा की जानी चाहिए. इस समिति में निम्न सदस्य हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

5.13.2 कार्य:

यह समिति सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है.

5.13.3 डीपीसी-V बैठकों में उपस्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 2 बैठकें संपन्न हुई, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, समिति के अध्यक्ष #	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष #	1	1
डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2
श्री अनिल कुमार मिश्रा, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	2	2

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी., को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.14 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.14.1 संघटन:

इस समिति में कार्यपालक निदेशकों, मुख्य अनुपालन अधिकारी/ मुख्य वित्तीय अधिकारी और महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/सहायक महा प्रबंधक-बोर्ड सचिव शामिल हैं.

5.14.2 कार्य:

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

5.14.3 एसटीसीबी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष के दौरान, समिति ने शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 35 बैठकें आयोजित की.

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक, समिति के अध्यक्ष	35	29
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	35	32
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	35	33
पदवार उपस्थिति		
मुख्य वित्तीय अधिकारी	3	3
मुख्य अनुपालन अधिकारी	32	26
महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक-बोर्ड सचिव	35	32

5.15 असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी)

5.15.1 संघटन:

अनुमोदन समिति द्वारा पारित असहयोगी उधारकर्ता के वर्गीकरण पर आदेशों की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर उधारकर्ता के असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकरण पर बोर्ड की समीक्षा समिति का गठन किया गया है. समिति में शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं, जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं.

5.15.2 कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की

रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा.

- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा.
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है.

5.15.3 आरसीएनसीबी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

5.16 बैंक के जानबूझकर चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी)

5.16.1 संघटन:

जानबूझकर चूककर्ताओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जानबूझकर चूककर्ताओं पर समीक्षा समिति का गठन किया गया है. समिति में शामिल हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- दो स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक)

5.16.2 कार्य :

जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण पर कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा समीक्षा व पारित आदेश की पुष्टि.

5.16.3 आरसीडब्ल्यूडीबी बैठकों में उपस्थिति:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष #	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष #	4	4
डॉ. आर.एच. ढोळकिया, शेयरधारक निदेशक	5	5
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	2	2
डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक	3	3

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी., को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.17 शेयरधारक निदेशकों के चुनाव पर निर्णय के लिए बोर्ड की समिति- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मतदान (सीईएसडी)

5.17.1 संघटन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थानों सहित अन्य कंपनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इक्विटी शेयर धारण करते हैं. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अन्य कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में बोर्ड की एक समिति का गठन करना होता है. समिति में शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- बोर्ड द्वारा नामित दो अन्य सदस्य

5.17.2 कार्य:

सभी बिन्दुओं अर्थात विभिन्न उम्मीदवारों की शिक्षा, अनुभव, प्रोफाइल एवं पृष्ठभूमि सहित सभी तथ्यों पर विचार करने के उपरांत चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने पर एक निर्णय लिया जाएगा. इसके साथ ही, पीएसबी के शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में बैंक के संदर्भ में आवश्यक विशेषज्ञता को भी ध्यान में रखा जाएगा.

5.17.3 सीईएसडी बैठकों में उपस्थिति

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

5.18 चुनाव विवाद समिति (ईडीसी)

5.18.1 संघटन:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एवं बैठकें) विनियमन, 1998 के अनुसार शेयरधारक निदेशक के चयन में योग्यता या अयोग्यता अथवा चुने जाने की घोषणा या चुनाव की वैधता आदि के विषय में कोई संदेह या विवाद होने पर उसे निर्णय के लिए चुनाव विवाद समिति के पास भेजा जायेगा. समिति में शामिल होंगे :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप - धारा (3) के खण्ड (बी) और (सी) के तहत नामित कोई दो निदेशक.

5.18.2 कार्य:

चुनाव विवाद समिति, आवश्यकता के अनुसार जांच करेगी और यदि यह पाती है कि वह चुनाव, वैध चुनाव था, तो वह घोषित चुनाव के परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे लगे कि चुनाव वैध नहीं था तो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समिति जांच प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर तदनुसार आदेश पारित करेगी, साथ नए सिरे से चुनाव कराने सहित इस प्रकार के आदेश जारी करेगी.

5.18.3 ईडीसी बैठकों में उपस्थिति:

आवश्यकता के अनुसार बैठक का आयोजन किया जाता है. चूँकि इस संबंध में कोई आवश्यकता नहीं रही, अत: वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

5.19 ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी-I)

5.19.1 संघटन:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण अनुमोदन समिति-I का गठन किया है. हमारे बैंक में यह समिति ₹400 करोड़ तक के किसी एक ऋण प्रस्ताव तथा ₹800 करोड़ तक के समूह ऋणों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी और यदि ऋण इस सीमा से अधिक है, तो बोर्ड की प्रबंधन समिति इस पर विचार करेगी. सीएसी-I में निम्न शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

5.19.2 कार्य:

अग्रिम से संबधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा-नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव, जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-I में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं.

5.19.3 सीएसी-I की बैठकों में उपस्थिति :

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 26 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष #	6	6
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष #	20	20
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	26	20
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	26	25
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	26	23
पदवार उपस्थिति		
महाप्रबंधक प्रभारी ऋण	26	26
महाप्रबंधक प्रभारी वित्त / सीएफओ	26	24
महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन	26	26

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी., को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.20 पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीईएफ)

5.20.1 संघटन:

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूंजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं.

5.20.2 कार्य:

समिति को पूंजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित है, करने के लिए प्राधिकार है. लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम(मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं. बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन है.

5.20.3 सीडीआरसीएफ बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 9 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष #	1	1
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष #	8	8
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	9	9
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	9	9
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	9	5

दिनांक 30.06.2017 तक श्री अरुण तिवारी इस समिति के अध्यक्ष रहे और तदुपरांत श्री राजकिरण रै जी., को इस समिति का अध्यक्ष चुना गया.

5.21 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति (सीएसआरसी)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति का उद्देश्य बोर्ड तथा बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति को पूरा करने में सहायता करना है.

5.21.1 संघटन:

समिति में निम्नलिखित शामिल है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित कोई एक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक

- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत चुने गए एक शेयरधारक निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं, जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं.

5.21.2 कार्य:

- निदेशक मण्डल को सीएसआर नीति तैयार कर अनुशंसित किया जाना एवं आगे की जाने वाली गतिविधियों का संकेत करना.
- परियोजनाओं का अनुमोदन सीएसआर नीति के तहत समिति द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या अन्य ऐसी इकाई/संस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए.
- महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के प्रयोग की समीक्षा तिमाही आधार पर करना. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य निष्पादन का तिमाही आधार पर समीक्षा करना.

5.21.3 सीएसआरसी बैठकों में उपस्थिति:

वर्ष 2017-18 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई और उनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, समिति के अध्यक्ष	3	3
श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक	3	3
श्री राज कमल वर्मा, कार्यपालक निदेशक	3	2
श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक	3	3
डॉ. के. रमेश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	3	3
श्री जी.के. लाठ, शेयरधारक निदेशक	3	3

6. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
बारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2014 प्रात: 11.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	1. ₹192.83 के प्रीमियम पर ₹202.83 की दर से ₹111 करोड़ के कुल 11.10 करोड़ पीएनसीपीएस (पर्पेचुयल नॉन-संचयी अधिमानी शेयर) शेयरों को परिवर्तन के द्वारा वरीयता आधार पर भारत सरकार को 54,72,563 इक्विटी शेयर जारी करना. 2. अर्हता प्राप्त संस्थागत नियोजन के माध्यम से ₹1,386 करोड़ से अधिक राशि के इक्विटी शेयर जारी करना.
तेरहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	26 जून, 2015 प्रात: 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	1. एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी आदि के माध्यम से ₹3,700 करोड़ तक (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) पूंजी में वृद्धि करना. 2. बैंक के शेयरधारकों में से केंद्र सरकार के अलावा तीन निदेशकों का चुनाव करना.
असाधारण सामान्य बैठक	18 सितम्बर, 2015 प्रात: 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	₹199.05 प्रीमियम के साथ ₹209.05 की दर पर एवं कुल मिलाकर ₹1080 करोड़ तक के 5,16,62,281 इक्विटी शेयर जारी करना.
चौदहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	27 जून, 2016 प्रात: 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर,प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी आदि के जरिए ₹3200 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
असाधारण सामान्य बैठक	23 फरवरी, 2017 प्रात: 11.00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम.कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	1. ₹128.76 के प्रीमियम सहित ₹138.76 की दर से ₹541 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 3,89,88,181 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना. 2. ₹128.76 के प्रीमियम सहित ₹138.76 की दर से ₹180 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 1,29,72,038 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.

पंद्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	23 जून, 2017 प्रात: 11.30 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर,प्राचार्य के.एम.कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.	ऑफर दस्तावेज़/ प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी/अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹4950 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
असाधारण सामान्य बैठक	16 मार्च, 2018 प्रात: 11.00 बजे	वाई. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथ भोसले मार्ग, मंत्रालय के विपरीत, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र-400 021.	₹134.62 के प्रीमियम सहित ₹144.62 की दर से ₹4524 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 31,28,19,803 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.

7. प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी दिशानिदेशों/ परिपत्रों से बैंक संचालित होता है.

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधान उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं, परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय हैं, पर उस सीमा तक ही लागू होंगे कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो.

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं.

बैठक शुल्क (फीस):

बैठक में भाग लेने की फीस का निर्धारण राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17(1)/16(1) की शर्तों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को छोड़कर, सभी गैर कार्यकारी निदेशकों को सरकार की अधिसूचना क्र.15/1/2011-बीओ.I दिनांक 20-07-2015 के अनुसार, बैठकों के लिए फीस का भुगतान किया जाता है.

बोर्ड की बैठकें	-	₹20,000/- प्रति बैठक.
समिति की बैठकें	-	₹10,000/- प्रति बैठक.

उक्त जानकारी बैंक की वेब साइट पर भी, निम्न लिंक के तहत उपलब्ध है :

http ://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx

यात्रा एवं विराम भत्ता:

अपने लिये पात्र फीस के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा.

7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन:

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो.

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/ फर्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है.

7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन:

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक फीस के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है.

7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम:

बैंक ने 16.03.2018 को आयोजित विशेष सामान्य बैठक में अधिमानी आधार पर भारत सरकार को ₹4524 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए शेयरधारकों से अनुमति प्राप्त की है. बैंक को भारत सरकार से 27.03.2018 को ₹4524 करोड़ कैपीटल इंफ्यूशन शेयर आवेदन राशि के रूप में प्राप्त हुई है. तदनुसार, बैंक ने ₹10 प्रति शेयर अंकित मूल्य वाले ₹134.62 के प्रीमियम सहित ₹144.62 की दर से नकदी आधार पर कुल 31,28,19,803 (इकतीस करोड़ अठाइस लाख उन्नीस हजार आठ सौ तीन) इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी कर आबंटित किया.

बैंक ने समय-समय पर प्रोमिसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के स्वरूप में प्रतिभूति-रहित अपरिवर्तनीय बॉण्ड जारी किए हैं. रिपोर्ट के अनुच्छेद 9.1 में संबंधित ब्यौरा का उल्लेख किया गया है.

7.5 दंड या आक्षेप :

गत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

7.6 व्हिसिल ब्लोअर नीति :

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है :

https ://www.unionbankofindia.co.in/PageMenuDocs/whistleblowerpolicy.pdf.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है.

7.7 महत्वपूर्ण सहायक निर्धारण की नीति:

सेबी (सूचीयन बाध्यता और प्रकटन अपेक्षा) विनियम 2015 के विनियम 46(2)(एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरुपित की है तथा इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है.

https://www.unionbankofindia.co.in/pagemenudocs/MaterialSubsidiaryPolicy.pdf

हालाकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है.

7.8 संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति:

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संव्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संव्यवहार नीति निरुपित की गयी है. इस तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है.

https://www.unionbankofindia.co.in/pagemenudocs/RelatedPartyTransactionPolicy.pdf

7.9 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण:

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7.10 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट

बैंक ने संबंधित तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई एवं एनएसई को प्रस्तुत किया.

7.11 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार

बैंक ने सूचियन विनियम के उप-विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया हैं.

8 संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये गये हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं.

9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 बैंक के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है: -

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों शेयर एक्सचेंज को 30 अप्रैल, 2018 से पूर्व कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में अरक्षित गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2018 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

शृखंला	मात्रा (₹करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
बॉण्ड सिरीज़ XI- प्रथम खंड (लोअर टियर II)	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35% पर स्थिर	आईएनई692ए09134
बॉण्ड सिरीज़ XII (परपेचुयल)	200	09.09.2008	स्थाई	11.15% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 11.65% तक यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692ए09159
बॉण्ड सिरीज़ XII (लोअर टियर II)	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95% पर स्थिर	आईएनई692ए09167
बॉण्ड सिरीज़ XII (लोअर टियर II)	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50% पर स्थिर	आईएनई692ए09175
बॉण्ड सिरीज़ XII (लोअर टियर II)	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60% पर स्थिर	आईएनई692ए09183
बॉण्ड सिरीज़ XII (परपेचुयल)	140	30.03.2009	स्थाई	9.10% 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.60% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692ए09191
बॉण्ड सिरीज़ XIV-ए (परपेचुयल)	200	16.06.2009	स्थाई	8.85% 10वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.35% यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692ए09209
बॉण्ड सिरीज़ XIV-बी (अपर टियर II)	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	8.65% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 9.15%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692ए09217
बॉण्ड सिरीज़ XIV-सी (अपर टियरII)	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	8.55% 10 वर्ष तक, 10वर्ष के उपरांत 9.05% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692ए09225
बॉण्ड सिरीज़ XV-ए (अपर टियर II)	500	28.06.2010	15 वर्ष 28.06.2025	8.48% 10 वर्ष तक, 10 वर्ष के उपरांत 8.98% तक, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई692ए09233

शृखंला	मात्रा (₹करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
बॉण्ड सिरीज़ XVI-बी (लोअर टियर II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	आईएनई692ए09241
बॉण्ड सिरीज़ XVII-ए (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%	आईएनई692ए09266
बॉण्ड सिरीज़ XVIII (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%	आईएनई692ए09274
बॉण्ड सिरीज़ XIX (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	1000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692ए08011
बॉण्ड सिरीज़ XX (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	1000	15.09.2016	स्थाई	9.50% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692ए08029
बॉण्ड सिरीज़ XXI (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	1000	04.11.2016	स्थाई	9.00% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692ए08037
बॉण्ड सिरीज़ XXII (बासल III अनुपालन टियर II बॉन्ड)	750	24.11.2016	24.11.2026	8.00%	आईएनई692ए08045
बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड-1 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	250	29.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692ए08052
बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड-2 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	750	30.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692ए08060
बॉण्ड सिरीज़ XXIII खण्ड-3 (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	500	31.03.2017	स्थाई	9.10% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692ए08078
बॉण्ड सिरीज़ XXIV (बासल III अनुपालन अतिरिक्त टियर I बॉन्ड)	500	03.05.2017	स्थाई	9.08% मांग विकल्प का उपयोग आबंटन तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके उपरांत किसी भी कूपन भुगतान तारीख से परिपक्वता तक	आईएनई692ए08086
कुल	**12,790**				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2018-19 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का अग्रिम भुगतान कर दिया है.

9.2 लाभांश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुरूप, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में संवर्धन हेतु लाभ बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल ने वर्ष 2017-18 के लिए लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय लिया है.

9.3 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	गुरूवार, 10 मई, 2018
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	बुधवार, दि.27 जून, 2017 को प्रात: 11.30 बजे रामा एंड सुन्दरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	सोमवार, 4 जून, 2018 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	21 जून, 2018 से 27 जून, 2018
ई-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि	23 जून, 2018 से 26 जून, 2018

9.4 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2018 -19 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	06 अगस्त, 2018 तक
30 सितंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	06 नवम्बर, 2018 तक
31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	08 फरवरी, 2019 तक
31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	12 मई, 2019 तक

9.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण, विधिवत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर कर दिया जाए. बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है.

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा मेसर्स डाटामेटिक बिज़नेस सोल्यूशंस लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स डाटामेटिक फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड के नाम से प्रचलित) को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/आवेदन/शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं.

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) **मेसर्स डाटामैटिक्स बिज़नेस सोल्यूशंस लिमिटेड** यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट नंबर बी-5, पार्ट बी क्रॉसलेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 093 फोन- 022-66712001-6 फैक्स- 022-66712011 ई-मेल: ubiinvestors@datamaticsbpm.com	**कंपनी सचिव** निवेशक सेवाएं प्रभाग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021. फोन-(022)2289 6636 फ़ैक्स-(022)22025238 ई-मेल: investorservices@unionbankofindia.com

9.6 अन्य सूचनाएं:

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

I. छमाही कार्यनिष्पादन

II. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी पहल के अनुरूप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण अनुकूल पहल कार्यान्वित करना.

9.7 शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन कोड, आईएनई692ए01016 है.

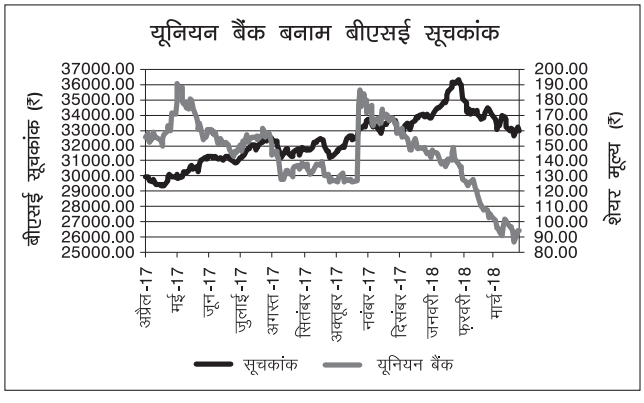
अत: यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का खरीद-बिक्री केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा. 31.03.2018 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	57,787	1,26,23,544	1.08
डीमैट			
एनएसडीएल	1,08,057	34,24,95,865	29.31
सीडीएसएल	81,189	81,34,53,972	69.61
कुल	**2,47,033**	**116,85,73,381**	**100.00**

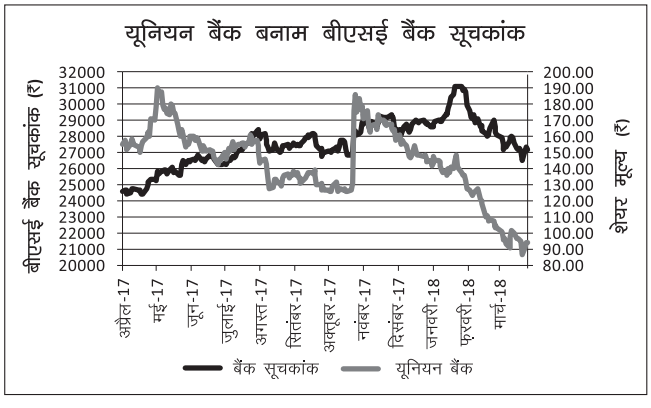
इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान किया है. शेयर पूंजी के मिलान के दौरान सदस्यों की बहियों के अद्यतनीकरण/रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान हुआ है.

9.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में खरीद-बिक्री किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सूचकांक	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)
अप्रैल,17	172.40	148.10	10678114	173.00	147.80	69376689	30,184.22	29,241.48
मई,17	205.00	149.70	17440155	205.10	149.75	150899168	31,255.28	29,804.12
जून,17	162.75	140.45	8153451	162.70	140.20	61307204	31,522.87	30,680.66
जुलाई,17	162.70	145.10	10784617	162.70	146.00	65120062	32,672.66	31,017.11
अगस्त,17	159.25	124.25	9209048	159.20	124.00	85678667	32,686.48	31,128.02
सितम्बर,17	141.00	125.75	6157325	140.00	125.70	60677986	32,524.11	31,081.83
अक्टूबर,17	196.05	123.80	14650399	196.05	123.70	118101612	33,340.17	31,440.48
नवम्बर,17	184.80	160.60	14863231	184.00	160.60	99368019	33,865.95	32,683.59
दिसम्बर,17	165.10	140.45	7050526	164.90	140.55	71290840	34,137.97	32,565.16
जनवरी,18	152.20	134.15	10078043	151.80	134.10	103373305	36,443.98	33,703.37
फरवरी,18	137.35	99.50	17185984	137.40	99.50	168575929	36,256.83	33,482.81
मार्च,18	105.95	85.95	20207622	105.85	86.00	208875322	34,278.63	32,483.84
31.03.2018 को अन्तिम मूल्य	₹94.10			₹94.00				
बाजार पूंजीकरण	₹10,996.28 करोड़			₹10,984.59 करोड़				



* स्रोत-एनएसई/बीएसई वेबसाइट (www.nseindia.com/www.bseindia.com)



* स्रोत-एनएसई/बीएसई वेबसाइट (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

9.9 शेयरधारिता का वितरण :

बैंक में सरकार की शेयरधारिता ₹10 प्रति शेयर वाले 78.79 करोड़ इक्विटी शेयरों की है, जो ₹1168.57 करोड़ की कुल जारी पूंजी में ₹787.91 करोड़ है. दिनांक 31.3.2018 तथा 31.3.2017 को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है:

शेयरधारिता	यथा 31/03/2018				यथा 31/03/2017			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500तक	2,18,734	88.54	3,10,15,108	2.61	2,16,474	89.68	3,02,92,802	4.41
501से1000	19,305	7.82	1,34,08,329	1.14	18,017	7.46	1,23,15,508	1.79
1001से2000	5,394	2.18	77,34,706	0.67	4,334	1.80	61,36,488	0.89
2001से3000	1,402	0.57	35,33,509	0.30	1,003	0.42	25,21,023	0.37
3001से4000	574	0.23	20,60,120	0.18	399	0.17	14,28,312	0.21
4001से5000	362	0.15	16,99,278	0.14	248	0.10	11,64,346	0.17
5001से10000	588	0.24	42,55,951	0.36	387	0.16	27,80,782	0.40
10001से अधिक	674	0.27	110,48,66,380	94.61	507	0.21	63,08,01,856	91.76
कुल	**2,47,033**	**100.00**	**116,85,73,381**	**100.00**	**2,41,369**	**100.00**	**68,74,41,117**	**100.00**

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- है.

9.10 शेयरधारिता का पैटर्न:

दिनांक 31.3.2018 तथा 31.03.2017 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा:-

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31/03/2018		यथा 31/03/2017	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारत सरकार	78,79,14,581	67.43	43,61,06,597	63.44
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/एनआरआई)	6,00,17,340	5.14	3,55,32,068	5.17
बैंक/वित्तीय संस्थान/ बीमा कं.	13,37,09,328	11.44	7,70,27,187	11.20
म्युच्युअल फंड/यूटीआई	9,87,29,653	8.45	6,60,29,658	9.61
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	1,73,27,912	1.48	1,30,70,096	1.90
निवासी भारतीय	7,08,74,567	6.06	5,96,75,511	8.68
कुल	**116,85,73,381**	**100.00**	**68,74,41,117**	**100.00**

9.11 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2018 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम की सूची इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का%
1	भारत के राष्ट्रपति	78,79,14,581	67.43
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	11,33,23,195	9.70
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- एचडीएफसी मिड कैप अपारच्यूनिटीज फंड	3,97,29,328	3.40
4	आईसीआईसीआई प्रुडेनशियल बैलेन्स्ड एडवांटेज फ़ंड	2,90,54,141	2.49
5	आईडीएफ़सी स्टरलिंग इक्विटी फंड	79,87,744	0.68
6	दि न्यू इंडिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड	74,57,257	0.64
7	नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक पीएलसी एज़ ट्रस्टी ऑफ द जुपिटर इंडिया फंड	59,70,278	0.51
8	गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल	54,70,270	0.47
9	यूटीआई मिड कैप फंड	53,31,264	0.46
10	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	51,58,427	0.44
	कुल	**1,00,73,96,485**	**86.21**

9.12 अदावाकृत/अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है:

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का %	अंतरण की प्रस्तावित तिथि
लाभांश 2010-11	80%	08-08-18
लाभांश 2011-12	80%	06-08-19
लाभांश 2012-13	80%	06-08-20
अंतरिम लाभांश 2013-14	27%	18-02-21
अंतिम लाभांश 2013-14	13%	05-08-21
लाभांश 2014-15	60%	05-08-22
लाभांश 2015-16	19.50%	08-08-23

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

9.13 अदावाकृत शेयर :

ए) डीमैट रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका (पहले सूचीयन करार 5 ए-I) के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफ़पीओ के समय आबंटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2017 को शेष	225	27,496
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	3	463
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	3	463
31.03.2018 को डीमैट उचंत खाते में शेष	222	27,033

ऊपर बताए गए 27,033 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

बी) भौतिक रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2015 की अनुसूची VI अर्थात अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका (पहले सूचीयन करार 5 ए-II) के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आबंटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं:

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2017 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2018 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ऊपर बताए गए 600 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

10 सूचीबद्ध विनियमन के स्वनिर्णयगत अपेक्षा के अनुपालन की स्थिति:

क्रमांक	गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1.	**निदेशक मंडल** एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है.	भारत सरकार द्वारा श्री केवल हांडा की बैंक निदेशक मण्डल के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, अत: अनुपालन किया गया है.
2.	**शेयरधारकों के अधिकार** विगत छ: माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
3.	**लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत** कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अत: इसका अनुपालन हुआ है.
4.	**अध्यक्ष एवं सीईओ के अलग-अलग पद** कंपनी द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/ सीईओ नियुक्त किया जा सकता है .	अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पदों को अलग कर दिया गया है, अत: अनुपालन किया गया है.
5.	**आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरीक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है. हालाकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फ्लैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है.

11 आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

राजकिरण रै जी

(श्री राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 मई, 2018

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 Union Bank of India has a tradition of adopting good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders' value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these objectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of major risks of the Bank's business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

1.3 Keeping in view the best practices, the Board has framed a code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the Bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like:

- Procedures for Board and its various Committees
- Compliance
- Relation with shareholders
- Disclosures by Directors
- Corporate Social Responsibility and
- Other miscellaneous issues viz. Code of Conduct, Prohibition of Insider Trading, Related Party Transaction Policy, Whistle Blower Policy, Staff Related Matters, Vigilance etc.

1.4 The Bank being a listed entity complies with the Corporate Governance provisions of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent that it does not violate statues and guidelines or directives issued by the relevant authorities applicable to the Bank.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

2.2 The responsibilities of the Board include approval of policies for development of new products, business reviews in relation to targets, approval of policies concerning credit, operational, market, liquidity risks, assessing the independence of the risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA management and provisioning integrity, compliance of statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources.

2.3 The Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.

2.4 As on 31st March, 2018, the Board comprised of four whole-time Directors viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and three Executive Directors appointed by the Government of India besides nine Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.5 **Composition of the Board of Directors as on 31st March, 2018 is as under:**

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies)
1	Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director (Non-Executive)	06-07-2017	CSCB ITSC NC RC SCMF SCR&ALM SRC	Nil	5	3	Nominated as a Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from the date of notification of his appointment i.e. upto 05.07.2020 or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of: i. Mukta Arts Limited ii. Clariant Chemicals (India) Limited iii. Greaves Cotton Limited iv. Salus Lifecare Pvt. Ltd. v. Conxus Social Responsibility Services Pvt. Ltd. vi. International Institute of CSR Foundation

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies)
							vii. Omsav Pharma Research Pvt. Ltd. viii. Constellation Alpha Capital Corp (NASDAQ) ix. R M Drip & Sprinklers Systems Pvt. Ltd. x. Oaknet Healthcare Pvt. Ltd.
2	Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO (Executive)	01-07-2017	CAC -I, CDRCF, CESD, CSCB, CSRC, DPC, DPC-V, HRSCB, MCB, RCNCB, RCWDB, RMCB, SCMF, SCR&ALM	Nil	0	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of three years from the date of his taking over the charge of the post on or after 01.07.2017 i.e. upto 30.06.2020 or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
3	Shri Vinod Kathuria, Executive Director (Executive)	22-01-2016	CAC -I, CDRCF, CESD, CSCB, CSRC, HRSCB, ITSC, MCB, RMCB SCR&ALM, SRC, STCB	Nil	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 31.07.2018 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
4	Shri Raj Kamal Verma, Executive Director (Executive)	09-08-2016	ACB, CAC -I, CDRCF, CESD, CSCB, CSRC, DPC, HRSCB, ITSC, MCB, RMCB, SCMF, SCR&ALM, SRC, STCB	Nil	2	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office upto 28.02.2019 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of National Payment Corporation of India and Union Bank of India (UK) Ltd.
5	Shri Atul Kumar Goel, Executive Director (Executive)	15-09-2016	CAC -I, CDRCF, CESD, CSCB, CSRC, HRSCB, ITSC, MCB, RMCB, SCR&ALM, SRC, STCB	Nil	1	0	Appointed as a Whole Time Director u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office for a period of 3 years from his taking charge of the post i.e. upto 14.09.2019 or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of Union Trustee Co. Pvt. Ltd. and Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd.
6	Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director (Non-Executive)	22-07-2016	ACB, CSCB, DPC, DPC-V, HRSCB, NC, RC, RMCB, SCMF, ITSC	Nil	1	0	Nominated as a Director by Central Government u/s 9(3)(b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.
7	Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director (Non-Executive)	06-07-2015	ACB, DPC-V, MCB, RC, EDC	Nil	1	0	Nominated as a Director by Central Government on the recommendation of RBI u/s 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders.

Sr. No.	Full Name of the Director, Designation & Category	Appointment Date	Membership in Committees of the Bank #	Holding of Bank's shares	Number of memberships in ACB & SRC in Public Ltd. Companies including the Bank	No. of post of Chairperson in ACB / SRC held in Public Ltd. Companies including the Bank	Remarks (Nature of appointment in the Bank/Other Companies)
8	Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director (Non-Executive)	06-02-2018	ACB	Nil	1	0	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 05.02.2021 or until further orders, whichever is earlier.
9	Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director (Non-Executive)	25-04-2016	CESD, CSRC, MCB, NC, SCMF, SCR&ALM, SRC	Nil	1	1	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 24.04.2019 or until further orders, whichever is earlier.
10	Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director (Non-Executive)	27-12-2017	Nil	Nil	0	0	Nominated as a Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years, from the date of notification i.e. upto 26.12.2020 or until further orders, whichever is earlier.
11	Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	CSCB, HRSCB, MCB, RC, RCWDB, SRC	200	3	1	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018. He is also Director on the Board of: • Adani Transmission Ltd. • Gujarat State Petroleum Corporation Ltd.
12	Shri G. K. Lath, Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	RCNCB, SCR&ALM, SCMF, ACB, RCWDB, CESD, CSRC	100	1	1	Re-elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018.
13	Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director (Independent Non-Executive)	27-06-2015	CSCB, HRSCB, ITSC, MCB, RC, RCNCB, SCR&ALM	100	0	0	Elected as Shareholder Director u/s 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a period of 3 years from 27.06.2015 to 26.06.2018.

#

ACB - Audit Committee of the Board

CAC-I - Credit Approval Committee - I

CDRCF - Committee of Directors for Raising of Capital Fund

CESD - Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs

CSCB	-	Customer Service Committee of the Board
DPC	-	Directors Promotion Committee
DPC-V	-	Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/ Non Vigilance
EDC	-	Election Dispute Committee
HRSCB	-	HR Sub-Committee of the Board
ITSC	-	IT Strategy Committee
MCB	-	Management Committee of the Board
NC	-	Nomination Committee
RC	-	Remuneration Committee
RCNCB	-	Review Committee for classification of Non Cooperative Borrower
RCWDB	-	Review Committee on Willful Defaulters of the Bank
RMCB	-	Recovery Management Committee of the Board
SCMF	-	Special Committee on monitoring of Frauds of ₹1.00 crore and above
SCR & ALM	-	Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SRC	-	Stakeholders Relationship Committee
STCB	-	Share Transfer Committee of the Board
CSRC	-	Corporate Social Responsibility Committee

2.6 **Appointments/Cessations during the Financial Year 2017-18:**

Appointments: A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2017-18 is as under:-

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry Date of Current Term	Nature of Expertise	Brief Resume
1.	Shri Rajkiran Rai G.	55	01-07-2017	30-06-2020	Banking & Finance	Shri Rajkiran Rai G. is an agricultural science graduate and also a certified member of Indian Institute of Bankers. Shri Rai has more than three decades of rich banking experience. He started his career in 1986 as an Agricultural Finance Officer in Central Bank of India. He was elevated to the post of Executive Director of Oriental Bank of Commerce in January, 2016. He has also served on the Board of Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd.
2.	Shri Kewal Handa	65	06-07-2017	05-07-2020	Management & Finance	Shri Kewal Handa is a Management Accountant and Company Secretary and has a Masters Degree in Commerce. He has completed the Pfizer Leadership Development Program from Harvard University and the Senior Management Development Program from IIM, Ahmadabad. He has also done a Certificate course on Marketing Strategy from Columbia Business School, New York. Shri Handa has diverse experience in Finance, Commercial, Strategy, Business Development, Merger & Acquisition, Banking, Corporate Affairs and he has also experience in sectors like Engineering, Consumer and Project Finance in companies like Schrader Scovill, Hindustan Liver Limited (HLL), Vidyut Blades & State Industrial Investment Corporation of Maharashtra (SICOM). Shri Handa was the Managing Director of Pfizer Limited, India from 2005 to 2012. He has also served as Executive Director - Finance, Pfizer Limited and as Managing Director of Wyeth Ltd from 2009 to 2012.

Sr. No.	Name	Age	Date of Appointment	Expiry Date of Current Term	Nature of Expertise	Brief Resume
3.	Dr. Madhura Swaminathan	57	27-12-2017	26-12-2020	Economics	Dr. Madhura Swaminathan has a doctorate in Economics from the University of Oxford. She is Chairperson of M S Swaminathan Research Foundation and Professor & Head of Economic Analysis Unit of Indian Statistical Institute, Bangalore.
4.	Shri Rajiv Kumar Singh	49	06-02-2018	05-02-2021	Finance	Shri Rajiv Kumar Singh is a fellow member of the ICAI, a qualified Certified Information System Auditor (USA) and Valuer from the ICAI. He is an expert on Business Valuation, Banking, Corporate Finance & Strategy, M&A, Restructuring, Forex Risk Management, Internal Controls and Valuation related to litigation including economic damages.

Cessations: The following members ceased to be the Directors during the financial year 2017-18:

Sr. No.	Name of Director	Designation	Date of Cessation	Reason
1.	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director	30-06-2017	Superannuation

2.7 **Inter-se relationship of Directors:**

None of the Directors is related to each other.

2.8 **Committee Membership of Directors:**

In terms of regulation 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 Committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he was a Director during the year 2017-18.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he was a Director as on 31.03.2018 are given here under:

Sr. No.	Name & Designation of Director	Name of Company	Name of Committee#	Member/ Chairman
1	Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	1. Mukta Arts Limited 2. Mukta Arts Limited 3. Greaves Cotton Limited 4. Clariant Chemicals (India) Limited 5. Union Bank of India	ACB SRC ACB ACB SRC	Chairman Chairman Chairman Member Member
2	Shri Vinod Kathuria, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
3	Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	1. Union Bank of India 2. Union Bank of India	SRC ACB	Member Member
4	Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	Union Bank of India	SRC	Member
5	Dr. Madnesh Kumar Mishra, Government Nominee Director	Union Bank of India	ACB	Member
6	Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	Union Bank of India	ACB	Member
7	Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	Union Bank of India	SRC	Chairman
8	Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	Union Bank of India	ACB	Member

Sr. No.	Name & Designation of Director	Name of Company	Name of Committee#	Member/ Chairman
9	Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	1. Adani Transmission Ltd. 2. Gujarat State Petroleum Corporation Ltd. 3. Union Bank of India	ACB ACB SRC	Member Chairman Member
10	Shri G. K. Lath, Shareholder Director	Union Bank of India	ACB	Chairman

2.9 Details of Familiarization Programmes attended by Directors: The details of training programmes attended by Directors of the Bank are made available on Bank's website under the following link: http://www.unionbankofindia.co.in/english/familarisation.aspx

3. ANNUAL GENERAL MEETING

The Fifteenth Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank was held on Friday, 23rd June, 2017, where the following directors were present:

Sr. No.	Name of Director	Designation
1.	Shri Arun Tiwari	Chairman & Managing Director
2.	Shri Vinod Kathuria	Executive Director
3.	Shri Raj Kamal Verma	Executive Director
4.	Shri Atul Kumar Goel	Executive Director
5.	Shri G. K. Lath	Shareholder Director, Chairman of the Audit Committee of the Board and Member of Stakeholders Relationship Committee

4. BOARD MEETINGS

Details of Board Meetings held during the Financial Year 2017-18:

Sr. No.	Date of the Board Meeting	Total No. of Directors on the Board	No. of Directors present in the meeting
1.	25.04.2017	10	6
2.	28.04.2017	10	8
3.	08.05.2017	10	10
4.	19.05.2017	10	9
5.	22.06.2017	10	8
6.	29.06.2017	10	8
7.	27.07.2017	11	10
8.	10.08.2017	11	10
9.	29.08.2017	11	8
10.	28.09.2017	11	11
11.	27.10.2017*	11	10
12.	27.10.2017	11	10
13.	03.11.2017	11	11
14.	11.12.2017	11	9
15.	08.01.2018	12	10
16.	02.02.2018*	12	11
17.	02.02.2018	12	11
18.	03.02.2018	12	10
19.	20.02.2018*	13	10
20.	27.02.2018	13	11
21.	16.03.2018	13	11

*Strategy Meet

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings are as below:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director#	6	6
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director#	15	15
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	15	15
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	21	19
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	21	20
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	21	19

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	21	16
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	21	8
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	21	21
Dr. Madhura Swaminathan, Part-Time Non-Official Director	7	6
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	3	3
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	21	19
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	21	17
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	21	18

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Board till 30.06.2017 and thereafter Shri Kewal Handa was nominated as Non-Executive Chairman of the Committee w.e.f. 06.07.2017.

5. COMMITTEES OF THE BOARD

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of Directors and/or executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Govt. of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under -

1. Management Committee of the Board (MCB)
2. Audit Committee of the Board (ACB)
3. Supervisory Committee of Director on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)
4. Special Committee on Monitoring of Frauds of ₹1.00 crore and above (SCMF)
5. Recovery Management Committee of the Board (RMCB)
6. Customer Service Committee of the Board (CSCB)
7. HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)
8. Stakeholders Relationship Committee (SRC)
9. IT Strategy Committee (ITSC)
10. Nomination Committee (NC)
11. Remuneration Committee (RC)
12. Directors Promotion Committee (DPC)
13. Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/ Non Vigilance (DPC-V)
14. Share Transfer Committee of the Board (STCB)
15. Review Committee for classification of Non Cooperative Borrower (RCNCB)
16. Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB)
17. Committee to decide on Election of Shareholders' Directors - Voting by PSBs (CESD)
18. Election Dispute Committee (EDC)
19. Credit Approval Committee-I (CAC - I)
20. Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)
21. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)

5.1 Management Committee of the Board (MCB)

5.1.1 Composition:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended), the Management Committee of the Board as on 31.03.2018 consists of –

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors,
- RBI Nominee Director nominated under section 9(3)(c) and
- Three other Non-Executive Directors under Section 9 (3) (e), (f), (h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.1.2 Functions:

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of the Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning/review of credit proposals, loan compromise/write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure beyond the powers of Credit Approval Committee-I, acquisition and hiring of premises, investments, donations, etc.

5.1.3 Attendance of MCB Meetings:

During the year 2017-18, 24 meetings of MCB were held and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	7	7
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee #	17	17
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	24	20
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	24	23
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	24	22
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	24	11
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	24	22
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	24	20
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	24	15

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.2 Audit Committee of the Board (ACB)

5.2.1 Composition:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India and Ministry of Finance, Government of India. The ACB consists of following members –

- Executive Director in-charge of Internal Inspection and Audit
- Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and
- Two Non Executive Directors of which one should ordinarily be Chartered Accountant Director nominated u/s 9(3)(g).

Other Executive Director/s can be invitee/s to the meeting if the agenda includes any item for discussion from their domain.

Shri G. K. Lath, Shareholder Director who is a Chartered Accountant is the present Chairman of the Committee.

Company Secretary acts as secretary to the ACB in terms of Regulation 18(1)(e) of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

5.2.2 Functions:

The ACB reviews the functions of the Bank as mandated by calendar of items issued by the RBI. The major functions of ACB are enumerated below:

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory / external audit of the Bank and inspection by RBI.
2. ACB reviews the internal inspection/audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-
   - Inter-branch adjustment accounts
   - Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and Nostro accounts
   - Arrears in balancing of books at various branches
   - Frauds
   - All other major areas of housekeeping.
3. ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers appointed in the Bank in terms of guidelines of RBI and SEBI.
4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual / semi-annual financial accounts and on the audit reports.
5. ACB reviews the accounting policies and practices, related party transactions, Mechanism for Whistle-Blower, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.

5.2.3 **Attendance of ACB Meetings:**

The Committee met 12 times during the year 2017-18 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri G. K. Lath, Shareholder Director, Chairman of the Committee	12	12
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	5	5
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	12	12
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	12	10
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	12	6
Shri Rajiv Kumar Singh, Chartered Accountant Director	1	1

5.3 **Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)**

5.3.1 **Composition:**

The Bank has constituted Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management in terms of RBI guidelines. The Committee consists of the following members:

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors and
- Three Non-Executive Directors.

Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.3.2 **Functions:**

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. The Committee is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

5.3.3 **Attendance of SCR & ALM Meeting:**

The Committee has held 5 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	1	1
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director, Chairman of the Committee #	4	4
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	4	3
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	5	5
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	5	5
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	5	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	2	1
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	3	3
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	2	2
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	5	5
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	3

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Kewal Handa was elected as Chairman of the Committee.

5.4 **Special Committee of the Board of Directors for monitoring of Fraud of ₹1.00 crore and above (SCMF)**

5.4.1 **Composition:**

Special Committee of the Board of Directors for monitoring of frauds of ₹1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. At present the Audit Committee of Board (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch/inter bank accounts and major areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of ₹ 1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors:

- Managing Director & CEO
- Two members from the Audit Committee of the Board

- Two other members from the Board excluding RBI nominee Director

Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman and Part-Time Non-Official Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.4.2 **Functions:**

The major function of the Special Committee is to monitor and review all the cases of frauds of Rs 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and/or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI /Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

5.4.3 **Attendance of SCMF Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	1	1
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director, Chairman of the Committee #	3	3
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	3	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	1
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	4	4
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	2	2
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	2

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Kewal Handa was elected as Chairman of the Committee.

5.5 **Recovery Management Committee of the Board (RMCB)**

5.5.1 **Composition:**

A Board level Sub Committee for Recovery Management has been formed as per Ministry of Finance, Government of India guidelines to monitor the progress in recovery on regular basis and this Committee would submit its report to the Board.

The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Government of India Nominee Director

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.5.2 **Functions:**

To monitor the progress in recovery on regular basis and submit the report to the Board.

5.5.3 **Attendance of RMCB Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meetings held during their tenure	No of Meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	1	1
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee #	3	3
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	4
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	4
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	4	2
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	4

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.6 **Customer Service Committee of the Board (CSCB)**

5.6.1 **Composition:**

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India to look after the customer

service in Bank. The Committee Comprises of following members:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Four Non-Executive Directors including Govt. Nominee Director

In addition, Internal Ombudsman and Two Experts also participate as special invitees in these meetings.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.6.2 **Functions:**

The Committee is undertaking the following tasks:

i. To make suggestions on improving the quality of customer services.

ii. To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them & to suggest appropriate improvements to facilitate changes on an ongoing basis.

iii. To review and recommend the policies to the Board annually before the same is placed to the Board for approval.

5.6.3 **Attendance of CSCB Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	1	1
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee #	3	3
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	2	2
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	4
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	4	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	2
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	2	2
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	2	1
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	2	2
Dr. S. Ravindranath, Special Invitee	4	4
Dr. S. Jagannathan, Special Invitee	4	3

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.7 **HR Sub-Committee of the Board (HRSCB)**

5.7.1 **Composition:**

The Committee consists of 'Chairman & Managing Director' now 'Managing Director & CEO', Executive Directors, Government Nominee Director and any two Directors nominated by the Board. In addition, two experts in Human Resources also participate as special invitees.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.7.2 **Functions:**

To oversee & review the implementation of following aspects:

1. Overall Strategy for the Bank on HR.
   - Overall manpower plan and skills gap identification.
   - Systems, procedures and structures to attract and groom right talent.
   - Succession planning.
2. Development of performance management system covering all staff in the Bank
   - Performance assessment on transparent Key Responsibility Areas.
   - System of providing developmental feedback to all staff.
3. Fine tuning of policies on HR in line with Bank's strategy and market realities
   - Reward and incentives
   - Promotions
   - Deployment

4. Training
    - Specialist business skills training
    - General retraining / reorientation for all staff
5. IT automation of all HR related activities

5.7.3 **Attendance of HRSCB Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee#	1	1
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee#	3	3
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	4
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	3
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	4	4
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	4	4
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	4	4
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	4	2

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.8 **Stakeholders Relationship Committee (SRC)**

5.8.1 **Composition:**

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Stakeholders Relationship Committee (SRC) has been constituted with Executive Directors and Three Non-Executive Directors.

Dr. K. Ramesha, Part Time Non Official Director is the present Chairman of the Committee.

5.8.2 **Functions:**

The Committee monitors the grievances and complaints of the security holders of the Bank regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends, etc.

5.8.3 **Attendance of SRC Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director, Chairman of the Committee	4	4
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	2	2
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	4
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	4	4
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	2	2
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	2	1

5.8.4 **Name & Designation of Compliance Officer**

Pursuant to Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requriements) Regulations, 2015, Shri Dipak D. Sanghavi was designated as the Compliance officer of the Bank for Investor Grievances till 30.11.2017. After superannuation of Shri Dipak D. Sanghavi, Shri Mangesh Mandrekar was appointed as Company Secretary and designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

5.8.5 **Details of Shareholders' Complaints during the year 2017-18:**

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2018 vis-à-vis 31.03.2017 is as under:-

Particulars		For F.Y. ended 31.03.18	For F.Y. ended 31.03.17
a.	No. of shareholders' complaints pending at the beginning of the year	0	2
b.	No. of shareholders' complaints received during the year	231	249
c.	No. of shareholders' complaints resolved during the year	231	251
d.	No. of shareholders' complaints pending at the end of the year	0	0

5.9 **IT Strategy Committee (ITSC)**

5.9.1 **Composition:**

As a part of IT Governance measures, RBI has recommended creation of IT Strategy Committee of the Board to advise the Board on strategic direction on IT and to review IT Investments on behalf of the Board. The Committee consists of:

- Executive Directors
- Govt. Nominee Director (inducted on the Committee w.e.f. 28.09.2017)
- Two Non-Executive Directors one of whom shall be independent Director
- One Outside IT Expert
- Chief Information Officer (GM heading the IT function of the Bank)

Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director is the present Chairman of the Committee.

5.9.2 **Functions:**

- Approving IT strategy and policy documents.
- Ensuring that the management has put an effective strategic planning process in place.
- Ratifying that the business strategy is indeed aligned with IT strategy.
- Ensuring that the IT organizational structure complements the business model and its direction.
- Ascertaining that management has implemented processes and practices that ensure that the IT delivers value to the business.
- Ensuring IT investments represent a balance of risks & benefits and that budgets are acceptable.
- Monitoring the methods that management uses to determine the IT resources needed to achieve strategic goals and provide high level direction for sourcing & use of IT resources.
- Ensuring proper balance of IT investments for sustaining bank's growth.
- Ensure adequate mitigation for exposure towards IT risks & controls, evaluating effectiveness of management's monitoring.
- Assessing Senior Management's performance in implementing IT strategies.
- Issuing high level policy guidance (e.g. related to risk, funding or sourcing tasks).
- Confirming whether IT or business architecture is to be designed, so as to derive maximum business value from IT.
- Overseeing the aggregate funding of IT at a bank-level, and ascertaining if the management has resources to ensure the proper management of IT risks.
- Reviewing IT performance measurement and contribution of IT to business (i.e. delivering the promised value).
- To build up mechanism to undertake IT disaster management.
- To act as Board level Sub-Committee on Digital Transactions to advice, guide and monitor enhancing digital transactions of the Bank.

5.9.3 **Attendance of ITSC Meetings:**

The Committee has held 4 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director, Chairman of the Committee	4	4
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director	2	2
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	4	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	4	4
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	4	3
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	2	0
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	2	2

5.10 **Nomination Committee (NC)**

5.10.1 **Composition:**

The Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. In terms of said guidelines,

Bank has constituted a Nomination Committee consisting of three Non-Executive Directors to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of Shareholder Directors.

5.10.2 **Functions:**

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper' status of the elected Shareholder Directors.
- To ensure whether non adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director/ proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the adverse notice of any authority/ regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the Bank.
- Based on the signed declaration, this Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

5.10.3 **Attendance of NC Meetings:**

The Committee has held one meeting during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of Director	No of meeting held during their tenure	No of meeting attended
Shri Kewal Handa, Chairman & Part-Time Non-Official Director, Chairman of the Committee	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	1	1
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	1	1

Shri Kewal Handa, Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.11 **Remuneration Committee (RC)**

5.11.1 **Composition:**

Government of India (GoI) has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed. The Committee is constituted with following members:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

5.11.2 **Functions:**

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GoI guidelines.

5.11.3 **Attendance of RC Meetings:**

Pursuant to Ministry of Finance, Government of India letter no. F.NO.12/1/2014-BOA dated 18.08.2015, the Key Performance Indicators (KPI) for evaluating the performance of Whole Time Directors on Board of Public Sector Banks has been changed from F.Y. 2015-16 and the performance of whole-time Directors is be evaluated by a Committee chaired by the Secretary (Financial Services) based on the detailed Performance Evaluation Matrices. Therefore, the Remuneration Committee has no role now in deciding upon the performance linked incentive to be paid to whole-time Directors of the Bank from FY 2015-16. Thus, no meeting of Remuneration Committee was called during the year 2017-18.

5.12 **Directors Promotion Committee (DPC)**

5.12.1 **Composition:**

Government of India vide communication F.No.4/3/1/2012-IR dated 08.12.2016 has provided autonomy to Public Sector Banks to decide the composition of selection committee for promotion process with the approval of the Board. The Board of Directors has approved the constitution of the Committee as below –

- Managing Director & CEO
- Executive Director looking after the HR portfolio
- Two Outside Experts with domain knowledge (Independent Member)

The Committee was reconstituted w.e.f. 27.02.2018 as below –

- Managing Director & CEO
- Executive Director looking after the HR portfolio or Govt. Nominee Director, as approved by the Managing Director & CEO

- One Outside Expert with domain knowledge
- One additional independent member in the rank of retired CMD/ED/MD & CEO from any PSBs other than Union Bank of India or Retired Executive Director of RBI, approved by the Managing Director & CEO

5.12.2 **Functions:**

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection / non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

5.12.3 **Attendance of DPC Meetings:**

The Committee has held one meeting during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	1	1
Outside Expert with domain knowledge	1	1
Additional Independent Member	1	1

5.13 **Disciplinary Proceedings Committee – Vigilance/Non-Vigilance (DPC-V)**

5.13.1 **Composition:**

Ministry of Finance, Government of India has directed that the Disciplinary Proceedings Committee - Vigilance/Non-Vigilance of the Bank should review vigilance disciplinary cases & departmental inquiries on a half yearly basis. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO
- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director

5.13.2 **Functions:**

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

5.13.3 **Attendance of DPC–V Meetings:**

The Committee has held 2 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	1	1
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee #	1	1
Dr. Madnesh Kumar Mishra, Govt. Nominee Director	2	2
Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director	2	2

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.14 **Share Transfer Committee of the Board (STCB)**

5.14.1 **Composition:**

The Committee consists of Executive Directors, Chief Compliance Officer/Chief Financial Officer and General Manager / Deputy General Manager/ Asst. General Manager - Board Secretariat.

5.14.2 **Functions:**

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of the Board with powers to confirm transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

5.14.3 **Attendance of STCB Meetings:**

During the year, the Committee met 35 times and attended to transfer, transmission, demat and issue of duplicate shares etc.

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Vinod Kathuria, Executive Director, Chairman of the Committee	35	29
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	35	32
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	35	33
Attendees by Designation		
Chief Financial Officer	3	3
Chief Compliance Officer	32	26
General Manager / Dy. General Manager/ Asst. General Manager - Board Secretariat	35	32

5.15 **Review Committee for Classification of Non-Cooperative Borrower (RCNCB)**

5.15.1 **Composition:**

The Review Committee of the Board on Classification of the Borrower as Non-Cooperative Borrower has been constituted in pursuance of RBI guidelines to review the orders on classification of the Borrower as Non-Cooperative passed by the Approving Committee. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO
- Two Independent Directors (Shareholder Directors)

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.15.2 **Functions:**

- The committee shall review the orders of the Approving Committee i.e. Executive Director Headed Committee recording the Borrower to be declared as non-cooperative. The order shall become final only after it is confirmed by the Review Committee of the Board.
- Reviewing the quarterly Return submitted to CRILC.
- On a half–yearly basis review the status of non-cooperative borrowers for deciding whether their names can be declassified as evidenced by their credit discipline and cooperative dealings before its submission to the Board.

5.15.3 **Attendance of RCNCB Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2017-18.

5.16 **Review Committee on Willful Defaulters of the Bank (RCWDB)**

5.16.1 **Composition:**

Pursuant to RBI guidelines on Willful Defaulters the Bank has constituted Review Committee on Willful Defaulters of the Bank. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO
- Any two Independent Directors (Shareholder Directors)

5.16.2 **Functions:**

Review & confirm the orders passed by Committee headed by Executive Directors on classification of Borrowers as Willful Defaulters.

5.16.3 **Attendance of RCWDB Meetings:**

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	1	1
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee #	4	4
Dr. R. H. Dholakia, Shareholder Director	5	5
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	2	2
Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director	3	3

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.17 **Committee to decide on Election of Shareholders Directors – Voting by Public Sector Banks (CESD)**

5.17.1 **Composition:**

The Public Sector Banks are holding Equity Shares in other Companies including Financial Institutions and other Public Sector Banks. As per the guidelines of the Government of India, the Public Sector Banks have to constitute a Committee of the Board headed by Managing Director & CEO to take decision on supporting the candidates in the election of the Shareholder Directors of other Companies, Public Sector Banks and Financial Institutions. The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- Two other members nominated by the Board

5.17.2 **Functions:**

After considering all factors viz. qualification, experience, profile and background of various candidates, to take a decision on supporting the candidates in the election. Furthermore, in case of election of shareholder director of PSBs, the requirement of the Bank in terms of the expertise required in various fields would also be taken into account.

5.17.3 **Attendance of CESD Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2017-18.

5.18 **Election Dispute Committee (EDC)**

5.18.1 **Composition:**

In terms of Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998, if any doubt or dispute arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Shareholder Director; such doubt or dispute shall be referred for the decision of Election Dispute Committee. The Committee consists of:

- Managing Director & CEO or in his absence, Executive Director
- Any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 Act.

5.18.2 **Functions:**

The Election Dispute Committee shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.

5.18.3 **Attendance of EDC Meetings:**

The meeting is required to be convened as & when required. Since there was no requirement, no meeting of the Committee was held during the year 2017-18.

5.19 **Credit Approval Committee-I (CAC-I)**

5.19.1 **Composition:**

As per the guidelines of Ministry of Finance, Government of India, the Bank has constituted the Credit Approval Committee-I. The Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto ₹400 crore and group exposure upto ₹800 crore in case of our Bank and in case exposure exceeds such limits, it shall be considered by the Management Committee of the Board.

The composition of CAC-I is as under:

- Managing Director & CEO
- Executive Directors
- General Manager In-charge of the Credit
- General Manager In-charge of the Finance/ Chief Financial Officer and
- General Manager In-charge of the Risk Management

5.19.2 **Functions:**

All credit related matters including approval/ review-renewal, miscellaneous requests, interest concessions, compromise/write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, etc. within its delegated authority are being put up before the CAC-I for approval.

5.19.3 **Attendance of CAC-I Meetings:**

The Committee has held 26 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	6	6
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee #	20	20
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	26	20
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	26	25
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	26	23
Attendees by Designation		
General Manager In-charge of the Credit	26	26
General Manager In-charge of the Finance/CFO	26	24
General Manager In-charge of the Risk Management	26	26

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.20 **Committee of Directors for Raising of Capital Fund (CDRCF)**

5.20.1 **Composition:**

As per the approval given by the Board the committee is constituted to complete the necessary formalities for raising of capital funds. The Committee consists of MD & CEO and Executive Directors.

5.20.2 **Functions:**

The Committee is authorized to complete the necessary formalities for raising of capital funds and to do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and/or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations and the timing of such issue(s), calling the issue open at its discretion subject to applicable Rules and Regulations and GoI & RBI approval.

5.20.3 **Attendance of CDRCF Meetings:**

The Committee has held 9 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Chairman of the Committee #	1	1
Shri Rajkiran Rai G., MD & CEO, Chairman of the Committee #	8	8
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	9	9
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	9	9
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	9	5

 # Shri Arun Tiwari was the Chairman of the Committee till 30.06.2017 and thereafter Shri Rajkiran Rai G. was elected as Chairman of the Committee.

5.21 **Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)**

The objective of the Corporate Social Responsibility Committee shall be to assist the Board and the Bank in fulfilling its Corporate Social Responsibility.

5.21.1 **Composition:**

The composition of the Committee is:

- Managing Director & CEO,
- Executive Directors
- One Part-Time Non-Official Director nominated under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.
- One Shareholder Director elected under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO of the Bank is the present Chairman of the Committee.

5.21.2 **Functions:**

- Formulating and recommending the CSR Policy to the Board of Directors and indicating activities to be undertaken.
- Approval of projects to be undertaken either through Union Bank Social Foundation Trust or such other entity/organisation as approved by the Committee in terms of CSR Policy.
- Reviewing usage of delegated authority by GM/ED/MD & CEO on quarterly basis. Reviewing performance of Union Bank Social Foundation Trust on quarterly basis.

5.21.3 **Attendance of CSRC Meetings:**

The Committee has held 3 meetings during the year 2017-18 and attendance details are as under:

Name of Director	No of Meeting held during their tenure	No of Meeting attended
Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Chairman of the Committee	3	3
Shri Vinod Kathuria, Executive Director	3	3
Shri Raj Kamal Verma, Executive Director	3	2
Shri Atul Kumar Goel, Executive Director	3	3
Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director	3	3
Shri G. K. Lath, Shareholder Director	3	3

6 GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
Twelfth Annual General Meeting	27th June, 2014 at 11.00 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.	1. Issue 54,72,563 equity shares by conversion of 11.10 crores PNCPS (Perpetual Non - cumulative Preferential Shares) at a conversion price of ₹ 202.83 including premium of ₹ 192.83 aggregating upto ₹111 crores on preferential basis to Government of India. 2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement for an aggregate amount not exceeding ₹1,386 crores.
Thirteenth Annual General Meeting	26th June, 2015 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.	1. To raise Capital through FPO/Rights/ QIP etc. upto ₹3,700 crores (including premium, if any) 2. To elect three directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government.
Extraordinary General Meeting	18th September, 2015 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.	To issue up to 5,16,62,281 equity shares at an Issue Price of ₹ 209.05 including premium of ₹199.05 and aggregating up to ₹ 1,080 Crores.
Fourteenth Annual General Meeting	27th June, 2016 at 11.00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹3200 crores (including premium, if any).
Extraordinary General Meeting	23rd February, 2017 at 11:00 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	1. Issue of 3,89,88,181 Equity Shares for cash at an Issue Price of ₹138.76 including premium of ₹128.76 on Preferential Basis to Government of India, upto ₹541 crores. 2. Issue of 1,29,72,038 Equity Shares for cash at an Issue Price of ₹138.76 including premium of ₹128.76 on Preferential Basis to Government of India, upto ₹ 180 crores.
Fifteenth Annual General Meeting	23rd June, 2017 at 11.30 a.m.	Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Prinicipal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020.	To raise Capital through FPO/Rights /QIP/ Preferential allotment etc. by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto ₹4,950 crore (including premium, if any).

Nature of Meeting	Date & Time	Venue	Special Resolution
Extraordinary General Meeting	16th March, 2018 at 11:00 a.m.	Y. B. Chavan Auditorium, General Jagannath Bhosale Marg, Opp. Mantralaya, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra – 400 021	Issue of 31,28,19,803 Equity Shares for cash at an Issue Price of ₹144.62 including premium of ₹134.62 on Preferential Basis to Government of India, upto ₹ 4,524 Crore.

7 DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and guidelines/ circulars issued by RBI, GOI and SEBI.

As per SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, for other listed entities which are not companies, but body corporate or are subject to regulations under other statues, the provisions of corporate governance shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Listing Regulation. Compliance with respect to non-mandatory requirements is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the Listing Regulation are as under:

7.1 Remuneration of Directors:

Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole-time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

Sitting Fees:

Sitting Fees are prescribed in terms of clause 17(1) / 16(1) of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Accordingly, all Non-Executive Directors except Govt. Nominee Director & RBI Nominee Director are entitled for the Sitting Fees in accordance with Government Notification No.15/1/2011-BO.I dated 20/07/2015:

- Board Meetings - ₹ 20,000/- per meeting.
- Committee Meetings - ₹ 10,000/- per meeting.

The above information is also available on Bank's website under following link: http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx

Travelling & Halting Allowance:

In addition to fees to which a director is entitled to be paid, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed his Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

7.2 Disclosure on Material Significant Related Party Transactions:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant Related Party Transaction that has potential conflict with interests of the Bank at large.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives/firms/companies in which they are interested are discussed.

7.3 Disclosure of Pecuniary Relationship or Transactions:

The Bank's Non-Executive Directors do not have any pecuniary relationship or transaction with the Bank except to the extent of transactions done in the normal

course of banking business and the sitting fees paid to them for attending Board and Committee meetings.

7.4 **Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues etc.:**

The Bank has obtained approval of shareholders at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 16.03.2018 for allotment of Equity Shares aggregating up to ₹4524 crores to Government of India on Preferential Basis. The Bank has received a sum of ₹4,524 crores as capital infusion in the form of share application money from the Government of India on 27.03.2018. Accordingly, Bank has issued & allotted 31,28,19,803 (Thirty One Crore Twenty Eight Lakh Nineteen Thousand Eight Hundred and Three) equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹144.62 including premium of ₹134.62 to Government of India on preferential basis.

The Bank has issued Unsecured Non convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II Capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 9.1 of the report.

7.5 **Penalties or Strictures:**

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

7.6 **Whistle Blower Policy:**

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy and same can be accessed via following link https://www.unionbankofindia.co.in/PageMenuDocs/whistleblowerpolicy.pdf. The Audit Committee of the Board periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee of the Board.

7.7 **Policy for determining Material Subsidiary:**

In compliance with Regulation 46(2)(h) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has formulated Policy for determining Material Subsidiary and same can be accessed via following link https://www.unionbankofindia.co.in/pagemenudocs/MaterialSubsidiaryPolicy.pdf.

However, as on date there is no material subsidiary of the Bank.

7.8 **Related Party Transaction Policy:**

The Bank has formulated Related Party Transaction Policy on dealing with Related Party Transactions. The said policy can be accessed via following link https://www.unionbankofindia.co.in/pagemenudocs/RelatedPartyTransactionPolicy.pdf

7.9 **Management Discussion and Analysis:**

The same has been given separately in the Annual Report.

7.10 **Compliance Reports on Corporate Governance:**

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to the BSE & NSE within 15 days from close of the respective quarter.

7.11 **Dissemination of Information on Website:**

The Bank has disseminated the required information under clause (b) to (i) of sub-regulation 46 of Listing Regulations on its website www.unionbankofindia.co.in.

8 MEANS OF COMMUNICATION

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Business Standard (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related presentations, shareholding pattern, etc. are also simultaneously placed on the Bank's website.

9 SHAREHOLDERS' INFORMATION

9.1 The Bank's equity shares are listed on BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited and its stock scrip code is as follows: -

BSE Limited (BSE)	532477
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	UNIONBANK-EQ

The Annual Listing Fee for Equity Shares for the financial year 2018-19 has been paid to both the Stock Exchanges before 30th April, 2018.

The Bank has issued Unsecured Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on 31.03.2018 are as under:

Series	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
Bond Series XI- 1st Tranche (Lower Tier II)	400	12.12.2007	12.04.2018	Fixed 9.35%	INE692A09134
Bond Series XII (Perpetual)	200	09.09.2008	Perpetual	11.15% Upto 10 YRS Stepped upto 11.65% after 10th year, if call option not exercised.	INE692A09159
Bond Series XII (Lower Tier II)	400	17.09.2008	17.09.2018	Fixed 10.95%	INE692A09167
Bond Series XII (Lower Tier II)	200	23.12.2008	23.12.2018	Fixed 9.50%	INE692A09175
Bond Series XII (Lower Tier II)	200	30.12.2008	30.12.2018	Fixed 8.60%	INE692A09183
Bond Series XII (Perpetual)	140	30.03.2009	Perpetual	9.10% Upto 10 YRS Stepped upto 9.60% after 10th year, if call option not exercised.	INE692A09191
Bond Series XIV –A (Perpetual)	200	16.06.2009	Perpetual	8.85% Upto 10 YRS Stepped upto 9.35% after 10th year, if call option not exercised.	INE692A09209
Bond Series XIV-B (Upper Tier II)	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65% Upto 10 YRS Stepped upto 9.15% after 10th year, if call option not exercised.	INE692A09217
Bond Series XIV-C (Upper Tier II)	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55% Upto 10 YRS Stepped upto 9.05% after 10th year, if call option not exercised.	INE692A09225
Bond Series XV-A (Upper Tier II)	500	28.06.2010	15 YEARS 28.06.2025	8.48% Upto 10 YRS Stepped upto 8.98% after 10th year, if call option not exercised.	INE692A09233
Bond Series XVI-B (Lower Tier II)	800	28.12.2012	28.12.2022	8.90%	INE692A09241
Bond Series XVII-A (Basel III Compliant Tier II Bonds)	2000	22.11.2013	22.11.2023	9.80%	INE692A09266
Bond Series XVIII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1000	29.03.2016	29.03.2026	8.61%	INE692A09274
Bond Series XIX (Basel III Compliant Tier II Bonds)	1000	22.08.2016	22.08.2026	8.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter till maturity.	INE692A08011
Bond Series XX (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1000	15.09.2016	Perpetual	9.50% Call option may be exercised after completion of 10 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08029
Bond Series XXI (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	1000	04.11.2016	Perpetual	9.00% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08037
Bond Series XXII (Basel III Compliant Tier II Bonds)	750	24.11.2016	24.11.2026	8.00%	INE692A08045
Bond Series XXIII Tr-1 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	250	29.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08052
Bond Series XXIII Tr-2 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	750	30.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08060
(Bond Series XXIII Tr-3 (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	500	31.03.2017	Perpetual	9.10% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08078

Series	Size (₹ In Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a)	ISIN NO.
Bond Series XXIV (Basel III Compliant Additional Tier I Bonds)	500	03.05.2017	Perpetual	9.08% Call option may be exercised after completion of 5 years from allotment date or any coupon payment date thereafter.	INE692A08086
TOTAL	**12,790**				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee upfront for 2018-19 to the Stock Exchange.

9.2 **Dividend:**

Considering need for ploughing back profits for augmenting Capital Adequacy Ratio in line with RBI guidelines, the Board of Directors has decided not to declare dividend for the year 2017-18.

9.3 **Particulars of AGM:**

Board Meeting for Considering Accounts	Thursday, 10th May, 2018
Date, Time & Venue of AGM	Wednesday, 27th June, 2018 at 11:00 A.M. Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before Monday, 4th June, 2018
Dates of Book Closure	21st June, 2018 to 27th June, 2018
Opening & Closing of E-Voting	23rd June, 2018 to 26th June, 2018

9.4 **Financial Calendar:**

The tentative calendar for declaration of results for the financial year 2018-19 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2018	By August 6, 2018
For the quarter ending September 30, 2018	By November 6, 2018
For the quarter ending December 31, 2018	By February 8, 2019
For the year ending March 31, 2019	By May 12, 2019

9.5 **Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances:**

The Bank ensures that all transfers of shares are duly affected within the period of 15 days from the date of their lodgment with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed M/s. Datamatics Business Solutions Limited (Formerly known as M/s. Datamatics Financial Services Limited) as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, dividend, recording of shareholders' requests, solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at the address mentioned below.

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Mumbai. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their requests/complaints.

Registrar & Share Transfer Agent (RTA)	Company Secretary
M/s. Datamatics Business Solutions Ltd.	Investor Services Division
Unit: Union Bank of India	Union Bank of India
Plot No. B-5,Part B Crosslane,	12th Floor, Central Office,
MIDC Andheri (East),	239, Vidhan Bhavan Marg,
Mumbai-400 093.	Nariman Point, Mumbai-400 021.
Tel No: 022 - 66712001-6	Tel-(022) 2289 6636
Fax No: 022 – 66712011	Fax-(022) 22025238
Email: ubiinvestors@datamaticsbpm.com	E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

9.6 **Other Communications:**

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the Bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors' relations.

The set of communication sent this year was focused on following areas:

i. Half-yearly performance

ii. Implementation of Green Initiative in the Corporate Governance initiated by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

9.7 **Dematerialisation of shares:**

The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is **INE692A01016.**

Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from the need of safe custody of the share certificates which at times may lead to loss/mutilation. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank is traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments. Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31.03.2018 are as under:

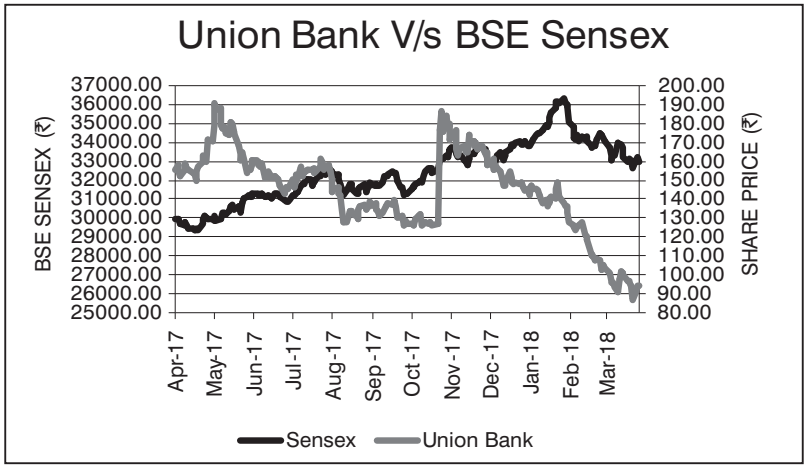
Category	No. of Shareholders	No. of Shares	% of shareholding
Physical	57,787	1,26,23,544	1.08
Demat			
NSDL	1,08,057	34,24,95,865	29.31
CDSL	81,189	81,34,53,972	69.61
TOTAL	**2,47,033**	**116,85,73,381**	**100.00**

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant / Company Secretary has also conducted reconciliation of Share Capital Audit on a quarterly basis. During the course of reconciliation of Share Capital audit no discrepancy in updation/maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

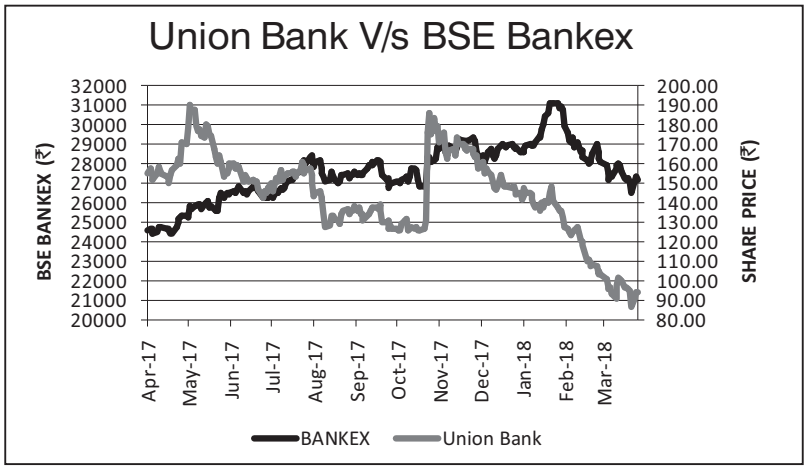
9.8 **Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges:**

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)
Apr' 17	172.40	148.10	10678114	173.00	147.80	69376689	30,184.22	29,241.48
May'17	205.00	149.70	17440155	205.10	149.75	150899168	31,255.28	29,804.12
Jun' 17	162.75	140.45	8153451	162.70	140.20	61307204	31,522.87	30,680.66

Months	BSE			NSE			BSE SENSEX	
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)
Jul' 17	162.70	145.10	10784617	162.70	146.00	65120062	32,672.66	31,017.11
Aug' 17	159.25	124.25	9209048	159.20	124.00	85678667	32,686.48	31,128.02
Sep' 17	141.00	125.75	6157325	140.00	125.70	60677986	32,524.11	31,081.83
Oct' 17	196.05	123.80	14650399	196.05	123.70	118101612	33,340.17	31,440.48
Nov' 17	184.80	160.60	14863231	184.00	160.60	99368019	33,865.95	32,683.59
Dec' 17	165.10	140.45	7050526	164.90	140.55	71290840	34,137.97	32,565.16
Jan' 18	152.20	134.15	10078043	151.80	134.10	103373305	36,443.98	33,703.37
Feb' 18	137.35	99.50	17185984	137.40	99.50	168575929	36,256.83	33,482.81
Mar' 18	105.95	85.95	20207622	105.85	86.00	208875322	34,278.63	32,483.84
Closing Price as on 31.03.18	₹ 94.10			₹ 94.00				
Market Capitalization	Rs 10,996.28 crore			₹ 10,984.59 crore				



* Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)



* Source-NSE/BSE Website (www.nseindia.com/www.bseindia.com)

9.9 **Distribution of Shareholding:**

The Government of India is holding 78.79 crores equity shares of ₹10 each aggregating to ₹787.91 crores in the total issued & subscribed capital of ₹ 1,168.57 crores. The distribution of shareholding as of 31.03.2018 and as of 31.03.2017 is as under:

Shareholding	As of 31.03.2018				As of 31.03.2017			
	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total	No. of shareholders	% to total	No. of shares	% to total
Upto 500	2,18,734	88.54	3,10,15,108	2.61	2,16,474	89.68	3,02,92,802	4.41
501 to 1000	19,305	7.82	1,34,08,329	1.14	18,017	7.46	1,23,15,508	1.79
1001 to 2000	5,394	2.18	77,34,706	0.67	4,334	1.80	61,36,488	0.89
2001 to 3000	1,402	0.57	35,33,509	0.30	1,003	0.42	25,21,023	0.37
3001 to 4000	574	0.23	20,60,120	0.18	399	0.17	14,28,312	0.21
4001 to 5000	362	0.15	16,99,278	0.14	248	0.10	11,64,346	0.17
5001 to 10000	588	0.24	42,55,951	0.36	387	0.16	27,80,782	0.40
10001 & above	674	0.27	110,48,66,380	94.61	507	0.21	63,08,01,856	91.76
Total	**2,47,033**	**100.00**	**116,85,73,381**	**100.00**	**2,41,369**	**100.00**	**68,74,41,117**	**100.00**

The face value of Bank's share is ₹ 10/-.

9.10 **Shareholding pattern:**

The Shareholding Pattern of the Bank's shares as of 31.03.2018 and as of 31.03.2017 is as follows:

Category of shareholder	As of 31.03.2018		As of 31.03.2017	
	No. of shares held	% to total holding	No. of shares held	% to total holding
Govt. of India	78,79,14,581	67.43	43,61,06,597	63.44
Non Residents (FIIs/OCBs/NRIs)	6,00,17,340	5.14	3,55,32,068	5.17
Banks/Financial Institutions/ Insurance Cos.	13,37,09,328	11.44	7,70,27,187	11.20
Mutual Fund/ UTI	9,87,29,653	8.45	6,60,29,658	9.61
Domestic Companies/Private Corporate Bodies/Trust	1,73,27,912	1.48	1,30,70,096	1.90
Resident Individuals	7,08,74,567	6.06	5,96,75,511	8.68
Total	**116,85,73,381**	**100.00**	**68,74,41,117**	**100.00**

9.11 **List of Top 10 Shareholders of the Bank:**

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2018 is as follows:

Sr. No.	Name	Shares	% To capital
1	President of India	78,79,14,581	67.43
2	Life Insurance Corporation of India	11,33,23,195	9.70
3	HDFC Trustee Company Ltd - A/C HDFC Mid - Capopportunities Fund	3,97,29,328	3.40
4	ICICI Prudential Balanced Advantage Fund	2,90,54,141	2.49
5	IDFC Sterling Equity Fund	79,87,744	0.68
6	The New India Assurance Company Limited	74,57,257	0.64
7	National Westminster Bank Plc As Trustee of The Jupiter India Fund	59,70,278	0.51
8	Government Pension Fund Global	54,70,270	0.47
9	UTI-Mid Cap Fund	53,31,264	0.46
10	General Insurance Corporation Of India	51,58,427	0.44
	Total	**1,00,73,96,485**	**86.21**

9.12 **Unclaimed /Unpaid Dividend:**

The amount of dividend that remained unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. The list of dividends declared so far and proposed date of transfer for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Proposed Date of Transfer
Dividend for 2010-11	80%	08-08-18
Dividend for 2011-12	80%	06-08-19
Dividend for 2012-13	80%	06-08-20
Interim Dividend 2013-14	27%	18-02-21
Final Dividend 2013-14	13%	05-08-21
Dividend for 2014-15	60%	05-08-22
Dividend for 2015-16	19.50%	08-08-23

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrar & Share Transfer Agent or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank (www.unionbankofindia.co.in).

9.13 **Unclaimed Shares:**

a) In Demat Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares (erstwhile clause 5A-I of listing agreement), the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted

to the applicants at the time of Bank's FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2017 lying in Demat Suspense Account	225	27,496
Shareholders approached for transfer during the financial year 2017-18	3	463
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2017-18	3	463
Balance as on 31.03.2018 lying in Demat Suspense Account	222	27,033

The voting rights on above mentioned 27,033 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

b) In Physical Form:

As per Schedule VI of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares (erstwhile Clause 5A-II of the listing agreement) i.e. Manner of Dealing with Unclaimed Shares, the Bank has opened a Unclaimed Suspense Account in March, 2012 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares issued in physical form during IPO of the Bank in the year 2002, which are still unclaimed are controlled in this account. The details of the shares lying in this account are as follows:

Particulars	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2017 lying in Demat Suspense Account	4	600
Shareholders approached for transfer during the financial year 2017-18	NIL	NIL
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2017-18	NIL	NIL
Balance as on 31.03.2018 lying in Demat Suspense Account	4	600

The voting rights on above mentioned 600 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

10 EXTENT OF COMPLIANCE WITH DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF LISTING REGULATIONS

Sr. No.	Discretionary Requirement	Extent of Compliance
1.	**Board** A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's Office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Government of India appointed Shri Kewal Handa as Non-Executive Chairman of the Board of Bank, hence complied with.
2.	**Shareholders' Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	Complied with.

Sr. No.	Discretionary Requirement	Extent of Compliance
3.	**Modified opinion(s) in Audit Report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	There has been no modified opinion in audit report during the year under review, hence complied with.
4.	**Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	The posts of Chairman and Managing Director & CEO have been separated, hence complied with.
5.	**Reporting of Internal Auditor** The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	As per the Board approved Risk Based Internal Audit Policy, the Internal Auditors report directly to the General Manager, Central Audit & Inspection Department. However, details with latest position of Flash Reports & Special Reports given by internal auditors are placed before the Audit Committee of the Board.

11 DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year 2017-18.

For Union Bank of India



(Rajkiran Rai G.)
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date : 10th May, 2018

प्रति,
निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ : सेबी के विनियमन 17 (8) (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के तहत प्रमाणपत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष (2017-18) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू क़ानूनों एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.

(बी) हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

(डी) हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है. -

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(श्रीनिवास राव बी.)
महाप्रबंधक व सीएफ़ओ

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सदस्यगण
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है.

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 313085E

(कमल अग्रवाला)
भागीदार
एम.सं. 059649

कृते एस भण्डारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000560C

(पी पी पारीक)
भागीदार
एम.सं. 071213

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101961W

(मनीष सम्पत)
भागीदार
एम.सं. 101684

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 105215W

(संदीप डी वेल्लिग)
भागीदार
एम.सं. 044576

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 107758W

(राजन बी शाह)
भागीदार
एम.सं 101998

कृते एम जी बी एंड क. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101169W

(संजय कोठारी)
भागीदार
एम.सं 048215

स्थान: मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

भारत के राष्ट्रपति/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट:

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं. इन वित्तीय विवरणों में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं 1 ट्रेजरी शाखा सहित, 20 क्षेत्रीय कार्यालयों, 23 कार्यालयों/केन्द्रों एवं सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2,272 शाखाओं तथा स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 4 विदेशी शाखाओं के विवरण शामिल हैं. हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाएं एवं अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण हेतु शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों में 2,005 शाखाओं, 43 क्षेत्रीय कार्यालयों और 136 कार्यालयों/केन्द्रों के विवरणों का भी समावेश है, जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है. लेखापरीक्षा न की गई इन शाखाओं के अग्रिम बैंक के अग्रिमों के 7.05% जमाराशियां बैंक की जमाराशियों की 24.17%, कुल ब्याज आय 7.79% और कुल ब्याज व्यय 23.38% है.

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों को बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्दिष्ट लेखामानकों में निर्धारित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों में बैंक के लिए लागू सिद्धांतों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है. इस उत्तरदायित्व में वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश सारवान गलती से रहित हो.

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा दायित्व अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है. हमने अपना लेखा परीक्षण, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए आयोजित और संपन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है.

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है. प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलत कथन की जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है. इन जोखिमों का आकलन करने में लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा डिजाइन करने के लिए बैंक की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतिकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, न कि बैंक आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करता है. किसी भी लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

5. हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

सम्मति

6. हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और जैसा कि बैंक कि बहियों में दर्शित है, हमारे मत के अनुसार:

   (ए) तुलन पत्र और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक सम्पूर्ण और सही तुलन पत्र है, जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बैंक के यथा 31 मार्च 2018 के कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिए उचित प्रकार से बनाया गया है;

   (बी) लाभ हानि खाते और उसके नोट सभी आवश्यक विवरण वाला एक सम्पूर्ण और सही तुलनपत्र है जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए उस वर्ष का सही हानि दर्शाते हैं. और

   (सी) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है.

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं.

8. ऊपर पैरा 1 से 5 में दी गई लेखापरीक्षाओं की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, और उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   ए. हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारियाँ और स्पष्टीकरण प्राप्त की गयी, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

   बी. हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारियों के अधिकार में किए गए हैं; तथा

   सी. बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं.

9. हम आगे सूचित करते हैं कि :

   (ए) इस रिपोर्ट में निहित तुलन पत्र व लाभ हानि खाता लेखा बहियों तथा विवरणियों के अनुरूप है.

   (बी) बैंककारी विनिमयन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गईं तथा रिपोर्ट तैयार करने में उन पर विचार किया गया है; तथा

   (सी) हमारे मत से तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स	**कृते एस. भंडारी एंड कं.**	**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E	फर्म पंजीकरण संख्या 000560C	फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(कमल अग्रवाला)	**(पी पी पारीक)**	**(मनीष संपत)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्य सं. 059649)	(सदस्य सं. 071213)	(सदस्य सं. 101684)
कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी	**कृते आर एस पटेल एंड कं.**	**कृते एम. जी. बी. एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W	फर्म पंजीकरण संख्या 107758W	फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संदीप डी. वेल्लिंग)	**(राजन बी शाह)**	**(संजय कोठारी)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्य सं. 044576)	(सदस्य सं. 101998)	(सदस्य सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

31 मार्च 2018 का तुलन पत्र

(₹ 000 में)

विवरण	अनुसूची क्र.	यथा 31 मार्च 2018	यथा 31 मार्च 2017
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**11,68,57,34**	6,87,44,11
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**2,39,28,19,78**	2,27,47,75,23
शेयर एप्लिकेशन निधि		**-**	5,41,00,00
जमाराशियां	3	**40,85,01,63,57**	37,58,99,00,98
उधार	4	**4,56,80,76,81**	4,12,25,87,30
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	**81,26,82,01**	1,16,03,36,40
कुल		**48,74,05,99,51**	45,27,04,44,02
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष	6	**2,10,16,46,93**	1,65,20,44,74
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	**2,84,24,72,51**	1,63,02,05,45
निवेश	8	**12,37,80,12,40**	11,21,48,95,95
अग्रिम	9	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70
अचल आस्तियां	10	**38,33,33,28**	38,94,41,50
अन्य आस्तियां	11	**2,15,90,76,14**	1,73,71,98,68
कुल		**48,74,05,99,51**	45,27,04,44,02
संभाव्य देयताएं	12	**24,15,72,91,92**	23,16,00,86,31
संग्रहण के लिए बिल		**1,84,27,08,88**	1,61,19,39,73
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(बी. श्रीनिवास राव)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. के. रमेश)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. ढोळकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
(कमल अग्रवाला)
भागीदार
(सदस्य सं. 059649)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
(पी पी पारीक)
भागीदार
(सदस्य सं. 071213)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य सं. 101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W
(संदीप डी. वेल्लिग)
भागीदार
(सदस्य सं. 044576)

कृते आर. एस. पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य सं. 101998)

कृते एम. जी. बी. एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता

(₹ 000 में)

विवरण		अनुसूची क्र.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	**3,27,47,99,92**	3,26,59,98,01
	अन्य आय	14	**49,89,86,84**	49,64,59,89
	कुल		**3,77,37,86,76**	3,76,24,57,90
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	**2,34,43,33,60**	2,37,56,64,48
	परिचालन व्यय	16	**67,54,95,60**	64,37,84,48
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		**1,27,86,94,41**	68,74,87,63
	कुल		**4,29,85,23,61**	3,70,69,36,59
III.	**वर्ष का लाभ / (हानि)**		**(52,47,36,85)**	5,55,21,31
	जोड़ें: आगे लाया गया लाभ		**0**	36
	कुल		**(52,47,36,85)**	5,55,21,67
IV.	**विनियोजन**			
	संविधिक आरक्षित में अंतरण		**0**	1,38,75,00
	पूंजी आरक्षित में अंतरण		**1,11,16,77**	2,31,46,67
	राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		**0**	0
	विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii)]		**0**	1,85,00,00
	लाभ हानि लेखे में शेष		**(53,58,53,62)**	0
	कुल		**(52,47,36,85)**	5,55,21,67
	प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य ₹ 10)	18	**69.45**	8.08
	प्रमुख लेखा नीतियां	17		
	खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां लाभ हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(वी. श्रीनिवास राव)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. के. रमेश)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. ढोळकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
(कमल अग्रवाला)
भागीदार
(सदस्य सं. 059649)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
(पी पी पारीक)
भागीदार
(सदस्य सं. 071213)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य सं. 101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W
(संदीप डी. वेल्लिग)
भागीदार
(सदस्य सं. 044576)

कृते आर. एस. पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य सं. 101998)

कृते एम. जी. बी. एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017	
अनुसूची 1 - पूंजी :					
I.	**प्राधिकृत:**				
	₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर	**30,00,00,00**		30,00,00,00	
II.	**निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :**				
	i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 7,87,91,46,00 इक्विटी शेयर, भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 4,36,10,65,97 इक्विटी शेयर)	**7,87,91,46**		4,36,10,66	
	ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 3,80,65,88,00 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 2,51,33,45,20 इक्विटी शेयर)	**3,80,65,88**		2,51,33,45	
	कुल	**11,68,57,34**		6,87,44,11	
अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :					
I.	सांविधिक आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**66,70,61,10**		65,31,86,10	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**0**	**66,70,61,10**	1,38,75,00	66,70,61,10
II.	पूंजी आरक्षित:				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**10,79,56,50**		8,48,09,83	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,11,16,77**	**11,90,73,27**	2,31,46,67	10,79,56,50
III.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**24,56,79,77**		25,81,23,72	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**0**		0	
	वर्ष के दौरान कमी	**1,14,92,02**	**23,41,87,75**	1,24,43,95	24,56,79,77
IV.	शेयर प्रीमियम :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**44,84,37,91**		44,84,37,91	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**65,83,86,77**		0	
	वर्ष के दौरान कमी	**17,80,96**	**1,10,50,43,72**	0	44,84,37,91
V.	राजस्व आरक्षित :				
	i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**50,73,91,75**		49,60,42,75	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**3,09,20,02**		1,13,49,00	
	वर्ष के दौरान कमी	**3,62,91,97**		0	
	कुल	**50,20,19,80**		50,73,91,75	
	ii) आयकर अधिनियम, 1961 की विशेष आरक्षित धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**28,75,00,00**		26,90,00,00	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**0**		1,85,00,00	
	कुल	**28,75,00,00**		28,75,00,00	
	iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**1,07,48,20**		1,07,75,91	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**41,94,01**		17,16,48	
	वर्ष के दौरान कमी	**11,54,45**		17,44,19	
	कुल	**1,37,87,76**	**80,33,07,56**	1,07,48,20	80,56,39,95
VI.	लाभ-हानि खाते में शेष		**(53,58,53,62)**		-
	कुल		**2,39,28,19,78**		2,27,47,75,23

31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

			यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017
अनुसूची 3 - जमाराशियां :					
क.					
I.	मांग जमाराशियां				
	i) बैंकों से	**4,72,80,37**		4,99,72,53	
	ii) अन्य से	**2,45,85,54,04**	**2,50,58,34,41**	2,32,43,99,12	2,37,43,71,65
II.	बचत बैंक जमाराशियां		**11,41,82,88,41**		10,40,72,42,64
III.	मीयादी जमाराशियां				
	i) बैंकों से	**65,64,72,87**		75,23,06,22	
	ii) अन्यों से	**26,26,95,67,88**	**26,92,60,40,75**	24,05,59,80,47	24,80,82,86,69
	कुल		**40,85,01,63,57**		37,58,99,00,98
ख.					
	i). भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**40,31,96,56,55**		36,92,83,09,96
	ii). भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**53,05,07,02**		66,15,91,02
	कुल		**40,85,01,63,57**		37,58,99,00,98
अनुसूची 4 - उधार :					
क)	उधार : पूंजी लिखत				
	I. शाश्वत बांड		**45,40,00,00**		42,40,00,00
	II. अपर टियर II पूंजी		**15,00,00,00**		15,00,00,00
	III. लोअर टियर II पूंजी		**67,50,00,00**		67,50,00,00
ख)	भारत में उधार				
	I. भारतीय रिज़र्व बैंक से	**65,86,00,00**		0	
	II. अन्य बैंकों से	**0**		0	
	III. अन्य संस्थाओ एवं एजेंसियों से	**11,96,37,90**	**77,82,37,90**	17,51,18,59	17,51,18,59
ग)	भारत से बाहर उधार		**2,51,08,38,91**		2,69,84,68,71
	कुल		**4,56,80,76,81**		4,12,25,87,30
उपर्युक्त (बी) I एवं (बी) III में सम्मिलित प्रतिभूत उधार			**65,86,00,00**		6,41,11,76
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :					
I.	देय बिल		**12,63,61,10**		14,95,55,51
II.	उपचित ब्याज		**17,45,18,43**		16,54,79,81
III.	आस्थगित कर देयताएं		**0**		0
IV.	अन्य (प्रावधान सहित)		**51,18,02,48**		84,53,01,08
	कुल		**81,26,82,01**		1,16,03,36,40
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष :					
I.	धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		**12,90,34,40**		10,30,79,64
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष चालू खाते में		**1,97,26,12,53**		1,54,89,65,10
	कुल		**2,10,16,46,93**		1,65,20,44,74

31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

						यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017	
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन :									
I.	भारत में स्थित बैंकों में जमा शेष								
	i)	क)	चालू खातों में			**56,85,65**		39,30,18	
		ख)	अन्य जमा खातो में			**71,24,26,81**		56,08,93,29	
	ii)		मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन						
		क)	बैंकों से			**1,19,28,91,33**		0	
		ख)	अन्य संस्थाओं से			**0**	**1,91,10,03,79**	0	56,48,23,47
II.	भारत के बाहर								
	i)		चालू खातों में			**4,29,34,63**		1,31,89,42	
	ii)		अन्य जमा खातो में			**87,68,99,77**		1,03,42,39,11	
	iii)		मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन			**1,16,34,33**	**93,14,68,73**	1,79,53,45	1,06,53,81,98
			कुल				**2,84,24,72,51**		1,63,02,05,45
अनुसूची 8 - निवेश :									
I.	भारत में निवेश								
	i)		सरकारी प्रतिभूतियों में				**9,73,49,04,21**		8,75,51,01,54
	ii)		शेयरों में				**18,46,94,21**		20,06,06,19
	iii)		डिबेंचर एवं बॉण्डों में				**1,94,53,59,86**		1,72,21,70,14
	iv)		सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में				**2,67,31,68**		2,27,31,69
	v)		अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)				**23,58,43,59**		32,40,99,28
			कुल				**12,12,75,33,55**		11,02,47,08,84
II.	भारत से बाहर निवेश								
	i)		सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)				**14,38,92,58**		9,39,90,10
	ii)		शेयरों में				**40,32**		40,32
	iii)		अन्य निवेश (बॉण्डों में)				**4,86,96,44**		4,47,22,18
	iv)		सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रम में				**5,78,49,50**		5,14,34,51
			कुल				**25,04,78,85**		19,01,87,11
			कुल				**12,37,80,12,40**		11,21,48,95,95
III.	i)		भारत में निवेश						
			सकल मूल्य				**12,40,19,17,58**		11,14,29,54,89
			मूल्यह्रास हेतु प्रावधान				**27,43,84,03**		11,82,46,05
			निवल मूल्य				**12,12,75,33,55**		11,02,47,08,84
	ii)		भारत से बाहर निवेश						
			सकल मूल्य				**25,05,28,23**		19,03,76,30
			मूल्यह्रास हेतु प्रावधान				**49,38**		1,89,19
			निवल मूल्य				**25,04,78,85**		19,01,87,11
			कुल				**12,37,80,12,40**		11,21,48,95,95

31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)			
क. i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	**88,93,93,48**	1,18,24,74,43
ii)	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	**13,24,87,82,92**	13,32,53,28,33
iii)	मीयादी ऋण	**14,73,78,81,85**	14,13,88,54,95
	कुल	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70
ख. i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)	**25,64,42,25,53**	24,96,01,06,14
ii)	बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित	**1,01,54,67,51**	1,11,23,87,13
iii)	अप्रतिभूत	**2,21,63,65,21**	2,57,41,64,44
	कुल	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70
ग.	अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण		
I.	भारत में अग्रिम:		
i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**1,10,55,68,314**	1,04,21,90,027
ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	**2,50,78,14,78**	1,67,62,97,70
iii)	बैंक	**3,17**	26,51,94,23
iv)	अन्य	**12,92,07,32,46**	13,42,20,18,32
	कुल	**26,48,42,33,55**	25,78,54,10,52
II.	भारत के बाहर अग्रिम:		
i)	बैंकों से प्राप्य	**72,82,29,73**	84,71,56,56
ii)	अन्य से प्राप्य		
क)	खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**58,62,42,36**	83,29,30,75
ख)	सिंडिकेटेड ऋण	**2,23,98,63**	3,59,61,38
ग)	अन्य	**1,05,49,53,98**	1,14,51,98,49
	कुल	**2,39,18,24,70**	2,86,12,47,18
	कुल	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :

क.	मूर्त आस्तियां				
I.	परिसर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**37,98,39,04**		37,22,51,94	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**33,66,06**		79,73,10	
	वर्ष के दौरान कमी	**0**		3,86,00	
		38,32,05,10		37,98,39,04	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**9,70,44,95**	**28,61,60,15**	8,28,65,12	29,69,73,92
II.	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**20,93,38**		11,78,33	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**27,17,73**		9,43,45	
	वर्ष के दौरान कमी	**14,61,94**	**33,49,17**	28,40	20,93,38
III.	भूमि				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**76,30,34**		72,68,05	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**0**		3,62,29	
	वर्ष के दौरान कमी	**6,77,21**		0	
		69,53,13		76,30,34	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**5,44,15**	**64,08,98**	4,66,14	71,64,20

31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017	
IV.	अन्य अचल आस्तियां				
	(फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स सहित)				
	क) पट्टे पर दी गयी आस्तियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**26,53,52**		26,53,52	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**26,53,52**	**0**	26,53,52	0
	ख) अन्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**24,01,48,69**		22,47,94,72	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**2,50,78,69**		2,01,06,12	
	वर्ष के दौरान कमी	**58,14,18**		47,52,15	
		25,94,13,20		24,01,48,69	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन (निवल)	**17,49,91,40**	**8,44,21,80**	15,93,01,43	8,08,47,26
ख.	अमूर्त आस्तियां				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**2,15,22,52**		1,96,87,02	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**26,91,37**		22,71,72	
	वर्ष के दौरान कमी	**8,65,00**		4,36,22	
		2,33,48,89		2,15,22,52	
	आज की तारीख तक परिशोधित (निवल)	**2,03,55,71**	**29,93,18**	1,91,59,78	23,62,74
	कुल		**38,33,33,28**		38,94,41,50
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :					
I.	अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)		**2,17,67,38**		14,86,17,49
II.	उपचित ब्याज		**35,29,57,86**		23,78,73,99
III.	आस्थगित कर आस्तियां		**41,92,87,00**		22,94,16,00
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टाम्प		**3,89,64**		3,15,27
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां		**3,90**		3,90
VI.	अन्य		**1,36,46,70,36**		1,12,09,72,03
	कुल		**2,15,90,76,14**		1,73,71,98,68
अनुसूची 12 - संभाव्य देयताएं :					
I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है		**34,42,10,19**		35,32,46,29
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं		**59,20**		59,20
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		**18,36,90,35,19**		18,04,39,10,57
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी गारंटी				
	क) भारत में	**1,97,44,97,13**		1,45,66,77,78	
	ख) भारत से बाहर	**3,55,36,11**	**2,01,00,33,24**	5,18,67,48	1,50,85,45,26
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं		**3,03,30,98,80**		3,00,31,19,04
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक संभाव्य रुप से उत्तरदायी है				
	क) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	**30,34,78,30**		24,29,83,75	
	ख) डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	**9,73,77,00**		82,22,20	
			40,08,55,30		25,12,05,95
	कुल		**24,15,72,91,92**		23,16,00,86,31

31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :			
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	**2,27,72,97,52**	2,29,43,10,10
II.	निवेशों से आय	**87,79,96,52**	86,95,09,60
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	**11,39,37,36**	8,80,53,76
IV.	अन्य	**55,68,52**	1,41,24,55
	कुल	**3,27,47,99,92**	3,26,59,98,01
अनुसूची 14 - अन्य आय :			
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	**5,21,81,71**	4,68,72,64
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल)	**12,66,34,08**	20,58,66,29
III.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ/(हानि) (निवल)	**(8,46,59)**	25,83,22
IV.	विनिमय संव्यवहारों से लाभ (निवल)	**8,92,52,90**	9,52,33,80
V.	अन्य आय	**23,17,64,74**	14,59,03,94
	कुल	**49,89,86,84**	49,64,59,89
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :			
I.	जमाराशियों पर ब्याज	**2,15,56,15,63**	2,19,99,09,38
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारी पर ब्याज	**8,52,92,82**	4,80,60,80
III.	अन्य	**10,34,25,15**	12,76,94,30
	कुल	**2,34,43,33,60**	2,37,56,64,48
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :			
I.	कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**32,55,23,36**	34,34,20,28
II.	किराया, कर और बिजली	**5,64,39,34**	5,11,33,33
III.	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**56,57,48**	58,12,21
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	**56,93,65**	66,98,32
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास	**3,62,71,11**	2,36,03,98
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	**88,18**	83,73
VII.	प्रबंध/कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक	**1,04,63**	72,39
VIII.	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**54,34,39**	41,12,88
IX.	विधि प्रभार	**36,97,84**	21,86,12
X.	डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	**93,70,07**	78,95,96
XI.	मरम्मत एवं रखरखाव	**1,17,76,11**	1,14,15,34
XII.	बीमा	**3,93,17,38**	3,77,00,03
XIII.	अन्य व्यय	**17,61,22,06**	14,96,49,91
	कुल	**67,54,95,60**	64,37,84,48

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1 लेखांकन पद्धति :

ये वित्तीय विवरण, यदि अन्यथा वर्णित न हो, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में मौजूदा रूप से लागू प्रचलित सामान्य व्यवहारों का पालन करते हुए सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं. विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित देश में लागू व्यवहार के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है.

2 अनुमानों का उपयोग :

जीएएपी के साथ अनुरुपता में वित्तीय विवरण की तारीख को वित्तीय विवरणों की तैयारी में, प्रबंधन को रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रुप से पहचाना जाता है.

3 राजस्व की पहचान :

I. जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

II. गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है. पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है.

III. अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, (तृतीय पक्ष उत्पाद से प्राप्त आय सहित) सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

IV. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

V. जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है.

4 नकदी प्रवाह विवरण :

नकद तथा नकद तुल्य मद में नकद शेष, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग या अल्प सूचना की राशियां शामिल हैं.

5 निवेश :

i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है.

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बांड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ़) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. DBR.No.BP.BC.6/21.04.141/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धान्त अपनाए गए हैं:

ए) "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर:

i) अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बट्टे की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

iv) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

बी) "एएफएस" तथा "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां

i) बिक्री के लिए उपलब्ध एवं व्यापार के लिए धारित श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

ii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाज़ार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
ई	ऋण पत्र/बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ़	म्युचुअल फंड (एम एफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार,यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार.यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल /जमा प्रमाणपत्र /वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियाँ (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर; यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में

i) यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत /बही मूल्य पर.

ii) यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.

इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

सी) विक्रय के लिए उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

v) गैर-निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते में जमा/नामे किया गया है.

viii) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा "निपटान तारीख" का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा :

i) वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम :

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र क्र. DBR.BP.BC No.2/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है.

ii) भारिबैं द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैर निष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है. ऋण आस्तियां गैर-निष्पादित आस्तियां(एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब:

ए) मीयादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो.

बी) ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता अनियमित रहता है यथा यदि बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो अथवा यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों.

सी) खरीदे गए /रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहती है;

डी) अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

ई) लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं.

iii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है:

ए) अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है.

बी) संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.

सी) हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

iv) विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है:

अवमानक आस्तियां:	i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15% ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो. iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्क्रो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों.
संदिग्ध-सुरक्षित भाग	i. एक वर्ष तक 25% ii. एक से तीन वर्ष तक 40% iii. तीन वर्ष से अधिक 100%
संदिग्ध-असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्ति	100%

v) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

vi) विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं.

vii) पुनर्गठित/पुनर्निर्धारित आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है.

viii) एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.

ix) पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुक़ाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है.

x) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है.

8. स्थायी आस्तियां एवं ह्रास :

i) स्थायी आस्तियों को, मूल्यह्रास और क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. खर्च में खरीदी की लागत और सभी व्यय जैसे साइट तैयार करने तथा इन्स्टॉलेशन लागत और आस्ति के तैयार होने से पूर्व व्यय किए गए पेशेवर शुल्क को शामिल किया गया है. इस तरह की आस्तियों से इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई गई है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है.

01.04.2017 से प्रभावी संशोधन लेखांकन मानक 10 - संपत्ति संयंत्र और उपकरण के अनुसार, निश्चित परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्य रिज़र्व से राजस्व रिजर्व तक स्थानांतरित किया गया है, न कि लाभ और हानि खाते से.

ii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूँजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है. कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर पर ह्रास कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है जिस पर भरिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया जाता है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान घटती शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है :

	आस्ति का प्रकार	मूल्य ह्रास की दर
I.	परिसर	5 %
II.	अन्य स्थायी आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10 %

	आस्ति का प्रकार	मूल्य ह्रास की दर
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/ स्ट्रांग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू पी एस. उपकरण	33.33%
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है.

v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

vii) पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

9. आस्तियों में क्षति :

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होती.

10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर :

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन :

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 11(विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखा मानक 11 में निर्दिष्ट है. बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाईयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

ए. एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

i. आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

ii. विदेशी मुद्रा मौदिक एवं गैर- मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii. गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं.

iv. परिणामी विनिमय अंतरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

बी. गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में लेखांकन

i. आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयतओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है

ii. विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमश: फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर पर किया जाता है.

iii. आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv. परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग "विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व" खाते में रखा जाता है.

12. कर्मचारी लाभ :

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है. अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में नामे की जाती है. भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है.

वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है. ग्रेच्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषिक दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15(संशोधित) के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान

द्वारा जारी "कर्मचारी लाभ" बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए परिभाषित "अंशदायी योजना" नामक नई पेंशन योजना है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है. इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया गया है. विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया गया है.

13. खंडवार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है.

कारोबार खंड को

i) ट्रेजरी परिचालन,

ii) कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

iii) रिटेल बैंकिंग परिचालन और

iv) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है:

14. लीज संव्यवहार :

परिचालन लीज पर लिए गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया गया है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/नवीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी गई है.

15. प्रति शेयर आय :

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की गई है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

16. कराधान:

वर्तमान एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियामों के अनुसार की गई है.

आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है; जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की निश्चितता हो. वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं की गतिविधियों के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है.

17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है; जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरुप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणित हो सकती है.

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं.

अनुसूची 18 : लेखों पर नोट्स:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन इस प्रकार है.

1.1 पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बासल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है. 31 मार्च, 2019 तक बासल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर-I पूँजी, कॉमन इक्विटी टीयर-I (सीईटी-I) एवं अतिरिक्त टीयर- I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2018 तक न्यूनतम 7.375% (1.875% पूंजी संरक्षण बफर सहित) सीईटी I एवं न्यूनतम 8.875% टीयर I सीआरएआर के साथ जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) 10.875% रखना आवश्यक है.

फ्रेमवर्क के अनुसार पूँजी पर्याप्तता की गणना निम्नानुसार है :

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	सामान्य इक्विटी टीयर-I पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%) बासल III	7.60	7.71
ii)	टीयर I पूंजी अनुपात (%) बासल III	9.07	9.02
iii)	टीयर II पूंजी अनुपात (%) बासल III	2.43	2.77
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III	11.50	11.79
v)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (%)	67.43	63.44
vi)	उगाही की गई इक्विटी पूंजी की राशि: (₹करोड़ में)	7,065	शून्य
vii)	उगाही की गई अतिरिक्त टीयर-I पूंजी की राशि (रु.करोड़ में)	500	3,500
viii)	उगाही गई टीयर- 2 पूंजी की राशि: (₹करोड़ में)	शून्य	1,750
	इसमें से ऋण पूंजी लिखतें: (₹करोड़ में)	शून्य	1,750

नोट:

1. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बासल III अनुपालित अतिरिक्त टीयर- I (एटी- I) बॉन्ड जारी कर ₹500 करोड़ की राशि एकत्रित की गई है.
2. वर्ष के दौरान, बैंक ने सेबी विनियमन, 2009 के प्रावधान के अनुसार कुल ₹2,000 करोड़ के प्रति शेयर के ₹144.65 प्रीमियम पर अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) नकदी अनुसार प्रति ₹10 अंकित मूल्य के साथ 12,93,24,280 इक्विटी शेयर जारी किया है.
3. भारत सरकार के पत्र क्र 7/38/2014-BOA दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा ₹541 करोड़ निवेश किया गया, जो 31 मार्च 2017 तक शेयर आवेदन राशि, लंबित आबंटन के अंतर्गत नियंत्रित की जाती थी. बाद में, भारत सरकार के पत्र क्र F.No.7/38/2014-BOA दिनांक 4 अगस्त 2017 द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने पर, दिनांक 4 अगस्त 2017 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹128.76 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रति ₹10 के अंकित मूल्य के साथ 3,89,88,181 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए गए.
4. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पत्र क्र F.No.7/38/2014-BOA दिनांक 21 मार्च 2018 द्वारा ₹4524 करोड़ निवेश किया है जिसके लिए बैंक ने 27 मार्च 2018 को भारत सरकार को अधिमानी आधार पर ₹134.62 प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रति ₹10 के अंकित मूल्य के साथ 31,28,19,803 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित किया है.

2 निवेश

2.1 बैंक निवेश का विवरण एवं बैंक निवेश पर मूल्य ह्रास, संचरण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

क्र.		विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1		**निवेशों का मूल्य**		
	i)	निवेशों का सकल मूल्य	1,24,598.07	1,11,942.41
		(ए) भारत में	1,24,019.17	1,11,427.66
		(बी) भारत के बाहर	578.90	514.75
	ii)	मूल्यह्रास का प्रावधान	2,743.84	1,182.46
		(ए) भारत में	2,743.84	1,182.46
		(बी) भारत के बाहर	शून्य	शून्य
	iii)	निवेशों का निवल मूल्य	1,21,854.23	1,10,759.95
		(ए) भारत में	1,21,275.33	1,10,245.20
		(बी) भारत के बाहर	578.90	514.75
2		**निवेशों पर मूल्यह्रास के पेटे किए गए प्रावधानो का संचरण**		
	i)	आरंभिक शेष	1,182.46	553.80
	ii)	जोडा: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,828.57	720.16
	iii)	घटाया: वर्ष के दौरान राइट-आफ/राइट-बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	267.19	91.50
	iv)	अंतिम शेष	2,743.84	1,182.46

2.2 रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में संव्यवहार सहित क्रमश: रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत

खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए है:

(रू. करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	दिनांक 31.03.2018 को बकाया
ए	**रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	4.00	8,920.35	2,220.00	6,862.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी	**रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां**				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	15.00	11,197.00	970.00	11,197.00
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.3 गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर-एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र :

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की मात्रा	निवेश स्तर से नीचे प्रतिभूतियां	गैर-निर्धारित प्रतिभूतियां**	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	पीएसयू	13,990.30	8,628.98	शून्य	0.58	0.58
ii)	वित्तीय संस्थाएं	1,418.79	1,012.82	शून्य	शून्य	शून्य
iii)	बैंक	213.94	140.00	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	निजी कॉर्पोरेट	8,397.69	5,174.79	130.77	14.52	85.30
v)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम *	845.81	845.81	शून्य	शून्य	शून्य
vi)	अन्य	1,791.37	1,281.36	शून्य	शून्य	शून्य
vii)	मूल्यह्रास हेतु किया गया प्रावधान	(2,152.71)	----	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	**24,505.19**	**17,083.76**	**130.77**	**15.10**	**85.88**

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
शेयर	1,846.94	1,782.46
ऋण-पत्र व बॉन्डस	19,453.60	17,221.70
सहायक कम्पनियां/संयुक्त उद्यम	846.22	741.66
अन्य	2,358.43	3,465.00
योग	**24,505.19**	**23,210.82**

ii. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों में सकल गैर निष्पादक निवेशों में संचलन निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
आरंभिक शेष	2,091.48	244.19
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,037.49	1,853.35
वर्ष के दौरान कमी	1,781.27	6.06
अंतिम शेष	2,347.70	2,091.48
कुल धारित प्रावधान	**1,845.57**	**502.51**

2.4 एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण

बैंक ने वित्त वर्ष दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण नहीं किया है. वर्ष के दौरान ₹3,638.61 करोड़ की अंकित मूल्य/₹3,666.20 करोड़ के बही मूल्य के साथ एचटीएम श्रेणी के तहत प्रतिभूतियाँ बेची गयीं. इसके अतिरिक्त दिनांक 3 अप्रैल 2017 को बैंक ने कुल ₹26,881.77 करोड़ एवं ₹27,163.81 करोड़ वाले क्रमश: अंकित मूल्य एवं बही मूल्य के लिए निदेशक मण्डल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों के एक बारगी अंतरण को पूरा किया है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र क्र.आरबीआई/2016-17/318 DBR No.BC.71/12.02.001/2016-17 दिनांक 7 जून 2017 एवं आरबीआई/2017-18 DBR No.BC.90/12.02.001/2017-18 दिनांक 4 अक्तूबर 2017 द्वारा बैंकों को एचटीएम श्रेणी में अपने कुल एसएलआर धारित प्रतिभूतियों को क्रमबद्ध ढंग से कम करने की सलाह दी है. तद्नुसार बैंक ने 27 दिसंबर 2017 को कुल ₹1,097.15 करोड़ की अंकित मूल्य ₹1073.87 करोड़ के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया था.

3. डेरीवेटिव्स

3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	13,977.96	16,181.10
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप होने वाली हानि	41.07	62.58
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	शून्य	शून्य
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य*	(5.84)	(10.30)

* आईआरएस डील के एमटीएम के साथ हेजिंग डील पर प्राप्त ब्याज.

नोट:

I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.

II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.

III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स:

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार) ए) वायदा व्याज दर खरीद बिक्री	 4,278.13 4,105.65	 3,962.51 3,945.51
ii)	31 मार्च 2018 को बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	लिखत बकाया 679GS2027 शून्य 772GS2025 शून्य 788GS2030 शून्य	लिखत बकाया 759GS2026 20.82
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और ''अत्यंत प्रभावित'' न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)	लिखत बकाया 679GS2027 शून्य 772GS2025 शून्य 788GS2030 शून्य	लिखत बकाया 759GS2026 20.82
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और ''अत्यंत प्रभावित'' न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)	लिखत बकाया 679GS2027 शून्य 772GS2025 शून्य 788GS2030 शून्य	लिखत एमटीएम 759GS2026 (0.06)

3.3 डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

ए. गुणात्मक प्रकटन

1. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहों में संव्यवहार करता है:

   i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार

   ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह में बैंक करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सजेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपौलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरेविटव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन बाजारों (एक्सचेंजो) में करेंसी फ्यूचर्स में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. इन बाजारों (स्टाक एक्सचेंजो) के साथ दैनिक संव्यवहार (मार्क टू मार्क) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. इन बाजारों (स्टाक एक्सचेंजो) के साथ दैनिक संव्यवहार (मार्क टू मार्क) और मार्जिन दायित्व, नियामकों द्वारा दिये गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वैप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है, जबकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की जोखिम भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं:

ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है:

I) फ्रंट ऑफिस - डीलिंग रुम, बैंक की नीति और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है.

II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन

III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन.

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग के ध्यान में लाता है. मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक बाजार पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है.

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोजर) के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है.

2) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश, अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है.

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है.

ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं. जोखिम मानदण्डों यथा पीवी 01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं. आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी 01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे.

3) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी 01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है. हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मदों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है. हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है.

4) हेज/अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है.

ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है.

क्रेडिट जोखिम के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है. बैंक प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए आवधिक अंतराल पर करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है. डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं. अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है.

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है.

बी. मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

		31.03.2017		31.03.2018	
क्र.	**विवरण**	**करेंसी डेरीवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरीवेटिव्स**	**करेंसी डेरीवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरीवेटिव्स**
i)	डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
ए	हेजिंग के लिए	0.00	4,275.00	0.00	4,925.00
बी	ट्रेडिंग के लिए	2,961.22	5,120.82	1,306.81	4,490.00
ii)	मार्क टू मार्केट पोजीशन (1)				
ए	आस्तियां (+)	36.56	34.38	29.31	24.93
बी	देयताएं (-)	-22.25	-45.88	-21.64	-32.02
iii)	ऋण एक्सपोज़र (2)	248.74	152.69	201.33	135.22
iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
ए	हेजिंग डेरीवेटिव पर	0.00	16,253.02	0.00	15,121.53
बी	ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	26.59	746.47	15.90	133.40
v)	वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 (लाख में)				
ए	अधिकतम				
	ए. हेजिंग पर	0.00	16,403.51	0.00	17,986.56
	बी. ट्रेडिंग पर	29.74	3,276.87	26.59	3,837.97
बी	न्यूनतम				
	ए. हेजिंग पर	0.00	2,972.32	0.00	15,121.53
	बी. ट्रेडिंग पर	18.26	145.93	15.84	13.92

* ब्याज दर डेरीवेटिव के क्रेडिट एक्सपोजर में हेजिंग डील्स पर एक्सपोजर भी शामिल है.

4. आस्ति गुणवत्ता:

4.1 गैर-निष्पादित आस्तियां

सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए), शुद्ध एनपीए एवं प्रावधानों के संचलन का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	8.42	6.57
ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		
	(ए) आरंभिक शेष	33,712.28	24,170.89
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	21,305.35	12,755.27
	(सी) वर्तमान एनपीए के शेष में वृद्धि	63.76	488.62
	उप-योग (ए)	**55,081.39**	**37,414.78**
	डी) घटाया :-		
	(i) अप-ग्रेडेशन	399.70	1,050.00
	(ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	1,834.81	1,388.36
	(iii) तकनीकी/विवेकाधीन राइट-ऑफ	2,773.78	999.19
	(iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त राइट-ऑफ	703.17	264.45
	उप-योग (बी)	**5,711.46**	**3,702.50**
	(ई) **अंतिम शेष (ए-बी)**	**49,369.93**	**33,712.28**
iii)	एनपीए का संचलन (शुद्ध)		
	(ए) आरंभिक शेष	18832.10	14,025.94
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि	7869.27	7211.99
	(सी) वर्ष के दौरान कमी	2375.06	2405.83
	(डी) **अंतिम शेष**	24326.31	18832.10
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचलन	14880.17	10144.95
	(ए) प्रारंभिक शेष	13499.84	6031.90
	(बी) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	140.55	(9.71)
	(सी) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट-ऑफ/राइट बैक	3476.93	1286.97
	(डी) **अंतिम शेष**	25043.63	14880.17

इन प्रावधानों में एनपीए के रुप में वर्गीकृत किये गये पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में हुए ह्रास के प्रावधानों को शामिल किया गया है. एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में दावाकृत खातों में वसूली/प्राप्त ईसीजीसी दावा राशि को शामिल किया गया है और क्रमश: ₹181.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹86.47 करोड़) तथा ₹0.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.02 करोड़) की राशि को समायोजन हेतु लंबित रखा गया है.

4.2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 द्वारा ''लेखों पर नोट'' के तहत संदर्भ अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कुछ अतिरिक्त प्रकटन निर्धारित किए हैं, न तो आरबीआई द्वारा अतिरिक्त प्रावधानीकृत आवश्यकताओं का मूल्यांकन न ही आरबीआई द्वारा चिन्हित किए गए अतिरिक्त सकल एनपीए बैंक द्वारा प्रकाशित कर भुगतान करने के बाद क्रमश: शुद्ध लाभ एवं वृद्धिशील सकल एनपीए से 15 प्रतिशत से अधिक हुआ है.

4.3 पुनर्गठित खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	पुनर्गठन के प्रकार		सीडीआर प्रक्रिया के अन्तर्गत					एसएमई ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया के अन्तर्गत				
	आस्तियों का वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण											
1	31.03.17 तक पुनर्गठित खाते (वित्त वर्ष 2017 हेतु प्रारम्भिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	11	3	31	1	46	218	76	5750	245	6289
		बकाया राशि	2,245.39	202.03	4,615.98	98.60	7,162.00	402.98	594.14	518.38	26.87	1542.37
		उस पर प्रावधान	103.32	1.15	309.99	0.00	414.46	4.67	5.58	11.28	0.31	21.84
2	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान नयी पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	17				17
		बकाया राशि	0.00				0.00	8.21				8.21
		उस पर प्रावधान	0.00				0.00	0.01				0.01
4	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित अग्रिम, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में दर्शाया गया	उधारकर्ताओं की संख्या	3				3	40				40
		बकाया राशि	231.36				231.36	232.39				232.39
		उस पर प्रावधान	20.86				20.86	0.13				0.13
5	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या		4	1	0	5		33	1	0	34
		बकाया राशि		422.47	252.11	0.00	674.58		90.64	41.96	0.00	132.60
		उस पर प्रावधान		53.79	8.40	0.00	62.19		3.21	0.00	0.00	3.21
6	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	3	1	4	0	0	4262	178	4440
		बकाया राशि	0.00	0.00	790.87	43.35	834.22	0.00	0.00	128.55	0.71	129.26
7	31.03.17 तक पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2	4	27	1	34	81	27	391	52	551
		बकाया राशि	40.34	422.47	3,868.37	98.28	4,429.46	36.62	90.31	795.27	26.25	948.46
		उस पर प्रावधान	1.00	53.79	274.51	0.00	329.30	1.19	3.21	9.65	0.24	14.29

(₹ करोड़ में)

क्र.	पुनर्गठन के प्रकार		अन्य					कुल				
	आस्तियों का वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण											
1	31.03.17 तक पुनर्गठित खाते (वित्त वर्ष 2017 हेतु प्रारम्भिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	7144	1193	19122	1085	28544	7,373	1,272	24,903	1,331	34879
		बकाया राशि	3,048.08	1,156.51	2,840.87	459.11	7504.57	5,696.45	1,952.68	7,975.23	584.58	16,208.94
		उस पर प्रावधान	87.26	33.38	50.39	1.40	172.43	195.25	40.11	371.66	1.71	608.73
2	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान नयी पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	0	5	3	0	0	0	5	3	0	8
		बकाया राशि	0.00	1,210.53	694.18	0.00	0.00	0.00	1,210.53	694.18	0.00	1,904.71
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित मानक संवर्ग में अपग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या	150				150	167				167
		बकाया राशि	28.22				28.22	36.42				36.42
		उस पर प्रावधान	0.21				0.21	0.22				0.22
4	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में पुनर्गठित मानक अग्रिम और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित, जिनकी वजह से उच्च प्रावधान किया जाना था और इसलिए उन्हें अगले वित्त वर्ष 2017-18 के प्रारंभ में पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में दर्शाया गया	उधारकर्ताओं की संख्या	1810				1810	1853				1853
		बकाया राशि	103.93				103.93	567.68				567.68
		उस पर प्रावधान	3.05				3.05	24.04				24.04
5	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउन ग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या		657	55	2	714		694	57	2	753
		बकाया राशि		1,939.08	1,528.73	0.19	3,468.00		2452.19	1822.81	0.19	4275.19
		उस पर प्रावधान		32.18	7.47	0.01	39.66		89.18	15.87	0.01	105.06
6	वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पुनर्गठित खातों में राइट-ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	12457	625	13082	0	0	16,722	804	17526
		बकाया राशि	0.00	0.00	230.69	2.42	233.11	0.00	0.00	1,150.12	46.48	1,196.60
7	31 मार्च को वित्त वर्ष 2017-18 हेतु पुनर्गठित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	2470	556	2888	353	6267	2,553	587	3,306	406	6852
		बकाया राशि	1,157.71	2,076.67	4,945.55	531.87	8711.81	1,234.67	2,589.45	9,609.20	656.41	14,089.72
		उस पर प्रावधान	17.44	39.57	71.18	6.87	135.06	19.63	96.57	355.34	7.10	478.64

4.4 आस्ति पुनर्गठन के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	खातों की संख्या	7	8
ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर) ए) एनपीए खाते बी) अपलिखित खाते सी) एसएमए खाते	 286.22 शून्य 99.96	 204.42 शून्य शून्य
iii)	कुल प्रतिफल ए) एनपीए खाते बी) अपलिखित खाते सी) एसएमए खाते	 216.91 शून्य 101.22	 188.70 19.00 शून्य
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	1.58
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल आय/(हानि) ए) एनपीए खाते बी) अपलिखित खाते सी)एसएमए खाते	 (69.31) शून्य 1.26	 (15.72) 19.00 शून्य

4.5 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे:

ए. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	ए. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या बी. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2	ए. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या बी. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण (एआरसी के अलावे)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

सी. एनपीए द्वारा समर्थित प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		अंतर्निहित के रूप में एनपीए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों/ गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		योग	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	622.63	556.60	12.83	13.49	635.46	570.09

डी. प्रतिभूति रसीदों में एसएमए द्वारा समर्थित निवेश का बहीमूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित द्वारा सुरक्षित एनपीए का बैंक द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		अंतर्निहित के रूप में एसएमए द्वारा समर्थित का अन्य बैंक/वित्तीय संस्थानों/गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा मौलिक रुप से विक्रय		योग	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बहीमूल्य	343.36	257.82	शून्य	शून्य	343.36	257.82

4.6 मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	1319.65	2034.24

बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को मानक आस्तियों हेतु किया गया प्रावधान रू.1319.65 करोड़ है. (विगत वर्ष में रु.2034.24 करोड़)

5. कारोबार अनुपात

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	6.71	7.60
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रुप में प्रतिशत	1.02	1.16
iii)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रुप में प्रतिशत	1.54	1.73
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	(1.07)	0.13
v)	प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (₹ करोड़ में)	17.83	16.43
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	(0.14)	0.02

6. आस्ति देयता प्रबंधन:

31 मार्च, 2018 तक जमाराशि, उधारी, अग्रिम एवं निवेश की परिपक्वता का स्वरूप, निम्न पर आधारित है:

- एएलएम पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश
- आस्ति एवं देयताओं का व्यावहारिक अध्ययन, जिसमें निहित विकल्प के लिए कोई निश्चित परिपक्वता नहीं है.
- तुलन पत्र आस्ति एवं देयताओं में विदेशी मुद्रा

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता का स्वरूप	जमाराशि	अग्रिम	निवेश/ प्रतिभूति	उधारी	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयता
अगले दिन	1,655.34	5,034.12	350.00	1,318.80	3,783.57	3,743.12
2-7 दिन	7,106.84	8,952.01	1,138.85	4,004.44	2,021.33	508.55
8-14 दिन	7,506.84	4,190.71	612.74	3,924.32	1,895.35	2,391.45
15-30 दिन	7,528.30	13,058.12	2,471.64	624.30	3,606.33	1,839.26
31 दिन से 2 माह	13,094.38	5,435.22	721.42	2,232.12	5,464.21	4,472.64
2 माह से अधिक और 3 माह तक	22,165.66	11,379.00	194.87	4,563.19	5,937.81	6,795.50
3 माह से अधिक और 6 माह तक	38,347.26	14,444.54	1,465.15	3,556.26	10,322.07	7,226.01
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	52,060.68	26,790.59	12,015.61	2,687.36	5,119.37	5,479.17
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	53,962.68	130,905.06	17,194.34	7,151.16	6,537.05	8,802.15
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	37,641.32	35,298.59	22,846.01	5,082.89	9,839.29	7,560.76
5 वर्ष से अधिक	167,432.34	33,272.61	64,769.98	10,910.93	2,074.47	380.53
योग	408,501.64	288,760.58	123,780.62	46,055.77	56,600.85	49,199.13

7. एक्सपोजर :

7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

क्र.	संवर्ग	31.03.2018	31.03.2017
ए)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक- आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं. - उपर्युक्त के अंतर्गत रु.20 लाख तक व्यक्तिगत आवास ऋण.	28855.48 13762.79	32,300.62 13148.83
ii)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट- वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय, भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं:	5449.27	2978.53
iii)	सीआरई आरएच	6317.74	6634.35
iv)	एलआरडी (पट्टा किराया छूट)	2084.04	1462.56
v)	बंधक समर्थित/प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
बी)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोज़र	11685.64	9,607.20
	रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**54392.17**	**46,348.91**

7.2 पूँजी बाजार में एक्सपोज़र

(रू. करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	1363.22	1,220.89
ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	3.90	3.89
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	322.82	1.58

iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स/परिवर्तनीय डिबेचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: सुरक्षित नहीं करती है.	0.63	26.89
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	541.58	622.12
vi)	शेयरों/बॉन्डो/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण	113.57	322.94
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	शून्य	शून्य
x)	वेंचर पूंजी निधियों के सभी निवेश (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोंनो) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा. **	415.50	480.58
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**2405.89**	**2,678.90**

**** 2017-18 के लिए रू.113.35 करोड़ की वेंचर पूंजी अनाहरित पूंजी प्रतिबद्धताएं शामिल हैं.**

7.3 जोखिम संवर्ग वार कंट्री एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2018	शुद्ध एक्सपोज़र 31.03.2017	प्रावधान यथा 31.03.2018	प्रावधान यथा 31.03.2017
अपर्याप्त	14627.51	14,839.43	शून्य	शून्य
अल्प	5986.13	7,634.06	शून्य	शून्य
सामान्य	349.18	257.62	शून्य	शून्य
उच्च	0.79	1.03	शून्य	शून्य
अत्यधिक उच्च	-	शून्य	शून्य	शून्य
सीमित	-	शून्य	शून्य	शून्य
ऑफ-क्रेडिट	-	शून्य	शून्य	शून्य
योग	**20963.61**	**22,732.14**	**शून्य**	**शून्य**

कन्ट्री जोखिम नीति 2017-18 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है.

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कन्ट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है.

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) को दी गई सीमा से अधिक का ब्यौरा:

(दिनांक 31.03.2018 को पूंजी निधि ₹34334 करोड़)

(₹ करोड़ में)

क्र.		उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर की सीमा (₹)	कुल एक्सपोज़र (₹)	पूंजी निधि का एक्सपोज़र%	31.03.18 की स्थिति	पूंजी निधि की % स्थिति
1.	एकल उधारकर्ता	भारतीय खाद्य निगम	5,150.10	10,000.00	29.12%	1,610.21	4.68%
2.	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- व्यक्तिगत ऋण लेने की एक्सपोज़र सीमा कैपिटल फंड का 15% है. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के अनुसार बोर्ड से अनुमोदन के बाद 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र लिया गया.
- बुनियादी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त 5% एकल इकाइयों वाले व्यक्ति (कैपिटल फंड का 20%)
- भारत सरकार द्वारा तेल बॉण्ड जारी की हुई तेल कंपनियों (जिनके पास एसएलआर स्टेटस नहीं है) के एकल इकाइयों वाले व्यक्तियों के लिए कैपिटल फ़ंड का 25%.
- समूह निवेश की सीमा- 40%
- इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, समूह एक्सपोज़र सीमा 50% है. बोर्ड की अनुमति से अतिरिक्त एक्सपोज़र लिया जा सकता है.

7.5 बेजमानती अग्रिम :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक OD.BP.BC.No./83/08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सड़क/राजमार्ग परियोजनाएं और टोल संग्रह अधिकार से संबंधित अग्रिम, बिल्ड ऑपरेट ट्रान्सफर (बीओटी) के तहत वार्षिकी वृत्ति द्वारा समर्थित हैं.

8. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : ₹414.86 लाख, (गत वर्ष ₹8.43 लाख)

ए. लेखा मानकों के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा दिशानिर्देश जारी किए हैं.

9. राजस्व पहचान (एएस 9)

सार्थक लेखा नीति की अनुसूची 17 की लेखा नीति सं. 3.3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर ही माना गया है; तथापि इस प्रकार की आय को शामिल नहीं किया गया है.

10. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

10.1 परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और ग्रेच्युटी योजना :

31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है. प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
i)	**पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी :**				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1,114.72	1,1231.15	1,110.33	9,619.00
	ब्याज लागत	80.26	836.72	88.72	775.29
	चालू सेवा लागत	53.45	120.75	47.72	134.46
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	242.12	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	वित्तीय धारणा पर बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि	34.24	311.61	30.71	533.48
	बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि	(142.26)	(37.82)	(13.96)	793.17
	वर्ष के अंत में देयताएं	1244.88	11803.32	1,114.72	1,1231.15
ii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	95.98	835.51	99.98	767.77
	अंशदान	शून्य	745.08	88.16	1,019.42
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला	1,302.00	12,115.00	1,333.03	11,214.89
	बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि	(108.02)	273.79	16.75	1,326.65
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(118.66)	295.18	(25.67)	(800.40)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
iii)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान:**				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv)	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:**				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	95.98	835.51	99.98	767.77
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	106.62	814.12	142.40	1294.02
v)	**आय विवरण में चिन्हित व्यय:**				
	वर्तमान सेवा लागत	53.45	120.75	47.72	134.46
	ब्याज लागत	(15.72)	1.21	(11.26)	7.52
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ				
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	242.12	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक लाभ या हानि	(118.66)	(295.18)	(25.67)	800.40
	लाभ हानि खाते में चिन्हित व्यय	161.19	417.14	10.79	942.38
vi)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	161.19	417.14	10.79	942.38
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	शून्य	(745.08)	(88.16)	(1,019.42)
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(57.12)	(311.68)	(218.31)	16.26
vii)	**अन्य ब्यौरे:**				
	पेंशन सेवा के प्रत्येक साल के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अध्यधीन है.				
	ग्रेच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹10,00,000.00 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कम्पनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	37,502	16,443	37,120	18,059
	वेतन प्रति माह	171.21	92.65	162.08	96.58
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	शून्य	शून्य	शून्य	137.01

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
		ग्रेच्युटी	पेंशन	ग्रेच्युटी	पेंशन
viii)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	94.78	250.28	121.75	366.40
	कॉर्पोरेट बॉन्ड	178.50	1,342.84	251.89	1,771.02
	विशेष जमा योजना	8.01	410.00	शून्य	शून्य
	राज्य सरकार	174.58	761.71	139.50	344.00
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	111.64	1,324.49	113.85	1,246.48
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	734.50	8,025.68	706.04	7,486.99
	योग	1,302.01	12,115.00	1,333.03	11,214.89
ix)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)**				
	पिछली छूट दर	7.20	7.45	7.99	8.06
	पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.20	7.45	7.99	8.06
	पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
	पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
	चालू छूट दर	7.83	7.76	7.20	7.45
	वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	7.83	7.76	7.20	7.45
	वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
	वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी :	**ग्रेच्युटी योजना**				
तुलन पत्र में चिन्हित राशि	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.15**	**31.03.14**
वर्ष के अंत में देयताएं	1,244.88	1,114.72	1,110.33	1,088.16	1,060.13
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,302.00	1,333.03	1,251.27	1,264.00	1,081.23
अंतर	57.12	218.31	140.94	175.84	21.10
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	65.00
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	57.12	218.31	140.94	175.84	86.10

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	**ग्रेच्युटी योजना**				
अनुभव समायोजन	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.15**	**31.03.14**
योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि	(142.26)	(13.96)	शून्य	(21.18)	123.74
योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ	10.64	42.42	29.80	38.03	(20.00)

योजना में अधिशेष/कमी:	**पेंशन**				
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.15**	**31.03.14**
वर्ष के अंत में देयताएं	11,803.32	11,231.15	9,619.00	8,218.43	6,683.81
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,115.00	11,214.89	9,525.70	7,861.00	6,104.73
अंतर	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	338.00
पहचानी नहीं गई परिवर्तन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	**पेंशन**				
अनुभव समायोजन	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.15**	**31.03.14**
योजनागत देयताएं (लाभ)/हानि	(37.82)	793.17	1,399.16	731.44	661.38
योजनागत आस्तियां (हानि)/लाभ	(21.39)	526.25	155.11	210.89	(233.23)

10.2 पारिभाषित अंशदान योजना:

बैंक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है, जो दिनांक 01 अगस्त, 2010 से सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकारी के अधीन एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. एनपीएस के लिए नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया है. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैक द्वारा एनपीएस को ₹86.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹68.69 करोड़) का अंशदान किया गया है.

10.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2018	31.03.17
1.	पेंशन	417.14	942.00
2.	अवकाश नकदीकरण	61.84	58.00
3.	अवकाश यात्रा रियायत	(19.02)	(3.69)
4.	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

11. क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17) (₹ करोड़ में)

कारोबार क्षेत्र		स्टैंड अलोन	
		वर्ष की समाप्ति	
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
		31.03.2018	31.03.2017
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**		
1	ट्रेज़री परिचालन	12,008.17	12,508.55
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	10,880.08	10,293.19
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	14,012.38	14,586.86
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	550.49	334.31
5	गैर आबंटित	498.22	शून्य
	योग	**37,949.34**	**37,722.91**
	घटाया: अंतर क्षेत्रवार राजस्व	**(211.48)**	**98.33**
	कुल राजस्व	**37,737.86**	**37,624.58**
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम**		
1	ट्रेज़री परिचालन	1,649.05	3,418.01
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	424.86	679.02
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	(9,488.51)	(3,933.55)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	275.25	179.12
5	गैर आबंटित	498.22	शून्य
	कर पूर्व कुल लाभ	**(6,641.13)**	**342.60**
(सी)	**आयकर**	**(1393.76)**	**(212.62)**
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**(5247.37)**	**555.21**
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	ट्रेज़री परिचालन	1,74,049.92	1,49,452.25
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,16,279.02	1,01,247.61
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	1,87,288.80	1,96,700.94
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
5	गैर आबंटित	9,788.25	5,303.64
	योग	**4,87,405.99**	**4,52,704.44**

	क्षेत्रवार देयताएं		
(एफ)	ट्रेज़री परिचालन	**1,67,650.29**	**1,42,297.16**
1	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,12,561.64	97,183.59
2	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	1,81,301.28	1,88,805.48
3	अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
4	गैर आबंटित	796.02	442.01
5	पूंजी, निधियां एवं अधिशेष	25,096.76	23,976.20
	योग	**4,87,405.99**	**4,52,704.44**

टिप्पणियां:

1. बैंक चार क्षेत्रों यथा: ट्रेज़री, रिटेल, कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक (एएस) 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गयी है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. विदेशी शाखा की इस अवधि की आय और अन्य पैरामीटर, (एएस) 17 में बतायी गयी सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आबंटित न किये जा सकने योग्य आय, व्यय, आस्तियां और देयताएं उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किये जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिये गये हैं.
3. पिछले वर्ष के बारह महीनों/तिमाही के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: समूहीकृत/प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान बारह महीनों/तिमाही के वर्गीकरण/प्रस्तुति के अनुरूप हो.

12 संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस -18)

12.1 संबंधित पार्टियों की सूची

(ए) समनुषंगी :

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
- यूनियन ट्रस्टी कं. प्रा. लि.
- यूनियन बैक आफ इंडिया (यूके) लिमिटेड.

(बी) संयुक्त उद्यम:

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

(सी) एसोसिएट :

- मूल बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

(डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2017-18 के दौरान सेवा ग्रहण करने/सेवानिवृत्त होने वाले
श्री अरुण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30 जून 2017 को कार्यकाल की समाप्ति
श्री राजकिरण रै जी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	1 जुलाई 2017 को कार्यग्रहण
श्री विनोद कथूरिया	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री राज कमल वर्मा	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री अतुल कुमार गोयल	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं

वर्ष के दौरान जिन पार्टियों के साथ संव्यवहार प्रारंभ किए गए: एएस-18 के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं, के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल है, को प्रकटित नहीं किया गया है.

12.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - भुगतान किया गया पारिश्रमिक :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.28	0.23
कार्यपालक निदेशकगण	0.76	0.50
योग	**1.04**	**0.73**

13. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेट पोटेंशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है.

प्रति शेयर अर्जन की गणना नीचे दी गयी है :

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस ₹	(69.45)	8.08
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ ₹करोड़ में	(5247.37)	555.21
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत (संख्या करोड़ में)	75.56	68.74
iv	प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	10	10

14 कर प्रावधान

14.1 आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	शून्य	179.37
2	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	238.91	363.80
3	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	14.07	शून्य
4	अन्य प्रावधानों के कारण	6637.39	2727.01
	योग	6890.37	3270.18
	आस्थगित कर देयताएं		
1	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	**22.31**
2	प्रतिभूतियों पर अर्जित लाभ	790.01	670.36
3	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	994.98	953.71
4	निवेश पर मूल्यह्रास	912.51	शून्य
	योग	2697.50	1646.38
	शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां	**4192.87**	**1623.80**
	शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	शून्य	शून्य

14.1 प्रत्यक्ष कर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर और धन कर देयताओं सहित)	(1393.76)	(212.62)

15 संयुक्त उपक्रम में निवेश: (एएस-27)

निवेश के अंतर्गत ₹ 65 करोड़ (गत वर्ष ₹ 65 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की हित राशि है. यह कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई है.

16. आस्तियों की हानि (एएस-28)

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

17. आकस्मिक देयतायेँ (एएस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र.(i) व (vi)(i) में किया गया है, जो क्रमश: न्यायालय के निर्णय/विवेचन/न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

अतिरिक्त प्रकटन

17.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्रेक-अप	31.03.2018	31.03.2017
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान/(रिवर्सल)	1559.99	630.40
एनपीए के लिए प्रावधान	13499.84	6032.00
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/(रिवर्सल)	(720.39)	515.38
आयकर/आस्थगित कर के लिए शुद्ध प्रावधान	(1393.76)	(213.00)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	367.25	1.81
- अग्रिमों का पुनर्गठन	(235.65)	66.02
- अन्य	(290.34)	(157.75)
योग	**12786.94**	**6874.87**

17.2 काउंटर साइक्लीकल प्राविजनिंग बफर/फ्लोटिंग प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	प्रारंभिक शेष	293.20	293.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की राशि	शून्य	शून्य
iv)	अंतिम शेष	293.20	293.20

18. आरक्षिती से आहरण :

बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षिती से शून्य आहरण किया गया था-शून्य

19. शिकायतों का प्रकटन:

ए. ग्राहक शिकायतें

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	345	446
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	4,26,046	1,97,651
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	4,25,976	1,97,752
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	415	345

बी. बैंक द्वारा जारी एटीएम कार्ड के संबंध में शिकायत:

क्र.	विवरण	31.03.2017	31.03.2016
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	155
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	93,427	51,455
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	93,370	51,610
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	57	शून्य

उक्त के अलावा उन शिकायतों का ब्यौरा, जो विशेष रुप से अन्य बैंकों से संबद्ध हैं:

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	3	55
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	52,743	25,520
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	52,669	25,572
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	77	3

सी. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय:

क्र	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान बैकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	शून्य	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	1
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

20 जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	4,093.89	3,474.45
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	15,043.86	10,900.12
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	14,764.33	10,280.68
वर्ष के अन्त में बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	4,373.42	4,093.89

21. कवरेज अनुपात का प्रावधान (पीसीआर):

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कवरेज अनुपात का प्रावधान (%)	57.16	51.41

22. बैंकाश्योरेंस कारोबार का प्रकटन:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्र	आय का स्वरूप	31.03.2018	31.03.2017
1.	जीवन बीमा पॉलिसी	71.33	58.67
2.	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	9.37	6.36
3.	स्वास्थ्य बीमा	8.49	3.74
4.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य

23. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

23.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	38,499.84	26,881.52
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	9.46%	7.10%

23.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	20,243.03	23,530.68
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत. एक्सपोजर = एफ़बी :301597.08 करोड़	6.83%	7.80%

23.3 एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
बीस सबसे बड़े ऋणियों/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	61,360.94	65,240.42
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में बीस बड़े ऋणियों/ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत (कुल एक्सपोजर =एफ़बी:391647.47 +एनएफ़बी:86432.58 +निवेश : 266.58 +डेरीवेटिव:5136.75=483483.38 करोड़)	12.69%	10.62%

23.3 एनपीए का केन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	5,822.40	5,564.33

24 क्षेत्रवार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	चालू वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18)			विगत वर्ष (वित्त वर्ष 2016-17)		
		कुल बकाया अग्रिम	कुल बकाया अग्रिम	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का %
ए	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	45,824.58	2,773.77	6.05	44,139	2,927	6.63
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रुप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण	19,651.34	3,394.53	17.27	19,195	2,853.00	14.86
3	सेवाएं	43,985.90	6,313.41	14.35	24,068	1,952	8.11
4	वैयक्तिक ऋण	14,682.74	444.88	3.03	15,461	539	3.49
	उप-योग (ए)	**12,144.56**	**12,926.59**	**10.41**	**1,02,863**	**8,271**	**8.04**
बी	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	525.53	217.60	41.41	476	211	44.33
2	उद्योग	1,64,317.21	35,623.13	21.68	1,42,224	22,644	15.92
3	सेवाएं	0.00	0.00	0.00	27,105	1,838	6.78
4	वैयक्तिक ऋण	25,120.79	602.62	2.40	29,015	748	2.58
	उप-योग (बी)	**1,89,963.53**	**36,443.35**	**19.18**	**1,98,820**	**25,441**	**12.80**
	योग (ए+बी)	**3,14,108.08**	**49,369.93**	**15.72**	**3,01,683**	**33,712**	**11.17**

उप क्षेत्र, जहां वित्त वर्ष 2017-18 में बकाया अग्रिम, बकाया कुल अग्रिम के 10% से अधिक रहा, निम्नानुसार हैं: शून्य

25. एनपीए का संचलन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
1 अप्रैल 2017 को सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	33,712.28	24,170.88
वर्ष के दौरान जोड़े गये (नये एनपीए)	21,305.35	13243.89
वर्तमान एनपीए में वृद्धि	63.76	शून्य
उप-योग (ए)	55,081.39	37,414.78
घटाएं:		
(i) अप-ग्रेडेशन	399.70	1,050.48
(ii)वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	1,834.81	1,388.36
(iii) राइट-ऑफ	3,476.95	1,263.66
उप योग (बी)	5,711.46	3,702.50
31 मार्च 2018 को सकल एनपीए (अंतिम शेष) (ए-बी)	49,369.93	33,712.28

26 स्टॉक का तकनीकी राइट-ऑफ

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारम्भिक शेष	5,047.78	4,391.90
ii)	जोड़ा: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट-ऑफ	2,773.78	999.19
iii)	उप-योग (ए)	7,821.56	5,391.09
iv)	घटाया: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से की गई वसूली (बी)	409.81	343.31
v)	अन्तिम शेष (ए-बी)	7,411.75	5047.78

26 ओवरसीज आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
कुल आस्तियां	36,819.82	37,756.96
कुल एनपीए	3,545.48	2,872.41
कुल राजस्व	1,255.60	1,046.96

28 बैंक द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी ऑफ-बैलेंस शीट नहीं है.

29 अपरिशोधित पेंशन व ग्रेच्युटी देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
पेंशन		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य
ग्रेच्युटी		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य

30. क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप:

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया.

31. इंट्रा ग्रुप एक्पोज़र

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018
इंट्रा ग्रुप एक्पोज़र की कुल राशि	1,48,277.91
20 बड़े इंट्रा ग्रुप एक्पोज़र की कुल राशि	82,836.01
बैंक के ऋणियों/ग्राहकों के कुल एक्सपोज़र में इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	17.04%
इंट्रा ग्रुप एक्सपोज़र पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य

32. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	822.22	704.90
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित की गयी राशि (मार्च 2017 के वार्षिक विवरण का समायोजन)	193.17 0.29*	139.03
घटाया : डीईएएफ द्वारा दावे के रुप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	41.91	21.71
डीईएएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष	973.77	822.22

- मार्च 2017 के वार्षिक विवरण में, "डीईएएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि" के तहत रिपोर्ट की गई राशि अनजाने से रु 21.42 के बजाय रु 21.71 करोड़ (0.29 करोड़ सहित, जिसे वर्जित किया जाना चाहिए) करोड़ दर्शाया गया था.

33. अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई)

यूएफ़सीएफ़ के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2017-18 के लिए ग्राहक के अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र पर एक नीति अनुमोदित की है. बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं. बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है. मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोज़र के लिए कुल प्रावधान ₹33.69 करोड़ किया गया.

34. सिक्यूरीटाइजेशन संबंधी प्रकटन

31 मार्च, 2018 तक सिक्यूरीटाइजेशन संव्यवहारों हेतु बैंक में कोई स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) नहीं थी.

35. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके.

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है.

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{एचक्यूएलए}}{\text{30 दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

एलसीआर के लिए न्यूनतम आवश्यकता आरबीआई द्वारा कैलेंडर वर्ष 2018 के लिए 90% निर्धारित की गयी है. एलसीआर बैंक के घरेलू एवं विदेशी परिचालनों में लागू है.

एचक्यूएलए:

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रुप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है. उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालानात्मक अवरोधों के बिना होना चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती है, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं.

एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुन: दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है.

स्तर 1

स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रुप से सीआरआर का आधिक्य, एसएलआर का आधिक्य, एमएसएफ (एनडीटीएल का 2%) एवं एफएएलएलसीआर में कमी (एनडीटीएल का 9%) सहित नकदी शामिल होता है.

स्तर 2ए आस्तियां

स्तर 2 ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की जाती है. स्तर 2ए आस्तियों में 20% जोखिम भारित के साथ पीएसई (बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफ़सी को छोड़कर) द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ मुख्य रुप से शामिल हैं. बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा जारी न किए गए एए- अथवा उससे ऊपर रेटेड कारपोरेट बाण्ड, एवं एए- अथवा उससे ऊपर रेटिंग वाले वाणिज्यिक पेपर भी स्तर 2ए आस्तियों के भाग होते है.

स्तर 2 बी आस्तियां

स्तर 2 बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की जाती है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होती हैं. स्तर 2बी आस्तियां मुख्य रुप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से कम जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां अर्थात बीबीबी क्रेडिट रेटिंग से नीचे न हो एवं बैंक/वित्तीय संस्थान/एनबीएफसी द्वारा इक्विटी शेयर जारी एवं इंडेक्स कम्पोनेंट न किए गए हों,शामिल होती हैं.

शुद्ध नकदी प्रवाह

लगातार 30 कैलेंडर दिवसों में कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह प्राप्त होता है. विभिन्न श्रेणियों में बकाया राशियों को गुणा करने, देयताओं के प्रकार व ऑफ-बैलेंस शीट में प्रतिबद्ध दर, जिस दर में उन्हें प्रवाहित और मंद होना है, के आधार पर कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह का आकलन किया जाता है. कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप, जिसमें उनके प्रवाहित होने का अनुमान किया जाता है, के संविदात्मक प्राप्तियों के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है. दूसरे शब्दों में, अगले 30 दिनों कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह = बहिर्प्रवाह - (अंतर्प्रवाह; बहिर्प्रवाह का 75%).

बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

आरबीआई निर्देशों के अनुसार, 1 जनवरी, 2017 से बैंकों द्वारा दैनिक आधार पर एलसीआर का आकलन किया जाना है. मार्च, 2018 तिमाही की सभी कार्य दिवसों हेतु बैंक द्वारा एलसीआर का आकलन किया गया है. 66 पॉइंट्स की दैनिक पर्यवेक्षण का औसत आकलन किया गया है. भारिबैं द्वारा कैलेंडर वर्ष 2018 हेतु पूर्व निर्धारित 90% के सापेक्ष बैंक द्वारा न्यूनतम अपेक्षा से अधिक एलसीआर बरकरार रखा गया. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक का वार्षिक एलसीआर तिमाही एलसीआर का औसत है.

एचक्यूएलए:

बैंक के पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां हैं ताकि उपरोक्त एलसीआर नियामक द्वारा निर्धारित स्तर को बनाया रखा जा सके. स्तर 1 आस्ति एचक्यूएलए का मुख्य चालक है, जिसका बैंक के कुल एचक्यूएलए में लगभग 87% योगदान है.

बहिर्प्रवाह एवं अंतर्प्रवाह:

बैंक में निधियों के लिए विविध स्रोत हैं, जिनमें से खुदरा जमाराशियां बैंक की निधियों का मुख्य स्रोत हैं. बैंक का एक्सपोज़र मुख्यत: भारतीय रुपये में है. भारिबैं के वर्गीकरण के अनुसार, बहिप्रर्वाह गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट के मियादी जमा (रुपये) से प्रभावित रहे.

वी मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

मार्च, 2018 समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर प्रकटन (समेकित)- लेखापरीक्षित			
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	73,100.55	71,486.12
नकदी बहिर्प्रवाह			
2	खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	2,44,507.44	21,259.59
(i)	स्थिर जमा राशियां	63,823.12	3,191.16
(ii)	घटाई गई स्थिर जमा राशियां	1,80,864.32	18,068.43
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	1,17,307.58	57,435.89
(i)	परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	शून्य	शून्य
(ii)	गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	99,786.16	39,914.46
(iii)	बेजमानती ऋण	17,521.42	17,521.42
4	जमानती थोक निधियां	8,775.27	5,164.96
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	21,070.06	2,186.18
(i)	डेरीवेटिव एक्सपोज़र एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	23.52	23.52
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	21,446.54	2,162.66
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	988.68	988.68
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	43,245.98	1,298.33
8	**कुल नकदी बहिर्प्रवाह**	4,36,295.02	88,333.62
नकदी अंतर्प्रवाह			
9	जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	1,381.31	शून्य
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह	4,616.54	4,616.54
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	19,628.80	13,832.13
12	**कुल नकद अंतर्प्रवाह**	25,626.65	18,448.67
			कुल समायोजित मूल्य
21	**कुल एचक्यूएलए**		**71,486.12**
22	**कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह**		**69,906.05**
23	तरलता कवरेज अनुपात (%)		102.26%

तरलता कवरेज अनुपात संबन्धित उपर्युक्त जानकारी में 31 मार्च, 2018 के लेखा परीक्षित व 65 डाटा पॉइंट्स के गैर लेखा परीक्षित आंकड़ों का उचित अनुपालन किया गया.

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2017-18 हेतु एलसीआर प्रकटन - लेखापरीक्षित			
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां			
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)	73,099.13	70,481.31
नकदी बहिर्प्रवाह			
2	खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से	2,39,549.43	20,820.47
(i)	स्थिर जमा राशियां	62,689.40	3,134.37
(ii)	घटाई गई स्थिर जमा राशियां	176,860.03	17,686.00
3	बेजमानती थोक निधियां, जिसमें से	**1,09,380.91**	**53,793.86**
(i)	परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	शून्य	शून्य
(ii)	गैर-परिचालानात्मक जमाराशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	92,645.08	37,058.03
(iii)	बेजमानती ऋण	16,735.83	16,735.83

4	जमानती थोक निधियां	**8,775.27**	**4,291.76**
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	**21,366.66**	**1,442.92**
(i)	डेरीवेटिव एक्सपोज़र एवं अन्य सम्पार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	10.40	10.40
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	**21,356.26**	**1,427.68**
6	अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	**1,452.43**	**1,452.43**
7	अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	43,239.33	1,155.70
8	**कुल नकदी बहिर्प्रवाह**	**4,23,764.03**	**82,957.20'**
नकदी अंतर्प्रवाह			
9	जमानती अग्रिम (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	1,381.31	शून्य
10	पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोज़र से अंतर्प्रवाह	3,926.07	3,926.07
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह	19,406.29	12,911.90
12	कुल नकद अंतर्प्रवाह	24,713.67	16,837.96
			कुल समायोजित मूल्य
21	कुल एचक्यूएलए		70,481.50
22	कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह		66,119.23
23	तरलता कवरेज अनुपात (%)		106.60%

36. अचल आस्तियां:

ए) बैंक द्वारा धारित ₹29.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31.17 करोड़) की ह्रासित मूल्य की 3 (पिछले वर्ष 3) अचल संपत्तियों के संबंध में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारंभ की जा चुकी है.

बी) भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30.11.2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों में हुई मूल्य वृद्धि अर्थात दिनांक 31.03.1995 के अनुसार ₹456.59 करोड़ और 30.11.2007 के अनुसार ₹1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती में जमा किया गया है और उस पर ₹56.56 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष ₹34.62 करोड़) को उसमें से घटाया गया है. एएस-10 के अनुसार पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से डेबिट किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन रिजर्व घटकर ₹114.92 करोड़ हो गया.

37. धोखाधड़ी के पता लगाये गये/रिपोर्ट किये गये मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष के दौरान पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामले	पता लगाये गये धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	ऐसी धोखाधड़ी में अंतर्निहित राशि	31/03/2018 तक बकाया राशि	31/03/2018 तक किया गया प्रावधान	31/03/2018 तक अपरिशोधित प्रावधान
योग	121	1,542.12	1,511.96	694.82	817.14

38. बहियों का मिलान, अंतरशाखा/बैंक लेनदेनों का मिलान

विदेशी बैंकों व अन्य बैंकों में राशि की पुष्टि/मिलान प्राप्त कर लिया गया है/किया गया है.

उचंत खाता, विविध जमाखाता, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतरशाखा/कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों का समायोजन निरंतर आधार पर जारी है.

उसकी (i) एवं (ii) की लंबित अंतिम मंजूरी का खातों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई होता है, तो वह प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा.

39. भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एएस)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र DBR.BP.BC.No-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एएस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एएस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति

का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, DO.DBR.BP.No.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने आरबीआई को 31 अक्तूबर 2017 को 30 जून 2017 की समाप्त तिमाही के लिए आईएनडी-एएस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है. तथापि, विकास एवं विनियामक नीतियों दिनांक 5 अप्रैल 2018 पर आरबीआई विवरण के आधार पर, आरबीआई ने बैंकों की आईएनडी-एएस प्रयोज्यता को एक और वर्ष के लिए रोक दिया है.

40. कॉर्पोरेट कर निर्धारण:

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है. लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है. समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है.

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो. वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/देयताओं की समीक्षा की जाती है.

41. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) प्रक्रिया के तहत आरबीआई ने बैंक की कुछ खातों में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित अंतर को चिन्हित किया है. आरबीआई परिपत्र DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल 2017 तथा 18 जुलाई 2017 को जारी सेबी परिपत्र की पुष्टि करते हुए निम्न तालिका में आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में उनके अंतर का उल्लेख किया गया है.

(₹ करोड़ में)

क्र	विवरण	
1	31 मार्च 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए	33,712
2	31 मार्च 2017 को भारिबैं द्वारा आंका गया सकल एनपीए	36,562
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)	2,850
4	31 मार्च 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया शुद्ध एनपीए	18,832
5	31 मार्च 2017 को भारिबैं द्वारा आंका गया शुद्ध एनपीए	20,667
6	शुद्ध एनपीए में अंतर (5-4)	1,835
7	31 मार्च 2017 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एनपीए हेतु प्रावधान	14,379
8	31 मार्च 2017 को भारिबैं द्वारा आंका गया एनपीए हेतु प्रावधान	15,393
9	प्रावधान में अंतर (8-7)	1,014
10	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात (पीएटी) शुद्ध लाभ	555
11	प्रावधान में खाते में अंतर के पश्चात 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (कल्पित) किया गया कर पश्चात (पीएटी) शुद्ध लाभ	(372)

बैंक ने 31 मार्च 2017 समाप्त तिमाही हेतु अपने कार्यचालन परिणाम में उर्पयुक्त के प्रभाव को विधिवत रिकॉर्ड किया है.

42. निवेश :

I. "परिपक्वतता तक धारित" श्रेणी की प्रतिभूतियों से हुई बिक्री से अर्जित लाभ ₹242.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹493.51 करोड़) को प्रारम्भ में लाभ और हानि खाते में ले लिया गया.

II. "परिपक्वतता तक धारित" श्रेणी के संदर्भ में, जैसाकि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति क्रमांक 4 (ii)(ए)में कहा गया है, वित्त वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिग्रहण लागत की आधिक्य राशि ₹245.46 करोड़(पिछले वर्ष ₹188.50 करोड़) को परिशोधित किया गया है.

III. शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों व इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयों/उद्यम पूंजी कोष में किया गया कुल निवेश व शेयरों के सापेक्ष कुल अग्रिम ₹1778.72 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹1,701.49 करोड़ रहा).

43. चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है एवं लेखा नीति (एएस-5 के अनुसार) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एएस-24 के अनुसार).

44. जहां-कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 तक के हस्ताक्षरकर्ता

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक
कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(बी. श्रीनिवास राव)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(अतुल कुमार गोयल) कार्यपालक निदेशक
(राज कमल वर्मा) कार्यपालक निदेशक
(विनोद कथूरिया) कार्यपालक निदेशक
(राजकिरण रै जी.) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(केवल हांडा) अध्यक्ष

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)
निदेशक
(डॉ. के रमेश)
निदेशक
(जी. के. लाठ)
निदेशक
(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक
(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक
(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक
(डॉ. आर. एच. ढोळकिया)
निदेशक
(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
(कमल अग्रवाला)
भागीदार
(सदस्य.सं. 059649)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W
(संदीप डी. वेल्लिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
(पी पी पारीक)
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	कर से पहले निवल लाभ	(66,41,13)	3,42,60
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	3,62,71	2,36,04
	निवेशों पर मूल्य ह्रास	19,27,25	6,32,43
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	1,34,99,84	60,31,90
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(12,51,87)	4,43,26
	स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	2,16,36	37,46
	अन्य प्रावधान	5,49	(20,11)
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ)/हानि	8,47	(25,83)
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	11,66,38	8,83,24
	उप योग	**92,93,50**	**85,60,99**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	3,26,02,63	3,56,71,57
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(17,59,19)	5,23,25
	निवेश में (वृद्धि)/कमी	(1,35,32,39)	(2,32,34,16)
	अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(1,55,58,28)	(2,52,10,50)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(23,20,06)	(5,75,92)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(25,56,38)	(15,39,51)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**61,69,83**	**(58,04,28)**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह**		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(3,23,92)	(2,16,27)
	अचल आस्तियों की बिक्री के आगम	4,99	32,27
	सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों/एसोसिएट्स में निवेश में (वृद्धि)/कमी	(24,14)	(3,38,88)
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**(3,43,07)**	**(5,22,88)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	इक्विटी शेयर आवेदन से प्राप्त राशि	0	5,41,00
	इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	4,81,13	0
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (शेयर निर्गम व्यय का निवल)	65,66,06	0
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	3,00,00	47,50,00
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	0	(7,50,00)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार के आगम (परिशोधन के बाद निवल)	41,54,90	62,68,52
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(7,10,15)	(7,74,74)
	लाभांश का भुगतान (लाभांश कर सहित)	0	(1,61,34)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**1,07,91,94**	**98,73,44**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	**1,66,18,70**	**35,46,28**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**3,28,22,50**	**2,92,76,22**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**4,94,41,20**	**3,28,22,50**
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	1,65,20,45	1,56,04,72
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,63,02,05	1,36,71,50
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**3,28,22,50**	**2,92,76,22**
ई	**वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	2,10,16,47	1,65,20,45
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	2,84,24,73	1,63,02,05
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**4,94,41,20**	**3,28,22,50**

जहां कहीं आवश्यक था, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतिकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

(अतुल कुमार गोयल)	(राज कमल वर्मा)	(विनोद कथूरिया)	(राजकिरण रै जी.)	(केवल हांडा)
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 'नकदी प्रवाह विवरण' के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 10 मई 2018 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
(कमल अग्रवाला)
भागीदार
(सदस्य.सं. 059649)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
(पी पी पारीक)
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W
(संदीप डी. वेल्लिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

To

The Board of Directors

Union Bank of India

Mumbai

Re: Certificate Under Regulation 17(8) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2017-18) and that to the best of our knowledge and belief:

  (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

  (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee of the Board –

  (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;

  (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

  (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India	For Union Bank of India
(Sreenivasa Rao B.)	**(Rajkiran Rai G.)**
General Manager & CFO	Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 10th May, 2018.

Independent Auditor's Certificate on Corporate Governance

To The Members of Union Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2018 as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 313085E

(KAMAL AGRAWALLA)
PARTNER
M.NO.059649

FOR S BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000560C

(P P PAREEK)
PARTNER
M.NO.071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.101961W

(MANISH SAMPAT)
PARTNER
M.No.101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

Place: MUMBAI.

Date: 10th MAY, 2018

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

The President of India / Members of Union Bank of India

Report on the Financial Statements

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Union Bank of India ("the Bank") as at 31st March, 2018, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2018, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are returns of 20 branches including 1 Treasury branch, 20 Regional offices, 23 offices/centres audited by us, 2,272 branches audited by Statutory Branch Auditors and 4 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 2,005 branches, 43 regional offices and 136 offices/centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.05 per cent of advances, 24.17 per cent of deposits, 7.79 per cent of interest income and 23.38 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of Section 29 of Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and accounting principles generally accepted in India alongwith recognition and measurement principles laid down in the Accounting Standards specified by the Institute of Chartered Accountants of India so far as they are applicable to the Bank and the guidelines and circulars issued by Reserve bank of India from time to time. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used, the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   a. The Balance Sheet, read with the notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March 2018 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   b. The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of loss, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

   b. In our opinion, the transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and

   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that:

   a. The Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;

   b. The reports on the accounts of the branch offices audited by statutory branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

   c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

FOR P. A. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

(KAMAL AGRAWALLA)
PARTNER
M.NO. 059649

FOR S. BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000560C

(P P PAREEK)
PARTNER
M.NO. 071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101961W

(MANISH SAMPAT)
PARTNER
M.NO. 101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

(SANDEEP D WELLING)
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

(RAJAN B SHAH)
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

(SANJAY KOTHARI)
PARTNER
M.NO. 048215

Place: MUMBAI.

Date: 10th MAY, 2018

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	As on 31st March 2018	As on 31st March 2017
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**11,68,57,34**	6,87,44,11
Reserves and Surplus	2	**2,39,28,19,78**	2,27,47,75,23
Share Application Money		**-**	5,41,00,00
Deposits	3	**40,85,01,63,57**	37,58,99,00,98
Borrowings	4	**4,56,80,76,81**	4,12,25,87,30
Other Liabilities and Provisions	5	**81,26,82,01**	1,16,03,36,40
TOTAL		**48,74,05,99,51**	45,27,04,44,02
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**2,10,16,46,93**	1,65,20,44,74
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**2,84,24,72,51**	1,63,02,05,45
Investments	8	**12,37,80,12,40**	11,21,48,95,95
Advances	9	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70
Fixed Assets	10	**38,33,33,28**	38,94,41,50
Other Assets	11	**2,15,90,76,14**	1,73,71,98,68
TOTAL		**48,74,05,99,51**	45,27,04,44,02
Contingent Liabilities	12	**24,15,72,91,92**	23,16,00,86,31
Bills for Collection		**1,84,27,08,88**	1,61,19,39,73
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

(DHIRENDRA JAIN)
Dy. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
General Manager & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

(ATUL KUMAR GOEL) Executive Director
(RAJ KAMAL VERMA) Executive Director
(VINOD KATHURIA) Executive Director
(RAJKIRAN RAI G.) Managing Director & CEO
(KEWAL HANDA) Chairman

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA) Director
(ANIL KUMAR MISRA) Director
(RAJIV KUMAR SINGH) Director

(Dr. K. RAMESHA) Director
(DR. MADHURA SWAMINATHAN) Director
(Dr. R. H. DHOLAKIA) Director

(G. K. LATH) Director
(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

KAMAL AGRAWALLA
PARTNER
M.NO. 059649

FOR S. BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000560C

P P PAREEK
PARTNER
M.NO. 071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101961W

MANISH P. SAMPAT
PARTNER
M.NO. 101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

PLACE : MUMBAI
DATE : 10th MAY, 2018.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

Particulars	Schedule Number	For the Year Ended 31st March 2018	For the Year Ended 31st March 2017
I. INCOME			
Interest Earned	13	**3,27,47,99,92**	3,26,59,98,01
Other Income	14	**49,89,86,84**	49,64,59,89
TOTAL		**3,77,37,86,76**	3,76,24,57,90
II. EXPENDITURE			
Interest Expended	15	**2,34,43,33,60**	2,37,56,64,48
Operating Expenses	16	**67,54,95,60**	64,37,84,48
Provision And Contingencies		**1,27,86,94,41**	68,74,87,63
TOTAL		**4,29,85,23,61**	3,70,69,36,59
III. PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR		**(52,47,36,85)**	5,55,21,31
ADD : Profit Brought Forward		**0**	36
TOTAL		**(52,47,36,85)**	5,55,21,67
IV. APPROPRIATIONS			
Transfer to Statutory Reserve		**0**	1,38,75,00
Transfer to Capital Reserve		**1,11,16,77**	2,31,46,67
Transfer to Revenue and Other Reserves		**0**	0
Transfer to Special Reserve [Sec36(I)(viii) of the Income Tax Act,1961]		**0**	1,85,00,00
Balance in Profit and Loss Account		**(53,58,53,62)**	0
TOTAL		**(52,47,36,85)**	5,55,21,67
EARNINGS PER SHARE (BASIC AND DILUTED) (FV of ₹ 10)	18	**(69.45)**	8.08
Significant Accounting Policies	17		
Notes To Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

(DHIRENDRA JAIN)
Dy. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
General Manager & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

(ATUL KUMAR GOEL) Executive Director
(RAJ KAMAL VERMA) Executive Director
(VINOD KATHURIA) Executive Director
(RAJKIRAN RAI G.) Managing Director & CEO
(KEWAL HANDA) Chairman

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA) Director
(ANIL KUMAR MISRA) Director
(RAJIV KUMAR SINGH) Director

(Dr. K. RAMESHA) Director
(DR. MADHURA SWAMINATHAN) Director
(Dr. R. H. DHOLAKIA) Director

(G. K. LATH) Director
(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

KAMAL AGRAWALLA
PARTNER
M.NO. 059649

FOR S. BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000560C

P P PAREEK
PARTNER
M.NO. 071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101961W

MANISH P. SAMPAT
PARTNER
M.NO. 101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

PLACE : MUMBAI
DATE : 10th MAY, 2018.

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

	As on 31.3.2018		As on 31.3.2017	
SCHEDULE 1 - CAPITAL :				
I. Authorised :				
30,00,00,00,00 Equity Shares of ₹ 10 each	**30,00,00,00**		30,00,00,00	
II. Issued, Subscribed & Paid up :				
i. 7,87,91,46,00 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Central Government (Prev.Year 4,36,10,65,97 Equity Shares)	**7,87,91,46**		4,36,10,66	
ii. 3,80,65,88,00 Equity Shares of ₹ 10 each, held by Public (Prev.Year 2,51,33,45,20 Equity Shares)	**3,80,65,88**		2,51,33,45	
TOTAL	**11,68,57,34**		6,87,44,11	
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :				
I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	**66,70,61,10**		65,31,86,10	
Addition during the year	**0**	**66,70,61,10**	1,38,75,00	66,70,61,10
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	**10,79,56,50**		8,48,09,83	
Addition during the year	**1,11,16,77**	**11,90,73,27**	2,31,46,67	10,79,56,50
III. Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	**24,56,79,77**		25,81,23,72	
Addition during the year	**0**		0	
Deduction during the year	**1,14,92,02**	**23,41,87,75**	1,24,43,95	24,56,79,77
IV. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	**44,84,37,91**		44,84,37,91	
Addition during the year	**65,83,86,77**		0	
Deduction during the year	**17,80,96**	**1,10,50,43,72**	0	44,84,37,91
V. Revenue Reserves :				
i) Revenue and other Reserves :				
As per last Balance Sheet	**50,73,91,75**		49,60,42,75	
Addition during the year	**3,09,20,02**		1,13,49,00	
Deduction during the year	**3,62,91,97**		0	
TOTAL	**50,20,19,80**		50,73,91,75	
ii) Special Reserve u/s Sec 36 (1) (viii) of the Income Tax Act,1961				
As per last Balance Sheet	**28,75,00,00**		26,90,00,00	
Addition during the year	**0**		1,85,00,00	
TOTAL	**28,75,00,00**		28,75,00,00	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	**1,07,48,20**		1,07,75,91	
Addition during the year	**41,94,01**		17,16,48	
Deduction during the year	**11,54,45**		17,44,19	
TOTAL	**1,37,87,76**	**80,33,07,56**	1,07,48,20	80,56,39,95
VI. Balance in Profit and Loss Account		**(53,58,53,62)**		-
TOTAL		**2,39,28,19,78**		2,27,47,75,23

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

	As on 31.3.2018		As on 31.3.2017	
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :				
A)				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	**4,72,80,37**		4,99,72,53	
ii) From Others	**2,45,85,54,04**	**2,50,58,34,41**	2,32,43,99,12	2,37,43,71,65
II. Savings Bank Deposits		**11,41,82,88,41**		10,40,72,42,64
III. Term Deposits				
i) From Banks	**65,64,72,87**		75,23,06,22	
ii) From Others	**26,26,95,67,88**	**26,92,60,40,75**	24,05,59,80,47	24,80,82,86,69
TOTAL		**40,85,01,63,57**		37,58,99,00,98
B)				
i) Deposits of branches in India		**40,31,96,56,55**		36,92,83,09,96
ii) Deposits of branches outside India		**53,05,07,02**		66,15,91,02
TOTAL		**40,85,01,63,57**		37,58,99,00,98
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A) Borrowings : Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds		**45,40,00,00**		42,40,00,00
II. Upper Tier II Capital		**15,00,00,00**		15,00,00,00
III. Lower Tier II Capital		**67,50,00,00**		67,50,00,00
B) Borrowings in India				
I. Reserve Bank of India	**65,86,00,00**		0	
II. Other Banks	**0**		0	
III. Other Institutions and Agencies	**11,96,37,90**	**77,82,37,90**	17,51,18,59	17,51,18,59
C) Borrowings Outside India		**2,51,08,38,91**		2,69,84,68,71
TOTAL		**4,56,80,76,81**		4,12,25,87,30
Secured Borrowings included in (B) I & (B) III above		**65,86,00,00**		6,41,11,76
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :				
I. Bills Payable		**12,63,61,10**		14,95,55,51
II. Interest Accrued		**17,45,18,43**		16,54,79,81
III. Deferred Tax Liability		**0**		0
IV. Others (including provisions)		**51,18,02,48**		84,53,01,08
TOTAL		**81,26,82,01**		1,16,03,36,40
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA:				
I. Cash in hand				
(including foreign currency notes & Gold)		**12,90,34,40**		10,30,79,64
II. Balances with Reserve Bank of India				
In Current Account		**1,97,26,12,53**		1,54,89,65,10
TOTAL		**2,10,16,46,93**		1,65,20,44,74

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

					As on 31.3.2018		As on 31.3.2017	
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :								
I.	Balances with banks in India							
	i)	a)	In Current Accounts		**56,85,65**		39,30,18	
		b)	In Other Deposit Accounts		**71,24,26,81**		56,08,93,29	
	ii)	Money at Call and short notice						
		a)	with Banks		**1,19,28,91,33**		0	
		b)	with Other Institutions		**0**	**1,91,10,03,79**	0	56,48,23,47
II.	Outside India							
	i)	In Current Accounts			**4,29,34,63**		1,31,89,42	
	ii)	In other Deposit Accounts			**87,68,99,77**		1,03,42,39,11	
	iii)	Money at call & Short Notice			**1,16,34,33**	**93,14,68,73**	1,79,53,45	1,06,53,81,98
		TOTAL				**2,84,24,72,51**		1,63,02,05,45
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :								
I.	Investments in India							
	i)	Government Securities				**9,73,49,04,21**		8,75,51,01,54
	ii)	Shares				**18,46,94,21**		20,06,06,19
	iii)	Debentures and Bonds				**1,94,53,59,86**		1,72,21,70,14
	iv)	Subsidiaries and joint ventures				**2,67,31,68**		2,27,31,69
	v)	Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt etc.)				**23,58,43,59**		32,40,99,28
		TOTAL				**12,12,75,33,55**		11,02,47,08,84
II.	Investments outside India							
	i)	Govt. Securities (Incl. Local Auth.)				**14,38,92,58**		9,39,90,10
	ii)	Shares				**40,32**		40,32
	iii)	Other Investments (Bonds)				**4,86,96,44**		4,47,22,18
	iv)	Subsidiaries and Joint Ventures				**5,78,49,50**		5,14,34,51
		TOTAL				**25,04,78,85**		19,01,87,11
		TOTAL				**12,37,80,12,40**		11,21,48,95,95
III.	i)	Investments in India						
		Gross Value				**12,40,19,17,58**		11,14,29,54,89
		Provision for Depreciation				**27,43,84,03**		11,82,46,05
		Net Value				**12,12,75,33,55**		11,02,47,08,84
	ii)	Investments outside India						
		Gross Value				**25,05,28,23**		19,03,76,30
		Provision for Depreciation				**49,38**		1,89,19
		Net Value				**25,04,78,85**		19,01,87,11
		TOTAL				**12,37,80,12,40**		11,21,48,95,95

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

		As on 31.3.2018	As on 31.3.2017
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)			
A. i)	Bills purchased and discounted	**88,93,93,48**	1,18,24,74,43
ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	**13,24,87,82,92**	13,32,53,28,33
iii)	Term Loans	**14,73,78,81,85**	14,13,88,54,95
	TOTAL	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70
B. i)	Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)	**25,64,42,25,53**	24,96,01,06,14
ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**1,01,54,67,51**	1,11,23,87,13
iii)	Unsecured	**2,21,63,65,21**	2,57,41,64,44
	TOTAL	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70
C.	Sectoral Classification of Advances		
I.	Advances in India:		
i)	Priority Sector	**1,10,55,68,314**	1,04,21,90,027
ii)	Public Sector	**2,50,78,14,78**	1,67,62,97,70
iii)	Banks	**3,17**	26,51,94,23
iv)	Others	**12,92,07,32,46**	13,42,20,18,32
	TOTAL	**26,48,42,33,55**	25,78,54,10,52
II.	Advances Outside India:		
i)	Due From Banks	**72,82,29,73**	84,71,56,56
ii)	Due from Others		
a)	Bills Purchased and Discounted	**58,62,42,36**	83,29,30,75
b)	Syndicated loans	**2,23,98,63**	3,59,61,38
c)	Others	**1,05,49,53,98**	1,14,51,98,49
	TOTAL	**2,39,18,24,70**	2,86,12,47,18
	TOTAL	**28,87,60,58,25**	28,64,66,57,70

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS					
A.	TANGIBLE ASSETS				
I.	Premises				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**37,98,39,04**		37,22,51,94	
	Additions during the year	**33,66,06**		79,73,10	
	Deduction during the year	**0**		3,86,00	
		38,32,05,10		37,98,39,04	
	Less: Depreciation to date	**9,70,44,95**	**28,61,60,15**	8,28,65,12	29,69,73,92
II.	Capital Work in Progress				
	At cost as per last Balance Sheet	**20,93,38**		11,78,33	
	Additions during the year	**27,17,73**		9,43,45	
	Deductions during the year	**14,61,94**	**33,49,17**	28,40	20,93,38
III.	Land				
	At cost as per last Balance Sheet	**76,30,34**		72,68,05	
	Additions during the year	**0**		3,62,29	
	Deductions during the year	**6,77,21**		0	
		69,53,13		76,30,34	
	Less : Depreciation to date	**5,44,15**	**64,08,98**	4,66,14	71,64,20

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

		As on 31.3.2018		As on 31.3.2017	
IV.	Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)				
a)	Assets given on lease				
	At cost as per last Balance Sheet	**26,53,52**		26,53,52	
	Less: Depreciation to date	**26,53,52**	**0**	26,53,52	0
b)	Others				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**24,01,48,69**		22,47,94,72	
	Additions during the year	**2,50,78,69**		2,01,06,12	
	Deductions during the year	**58,14,18**		47,52,15	
		25,94,13,20		24,01,48,69	
	Less: Depreciation to date (Net)	**17,49,91,40**	**8,44,21,80**	15,93,01,43	8,08,47,26
B.	INTANGIBLE ASSETS				
	Computer Software				
	At cost as per last Balance Sheet	**2,15,22,52**		1,96,87,02	
	Additions during the year	**26,91,37**		22,71,72	
	Deduction during the Year	**8,65,00**		4,36,22	
		2,33,48,89		2,15,22,52	
	Amortisation till date (Net)	**2,03,55,71**	**29,93,18**	1,91,59,78	23,62,74
	TOTAL		**38,33,33,28**		38,94,41,50
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :					
I.	Inter-Office Adjustments (net)		**2,17,67,38**		14,86,17,49
II.	Interest Accrued		**35,29,57,86**		23,78,73,99
III.	Deferred Tax Assets		**41,92,87,00**		22,94,16,00
IV.	Stationery and stamps		**3,89,64**		3,15,27
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims		**3,90**		3,90
VI.	Others		**1,36,46,70,36**		1,12,09,72,03
	TOTAL		**2,15,90,76,14**		1,73,71,98,68
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :					
I.	Claims against the Bank not acknowledged as debts		**34,42,10,19**		35,32,46,29
II.	Liability for partly paid Investments		**59,20**		59,20
III.	Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts		**18,36,90,35,19**		18,04,39,10,57
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents				
a)	In India	**1,97,44,97,13**		1,45,66,77,78	
b)	Outside India	**3,55,36,11**	**2,01,00,33,24**	5,18,67,48	1,50,85,45,26
V.	Acceptances, endorsements and other obligations		**3,03,30,98,80**		3,00,31,19,04
VI.	Other items for which Bank is Contingently Liable				
a)	Disputed Tax demands under appeals	**30,34,78,30**		24,29,83,75	
b)	Amount transferred to DEAF Scheme 2014	**9,73,77,00**		82,22,20	
			40,08,55,30		25,12,05,95
	TOTAL		**24,15,72,91,92**		23,16,00,86,31

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000')

		As on 31.3.2018	As on 31.3.2017
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest/Discount on advances/bills	**2,27,72,97,52**	2,29,43,10,10
II.	Income on Investments	**87,79,96,52**	86,95,09,60
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds	**11,39,37,36**	8,80,53,76
IV.	Others	**55,68,52**	1,41,24,55
	TOTAL	**3,27,47,99,92**	3,26,59,98,01
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	**5,21,81,71**	4,68,72,64
II.	Profit on sale of investments (Net)	**12,66,34,08**	20,58,66,29
III.	Profit / (Loss) on sale of land, buildings & other assets (Net)	**(8,46,59)**	25,83,22
IV.	Profit on exchange transactions (Net)	**8,92,52,90**	9,52,33,80
V.	Miscellaneous Income	**23,17,64,74**	14,59,03,94
	TOTAL	**49,89,86,84**	49,64,59,89
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :			
I.	Interest on Deposits	**2,15,56,15,63**	2,19,99,09,38
II.	Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowing	**8,52,92,82**	4,80,60,80
III.	Others	**10,34,25,15**	12,76,94,30
	TOTAL	**2,34,43,33,60**	2,37,56,64,48
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :			
I.	Payments to and provisions for employees	**32,55,23,36**	34,34,20,28
II.	Rent, Taxes and Lighting	**5,64,39,34**	5,11,33,33
III.	Printing and Stationery	**56,57,48**	58,12,21
IV.	Advertisement and Publicity	**56,93,65**	66,98,32
V.	Depreciation on Bank's property	**3,62,71,11**	2,36,03,98
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	**88,18**	83,73
VII.	Remuneration to Managing/Executive Director	**1,04,63**	72,39
VIII.	Auditors' fees and expenses(including branch auditors)	**54,34,39**	41,12,88
IX.	Law Charges	**36,97,84**	21,86,12
X.	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**93,70,07**	78,95,96
XI.	Repairs and maintenance	**1,17,76,11**	1,14,15,34
XII.	Insurance	**3,93,17,38**	3,77,00,03
XIII.	Other expenditure	**17,61,22,06**	14,96,49,91
	TOTAL	**67,54,95,60**	64,37,84,48

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2017-2018

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES: SCHEDULE 17

1. Accounting Convention

The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in accordance with Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), statutory requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable and practices generally prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period.

3. Revenue Recognition

i) Income and Expenditure have been accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by the RBI. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognized in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned (including Third Party Product's income), rent on Safe Deposit Lockers, commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (Other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/ redemption.

b) On Zero- coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

4. Cash Flow Statements

Cash and Cash equivalents include Cash in hand, Balances with RBI, Balances with other Banks and Money at call and short notice.

5. Investments

i) In conformity with the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further classified in accordance with the RBI guidelines contained in Master Circular DBR.No.BP.BC.6/21.04.141 /2015-16 dated 1st July 2015 into three categories viz.,

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation

a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost.

i) The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iii) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost.

iv) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

b) Securities held in "AFS" and "HFT" categories

i) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip-wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit & Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

ii) Valuation of securities is arrived at as follows:

a	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
b	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
c	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at ₹ 1/- per Company.
d	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines
e	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
f	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
g	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
h	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at ₹ 1/- per VCF
i	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Interbank Repo/Reverse Repo transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

a) From AFS/HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

b) From HTM category to AFS/HFT category,

i) If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost / book value.

ii) If the security is originally placed at a premium, at amortized cost.

The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

c) From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

v) The non-performing investments are identified and depreciation / provision is made as per the extant RBI guidelines.

vi) Profit / Loss on sale of investments in any category are taken to the Profit & Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc on securities is debited / credited to Profit & Loss Account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

6. Derivative Contracts

a) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing Asset or Liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an Asset or Liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the Asset / Liability.

b) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

c) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI)

from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7. Advances

i) All advances are classified under four categories:

a) Standard, b) Sub-standard, c) Doubtful and d)Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI in terms of Master Circular DBR.BP.BC No.2/21.04.048/2015-16 dated 01st July 2015 as under:

ii) Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan Assets become Non-Performing Assets (NPAs) where:

a) In respect of term loans, interest and/or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;

b) In respect of Overdraft or Cash Credit advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/ drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period

c) In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;

d) In respect of agricultural advances for short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons.

e) In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.

iii) NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets, based on the following criteria stipulated by RBI:

ia) Sub-standard: A loan asset that has remained nonperforming for a period less than or equal to 12 months,

b) Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months,

c) Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.

iv) Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below:

Sub-Standard Assets:	i. A general of 15% of the total outstanding ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio iii. Unsecured Exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available - 20%
Doubtful-Secured Portion	i. Upto one year – 25% ii. One to three years – 40% iii. More than three years – 100%
Doubtful-Unsecured Portion	100%
Loss Asset	100%

v) Advances are stated net of specific loan loss provisions, Counter cyclical provisioning buffer, Provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in Sundry /claims received from Credit Guarantee Trust Fund (CGTF) / Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

vi) In respect of foreign offices, classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is more stringent.

vii) For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by the RBI, which require that the difference between the fair value of the loan before and after restructuring is provided for, in addition to provision for NPAs.

viii) In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.

ix) Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue in the year of recovery.

x) The general provision on Standard Advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in schedule 5 of the Balance Sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

8. Fixed Assets and Depreciation

i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation as adjusted for impairment, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to

use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

Pursuant to revised Accounting Standard 10- Property Plant and Equipment effective from 01.04.2017, depreciation on revalued portion of the fixed assets is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve and not through Profit & Loss Account.

ii) Application Software is capitalized and clubbed under Intangible assets. Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer hardware and on ATM is provided on Straight Line Method (SLM) at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/ Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- Uninterrupted Power Supply Equipments(UPS)	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

iv) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of Land and Buildings is not separately identifiable.

vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

vii) Depreciation on Leased assets and Leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

9. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each Balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy of creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for Advances and Investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter Cyclical Provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as

a) Integral Operations and
b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

a. Translation in respect of Integral Operations

i) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

ii) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

iii) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year

iv) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

v) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

b. Translation in respect of Non Integral Operations

i) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter

ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

12. Employee Benefits

Retirement benefit in the form of Provident Fund is a defined contribution scheme. The contributions to the Provident Fund are charged to the Profit & Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation other than the contribution payable to the Provident Fund.

Gratuity, Pension and provision towards Leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per Accounting Standard-15 (Revised) "Employee Benefit" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/ losses are immediately taken to the Profit & Loss account. New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme.

Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit & Loss account. Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulations of the respective countries.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment, in accordance with the RBI guidelines. In compliance with the Accounting Standard-17 "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Business segments are classified into

i) Treasury Operations,

ii) Corporate and Wholesale Banking,

iii) Retail Banking Operations and

iv) Other Banking Operations.

14. Lease Transactions

Lease payments for Assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease/rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15. Earnings per Share

Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity share holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

16. Taxation

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such Deferred Tax Assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, Deferred Tax Assets are recognized only if there is "virtual certainty".

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2017-2018

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS:

1. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

1.1 CAPITAL

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 10.875% with minimum CET I of 7.375% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum Tier I CRAR OF 8.875% as at March 31, 2018.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III	7.60	7.71
ii)	Tier I Capital ratio (%) Basel III	9.07	9.02
iii)	Tier II Capital ratio (%) Basel III	2.43	2.77
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III	11.50	11.79
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	67.43	63.44
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	7,065	Nil
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore) (Perpetual Debt Instruments)	500	3,500
Viii	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	Nil	1,750
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	Nil	1,750

NOTE:

1. During the year the Bank has raised ₹ 500 Crore by way of issuing Basel III compliant Additional Tier – I (AT-1) Bonds.
2. During the year, the Bank has issued 12,93,24,280 equity shares having Face Value of Rs 10 each for cash pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP) in accordance with the provisions of SEBI (issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 at a premium of ₹ 144.65 per share aggregating ₹ 2000 crore.
3. The Government of India vide letter No. 7/38/2014-BOA dated 31st March, 2017 infused Rs 541 Crore which was controlled under Share Application Money, pending allotment as on 31st March, 2017. Subsequently, upon receipt of approval from the Government of India vide letter No. F.No. 7/38/2014-BOA dated 04th August, 2017, the Bank has issued and allotted 3,89,88,181 equity shares having Face Value of Rs 10/- each at a premium of ₹ 128.76 per share, on preferential basis, to the Government of India on 04th August, 2017

Further, the Government of India vide letter No. F.No. 7/38/2014-BOA dated 21st March, 2018 has infused Rs 4524 Crore for which the Bank has issued and allotted 31,28,19,803 equity shares having Face Value of Rs 10/- each at a premium of Rs 134.62 per share, on preferential basis, to the Government of India on 27th March, 2018.

2 INVESTMENTS

2.1 The detail of Investments and the Movement of provision held towards depreciation on investments of the Bank is given below:

(₹ in crore)

Sr. No.		Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1		Value of Investments		
	i)	Gross Value of Investments	1,24,598.07	1,11,942.41
		(a) In India	1,24,019.17	1,11,427.66
		(b) Outside India	578.90	514.75
	ii)	Provision for Depreciation	2,743.84	1,182.46
		(a) In India	2,743.84	1,182.46
		(b) Outside India	Nil	Nil
	iii)	Net Value of Investments	1,21,854.23	1,10,759.95
		(a) In India	1,21,275.33	1,10,245.20
		(b) Outside India	578.90	514.75
2		Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i)	Opening balance	1,182.46	553.80
	ii)	Add: Provisions made during the year	1,828.57	720.16
	iii)	Less: Write-off/write-back of excess provisions during the year	267.19	91.50
	iv)	Closing balance	2,743.84	1,182.46

2.2 REPO Transactions (In face value terms)

The following tables set forth for the periods indicated, the details of securities sold and purchased under repo and reverse repo transactions respectively including

transactions under Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF).

(₹ in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2018
A	Securities sold under Repo				
i)	Government securities	4.00	8,920.35	2,220.00	6,862.00
ii)	Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil
B	Securities purchased under Reverse Repo				
i)	Government securities	15.00	11,197.00	970.00	11,197.00
ii)	Corporate debt securities	Nil	Nil	Nil	Nil

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

The issuer composition of investments in securities, other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of Below Investment Grade Securities	Extent of Unrated Securities**	Extent of Unlisted Securities**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	13,990.30	8,628.98	Nil	0.58	0.58
ii)	FIs	1,418.79	1,012.82	Nil	Nil	Nil
iii)	Banks	213.94	140.00	Nil	Nil	Nil
iv)	Private Corporate	8,397.69	5,174.79	130.77	14.52	85.30
v)	Subsidiaries/ Joint Ventures*	845.81	845.81	Nil	Nil	Nil
vi)	Others	1,791.37	1,281.36	Nil	Nil	Nil
vii)	Provision held towards depreciation	(2,152.71)	----	Nil	Nil	Nil
	Total	**24,505.19**	**17,083.76**	**130.77**	**15.10**	**85.88**

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Shares	1,846.94	1,782.46
Debentures and Bonds	19,453.60	17,221.70
Subsidiaries and Joint Ventures	846.22	741.66
Others	2,358.43	3,465.00
TOTAL	**24,505.19**	**23,210.82**

ii. Non performing Non-SLR investments

The movement in gross non performing investments in securities other than government and other approved securities is given below:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance	2,091.48	244.19
Additions during the year	2,037.49	1,853.35
Reductions during the year	1,781.27	6.06
Closing balance	2,347.70	2,091.48
Total provisions held	**1,845.57**	**502.51**

2.4 Sale and transfers to/from HTM Category

The Bank has not made sales and transfers to/from HTM category during the financial year exceeding 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year. During the year securities under HTM category with Face Value Rs 3,638.61 crore/ book value of ₹ 3,666.20 crore were sold. Further on April 3, 2017, the Bank had carried out one time transfer of securities to/from HTM category with approval of Board of Directors, aggregating to ₹ 26,881.77 crore and ₹ 27,163.81 crore being face value and book value respectively. Reserve Bank of India vide circulars no. RBI/2016-17/318 DBR No. BC.71/12.02.001/2016-17 dated June 7, 2017 and RBI/2017-18 DBR No BC.90/12.02.001/2017-18 dated October 4, 2017 had advised banks to reduce its total SLR securities held in the HTM category in a graduated matter. Accordingly, the Bank had transferred securities from HTM to AFS category aggregating to face value 1,097.15 crore/ book value ₹ 1,073.87 crore on December 27, 2017.

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	The notional principal of swap agreements	13,977.96	16,181.10
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	41.07	62.58
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from the Swaps	Nil	Nil
v)	The fair value of the swap book*	(5.84)	(10.30)

*MTM of IRS deals plus interest accrued on hedging deals.

Note:

I. Interest rate swaps in Indian Rupees were undertaken for hedging Reciprocal Loan Arrangements.

II. The Bank has entered into Floating to Fixed or Fixed to Floating Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III. All underlying for hedge transactions are on accrual basis.

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) A) Interest Rate Futures Buy Sell	 4,278.13 4,105.65	 3,962.51 3,945.51
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2018 (instrument-wise)	Instrument O/S 679GS2027 Nil 772GS2025 Nil 788GS2030 Nil	Instrument O/S 759GS2026 20.82
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Instrument O/S 679GS2027 Nil 772GS2025 Nil 788GS2030 Nil	Instrument O/S 759GS2026 20.82
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Instrument O/S 679GS2027 Nil 772GS2025 Nil 788GS2030 Nil	Instrument MTM 759GS2026 (0.06)

3.3 Disclosures on Risk Exposures in Derivatives

a) Qualitative disclosure:

1. The Bank deals in two groups of derivative transactions within the framework of RBI guidelines.

   i) Over the Counter Derivatives

   ii) Exchange Traded Derivatives

   The Bank deals in Forward Rate Agreement, Interest Rate Swaps, Cross Currency Swap and Currency Options in Over the Counter Derivatives group.

   In Exchange Traded Derivatives Group, the Bank trades in Currency Futures and Interest Rate Futures. The Bank is Trading & clearing member with three Exchanges viz. National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & Metropolitan Stock Exchange (MSEIL), on their Currency Derivative segment, as permitted by Reserve Bank of India. The Bank carries out proprietary trading in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

   The Bank trades in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by the Regulators.

   The Bank undertakes derivative transactions for proprietary trading/market making, hedging own balance sheet and for offering to customers, who use them for hedging their risks within the prevalent regulations. Proprietary trading/market making positions are taken in Rupee Interest Rate Swap, Currency Futures and Interest Rate Futures. While derivative instruments present immense opportunity for making a quantum leap in non-interest income and also for hedging market risk, it exposes the Bank to various risks. The Bank has adopted the following mechanism for managing different risks arising out of derivative transactions.

   In terms of the structure, operations in the Treasury Branch are segregated into following three functional areas, which are provided with trained officers with necessary systems support and their responsibilities are clearly defined.

   I) Front Office—Dealing Room. Ensures Compliance with trade origination requirements as per Bank's policy and RBI guidelines.

   II) Mid-Office---Risk Management, Accounting Policies and Management

   III) Back Office- Settlement, Reconciliation, Accounting.

   Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, for onward reporting of the risk profile to the Directors' Committee on the Assets and Liability Management.

   In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability. The necessary documents like ISDA agreements are

duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring credit exposures.

2) Treasury Policy of the Bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, and approval process as also the limits like the open position limits, deals size limits, stop-loss limits and counterpart exposure limit for trading in approved instruments.

Various Risk Limits are set up and actual exposures are monitored vis-à-vis the limits.

These limits are set up taking in to account market volatility, business strategy and management experience. Risk limits are in place for risk parameters viz. PV01, stop loss, counterparty credit exposure. Actual positions are measured against these limits periodically and breaches if any are reported promptly. The Bank ensures that the Gross PV01 position arising out of all non option derivative contracts is within the 0.25% of net worth of the Bank.

3) The Bank also uses financial derivative transactions for hedging its own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profit or loss calculated on Mark to Market basis, PV01 and VaR on these deals are reported to the Assets Liability Committee (ALCO) every month. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged items that are attributed to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instruments. This exercise is carried out periodically to ensure hedge effectiveness.

4) The hedged/un-hedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are mark-to-market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium, and discount are being followed.

To mitigate the credit risk, the Bank has policy in place to sanction limits to counterparty the Banks and Counterparty clients. The Bank adopts Current Exposure method for monitoring counterparty exposure periodically. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals/margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

The customer related derivative transactions are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

b) Quantitative disclosure:

(₹ in crore)

		31.03.2017		31.03.2018	
Sr. No	**Particulars**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**	**Currency Derivatives**	**Interest Rate Derivatives**
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
a	For hedging	0.00	4,275.00	0.00	4,925.00
b	For trading	2,961.22	5,120.82	1,306.81	4,490.00
ii)	Marked to Market Positions (1)				
a	Asset (+)	36.56	34.38	29.31	24.93
b	Liability (-)	-22.25	-45.88	-21.64	-32.02
iii)	Credit Exposure (2)	248.74	152.69	201.33	135.22
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
a	On hedging derivatives	0.00	16,253.02	0.00	15,121.53
b	On trading derivatives	26.59	746.47	15.90	133.40
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year (In Lacs)				
A	Maximum				
	a. On hedging	0.00	16,403.51	0.00	17,986.56
	b. On trading	29.74	3,276.87	26.59	3,837.97
B	Minimum				
	a. On hedging	0.00	2,972.32	0.00	15,121.53
	b. On trading	18.26	145.93	15.84	13.92

*Credit exposure of interest rate derivative also includes the exposure on Hedging deals.

4. ASSETS QUALITY

4.1 Non Performing Assets

The details of movement of gross non performing assets (NPAs), net NPAs and provisions are given below:

(₹ in crore)

Sr No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	8.42	6.57
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance	33,712.28	24,170.89
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	21,305.35	12,755.27
	(c) Increase in balance of existing NPA	63.76	488.62
	Sub-total (A)	**55,081.39**	**37,414.78**
	(d) Less:-		
	(i) Up-gradations	399.70	1,050.00
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1,834.81	1,388.36
	(iii) Technical/Prudential Write-offs	2,773.78	999.19
	(iv) Write-offs other than (iii) above	703.17	264.45
	Sub-total (B)	**5,711.46**	**3,702.50**
	(e) **Closing balance (A-B)**	**49,369.93**	**33,712.28**
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	18832.10	14,025.94
	(b) Additions during the year	7869.27	7211.99
	(c) Reduction during the year	2375.06	2405.83
	(d) **Closing Balance**	24326.31	18832.10
iv)	Movement of provisions for NPAs		
	(a) Opening balance	14880.17	10144.95
	(b) Provisions made during the year	13499.84	6031.90
	(c) Provision increased n restructured accounts	140.55	(9.71)
	(d) Write-off/write-back of excess Provisions	3476.93	1286.97
	(e) **Closing balance**	25043.63	14880.17

Provision includes provision in lieu of diminution in fair value of restructured advances classified as NPAs. Opening and closing balances of provision for NPAs also include ECGC claims received/ recoveries in suit filled accounts and held pending adjustment of ₹ 181.91 Crore (Previous year ₹ 86.47 Crore) and ₹ 0.59 crore (Previous year ₹ 1.02 Crore) respectively

4.2 The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated 18th April 2017, has prescribed certain additional disclosure to be made under "Notes to Accounts" for the reference period i.e. FY 2015-16, neither the additional provisioning requirements assessed by RBI nor the additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15 percent of the published net profits after tax and incremental Gross NPAs respectively of the Bank.

4.8 Particulars Of Accounts Restructured

(₹ in crore)

Sr. No.	Type of Restucturing		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism				
	Asset Classification		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details											
1	Restructured Accounts as on 31.03.17 (Opening Figures for FY-2017)	No. of Borrowers	11	3	31	1	46	218	76	5750	245	6289
		Amount Outstanding	2,245.39	202.03	4,615.98	98.60	7,162.00	402.98	594.14	518.38	26.87	1542.37
		Provision there on	103.32	1.15	309.99	0.00	414.46	4.67	5.58	11.28	0.31	21.84
2	Fresh Restructuring during the FY-2017-18	No. of Borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Up-gradations to restructured standard category during the FY 2017-18	No. of Borrowers	0				0	17				17
		Amount Outstanding	0.00				0.00	8.21				8.21
		Provision there on	0.00				0.00	0.01				0.01
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2017-18 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2017-18	No. of Borrowers	3				3	40				40
		Amount Outstanding	231.36				231.36	232.39				232.39
		Provision there on	20.86				20.86	0.13				0.13
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2017-18	No. of Borrowers		4	1	0	5		33	1	0	34
		Amount Outstanding		422.47	252.11	0.00	674.58		90.64	41.96	0.00	132.60
		Provision there on		53.79	8.40	0.00	62.19		3.21	0.00	0.00	3.21
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2017-18	No. of Borrowers	0	0	3	1	4	0	0	4262	178	4440
		Amount Outstanding	0.00	0.00	790.87	43.35	834.22	0.00	0.00	128.55	0.71	129.26
7	Restructured Accounts as on 31.03.2018	No. of Borrowers	2	4	27	1	34	81	27	391	52	551
		Amount Outstanding	40.34	422.47	3,868.37	98.28	4,429.46	36.62	90.31	795.27	26.25	948.46
		Provision there on	1.00	53.79	274.51	0.00	329.30	1.19	3.21	9.65	0.24	14.29

(₹ in crore)

Sr. No.	Type of Restructuring		Others					Total				
	Asset Classification		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details											
1	Restructured Accounts as on 31.03.17 (Opening Figures for FY-2017)	No. of Borrowers	7144	1193	19122	1085	28544	7,373	1,272	24,903	1,331	34879
		Amount Outstanding	3,048.08	1,156.51	2,840.87	459.11	7504.57	5,696.45	1,952.68	7,975.23	584.58	16,208.94
		Provision there on	87.26	33.38	50.39	1.40	172.43	195.25	40.11	371.66	1.71	608.73
2	Fresh Restructuring during the FY-2017-18	No. of Borrowers	0	5	3	0	0	0	5	3	0	8
		Amount Outstanding	0.00	1,210.53	694.18	0.00	0.00	0.00	1,210.53	694.18	0.00	1,904.71
		Provision there on	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Up-gradations to restructured standard category during the FY 2017-18	No. of Borrowers	150				150	167				167
		Amount Outstanding	28.22				28.22	36.42				36.42
		Provision there on	0.21				0.21	0.22				0.22
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY 2017-18 and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY 2017-18	No. of Borrowers	1810				1810	1853				1853
		Amount Outstanding	103.93				103.93	567.68				567.68
		Provision there on	3.05				3.05	24.04				24.04
5	Down gradations of restructured accounts during the FY 2017-18	No. of Borrowers		657	55	2	714		694	57	2	753
		Amount Outstanding		1,939.08	1,528.73	0.19	3,468.00		2452.19	1822.81	0.19	4275.19
		Provision there on		32.18	7.47	0.01	39.66		89.18	15.87	0.01	105.06
6	Write-offs of restructured accounts during the FY 2017-18	No. of Borrowers	0	0	12457	625	13082	0	0	16,722	804	17526
		Amount Outstanding	0.00	0.00	230.69	2.42	233.11	0.00	0.00	1,150.12	46.48	1,196.60
7	Restructured Accounts as on 31.03.2018	No. of Borrowers	2470	556	2888	353	6267	2,553	587	3,306	406	6852
		Amount Outstanding	1,157.71	2,076.67	4,945.55	531.87	8711.81	1,234.67	2,589.45	9,609.20	656.41	14,089.72
		Provision there on	17.44	39.57	71.18	6.87	135.06	19.63	96.57	355.34	7.10	478.64

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
Good people to bank with

4.4 Details of financial assets sold to Securitization/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	No. of Accounts	7	8
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC		
	a) NPA Accounts	286.22	204.42
	b) Written-off accounts	Nil	Nil
	c) SMA accounts	99.96	Nil
iii)	Aggregate consideration		
	a) NPA Accounts	216.91	188.70
	b) Written-off accounts	Nil	19.00
	c) SMA accounts	101.22	Nil
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier year.	Nil	1.58
v)	Aggregate gain / (loss) over net book value.		
	a) NPA Accounts	(69.31)	(15.72)
	b) Written-off accounts	Nil	19.00
	c) SMA accounts	1.26	Nil

4.5 Details of non performing financial assets purchased / sold

a. Details of non performing financial assets purchased

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

b. Details of non performing financial assets sold (Other Than ARC's)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

c. Book Value of Investments in Security Receipts backed by NPA

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Book Value of Investments in Security Receipts	622.63	556.60	12.83	13.49	635.46	570.09

d. Book Value of Investments in Security Receipts backed by SMA

(₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by SMAs sold by other banks/ financial institutions/ non banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2017
Book Value of Investments in Security Receipts	343.36	257.82	Nil	Nil	343.36	257.82

4.11 Provision on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision towards Standard Assets	1319.65	2034.24

The provision on Standard Assets held by the Bank as on 31st March, 2018 is ₹ 1319.65 crore (previous year ₹ 2034.24 crore)

5. BUSINESS RATIOS

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	6.71	7.60
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.02	1.16
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.54	1.73
iv)	Return on Assets	(1.07)	0.13
v)	Average Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in crore)	17.83	16.43
vi)	Profit per employee (₹ in crore)	(0.14)	0.02

6. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2018 is based on the following:

- RBI RBI Guidelines on ALM
- Behavioral studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality

- Foreign Currency On-balance sheet Assets & Liabilities

(₹ in crore)

Maturity Pattern	Deposits	Advances	Investments/ Securities	Borrowings	Foreign Currency Assets	Foreign Currency Liabilities
Next Day	1,655.34	5,034.12	350.00	1,318.80	3,783.57	3,743.12
2-7 days	7,106.84	8,952.01	1,138.85	4,004.44	2,021.33	508.55
8-14 days	7,506.84	4,190.71	612.74	3,924.32	1,895.35	2,391.45
15-30 days	7,528.30	13,058.12	2,471.64	624.30	3,606.33	1,839.26
31 Days-2 Months	13,094.38	5,435.22	721.42	2,232.12	5,464.21	4,472.64
Over 2 months & up to 3 months	22,165.66	11,379.00	194.87	4,563.19	5,937.81	6,795.50
Over 3 months & up to 6 months	38,347.26	14,444.54	1,465.15	3,556.26	10,322.07	7,226.01
Over 6 months & up to 1 year	52,060.68	26,790.59	12,015.61	2,687.36	5,119.37	5,479.17
Over 1 year & up to 3 years	53,962.68	130,905.06	17,194.34	7,151.16	6,537.05	8,802.15
Over 3 years & up to 5 years	37,641.32	35,298.59	22,846.01	5,082.89	9,839.29	7,560.76
Over 5 years	167,432.34	33,272.61	64,769.98	10,910.93	2,074.47	380.53
Total	408,501.64	288,760.58	123,780.62	46,055.77	56,600.85	49,199.13

7 EXPOSURES

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Sr. No.	Category	31.03.2018	31.03.2017
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; -Out of the above individual housing loans up to Rs.20 lakh	 28855.48 13762.79	 32,300.62 13148.83
ii)	Commercial Real Estate – lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	 5449.27	 2978.53
iii)	CRE RH	6317.74	6634.35
iv)	LRD (Lease Rental Discounting)	2084.04	1462.56
v)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures - a. Residential, b. Commercial Real Estate.	 Nil Nil	 Nil Nil
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	11685.64	9,607.20
	Total Exposure to Real Estate Sector	**54392.17**	**46,348.91**

7.2 Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	1363.22	1,220.89
ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	3.90	3.89
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	322.82	1.58
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.63	26.89
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	541.58	622.12
vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	113.57	322.94
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows /issues.	Nil	Nil
viii)	Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	Nil	Nil
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.**	415.50	480.58
	Total exposure to Capital Market	2405.89	2,678.90

**** Including undrawn capital commitments of venture capital amounting ₹ 113.35 crore for 2017-18.**

7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crore)

Risk Category	Net Exposure 31.03.2018	Net Exposure 31.03.2017	Provision held 31.03.2018	Provision held 31.03.2017
Insignificant	14627.51	14,839.43	Nil	Nil
Low	5986.13	7,634.06	Nil	Nil
Moderate	349.18	257.62	Nil	Nil
High	0.79	1.03	Nil	Nil
Very High	-	Nil	Nil	Nil
Restricted	-	Nil	Nil	Nil
Off-credit	-	Nil	Nil	Nil
Total	**20963.61**	**22,732.14**	**Nil**	**Nil**

As per Country Risk Policy 2017-18, Bank has used ECGC country risk classification for the Trade Exposure and other than Trade exposure in India both for branches in India and for overseas branches.

Bank will make provision for country risk exposure only in respect of a country where the net funded exposure is 1% or more of its total assets.

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank. (Capital fund Rs 34334 crore as of 31.03.2018)

(₹ in crore)

Sr. No		Name of the Borrower	Exposure Ceiling (₹)	Total Exposure (₹)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.18	Position as % of Capital Fund
1.	Single Borrower	Food Corporation of India	5,150.10	10,000.00	29.12%	1,610.21	4.68%
2.	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

- Individual borrower exposure limit is 15% of Capital Fund. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.
- Individuals with additional 5% for Infrastructure Projects (20% of Capital Funds)
- Individuals for Oil Companies which have been issued Oil Bonds (which do not have SLR status) by Government of India is 25% of Capital funds.
- Group Exposure Limit – 40%
- For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50% additional exposures can be taken with the permission of the Board

7.5 Unsecured Advances:

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority etc.	Nil	Nil
Estimated value of such intangible collateral securities	Nil	Nil

Advances backed by Annuity under Build Operate Transfer (BOT) model in respect of Road/Highway Projects and toll collection rights have been considered secured as per RBI circular No. OD. BP. BC. No. 83/08.12. 014 / 2012-13 dated 18 March 2013.

8. DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI: ₹ 414.86 LACS (PREVIOUS YEAR ₹ 8.43 LACS)

A. DISCLOSURES AS PER ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BY THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

9. REVENUE RECOGNITION (AS 9)

Certain items of income are recognized on realization basis as per Accounting Policy no.3.3 of Schedule 17 of Significant Accounting Policies which however, is not considered to be material.

10. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

10.1 Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2018.

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation :**				
	Liability at the beginning of the year	1,114.72	1,1231.15	1,110.33	9,619.00
	Interest Cost	80.26	836.72	88.72	775.29
	Current Service Cost	53.45	120.75	47.72	134.46
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	242.12	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	Actuarial (gain)/loss on obligation –due change				
	In the financial assumption	34.24	311.61	30.71	533.48
	Actuarial (gain) / loss on obligations	(142.26)	(37.82)	(13.96)	793.17
	Liability at the end of the year	1244.88	11803.32	1,114.72	1,1231.15

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
	Expected return on Plan Assets	95.98	835.51	99.98	767.77
	Contributions	Nil	745.08	88.16	1,019.42
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,302.00	12,115.00	1,333.03	11,214.89
	Actuarial (gain)/loss on obligation for the period	(108.02)	273.79	16.75	1,326.65
	Actuarial Gain/Loss on Plan Assets	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(118.66)	295.18	(25.67)	(800.40)
iii)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	95.98	835.51	99.98	767.77
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	Actual return on Plan Assets	106.62	814.12	142.40	1294.02
v)	**Expenses recognized in the Income Statement:**				
	Current Service Cost	53.45	120.75	47.72	134.46
	Interest Cost	(15.72)	1.21	(11.26)	7.52
	Expected Return on Plan Assets				
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	242.12	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	(118.66)	(295.18)	(25.67)	800.40
	Expenses Recognized in P & L	161.19	417.14	10.79	942.38
vi)	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
	Expenses as above	161.19	417.14	10.79	942.38
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	Nil	(745.08)	(88.16)	(1,019.42)
	Amount recognized in Balance Sheet	(57.12)	(311.68)	(218.31)	16.26
vii)	**Other Details :**				
	Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%.				
	Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 1,00,00,00 or as per the Bank scheme.				
	Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence.				
	Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	37,502	16,443	37,120	18,059
	Salary Per Month	171.21	92.65	162.08	96.58
	Contribution for next year	Nil	Nil	Nil	137.01

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
viii)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	94.78	250.28	121.75	366.40
	Corporate Bonds	178.50	1,342.84	251.89	1,771.02
	Special Deposits Scheme	8.01	410.00	Nil	Nil
	State Govt.	174.58	761.71	139.50	344.00
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	111.64	1,324.49	113.85	1,246.48
	Insurer Managed Funds	734.50	8,025.68	706.04	7,486.99
	Total	1,302.01	12,115.00	1,333.03	11,214.89
ix)	**Principal actuarial assumption used (%)**				
	Discount Rate Prev.	7.20	7.45	7.99	8.06
	Rate of return on Plan Assets Prev.	7.20	7.45	7.99	8.06
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	7.83	7.76	7.20	7.45
	Rate of Return on Plan Assets Current	7.83	7.76	7.20	7.45
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹. in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Liability at the end of the year	1,244.88	1,114.72	1,110.33	1,088.16	1,060.13
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,302.00	1,333.03	1,251.27	1,264.00	1,081.23
Difference	57.12	218.31	140.94	175.84	21.10
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	65.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	57.12	218.31	140.94	175.84	86.10

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2014**
On plan liability (Gain) / Loss	(142.26)	(13.96)	Nil	(21.18)	123.74
On plan Assets (Loss) / Gain	10.64	42.42	29.80	38.03	(20.00)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2014**
Liability at the end of the year	11,803.32	11,231.15	9,619.00	8,218.43	6,683.81
Fair value of Plan Assets at the end of the year	12,115.00	11,214.89	9,525.70	7,861.00	6,104.73
Difference	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	338.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2014**
On plan liability (Gain) / Loss	(37.82)	793.17	1,399.16	731.44	661.38
On plan Assets (Loss) / Gain	(21.39)	526.25	155.11	210.89	(233.23)

10.2 Defined Contribution Plan:

The Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2017-18, the Bank has contributed ₹ 86.48 crore (Previous Year Rs 68.69 crore) to NPS.

10.3 Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2018	31.03.2017
1.	Pension	417.14	942.00
2.	Leave Encashment	61.84	58.00
3.	Leave Travel Concession	(19.02)	(3.69)
4.	Sick Leave	Nil	Nil

11 SEGMENT REPORTING (AS-17)

(₹ in Crore)

	Business Segment	Standalone	
		Year Ended	
		(Audited)	(Audited)
		31.03.2018	31.03.2017
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	12,008.17	12,508.55
2	Retail Banking Operations	10,880.08	10,293.19
3	Corporate /Wholesale Banking	14,012.38	14,586.86
4	Other Banking Operations	550.49	334.31
5	Unallocated	498.22	Nil
	Total	**37,949.34**	**37,722.91**
	Less Inter-segment Revenue	**(211.48)**	**98.33**
	Total Revenue	**37,737.86**	**37,624.58**
(b)	**Segment Results**		
1	Treasury Operations	1,649.05	3,418.01
2	Retail Banking Operations	424.86	679.02
3	Corporate /Wholesale Banking	(9,488.51)	(3,933.55)
4	Other Banking Operations	275.25	179.12
5	Unallocated	498.22	Nil
	Total Profit Before Tax	**(6,641.13)**	**342.60**
(c)	**Income Tax**	**(1393.76)**	**(212.62)**
(d)	**Net Profit**	**(5247.37)**	**555.21**
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	1,74,049.92	1,49,452.25
2	Retail Banking Operations	1,16,279.02	1,01,247.61
3	Corporate/Wholesale Banking	1,87,288.80	1,96,700.94
4	Other Banking Operations	Nil	Nil
5	Unallocated Assets	9,788.25	5,303.64
	Total	**4,87,405.99**	**4,52,704.44**

	Segment Liabilities		
(f)	**Treasury Operations**	**1,67,650.29**	**1,42,297.16**
1	Retail Banking Operations	1,12,561.64	97,183.59
2	Corporate /Wholesale Banking	1,81,301.28	1,88,805.48
3	Other Banking Operations	Nil	Nil
4	Unallocated Liabilities	796.02	442.01
5	Capital, Reserves & Surplus	25,096.76	23,976.20
	Total	**4,87,405.99**	**4,52,704.44**

Notes:

1. The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by The Institute of Charterd Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.
2. Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.
3. Previous year's/Twelve Month's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Twelve Month's classification/ presentation.

12 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

12.1 List of Related Parties

a) Subsidiaries
- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Private Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.

b) Joint Venture
- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

c) Associate
- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2017-18
Shri Arun Tiwari	Chairman and Managing Director	Cessation on 30th June 2017
Shri Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	Joining on 01st July 2017
Shri Vinod Kathuria	Executive Director	N.A.
Shri Raj Kamal Verma	Executive Director	N.A.
Shri Atul Kumar Goel	Executive Director	N.A.

Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.2 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Chairman and Managing Director	0.28	0.23
Executive Directors	0.76	0.50
Total	**1.04**	**0.73**

13 EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i	Basic and Diluted EPS ₹	(69.45)	8.08
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (₹ in crore)	(5247.37)	555.21
iii	Weighted Average number of equity shares (No. in crore)	75.56	68.74
iv	Nominal value per share (₹)	10	10

14 PROVISION FOR TAXES:

14.1 Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	Nil	179.37
2	Employee Benefits (Leave Encashment)	238.91	363.80
3	Depreciation on Fixed Assets	14.07	Nil
4	On account of other provisions	6637.39	2727.01
	Total	**6890.37**	**3270.18**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	22.31
2	Accrued interest on securities	790.01	670.36
3	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	994.98	953.71
4	Depreciation on Investment	912.51	Nil
	Total	**2697.50**	**1646.38**
	Net Deferred Tax Asset	**4192.87**	**1623.80**
	Net Deferred Tax Liability	**Nil**	**Nil**

14.1 Direct Tax

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision for Income Tax (Including Deferred tax)	(1393.76)	(212.62)

15 INVESTMENT IN JOINT VENTURES (AS – 27)

Investments include Rs.65 Crores (Previous year ₹ 65 Crores) representing Bank's interest in Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. it is jointly controlled entity.

16 IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

In the opinion of the Management, there is no indication for Impairment during the year with regard to the asset to which Accounting Standards 28 applies.

17 CONTIGENT LIABILITIES (AS – 29)

Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S. No.(I) & (VI)(i) are dependent upon the outcome of court/arbitration/out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

ADDITIONAL DISCLOSURE

17.1Provisions and Contingencies

(₹ In crore)

Break up of Provision & Contingencies. shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2018	31.03.2017
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	1559.99	630.40
Provision towards NPA	13499.84	6032.00
Provision/(Reversal) towards Standard Assets	(720.39)	515.38
Net Provision made towards Income Tax / Deferred Tax	(1393.76)	(213.00)
Other Provision and Contingencies:		
- Shifting Loss	367.25	1.81
- Restructured Advances	(235.65)	66.02
- Others	(290.34)	(157.75)
TOTAL	**12786.94**	**6874.87**

17.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ In crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Opening Balance	293.20	293.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	Nil	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	Nil	Nil
iv)	Closing balance	293.20	293.20

18 DRAW DOWN FROM RESERVES:

Bank has made no draw down during the year 2017-18 - ₹ NIL

19 DISCLOSURE OF COMPLAINTS:

A Customer Complaints

Sr. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	345	446
(b)	No. of complaints received during the year	4,26,046	1,97,651
(c)	No. of complaints redressed during the year	4,25,976	1,97,752
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	415	345

B Complaints pertaining to ATM card issued by the Bank

Sr. No	Particulars	31.03.2017	31.03.2016
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	Nil	155
(b)	No. of complaints received during the year	93,427	51,455
(c)	No. of complaints redressed during the year	93,370	51,610
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	57	Nil

Out of the above, details of complaints specifically attributable to acquiring bank:

Sr. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	3	55
(b)	No. of complaints received during the year	52,743	25,520
(c)	No. of complaints redressed during the year	52,669	25,572
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	77	3

C Awards passed by the Banking Ombudsman

Sr. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	Nil	1
(c)	No. of Awards implemented during the year	Nil	1
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil	Nil

20 Disclosure of Letter of Comfort (LoC's) issued

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Letter of Comfort outstanding at beginning of the year	4,093.89	3,474.45
Add : Issued during the year	15,043.86	10,900.12
Less : Expired during the year.	14,764.33	10,280.68
Outstanding at the end of the year	4,373.42	4,093.89

21 Provision Coverage Ratio (PCR)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Provision Coverage ratio (%)	57.16	51.41

22 DISCLOSURE OF – BANCASSURANCE BUSINESS:

The breakup of income derived from bancassurance business is given here below:

(₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	31.03.2018	31.03.2017
1.	Life Insurance Policies	71.33	58.67
2.	Non Life Insurance Policies	9.37	6.36
3.	Health Insurance	8.49	3.74
4.	Others (specify)	Nil	Nil

23 CONCENTRATION OF DEPOSITS, ADVANCES, EXPOSURES AND NPAs:

23.1 Concentration of Deposits

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Deposits of twenty largest depositors	38,499.84	26,881.52
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank.	9.46%	7.10%

23.2Concentration of Advances

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Advances of twenty largest borrowers/customers	20,243.03	23,530.68
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank. Exp=FB:301597.08 crore	6.83%	7.80%

23.3 Concentration of Exposures

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposures of twenty largest borrowers/customers	61,360.94	65,240.42
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/customers to Total Exposures of the Bank on borrowers / customers. (Total Exp = FB:391647.47 + NFB:86432.58 + Investments : 266.58 + DERIVATIVES:5136.75 = 483483.38 Crs)	12.69%	10.62%

23.3 Concentration of NPAs

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Exposures to top four NPA accounts	5,822.40	5,564.33

24 SECTOR-WISE ADVANCES

(₹ in crore)

Sr. No.	Sector	Current Year (FY 2017-18)			Previous Year (FY 2016-17)		
		Outstanding Total Advances	Outstanding Total Advances	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	45,824.58	2,773.77	6.05	44,139	2,927	6.63
2	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	19,651.34	3,394.53	17.27	19,195	2,853.00	14.86
3	Services	43,985.90	6,313.41	14.35	24,068	1,952	8.11
4	Personal loans	14,682.74	444.88	3.03	15,461	539	3.49
	Sub-total (A)	**12,144.56**	**12,926.59**	**10.41**	**1,02,863**	**8,271**	**8.04**
B	**Non Priority Sector**						
1	Agriculture and allied activities	525.53	217.60	41.41	476	211	44.33
2	Industry	1,64,317.21	35,623.13	21.68	1,42,224	22,644	15.92
3	Services	0.00	0.00	0.00	27,105	1,838	6.78
4	Personal loans	25,120.79	602.62	2.40	29,015	748	2.58
	Sub-total (B)	**1,89,963.53**	**36,443.35**	**19.18**	**1,98,820**	**25,441**	**12.80**
	Total (A+B)	**3,14,108.08**	**49,369.93**	**15.72**	**3,01,683**	**33,712**	**11.17**

Sub sectors where the outstanding advance exceeds 10% of the outstanding total advances to that sector for the FY 2017-18 are as under: NIL

25 MOVEMENT OF NPA

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Gross NPA as on 1st April 2017 (Opening Balance)	33,712.28	24,170.88
Additions (Fresh NPAs) during the year	21,305.35	13,243.89
Increase in balance of existing NPA	63.76	Nil
Sub-total (A)	55,081.39	37,414.78
Less:-		
(i) Up-gradations	399.70	1,050.48
(ii)Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	1,834.81	1,388.36
(iii) Write-Offs	3,476.95	1,263.66
Sub-total (B)	5,711.46	3,702.50
Gross NPA as on 31st March 2018 (closing balance) (A-B)	49,369.93	33,712.28

26 STOCK OF TECHNICAL WRITE-OFFS

(₹ in crore)

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts	5,047.78	4,391.90
ii)	Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	2,773.78	999.19
iii)	Sub-total (A)	7,821.56	5,391.09
iv)	Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year (B)	409.81	343.31
v)	Closing balance (A-B)	7,411.75	5047.78

27 OVERSEAS ASSETS, NPAS AND REVENUE

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Total Assets	36,819.82	37,756.96
Total NPAs	3,545.48	2,872.41
Total Revenue	1,255.60	1,046.96

28 There is no Off – Balance Sheet SPVs sponsored by the Bank.

29 UNAMORTIZED PENSION AND GRATUITY LIABILITIES

(₹. In crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Pension		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil
Gratuity		
a) Charged to Profit & Loss account	Nil	Nil
b) Carried forward	Nil	Nil

30 CREDIT DEFAULT SWAPS:

The Bank had not entered into any Credit Default Swap transactions during the financial year 2017-18.

31 INTRA GROUP EXPOSURES

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018
Total amount of Intra group exposure	1,48,277.91
Total amount of Top 20 Intra group exposure	82,836.01
Percentage of Intra group exposure to Total exposure of the Bank on borrowers/customers	17.04%
Details of breach of limits on Intra group exposure and regulatory action thereon	Nil

32 TRANSFERS TO DEPOSITOR EDUCATION AND AWARENESS FUND (DEAF)

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Opening balance amounts transferred to DEAF	822.22	704.90
Add: Amount transferred to DEAF during the Year	193.17	139.03
(Adjustment of yearly statement of March 2017)	0.29*	
Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims	41.91	21.71
Closing balance of Amount transferred to DEAF	973.77	822.22

- In the yearly statement of March 2017, amount reported under "Amount reimbursed by DEAF towards claims" was inadvertently mentioned as Rs 21.71 Crores (inclusive of Rs 0.29 crores, which should have been excluded), instead of Rs 21.42 Crores.

33 UN-HEDGED FOREIGN CURRENCY EXPOSURE (UFCE)

In terms of guidelines issued by Reserve Bank of India with regard to UFCE, Bank has approved Policy on Unhedged Foreign Currency Exposure of Clients 2017-18. While framing the policy, Bank has taken into consideration the exchange risks arising out of volatility in the forex market and accordingly has made suitable provisions to reduce the risks. Bank has also taken into consideration credit risks arising out of unhedged foreign currency exposure and accordingly Bank has put in place risk mitigation measures by incorporating additional loan pricing framework. Total provision made for exposures to entities with UFCE for the year ended March 2018 is ₹ 33.69 Crores.

34 DISCLOSURE RELATING TO SECURITISATION

As on March 31, 2018 Bank does not have any Special Purpose Vehicles (SPVs) sponsored for securitization transactions.

35 LIQUIDITY COVERAGE RATIOS (LCR)

LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by RBI.

LCR is the ratio of HQLA to Net Cash Outflow.

$$LCR = \frac{\text{H QLA}}{\text{Net Cash Outflows over 30 days}}$$

Minimum requirement of LCR as stipulated by RBI is 90% for the calendar year 2018. LCR is applicable to Bank's domestic operations as well as overseas operations.

HQLA:

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range

of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

HQLA is categorized into two a) Level 1 Assets, and b) Level 2 Assets. Level 2 Assets are further sub divided into Level 2A Assets & Level 2B Assets based on Liquidity & Price Volatility.

Level 1

Levels 1 Asset mainly comprise Cash including excess CRR, Excess SLR, MSF (2% of NDTL) & FALLCR (9% of NDTL).

Level 2A Assets

15% haircut is applied on current market value of Level 2A asset. Level 2A assets mainly comprise Securities issued by PSEs (excluding bank/financial institution/NBFC) with 20% risk weight. Corporate bonds, not issued by bank/financial institution/NBFC, rated AA- or above and Commercial Papers with rating AA- or above are also part of Level 2A assets.

Level 2B Assets

50% haircut is applied on current market value of Level 2B asset. Level 2B assets comprise not more than 15% of the total stock of HQLA. Level 2B assets mainly comprise Securities with risk weights higher than 20% but not higher than 50%, i.e., with credit rating not lower than BBB- and Equity Shares not issued by bank/financial institution/NBFC and included in any index.

Net Cash Outflows

The total net cash outflows is defined as the total expected cash outflows minus total expected cash inflows for the subsequent 30 calendar days. Total expected cash outflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows. In other words, Total net cash outflows over the next 30 days = Outflows - Min (inflows; 75% of outflows).

Brief about LCR of the Bank:

As per RBI's directions, Banks are required to calculate LCR on a daily basis from 1st January 2017. Bank has calculated LCR for all working days over the March 2018 quarter. The average of the daily observation of 66 data points is calculated. Banks has maintained LCR above the minimum requirement, prescribed by RBI of 90% for the calendar year 2018.Annual LCR is the average of quarterly LCR of the Bank during FY 2017-18.

HQLA:

Bank is having sufficient High Quality Liquid Assets so as to maintain LCR above regulatory prescription. Level 1 asset are the main driver of HQLA, contributing around 87% in the Total HQLA of the Bank.

Outflows & Inflows:

Bank has diversified sources of funding of which retail deposits are the main source of funds. Bank's exposure is mainly in Indian Rupee. Outflows are dominated by Rupee term deposits from Non-financial corporate, as categorized by the RBI.

B Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

LCR Disclosure for Quarter ended March 2018 (Consolidated)- Audited			
		Total Unweighted Value (Average)	**Total Weighted Value (Average)**
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	73,100.55	71,486.12
CASH OUTFLOWS			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	2,44,507.44	21,259.59
	(i) Stable deposits	63,823.12	3,191.16
	(ii) Less stable deposits	1,80,864.32	18,068.43
3	Unsecured wholesale funding, of which:	1,17,307.58	57,435.89
	(i) Operational deposits (all counterparties)	Nil	Nil
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	99,786.16	39,914.46
	(iii) Unsecured debt	17,521.42	17,521.42
4	Secured wholesale funding	8,775.27	5,164.96
5	Additional requirements, of which	21,070.06	2,186.18
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	23.52	23.52

	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	Nil	Nil
	(iii) Credit and liquidity facilities	21,446.54	2,162.66
6	Other contractual funding obligations	988.68	988.68
7	Other contingent funding obligations	43,245.98	1,298.33
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**	4,36,295.02	88,333.62
CASH INFLOWS			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	1,381.31	Nil
10	Inflows from fully performing exposures	4,616.54	4,616.54
11	Other cash inflows	19,628.80	13,832.13
12	**TOTAL CASH INFLOWS**	25,626.65	18,448.67
			Total Adjusted Value
21	**TOTAL HQLA**		**71,486.12**
22	**TOTAL NET CASH OUTFLOWS**		**69,906.05**
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		**102.26%**

The above mentioned information regarding Liquidity Coverage Ratio is correctly compiled from unaudited data of 65 data points and audited data for 31st March 2018.

(₹ in crore)

LCR Disclosure for FY 2017-18 - Audited			
		Total Unweighted Value (Average)	**Total Weighted Value (Average)**
HIGH QUALITY LIQUID ASSETS			
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	73,099.13	70,481.31
CASH OUTFLOWS			
2	Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	2,39,549.43	20,820.47
	(i) Stable deposits	62,689.40	3,134.37
	(ii) Less stable deposits	176,860.03	17,686.00
3	Unsecured wholesale funding, of which:	**1,09,380.91**	**53,793.86**
	(i) Operational deposits (all counterparties)	Nil	Nil
	(ii) Non-operational deposits (all counterparties)	92,645.08	37,058.03
	(iii) Unsecured debt	16,735.83	16,735.83
4	Secured wholesale funding	**8,775.27**	**4,291.76**
5	Additional requirements, of which	**21,366.66**	**1,442.92**
	(i) Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	10.40	10.40
	(ii) Outflows related to loss of funding on debt products	Nil	Nil
	(iii) Credit and liquidity facilities	**21,356.26**	**1,427.68**
6	Other contractual funding obligations	**1,452.43**	**1,452.43**
7	Other contingent funding obligations	43,239.33	1,155.70
8	**TOTAL CASH OUTFLOWS**	**4,23,764.03**	**82,957.20**
CASH INFLOWS			
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	1,381.31	Nil
10	Inflows from fully performing exposures	3,926.07	3,926.07
11	Other cash inflows	19,406.29	12,911.90
12	TOTAL CASH INFLOWS	24,713.67	16,837.96
			Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		70,481.50
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		66,119.23
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		106.60%

36 FIXED ASSETS

a) Documentation formalities are yet to be completed in respect of three (P.Y. three) immovable properties held by the Bank at written down value of ₹ 29.26 crore (P.Y. ₹ 31.17 crore.) in respect of which steps have already been initiated.

b) Land and Buildings revalued as on 31.3.1995 at fair market value as determined by an approved valuer have further been revalued as on 30.11.2007 at fair market value by approved valuer. The resultant increase in value thereof on such revaluation amounting to ₹ 456.59 crore as on 31.3.1995 and ₹ 1290.68 crore as on 30.11.2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to ₹ 56.56 crore (₹ 34.62 crore) attributable thereto has been deducted there from. As per AS-10, the depreciation on revalued portion has been debited to revaluation reserve resulting in decrease in revaluation reserve by ₹ 114.92 crore for the year ended March 31, 2018

37 FRAUD CASES DETECTED/REPORTED

(₹.in Crore)

Frauds Detected during the Year	No. of cases of Frauds detected	Amount involved in such frauds	Amount outstanding as on 31/03/2018	Provision made as of 31/03/2018	Unamortized provision as of 31/03/2018
Total	121	1,542.12	1,511.96	694.82	817.14

38 BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS

Confirmation/ Reconciliation of balance with foreign banks and other banks has been obtained/ carried out.

Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the (i) and (ii), the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

39 ROADMAP FOR IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS (Ind-AS)

The Reserve Bank of India (RBI) vide DBR.BP.BC.No. 76/21.07.001/2015-16 dated 11th February 2016, has prescribed the roadmap for implementation of Indian Accounting Standards (Ind-AS) in the Banks and the Banks needs to disclose the strategy for Ind-AS implementation, including the progress made in this regard. The Bank accordingly, has appointed a consultant to assist in implementation of the Ind-AS. The Bank has also constituted a Steering Committee to oversee the progress made and the Audit Committee of the Board is being apprised of the same from time to time. Further, in terms of DO.DBR.BP.No.2535 /21.07.001/2017-18 dated 13th September 2017, the Bank has submitted proforma Ind-As financial statements to the RBI for the quarter ended 30th June 2017 on 31st October 2017. However by virtue of RBI's statement on development and regulatory policies dated April 05, 2018, RBI has deferred the applicability of Ind-AS to the banks by one more year.

40 CORPORATE TAXATION:

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet.

Deferred Tax Assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred Tax Assets/ Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

41. As part of Risk Based Supervision (RBS) exercise for the year ended 31st March, 2017 the RBI had pointed out divergence in respect of Bank's asset classification and provisioning in certain accounts. In conformity with the RBI circular DBR.BP.BC.No. 63/21.04.018/2016-17 dated 18th April, 2017 and SEBI Circular issued on 18th July, 2017 the below table outlines divergences in asset classification and provisioning:

(₹ in crore)

SN	Particulars	
1	Gross NPA as on 31st March, 2017 as reported by the Bank	33,712
2	Gross NPA as on 31st March, 2017 as assessed by the RBI	36,562
3	Divergence in Gross NPA (2-1)	2,850
4	Net NPA as on 31st March, 2017 as reported by the Bank	18,832
5	Net NPA as on 31st March, 2017 as assessed by the RBI	20,667
6	Divergence in Net NPA (5-4)	1,835
7	Provision for NPA as on 31st March, 2017 as reported by the Bank	14,379

8	Provision for NPA as on 31st March, 2017 as assessed by the RBI	15,393
9	Divergence in Provisioning (8-7)	1,014
10	Reported Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2017	555
11	Adjusted (Notional) Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2017 after taking into account divergence in provisioning	(372)

The Bank had duly recorded the impact of the above in its working results for the quarter ended 31st December, 2017.

42. INVESTMENTS

i) Profit of ₹ 242.86 crore (previous year ₹ 493.51 crore) on sale of "Held to Maturity" category securities have been taken to profit on loss account initially

ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in Significant Accounting Policy No.4 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortized during the year amounted to ₹ 245.46 crore (previous year ₹ 188.50 crore).

iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds / venture capital funds and also advances against shares aggregate to ₹ 1,778.72 crore (previous year ₹ 1,701.49 crore).

43. During the current year, there are no material prior period item and change in accounting policy (as per AS-5) and no discontinued operations (as per AS-24).

44. The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(DHIRENDRA JAIN)
Dy. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
General Manager & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

(ATUL KUMAR GOEL) Executive Director
(RAJ KAMAL VERMA) Executive Director
(VINOD KATHURIA) Executive Director
(RAJKIRAN RAI G.) Managing Director & CEO
(KEWAL HANDA) Chairman

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA) Director
(ANIL KUMAR MISRA) Director
(RAJIV KUMAR SINGH) Director

(Dr. K. RAMESHA) Director
(DR. MADHURA SWAMINATHAN) Director
(Dr. R. H. DHOLAKIA) Director

(G. K. LATH) Director
(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

KAMAL AGRAWALLA
PARTNER
M.NO. 059649

FOR S. BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000560C

P P PAREEK
PARTNER
M.NO. 071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101961W

MANISH SAMPAT
PARTNER
M.NO. 101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

PLACE : MUMBAI
DATE : 10th MAY, 2018.

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**		
	Net Profit before Tax	(66,41,13)	3,42,60
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	3,62,71	2,36,04
	Depreciation on Investments	19,27,25	6,32,43
	Provision for Non Performing Assets (Net)	1,34,99,84	60,31,90
	Provision for Standard Asset	(12,51,87)	4,43,26
	Provision for Staff Related Expenditures	2,16,36	37,46
	Other provisions	5,49	(20,11)
	(Profit) / Loss on Sale or Disposal of Fixed Assets	8,47	(25,83)
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	11,66,38	8,83,24
	Sub Total	**92,93,50**	**85,60,99**
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	3,26,02,63	3,56,71,57
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(17,59,19)	5,23,25
	(Increase) / Decrease in Investments	(1,35,32,39)	(2,32,34,16)
	(Increase) / Decrease in Advances	(1,55,58,28)	(2,52,10,50)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(23,20,06)	(5,75,92)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	(25,56,38)	(15,39,51)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**61,69,83**	**(58,04,28)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**		
	Purchase of Fixed Assets	(3,23,92)	(2,16,27)
	Proceeds from Sale of Fixed Assets	4,99	32,27
	(Increase)/Decrease in Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates	(24,14)	(3,38,88)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(3,43,07)**	**(5,22,88)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :**		
	Equity Share Application Money Received	-	5,41,00
	Proceeds from Issue of Equity Share Capital	4,81,13	-
	Security Premium received (Net of Share Issue Expenses)	65,66,06	-
	Proceeds from issue of Capital Instruments	3,00,00	47,50,00
	Repayments of Capital Instruments	-	(7,50,00)
	Proceeds of Borrowings other than Capital Instruments (Net of redemption)	41,54,90	62,68,52
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(7,10,15)	(7,74,74)
	Payment of Dividend (Including dividend tax)	-	(1,61,34)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**1,07,91,94**	**98,73,44**
	Net Increase (Decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	**1,66,18,70**	**35,46,28**
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	**3,28,22,50**	**2,92,76,22**
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	**4,94,41,20**	**3,28,22,50**

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in Lacs)

S. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,65,20,45	1,56,04,72
	Balances with Banks and Money at call	1,63,02,05	1,36,71,50
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**3,28,22,50**	**2,92,76,22**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	2,10,16,47	1,65,20,45
	Balances with Banks and Money at call	2,84,24,73	1,63,02,05
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**4,94,41,20**	**3,28,22,50**

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

(ATUL KUMAR GOEL)	(RAJ KAMAL VERMA)	(VINOD KATHURIA)	(RAJKIRAN RAI G.)	(KEWAL HANDA)
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2018. The statement has been prepared in Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 10th May, 2018 to the members.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 313085E

(KAMAL AGRAWALLA)
PARTNER
M.NO.059649

FOR S BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000560C

(P P PAREEK)
PARTNER
M.NO.071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.101961W

(MANISH SAMPAT)
PARTNER
M.No.101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

Place: MUMBAI.

Date: 10th MAY, 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

निदेशक मंडल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ('बैंक'), इसकी सहायक कंपनियो, एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रम (साथ में 'समूह' के रूप में संदर्भित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2018 का समेकित तुलन पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण खाता नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद से 'समेकित वित्तीय विवरणो' के रूप में संदर्भित) शामिल है, का लेखा परीक्षण किया है.

2. समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

बैंक के प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाहों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा सिद्धांतों एवं सामान्यत: भारत में स्वीकृत तथा संबन्धित संस्थाओं पर लागू एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर एक सत्य एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान करता हो. बैंक प्रबंधन के इस उत्तरदायित्व में समूह के समेकित वित्तीय विवरण बनाने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और उनका रखरखाव करना शामिल है, जो सत्य व स्पष्ट छविपूर्ण हों तथा धोखाधड़ी या त्रुटिपूर्ण सारवान गलती से रहित हों.

3. लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत प्रकट करना है. हमने अपनी लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हुए अपनी लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए आयोजित और सम्पन्न करें कि वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का सारवान गलत कथन नहीं है.

किसी भी लेखापरीक्षा' में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षकीय साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है. प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलत कथन के जोखिम के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है. इन जोखिमों के आकलन में, लेखापरीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा ड़िजाइन करने के लिए बैंक की तैयारी और समेकित वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतिकरण से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है, जिसमें बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता पर सम्मति प्रकट करना शामिल नहीं है. किसी भी लेखापरीक्षा बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन के साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है.

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा अन्य लेखापरिक्षकों द्वारा अनुच्छेद 5(ए) के संबंध में उनकी रिर्पोट के अनुसार प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा सम्मति का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

4. सम्मति

हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित तथा सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों, एक एसोसिएट के पृथक वित्तीय विवरणों एवं नीचे अनुच्छेद 5 में संदर्भित मामले के संबंध में, संलग्न समेकित वित्तीय विवरण में दी गयी जानकारी अधिनियम द्वारा अपेक्षित अनुसार है और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखामानकों के अनुरूप सही व उचित स्थिति दर्शाती है.

ए. यथा 31 मार्च, 2018 को समूह के कार्यकलापों के समेकित तुलन पत्र के संबंध में

बी. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष की हानि के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता के संबंध में,

एवं

सी. उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाहों के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में.

5. अन्य मामले

ए. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में निर्दिष्ट तीन सहायक कंपनियों एवं एक संयुक्त उपक्रम, जिनके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2018 को कुल संपत्ति ₹4830,09,56.44 हजार, कुल राजस्व ₹720,52,61.63 हजार एवं उसी तारीख को वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध नकदी आउटफ्लो राशि ₹44,26,00 हजार थीं,

इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है और इन सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रम से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मत अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित है.

बी. एक एसोसिएट के समेकित वित्तीय परिणाम में ₹7,87,23.84 हजार के कर के पश्चात समूह का लाभ शेयर भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणाम में दर्शाया गया है, उसके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है. इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया गया है एवं प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किया गया है और एसोसिएट कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण के संबंध में हमारा मत उस एसोसिएट कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर पूर्णत: आधारित है. हमारे मत में एवं बैंक प्रबंधन द्वारा हमें प्रदत्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है.

सी. समूह की संस्थाओं जिनके वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया हैं, को अनुसूची 18 लेखों पर नोट्स में सूचीबद्ध किया गया है जो समूह के समेकित वित्तीय विवरण का एक भाग है.

डी. उक्त संदर्भ में अन्य लेखापरीक्षकों के द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्ट पर हमारा विश्वास होते हुए भी, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी सम्मति में कोई परिवर्तन नहीं आया है.

कृते पी. ए. एंड एसोसिएट्स	**कृते एस. भंडारी एंड कं.**	**कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E	फर्म पंजीकरण संख्या 000560C	फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(कमल अग्रवाला)	**(पी. पी. पारीक)**	**(मनीष पी. संपत)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्य सं. 059649)	(सदस्य सं. 071213)	(सदस्य सं. 101684)
कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी	**कृते आर. एस. पटेल एंड कं.**	**कृते एम. जी. बी. एंड कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W	फर्म पंजीकरण संख्या 107758W	फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संदीप डी. वेल्लिंग)	**(राजन बी. शाह)**	**(संजय कोठारी)**
भागीदार	भागीदार	भागीदार
(सदस्य सं. 044576)	(सदस्य सं. 101998)	(सदस्य सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

31 मार्च 2018 का समेकित तुलन पत्र

(₹ 000 में)

	अनुसूची सं.	**यथा 31 मार्च 2018**	यथा 31 मार्च 2017
पूंजी एवं देयताएं			
पूंजी	1	**11,68,57,34**	6,87,44,11
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	2	**2,40,83,23,51**	2,28,65,22,59
शेयर आवेदन राशि		**-**	5,41,00,00
जमाराशियां	3	**41,02,88,43,13**	37,71,94,69,88
उधार	4	**4,56,80,39,16**	4,12,25,49,65
अन्य देयताएं एवं प्रावधानों	5	**99,25,77,33**	1,31,67,35,40
कुल		**49,11,46,40,47**	45,56,81,21,63
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष	6	**2,10,17,34,81**	1,65,22,37,31
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य शेष	7	**2,84,63,00,94**	1,63,83,55,05
निवेश	8	**12,55,10,70,68**	11,34,41,26,41
अग्रिम	9	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85
अचल आस्तियां	10	**38,46,04,96**	39,05,40,86
अन्य आस्तियां	11	**2,17,37,78,18**	1,74,78,79,15
कुल		**49,11,46,40,47**	45,56,81,21,63
आकस्मिक देयताएं	12	**24,18,28,12,66**	2,31,88,64,350
संग्रहण के लिए बिल		**1,84,27,08,88**	1,61,19,39,73
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां समेकित तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(बी. श्रीनिवास राव)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. के रमेश)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. ढोळकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
(कमल अग्रवाला)
भागीदार
(सदस्य.सं. 059649)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
(पी. पी. पारीक)
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W
(संदीप डी. वेल्लिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576)

कृते आर. एस. पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

कृते एम. जी. बी. एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि खाता

(₹ 000 में)

		अनुसूची सं.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	**3,29,51,56,96**	3,28,16,97,89
	अन्य आय	14	**54,62,08,28**	54,29,98,59
	कुल		**3,84,13,65,24**	3,82,46,96,48
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	**2,34,70,90,02**	2,37,76,30,56
	परिचालन व्यय	16	**73,50,82,64**	70,21,29,16
	प्रावधानों और आकस्मिक व्यय		**1,28,12,56,65**	68,82,61,81
	कुल		**4,36,34,29,31**	3,76,80,21,53
III.	**सहायक कंपनियों में अल्पमत हित और अर्जन के अंश से पहले समेकित निवल लाभ / (निवल हानि)**		**(52,20,64,07)**	5,66,74,95
	जोड़ें: सहायक कंपनियों में लाभ का अंश		**8,17,25**	5,89,49
	पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ / (निवल हानि)		**(52,12,46,82)**	5,72,64,44
	अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा घटाने से (घटाएं): अल्पमत शेयरधारकों का हिस्सा		**-**	-
	वर्ग विशेष हेतु समूह के लिए वर्ष का समेकित निवल लाभ / (निवल हानि)		**(52,12,46,82)**	5,72,64,44
	जोंड़ें: आगे लाया गया लाभ		**-**	36
	विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		**(52,12,46,82)**	5,72,64,80
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित में अंतरण		**-**	1,38,75,00
	पूंजी आरक्षित में अंतरण		**1,11,16,77**	2,31,46,67
	राजस्व और अन्य आरक्षित/ समायोजन निधियों में अंतरण		**-**	17,42,77
	विशेष आरक्षित में अंतरण [आयकर अधिनियम 1961, की धारा 36(I)(viii)]		**-**	18,50,000
	लाभ और हानि लेखे में शेष		**(53,23,63,59)**	36
	कुल		**(52,12,46,82)**	57,26,480
	प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड रु. में) (अंकित मूल्य ₹10)	18	**(68.98)**	8.33
	प्रमुख लेखा नीतियां	17		
	खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां समेकित लाभ एवं हानि लेखों का अभिन्न अंग हैं .

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(बी. श्रीनिवास राव)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. के रमेश)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. ढोळकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
(कमल अग्रवाला)
भागीदार
(सदस्य.सं. 059649)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
(पी. पी. पारीक)
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W
(संदीप डी. वेल्लिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576)

कृते आर. एस. पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

कृते एम. जी. बी. एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

31 मार्च, 2018 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

						यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
अनुसूची 1 - पूंजी :							
I.	**प्राधिकृत:**						
	₹10 प्रति शेयर की दर से 30,00,00,00,00 इक्विटी शेयर					**30,00,00,00**	30,00,00,00
II.	**निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त :**						
	i. ₹10 प्रति शेयर की दर से 7,87,91,46,00 इक्विटी शेयर, केंद्र सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 4,36,10,65,97 इक्विटी शेयर)					**7,87,91,46**	4,36,10,66
	ii. ₹10 प्रति शेयर की दर से 3,80,65,88,00 इक्विटी शेयर, जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 2,51,33,45,20 इक्विटी शेयर)					**3,80,65,88**	2,51,33,45
	कुल					**11,68,57,34**	6,87,44,11

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :							
I.	आरक्षित सांविधिक :						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**66,70,61,10**			65,31,86,10		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**	**66,70,61,10**		1,38,75,00		66,70,61,10
II.	आरक्षित पूंजी:						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**10,79,56,50**			8,48,09,83		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,11,16,77**	**11,90,73,27**		2,31,46,67		10,79,56,50
III.	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**24,56,79,77**			25,81,23,72		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**			**-**		
	वर्ष के दौरान कमी	**1,14,92,02**	**23,41,87,75**		1,24,43,95		24,56,79,77
IV.	शेयर प्रीमियम :						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**45,07,59,91**			45,07,59,91		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**65,83,86,77**			-		
	वर्ष के दौरान कमी	**17,80,96**	**1,10,73,65,72**		-		45,07,59,91
V.	राजस्व आरक्षित :						
	i) राजस्व एवं अन्य आरक्षित :						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**51,65,15,64**			50,24,05,23		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**3,44,10,71**			1,42,60,82		
	वर्ष के दौरान कमी	**3,62,91,97**			1,72,57		
	कुल	**51,46,34,38**			51,64,93,48		
	घटाया : अल्पमत हिस्सेदारी	**-**			(22,16)		
	कुल	**51,46,34,38**			51,65,15,64		
	ii) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 36(1)(viii) के अनुसार विशेष आरक्षित						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**28,75,00,00**			26,90,00,00		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**			1,85,00,00		
	कुल	**28,75,00,00**			28,75,00,00		
	iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित						
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**1,10,49,67**			1,24,53,04		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**44,59,70**			-		
	वर्ष के दौरान कमी	**11,54,45**			14,03,37		
	कुल	**1,43,54,92**	**81,64,89,30**		1,10,49,67		81,50,65,31
VI.	लाभ-हानि खाते में शेष		**(53,58,53,63)**				-
	कुल		**2,40,83,23,51**				2,28,65,22,59

31 मार्च, 2018 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017
अनुसूची 2 ए - अल्पमत हिस्सेदारी :				
प्रारंभिक शेष		**-**		-
जोड़े/(घटाऐं) :- वर्ष के दौरान वृद्धि/(कमी)		**-**		-
कुल अल्पमत हिस्सेदारी		**-**		-
अनुसूची 3 - जमाराशियां :				
I. मांग जमाराशियां				
i) बैंकों से	**4,72,80,37**		4,99,66,05	
ii) अन्य से	**2,46,09,16,79**	**2,50,81,97,16**	2,33,27,35,50	2,38,27,01,55
II. बचत बैंक जमाराशियां		**11,42,00,95,04**		10,40,87,57,67
III. मियादी जमाराशियां				
i) बैंकों से	**65,64,72,87**		77,54,58,43	
ii) अन्य से	**26,44,40,78,06**	**27,10,05,50,93**	24,15,25,52,23	24,92,80,10,66
कुल		**41,02,88,43,13**		37,71,94,69,88
भारत स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**40,31,70,44,72**		36,89,25,69,00
भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		**71,17,98,41**		82,69,00,88
कुल		**41,02,88,43,13**		37,71,94,69,88
अनुसूची 4 - उधार :				
ए. उधार : पूंजी लिखत				
I. स्थायी बॉण्ड	**45,39,62,35**		42,39,62,35	
II. अपर टियर II बॉण्ड	**15,00,00,00**		15,00,00,00	
III. टियर II बॉण्ड	**67,50,00,00**	**1,27,89,62,35**	67,50,00,00	1,24,89,62,35
बी. भारत में उधार				
i. भारतीय रिज़र्व बैंक से	**65,86,00,00**		**-**	
ii. अन्य बैंकों से	**-**		-	
iii. अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	**11,96,37,90**	**77,82,37,90**	17,51,18,59	17,51,18,59
सी. भारत से बाहर उधार		**2,51,08,38,91**		2,69,84,68,71
कुल		**4,56,80,39,16**		4,12,25,49,65
उपर्युक्त (बी) I एवं (बी) III में सम्मिलित प्रतिभूत उधार		**65,86,00,00**		6,41,11,76
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान :				
I. देय बिल		**12,68,88,35**		14,95,55,69
II. उपचित ब्याज		**35,08,16,31**		16,59,84,30
III. आस्थगित कर देयताएं		**-**		-
IV. अन्य (प्रावधान सहित)		**51,48,72,67**		1,00,11,95,41
कुल		**99,25,77,33**		1,31,67,35,40

31 मार्च, 2018 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
अनुसूची 6 - नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा शेष			
I.	धारित नकदी	**12,91,22,28**	10,32,72,21
	(इसमें विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के चालू खाते में जमा शेष	**1,97,26,12,53**	1,54,89,65,10
	कुल	**2,10,17,34,81**	1,65,22,37,31
अनुसूची 7 - बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन			
I)	भारत में		
	i) बैंकों में जमा शेष		
	क) चालू खातों में	**69,34,80**	44,49,30
	ख) अन्य जमा खातों में	**71,41,43,81**	56,33,93,29
	ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन		
	क) बैंकों से	**1,19,28,91,33**	-
	ख) अन्य संस्थाओं से	**-**	-
		1,91,39,69,94	56,78,42,59
II.	भारत के बाहर		
	i) चालू खातों में	**4,37,96,90**	1,37,80,29
	ii) अन्य जमा खातो में	**87,68,99,77**	1,03,87,78,72
	iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	**1,16,34,33**	1,79,53,45
		93,23,31,00	1,07,05,12,46
	कुल	**2,84,63,00,94**	1,63,83,55,05
अनुसूची 8 - निवेश :			
I.	भारत में निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियों में	**9,81,23,77,63**	8,81,53,47,68
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	**84,72,17**	1,75,85,34
	iii) शेयरों में	**22,22,99,08**	23,72,12,08
	iv) डिबेंचरों एवं बॉण्डों में	**2,02,51,57,25**	1,75,06,12,74
	v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	**2,02,30,50**	2,34,87,29
	vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीद आदि में)	**25,12,57,93**	34,52,40,05
	कुल	**12,33,97,94,56**	11,18,94,85,18
II.	भारत से बाहर निवेश		
	i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	**16,25,39,36**	10,98,78,73
	ii) शेयरों में	**40,32**	40,32
	iii) अन्य निवेशों में (बॉण्डों)	**4,86,96,44**	4,47,22,18
	iv) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में	**-**	**-**
	कुल	**21,12,76,12**	15,46,41,23
	कुल	**12,55,10,70,68**	11,34,41,26,41
III.	भारत में निवेश		
	सकल मूल्य	**12,61,41,78,59**	11,30,77,32,23
	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**27,43,84,03**	11,82,47,05
	भारत में निवेश का निवल मूल्य	**12,33,97,94,56**	11,18,94,85,18
IV.	भारत के बाहर निवेश		
	सकल मूल्य	**21,13,25,50**	15,48,29,42
	घटाएं : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	**49,38**	1,88,19
	भारत के बाहर निवेश का निवल मूल्य	**21,12,76,12**	15,46,41,23
	कुल	**12,55,10,70,68**	11,34,41,26,41

31 मार्च, 2018 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹. 000 में)

			यथा 31.03.2018	यथा 31.03.2017
अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)				
I	i)	खरीदे और भुनाए गए बिल	**88,93,93,48**	1,18,24,74,43
	ii)	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण	**13,23,56,88,18**	13,32,37,22,20
	iii)	मीयादी ऋण	**14,93,20,69,24**	14,28,87,86,22
		कुल	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85
II	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिम सहित)	**25,83,84,12,93**	25,11,00,37,42
	ii)	बैंक / सरकारी प्रतिभूतियो द्वारा संरक्षित	**1,01,54,67,51**	1,11,23,87,13
	iii)	अप्रतिभूत	**2,20,32,70,46**	2,57,25,58,30
		कुल	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85
क.		भारत में अग्रिम		
	i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**11,05,56,83,14**	10,42,19,00,27
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र	**2,50,78,14,78**	1,67,62,97,70
	iii)	बैंक	**(4,08,00,28)**	23,27,69,23
	iv)	अन्य	**12,92,09,56,45**	13,42,22,55,51
		कुल	**2,64,43,65,409**	25,75,32,22,71
ख.		भारत के बाहर अग्रिम		
	i)	बैंकों से प्राप्य	**72,82,29,73**	84,82,32,88
	ii)	अन्य से प्राप्य		
क)		खरीदे एवं भुनाए गए बिल	**58,62,42,36**	83,29,30,75
ख)		सिंडिकेटेड ऋण	**2,23,98,63**	3,59,61,38
ग)		अन्य	**1,27,66,26,09**	1,32,46,35,13
		कुल	**2,61,34,96,81**	3,04,17,60,14
		कुल	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

क.		मूर्त आस्तियां				
	I.	परिसर				
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**38,03,91,45**		37,28,11,82	
		वर्ष के दौरान वृद्धि	**35,52,52**		79,76,93	
		वर्ष के दौरान कमी	**27,71**		3,97,30	
			38,39,16,26		38,03,91,45	
		घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**9,73,95,35**	**28,65,20,91**	8,31,63,70	29,72,27,75
	II.	प्रक्रियागत पूंजी कार्य				
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**21,48,89**		12,52,62	
		वर्ष के दौरान वृद्धि	**27,21,19**		9,45,45	
		वर्ष के दौरान कमी	**14,61,94**	**34,08,14**	49,18	21,48,89
	III.	भूमि				
		पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**76,30,34**		72,68,05	
		वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**		3,62,29	
		वर्ष के दौरान कमी	**6,77,21**		-	
			69,53,13		76,30,34	
		घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**5,44,15**	**64,08,98**	4,66,14	71,64,20

31 मार्च, 2018 के समेकित तुलन पत्र के भाग के रुप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		यथा 31.03.2018		यथा 31.03.2017	
IV.	अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर्स एवं फिक्सचर्स सहित)				
	क) पट्टे पर दी गयी आस्तियां				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**26,53,52**		26,53,52	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**-**		-	
	वर्ष के दौरान कमी	**-**		-	
		26,53,52		26,53,52	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन	**26,53,52**	**-**	26,53,52	-
	ख) अन्य				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	**24,21,15,34**		22,65,95,40	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**2,53,53,41**		2,03,71,93	
	वर्ष के दौरान कमी	**58,31,39**		48,51,99	
		26,16,37,36		24,21,15,34	
	घटाएं : आज की तारीख तक अवमूल्यन (निवल)	**17,66,51,19**	**8,49,86,17**	16,07,10,99	8,14,04,35
	ख. अमूर्त आस्तियां				
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार लागत पर	**2,33,32,78**		2,14,33,34	
	वर्ष के दौरान वृद्धि	**29,59,41**		24,21,52	
	वर्ष के दौरान कमी	**10,88,05**		5,22,08	
		2,52,04,14		2,33,32,78	
	आज की तारीख तक परिशोधित (निवल)	**2,19,23,38**	**32,80,76**	2,07,37,11	25,95,67
	कुल		**38,46,04,96**		39,05,40,86

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :

I.	अंतरकार्यालयीन समायोजन (निवल)	**2,17,67,38**	14,86,17,49
II.	उपचित ब्याज	**35,71,48,58**	24,06,28,82
III.	लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	**3,89,64**	3,15,27
IV.	दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां	**3,90**	3,90
V.	आस्थगित कर आस्तियां	**41,98,14,27**	22,97,27,30
VI.	अन्य	**1,37,34,05,00**	1,12,73,36,95
VII.	समेकन के संबंध में ख्याति	**12,49,42**	12,49,42
	कुल	**2,17,37,78,18**	1,74,78,79,15

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं :

I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है	**34,42,29,27**	35,36,66,60
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	**59,20**	59,20
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	**18,38,54,87,97**	18,06,06,42,94
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी गारंटी		
	i) भारत में	**1,97,44,97,13**	1,45,66,77,78
	ii) भारत से बाहर	**3,56,16,08**	5,51,85,07
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	**3,03,30,98,80**	3,00,45,74,29
VI.	आकस्मिक देयताओं की अन्य मदें	**87,14,25**	65,77,21
	i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	**30,37,32,96**	24,30,38,21
	ii) डी ई ए एफ योजना - 2014 में अंतरित राशि	**9,73,77,00**	82,22,20
	कुल	**24,18,28,12,66**	23,18,86,43,50

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एंव हानि खांतो के भाग के रूप में अनुसूचियां

(₹ 000 में)

		समाप्त वर्ष 31.03.2018	समाप्त वर्ष 31.03.2017
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :			
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	**2,28,56,97,61**	2,30,04,84,20
II.	निवेशों से आय	**88,98,35,39**	87,88,93,08
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	**11,40,55,44**	8,81,96,06
IV.	अन्य	**55,68,52**	1,41,24,55
	कुल	**3,29,51,56,96**	3,28,16,97,89
अनुसूची 14 - अन्य आय :			
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	**5,04,29,07**	4,49,91,22
II.	निवेशों की बिक्री से लाभ - (निवल)	**12,96,61,38**	21,48,73,62
III.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ/(हानि) - (निवल)	**(8,47,38)**	25,83,22
IV.	विनिमय संव्यवहारों से लाभ - (निवल)	**8,92,52,90**	9,52,33,80
V.	विविध आय	**27,77,12,31**	18,53,16,73
	कुल	**54,62,08,28**	54,29,98,59
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :			
I.	जमाराशियों पर ब्याज	**2,15,78,06,81**	2,20,05,24,69
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	**8,68,43,93**	4,94,03,82
III.	अन्य	**10,24,39,28**	12,77,02,05
	कुल	**2,34,70,90,02**	2,37,76,30,56
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :			
I.	कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	**33,32,17,10**	35,09,39,85
II.	किराया, कर और बिजली	**5,74,68,66**	5,23,40,84
III.	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	**57,22,80**	58,77,68
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	**63,79,97**	74,08,67
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास	**3,68,23,23**	2,40,82,34
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	**3,74,01**	3,50,21
VII.	प्रबंध/कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक	**1,04,63**	72,39
VIII.	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	**55,11,36**	41,67,36
IX.	विधि प्रभार	**41,99,24**	26,23,82
X.	डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	**95,42,36**	80,68,19
XI.	मरम्मत एवं रखरखाव	**1,22,81,81**	1,18,05,67
XII.	बीमा	**3,80,68,24**	3,65,62,47
XIII.	अन्य व्यय	**22,53,89,23**	19,78,29,67
	कुल	**73,50,82,64**	70,21,29,16

अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

1 लेखांकन पद्धति

ये वित्तीय विवरण, जहां तक लागू हों, भारत में लेखाबंदी हेतु सामान्यत: स्वीकृत सिद्धांतों (जीएएपी), जिसमें लागू सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा निर्धारित नियामक मानदंड/दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहारों का पालन किया गया है, के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप, प्रचलित लेखाबंदी के उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत रीति के अन्तर्गत तैयार किए गए हैं. विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित पद्धत्ति के संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया गया है.

2 अनुमानों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में वित्तीय विवरण की तारीख को, रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और रिपोर्टिंग की तारीख को रिपोर्ट किये गये आय और व्यय के बारे में प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है. प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय जहां कहीं पर अनुमान लगाया है वे विश्वसनीय एवं तार्किक हैं. वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान एवं भविष्य में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है.

3. समेकन का आधार

ए) समूह (जिसमें 3 सहायक, 1 एसोसिएट व 1 संयुक्त उपक्रम शामिल हैं) के समेकित वित्तीय विवरणों (सी एफ एस) को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया गया है:

i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (मूल) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण.

ii) सहायकों से, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक - 21 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार, उनके संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अप्राप्त लाभ/हानि, अंतर-समूह शेषों/संव्यवहारों को हटाने के बाद, परिसम्पत्ति, देयताओं, आय व व्यय की प्रत्येक मद का, मूल संस्था की संबंधित मद के साथ समेकन.

iii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक - 23 ''समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार 'इक्विटी पद्धति' के अंतर्गत 'एसोसिएट' में निवेश हेतु लेखांकन.

iv) संयुक्त उपक्रम का समेकन - आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-27 ''संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार 'आनुपातिक समेकन'.

बी) घरेलू एसोसिएट/सहायक एवं संयुक्त उपक्रम के मामले में, मूल बैंक और एसोसिएट/सहायक एवं संयुक्त उपक्रम की भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण, व्यावहारिक समस्याओं के कारण एसोसिएट/सब्सीडियरी एवं संयुक्त उपक्रम द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर समायोजन नहीं किए गए हैं क्योंकि राशियां महत्वपूर्ण नहीं थीं.

सी) सहायकों में समूह का अपना निवेश व सहायकों में पैरेंट की इक्विटी के भाग के अंतर को सीएफएस में साख/पूंजी रिजर्व जैसा लागू हो के रुप में पहचाना गया है.

डी) समेकित सहायकों की शुद्ध परिसम्पत्तियों में अल्पसंख्यक हित शामिल हैं:

i) सहायक में निवेश की तिथि पर अल्पसंख्यक में स्रोतजन्य इक्विटी की राशि एवं

ii) जब से मूल संस्था व सहायक का संबंध अस्तित्व में आया हो, राजस्व रिजर्व/हानि एवं इक्विटी में गतिविधियों का अल्पसंख्यक अंश .

iii) आधिक्य एवं अल्पसंख्यक में आगे होने वाली किसी हानि का, अल्पसंख्यक के बराबर मात्रा के अतिरिक्त अनिवार्य जिम्मेदारी, जितनी क्षति के लिए पात्र हैं, को बहुमत ब्याज के पेटे समायोजित किया जाता है.

4 राजस्व निर्धारण

ए) बैंकिंग निकाय

i) जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है.

iii) बैंक कमीशन, अर्जित विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों (एसडीवी) का किराया, बायोमैट्रिक कार्डों पर कमीशन, आधार कार्ड से आय आदि वास्तविक प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं.

iv) ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:

ए) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है.

बी) शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर, प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है.

v) जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचय आधार पर की गई है.

बी) गैर - बैंकिंग निकाय

जीवन बीमा

i) प्रीमियम आय

प्रीमियम (सेवा कर/जीएसटी निवल) जब देय है तब आय के रुप में पहचाना गया है. लिंक्ड कारोबार हेतु जब एसोसिएटेड यूनिट सृजित की गई, तब प्रीमियम के रुप मे पहचाना गया है. टॉप-अप प्रीमियम को एकल आय के रुप में लिया गया है. कालातीत पॉलिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रुप में पहचाना गया है, जब पॉलिसियां बहाल हुई हैं. पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि की आय के रुप में तब परिवर्तित किया गया है, जब पुनर्बीमा के रुप में प्राप्त हुआ है.

ii) लिंक्ड फंड से आय

लिंक्ड फंड से आय, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टेलिटी प्रभार, कोष प्रबंधन प्रभार आदि शामिल

हैं, जारी पॉलिसियों के नियमों व शर्तों के अनुसार लिंक्ड फंड से वसूल किया गया है.

iii) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा की लागत को प्रीमियम आय की पहचान के समय समझौते अथवा पुनर्बीमाकर्ता के साथ मूल अनुबंध के अनुसार गणना की गई है. पुनर्बीमा पर लाभ कमीशन, पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम के विरुद्ध प्राप्त है.

iv) लाभों का भुगतान (दावों सहित)

लाभ के भुगतान में पॉलिसी लाभ व दावा निपटान लागत, यदि कोई है तो शामिल की गई है. मृत्यु, राइडर व समर्पण दावों की गणना सूचना प्राप्त होने पर की गई है. उत्तरजीवी लाभ दावों व परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना की गई है. लिंक्ड पॉलिसी के अंतर्गत निकासी व समर्पण को, जब एसोसिएट यूनिट्स निरस्त हुए हैं, तब संबंधित योजना में गणना की गई है. दावों पर पुनर्बीमा वसूली की उसी अवधि में गणना की गई है, जिस अवधि से संबंधित दावे हैं.

v) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है जिसमें घटना-बढ़ना जारी रहता है और प्राथमिक तौर पर बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित है और उसी अवधि में खर्च किए गए जिस अवधि से संबंधित हैं.

vi) जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु देयता

स्वीकृत बीमांकिक व्यवहार, बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं, आईआरडीए विनियमनों और इंस्टिट्यूट ऑफ एक्च्युरीज ऑफ इंडिया के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसियों हेतु बीमांकिक देयता और उन पॉलिसियों के संबंध में जिनका प्रीमियम बंद हो चुका है, लेकिन देयता अस्तित्व में है, नियुक्त बीमांकिक द्वारा सकल प्रीमियम पद्धति का उपयोग करते हुए और समूह कारोबार के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति द्वारा पता लगाया गया है.

आस्ति प्रबंधन

i) निवेश प्रबंधन शुल्क को सेवा कर के साथ उपचय आधार पर म्यूचुअल फण्ड योजना (योजना में कम्पनी द्वारा किए गए निवेश को छोड़कर) की औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत के रुप में इस प्रकार पहचान की गई है कि यह सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियमन, 1996 और उसके पश्चात किसी संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो.

ii) निवेश सलाहकारी शुल्क की ग्राहक के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर पहचान की गई है .

iii) ब्याज आय की समय अनुपात पद्धति का उपयोग करते हुए, संव्यवहार में निहित दर के आधार पर पहचान की गई है

iv) लाभांश आय की पहचान तब की गई है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो गया हो.

5 निवेश

i) वर्गीकरण

बैंककारी विनिमयन अधिनियम,1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारुप ए की अपेक्षाओं के अनुरुप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

ए) सरकारी प्रतिभूतियां

बी) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

सी) शेयर

डी) ऋणपत्र एवं बॉन्ड

ई) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं

एफ) अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन पुन: निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा:

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

ii) मूल्यांकन का आधार :

मूल्यांकन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं:

ए) "परिपक्वता तक धारित" में निवेश की गई प्रतिभूतियां- अधिग्रहण लागत पर: अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है तथा बट्टे की दशा में; इसे आय नहीं माना गया है.

बी) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है

सी) अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

डी) ऐसे निवेशों के मूल्यांकन में स्थायी ह्रास, यदि कोई है, का प्रावधान कर दिया गया है.

इ) ''एएफएस'' व ''एचएफटी'' श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्ध ह्रास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.

एफ़) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:

ए	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंव डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए) के कोटेशन के अनुसार
बी	राज्य विकास ऋण, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बॉन्ड	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर.
सी	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो, तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों नहीं होने पर ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार.
डी	वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.

ई	ऋण पत्र/बॉन्ड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर.
एफ़	म्यूचुअल फंड	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की दशा में, संबंधित म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार.
जी	राजकोषीय बिल/जमा प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
एच	उद्यम पूंजी निधियां (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुराना न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हो तो ₹1/- प्रति वीसीएफ.
आई	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर

iii) अंतर बैंक रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :

ए) विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के धारित से परिपक्वता तक धारित की श्रेणी में, यथा शिफ्ट की तारीख पर बही मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर, यदि कोई, ह्रास है, तो लगाया गया है.

बी) परिपक्वता तक धारित श्रेणी से विक्रय के लिए उपलब्ध/ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी में

- यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलत: डिस्काउंट पर हो, तो अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर
- यदि प्रतिभूति मूलत: प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर

सी) विक्रय के लिये उपलब्ध से ट्रेडिंग के लिये धारित श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.

डी) इस प्रकार शिफ्ट की गयी प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया और इसके परिणामस्वरूप मूल्य में होने वाली कमी के लिये पूरा प्रावधान किया गया.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास/प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूंजी खाते में समायोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.

viii) भारिबैं के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा ''निपटान तिथि'' का पालन किया जाता है.

6 डेरीवेटिव संविदा

वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचय आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें लागत अथवा बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, अथवा बाजार मूल्य पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.

i) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं.

ii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

7 अग्रिम

i) भारत में सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं. विदेशी शाखाओं के अग्रिमों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा स्थानीय विधि, जिस देश में अग्रिम दिए गए हैं, द्वारा लागू विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिक सख्त होंगे, लागू किए गए हैं.

ii) अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, काउंटर साइक्लिकल बफर प्रावधानीकरण, पुनर्गठन से अग्रिमों के बाद उचित मूल्य में आई गिरावट के लिए प्रावधान तथा गैर-निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)/निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है.

iii) मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को ''अन्य देयताओं और प्रावधानों'' में रखा गया है, जिन्हें तुलनपत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल गैर निष्पादक आस्तियों व निवल अग्रिमों में नहीं लिया गया है.

8. स्थायी आस्तियां एवं मूल्यह्रास

i) स्थायी आस्तियों को, मूल्यह्रास और क्षतियों की राशि (यदि कोई हो) समायोजित करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है. व्यय में खरीद का मूल्य और सभी व्यय जैसे कार्यस्थल तैयारी, इन्स्टॉलेशन व्यय और उपयोग के लिए तैयार होने से पूर्व आस्तियों पर व्यय किया हुआ पेशेवर शुल्क शामिल है. इसके बाद आस्ति पर किए गए व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, जिनसे आस्ति से भविष्य के लाभ में वृद्धि होती है या उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. भूमि तथा भवन का यदि पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि दर्शाई जाती है. पुनर्मूल्यांकन से बढ़ी हुई राशि को पुनर्मूल्यांकन निधि में जमा किया जाता है तथा ह्रास की राशि को उसमें से घटाया गया है.

01.04.2017 से प्रभावी संशोधित लेखांकन मानक 10-संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार, अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि से राजस्व आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया गया है, लाभ हानि खाते के माध्यम से नहीं.

ii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान अवलिखित मूल्य पद्धति के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर की गई है:

	आस्ति का प्रकार	मूल्यह्रास की दर
I.	परिसर	5%
II.	अन्य स्थायी आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	-इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी लॉकर्स/ स्ट्रांग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- बाधारहित विद्युत आपूर्ति उपस्कर यू पी एस.	33.33%
III.	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति पर लागू दर, उसके आर्थिक अवशिष्ट काल के आधार पर.

iii) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पूँजीगत किया जाता है तथा अमूर्त आस्तियों में मिला दिया जाता है. कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर पर ह्रास, कम्प्यूटर हार्ड वेयर एवं एटीएम का एक भाग है, जिस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति से 33.33% की दर पर ह्रास लगाया जाता है.

iv) 30 सितंबर तक आस्तियों के परिवर्द्धन पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए परिवर्द्धन पर आधी दर से लगाया गया है.

v) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर, परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vi) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गई आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

vii) पट्टे की प्राथमिक अवधि के संदर्भ में पट्टे पर ली गयी आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यह्रास, पट्टे की मूल अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति दर के आधार पर लगाया गया है.

viii) देश के बाहर स्थित स्थायी आस्तियों एवं सहायक/एसोसिएट्स की स्थायी सम्पत्तियों पर नियामक की आवश्यकतानुसार/अथवा संबंधित देश/उद्योग की प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप मूल्यह्रास लगाया गया है.

9 आस्तियों में क्षरण

आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार के क्षरण संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर क्षरण हानि मानी जाती है. क्षरण हानि उस समय मानी जाती है जब उस आस्ति की संवहन लागत, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, मौजूदा बाजार आकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर- पूर्व बट्टा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. क्षरण के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यह्रास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई क्षरण हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगा, जो क्षरण न होने पर सामान्य मूल्यह्रास लगाने के बाद होता.

10 काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर

काउंटर साइक्लिकल बफर प्रावधानीकरण करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

11 विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेनों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 11(विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव), के अनुसार किया जाता है. जैसा कि लेखांकन मानक 11 में निर्दिष्ट है, बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

ए) एकीकृत परिचालन एवं

बी) गैर एकीकृत परिचालन.

समस्त विदेशी शाखाएं, सुदूर बैंकिंग इकाईयां, विदेशी अनुषंगियों के परिचालनों को गैर एकीकृत परिचालन एवं विदेशी विनिमय में घरेलू लेनदेनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन माना जाता है.

ए) एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्तियां एवं देयताओं का लेखांकन प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

iii) गारंटी, स्वीकरण, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण होने वाली आकस्मिक देयताएं, वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान आय अथवा व्यय के रुप में की जाती है एवं उनका लेखा लाभ एवं हानि खाते में किया जाता है.

V) वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

वी) गैर-एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण

i) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित अन्तिम तत्काल दरों पर किया जाता है.

ii) विदेशी विनिमय तत्काल एवं वायदा बकाया आकस्मिक देयताओं का अंतरिम परिपक्वताओं के अनुबंधों के लिए लेखा तुलन-पत्र की तारीख पर क्रमश: फेडाई द्वारा अधिसूचित तत्काल एवं वायदा दरों एवं इंटरपोलेटेड दरों पर किया जाता है.

iii) आय एवं व्यय का लेखा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसत दर पर किया जाता है.

iv) परिणामी विनिमय अन्तरों की पहचान, इस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रुप में नहीं की जाती है बल्कि शुद्ध निवेश के निस्तारण तक उन्हें अलग ''विदेशी मुद्रा लेखा रिजर्व'' खाते में रखा जाता है.

12 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित अंशदायी योजना है. अंशदान देय होने पर, भविष्य निधि अंशदान की राशि, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते को नामे की जाती है. भविष्य निधि में देय अंशदान के अतिरिक्त, बैंक का अन्य कोई उत्तरदायित्व नहीं है.

ग्रेच्युटी देयता, पेंशन निधि अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान परिभाषित दायित्व है और इसके लिए प्रावधान लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक आधार पर, वित्त वर्ष के अन्त में अनुमानित यूनिट क्रेडिट के आधार पर किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि को, लाभ-हानि खाते में लेखांकित किया गया है.

दिनांक 01.04.2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती कार्मिकों के लिए, नई पेंशन योजना परिभाषित अंशदायी योजना है. बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित दर से, एक निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है तथा बैंक की देयता केवल उस अंशदान तक सीमित होती है. इस अंशदान को लाभ-हानि खाते में विकलित किया जाता है. विदेशी कार्यालयों में नियोजित कर्मचारियों के कर्मचारी-लाभों का मूल्यांकन और लेखांकन, संबंधित देश के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार किया जाता है.

13 खंडवार रिपोर्ट करना :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है. कारोबार खंड को (क) ट्रेजरी परिचालन, (ख) कॉर्पोरेट व होलसेल बैंकिंग, (ग) रिटेल बैंकिंग परिचालन और (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है:

14 लीज़ संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये आस्तियों हेतु किया गया भुगतान, लीज अवधि के अनुसार लेखांकित किया जाता है. बैंक द्वारा लीज/किराये पर ली गयी संपत्तियों के लीज की समाप्ति/नवीनीकरण का विकल्प बैंक के पास होता है. अतिरिक्त किराये/लीज संबंधी विवादों में, बैंक की देयताओं को समझौते या नवीकरण के समय मान्यता दी जाती है.

15 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या से विभाजित करके की जाती है. प्रति शेयर डायल्युटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है,जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर डायल्युटेड अर्जन की गणना के लिए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान संभावित बढ़ते शेयरों या परिवर्तित शेयरों की संख्या का प्रयोग कर किया जाता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्युटेड आय की गणना भारित औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्युटीव संभावित इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

16 कराधान

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तभी किया जाता है जब भविष्य में ऐसी आस्तियों के होने की निश्चितता हो. वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं की गतिविधियों के अनुसार प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है.

17 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां) बैंक केवल तभी प्रावधान करता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी सम्भावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गयी है क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रुप में परिणत हो सकती है.

18 शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किये जाते हैं.

अनुसूची 18: लेखों पर नोट्स

1 बैंक (पैरेंट) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के साथ जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है उनका विवरण निम्नानुसार है:

सहायक कंपनियों के नाम	निगमन का देश	31.03.18 को बैंक (पैरेंट) के स्वामित्व का अनुपात
यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	भारत	100%
यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.	भारत	100%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लि.	यूनाईटेड किंगडम	100%

31.03.2016 को यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में पैरेंट का 51% स्वामित्व था. वर्ष के दौरान इन सहायक कंपनियों में शेष 49% स्वामित्व पैरेंट द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2017 को 100% स्वामित्व प्राप्त हुआ.

2 **समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उपक्रमों के विवरण निम्नानुसार हैं:**

संयुक्त उपक्रम का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (गैर बैंकिंग)	भारत	25.10%

3 **समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट के विवरण निम्नानुसार हैं:**

एसोसिएट्स के नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	भारत	35%

31 मार्च, 2018 को बैंक द्वारा किए गए निवेश का मूल्य ₹845.81 करोड़ रहा, जिसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में माना गया है.

4 सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रम और एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण जिनका समेकन के लिये उपयोग किया गया है, वे पैरेंट की रिपोर्टिंग तिथि, अर्थात 31 मार्च, 2018 तक के हैं.

5 31.03.2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन ट्रस्टी कं. प्राइवेट लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड और काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं.

6 निरंतर आधार पर उचंत खातों, सुदृढ़ जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समामेलन वक्तव्य और विभिन्न अंतर-शाखा/कार्यालय खातों में लंबित प्रविष्टियों का समायोजन प्रगति पर है.

उसी के अंतिम मंजूरी के बावजूद, प्रबंधन की राय में खातों पर कुल प्रभाव, यदि कोई हो, तो वह उल्लेखनीय नहीं है.

7 **भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:**

7.1 ए. पूंजी

बैंक 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III के लिये निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों के पालन के अधीन है. 31 मार्च, 2019 तक बासल III के कार्यान्वयन के लिए एक संक्रमण अनुसूची दिशानिर्देश में दी गई है. दिशानिर्देशों के अनुसार, टीयर I पूंजी कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी I) और अतिरिक्त टियर I से बनी है.

बासल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2018 तक पूंजी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 10.875% तक, जिसमें न्यूनतम सीईटी-I 7.375% (1.875% के पूंजी संरक्षण बफर सहित) और न्यूनतम टीयर I सीआरएआर 8.875% तक बनाए रखना आवश्यक है.

संरचना के अनुसार पूंजी पर्याप्तता की गणना नीचे दी गई है :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	सामान्य इक्विटी टीयर-1 पूंजी अनुपात(सीईटी1) (%) बासल III	**7.66**	7.76
ii)	टीयर I पूंजी अनुपात (%) बासल III	**9.14**	9.07
iii)	टीयर II पूंजी अनुपात (%) बासल III	**2.43**	2.77
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%) बासल III	**11.56**	11.84

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%)	**67.43**	63.44
vi)	उगाही गई इक्विटी पूंजी की राशि : (₹. करोड़ में)	**7,065**	शून्य
vii)	उगाही गई अतिरिक्त टीयर-1 पूंजी की राशि : (₹. करोड़ में)	**500**	3,500
viii)	उगाही गई टीयर-II पूंजी की राशि: (₹. करोड़ में)	**शून्य**	1,750
	इसमें से डेब्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट : (₹. करोड़ में)	**शून्य**	1,750

7.2 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का ब्रेकअप	31.03.2018	31.03.2017
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / (प्रति प्रविष्टि)	**1559.99**	630.62
एनपीए के लिए प्रावधान	**13499.84**	6032.00
मानक आस्तियों के लिये प्रावधान (प्रति प्रविष्टि)	**(720.39)**	512.72
आयकर / आस्थगित कर के लिये प्रावधान	**(1385.93)**	(207.99)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:		
- शिफ्टिंग हानि	**367.25**	1.81
- पुनर्संरचित अग्रिम	**(235.65)**	66.02
- अन्य	**(272.54)**	(152.56)
योग	**12812.57**	6882.62

7.3 काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफ़र / फ्लोटिंग प्रोविजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
i)	प्रारंभिक शेष	**293.20**	293.20
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान	**शून्य**	शून्य
iii)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गई राशि	**शून्य**	शून्य
iv)	लेखाबंदी शेष	**293.20**	293.20

8. कर्मचारी लाभ (15 के समान - संशोधित)

परिभाषित लाभ योजनाएं - कर्मचारी की पेंशन योजना और उपदान योजना:

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक के अनुसार बैंक कर्मचारी लाभ के लिए जिम्मेदार है.

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
	परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन दिखाने वाली तालिका:				
	वर्ष के आरंभ में देयता	1,114.72	1,1231.15	1,110.33	9,619.00
	ब्याज लागत	80.26	836.72	88.72	775.29
	चालू सेवा लागत	53.45	120.75	47.72	134.46
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	242.12	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i)	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि - वित्तीय धारणा में यथोचित परिवर्तन	34.24	311.61	30.71	533.48
	बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि	(142.26)	(37.82)	(13.96)	793.17
	वर्ष के अंत में देयताएं	1244.88	11803.32	1,114.72	1,1231.15
	योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	95.98	835.51	99.98	767.77
	अंशदान	शून्य	745.08	88.16	1,019.42
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii)	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रदत्त लाभ	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,302.00	12,115.00	1,333.03	11,214.89
	अवधि के लिये बाध्यताओं पर बीमांकिक (अर्जन)/हानि	(108.02)	273.79	16.75	1,326.65
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुल बीमांकिक अर्जन/(हानि)	(118.66)	295.18	(25.67)	(800.40)
	संक्रमणकालीन देयता की पहचान:				
iii)	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:				
iv)	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	95.98	835.51	99.98	767.77
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:	106.62	814.12	142.40	1294.02
	आय विवरण में चिन्हित व्यय:				
	वर्तमान सेवा लागत	53.45	120.75	47.72	134.46
	ब्याज लागत	(15.72)	1.21	(11.26)	7.52
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ				
v)	चिन्हित पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	चिन्हित पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	242.12	शून्य	शून्य	शून्य
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक अर्जन या हानि	(118.66)	(295.18)	(25.67)	800.40
	लाभ व हानि खाते में चिन्हित व्यय	161.19	417.14	10.79	942.38

	विवरण	31.03.2018		31.03.2017	
		उपदान	पेंशन	उपदान	पेंशन
vi)	**तुलन पत्र समाधान:**				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	161.19	417.14	10.79	942.38
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नियोक्ता का अंशदान	शून्य	(745.08)	(88.16)	(1,019.42)
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(57.12)	(311.68)	(218.31)	16.26
vii)	**अन्य विवरण :**				
	पेंशन, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन के 1/66 की दर से देय है, जो कि अधिकतम 50% के अधीन है.				
	उपदान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि ₹10,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	वर्ष के दौरान बीमांकिक अर्जन/हानि की गणना की गई है.				
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या				
	वेतन प्रति माह	37,502	16,443	37,120	18,059
	आगामी वर्ष के लिये अंशदान	171.21	92.65	162.08	96.58
		शून्य	शून्य	शून्य	137.01
viii)	**आस्तियों का संवर्ग:**				
	भारत सरकार की आस्तियां	94.78	250.28	121.75	366.40
	कॉर्पोरेट बाण्ड	178.50	1,342.84	251.89	1,771.02
	विशेष जमा योजना	8.01	410.00	शून्य	शून्य
	राज्य सरकार	174.58	761.71	139.50	344.00
	सम्पत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	111.64	1,324.49	113.85	1,246.48
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	734.50	8,025.68	706.04	7,486.99
	योग	1,302.01	12,115.00	1,333.03	11,214.89
ix)	**मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमान का उपयोग (%)**				
	पिछली छूट दर	7.20	7.45	7.99	8.06
	पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.20	7.45	7.99	8.06
	पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
	पिछली पलायन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
	वर्तमान छूट दर	7.83	7.76	7.20	7.45
	वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	7.83	7.76	7.20	7.45
	वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
	वर्तमान पलायन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	उपदान योजना				
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.15**	**31.03.14**
वर्ष के अंत में देयता	1,244.88	1,114.72	1,110.33	1,088.16	1,060.13
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,302.00	1,333.03	1,251.27	1,264.00	1,081.23
अंतर	57.12	218.31	140.94	175.84	21.10
पिछली पहचान न की गई सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	65.00
पहचान न की गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	57.12	218.31	140.94	175.84	86.10

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में पहचान की गई राशि	उपदान योजना				
अनुभव समायोजन	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**
योजना देयता पर (अर्जन)/हानि	(142.26)	(13.96)	शून्य	(21.18)	123.74
योजना आस्तियों पर (हानि) / लाभ	10.64	42.42	29.80	38.03	(20.00)

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/कमी:	पेंशन				
तुलन पत्र में चिन्हित राशि	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**
वर्ष के अंत में देयताएं	11,803.32	11,231.15	9,619.00	8,218.43	6,683.81
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	12,115.00	11,214.89	9,525.70	7,861.00	6,104.73
अंतर	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	338.00
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि	पेंशन				
अनुभव समायोजन	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**
योजना देयता पर (अर्जन)/हानि	(37.82)	793.17	1,399.16	731.44	661.38
योजनागत आस्तियों पर (हानि) /अर्जन	(21.39)	526.25	155.11	210.89	-233.23

9.1 परिभाषित अंशदान योजना:

बैंक द्वारा अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की गई है, जो 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद बैंक में भर्ती होने वाले सभी संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू है. इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक तथा विकास प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. एनपीएस के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक द्वारा एनपीएस में ₹86.48 करोड़ (पिछले साल ₹68.69 करोड़) का अंशदान किया गया.

9.2 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के विभिन्न दीर्घकालिक लाभ के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2018	31.03.17
1	पेंशन	417.14	942.00
2	अवकाश नकदीकरण	61.84	58.00
3	अवकाश किराया रियायत	(19.02)	(3.69)
4	बीमारी अवकाश	शून्य	शून्य

10 क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (एएस-17)

10.1. कारोबार क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	कारोबार क्षेत्र	समेकित	
		संमाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	
		31.03.2018	31.03.2017
(ए)	**क्षेत्रवार राजस्व**		
1	ट्रेजरी परिचालन	**12,008.17**	12,508.53
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	**10,880.08**	10,293.19
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	**14,012.38**	14,586.86
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	**550.49**	334.31
5	गैर आबंटित	**1,174.01**	622.39
	योग	**38,625.13**	38,345.28
	घटाया अंतर क्षेत्रवार राजस्व	**(211.48)**	(98.33)
	कुल राजस्व	**38,413.65**	38,246.95
(बी)	**क्षेत्रवार परिणाम**		
1	ट्रेजरी परिचालन	**1,649.05**	3,418.00
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	**424.86**	679.02
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	**(9,488.51)**	(3,933.55)
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	**275.25**	179.13
5	गैर आबंटित	**540.95**	22.05
	कर पूर्व कुल लाभ	**(6,598.40)**	364.65
(सी)	**आयकर**	**(1,385.93)**	(207.99)
(डी)	**शुद्ध लाभ**	**(5,212.47)**	572.64
(ई)	**क्षेत्रवार आस्तियां**		
1	**ट्रेजरी परिचालन**	**1,74,049.92**	1,49,452.25
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	**1,16,279.02**	1,01,247.61
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	**1,87,288.80**	1,96,700.94
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	**शून्य**	शून्य
5	गैर आबंटित	**13,528.66**	8,280.41
	योग	**4,91,146.40**	4,55,681.21
(एफ)	**क्षेत्रवार देयताएं**		
1	ट्रेजरी परिचालन	**1,67,650.29**	1,42,297.16
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	**1,12,561.64**	97,183.59
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	**1,81,301.28**	1,88,805.48
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	**शून्य**	शून्य
5	गैर आबंटित	**(4381.38)**	3,301.31
	योग	**4,65,894.59**	4,31,587.54

कारोबार क्षेत्र		समेकित	
		संमाप्त वर्ष	
		(लेखापरीक्षित)	
		31.03.2018	31.03.2017
(जी)	**प्रयुक्त पूंजी (क्षेत्रवार आस्तियां-क्षेत्रवार देयताएं)**		
1	ट्रेजरी परिचालन	**6,399.63**	7,155.09
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	**3,717.39**	4,064.02
3	कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	**5,987.51**	7,895.46
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	**शून्य**	शून्य
5	गैर आबंटित	**9,147.28**	4,979.10
	योग	**25,251.81**	24,093.67

नोट:

1. बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग में परिचालन करता है. उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस-17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है. बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है. इस अवधि के लिऐ विदेशी शाखा के एएस-17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं. अत: बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है.
2. सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आवंटित कर दिए गए हैं.
3. पिछले वर्ष के/बारह महीनों के आकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन: एकत्र / प्रस्तुत किया गया है; ताकि वर्तमान बारह महीनों के वर्गीकरण /प्रस्तुति के अनुरुप हो.

11. संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस-18)

11.1 संबंधित पार्टियों की सूची

ए. सहायक कंपनियां

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.

बी. संयुक्त उपक्रम

- स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.

सी. एसोसिएट

- पैरेंट बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा, काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक

डी. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम	वर्ष 2017-18 के दौरान कार्यग्रहण/सेवानिवृत्त
श्री अरूण तिवारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30 जून 2017 को सेवानिवृत्त
श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01 जुलाई 2017 से कार्यग्रहण
श्री विनोद कथूरिया	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री राज कमल वर्मा	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं
श्री अतुल कुमार गोयल	कार्यपालक निदेशक	लागू नहीं

12. पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए

(एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो ''राज्य नियंत्रित उद्यम'', के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है.

12.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक - प्रदत्त पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2018	31.03.2017
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**0.28**	0.23
कार्यपालक निदेशक	**0.76**	0.50
योग	**1.04**	0.73

13. प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना की जाती है. डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड संभावित इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या के माध्यम से की गई है.

प्रति शेयर आय की गणना नीचे दी गई है:

क्र.सं.	विवरण		31.03.2018	31.03.2017
i	मूल एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	₹	**(68.98)**	8.33
ii	इक्विटी शेयरधारकों के लिये कर के उपरांत शुद्ध लाभ	**₹ करोड़ में**	**(5212.47)**	572.64
iii	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**संख्या करोड़ में**	**75.56**	68.74
iv	प्रति शेयर नामित मूल्य	₹	**10**	10

14. करों के लिये प्रावधान:

14.1 आस्थगित कर (एएस-22)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2018	31.03.2017
	आस्थगित कर आस्तियां		
1	निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	शून्य	179.37
2	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	238.91	363.80
3	स्थाई आस्तियों पर मूल्यह्रास	14.07	शून्य
4	अन्य प्रावधानों के लिये	6637.39	2727.01
5	अप्रयुक्त हानि एवं क्रेडिट के लिए	5.27	3.11
	योग	**6895.64**	**3273.29**
	आस्थगित कर देयताएं		
1	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	22.31
2	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	790.01	670.36
3	36(i) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियां	994.98	953.71
4	निवेश पर मूल्यह्रास	912.51	शून्य
	योग	**2697.50**	**1646.38**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	4198.14	1626.91
	शुद्ध आस्थगित कर देयता	**शून्य**	**शून्य**

15. पैरेंट और सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट अतिरिक्त जानकारियों का समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) के निष्पक्ष और उचित दृष्टिकोण से कोई संबंध नहीं है और ऐसी मदों से संबंधित सूचनाएं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, सीएफएस में इसका प्रकटन नहीं किया गया है.

16. जहां कहीं आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

(धीरेन्द्र जैन)
उप महा प्रबंधक

(बी. श्रीनिवास राव)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अतुल कुमार गोयल)
कार्यपालक निदेशक

(राज कमल वर्मा)
कार्यपालक निदेशक

(विनोद कथूरिया)
कार्यपालक निदेशक

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(केवल हांडा)
अध्यक्ष

(डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा)
निदेशक

(अनिल कुमार मिश्रा)
निदेशक

(राजीव कुमार सिंह)
निदेशक

(डॉ. के रमेश)
निदेशक

(डॉ. मदुरा स्वामीनाथन)
निदेशक

(डॉ. आर. एच. ढोळकिया)
निदेशक

(जी. के. लाठ)
निदेशक

(डॉ. उत्तम कुमार सरकार)
निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E

(कमल अग्रवाला)
भागीदार
(सदस्य.सं. 059649)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C

(पी पी पारीक)
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W

(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W

(संदीप डी. वेल्लिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W

(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W

(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

क्र.सं.	विवरण		(₹ लाख में)
		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
ए	**परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:**		
	कर से पहले निवल लाभ	(65,98,40)	3,64,65
	निम्न के लिए समायोजन :		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	3,68,23	2,40,82
	निवेशों पर मूल्य ह्रास	19,27,25	6,32,43
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	1,34,99,84	60,31,90
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	(12,34,07)	4,46,38
	स्टाफ संबंधी व्ययों हेतु प्रावधान	2,16,36	37,46
	अन्य प्रावधान	5,49	(20,11)
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ/(हानि)	8,47	(25,83)
	एसोसिएट्स में आय का हिस्सा	(8,17)	(5,89)
	अल्पमत हित में वृद्धि/(कमी)	0	0
	उधारी पर ब्याज : पूंजीगत साधन	11,66,38	8,83,24
	उप योग	**93,51,38**	**85,85,05**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)	3,30,93,74	3,55,69,75
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(15,75,06)	6,08,26
	निवेश में वृद्धि/(कमी)	(1,39,80,35)	(2,35,00,48)
	अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(1,58,85,96)	(2,57,32,17)
	अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	(23,58,12)	(6,14,36)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड के बाद निवल)	(25,56,38)	(15,40,55)
	परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)	**60,89,25**	**(66,24,50)**
बी	**निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(3,31,23)	(3,20,29)
	अचल आस्तियों की बिक्री से आगम	16,31	34,22
	एसोसिएट्स में आय का हिस्सा	8,17	5,89
	निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)	**(3,06,75)**	**(2,80,18)**
सी	**वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह :**		
	इक्विटी शेयर आवेदन से प्राप्त राशि	0	5,41,00
	इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्त आगम	4,81,13	0
	प्राप्त प्रतिभूति प्रीमियम (शेयर निर्गम व्यय को घटाकर)	65,66,06	0
	पूंजीगत लिखतों के निर्गमन से प्राप्त आगम राशि	3,00,00	47,50,00
	पूंजीगत लिखतों की चुकौती	0	(7,50,00)
	पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार के आगम (परिशोधन के बाद निवल)	41,54,90	65,88,87
	ऋण राशियों पर प्रदत्त ब्याज : पूंजीगत लिखत	(7,10,15)	(7,74,74)
	लाभांश का भुगतान (लाभांश कर सहित)	0	(1,61,34)
	वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)	**1,07,91,94**	**1,01,93,79**

क्र.सं.	विवरण	(₹ लाख में)	
		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
	नकदी एवं नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	**1,65,74,44**	**32,89,11**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**3,29,05,92**	**2,96,16,81**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष	**4,94,80,36**	**3,29,05,92**
डी	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	1,65,22,37	1,56,06,92
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	1,63,83,55	1,40,09,89
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**3,29,05,92**	2,96,16,81
ई	**वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समकक्ष**		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	2,10,17,35	1,65,22,37
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	2,84,63,01	1,63,83,55
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समकक्ष	**4,94,80,36**	3,29,05,92

जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरुप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

(अतुल कुमार गोयल)	**(राज कमल वर्मा)**	**(विनोद कथूरिया)**	**(राजकिरण रै जी.)**	**(केवल हांडा)**
कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	अध्यक्ष

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र :

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षकों ने 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उपर्युक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस-3 'नकदी प्रवाह विवरणट के अनुरूप अप्रत्यक्ष पद्धति तथा सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को 10 मई 2018 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित ग्रुप के लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप हैं.

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 313085E
(कमल अग्रवाल)
भागीदार
(सदस्य.सं. 059649)

कृते एस. भंडारी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 000560C
(पी पी पारीक)
भागीदार
(सदस्य.सं. 071213)

कृते सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101961W
(मनीष संपत)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101684)

कृते कीर्तने एंड पंडित एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 105215W
(संदीप डी. वेल्लिंग)
भागीदार
(सदस्य.सं. 044576)

कृते आर एस पटेल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 107758W
(राजन बी शाह)
भागीदार
(सदस्य.सं. 101998)

कृते एम जी बी एंड कं. एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 101169W
(संजय कोठारी)
भागीदार
(सदस्य.सं. 048215)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Board of Directors of Union Bank of India

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of Union Bank of India (the 'Bank'), its subsidiaries, associate and joint venture (together referred to as 'the Group'), which comprises of the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2018, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as 'the consolidated financial statements').

2. Management's responsibility for the Consolidated Financial Statements

The Management of the Bank is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the provisions of the Section 29 of Banking Regulation Act, 1949, the accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by Reserve Bank of India as applicable to the respective entities. The responsibility of the management of the Bank includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Group that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by bank's management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their report referred to in paragraph 5(a) below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on our audit and on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of Subsidiaries, Joint Ventures and an associate and on the matters referred to in paragraph 5 below, the accompanying consolidated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view

in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

a. In the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2018

b. In the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date, and

c. In the case of the Consolidated Cash Flow Statements, of the cash flows for the year ended on that date.

5. Other Matters

a. We did not audit the financial statements of three subsidiaries and one Joint Venture whose financial statements reflect total assets of Rs 4830,09,56.44 thousands as at 31st March, 2018, total revenues of Rs 720,52,61.63 thousands and net cash outflows amounting to Rs 44,26,00 thousands for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditors whose report has been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and joint venture, is based solely on the report of the other auditors.

b. The consolidated financial results also includes the Group's share of profit after tax of Rs. 7,87,23.84 thousands, as considered in the consolidated financial results, in respect of an associate, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the Statement, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the associate, is based solely on such unaudited financial statements as certified by the management of that associate. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Bank's Management, these financial statements are not material to the Group.

c. The entities of the Group whose financial statements are included in the Consolidated Financial Statements are listed in Schedule 18 Notes to Accounts which forms part of the Consolidated Financial Statements of the Group.

d. Our opinion on the consolidated financial statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

FOR P. A. & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS.
FRN: 313085E

(KAMAL AGRAWALLA)
Partner
(M.No.059649)

FOR S BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 000560C

(P P PAREEK)
Partner
(M.NO. 071213)

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 101961W

(MANISH SAMPAT)
Partner
(M.NO. 101684)

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No.105215W

(SANDEEP D WELLING)
Partner
(M.No. 044576)

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 107758W

(RAJAN B SHAH)
Partner
(M.No. 101998)

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn.No. 101169W

(SANJAY KOTHARI)
Partner
(M.NO. 048215)

Place : MUMBAI
Date : 10th May, 2018

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

	Schedule Number	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**11,68,57,34**	6,87,44,11
Reserves and Surplus	2	**2,40,83,23,51**	2,28,65,22,59
Share Application Money		**-**	5,41,00,00
Deposits	3	**41,02,88,43,13**	37,71,94,69,88
Borrowings	4	**4,56,80,39,16**	4,12,25,49,65
Other Liabilities and Provisions	5	**99,25,77,33**	1,31,67,35,40
Total		**49,11,46,40,47**	45,56,81,21,63
ASSETS			
Cash and Balances with Reserve Bank Of India	6	**2,10,17,34,81**	1,65,22,37,31
Balances with Banks and money at call and short notice	7	**2,84,63,00,94**	1,63,83,55,05
Investments	8	**12,55,10,70,68**	11,34,41,26,41
Advances	9	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85
Fixed Assets	10	**38,46,04,96**	39,05,40,86
Other Assets	11	**2,17,37,78,18**	1,74,78,79,15
Total		**49,11,46,40,47**	45,56,81,21,63
Contingent Liabilities	12	**24,18,28,12,66**	2,31,88,64,350
Bills for Collection		**1,84,27,08,88**	1,61,19,39,73
Significant Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Balance Sheet

(DHIRENDRA JAIN)
Dy. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
General Manager & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

(ATUL KUMAR GOEL) Executive Director
(RAJ KAMAL VERMA) Executive Director
(VINOD KATHURIA) Executive Director
(RAJKIRAN RAI G.) Managing Director & CEO
(KEWAL HANDA) Chairman

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA) Director
(ANIL KUMAR MISRA) Director
(RAJIV KUMAR SINGH) Director

(Dr. K. RAMESHA) Director
(DR. MADHURA SWAMINATHAN) Director
(Dr. R. H. DHOLAKIA) Director

(G. K. LATH) Director
(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR) Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

KAMAL AGRAWALLA
PARTNER
M.NO. 059649

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR S. BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000560C

P P PAREEK
PARTNER
M.NO. 071213

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101961W

MANISH P. SAMPAT
PARTNER
M.NO. 101684

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

PLACE : MUMBAI
DATE : 10th MAY, 2018.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

		Schedule Number	**Year Ended 31.3.2018**	Year Ended 31.3.2017
I.	**Income**			
	Interest Earned	13	**3,29,51,56,96**	3,28,16,97,89
	Other Income	14	**54,62,08,28**	54,29,98,59
	Total		**3,84,13,65,24**	3,82,46,96,48
II.	**Expenditure**			
	Interest Expended	15	**2,34,70,90,02**	2,37,76,30,56
	Operating Expenses	16	**73,50,82,64**	70,21,29,16
	Provisions and Contingencies		**1,28,12,56,65**	68,82,61,81
	Total		**4,36,34,29,31**	3,76,80,21,53
III.	**Consolidated Net Profit/(Net Loss) Before Minority Interest and Share of Earnings in Associates**		**(52,20,64,07)**	5,66,74,95
	Add:-Share of Earning in Associates		**8,17,25**	5,89,49
	Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year before deducting minorities interest		**(52,12,46,82)**	5,72,64,44
	(Less):-Minorities Interest		**-**	-
	Consolidated Net Profit/(Net Loss) for the year attributable to the group		**(52,12,46,82)**	5,72,64,44
	Add : Profit Brought Forward		**-**	36
	Amount Available for Appropriations		**(52,12,46,82)**	5,72,64,80
IV.	**Appropriations**			
	Transfer to Statutory Reserve		**-**	1,38,75,00
	Transfer to Capital Reserve		**1,11,16,77**	2,31,46,67
	Transfer to Revenue And Other Reserves		**-**	17,42,77
	Transfer to Special Reserve [Sec36(I)(Viii) of the Income Tax Act 1961]		**-**	18,50,000
	Balance In Profit And Loss Account		**(53,23,63,59)**	36
	Total		**(52,12,46,82)**	57,26,480
	Earnings per share (Basic and Diluted) (FV of ₹ 10)	18	**(68.98)**	8.33
	Significant Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Profit & Loss A/c

(DHIRENDRA JAIN)
Dy. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
General Manager & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

(ATUL KUMAR GOEL) Executive Director | **(RAJ KAMAL VERMA)** Executive Director | **(VINOD KATHURIA)** Executive Director | **(RAJKIRAN RAI G.)** Managing Director & CEO | **(KEWAL HANDA)** Chairman

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA) Director | **(ANIL KUMAR MISRA)** Director | **(RAJIV KUMAR SINGH)** Director

(Dr. K. RAMESHA) Director | **(DR. MADHURA SWAMINATHAN)** Director | **(Dr. R. H. DHOLAKIA)** Director

(G. K. LATH) Director | **(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)** Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

KAMAL AGRAWALLA
PARTNER
M.NO. 059649

FOR S. BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000560C

P P PAREEK
PARTNER
M.NO. 071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101961W

MANISH P. SAMPAT
PARTNER
M.NO. 101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

PLACE : MUMBAI
DATE : 10th MAY, 2018.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

			As on 31.03.2018		As on 31.03.2017
SCHEDULE 1 - CAPITAL :					
I.	**Authorised :**				
	i. 30,00,00,00,00 Equity Shares of ₹ 10 each		**30,00,00,00**		30,00,00,00
II.	**Issued, Subscribed & Paid up :**				
	i. 7,87,91,46,00 Equity Shares of ₹ 10/- each, held by Central Government (P.Y. 4,36,10,65,97 Equity Shares)		**7,87,91,46**		4,36,10,66
	ii. 3,80,65,88,00 Equity Shares of ₹ 10/- each, held by Public (P.Y. 2,51,33,45,20 Equity Shares)		**3,80,65,88**		2,51,33,45
	TOTAL		**11,68,57,34**		6,87,44,11
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS :					
I.	Statutory Reserve :				
	As per last Balance Sheet	**66,70,61,10**		65,31,86,10	
	Addition during the year	**–**	**66,70,61,10**	1,38,75,00	66,70,61,10
II.	Capital Reserve :				
	As per last Balance Sheet	**10,79,56,50**		8,48,09,83	
	Addition during the year	**1,11,16,77**	**11,90,73,27**	2,31,46,67	10,79,56,50
III.	Revaluation Reserve :				
	As per last Balance Sheet	**24,56,79,77**		25,81,23,72	
	Addition during the year	**–**		**–**	
	Deduction during the year	**1,14,92,02**	**23,41,87,75**	1,24,43,95	24,56,79,77
IV.	Share Premium :				
	As per last Balance Sheet	**45,07,59,91**		45,07,59,91	
	Addition during the year	**65,83,86,77**		–	
	Deduction during the year	**17,80,96**	**1,10,73,65,72**	–	45,07,59,91
V.	Revenue Reserves :				
	i) Revenue and other Reserves :				
	As per last Balance Sheet	**51,65,15,64**		50,24,05,23	
	Addition during the year	**3,44,10,71**		1,42,60,82	
	Deduction during the year	**3,62,91,97**		1,72,57	
	TOTAL	**51,46,34,38**		51,64,93,48	
	Less:- Minority Interest	**–**		(22,16)	
	TOTAL	**51,46,34,38**		51,65,15,64	
	ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961				
	As per last Balance Sheet	**28,75,00,00**		26,90,00,00	
	Addition during the year	**–**		1,85,00,00	
	TOTAL	**28,75,00,00**		28,75,00,00	
	iii) Foreign Currency Translation Reserve				
	As per last Balance Sheet	**1,10,49,67**		1,24,53,04	
	Addition during the year	**44,59,70**		–	
	Deduction during the year	**11,54,45**		14,03,37	
	TOTAL	**1,43,54,92**	**81,64,89,30**	1,10,49,67	81,50,65,31
VI.	Balance in Profit and Loss Account		**(53,58,53,63)**		–
	TOTAL		**2,40,83,23,51**		2,28,65,22,59

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

			As on 31.03.2018		As on 31.03.2017
SCHEDULE 2 A Minority Interest					
Opening Balance			–		–
Add/(Less):- Increase/(Decrease) during the year			–		–
Total Minority Interest			–		–
SCHEDULE 3 - DEPOSITS :					
I) Demand Deposits					
i) From Banks		**4,72,80,37**		4,99,66,05	
ii) From Others		**2,46,09,16,79**	**2,50,81,97,16**	2,33,27,35,50	2,38,27,01,55
II) Savings Bank Deposits			**11,42,00,95,04**		10,40,87,57,67
III) Term Deposits					
i) From Banks		**65,64,72,87**		77,54,58,43	
ii) From Others		**26,44,40,78,06**	**27,10,05,50,93**	24,15,25,52,23	24,92,80,10,66
TOTAL			**41,02,88,43,13**		37,71,94,69,88
Deposits of branches in India			**40,31,70,44,72**		36,89,25,69,00
Deposits of branches outside India			**71,17,98,41**		82,69,00,88
TOTAL			**41,02,88,43,13**		37,71,94,69,88
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :					
A. Borrowings: Capital Instruments					
I. Perpetual Bonds		**45,39,62,35**		42,39,62,35	
II. Upper Tier II Bonds		**15,00,00,00**		15,00,00,00	
III. Tier II Bonds		**67,50,00,00**	**1,27,89,62,35**	67,50,00,00	1,24,89,62,35
B. Borrowings in India					
i. Reserve Bank of India		**65,86,00,00**		**–**	
ii. Other Banks		**–**		–	
iii. Other Institutions and Agencies		**11,96,37,90**	**77,82,37,90**	17,51,18,59	17,51,18,59
C. Borrowings Outside India			**2,51,08,38,91**		2,69,84,68,71
TOTAL			**4,56,80,39,16**		4,12,25,49,65
Secured Borrowings included in (B) I & (B) III above			**65,86,00,00**		6,41,11,76
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :					
I. Bills Payable			**12,68,88,35**		14,95,55,69
II. Interest Accrued			**35,08,16,31**		16,59,84,30
III. Deferred Tax Liability			**–**		–
IV. Others (including Provisions)			**51,48,72,67**		1,00,11,95,41
TOTAL			**99,25,77,33**		1,31,67,35,40

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

		As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :			
I.	Cash in Hand	**12,91,22,28**	10,32,72,21
	(including foreign currency notes & Gold)		
II.	Balances with Reserve Bank of India In Current Account	**1,97,26,12,53**	1,54,89,65,10
	TOTAL	**2,10,17,34,81**	1,65,22,37,31
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE :			
I.	In India		
	i). Balances with Banks		
	a) In Current Accounts	**69,34,80**	44,49,30
	b) In Other Deposit Accounts	**71,41,43,81**	56,33,93,29
	ii) Money at Call & Short notice		
	a) With Banks	**1,19,28,91,33**	–
	b) With Other Institutions	**–**	–
		1,91,39,69,94	56,78,42,59
II.	Outside India		
	i) In Current Accounts	**4,37,96,90**	1,37,80,29
	ii) In other Deposit Accounts	**87,68,99,77**	1,03,87,78,72
	iii) Money at Call & Short notice	**1,16,34,33**	1,79,53,45
		93,23,31,00	1,07,05,12,46
	TOTAL	**2,84,63,00,94**	1,63,83,55,05
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :			
I.	Investments in India		
	i) Government Securities	**9,81,23,77,63**	8,81,53,47,68
	ii) Other Approved Securities	**84,72,17**	1,75,85,34
	iii) Shares	**22,22,99,08**	23,72,12,08
	iv) Debentures and Bonds	**2,02,51,57,25**	1,75,06,12,74
	v) Subsidiaries and Joint Ventures	**2,02,30,50**	2,34,87,29
	vi) Others (Commercial Paper, Mutual Funds, Venture Capital, Security Receipt, Etc.)	**25,12,57,93**	34,52,40,05
	TOTAL	**12,33,97,94,56**	11,18,94,85,18
II.	Investments outside India		
	i) Govt. Securities (including Local Authorities)	**16,25,39,36**	10,98,78,73
	ii) Shares	**40,32**	40,32
	iii)Other Investments (Bonds)	**4,86,96,44**	4,47,22,18
	iv) Subsidiaries and Joint Ventures	**–**	**–**
	TOTAL	**21,12,76,12**	15,46,41,23
	TOTAL	**12,55,10,70,68**	11,34,41,26,41
III.	Investments in India		
	Gross Value	**12,61,41,78,59**	11,30,77,32,23
	Less: Provision for Depreciation	**27,43,84,03**	11,82,47,05
	Net Value of Investment in India	**12,33,97,94,56**	11,18,94,85,18
IV)	Investments outside India		
	Gross Value	**21,13,25,50**	15,48,29,42
	Less: Provision for Depreciation	**49,38**	1,88,19
	Net Value of Investment outside India	**21,12,76,12**	15,46,41,23
	TOTAL	**12,55,10,70,68**	11,34,41,26,41

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

		As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
SCHEDULE 9 - ADVANCES (Net)			
I. i)	Bills Purchased and Discounted	**88,93,93,48**	1,18,24,74,43
ii)	Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	**13,23,56,88,18**	13,32,37,22,20
iii)	Term Loans	**14,93,20,69,24**	14,28,87,86,22
	TOTAL	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85
II i)	Secured by Tangible Assets		
	(includes Advance against Book Debts)	**25,83,84,12,93**	25,11,00,37,42
ii)	Covered by Bank/Government Guarantees	**1,01,54,67,51**	1,11,23,87,13
iii)	Unsecured	**2,20,32,70,46**	2,57,25,58,30
	TOTAL	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85
A.	Advances in India		
i)	Priority Sector	**11,05,56,83,14**	10,42,19,00,27
ii)	Public Sector	**2,50,78,14,78**	1,67,62,97,70
iii)	Banks	**(4,08,00,28)**	23,27,69,23
iv)	Others	**12,92,09,56,45**	13,42,22,55,51
	TOTAL	**2,64,43,65,409**	25,75,32,22,71
B.	Advances outside India		
i)	Due From Banks	**72,82,29,73**	84,82,32,88
ii)	Due From Others		
a)	Bills Purchased and Discounted	**58,62,42,36**	83,29,30,75
b)	Syndicated loans	**2,23,98,63**	3,59,61,38
c)	Others	**1,27,66,26,09**	1,32,46,35,13
	TOTAL	**2,61,34,96,81**	**3,04,17,60,14**
	TOTAL	**29,05,71,50,90**	28,79,49,82,85

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

A.	TANGIBLE ASSETS				
I.	Premises				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**38,03,91,45**		37,28,11,82	
	Additions during the year	**35,52,52**		79,76,93	
	Deductions during the year	**27,71**		3,97,30	
		38,39,16,26		38,03,91,45	
	Less: Depreciation to Date	**9,73,95,35**	**28,65,20,91**	8,31,63,70	29,72,27,75
II.	Capital Work in Progress				
	At cost as per last Balance Sheet	**21,48,89**		12,52,62	
	Additions during the year	**27,21,19**		9,45,45	
	Deductions during the year	**14,61,94**	**34,08,14**	49,18	21,48,89
III.	Land				
	At cost as per last Balance Sheet	**76,30,34**		72,68,05	
	Additions during the year	**–**		3,62,29	
	Deductions during the year	**6,77,21**		–	
		69,53,13		76,30,34	
	Less: Depreciation to Date	**5,44,15**	**64,08,98**	4,66,14	71,64,20

SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

		As on 31.03.2018		As on 31.03.2017	
IV.	Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)				
	a) Assets given on Lease				
	At cost as per last Balance Sheet	**26,53,52**		26,53,52	
	Addition during the year	**–**		–	
	Deductions during the year	**–**		–	
		26,53,52		26,53,52	
	Less: Depreciation to Date	**26,53,52**	**–**	26,53,52	–
	b) Others				
	At cost/valuation as per last Balance Sheet	**24,21,15,34**		22,65,95,40	
	Additions during the year	**2,53,53,41**		2,03,71,93	
	Deductions during the year	**58,31,39**		48,51,99	
		26,16,37,36		24,21,15,34	
	Less: Depreciation to Date (Net)	**17,66,51,19**	**8,49,86,17**	16,07,10,99	8,14,04,35
B.	INTANGIBLE ASSETS				
	Computer Software				
	At cost as per last Balance Sheet	**2,33,32,78**		2,14,33,34	
	Additions during the year	**29,59,41**		24,21,52	
	Deductions during the year	**10,88,05**		5,22,08	
		2,52,04,14		2,33,32,78	
	Amortisation till Date (Net)	**2,19,23,38**	**32,80,76**	2,07,37,11	25,95,67
	TOTAL		**38,46,04,96**		39,05,40,86
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS :					
I.	Inter-Office Adjustments (Net)		**2,17,67,38**		14,86,17,49
II.	Interest Accrued		**35,71,48,58**		24,06,28,82
III.	Stationery and Stamps		**3,89,64**		3,15,27
IV.	Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims		**3,90**		3,90
V.	Deferred Tax Assets		**41,98,14,27**		22,97,27,30
VI.	Others		**1,37,34,05,00**		1,12,73,36,95
VII.	Goodwill on account of consolidation		**12,49,42**		12,49,42
	TOTAL		**2,17,37,78,18**		1,74,78,79,15
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :					
I.	Claims against the Bank not acknowledged as debts		**34,42,29,27**		35,36,66,60
II.	Liability for partly paid Investments		**59,20**		59,20
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**18,38,54,87,97**		18,06,06,42,94
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents				
	i) In India		**1,97,44,97,13**		1,45,66,77,78
	ii) Outside India		**3,56,16,08**		5,51,85,07
V.	Acceptances, Endorsements and Other Obligations		**3,03,30,98,80**		3,00,45,74,29
VI.	Other items of Contingent Liability		**87,14,25**		65,77,21
	i) Disputed Tax demands under Appeals		**30,37,32,96**		24,30,38,21
	ii) Amount transfered to DEAF Scheme 2014		**9,73,77,00**		82,22,20
	TOTAL		**24,18,28,12,66**		23,18,86,43,50

SCHEDULES FORMING PART OF CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in 000's)

		Year Ended 31.03.2018	Year Ended 31.03.2017
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest/Discount on Advances/Bills	**2,28,56,97,61**	2,30,04,84,20
II.	Income on Investments	**88,98,35,39**	87,88,93,08
III.	Interest on Balances with RBI & Other Inter Bank Funds	**11,40,55,44**	8,81,96,06
IV.	Others	**55,68,52**	1,41,24,55
	TOTAL	**3,29,51,56,96**	3,28,16,97,89
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :			
I.	Commission, Exchange and Brokerage	**5,04,29,07**	4,49,91,22
II.	Profit on Sale of Investments - (Net)	**12,96,61,38**	21,48,73,62
III.	Profit/ (Loss)on Sale of Land, Buildings & Other Assets - (Net)	**(8,47,38)**	25,83,22
IV.	Profit on Exchange Transactions - (Net)	**8,92,52,90**	9,52,33,80
V.	Miscellaneous Income	**27,77,12,31**	18,53,16,73
	TOTAL	**54,62,08,28**	54,29,98,59
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :			
I.	Interest on Deposits	**2,15,78,06,81**	2,20,05,24,69
II.	Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank Borrowing	**8,68,43,93**	4,94,03,82
III.	Others	**10,24,39,28**	12,77,02,05
	TOTAL	**2,34,70,90,02**	2,37,76,30,56
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :			
I.	Payments to and Provisions for Employees	**33,32,17,10**	35,09,39,85
II.	Rent, Taxes and Lighting	**5,74,68,66**	5,23,40,84
III.	Printing and Stationery	**57,22,80**	58,77,68
IV.	Advertisement and Publicity	**63,79,97**	74,08,67
V.	Depreciation on Bank's Property	**3,68,23,23**	2,40,82,34
VI.	Directors' Fees, Allowances and Expenses	**3,74,01**	3,50,21
VII.	Remuneration to Managing / Executive Director	**1,04,63**	72,39
VIII.	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	**55,11,36**	41,67,36
IX.	Law Charges	**41,99,24**	26,23,82
X.	Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**95,42,36**	80,68,19
XI.	Repairs and Maintenance	**1,22,81,81**	1,18,05,67
XII.	Insurance	**3,80,68,24**	3,65,62,47
XIII.	Other Expenditure	**22,53,89,23**	19,78,29,67
	TOTAL	**73,50,82,64**	70,21,29,16

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2017-2018 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting ongoing concern basis, unless otherwise stated and conform in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions of practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. Use of Estimates

The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including Contingent Liabilities) as of the date of the financial statements and the reported Income and the Expenses during the reporting period. Management believes that the estimates wherever used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results can differ from these estimates. Any revision in the accounting estimates is recognized prospectively in the current and future period.

3. Basis of consolidation

a) Consolidated Financial Statements (CFS) of the Group (comprising of 3 Subsidiaries, 1 Associate and 1 Joint Venture) have been prepared on the basis of:

i) Audited Financial Statement of Union Bank of India (Parent).

ii) Line by line aggregation of each item of asset, liabilities, income and expenditure of subsidiaries with the respective items of the parent after eliminating intra group balances/ transactions, unrealized profit/losses based on the data received from the subsidiaries duly audited by their respective auditors as per Accounting Standard – 21 "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iii) Accounting for Investments in 'Associate' under the 'Equity Method' as per Accounting Standard 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iv) Consolidation of Joint Venture – 'Proportionate Consolidation' as per Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" by ICAI.

b) In case of Domestic Associate/Subsidiaries and Joint Venture, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by parent bank and associate/subsidiaries and Joint Venture have not been carried out due to practical difficulties on the basis of data provided by associates/ subsidiaries and Joint Venture as the amounts are not material.

c) The difference between cost to the Group of its investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the CFS as Goodwill / Capital Reserve, as the case may be.

d) Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

i) The amount of equity attributable to the minority at the date on which investment in a subsidiary is made and

ii) The minority share of movements in revenue reserves / loss and equity since the date the parent subsidiary relationship came into existence.

iii) The excess, and any further losses applicable to the minority, are adjusted against the majority interest except to the extent that the minority has a binding obligation to, and is able to, make good the losses.

4. Revenue Recognition

a) Banking entities

i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized to the extent realized as per the prudential norms prescribed by RBI.

iii) Bank commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers (SDV), commission on biometric cards, income from Aadhaar cards etc. are accounted for on realization basis.

iv) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" (HTM) category acquired at discount to the face value is recognized as follows:

a) On interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale / redemption.

b) On zero coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the securities on a constant yield basis.

v) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the same is established.

b) Non Banking entities

Life Insurance

i. Premium Income

Premium (net of Service Tax/GST) is recognized as income when due. For linked business, premium is recognized when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. Commission received on reinsurance ceded is recognized as income in the period in which reinsurance premium is ceded.

ii. Income from linked funds

Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.

iii. Reinsurance Premium

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

iv. Benefits paid (including claims)

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any. Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due. Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for in the same period as the related claims.

v. Acquisition Costs

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

vi. Liability for life policies

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method and in case of group business, unearned premium reserve method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, IRDA regulations and the stipulations of Institute of Actuaries of India.

Asset Management

i. Investment management fees are recognized net of service tax on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding the investments made by the company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and any further amendments.

ii. Investment advisory fees are recognized on accrual basis in accordance with the terms of contract with the customers.

iii. Interest income is recognized using the time proportion method, based on the rates implicit in the transaction.

iv. Dividend income is recognized when right to receive is established.

5. Investments

i) Classification

In conformity of the requirements in form A of the Third Schedule to the Banking Regulations Act, 1949, Investments are classified as under:

a) Government Securities

b) Other Approved Securities

c) Shares

d) Debentures & Bonds

e) Investments in Subsidiaries & Joint Ventures, and

f) Other Investments

The Investment portfolio of the Bank is further categorized in accordance with the RBI guidelines into:

a) Held to Maturity (HTM)

b) Available for Sale (AFS)

c) Held for Trading (HFT)

ii) Basis of Valuation

As per RBI guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

a) Securities held in "HTM" – at acquisition cost: The excess of acquisition cost over the face value is amortized over the remaining period of maturity and in case of discount; it is not recognized as income.

b) Investment in Regional Rural Banks is valued at carrying cost.

c) Investments in Subsidiaries and Joint Ventures are valued at carrying cost

d) Diminution other than temporary, if any, in valuation of such investments is provided for.

e) Securities held in "AFS" and "HFT" categories are valued classification wise and scrip wise and net depreciation, if any, in each classification is charged to Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored.

f) Valuation of other securities is arrived at as follows:

a	Govt. of India Securities	As per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)
b	State Development Loans, Securities guaranteed by Central / State Government, PSU Bonds	On appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines
c	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value, as per latest Audited Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both, at ₹ 1/- per Company.
d	Preference Shares	As per market rates, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA Guidelines
e	Debentures/Bonds	As per market rates, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
f	Mutual Funds(MF)	As per stock exchange quotations, if quoted. In case of unquoted units, as per latest Repurchase price declared by concerned MF. In cases where latest repurchase price is not available, as per Net Asset Value (NAV)
g	Treasury Bills / Certificate of Deposits / Commercial Papers	At carrying cost
h	Venture Capital Funds (VCF)	At declared NAV or Breakup NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV / audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Rs 1/- per VCF
I	Security Receipts	At NAV as declared by Securitization Companies

iii) Interbank REPO / Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iv) As per the extant RBI guidelines, the shifting of securities from one category to another is accounted for as follows:

a) From AFS / HFT categories to HTM category, at lower of book value or market value as on the date of shifting. Depreciation, if any, is fully provided for.

b) From HTM category to AFS / HFT category,

- If the security is originally placed at discount in HTM category, at acquisition cost/ book value
- If the security is originally placed at a premium, at an amortized cost.

c) From AFS to HFT category and vice versa, at book value.

d) The securities so shifted are revalued immediately and resultant depreciation is fully provided for.

v) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per the extant RBI guideline.

vi) Profit / Loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss account. However, in case of profit on sale of investments in "HTM" category, an equivalent amount (net of taxes and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc. on securities is debited / credited to Profit & Loss account.

viii) As per the extant RBI guidelines, the Bank follows 'Settlement Date' for accounting of investments transactions.

6. Derivative Contracts:

The Interest Rate Swap (IRS) which hedges interest bearing asset or liability are accounted for in the financial statements on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value. Gains or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset / liability.

(i) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

(ii) In the case of option contracts, guidelines issued by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

7. Advances

i) Advances in India, are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

ii) Advances are stated net of specific loan loss provisions, counter cyclical provisioning buffer and provision for diminution in fair value of restructured advances and unrecovered interest held in sundry / claims received from Credit Guarantee Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)/Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) relating to non-performing assets.

iii) The general provision on standard advances is held in "Other Liabilities and Provisions" reflected in Schedule 5 of the balance sheet and is not considered for arriving at both net NPAs and net advances.

8. Fixed Assets and Depreciation

i) Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation as adjusted for impairment, if any. Cost includes cost of purchase and all expenditure like site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. Land and Buildings, if revalued are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.

Pursuant to revised Accounting Standard 10-Property Plant and Equipment effective from 01.04.2017, depreciation on revalued portion of the fixed assets is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve and not through Profit & Loss Account.

ii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the written down value method at the rates considered appropriate by the management as under:-

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	– Furniture and Fittings	10 %
	– Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers/Strong rooms etc.	15 %
	– Transport Vehicles	20 %
	– Uninterrupted Power Supply Equipments (UPS)	33.33 %
III.	Amount added consequent upon revaluation of the assets	Applicable rate for the asset type, over the residual economic life of the respective assets

iii) Application Software is capitalized and clubbed under intangible assets. Depreciation on computers and software forming an integral part of Computer Hardware and on ATM is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% as per the guidelines of RBI.

iv) Depreciation on additions to assets made up to 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

v) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vi) No depreciation is provided on assets sold / disposed off during the year.

vii) Depreciation on leased assets and leasehold improvements is recognized on a straight-line basis using rates determined with reference to the primary period of lease.

viii) Depreciation on fixed assets outside India and fixed assets of subsidiaries / associates is provided as per regulatory requirements / or prevailing practices of respective country / industry.

9. Impairment of Assets

The carrying costs of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying cost of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying cost of the asset over its remaining useful life. A previously recognized impairment loss is increased or reversed depending on changes in circumstances. However, the carrying value after reversal is not increased beyond the carrying value that would have prevailed by charging usual depreciation, if there was no impairment.

10. Counter Cyclical Provisioning Buffer

The Bank has a policy for creation and utilization of Counter Cyclical Provisioning Buffer separately for advances and investments. The quantum of provision to be created is assessed at the end of each financial year. The counter cyclical provisions are utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of the RBI.

11. Transactions involving Foreign Exchange

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI. As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as under

a) Integral Operations and

b) Non Integral Operations.

All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

a) Translation in respect of Integral Operations

i) Income and Expenditure items are recognized at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

ii) Foreign Currency Monetary and Non-Monetary Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

iii) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year

iv) The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account.

v) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between' maturities. The resultant gains or losses are recognized in the Profit and Loss account.

b) Translation in respect of Non Integral Operations

i) Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter

ii) Foreign Exchange Spot and Forwards contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

iii) Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.

iv) The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment..

12. Employee Benefits

Retirement benefits in the form of provident fund are a defined contribution scheme. The contributions to the provident fund are charged to the Profit and Loss account for the year when the contributions are due. The Bank has no obligation, other than the contribution payable to the provident fund.

Gratuity liability, Pension fund and provision towards leave are defined benefit obligations, and are provided for on the basis of an actuarial valuation as per AS 15 (Revised) made at the end of each financial year, based on the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss account.

The New Pension Scheme is applicable to employees who joined the Bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme. Bank pays fixed contribution at predetermined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. Employee benefits relating to employees employed at foreign offices are valued and accounted for as per the local laws/regulation of the respective countries.

13. Segment Reporting

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary Reporting Segment and Geographical Segment as the Secondary Reporting Segment, in accordance with the RBI guidelines and in the compliances with the Accounting Standard 17 issued by ICAI. Business Segments are classified into (a) Treasury operations, (b) Corporate and Wholesale Banking, (c) Retail Banking operations and (d) Other Banking operations.

14. Lease Transactions

Lease payments for assets taken on operating lease are amortized over the lease term. The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank. The Bank's liabilities in respect of disputes pertaining to additional rent / lease rent are recognized on settlement or on renewal.

15. Earnings Per Share

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss (after tax) for the year attributable to the equity share holders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per equity share are calculated by using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

16. Taxation

Provision for tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rates and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets in future. Deferred tax assets/ liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

17. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

18. Share Issue Expenses:

Share Issue expenses are charged to the Share Premium account.

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2017-18 (CONSOLIDATED)

SCHEDULE 18 – NOTES TO ACCOUNTS

1. The particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of the Bank (the Parent) are as under:

Names of Subsidiaries	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the parent as on 31.03.18
Union Asset Management Company Pvt Ltd.	India	100%
Union Trustee Company Private Ltd.	India	100%
Union Bank of India UK Ltd.	United Kingdom	100%

The Parent was having 51% ownership in Union Asset Management Company Pvt. Ltd. and Union Trustee Company Pvt. Ltd. as on 31.03.2016. During the year the remaining 49% ownership in these Subsidiaries has been acquired by the parent, resulting into 100% ownership as on 31.03.2017.

2. The particulars of Joint Venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd. (Non- Banking)	India	25.10%

3. The particulars of Associate considered in the Consolidated Financial Statements are as under:

Names of Associates	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
Regional Rural Bank Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	India	35%

The Value of the investment made by the Bank is ₹ 845.81 Crore as on 31st March 2018 which is treated as long term investment.

4. The financial statements of the subsidiaries, joint venture and associate which are used in the consolidation have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March 2018.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of audited financial statements of Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Union Asset Management Co. Pvt. Ltd., Union Trustee Co. Pvt. Ltd., Union Bank of India UK Ltd. and Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (Regional Rural Bank) for the financial year ended 31.03.2018.

6. Adjustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Adjustments, Bank Reconciliation Statements and various inter-branch/office accounts is in progress on an ongoing basis.

Pending final clearance of the same, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

7. DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES

7.1. A. Capital

The Bank is subjected to Basel III capital adequacy guidelines stipulated by RBI with effect from April 1, 2013. The guidelines provide a transition schedule for Basel III implementation till March 31, 2019. As per guidelines, the Tier I capital is made up of Common Equity Tier I (CET I) and Additional Tier I.

Basel III guidelines require the Bank to maintain minimum capital to Risk Weighted Assets ratio (CRAR) of 10.875% with minimum CET I of 7.375% (inclusive of Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum Tier I CRAR of 8.875% as at March 31, 2018.

The computation of Capital Adequacy as per the framework is indicated below:

Sr. No.	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET 1) (%) Basel III	**7.66**	7.76
ii)	Tier I Capital ratio (%) Basel III	**9.14**	9.07
iii)	Tier II Capital ratio (%) Basel III	**2.43**	2.77
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%) Basel III	**11.56**	11.84
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	**67.43**	63.44
vi)	Amount of Equity Capital raised : (₹ in crore)	**7,065**	Nil
vii)	Amount of Additional Tier I capital raised : (₹ in crore)	**500**	3,500
viii)	Amount of Tier II Capital raised : (₹ in crore)	**Nil**	1,750
	of which Debt capital instruments : (₹ in crore)	**Nil**	1,750

7.2 Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Break up of Provision & Contingencies shown under the head in Profit & Loss:	31.03.2018	31.03.2017
Provision / (Reversal) for Depreciation on Investment	**1559.99**	630.62
Provision towards NPA	**13499.84**	6032.00
Provision(Reversal) towards Standard Assets	**(720.39)**	512.72
Net Provision made towards Income Tax / Deferred Tax	**(1385.93)**	(207.99)
Other Provision and Contingencies:		
– Shifting Loss	**367.25**	1.81
– Restructured Advances	**(235.65)**	66.02
– Others	**(272.54)**	(152.56)
TOTAL	**12812.57**	6882.62

7.3 Counter Cyclical Provisioning Buffer / Floating Provision:

(₹ in crore)

Sr. No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
i)	Opening Balance	**293.20**	293.20
ii)	Additional provisions made during the accounting year	**Nil**	Nil
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	**Nil**	Nil
iv)	Closing balance	**293.20**	293.20

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15 - REVISED)

Defined Benefit Plans – Employee's Pension plan and Gratuity plan:

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2018.

(₹ in crore)

	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
i)	**Table showing change in Defined Benefit Obligation :**				
	Liability at the beginning of the year	1,114.72	1,1231.15	1,110.33	9,619.00
	Interest Cost	80.26	836.72	88.72	775.29
	Current Service Cost	53.45	120.75	47.72	134.46
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized)	242.12	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer in	Nil	Nil	Nil	Nil
	Liability Transfer out	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	Actuarial (gain)/loss on obligation –due change In the financial assumption	34.24	311.61	30.71	533.48
	Actuarial (gain) / loss on obligations	(142.26)	(37.82)	(13.96)	793.17
	Liability at the end of the year	1244.88	11803.32	1,114.72	1,1231.15
ii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	1,333.03	11,214.89	1,251.27	9,525.70
	Expected return on Plan Assets	95.98	835.51	99.98	767.77
	Contributions	Nil	745.08	88.16	1,019.42
	Transfer from Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to Other Company	Nil	Nil	Nil	Nil
	Benefit paid	(137.65)	(659.09)	(148.80)	(624.25)
	Actuarial Gain/(loss) on Plan Assets	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,302.00	12,115.00	1,333.03	11,214.89
	Actuarial (gain)/loss on obligation for the period	(108.02)	273.79	16.75	1,326.65
	Actuarial Gain/Loss on Plan Assets	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	Total Actuarial Gain/(loss) to be recognized	(118.66)	295.18	(25.67)	(800.40)
iii)	**Recognition of Transitional Liability :**				
	Transitional Liability at start	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability recognized during the year	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transitional Liability at end	Nil	Nil	Nil	Nil
iv)	**Actual return on Plan Assets :**				
	Expected Return on Plan Assets	95.98	835.51	99.98	767.77
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	10.64	(21.39)	42.42	526.25
	Actual return on Plan Assets	106.62	814.12	142.40	1294.02

	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
v)	**Expenses recognized in the Income Statement:**				
	Current Service Cost	53.45	120.75	47.72	134.46
	Interest Cost	(15.72)	1.21	(11.26)	7.52
	Expected Return on Plan Assets				
	Past Service Cost (Vested Benefit Amortized) recognized	Nil	Nil	Nil	Nil
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	242.12	Nil	Nil	Nil
	Recognition of Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil
	Actuarial Gain or Loss	(118.66)	(295.18)	(25.67)	800.40
	Expenses Recognized in P & L	161.19	417.14	10.79	942.38
vi)	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	Opening Net Liability (Last year net amount recognized in the balance sheet)	(218.31)	16.26	(140.94)	93.30
	Expenses as above	161.19	417.14	10.79	942.38
	Transfer from other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Transfer to other Company (Net)	Nil	Nil	Nil	Nil
	Employer Contribution	Nil	(745.08)	(88.16)	(1,019.42)
	Amount recognized in Balance Sheet	(57.12)	(311.68)	(218.31)	16.26
vii)	**Other Details :** Pension is payable at the rate of 1/66 Salary for Each Year of Service Subject to Maximum of 50%. Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service subject to maximum of Rs 10,00,000 or as per the Bank scheme. Actuarial gain / loss is accounted for in the year of occurrence. Salary escalation is considered as advised by the company which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees.				
	No. of Members	37,502	16,443	37,120	18,059
	Salary Per Month	171.21	92.65	162.08	96.58
	Contribution for next year	Nil	Nil	Nil	137.01
viii)	**Category of assets:**				
	Government of India Assets	94.78	250.28	121.75	366.40
	Corporate Bonds	178.50	1,342.84	251.89	1,771.02
	Special Deposits Scheme	8.01	410.00	Nil	Nil
	State Govt.	174.58	761.71	139.50	344.00
	Property	Nil	Nil	Nil	Nil
	Other	111.64	1,324.49	113.85	1,246.48
	Insurer Managed Funds	734.50	8,025.68	706.04	7,486.99
	Total	1,302.01	12,115.00	1,333.03	11,214.89

	Particulars	31.03.2018		31.03.2017	
		Gratuity	Pension	Gratuity	Pension
ix)	**Principal actuarial assumption used (%)**				
	Discount Rate Prev.	7.20	7.45	7.99	8.06
	Rate of return on Plan Assets Prev.	7.20	7.45	7.99	8.06
	Salary Escalation Prev.	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Prev.	2.00	2.00	2.00	2.00
	Discount Rate Current	7.83	7.76	7.20	7.45
	Rate of Return on Plan Assets Current	7.83	7.76	7.20	7.45
	Salary Escalation Current	5.00	5.00	5.00	5.00
	Attrition Rate Current	2.00	2.00	2.00	2.00

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Gratuity Plan				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.2018**	**31.03.2017**	**31.03.2016**	**31.03.15**	**31.03.14**
Liability at the end of the year	1,244.88	1,114.72	1,110.33	1,088.16	1,060.13
Fair value of Plan Assets at the end of the year	1,302.00	1,333.03	1,251.27	1,264.00	1,081.23
Difference	57.12	218.31	140.94	175.84	21.10
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	65.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	57.12	218.31	140.94	175.84	86.10

(₹ in crores)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Gratuity Plan				
Experience Adjustment	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**
On plan liability (Gain) / Loss	(142.26)	(13.96)	Nil	(21.18)	123.74
On plan Assets (Loss) / Gain	10.64	42.42	29.80	38.03	(20.00)

(₹ in crores)

Surplus/Deficit in the Plan:	Pension				
Amount recognized in the Balance-Sheet	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**
Liability at the end of the year	11,803.32	11,231.15	9,619.00	8,218.43	6,683.81
Fair value of Plan Assets at the end of the year	12,115.00	11,214.89	9,525.70	7,861.00	6,104.73
Difference	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(579.08)
Unrecognized Past Service Cost	Nil	Nil	Nil	Nil	338.00
Unrecognized Transition Liability	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Amount Recognized in the Balance Sheet	311.68	(16.26)	(93.30)	(357.43)	(241.08)

Amount recognized in the Balance-Sheet	Pension				
Experience Adjustment	**31.03.18**	**31.03.17**	**31.03.16**	**31.03.15**	**31.03.14**
On plan liability (Gain) / Loss	(37.82)	793.17	1,399.16	731.44	661.38
On plan Assets (Loss) / Gain	(21.39)	526.25	155.11	210.89	-233.23

9.1 Defined Contribution Plan:

Bank has Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) applicable to all categories of officers and employees joining the Bank on or after April 1, 2010. The scheme is managed by National Pension Scheme (NPS) Trust under the aegis of the Pension Fund Regulatory and Development Authority. National Securities Depository Limited has been appointed as the Central Record Keeping Agency for the NPS. During F.Y. 2017-18, the Bank has contributed ₹ 86.48 crore (Previous Year ₹ 68.69 crore) to NPS.

9.2 Other long term Employee Benefits:

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(₹ in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2018	31.03.17
1.	Pension	417.14	942.00
2.	Leave Encashment	61.84	58.00
3.	Leave Travel Concession	(19.02)	(3.69)
4.	Sick Leave	Nil	Nil

10. SEGMENT REPORTING (AS-17)

10.1 Business Segments: (₹ in crores)

Business Segment		Consolidated	
		Year ended	
		(Audited)	
		31.03.2018	31.03.2017
(a)	**Segment Revenue**		
1	Treasury Operations	**12,008.17**	12,508.53
2	Retail Banking Operations	**10,880.08**	10,293.19
3	Corporate /Wholesale Banking	**14,012.38**	14,586.86
4	Other Banking Operations	**550.49**	334.31
5	Unallocated	**1,174.01**	622.39
	Total	**38,625.13**	38,345.28
	Less Inter-segment Revenue	**(211.48)**	(98.33)
	Total Revenue	**38,413.65**	38,246.95
(b)	**Segment Results**		
1	Treasury Operations	**1,649.05**	3,418.00
2	Retail Banking Operations	**424.86**	679.02
3	Corporate /Wholesale Banking	**(9,488.51)**	(3,933.55)
4	Other Banking Operations	**275.25**	179.13
5	Unallocated	**540.95**	22.05
	Total Profit Before Tax	**(6,598.40)**	364.65
(c)	Income Tax	**(1,385.93)**	(207.99)
(d)	**Net Profit**	**(5,212.47)**	572.64
(e)	**Segment Assets**		
1	Treasury Operations	**174,049.92**	1,49,452.25
2	Retail Banking Operations	**116,279.02**	1,01,247.61
3	Corporate/Wholesale Banking	**187,288.80**	1,96,700.94
4	Other Banking Operations	**Nil**	Nil
5	Unallocated Assets	**13,528.66**	8,280.41
	Total	**491,146.40**	4,55,681.21

Business Segment		Consolidated	
		Year ended	
		(Audited)	
		31.03.2018	31.03.2017
(f)	**Segment Liabilities**		
1	Treasury Operations	**167,650.29**	1,42,297.16
2	Retail Banking Operations	**112,561.64**	97,183.59
3	Corporate /Wholesale Banking	**181,301.28**	1,88,805.48
4	Other Banking Operations	**Nil**	Nil
5	Unallocated Liabilities	**4,381.38**	3,301.31
	Total	**465,894.59**	4,31,587.54
(g)	**Capital Employed (Segment Assets-Segment Liabilities)**		
1	Treasury Operations	**6,399.63**	7,155.09
2	Retail Banking Operations	**3,717.39**	4,064.02
3	Corporate /Wholesale Banking	**5,987.51**	7,895.46
4	Other Banking Operations	**Nil**	Nil
5	Unallocated Liabilities	**9,147.28**	4,979.10
	Total	**25,251.81**	24,093.67

Notes:

1. *The Bank operates in four segments viz., Treasury, Retail, Corporate / Wholesale and Other Banking Operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profiles, the organizational structure and the internal reporting system of the bank. The bank has disclosed the business segment as primary segment. The revenue and other parameters prescribed in AS-17 of foreign branch for the period are within the threshold limits as stipulated under AS-17 and hence the bank has only one reportable geographical segment.*
2. *Segment wise income, expenditure, Capital employed which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions as considered appropriate by the management.*
3. *Previous year's/Twelve Month's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the current Twelve Month's classification/ presentation.*

11. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

List of Related Parties

a) Subsidiaries

- Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.
- Union Trustee Company Private Ltd.
- Union Bank of India (UK) Ltd.

b) Joint Venture

- Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd.

c) Associate

- Regional Rural Bank sponsored by the Parent Bank viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank

d) Key Management Personnel

Name	Designation	Joining/Cessation during the year 2017-18
Shri Arun Tiwari	Chairman and Managing Director	Cessation on 30th June 2017
Shrie Rajkiran Rai G.	Managing Director & CEO	Joining on 01st July 2017
Shri Vinod Kathuria	Executive Director	N.A.
Shri Raj Kamal Verma	Executive Director	N.A.
Shri Atul Kumar Goel	Executive Director	N.A.

12. Parties with whom transactions were entered into during the year

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State controlled Enterprises" as per paragraph 9 of Accounting Standard (AS) 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

12.1 Key Management Personnel – Remuneration paid.

(₹ in crore)

Particulars	31.03.2018	31.03.2017
Chairman and Managing Director	**0.28**	0.23
Executive Directors	**0.76**	0.50
Total	**1.04**	0.73

13. EARNING PER SHARE (AS-20)

Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year. The diluted earnings per equity share is computed using the weighted average number of equity shares and weighted average number of diluted potential equity shares outstanding during the year.

The computation of earnings per share is given below:

Sr No	Particulars		31.03.2018	31.03.2017
i	Basic and Diluted EPS	₹	**(68.98)**	8.33
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders	**₹ in crore**	**(5212.47)**	572.64
iii	Weighted Average number of equity shares	**No. in crore**	**75.56**	68.74
iv	Nominal value per share	₹	**10**	10

14. PROVISION FOR TAXES:

Deferred Tax (AS-22)

(₹ in crore)

Sr No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	Nil	179.37
2	Employee Benefits (Leave Encashment)	238.91	363.80
3	Depreciation on Fixed Assets	14.07	Nil
4	On account of other provisions	6637.39	2727.01
5	On account of unused losses & Tax credits	5.27	3.11
	Total	**6895.64**	**3273.29**

(₹ in crore)

Sr No	Particulars	31.03.2018	31.03.2017
	Deferred Tax Liabilities		
1	Depreciation on Fixed Assets	Nil	22.31
2	Accrued interest on securities	790.01	670.36
3	Special Reserves u/s 36(i)(viii)	994.98	953.71
4	Depreciation on Investment	912.51	Nil
	Total	**2697.50**	**1646.38**
	Net Deferred Tax Asset	4198.14	1626.91
	Net Deferred Tax Liability	**Nil**	**Nil**

15. Additional information disclosed in the separate financial statements of the parent and the subsidiaries have no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements (CFS) and also the information pertaining the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

16. The figures of the previous year have been regrouped / rearranged wherever considered necessary.

Signatories to Schedules 1 to 18

(DHIRENDRA JAIN)
Dy. General Manager

(B SREENIVASA RAO)
General Manager & CFO

For and on behalf of the Board of Directors

(ATUL KUMAR GOEL)
Executive Director

(RAJ KAMAL VERMA)
Executive Director

(VINOD KATHURIA)
Executive Director

(RAJKIRAN RAI G.)
Managing Director & CEO

(KEWAL HANDA)
Chairman

(Dr. MADNESH KUMAR MISHRA)
Director

(ANIL KUMAR MISRA)
Director

(RAJIV KUMAR SINGH)
Director

(Dr. K. RAMESHA)
Director

(DR. MADHURA SWAMINATHAN)
Director

(Dr. R. H. DHOLAKIA)
Director

(G. K. LATH)
Director

(Dr. UTTAM KUMAR SARKAR)
Director

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 313085E

KAMAL AGRAWALLA
PARTNER
M.NO. 059649

FOR S. BHANDARI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 000560C

P P PAREEK
PARTNER
M.NO. 071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101961W

MANISH P. SAMPAT
PARTNER
M.NO. 101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

PLACE : MUMBAI
DATE : 10th MAY, 2018.

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**		
	Net Profit before Tax	(65,98,40)	3,64,65
	Adjustments for:		
	Depreciation on Fixed Assets	3,68,23	2,40,82
	Depreciation on Investments	19,27,25	6,32,43
	Provision for Non Performing Assets (Net)	1,34,99,84	60,31,90
	Provision for Standard Asset	(12,34,07)	4,46,38
	Provision for Staff Related Expenditures	2,16,36	37,46
	Other provisions	5,49	(20,11)
	Profit / (Loss) on Sale or Disposal of Fixed Assets	8,47	(25,83)
	Share of Earning In Associates	(8,17)	(5,89)
	Increase/(Decrease) in Minority Interest	0	0
	Interest on Borrowings : Capital Instruments	11,66,38	8,83,24
	Sub Total	**93,51,38**	**85,85,05**
	Adjustments for:		
	Increase / (Decrease) in Deposits	3,30,93,74	3,55,69,75
	Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	(15,75,06)	6,08,26
	(Increase) / Decrease in Investments	(1,39,80,35)	(2,35,00,48)
	(Increase) / Decrease in Advances	(1,58,85,96)	(2,57,32,17)
	(Increase) / Decrease in Other Assets	(23,58,12)	(6,14,36)
	Direct taxes paid (Net of Refund)	(25,56,38)	(15,40,55)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	**60,89,25**	**(66,24,50)**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :**		
	Purchase of Fixed Assets	(3,31,23)	(3,20,29)
	Proceeds from Sale of Fixed Assets	16,31	34,22
	Share of Earning In Associates	8,17	5,89
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	**(3,06,75)**	**(2,80,18)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES :**		
	Equity Share Application Money Received	0	5,41,00
	Proceeds from Issue of Equity Share Capital	4,81,13	0
	Security Premium received (Net of Share Issue Expenses)	65,66,06	0
	Proceeds from issue of Capital Instruments	3,00,00	47,50,00
	Repayments of Capital Instruments	0	(7,50,00)
	Proceeds of Borrowings other than Capital Instruments (Net of redemption)	41,54,90	65,88,87
	Interest Paid on Borrowings : Capital Instruments	(7,10,15)	(7,74,74)
	Payment of Dividend (Including dividend tax)	0	(1,61,34)
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	**1,07,91,94**	**1,01,93,79**
	Net Increase (decrease) in Cash & Cash Equivalent (A)+(B)+(C)	**1,65,74,44**	**32,89,11**
	Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year	**3,29,05,92**	**2,96,16,81**
	Cash and Cash Equivalents as at the end of the year	**4,94,80,36**	**3,29,05,92**

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

(₹ in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	1,65,22,37	1,56,06,92
	Balances with Banks and Money at call	1,63,83,55	1,40,09,89
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**3,29,05,92**	**2,96,16,81**
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	2,10,17,35	1,65,22,37
	Balances with Banks and Money at call	2,84,63,01	1,63,83,55
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**4,94,80,36**	**3,29,05,92**

Previous Year's figures have been regrouped/recasted wherever considered necessary to correspond with the Current Year's classification/ presentation.

(ATUL KUMAR GOEL)	(RAJ KAMAL VERMA)	(VINOD KATHURIA)	(RAJKIRAN RAI G.)	(KEWAL HANDA)
Executive Director	Executive Director	Executive Director	Managing Director & CEO	Chairman

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of Union Bank of India, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Group for the year ended 31.03.2018. The statement has been prepared using Indirect Method in accordance with the AS-3, "Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India and with the requirements of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements), 2015 and is based on and in agreement with the corresponding Consolidated Profit & Loss Account and the Consolidated Balance Sheet of the Group covered by our report of 10th May, 2018 to the Members.

FOR P A & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 313085E

(KAMAL AGRAWALLA)
PARTNER
M.NO.059649

FOR S BHANDARI & CO
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No. 000560C

(P P PAREEK)
PARTNER
M.NO.071213

FOR C N K & ASSOCIATES LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
Firm Regn. No.101961W

(MANISH SAMPAT)
PARTNER
M.No.101684

FOR KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 105215W

SANDEEP D WELLING
PARTNER
M.NO. 044576

FOR R S PATEL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 107758W

RAJAN B SHAH
PARTNER
M.NO. 101998

FOR M G B & CO. LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN: 101169W

SANJAY KOTHARI
PARTNER
M.NO. 048215

Place: MUMBAI.

Date: 10th MAY, 2018

पूंजी नियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन - पिलर III

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बासल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किये गये हैं, जो बैंक की वेबसाईट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं

https://www.unionbankofindia.co.in/pdf/Hindi/Basel_Disclosures_IIIHindi.aspx

कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2017-18

अनुभाग ए: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. मुंबई स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन् 1921 में किया गया था. पिछले 98 वर्षों में बैंक ने लगातार तेजी से वृद्धि और विकास किया है जो इस बात का प्रतीक है कि बैंक द्वारा बिना अवसर गंवाये विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जाता है. उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देते समय बैंक का ध्यान कारोबारी गुणात्मक विकास पर केंद्रित रहता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आस्ति की गुणवत्ता कमजोर न हो. इससे मुख्य कारोबारी पैरामीटरों पर बैंक का कार्यनिष्पादन वर्ष-दर-वर्ष बेहतर होता रहा है. इस समय बैंक की कुल 4296 देशी शाखाएँ तथा 7642 एटीएम हैं.

डीआईएफसी दुबई, हांग-कांग, सिडनी व एंटवर्प में बैंक की चार अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण विकसित शाखाएं हैं. इनके अलावा 3 प्रतिनिधि कार्यालय शंघाई, बीजिंग तथा अबूधाबी में तथा बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि. लंदन में है. बैंक में कुल स्टाफ सदस्यों की संख्या 36877 है जो बैंक के मूल्यों से भलीभाँति परिचित हैं और बैंक के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये कार्यरत हैं.



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आईबीए द्वारा आयोजित समारोह में दो बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. बैंक को उत्कृष्ट वित्तीय समावेशन पहल (विजेता) तथा उत्कृष्ट भुगतान पहल (उप-विजेता) पुरस्कार प्राप्त हुए. बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राजकिरण रै जी. ने मुंबई में दिनांक 23.02.2018 को आईबीए द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त किया.

बैंक प्राथमिक रूप से अपने ग्राहकों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है और बैंक के अधिकांश उत्पाद एवं सेवाएं मुख्यत: तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं:

1. जमाराशियां
2. ऋण एवं अग्रिम
3. विप्रेषण एवं संग्रहण

बैंक की गतिविधियां सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "ग्रूप के: राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के वित्तीय एवं बीमा गतिविधियों (सभी आर्थिक गतिविधियां) - 2008" के गतिविधि कोड-6419 के अंतर्गत आती हैं. तकनीकी को अपनाने में बैंक अग्रणी रहा है तथा इसकी शत-प्रतिशत शाखाएं कम्प्यूटराईज्ड हैं. बैंक ने सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन लागू किया है तथा नेटवर्किंग के माध्यम से शाखाओं को आपस में जोड़ रखा है. बैंक का शत-प्रतिशत कारोबार कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंतर्गत है.

बैंक के बारे में अन्य उपयोगी जानकारी निम्नानुसार है:

कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):	लागू नहीं
पंजीकृत पता:	यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.
वेबसाईट:	http://www.unionbankofindia.co.in
ई-मेल आईडी:	busresponsehead@unionbankofindia.com
वित्तीय वर्ष:	2017-18

अनुभाग बी: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

रिपोर्टिंग वर्ष के बैंक के वित्तीय ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

पेड अप कैपिटल	1169.00
कुल जमाराशियां	408502.00
सकल अग्रिम	313860.00
कर पश्चात कुल लाभ	(-) 5247.00
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च	5.55
कर पश्चात प्राप्त लाभ में से सीएसआर पर खर्च का प्रतिशत (%)	-

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है तथा अपने कारोबारी मॉडल में सामाजिक एवं सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करता है. बैंक द्वारा यूनियन बैंक सामाजिक फाउंडेशन नामक ट्रस्ट की स्थापना की गई है जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों को संचालित करता है. इस ट्रस्ट के माध्यम से, बैंक विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों से लोगों को सक्षम बना रहा है.

2017-18 में बैंक ने सीएसआर पर ₹5.55 करोड़ खर्च किया. रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान बैंक द्वारा सीएसआर के अंतर्गत किये गये कुछ चुनिंदा प्रयासों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

2017-18 में सीएसआर के अंतर्गत की गयी कुछ नयी पहल की सूची:

- बांद्रा रेलवे स्टेशन के नवीकरण हेतु दान
- रायगढ़ एवं ठाणे जिले के सरकारी स्कूलों में एजूकेशन सॉफ्टवेयर प्रदान करने हेतु दान
- जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, रीवा क्षेत्र में वॉटर टैंक के निर्माण हेतु दान
- कैंसर पीड़ित लोगों के इलाज के लिए इंडियन कैंसर सोसाइटी, मुंबई को दान

- सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, रीवा को एम्बुलेन्स की खरीद हेतु दान
- महर्षि दयानन्द कला एवं विज्ञान कॉलेज, परेल, मुंबई में शौचालय ब्लॉक के निर्माण हेतु दान
- हजारीबाग, रांची और छत्तीसगढ़ के दूरस्थ ग्रामीणों के लिए रनिंग मोबाइल मेडिकल सेवाओं हेतु दान
- नेत्रहीनों के लिए पुस्तकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, मुंबई को दान
- उत्तर प्रदेश और बिहार में एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों के समग्र विकास हेतु भारत लोकशिक्षा परिषद को दान.
- नेत्र उपचार के लिए फेकोमल्सीफ़ीयर सिस्टम की खरीद हेतु महावीर इंटरनेशनल वेलफेयर एसोसिएशन, फ़रीदाबाद को दान.
- मरीजों के आने-जाने के लिए एम्बुलेन्स की खरीद हेतु चैतन्य साइट फ़ाउंडेशन, तिरुवनंतपुरम, केरल को दान.
- पिपलांतरी गांव, उदयपुर में गोद ली गई 300 बालिकाओं को पुस्तकें, यूनीफार्म, साइकिल आदि प्रदान किया गया.

अनुभाग सी: अन्य ब्यौरे

बैंक की तीन सहायक कंपनियां हैं (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि., यूनियन केबीसी एसेट मेनेजमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड तथा यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्राईवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उपक्रम (स्टार यूनियन दाई-ईची लाईफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड) तथा एक सहयोगी (काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक) है. बैंक की सहायक कंपनियों के साथ ही साथ इसके भागीदार जिम्मेदारीपूर्वक कारोबार करते हैं. बैंक अपनी सहायक कंपनियां तथा कारोबारी भागीदारों को कारोबारी उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु यथावश्यक ज्ञान तथा सहयोग प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है.

अनुभाग डी: बीआर संबंधी सूचना

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी गवर्नेंस

कारोबार दायित्व से संबंधित नीति/नीतियों की अनुपालना हेतु जिम्मेदार निदेशक:

डीआईएन नंबर	03567831
नाम	श्री राज कमल वर्मा
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

कारोबारी उत्तरदायित्व प्रमुख के ब्यौरे:

डीआईएन नंबर (यदि लागू हो)	लागू नहीं
नाम	श्रीमती रेखा पी नायक
पदनाम	महाप्रबंधक, वैयक्तिक बैंकिंग एवं परिचालन विभाग, केंद्रीय कार्यालय.
दूरभाष	022-22896600
ई-मेल आईडी	gm.pbod@unionbankofindia.com

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट के बारे में

बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करने का यूनियन बैंक का यह छठा वर्ष है. चूंकि यह एक विनियामक आवश्यकता है, अत: इसे वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही प्रकाशित किया जाता है. वर्तमान समय में बैंक के बीआर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन, बैंक की स्थायी विकास तथा सीएसआर समिति द्वारा किया जाता है. बैंक की बीआर रिपोर्ट हमारी वेबसाईट में निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:

Main Page > Others>Policies & Disclosures

सिद्धान्त-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर पॉलिसी/पॉलिसियाँ (जवाब-हाँ/नहीं में)

क्र. सं.	प्रश्न	राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश के सिद्धांत (एनवीजी) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1	क्या सिद्धांत/तों हेतु आपकी कोई पॉलिसी/ पॉलिसियां है?	जी हां
2	क्या पॉलिसी संबंधित स्टेकहोल्डरों के परामर्श से तैयार की जाती है?	जी हाँ
3	क्या आपकी पॉलिसी किन्हीं राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं? यदि हाँ तो उल्लेख करें? (50 शब्द)	जी हाँ, बैंक की स्थायी विकास एवं सीएसआर नीति, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारोबारी सामाजिक, पर्यावरणीय तथा आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी किये गये राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों पर आधारित है.
4	क्या नीति का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है? यदि हाँ तो क्या यह प्रबंध निदेशक/स्वामी/ सीईओ/ सक्षम निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है	जी हाँ, स्थायी विकास एवं सीएसआर नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है.
5	नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए क्या निदेशक मंडल की कोई समिति/निदेशक या कोई अधिकारी है?	जी हाँ
6	इस नीति को ऑनलाईन देखने के लिए लिंक बतायें?	Main Page > Others > Policies & Disclosures
7	क्या नीति को औपचारिक रूप से आंतरिक तथा बाह्य स्टेकहोल्डरों में परिचालित किया गया है?	जी हाँ, पॉलिसी वेब साईट पर अपलोड की गई है. तथापि, पॉलिसी के संबंध में जागरुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.

क्र. सं.	प्रश्न	राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश के सिद्धांत (एनवीजी)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	क्या पॉलिसी/पॉलिसियां लागू करने के लिये इन-हाउस व्यवस्था है?	जी हाँ									
9	क्या बैंक में स्टेकहोल्डरों की पॉलिसी/पॉलिसियां संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु कोई प्रणाली है?	जी हां									
10	क्या पॉलिसी के क्रियान्वयन के संबंध में बैंक द्वारा, स्वतंत्र रूप से आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा लेखापरीक्षा/ मूल्यांकन करवाया गया है?	वर्तमान समय में बैंक के बीआर संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन एसडी तथा सीएसआर समिति द्वारा तिमाही अंतराल में किया जाता है. तथापि, आगे से आवधिक अंतरालों में बाह्य एजेंसी से भी मूल्यांकन करवाया जाएगा.									

अनुभाग ई: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर अपने कारोबार का परिचालन एवं विकास करने हेतु प्रतिबद्ध है. बैंक का मानना है कि जो कारोबार, नागरिकों के प्रत्यक्ष मुद्दों एवं पर्यावरण आवश्यकताओं दोनो से सरोकार रखेगा, दीर्घावधि में वही कारोबार समृद्धि करेगा.

बैंक विजन की मूल धारणा है कि इसके अपने कारोबार में वृद्धि हो, जबकि पर्यावरण प्रभावित न हो व सकारात्मक सामाजिक प्रभाव में वृद्धि हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विभिन्न सीआरएस कार्यक्रमों के माध्यम से इसे पूरा करने हेतु वचनबद्ध है. बैंक का लक्ष्य लोगों के स्वास्थ्य एवं उनकी समृद्धि में वृद्धि, पर्यावरणीय प्रतिकूलता को कम कर, कारोबार में वृद्धि के साथ ही उनकी आजीविका में वृद्धि में सहायता प्रदान करना है.

रिपोर्ट में राष्ट्रीय ऐच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के नौ सिद्धांतों में से, प्रत्येक के अधीन संचालित की जा रही गतिविधियों का सिंहावलोकन दिया गया है.

सिद्धांत 1- सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपने कुशल गवर्नेंस पर गर्व है जो कि इसके संस्थापकों की दूर दृष्टि व वास्तव में बाद के नेतृत्वकर्ताओं ने इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए, इन वर्षो में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग उद्योग मे अग्रणी बनाया है. बैंक की कार्रवाई मूल्यों व सिद्धांतो के आधार पर नियंत्रित होती है, जिसे बैंक के भीतर सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा सुदृढ़ बनाया जाता है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपने कार्यों को नीति सम्मत तथा लागू संहिता के अनुपालन के अनुरूप करते हुए सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ओर अग्रसर होने के लिए प्रतिबद्ध है.

बैंक द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति सिद्धान्त आधारित रवैया अपनाते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक द्वारा ऐसा मजबूत एवं प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रदान किया जाय जिसे निवेशकों का सम्मान प्राप्त हो. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक भाग के रूप में बैंक में बोर्ड के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता है. यह संहिता उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है जिनसे मार्गदर्शित होकर बैंक अपने बहुसंयोजक स्टेकहोल्डरों, सरकार, मीडिया, विनियामक एजेंसियों तथा उस हर घटक के साथ, जिससे बैंक जुड़ा हुआ है, के साथ अपना दैनंदिन कारोबार करता है. यह संहिता इस बात को दर्शाती है कि बैंक आम जनता के धन का मात्र ट्रस्टी एवं अभिरक्षक है तथा अपने ऊपर किये जाने वाले जनता के विश्वास एवं सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करता है और बैंक को व्यापक तौर पर जनता का यह विश्वास तथा भरोसा बनाये रखना होगा.

यह संहिता निम्नलिखित अपेक्षायें और आशायें करती है -

- वैयक्तिक एवं व्यवसायिक संबंधों के बीच में होने वाले वास्तविक एवं प्रत्यक्ष परस्पर विरोधों को पारदर्शी नैतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हल करने के दौरान ईमानदारी व नैतिकता के उच्चतम सिद्धांतों का अनुपालन.
- सरकार तथा विनियामक एजेंसियों के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में पूर्ण, निष्पक्ष, सही, तर्कसंगत, समयबद्ध तथा अर्थपूर्ण घोषणा.
- लागू कानूनों, नियमों और विनियमनों का अनुपालन.
- बैंक की आस्तियों और संसाधनों के दुरुपयोग एवं त्रुटिपूर्ण उपयोग को रोकना.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा "सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम" का आयोजन :



मुंबई - 2 नवम्बर, 2017: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वाई. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, नरीमन पॉइंट, मुंबई में "मेरा लक्ष्य - भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन 30 अक्तूबर से 04 नवम्बर 2017 के दौरान मनाए जा रहे "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" के उपलक्ष्य में किया गया. डॉ. टी. एम. भसीन, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली, ने प्रतिभागियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज के महत्व, सरकार एवं सीवीसी द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम तथा इस अभियान में प्रत्येक नागरिक की भूमिका पर संबोधित किया. बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों जैसे एमडी एवं सीईओ/ईडी एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों ने इस समारोह में भाग लिया.

- बैंक के भीतर तथा बाहर उच्चस्तरीय गोपनीयता एवं सदव्यवहार बनाए रखना.

कारोबारी सिद्धांतों की संहिता बैंक के मूल्यों का अभिवर्धित अंश है जो कारोबारी परिचालनों के दौरान बैंक की कारोबार संबंधी नैतिक प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है. यह संहिता उन मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक पर लागू विधिक अपेक्षाओं से संबंधित होते हैं तथा साथ ही कुछ ऐसे मामलों से संबंधित मानकों का भी निर्धारण करती है जो बैंक के कार्यक्षेत्र से बाहर होते हैं.

बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है. बैंक के सभी अधिकरियों/कर्मचारियों पर निम्नलिखित नीतियां लागू हैं:

- दि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (व्यवहार) विनियमन 1976
- दि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन 1976
- विभिन्न बैंक प्रबंधनों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनों/अधिकारी संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता/संयुक्त नोट
- स्थायी विकास एवं कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति

विगत वर्षों के दौरान बैंक को इसकी अच्छी कॉर्पोरेट नीतियों के लिए बहुत सारे प्रतिष्ठा-पत्र एवं सम्मान मिले हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी को
'बैंकर ऑफ द इयर' का पुरस्कार

मुंबई - 20 जून, 2017: श्री अरुण तिवारी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड - 'बैंकर ऑफ द इयर - सतत कार्यनिष्पादन' से सम्मानित किया गया. यह सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान बीएसई कन्वेन्शन हॉल, मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया.



(उपर्युक्त फोटो में बीएसई कन्वेन्शन हॉल, मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरुण तिवारी, प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 'बैंकर ऑफ द इयर - सतत कार्यनिष्पादन' पुरस्कार प्राप्त करते हुए.)

यूनियन बैंक को वित्त वर्ष 2016-17 में श्रेष्ठ उभरते बैंक के रूप में आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सिलेन्स अवार्ड का विजेता घोषित किया गया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2016-17 के लिए श्रेष्ठ उभरते बैंक के रूप में सम्मानित किया गया. आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सिलेन्स अवार्ड तकनीकी अभिग्रहण, उन्नयन, समावेशन एवं नवोन्मेष के क्षेत्र में बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए प्रदान किया जाता है. आईडीबीआरटी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सिलेन्स अवार्ड ऐसे बैंकों की पहचान करने का मानदंड हैं, जिन्होंने लागत, ग्राहक तक पहुँच, ग्राहक सेवा एवं कार्य-दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी नवोन्मेष पर बल दिया है. 'श्रेष्ठ उभरता बैंक' पुरस्कार से उस बैंक को सम्मानित किया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों में सराहनीय कार्यनिष्पादन किया गया है.



दिनांक 01.09.2017 को हैदराबाद में आईडीआरबीटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशकों श्री एस. गणेश कुमार एवं श्री सुदर्शन सेन द्वारा हमारे बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री राज कमल वर्मा एवं महाप्रबंधक-डीआईटी श्री आर. कंदासामी ने पुरस्कार प्राप्त किया.

सिद्धांत 2- टिकाऊ उत्पाद एवं सेवाएं

बैंक इस बात से अवगत है कि अर्थव्यवस्था में अपनी दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाओं, अर्थात व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारी निकायों को वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करना तथा जनसंख्या के विशाल भाग को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाकर परिवर्तन के सशक्त माध्यम है. बैंक का यह प्रयास है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे उत्पाद और सेवाओं को विकसित और प्रदान करे जिससे कि पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक लाभ के साथ समाज का भी विकास हो.

बैंक की कारोबारी नीतियां चयनित क्षेत्रों में, बैंक के कारोबार को संगठित करने, कोर एवं खुदरा कारोबार पर केंद्रित करने, सार्थक वित्तीय समावेशन हेतु प्रयास करने, प्रणालियों और नियंत्रण को मजबूत बनाने की ओर केंद्रित हैं. बैंक की रणनीति नयी तकनीक के साथ अपने ग्राहकों तक पहुंच के नये तरीके इज़ाद करना तथा ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है. देश के विकास के भागीदार के रूप में, बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऋण प्रदान करता है, चाहे वे बड़े उद्योग हों या एमएसएमई क्षेत्र, निर्यात, व्यापार,कृषि, मूलभूत ढांचे या वैयक्तिक संवर्ग हों. बैंक वित्तीय वंचन से प्रभावित संवर्गों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाने के लिए सार्थक प्रयास करने में अग्रणी रहा है. बैंक द्वारा किये इन प्रयासों को बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाईट पर देखा जा सकता है.

बैंक के विभिन्न डिजिटल उत्पादों, सेवाओं और समाधानों से बैंक की अपनी अलग पहचान है, इनमें निधियों के अंतरण, पूछताछ, ग्राहकोन्मुख प्रयोग, उच्च स्तर की सुरक्षा और अन्य कई विशेषताएं होने के कारण ये सेवाएँ ग्राहकों को अपने संव्यवहार डिजिटल रूप में करने के लिए प्रेरित करते हैं. बैंक द्वारा कुछ

ऐसे नवोन्मेषी उत्पाद भी लाये गये हैं जो विकलांगों के लिए तो लाभदायक होने के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण तथा समाज की भलाई से भी जुड़े हैं. ग्राहकों को उपलब्ध किए जाने वाले कुछ उत्पाद जो पर्यावरण/समाज के लिए लाभदायक हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

1. **भीम आधार:** भीम आधार यह मर्चंट पेमेंट एप्लीकेशन है जो ग्राहकों को आधार क्रमांक एवं बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) प्रमाणीकरण का उपयोग करते हुए खरीद लेनदेन की अनुमति प्रदान करता है. यह अंतर संचालित लेनदेन का स्वरूप है जो किसी भी बैंक ग्राहक को इस आधार आधारित मर्चंट एप्लीकेशन में लेनदेन करने की अनुमति प्रदान करता है बशर्ते कि यह आधार अंकित बैंक खाता है.

2. **भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस):** ग्राहकों को "किसी भी समय कहीं भी" बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाला सिंगल ब्रांड इमेज पर कार्य करता है. यह एक सिंगल बिल पेमेंट सिस्टम है जो रोज़मर्रा की उपयोगी सेवाएँ जैसे बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन और डायरेक्ट-टू-होम(डीटीएच) टेलीविजन सेवा के लिए बार-बार किए जाने वाले भुगतान की सेवाएँ प्रदान करता है. यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के बिल प्रेजेन्टमेंट मॉड्यूल के तहत है.

3. **यूनियन सहयोग:** बैंक ने संस्था के संबंध में विभिन्न जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यपद्धति को सरलीकृत करने और सभी मोबाइल एवं वेब आधारित पेमेंट चैनल को सिंगल इंटरफेस प्रदान करने की दृष्टि से यूनियन सहयोग एप्लीकेशन की शुरुआत की है. यह एक बहुविध फ़ंकशन वाला कस्टमर फ्रेंडली ऐप है जो बैंक द्वारा प्रदत्त विभिन्न उत्पादों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है.

4. **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण एटीएम:** यूनियन बैंक पहला पीएसयू बैंक है जिसने एटीएम लेनदेनों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत की है. वर्तमान में 900+ एटीएम को हमने हमारे देशभर के कार्डधारकों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हेतु इसे पहले ही समनुरूप बना दिया हैं. कार्डधारकों के फिंगरप्रिंट द्वारा प्रमाणीकरण के अतिरिक्त विकल्प के साथ एटीएम सशक्त हो गए है एवं कार्डधारकों के आधार नंबर को उनके खाते में अंकित किया गया है.

5. **रुपे प्रीपेड कार्ड:** रुपे प्रीपेड कार्ड यह हमारे तकनीकी आधारित उत्पादों एवं सेवाओं में एक और सुविधा है जो हमारे बैंक को सही अर्थ में टेक्नो सेवी बैंक के रूप में दर्शाता है. यह कार्ड ग्राहकों को केवल फिनेकल के जरिए ही जारी किया जाता है. शाखा स्तर पर कार्ड को लोड एवं अनलोड किया जाएगा फलस्वरूप सुसाध्य ढंग से उत्कृष्ट नियंत्रण एवं समाधान सुनिश्चित हो पाएगा.

6. **डेबिट कार्ड कंट्रोल:** डेबिट कार्ड कंट्रोल कार्यात्मकता (सुविधा) हमारे यू मोबाइल में शुरू की गई है, जिसके माध्यम से ग्राहक अपना डेबिट कार्ड सक्रिय/निष्क्रिय कर सकता है और अपनी व्यय सीमा निर्धारित कर सकता है. यह सुविधा ग्राहकों को उनके कार्ड ट्रांजेक्सन पर वास्तविक समय नियंत्रण की सुविधा देकर न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि उन्हें सुरक्षा स्तर की एक नई श्रृंखला प्रदान करता है.

7. **चैट बॉट**: चैट बॉट, कृत्रिम बुद्धि (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेन्स-एआई) का उपयोग कर मानव उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने के लिए तैयार किया गया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है. मुद्दे या सवाल का जवाब देने के लिए चैट बॉट संवाद करता है, सार्थक प्रस्तावों को देकर रोज़मर्रा की बैंकिंग को सरल, त्वरित और सुविधाजनक बनाता है. इस तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक यूवीए (यूनियन वर्चुअल असिस्टेंट) के नाम से एफ़एक्यू चैट बॉट सोल्यूशन लाया है. वर्तमान में यूवीए बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट और ऑफिशियल फेसबुक पेज में एकीकृत है. इसे वेबसाइट पर और यूनियन बैंक ऑफिशियल के फेसबुक मैसेन्जर पर यूवीए आइकॉन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.

8. **संपर्कहीन डेबिट कार्ड:** बैंक ने औसत तिमाही शेषराशि पर ध्यान दिए बिना सभी ग्राहकों के लिए वीजा पेवेव डेबिट कार्ड जारी किया है. वीजा पेवेव डेबिट कार्ड निकट क्षेत्र संचार (नियर फील्ड कम्यूनिकेशन-एनएफ़सी) की तकनीक पर आधारित हैं, जो ग्राहकों को स्पीड की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जैसा कि ये कार्ड ₹2000/- तक का ट्रांजेक्शन पूर्ण करने के लिए मौजूदा मैग्नेटिक स्ट्रिप/ईवीएम कार्डों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम समय लेते हैं. वीजा पेवेव डेबिट कार्ड में चिप और एन्टेना दोनों अन्त:स्थापित है, जो कि कार्ड को संपर्कहीन और सामान्य पीओएस टर्मिनल दोनों पर कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है.

9. **डेबिट काड्र्स के लिए ग्रीन पिन समाधान:** हरित पहल (पेपर रहित और डिजिटल) तथा मूल्यवर्धित सेवाओं की शुरुआत; इसमें यूनियन बैंक के किसी भी एटीएम से हमारे डेबिट कार्ड धारक आसानी से पिन को जेनरेट कर सकते हैं. इस समाधान के माध्यम से कार्ड धारक नया पिन जेनरेट कर सकते हैं और अपने विद्यमान पिन को बदल भी सकते हैं.

10. **यूनियन कनेक्ट:** प्रोजेक्ट यूनियन कनेक्ट परियोजना के तहत सामूहिक मीडिया प्लेटफॉर्म में विद्यमान समाज के बीच कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने, ब्रेंड इमेज को बढ़ाने, ग्राहकों को शिक्षित करने तथा ग्राहकों के बीच अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रचार करने हेतु दिनांक 11-11-2016 को हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर फेसबुक और ट्विटर पर बैंक के अधिकृत पेज की शुरुआत की गई है. इसके माध्यम से, ग्राहकों को लगातार कारोबारी चर्चाओं, ग्राहक सेवा, शैक्षणिक पोस्ट्स, ऑनलाइन कार्यक्रमों के आयोजन उपयोगकर्ताओं के मामलों के समाधान आदि के द्वारा उपयोगकर्ताओं को शिक्षित किया जा रहा है. हम अपने विद्यमान या नए उत्पादों के बारे में ग्राहकों की भावनाओं से भी सीख ले रहे हैं और प्राप्त सुझाव/फीडबैक संबन्धित टीम को भेज रहे हैं. वित्त वर्ष 2016-18 में यूट्यूब और इन्स्टाग्राम के बाजार में भी हमारी उपस्थिति है.

11. **यूपीआई:** यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से ग्राहक 24X7 आधार पर, बैंक खाते की जानकारियों को साझा किए बिना, एक मात्र पहचान अर्थात आधार नंबर, खाता नंबर आईएफ़एससी कोड के साथ या वर्चुअल पेमेंट एड्रैस रकम प्रेषण/प्राप्त कर सकते हैं.

12. **यू कंट्रोल:** मोबाइल आधारित यह एप्लिकेशन क्रेडिट कार्ड धारकों की सुविधा के लिए बनाई गई है, जिसमें ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड संव्यवहारों

को किसी विशेष चैनल के लिए सक्रिय/निष्क्रिय कर सकते हैं. इसके अलावा, ग्राहक अपने कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और स्वीकृत सीमा के अंदर अपने व्यय की सीमा निर्धारित कर सकते हैं.

13. **भारत क्यूआर:** भारत क्यूआर के माध्यम से किसी स्मार्ट फोन से आसानी से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए, 2डी बारकोड के समान एक शीघ्र रिस्पोंस की उपलब्धता के लिए प्रयोग किया जा सकता है. प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा यह कोड व्यापारी को आबंटित किया जाता है. इसमें उस व्यापारी के विवरण होते हैं, जिन्हें यह आबंतित किया गया हो. ग्राहक के स्मार्ट फोन पर उपलब्ध स्केन एंड पे एप्लिकेशन के द्वारा व्यापारी भुगतान स्वीकार कर सकता है.

14. **बोलते एटीएम:** बैंक देश में बोलते एटीएम लगाने में अग्रणी रहा है. ये एटीएम दृष्टि बाधित व्यक्तियों को आवाज़ के द्वारा निर्देशित कर संव्यवहार करने में सक्षम बनाता है इसीलिए इसे बोलता एटीएम कहा जाता है. इस एटीएम का डिज़ाईन इस प्रकार का होता है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति भी व्हील चेयर पर अंदर जाकर अपने संव्यवहार कर सकता है. दिवयांगों की सुविधा के लिए बैंक के पूरे देश में 1584 ऐसे एटीएम लगाए हैं.

15. **आईआरसीटीसी यूनियन बैंक वर्चुअल प्रीपेड कार्ड:** कार्ड को ऑनलाइन जेनरेट किया जाता है तथा कार्ड के सभी ब्यौरे यथा कार्ड नं., पीआईएन, सीवीवी तथा समाप्ति तिथि ग्राहक को मेल के द्वारा भेजी जाती है. कार्ड के ब्यौरे का उपयोग ग्राहक द्वारा रेलवे टिकट बुक करने तथा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए किया जा सकता है. चूंकि यह वर्चुअल कार्ड है, इसमें प्लास्टिक प्रिंटिंग तथा कागज की पीआईएन जेनरेट करने की भी आवश्यकता नहीं है.

16. **एनपीए रिकवरी एप्लिकेशन:** यूनियन रिकवरी ऐप क्षेत्र के दौरे (फील्ड विजिट) की टिप्पणियाँ, एक सरल, प्रभावी एवं कुशल तरीके से दर्ज करने के लिए स्टाफ सदस्यों एवं वसूली एजेन्टों की मदद करता है. यह मोबाइल एप्लिकेशन बैंक के क्षेत्र कर्मियों को संबन्धित शाखाओं के लोन पोर्टफोलियो को अद्यतन करने, ट्रैक करने एवं अनुश्रवण करने की सुविधा प्रदान करता है. यह बैंक कर्मियों को सभी संबद्ध ऋणों को पूर्ण भौगोलिक विवरणों को देखने, ऋणों को निर्दिष्ट/विनिर्दिष्ट करने, फॉलो अप कॉल्स और क्षेत्र के दौरे के विवरणों को अद्यतन करने की सुविधा प्रदान करता है. यह उपयोग सुलभ एप्लिकेशन है, जो बैंक कर्मियों/वसूली एजेंटो को बेहतर मार्ग नियोजन के साथ अधिकतम खाते कवर करने हेतु, उधारकर्ताओं तक पहुँचने की योजना बनाने में सहयोगी है, इस प्रकार बेहतर समय प्रबंधन में मदद करता है.

17. **परिचालनात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन (ओसीआरएम):** यूनियन ग्राहक कनेक्ट (ओसीआरएम) एप्लिकेशन बैंक को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को बहुत प्रभावी और कुशल तरीके से पूरा करने की अनुमति देता है. यह वर्तमान एप्लिकेशन को समग्र रुप से ग्राहक को सौंपने तथा बैंक के साथ ग्राहक बातचीत के समग्र अनुभव में वृद्धिकरता है. यह ग्राहक शिकायत के निपटान तथा सेवा अनुरोध संबोधन में भी मदद करता है. इस एप्लिकेशन के लिए बैंक ने मेसर्स इन्फोसिस लि. से "बेस्ट कस्टमर सर्विस इनोवेशन" अवार्ड जीता है.

18. **आधार आधारित इ-केवाईसी:** बैंक द्वारा उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव के लिए आधार आधारित इ-केवाईसी सोल्यूशन कार्यान्वित किया है. यह सोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स, कागज-रहित, केवाईसी सत्यापन प्रस्तुत करता है जो भौतिक दस्तावेज सत्यापन की जरुरत को समाप्त करता है इसके साथ ही ग्राहक पते का प्रमाण (पीओए) एवं पहचान प्रमाण (पीओआई) की विश्वसनीयता और सुरक्षा को बढ़ाता है.

19. **वर्च्युअलाईजेशन एवं क्लाउड कम्प्यूटिंग:** बैंक ने हार्डवेयर, नेटवर्क तथा स्टोरेज परफ़ोर्मेंस बढ़ाने के साथ हाइपर-कनवरगेडन-प्रेमाइस प्राइवेट क्लाउड स्थापित किया है, जिसे बेहतर स्केलेबिलिटी के लिए गतिशील रुप से एप्लिकेशन के बीच आबंटित किया जा सकता है. वर्च्युअलाईजेशन पर्याप्त संसाधन एवं सुरक्षा प्रबंधन में मदद करता हैं. यह कार्बन फुटप्रिन्ट्स को घटाने में भी सहायता करता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि बैंक पर्यावरण को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

20. **डेबिट कार्ड के लिए टोगल:** बैंक ने डेबिट कार्ड टर्न ऑन/ऑफ करने के लिए विद्यमान मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में नयी प्रणाली शुरु की है जो डेबिट कार्ड के किसी भी दुरुपयोग को रोकने की विशेष अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है. इस प्रणाली के उपयोग से उपयोगकर्ता डेबिट कार्ड की आहरण सीमा भी निर्धारित कर सकता है.

21. **साइबर सिक्युरिटी परिचालन सेन्टर (सीएसओसी):** दिन-प्रतिदिन वित्तीय संस्थाओं पर साइबर हमलों की संख्या बढ़ रही है. इसके मद्देनजर, बैंक ने प्रिमाइस साइबर सिक्युरिटी ऑपरेशन सेन्टर की स्थापना की है जहां किसी भी प्रकार के साइबर हमलों को रोकने तथा बैंक के डाटा सेन्टर में स्थित ग्राहक की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सभी एप्लिकेशन को एकिकृत किया गया है. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न एप्लिकेशन्स को कार्यान्वित किया है जैसे वेब एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ), नेटवर्क बिहेवियर एनोमली डिटेक्शन (एनबीएडी), प्रिविलेज आईडेंटिटी मैनेजमेन्ट (पीआईएम), एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), डीकॉय, वलनरेबिलिटी मैनेजमेन्ट, मोबाइल थ्रेट प्रोटेक्शन (एमटीपी), एन्टी-फिशिंग सर्विसेस आदि.

22. **कृषि-ऋणों के लिए लेन्ड परफेक्ट मोबाइल एप्लिकेशन:** कृषि आधारित ऋणों के लिए ब्यौरे प्राप्त करने हेतु लेन्ड परफेक्ट टैब आधारित एप्लिकेशन डिज़ाइन किया है. बैंक कर्मचारी द्वारा तुरंत दस्तावेजीकरण प्रक्रिया, आवेदन प्रपत्र भरने, ऋणों हेतु नियम विनियमन, अपेक्षित दस्तावेज आदि के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, जो टैब एप्लिकेशन के भीतर बनाई गई एकल प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं. इससे बैंक को पता लगाने और पहचानने में मदद मिलती है कि क्या संभावित ग्राहक पहले से ही ऋण के लिए उनसे संपर्क कर चुका है या नहीं. उस ग्राहक से संबंधित सभी जानकारियां इलेक्ट्रानिक प्रारुप में वन सिंगल यूनिट में उनकी वित्तीय सक्षमता के लिए बाहरी एजेन्सियों के क्रॉस-रेफरेन्स के साथ उपलब्ध रहेगी.

23. **हरियाणा अर्बन डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (हुडा) के साथ एकीकरण:** शाखा में चालान प्रस्तुतीकरण के बाद हुडा सर्वर से ई-रिसीट पुष्टिकरण जेनरेट करने के क्रम में बैंक के सीबीएस प्रणाली के साथ हरियाणा अर्बन डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी (हुडा) द्वारा जारी विभिन्न चालानों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है. यह बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के ई-रिसीट जनरेशन हेतु हुडा सर्वर को सीधे पुष्टिकरण भेजता है.

24. **पंच-परमेश्वर पोर्टल (पंचायत राज निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार):** बैंक ने पंच-परमेश्वर पोर्टल (पंचायत राज निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार) के साथ उनके लाभार्थियों को केन्द्रीकृत भुगतान हेतु सफलतापूर्वक एकीकृत किया है. अधिकृत मौद्रिक सलाहों पर कार्य करना स्वचालित प्रवाह है, जो अंतहीन है. यह किसी भी मैन्युअल हस्तक्षेप को समाप्त कर देता है. लाभार्थियों के खाते में सीधे कागज-रहित भुगतान करता है. यह केन्द्रित प्राप्तियों एवं भुगतानों तथा निधियों के उचित उपयोग के समाधान भी सुनिश्चित करता है. यह अनचाहे डाटा, स्टेट्स रिपोर्ट्स के असमय प्रस्तुतीकरण तथा जवाबदेही की संभावनाओं को समाप्त कर देता है. यह डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सुरक्षित भुगतान है.

25. **प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण:** ग्राहकोन्मुख बैंकिंग की दिशा में कारोबार में आसानी से वृध्दि करने हेतु अधिक से अधिक उत्पादों को डिजिटल बनाना है.

    ए. ई-पीपीओ: रेलवे, टेलिकॉम, रक्षा आदि के साथ ई-पीपीओ का एकीकरण.

    बी. ई-एनपीएस: खाता खोलने तथा ऑनलाइन मोड के जरिए योगदान.

    सी. ई-सुकन्या समृध्दि योजना: खाता खोलना तथा ऑनलाइन मोड के जरिए योगदान.

26. प्रशासकीय निपुणता को बढ़ाने के लिए दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत केन्द्रीकृत खाता खोलने में विस्तार, ऋण प्रस्तावों का डिजिटलीकरण, ई-लर्निंग तथा कारोबार प्रक्रिया का डिजिटलीकरण जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं.

27. "ऑनलाइन खाता" खोलने की सुविधा उन ग्राहकों के लिए है जो तकनीकी रूप से दक्ष हैं. बचत बैंक खाता खोलने की यह वेब आधारित सुविधा है, जिसके माध्यम से कोई प्रस्तावित ग्राहक बैंक की वेबसाइट में जाकर बचत बैंक खाता खोल सकते हैं.

28. देश में गरीब महिलाओं के उत्थान के लिए एसएचजी- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से बैंक द्वारा भारत सरकार की एनआरएलएम/एनयूएलएम योजना लागू की जा रही है.

29. कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए अक्षय ऊर्जा उपकरणों की खरीद के लिए कृषकों को ऋण देने की योजना: इसके तहत कृषकों को पानी पंप करने के लिए सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाने, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम तथा एलईडी लाइट्स और छोटे डीसी लोड्स के लिए सोलर लाइटिंग सिस्टम हेतु ऋण प्रदान किया जाता है.

30. **यूनियन बायो टेक:** देश में ऊतक संवर्धन तकनीक और पोली-हाउस को प्रोत्साहित करने के लिए इस उत्पाद को बनाया गया है.

31. सभी उत्पाद और सेवाएं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) की आवश्यकताओं के लिए प्रदान की जाती हैं.

32. सभी उत्पाद, सेवाएं तथा योजनाएं ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग के तहत आते हैं.

    बैंक के एटीएम, केवल नकद निकासी वाली मशीनें नहीं हैं बल्कि इनके माध्यम से प्रेषण सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे एटीएम के माध्यम से एनईएफ़टी, आईएमपीएस तथा यूनियन ई-केश: मोबाइल आधारित निधि अंतरण सुविधा है जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा मोबाइल पर एटीएम आधारित प्रमाणन से राशि आह रित करने की सुविधा दी जाती है. पुराने रिकार्ड के निपटान के लिए बैंक की अपनी स्थापित नीति है, इन्हें नष्ट करने के बाद रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है.

    उत्पादों की रिसाइकलिंग और अवशिष्ट 10% से अधिक के संवर्ग में आते हैं. बैंक अपने उपभोग की अधिकांश वस्तुएँ स्थानीय सप्लायरों से ही लेती है. बैंक छोटे और सूक्ष्म उपक्रमों की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है और इन क्षेत्रों को बैंकिंग सेवाओं तक आसानी, तेजी और पारदर्शी पहुंच तथा उनके दैनिक परिचालनों के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का समय पर सहायता सुनिश्चित करता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संपर्कहीन डेबिट कार्ड शुरू किया गया



संपर्कहीन डेबिट कार्ड का शुभारंभ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री आर. के. वर्मा और अपनी टीम के साथ, भारत दक्षिण एशिया की वीज़ा विपणन प्रमुख-सुश्री मनमीत वोहरा की उपस्थिती में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री राजकिरण रै जी. द्वारा किया गया.

यूनियन बैंक संपर्कहीन डेबिट कार्ड, कार्डधारकों को जल्द इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए कार्ड डालने या स्वाइप करने के स्थान पर मर्चेंट टर्मिनल के समीप लाने मात्र से ही लेन-देन संचालित हो जाता है. विशेषताओं के तौर पर, इस कार्ड में चिप और एंटीना दोनों ही लगे हुए हैं, जो संपर्कहीन के साथ-साथ सामान्य पीओएस टर्मिनल पर भी काम करता है. अत: ग्राहक अपनी सुविधानुसार दोनों में से किसी भी टर्मिनल पर अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. संपर्कहीन कार्ड के रूप में सभी भुगतानों के लिए एक ही कार्ड की विशेष सुविधा है, जिससे यात्रा भुगतान (बस, मेट्रो, कैब आदि), टोल, पार्किंग, कम मूल्य के ऑफलाइन खुदरा भुगतानों के साथ-साथ दैनिक खुदरा भुगतानों के लिए अलग-अलग कार्ड रखने की आवश्यकता को समाप्त किया गया है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्राहकों के लिए यूनियन सहयोग ऐप का शुभारंभ
यूनियन बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग का आधुनिकीकरण

मुंबई, 13 अक्टूबर 2017: भारत में डिजिटल परिवर्तन के अभियान के तहत, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऐप यूनियन सहयोग के शुभारंभ द्वारा एक पथ-प्रदर्शी खोज की है, जिसके द्वारा ग्राहकों को संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएँ मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी.



यूनियन सहयोग ऐप, बैंक के व्यापक रूप से उपलब्ध उत्पादों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में देखने की सुविधा प्रदान करता है; इस उद्देश्य के साथ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक तथा अन्य ग्राहकों को उनके मोबाइल पर हाथों-हाथ सेवा प्रदान की जा सके. यूनियन सहयोग ऐप को एंड्रायड फोन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चलाया जा सकता है; आईओएस में यह सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नरीमन पॉइंट में
नयी ई-कम्फर्ट लॉबी का शुभारंभ किया



(उपर्युक्त फोटो में नरीमन पॉइंट, मुंबई में नयी ई-कम्फर्ट लॉबी के उद्घाटन समारोह में उपस्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री राजकिरण रै जी. के साथ कार्यपालक निदेशक श्री राज कमल वर्मा एवं श्री विनोद कथूरिया, महाप्रबंधक (एसएसडी), श्री इशराक़ अली ख़ान; क्षेत्र महाप्रबंधक, मुंबई, डॉ के. एल. राजू; क्षेत्रीय कार्यलय, मुंबई, दक्षिण के क्षेत्र प्रमुख श्री एच. सी. मित्तल; मुंबई, मुख्य शाखा के शाखा प्रमुख, श्री प्रांजल बाजपेयी थे.)

सिद्धांत 3- कर्मचारी कल्याण

स्थाई तथा लाभप्रद वृद्धि उसी संस्था द्वारा प्राप्त की जा सकती है जहाँ कार्यनिष्पादन को मूल्यों के साथ जोड़ा जाता हो. बैंक उन कर्मचारियों से भरी-पूरी एक दक्ष तथा बहुमुखी संस्था है जिसके कर्मचारी जब अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें कल्याण की भावना भी सन्निहित होती है.

मानव संसाधन पहल

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास है कि शिक्षित, अभिप्रेरित तथा उत्पादक कर्मचारी ही बैंक की सबसे बड़ी आस्ति है. इसे ही ध्यान में रखते हुये बैंक ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाकर संगठनात्मक कुशलता को बढ़ाने के उपाय किए हैं. इससे युवा प्रतिभा आकर्षित हो रहे हैं, जो बैंक के अनुभवी कर्मचारियों की सीख से लाभ ले रहे हैं. बैंक द्वारा अपनी विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुव्यवस्थित किया गया, जॉब-क्लैरिटी के साथ हरेक की भूमिका को परिभाषित एवं कलमबद्ध किया गया. इसे फीडबैक की सुविधा के साथ इंट्रानेट पर अपलोड भी किया गया है. एच आर द्वारा निम्नलिखित का कार्यान्वयन किया गया है:-

1. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक पारदर्शी तथा उद्देश्यपूर्ण परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम(पीएमएस).
2. बैंक द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए उत्तराधिकार आयोजना पर भी अमल किया जा रहा है तथा नेतृत्व की शृंखला को जारी रखने के लिये भी प्रयासरत है.
3. एच आर सुविधा, कर्मचारी सुविधाओं की केंद्रीकृत स्वीकृत की सुविधा आरंभ की गई है, जिसमें पदोन्नति पर फिटमेंट की सुविधा भी प्रदान करना आदि शामिल है, इससे कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि हुई है.
4. एच आर आपके द्वार, कर्मचारियों के शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित उपाय, इससे कर्मचारियों के मतभेदों को कम कर सम्बन्धों को बेहतर बनाया गया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसमें ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु समर्पित पोर्टल है. इस मंच पर उठाए गए मामलों का तुरंत समाधान होता है.
5. यूनियन भविष्य, एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य बैंक को अगले दशक में आत्मविश्वास के साथ ले जाने के लिए ऐसे लीडरों को प्रशिक्षित करना एवं समर्थ बनाना है.
6. इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कई अन्य पहल किए गए हैं, इनका उद्देश्य कर्मचारियों को व्यस्त, प्रतियोगी और संघर्षशील बनाए रखना है.

सेवा-काल में कार्य-संतुलन

यूनियन बैंक कर्मचारियों के सेवा-कालीन जीवन को बेहतर बनाने संबंधी विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं. बैंक में आकर्षक पदोन्नति नीति है जिसमें योग्य कर्मचारियों के आगे बढ़ने के लिये बैंक की फास्ट ट्रैक प्रमोशन पॉलिसी भी शामिल है. इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को विस्तृत अनुभव उपलब्ध कराना तथा पदोन्नति के माध्यम से अभिप्रेरित करना एवं बैंक में कर्मचारियों का कैरियर आगे बढ़ाना है.

बैंक अपने स्टाफ को ऐसी सुविधायें तथा लाभ भी प्रदान करता है जिससे वे अपने कार्य तथा जीवन में संतुलन बनाये रख सकें. स्टाफ की चिकित्सकीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने के उद्देश्य से बैंक द्वारा देश भर में कई अस्पतालों से टाई-अप योजना के माध्यम से अस्पतालीकरण की योजना लागू की गई है. बैंक की 24 कल्याणकारी योजनायें हैं जिन्हें पांच मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:- कैंटीन सब्सिडी, शिक्षा, चिकित्सा और अस्पतालीकरण, सेवानिवृत्त स्टाफ तथा अन्य कल्याणकारी उपाय.

स्टाफ के लिये अन्य उपायों में स्वास्थ्य शिविर, बैंक के स्थापना दिवस समारोह

का आयोजन, हिन्दी दिवस का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, गणतंत्र दिवस का आयोजन तथा स्टाफ एवं उनके बच्चों की उत्कृष्टता को पहचानने और स्वीकारने के लिये खेल, शिक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सम्मान-पहचान आदि तथा सिल्वर जुबली अवार्ड्स आदि शामिल हैं. 31 मार्च 2018 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 37589 थी जिसमें से 8922 महिलायें तथा 869 दिव्यांग स्टाफ थे.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

08 मार्च 2018 को मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उत्साह एवं उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया. इस अवसर पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री राजकिरण रै जी. द्वारा ऐक्सिस बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्रीमती शिखा शर्मा, जो कि इस समारोह की मुख्य अतिथि थी, का स्वागत किया गया. इस कार्यक्रम में कर्मचारियों के बीच गर्व और अपनापन की भावना देखी गई थी.



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए जिन महिलाओं को सम्मानित किया, उनमें सुश्री रूपिन्दर बरार (आईआरएस), सुश्री मुमताज़ शेख (सामाजिक कार्यकर्ता) शामिल है.

मानवाधिकारों के लिये आदर:

बैंक अपने कारोबार तथा प्रभावक्षेत्र में मानवाधिकारों का सम्मान तथा उनके अनुसार कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है. बैंक ने कार्यस्थल पर यौन शोषण निवारण समिति का भी गठन किया है तथा किसी भी प्रकार की संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिये पर्याप्त, शिकायत निवारण प्रणाली को अपनाया है. बैंक अपने स्टाफ द्वारा समूह/एसोसिएशन बनाने के अधिकारों का आदर करता है ताकि वे सामूहिक रूप से अपनी आवाज़ उठा सकें. बैंक में कई कर्मचारी एसोसिएशन बनी हुई हैं जिनमें से बैंक कुल कर्मचारियों में से बहुमत वाली एसोसिएशन को प्रतिनिधि यूनियन/एसोसिएशन के रूप में मान्यता प्रदान करता है.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का कल्याण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिये बैंक द्वारा महाप्रबंधक पद के वरिष्ठ अधिकारी को संपर्क अधिकारी बनाया गया है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ यह संपर्क अधिकारी तिमाही आधार पर बैठक करते हैं और उनके कल्याण से संबंधित समस्याओं को हल करते हैं.

औद्योगिक स्तर पर वेतन समझौता

वेतन संबंधी वार्तालाप बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ सामूहिक समझौते के माध्यम से उचित मांगों को स्वीकार किया जाता है. यह वेतन पुनरीक्षण 5 वर्षों तक मान्य होता है. XI द्विपक्षीय समझौते के लिए वेतन संशोधन संबंधी चर्चा जारी है.

मानव संसाधन में उत्कृष्टता के लिए
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार

मुंबई - 9 फ़रवरी, 2018: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वर्ष 2017 के लिए मानव संसाधन में उत्कृष्टता हेतु गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को लगातार यह अवार्ड चौथी बार मिला. यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स (आईओडी), नई दिल्ली की ओर से दिया जाता है. बैंगलुरु में आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित, इंस्टीट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स, भारत, के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या एवं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया गया.



उपर्युक्त फोटोग्राफ में इंस्टीट्यूट ऑफ डाइरेक्टर्स, भारत, के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलय्या एवं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के उप-महाप्रबंधक (मासं), श्री अतुल कुमार एवं स्टाफ कॉलेज के प्राचार्य श्री कल्याण कुमार पुरस्कार प्राप्त करते हुए.

प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों के कौशल का विकास

प्रशिक्षण कार्य को बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा समग्र रूप से सारे बैंक के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व एवं संपूर्ण प्रतिबद्धता के रूप में माना जाता है ताकि बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा से संबंधित तथा इसके कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी कर सके. एक ज्ञानार्जन करने वाली संस्था के रूप में बैंक समसामयिक जानकारी को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, कौशल को बढ़ाने तथा पुनरीक्षित करने के प्रयास करता है तथा अभिवृत्तियों में सुधार करता है. बैंक का प्रशिक्षण मिशन है: व्यक्ति तथा बैंक दोनों के विकास के लिये निरंतर सीखने की कला को बढ़ावा देना. बैंक का प्रयास है कि "उत्कृष्टता के लिये प्रशिक्षण दिया जाये और उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया जाए." स्टाफ को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना तथा उक्त प्रशिक्षण का संस्थागत आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाना बैंक के प्रशिक्षण तंत्र की एक विशेषता है. हाउस-कीपिंग स्टाफ से लेकर उच्च कार्यपालक तक के स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निर्धारण कर उसे पूरा किया जाता है. अपने स्टाफ सदस्यों को मौलिक कार्यों में कुशल बनाने तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी रखने में सक्षम बनाने का सुनिश्चयन करने हेतु बैंक प्रतिबद्ध है. किसी भी कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में संस्था में प्रवेश से लेकर सेवानिवृति तक प्रशिक्षण का कार्य बैंक की सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्था बेंगलुरु तथा देशभर में फैले 8 स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों-अलुवा, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुड़गाँव, लखनऊ तथा पवई(मुंबई) में स्थित स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है. संस्थागत आवश्यकताओं के अनुसार नई मांगों को पूरा करने के लिये क्षेत्रीय स्तरों में भी लोकेशनल प्रोग्राम आयोजित किये जाते हैं. स्टाफ को अद्यतन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से बाहरी और आंतरिक संकाय सदस्यों की

व्यवस्था भी की जाती है. पात्र मामलों में स्टाफ सदस्यों को विदेशों में भी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्रशिक्षण तंत्र द्वारा 956 केलेंडर प्रोग्राम, 87 लोकेशनल प्रोग्राम तथा 42 कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से कुल 28,172 स्टाफ सदस्यों को शामिल किया गया था. इनके अलावा, 267 अधिकारियों को बाहरी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में नामित किया गया था.

यूनियन भविष्य

क्षमता विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत, समूह , संगठन एवं समाज विकास हेतु चुनौतियों की पहचान एवं उसे पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में विकास करता है. इसका उद्देश्य उन बाधाओं को भी समझना है जो लोगों एवं संगठनों को उनके विकासशील लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है. हमारे बैंक ने यूनियन भविष्य परियोजना की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य बैंक को अगले दशक में आत्मविश्वास के साथ ले जाने के लिए ऐसे लीडरों को प्रशिक्षित एवं समर्थ बनाना है.

इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित सलाहकार, मेसर्स मैकिन्से एंड कंपनी की नियुक्ति की है. इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. कर्मचारियों को समर्थ एवं भविष्य के लिए तैयार करना ताकि बड़े-बड़े उत्तरदायित्वों एवं कारोबार भूमिकाओं का वहन कर सकें;
2. भावी लीडरों में विशिष्ट स्वामित्व की भावना उत्पन्न करने हेतु उनकी मानसिकता और आचरण में परिवर्तन लाना;
3. मुख्य कारोबार के परिणामों को अनुकूल बनाना;
4. व्यक्तियों को गहरे कार्यात्मक कौशल के साथ उनकी वर्तमान भूमिका में उन्हें और अधिक प्रभावी करना ताकि विकास में तेजी आ सके, जिससे उन्हें नई भूमिका के लिए तत्काल तैयार किया जा सके;
5. स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक क्षमताओं (प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करना) यथा शाखा प्रबन्धक, यूएलपी प्रमुखों, सरल के प्रमुखों एवं क्षेत्र प्रबन्धकों को प्रशिक्षित करना;
6. भावी लीडरों को तैयार करना.

नियुक्तियों के समान अवसर

प्रबंधन और पर्यवेक्षकीय स्टाफ/अधिकारियों की रिक्तियों की पहचान तथा उन्हें भरने हेतु विभिन्न स्तरों पर भर्ती के प्राधिकारों के संबंध में सुस्पष्ट दिशानिर्देश हैं. कुशल तथा अकुशल स्टाफ की भर्तियों के लिये योग्यताक्रम को आधार बनाकर अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है. बैंक अपना ध्यान लिंग-वैविध्य की ओर भी केंद्रित करता है.

सुरक्षित कार्यस्थल

अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक में यौन-उत्पीड़न की रोकथाम हेतु नीति है तथा सबंधित मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाती है. यौन-उत्पीड़न के मामलों पर यौन-उत्पीड़न-रोधी नीति तथा प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है. बैंक तथा अन्य सब्सीडियरीज़ के सभी स्टाफ सदस्यों को कार्य-स्थल पर यौन-उत्पीड़न-रोकथाम के संबंध में विविध पहलुओं पर नियमित रूप से ई-मेल तथा संप्रेषण के अन्य माध्यमों से अवगत कराया जाता है.

संगठन, प्रतिभागिता तथा सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता

बैंक कर्मचारियों के संगठित होने तथा सामूहिक रूप से सौदेबाजी करने हेतु स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुश्रवण करता है. कर्मचारियों तथा स्टाफ सदस्यों के अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति हेतु सुस्पष्ट एवं पारदर्शी प्रक्रिया है.

बैंक की मानवाधिकार से संबंधित प्रक्रियाएं, बैंक-कर्मचारियों को विधि-सम्मत तरीकों से, संगठन एवं सामूहिक सौदेबाजी हेतु कर्मचारियों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती हैं.

शिकायत-निवारण

बैंक के अपने परिचालनों तथा इसके कारोबारी-भागीदारों में बाल श्रम, बाध्यकारी श्रम, पक्षपातयुक्त भर्ती तथा यौन-उत्पीड़न से संबंधित के स्पष्ट दिशानिर्देश हैं.

बैंक की प्रणालियाँ इस प्रकार के मामलों की रिपोर्टिंग हेतु फोरम उपलब्ध कराती हैं. बैंक द्वारा इस हेतु ई-मेल पते की सुविधा दी गई है जहाँ इस प्रकार की शिकायतें प्रेषित की जा सकती हैं. शिकायतों की गोपनीयता बनाई रखी जाती है. बैंक द्वारा इस आशय से संबंधित प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ बनाई गई हैं कि इस प्रकार के मामलों में शिकायतकर्त्ता को प्रताड़ित न किया जा सके और दोषी न माना जा सके.

यौन-उत्पीड़न सहित सभी शिकायतें बैंक की नीतियों के अनुसार निपटाई जाती हैं. वर्ष के दौरान, बाल-श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम तथा पक्षपातपूर्ण भर्तियों से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

सिद्धांत 4- स्टेकहोल्डरों से संपर्क

यूनियन बैंक के लिए स्टेकहोल्डर प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसी के द्वारा हम अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाते हैं तथा कारोबार में सफल हो पाते हैं. ग्राहक, शेयरहोल्डर, निवेशक, कर्मचारी, मीडिया तथा एनजीओ आदि वे स्टेक-होल्डर समूह हैं जिनसे बैंक सक्रियतापूर्वक संबंध बनाये रखता है.

बैंक अपने स्टेक-होल्डर को उस व्यक्ति के रूप में देखता है जो बैंक के परिचालनों से प्रभावित होता है या बैंक के परिचालनों को प्रभावित करता है. इस प्रभाव के कारण ही कोई स्टेकहोल्डर 'प्राईमरी, सेकेंडरी या की स्टेकहोल्डर कहलाता है.'

प्राइमरी स्टेक-होल्डरों में स्टाफ और ग्राहक आदि शामिल होते हैं किंतु इन दोनों ही श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है. सेकेंडरी स्टेकहोल्डरों में स्थानीय कम्युनिटीज़, आपूर्तिकर्ता, एन जी ओ, इंडस्ट्री एसोसिएशन आदि शामिल होते हैं किंतु यह श्रेणी भी यहीं तक सीमित नहीं है. 'की' स्टेकहोल्डर में शेयरधारक, प्रोमोटर तथा विनियामक इकाईयां शामिल हैं. बैंक विभिन्न संप्रेषण माध्यमों से अपने सभी स्टेक होल्डरों से औपचारिक या अनौपचारिक तरीकों से संपर्क में रहता है.

बैंक द्वारा कुछ स्टेकहोल्डरों की अलाभप्रद, असुरक्षित या मार्जिनल के रूप में पहचान की गयी है तथा उन्हें विशेष उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है. स्टेकहोल्डरों के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक,एमएसएमई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण आदि हैं किंतु ऐसे स्टेकहोल्डरों की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है. इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डरों के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है जिनके विवरण बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाईट पर उपलब्ध है.

बैंक के मुख्य स्टेकधारक निम्नानुसार हैं:

ग्राहक

बैंक का ध्यान अपने सभी संपर्क साधनों पर उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर केंद्रित रहता है फिर वह चाहे शाखा हो, एटीएम हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाईल बैंकिंग हो या फिर कॉल सेंटर हो. उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बैंक ने निम्नलिखित उपाय किये हैं:

- ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु, उनके साथ लगातार संपर्क में रहने के लिए, बैंक द्वारा ग्राहक संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है.
- शिकायतकर्ताओं को प्रचारकों में परिवर्तित करने के लिये स्टाफ सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं.
- ग्राहकों को प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा अपने नये उत्पादों और सेवाओं के बारे में शिक्षित करना. विगत में बैंक को शाखा संप्रेषण तथा विपणन के लिये एबीसीआई (एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया) पुरस्कार प्राप्त हुआ है.
- ग्राहकों की जिज्ञासा का उत्तर देने के लिये 24x7 कॉल सेंटर की स्थापना.
- शाखा, क्षेत्रीय तथा कॉर्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर ग्राहक बैठकें आयोजित करना. इस मंच का उपयोग बैंक द्वारा ग्राहकों को अपने उत्पादों/सेवाओं की जानकारी देने, केवाईसी अनुपलान जैसे नये पहलुओं की जानकारी देने, सुरक्षित बैंकिंग के लिए इंटरनेट बैंकिंग करते समय सुरक्षा उपायों की जानकारी देने के लिये करता है. ऐसी बैठकों में बैंक के तिमाही कार्यनिष्पादन की जानकारी भी ग्राहकों को दी जाती है.
- बैंक द्वारा ग्राहकों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिये कस्टमर केयर यूनिट की स्थापना की गयी है. यह यूनिट बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिये प्रणालीबद्ध तरीके से फीडबैक का विश्लेषण भी करती है. इस इकाई की स्थापना के बाद से इंटरनेट बैंकिंग तथा एटीएम के पिन की अप्राप्ति आदि की शिकायतों में बहुत कमी आई है. कस्टमर केयर यूनिट शिकायतों के निस्तारण के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि का स्तर भी जांचती है.

कर्मचारी

- बैंक की गृह पत्रिका यूनियन धारा, प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य आन्तरिक सम्प्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी हुई है, जो स्टाफ सदस्यों के बीच जानकारियां प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें कर्तव्यों, निष्ठा एवं सृजनात्मकता हेतु प्रेरित करने का उद्देश्य पूरा कर रही है. यूनियन धारा लगातार एसोसियेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया (एबीसीआई) का पुरस्कार जीत रही है.
- बैंक के अपने आन्तरिक पोर्टल में सभी नीतियां, दिशानिर्देशों, संहिताएं, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सम्प्रेषण उपलब्ध होते हैं जिन्हें सभी कर्मचारी आसानी से देख सकते हैं.
- केंद्रीय कार्यालय से एमडी एवं सीईओ/ईडी/महाप्रबंधक आवधिक रुप में क्षेत्र/शाखाओं का दौरा करते हैं.
- पूरे देश के कर्मचारियों के फीडबैक प्राप्त करने के लिए innovation@unionbankofindia.com के नाम से बैंक की एक समर्पित ऑन लाईन प्रणाली है. उत्पादों के विकास/संशोधन, प्रक्रिया एवं सेवाओं के संबंध में कर्मचारियों के प्राप्त सुझावों को एकत्र किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है एवं उन पर विचार किया जाता है.

निवेशक

- बैंक प्रत्येक तिमाही के अपने कार्यनिष्पादन की प्रमुख मदों के साथ संक्षिप्त तुलन पत्र प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराती है.
- बैंक अपने अंशधारकों को भी बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में अर्धवार्षिक आधार पर सूचित करती है.
- बैंक विश्लेषकों एवं निवेशकों की तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती है.

समाज

- बैंक सरकार एवं अन्य प्रमुख बैंकों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखती है एवं भारत में बैंकिंग उद्योग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न नीति निर्माण एवं उद्योग स्तर के मामलों में सक्रियता से भाग लेती है.
- बैंक ने 211 गाँवों को आदर्श गाँव बनाने हेतु गोद लिया है. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशक आवधिक रूप से इन गाँवों का दौरा करते हैं तथा ग्रामीणों के साथ चर्चा करके इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाना सुनिश्चित करते हैं.

बैंक ने कुछ स्टेकहोल्डरों की अलाभप्रद, असुरक्षित या मार्जिनल के रूप में पहचान की है. स्टेकहोल्डरों के ऐसे समूह में कुछ कृषि-संबंधी ग्राहक,एमएसएमई ग्राहक, स्वयं सहायता समूह, अल्पसंख्यक समूह, शहरी श्रमिक तथा फेरीवाले, पिछड़े गाँवों में रहने वाले ग्रामीण एवं दिव्यांग आदि हैं किंतु ऐसे स्टेक-होल्डरों की संख्या इन्हीं श्रेणियों तक सीमित होना आवश्यक नहीं है. इस प्रकार के सभी स्टेकहोल्डरों के लिये बैंक विशिष्ट उत्पाद/सेवायें और योजनायें उपलब्ध कराता है. कमजोर व सीमांत किसानों को स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूह के अंतर्गत संगठित कर उन्हें परेशानी मुक्त तरीके से आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसके अलावा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सरलीकृत स्वरूपों में उन्हें ₹5,000/- ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है.

बैंक, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यक्रम यथा पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा अटल पेंशन योजना के रूप में भी इस प्रकार की योजनाओं को प्रस्तुत करता है. बोलते एटीएम नेत्रहीन व्यक्तियों को ध्वनि मार्गदर्शन से लेनदेन करने के लिए सक्षम बनाता हैं. एटीएम साइट को इस प्रकार का बनाया गया है कि व्हील चेयर पर बैठा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी अंदर जाकर लेन-देन कर सकता हैं.

सिद्धांत 5- मानवाधिकारों का सम्मान

यूनियन बैंक मानव अधिकार के सिद्धांतों को मानते हुए उनका स्पष्ट पालन करता है तथा मानव अधिकारों एवं कर्मचारियों के हितों में ईमानदारी, समग्रता एवं खुले रुप में कार्यान्वित करता है. एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, बैंक केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों द्वारा मानवाधिकारों के बारे में जारी दिशानिर्देशों, अनुदेशों, निदेशों का न केवल अक्षरश: पालन करता है बल्कि व्यवहार में भी उन्हें अपनाता है.

बैंक की एसडी और सीएसआर नीति यह दर्शाती है कि बैंक मानवाधिकारों का आदर करेगा तथा इनके बारे में स्टेक-होल्डरों के बीच सामान्य जागरुकता को बढ़ायेगा. बैंक अपने कारोबारी भागीदारों के अलावा आपूर्तिकर्ताओं, बिज़नेस कॉरेसपोंडेंस आदि से अपेक्षा रखता है कि वे भी अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करें तथा उनके उल्लंघन से बचें. बैंक द्वारा रिर्पोटिंग वर्ष में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं की गई.

सिद्धांत 6- पर्यावरण पर प्रभाव

बैंक एक जिम्मेदार कार्पोरेट संस्था होने के नाते समाज एवं पर्यावरण के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति सजग है. बैंक ने कार्बन को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं. कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिये बैंक द्वारा एलईडी वाली प्रकाश व्यवस्था, एयरकंडीशनरों में पर्यावरण के संरक्षण वाली गैस का उपयोग, कम ऊर्जा की खपत करने वाले एयर कंडीशनरों का उपयोग, नयी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा जैसे गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि अनेक कदम उठाये गये हैं. हालांकि अंतिम रूप से हुये लाभ की गणना अभी नहीं की जा सकी है किंतु ऊर्जा संबंधी बिलों में उक्त प्रयासों का प्रभाव दिखाई पड़ता है. इन प्रयासों को आगे भी लगातार जारी रखा जायेगा.

बैंक मुख्य रूप से एटीएम की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं तथा बैंक के साथ-साथ प्रशिक्षण केंद्रों में हीटिंग की आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. बैंक परिसरों में लगी प्रकाश-व्यवस्थायें तथा एयर कंडीशनर ऊर्जा की बचत के लिये स्टार रेटेड है. एयर कंडीशनरों में उपयोग की जाने वाली रेफ्रीजेरेंट गैस (आर-407 सी) कार्बन के उत्सर्जन को कम करती है.

बैंक द्वारा पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उठाये गये कुछ अन्य कदम निम्नानुसार हैं:

- ऊर्जा की बचत वाले सीएफएल तथा एलईडी फिटिंग्स का उपयोग.
- एलईडी वाले साईनेज़ का संस्थापन.
- बीईई प्रमाणित एयर कंडीशनर की स्थापना और सीएनजी के साथ करार.
- बैंक परिसर में वर्षा के जल का भंडारण, जो भूजल के स्तर को बढ़ाता और उसका संरक्षण करता है.
- सभी उपकरणों में बिजली के समान प्रवाह के लिये बसबार ट्रंकिंग सिस्टम जैसे किफायती एवं सुरक्षित प्रणाली का उपयोग. अभी हाल ही में बैंक द्वारा केंद्रीय कार्यालय परिसर के एक्सटर्नल ईलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नवीकरण किया गया है और नये बसबार ट्रंकिंग सिस्टम को लगाया गया है.
- पवई में ग्रीन डाटा सेंटर:- प्रौद्योगिकी केन्द्र, पवई बिल्डिंग में एयर कंडीशनिंग प्रणाली के साथ-साथ ऊर्जा बचत विद्युत प्रणाली स्थापित कर डाटा सेंटर का विस्तार किया गया. सूक्ष्म एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक कूलिंग तकनीक पर आधारित हैं तथा इको-फ्रेंडली गैस से युक्त हैं. दूसरी ओर यूपीएस/केबिनों/बैटरी रूम को ठंडा करने के लिये वैरियेंट रेफ्रीजेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है.
- प्रकाश तथा एयर कंडीशनरों पर नियंत्रण के लिये केबिनों में ऑक्यूपेंसी सेन्सर लगाये गये हैं.
- भवनों में वास्तुकला के माध्यम से दिन के समय सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है.

सिद्धांत 7- जन कल्याण हेतु समर्थन

यूनियन बैंक की कारोबारी इको-प्रणाली एवं समुदायों में सकारात्मक प्रभाव लाने के उद्देश्य से सक्रियता से समर्थन करने की परम्परा रही है. यूनियन बैंक की यह सक्रिय समर्थन केवल सरकार से लॉबी करने एवं उद्योग के लिए कुछ लाभ प्राप्त करने की नहीं है, बल्कि समाज में बड़े पैमाने पर लाभ के लिए भी समर्थन करने की कुछ अच्छी परम्पराएं रही हैं.

ग्राहक सेवा में सुधार की दृष्टिकोण से बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा अन्य इकाइयों के सदस्य नामित किये जाते हैं. बैंक वित्त एवं उद्योग से संबंधित ट्रेड चैम्बर एवं एसोसिएशन का सदस्य है. ट्रेड चैम्बर तथा इंडस्ट्री एसोसिएशनों के मंच से ही बैंक आम जनता के लिये सार्वजनिक नीतियों की वकालत करता है. इन अधिकारियों के साथ बैंक अन्य चैनलों से भी संपर्क में रहता है तथा कानून तथा विनियमन संबंधी उन आम नीतियों को आकार देने का प्रयास करता है जो इसके कारोबार तथा कर्मचारियों से जुड़ी होती हैं. नीति निर्माण के मामले में आर्थिक सुधारों, बैंक वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है. बैंक निम्नलिखित वित्तीय तथा औद्योगिक व्यापार चैम्बरों/संघों का सदस्य है:

- भारतीय बैंक संघ(आईबीए)
- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स (आईआईबीएफ)
- द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम)
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(एफआईसीसीआई)
- कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
- बैंकिंग कोड्स व भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बैंक सक्रिय रूप से इन निकायों के साथ सहभागिता कर व विभिन्न मुद्दों यथा वार्षिक बजट, ऋण नीति/मौद्रिक नीति, उत्पाद के मूल्य निर्धारण पर दिशा निर्देश, विभिन्न सर्वेक्षणों आदि पर जानकारी उपलब्ध कराता है.

सिद्धांत 8- समावेशी वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जो कमज़ोर वर्गों तथा कम आय वाले वर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय पर, पर्याप्त अग्रिम सुविधायें, उनके द्वारा वहन की जा सकने वाली लागत पर मुख्य वित्तीय संसाधनों से उपलब्ध कराती है. बैंक ने तीन वर्ष 2016-19 तक वित्तीय समावेशन के लिये तीन वर्षों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना तैयार की है जिसका विज़न है:- "वंचितों तक उचित लागत पर "निरन्तर प्रक्रिया के तहत" सेवाएं पहुंचाना तथा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा, लाभ से वंचित लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना."

31 मार्च, 2018 तक बैंक ने वित्तीय समावेशन से संबंधित निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कर ली थीं:-

- बैंक ने बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल के तहत 5407 बैंक मित्र की नियुक्ति करके 18396 बैंकिंग से वंचित/न्यूनतम बैंकिंग सुविधाओं से युक्त गाँवों तक अपनी पहुंच बनाई है.
- बिज़नेस कॉरेसपोंडेंट मॉडल के द्वारा बायोमैट्रिक कार्ड के माध्यम से ₹245.55 लाख वित्तीय समावेशन ग्राहकों के खाते खोले गये हैं तथा इन ग्राहकों से बैंक ने ₹2332.77 करोड़ की जमाराशियां जुटाई हैं.

- ग्रामीण एवं शहरी निर्धन वर्गों को आकस्मिक अग्रिम के रूप में सूक्ष्म ऋण की उपलब्धता से आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करना. बैंक बहुत कम प्रीमियम/प्रभार पर बीमा/पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराता है.
- बैंक का श्री क्षेत्र धर्मस्थल रुरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एसकेडीआरडीपी) नामक एनजीओ, जो कर्नाटक और केरल में स्वयं सहायता समूहों को वित्तीयन करता है, के साथ टाई-अप किया है. स्वयं सहायता समूह रोजगार के सृजन तथा ग्रामीणों की आय हेतु मुख्य रूप से कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों में संलग्न रहते हैं. एसएचजी/जेएलजी के बीसी मॉडल के तहत सूक्ष्म ऋणों (एसकेडीआरडीपी तथा प्रगति) में बकाया राशि ₹884.64 करोड़ है. वर्तमान में यह प्रोजेक्ट बेलगाम, बेंगलुरु, मंगलोर तथा कोझीकोड़ क्षेत्रों में लागू है.

1. वित्तीय साक्षरता:

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरुकता लाने के लिये, 14 अग्रणी जिलों के साथ 16 गैर- अग्रणी जिलों में कुल 30 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गये हैं. बैंक ने वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिंग सेवाओं की जागरुकता हेतु कुल 5328 गांवों में कैम्प का आयोजन किया गया है. मार्च 2018 तक इन कैंपों में 2,15,820 लोगों को परामर्श दिया गया है. 54,833 लोगों के खाते खोलकर उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गई और उन्हें बैंकिंग से जोड़ा गया है.

बैंक ने नियमित अंतरालों में ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित कैंपों के अलावा, अपने एफ़एलसीसी के माध्यम से, विशेषकर केरल और उत्तर प्रदेश में कई डिजिटल बैंकिंग जागरूकता कैंपों का आयोजन किया है.

विशेष वित्तीय साक्षारता कैंप "गोइंग डिजिटल" के आयोजन के लिए वित्तीय समावेशन निधि (एफ़आईएफ़) के अधीन हमें नाबार्ड द्वारा अनुदान सहायता हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है. अब तक ग्रामीण शाखाओं द्वारा 230 गोइंग डिजिटल कैंप्स तथा एफ़एलसी द्वारा 814 गोइंग डिजिटल कैंप्स का आयोजन किया गया है.

2. यूनियन आदर्श ग्राम योजना:

देश के प्रति कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत अपनी प्रतिबद्धता के रूप में बैंक ने "यूनियन आदर्श ग्राम योजना" प्रारंभ की है. इस योजना के तहत इस वर्ष देश भर में 211 गाँवों को उनके सर्वांगीण विकास हेतु गोद लिया है.

3. अग्रणी बैंक योजना:

बैंक देश के चार राज्यों में स्थित 14 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका का निर्वहन कर रहा है. इन जिलों में बैंक न केवल लगातार अपनी शाखाएं बढ़ाते हुए सामान्य बैंकिंग गतिविधियां कर रहा है, बल्कि स्थानीय सरकारों के साथ जिला ऋण योजना के लिए भी काम करता है. इससे जिला ऋण योजना तथा अन्य सरकारी योजनाओं के अनुश्रवण में सहायता मिलती है. बैंक के 14 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (आरसेटी) भी हैं जहां ग्रामीण युवाओं को सूक्ष्म उद्योगों को चलाने के लिये प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन के कार्यक्रम चलाये जाते हैं. बैंक चार चयनित पिछड़े जिलों में महिला सशक्तिकरण हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता दे रहा है.



4. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई):

देश में सभी परिवारों को मूलभूत वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना-प्रधान मंत्री जन धन योजना को अगस्त 2014 में आरम्भ किया है. इस योजना में जो 6 स्तम्भ शामिल है, वे हैं: सबकी पहुंच, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ बेसिक बैंकिंग खाता, दुर्घटना बीमा और रुपे डेबिट कार्ड, वित्तीय साक्षरता, क्रेडिट गारंटी निधि, सूक्ष्म वित्त और अन्त में असंगठित क्षेत्र पेंशन योजना. इन स्तम्भों को दो चरणों में लागू किया जाना है.

प्रथम चरण दिनांक 28 अगस्त, 2014 को आरम्भ किया गया जिसका उद्देश्य बचत, प्रेषण और ₹1.00 लाख के दुर्घटना बीमा कवर करते हुए रुपे डेबिट कार्ड के लिए बेसिक बैंकिंग खाता खोलते हुए सभी लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना है. इसमें वित्तीय साक्षरता को भी शामिल किया गया है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत हमारे कार्यनिष्पादन के मुख्य तत्व		
1	कवर किये गये कुल गांव	18,396
2	उप सेवा क्षेत्र (एसएसए)	5,407
3	शहरी वार्डस्	2581
4	सर्वे किये गये कुल परिवार	72.34 लाख
5	जिनमें से ए. ग्रामीण परिवार	45.54 लाख
6	बी.शहरी परिवार	26.80 लाख
31 मार्च, 2018 का कार्यनिष्पादन		
7	31 मार्च, 2018 तक खोले गये खाते	86.22 लाख
8	31 मार्च, 2018 तक जारी रुपे कार्ड	48.83 लाख
9	31 मार्च, 2018 को खातों मे शेष राशि	1930.64 करोड़
10	पीएमजेडीवाई के तहत ई-केवाईसी के तहत खोले गए खाते	15.62 लाख

5. वित्तीय साक्षरता:

हम अपने 26 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों और ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं. हमने कॉमिक पुस्तकों के साथ ही साथ पोस्टर्स तथा अन्य पठन सामग्री का प्रकाशन किया है.

इस क्षेत्र में हमारे बैंक ने 01 जनवरी, 2015 को एक अनोखी पहल आरम्भ की है और इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन (ISMW) के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वित्तीय साक्षरता पर 60 कैंपों का आयोजन किया है. इन कैंपों में 80% महिलाओं के साथ, करीब 15000 प्रतिभागियों

को वित्तीय साक्षरता प्रदान कर प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत लिंकेज, लाभ और पात्रता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था. इन कैंपों में हमने, प्रधान मंत्री जन धन योजना के बारे में निम्न जानकारियाँ प्रदान की :

1) रुपे कार्ड का प्रयोग और लाभ
2) आधार कार्ड लिंकेज और लाभ
3) प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत बीमा का लिंकेज
4) ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की सुविधा
5) बचत, उधार और उच्च लागत वाले ऋणों पर जानकारियां
6) मोबाइल बैंकिंग और तकनीक का प्रयोग

प्रत्येक कैंप में करीब 250 से 300 महिलाओं ने भाग लिया तथा प्रत्येक कैंप की अवधि लगभग 4 घंटे की थी. सहभागिता और प्रशिक्षणों में जिन साधनों और उपायों को शामिल किया गया था उनमें वीडियो, फिल्मस, नाटक, पोस्टर्स, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आदि थे और इनका संचालन इंडियन स्कूल ऑफ माइक्रो फाइनेंस फॉर वुमन के प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया गया था. प्रतिभागियों को कुछ हेंडबुक्स भी प्रदान किये गये थे.

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI):

बैंक ने देश के उन 14 जिलों में 14 आरसेटी की स्थापना की है, जहां अग्रणी बैंक के रूप में हमारे ज़िम्मेदारी है. वर्तमान में निम्न स्थानों पर बैंक के आरसेटी कार्यरत हैं:

- आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, वाराणसी-उत्तर प्रदेश
- खगड़िया, समस्तीपुर-बिहार
- रीवा, सीधी एवं सिंगरौली-मध्य प्रदेश
- एर्णाकुलम, इडुक्की-केरल
- आरसेटी की स्थापना का उद्देश्य, स्व रोजगार आरंभ करने के लिए ग्रामीण युवकों को मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा के साथ अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण प्रदान करना है.
- हमारे आरसेटी में मार्च 2018 तक 63,771 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिनमें से 41,374 लोगों ने अपना कार्य स्थापित कर लिया है, इस प्रकार स्थापन दर 65% है.
- ग्रामीण मंत्रालय के आंकलन के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान हमारे 14 आरसेटी में से 10 आरसेटी को "एए" ग्रेड, 3 आरसेटी को "एबी" ग्रेड तथा 1 आरसेटी को "बीबी" ग्रेड मिला है.

स्वयं सहायता समूह:

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त की योजना, गरीब को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में अर्थक्षम बनाने का प्रभावी साधन है. वर्ष के दौरान 1.83 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋणों से लिंक किया गया है. मार्च, 2018 को स्वयं सहायता समूहों को दिये गए ऋणों में बकाया राशि ₹1538 करोड़ थी.
- महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन और उन्हें वित्त प्रदान करने में विशेष ध्यान दिया जा रहा है. वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा देश के 4 जिलों-रीवा, सीधी, चंदौली तथा जौनपुर में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह योजना लागू की जा रही है.
- देश के 250 चिन्हित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लाभ के लिए, बैंक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ब्याज अनुदान योजना लागू की जा रही है.

6. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई):

- पीएमएमवाई के तहत हमारा बैंक ग्रामीण, शहरी व महानगरीय क्षेत्रों के सूक्ष्म उद्यमों को वित्त प्रदान करता है जो विनिर्माण, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र के व्यवसाय में है.
- पीएम मुद्रा योजना विभिन्न नए व वर्तमान उद्यमियों को बैंकिंग चैनल से ऋण लाभ लेने का अवसर प्रदान करता है. इससे ऋण हेतु बैंक का ग्राहक आधार बढ़ जाता है.
- **31 मार्च 2018 के अनुसार मुद्रा लोन की स्थिति.**

(राशि करोड़ में)

ऋण की श्रेणी	स्वीकृत		संवितरित	
	खाते	राशि	खाते	राशि
शिशु	41160	162.37	41160	143.46
किशोर	128058	2654.85	128058	2408.48
तरुण	15919	1191.2	15919	1041.53
कुल	**185137**	**4008.42**	**185137**	**3593.47**

7. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाइ) का द्वितीय चरण

प्रधानमंत्री जन धन योजना के दूसरे चरण में निम्न कार्य शामिल हैं:

- ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, पिछले 6 माह में बचत/ऋण ब्यौरे में संतोषजनक कार्यनिष्पादन होने पर.
- सूक्ष्म-बीमा

बैंक द्वारा पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2018 तक **7277 खातों** में **₹170.13 लाख** का ओवरड्राफ्ट वितरित किया गया. पीएमजेडीवाई योजना के अंतर्गत, बैंक ने एटीएम व एसएमएस चैनलों के माध्यम से भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई है. बैंक द्वारा निम्न तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से, गरीबों और सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए सूक्ष्म बीमा और पेंशन प्रदान की जाएगी:

- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई):** यह योजना 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए, बहुत कम प्रीमियम ₹12 प्रतिवर्ष पर ₹2.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर करती है.
- **प्रधान मंत्री जीवनज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई):** यह योजना प्राकृतिक या दुर्घटना से मौत की जोखिम के लिए ₹2.00 लाख का बीमा कवर करता है. इसमें वार्षिक प्रीमियम ₹330.00 होगी. यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए है.

- **अटल पेंशन योजना (एपीवाई):** यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित पेंशन प्रदान करती है, जो अंशदान की राशि और अवधि के आधार पर होती है.

31 मार्च, 2018 तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति:

योजना का नाम	पुरुष ग्राहक	महिला ग्राहक	कुल नामांकन
अटल पेंशन योजना	214232	102179	316411
प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना	785478	480905	1266383
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	1698233	1172159	2870392
कुल	**2697943**	**1755243**	**4453186**



स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत कार्यनिष्पादन यथा 31.03.2018:

क्र. संख्या	संवर्ग	01.04.2017 से 31.03.2018 तक		
		स्वीकृत		संवितरित
		खातों की संख्या	राशि	राशि
1	अनुसूचित जाति (केवल पुरुष)	15	224.26	193.71
2	अनुसूचित जनजाति (केवल पुरुष)	0	0.00	0.00
3	महिला उद्यमी	332	6880.11	5937.87
	कुल	**347**	**7104.37**	**6131.58**
6	जिनमें से			
	अल्पसंख्यक	50	990.74	855.97

8. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/एल.पी.जी. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल):

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के क्षेत्र में हमारे बैंक की उपस्थिति 113 जिलों में है. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत भारत सरकार ने 43 विभिन्न योजनाओं को आरंभ किया है और सरकार से प्राप्त निधियों को, अनुदान/लाभों के रूप में, सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है.

इस योजना के तहत 31 मार्च, 2018 तक संवितरण निम्नानुसार है:

अवधि	यूनियन बैंक शाखाओं में आरम्भ संव्यवहार				अन्य बैंकों से प्राप्त जमा	
	प्रायोजक बैंक के रूप में प्राप्त कुल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	सफल रिकार्ड	राशि लाख में (₹)	डेस्टिनेशन बैंक के रूप में प्राप्त रिकार्ड	राशि लाख में (₹)
वित्त वर्ष 2014-15	18133	387.38	15106	307.36	4331948	16230.15
वित्त वर्ष 2015-16	36839	1547.82	15208	552.12	22035238	53330.33
वित्त वर्ष 2016-17	33492	610.75	26044	524.67	29160282	70129.96
वित्त वर्ष 2017-18	**162801**	**18462.01**	**152689**	**17353.68**	**40872020**	**165518.53**

प्रायोजक बैंक: प्रायोजक बैंक के रूप में हमें सरकार से राशि के साथ उन लाभार्थियों की सूची मिलती है, जिनके खातों में रकम जमा करनी होती है. इन सूचियों को एनपीसीआई सर्वर पर अपलोड किया जाता है, जहां से डेस्टिनेशन बैंकों में लाभार्थियों के खाते में जमा करने के लिए बैंक-वार विभाजित हो जाता है.

डेस्टिनेशन बैंक: डेस्टिनेशन बैंक के रूप में, बैंक को एनपीसीआई से राशि के साथ उन लाभार्थियों की सूची मिलती है, जिनके खातों में राशि जमा किए जाने हैं.

कमीशन: डीबीटी/डीबीटीएल के तहत किए गए संव्यवहारों के लिए हमारे बैंक को अप्रैल 2017 से मार्च 2018 के दौरान आय/कमीशन के रूप में ₹768.46 लाख अर्जित किया है.

9. आईआईबीएफ प्रमाणन और बैंक मित्रों की क्षमता निर्माण:

भारतीय बैंक संघ ने अपने पत्र क्रमांक. एसबी/सीबीसी/1141 दिनांक 30 जुलाई, 2015 के द्वारा सभी बैंकों को आईआईबीएफ प्रशिक्षण द्वारा बैंक मित्रों के प्रशिक्षित व प्रमाणन का निर्देश दिया है. प्रशिक्षित व प्रमाणित बैंक मित्र व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए अधिक विश्वसनीय होंगे. हमारे कुल 4,596 बैंक मित्र (84%) आईआईबीएफ़ से प्रमाणित हो चुके हैं.

बैंक ने मेसर्स क्रुक्स मेनेजमेंट सर्विसेस के माध्यम से शेष 1686 बैंक मित्रों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया है. एफ़आईएफ़ के तहत नाबार्ड के द्वारा 60% व्ययों की प्रतिपूर्ति की जानी है, शेष 40% बैंक द्वारा वहन किया जाएगा.

10. आधार सीडिंग की स्थिति:

31.03.2018 तक आधार सीडिंग की प्रगति स्थिति इस प्रकार है:

यथास्थिति	लघु खातों एवं तीन राज्यों (जम्मू कश्मीर, असम एवं मेघालय) के अतिरिक्त कासा परिचालित खातों की संख्या	आधार अंकित खातों की संख्या	आधार अंकित खातों का %	सक्रिय बचत खातों की संख्या	मोबाइल अंकित खातों की संख्या	मोबाइल अंकित खातों का %
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मार्च, 2018	33130374	27424808	82.78	33852604	25645522	75.76

तथापि, 31.03.2018 तक पीएमजेडीवाई खातों में आधार अंकन की स्थिति इस प्रकार है:

बैंक	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	आधार अंकित खाते	आधार अंकन का %
यूनियन बैंक	86.22 लाख	69.26 लाख	80.33%

वर्ष : 2017-18 के दौरान नई पहल:

1. **आधार नामांकन केंद्र:-** यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को यूआईडीएआई द्वारा 10% बैंक शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है. तदनुसार, हमने पूरे भारत की 429 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा है. वर्तमान में 255 बैंक शाखाएं आधार नामांकन हेतु सक्रिय हैं.
2. **वित्तीय साक्षरता पहल:-** हमारे बैंक द्वारा 14 अग्रणी जिलों के साथ ही साथ केरल राज्य के कुछ गैर-अग्रणी जिलों में कुल 30 वित्तीय साक्षरता केंद्र खोले गये हैं. वित्तीय एवं डिजिटल साक्षारता तथा बैंकिंग सुविधाओं के बारे में ग्राहकों में जागरुकता लाने के लिये 5328 ग्रामीण कैंप का आयोजन किया गया. मार्च 2018 तक इन कैंप में 2,15,820 लोगों को परामर्श दिया गया है. 54,833 लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ा गया और ऋण सुविधाएँ प्रदान की गईं.
3. **गोइंग डिजिटल कैंप:-** ग्रामीण शाखाओं ने 230 गोइंग डिजिटल कैंप का आयोजन किया है एवं हमारे एफ़एलसी द्वारा अब तक 814 गोइंग डिजिटल कैंप का आयोजन किया गया है.
4. आरएफ़पी प्रक्रिया द्वारा कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को सूचीबद्ध करना, जो अंतिम चरण में है. इससे हमें बेहतर कारोबार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कॉर्पोरेट बीसी के बीच प्रतिस्पर्धा खड़ी करने में मदद मिलेगी.
5. बैंक मित्र केन्द्रों पर गैर पीएमजेडीवाई ग्राहकों के लिए प्रभार लागू किया गया है. यह हमारे बैंक के लिए नया ब्याज रहित आय स्रोत है.
6. बैंक मित्र केन्द्रों पर गैर पीएमजेडीवाई ग्राहकों से प्रभार लेने के कारण क्षेत्रीय बैंक मित्रों द्वारा आवर्ती लेनदेन की जांच होगी और बैंक मित्र पारितोषिक पर हमारे व्यय में भी कमी आएगी.
7. बैंक ने हाल ही में आधार आधारित लेनदेनों एवं नामांकन के लिए पंजीकृत उपकरण सेवाओं को स्वीकार किया है ताकि इनसे संबंधित जोखिम को कम किया जा सके.
8. वित्तीय समावेशन हेतु मोबाइल आधारित एप्लिकेशन परीक्षण के चरण में है. इससे माइक्रो एटीएम पर आवर्ती रखरखाव व्यय एवं बैंक के खर्च में कमी आएगी.
9. वित्तीय समावेशन गतिविधियों के लिए अब बैंक मित्रों के पास वेब किओस्क, माइक्रो एटीएम एवं मोबाइल आधारित एप्लिकेशन जैसे तीन विकल्प उपलब्ध हैं.
10. प्रमुख बैंकों द्वारा परिवारों को कवर करने, खातों की सक्रियता और रुपे कार्ड्स, आधार और मोबाइल नंबरों का अंकन आदि के मामलों में, हमारे बैंक का स्थान प्रमुख है.
11. एटीएम व एसएमएस के माध्यम से ओवरड्राफ्ट का स्वचालन.
12. एटीएम के माध्यम से पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट की हमारी निर्बाध प्रक्रिया, 24 घंटे में.
13. क्षेत्रों में खुले कुल 5407 माइक्रो एटीएम ईपीएस एवं रुपे आधारित लेन-देन के लिए सक्षम. हमने क्षेत्र के बैंक मित्रों को 100% माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाया है.

बैंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी सीएसआर प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने में सदैव अग्रणी रहा है. इसी दिशा में हमारे बैंक ने वर्ष 2006 में यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट (यूबीएसएफ़टी) की स्थापना की है. बैंक की प्रमुख सीएसआर गतिविधियां इसी ट्रस्ट के माध्यम से की जाती है. इसके ट्रस्टी बोर्ड में, उपाध्यक्ष के रूप में कार्यपालक निदेशकों के साथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है, अन्य ट्रस्टियों में बैंक के महा प्रबंधकगण व एक स्वतंत्र ट्रस्टी होता है. बोर्ड द्वारा बैंक के प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देश प्रदान कर प्रत्येक तिमाही समीक्षा की जाती है. इन दिशानिर्देशों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा क्रियान्वित किया जाता हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में है.

बैंक की सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) गतिविधियों के साथ ही यूबीएसएफ़टी के तिमाही आधार पर अनुश्रवण के लिए बैंक ने अपने शीर्ष स्तर पर सीएसआर समिति का गठन किया है. समिति का नेतृत्व कार्यपालक निदेशकों के साथ एमडी एवं सीईओ द्वारा किया जाता है, अधिनियम* के 9(3)(h) के अंतर्गत एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक को नामित एवं अधिनियम* की धारा 9(3)(i) के तहत एक शेयर धारक निदेशक का समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन किया जाता है.

*बैंककारी कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970.

सामाजिक उत्थान और सुविधाओं से वंचित लोगों के जीवन में सुधार की पहल में सहायता करने के उद्देश्य से यूबीएसएफ़टी को सम्मिलित किया गया है, बैंक मुख्यत: निम्नलिखित क्रियाकलापों में सहायता करने के लिए ध्यान केन्द्रित कर रहा है:-

शिक्षा:

यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा अहमदाबाद के 4 विद्यालयों और वाराणसी के 1 विद्यालय में 4 वर्षों के लिए "प्रगना प्लस" सृजनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है. हाल ही में जिला सरकार प्राधिकारियों द्वारा इस प्रोजेक्ट का दौरा किया गया एवं इस कार्यक्रम की सराहना की गयी.



यूबीएसएफ़टी द्वारा नवीनीकृत सरकारी प्राथमिक शाला में माननीय संचार मंत्री एवं रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा का दौरा.



पहले **बाद में**

सामुदायिक कल्याण:

यूबीएसएफ़टी ने विजयवाड़ा के अंतर्गत कुरुमंडली पंचायत में सामुदायिक भवन की स्थापना में सहायता की. उपर्युक्त चित्र में भवन का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त



उत्तर बिहार के ठंड से प्रभावित क्षेत्र में कंबल वितरण :- उक्त चित्र में जिला न्यायाधीश समस्तीपुर एवं क्षेत्र प्रमुख समस्तीपुर, कंबल वितरित करते हुए



स्वच्छता

यूनियन बैंक सोशल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट ने, विभिन्न महिला विद्यालयों में 273 शौचालयों के निर्माण के लिए ₹5.00 करोड़ का अनुमोदन किया है. इनका निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है और कुछ शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिन्हें फोटोग्राफ में देखा जा सकता है. फ़ाउंडेशन ने 500 से अधिक व्यक्तिगत/ सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में सहायता की है, जिनमें से 83 शौचालयों का निर्माण महिला विद्यालयों में किया गया है.



यूबीएसएफ़टी ने बांद्रा (पश्चिम) मुंबई रेलवे स्टेशन पर शिशु-पालन इकाई के साथ ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन बांद्रा (पश्चिम) के विधायक श्री आशीष शेलार द्वारा किया गया. प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है.



कौशल विकास :

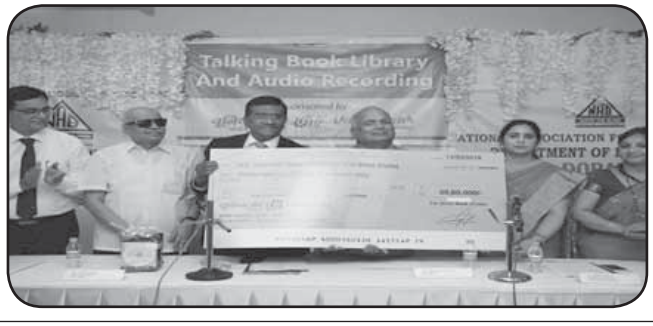
पैरामेडिक्स लैब:- भुवनेश्वर में पैरामेडिक्स लैब की स्थापना के लिए सेंचूरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलोजी एंड मेनेजमेंट को ₹100.00 लाख की सहायता दी गई है. सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को, लेब में नर्सिग और ओटी सहायक का कार्य करने हेतु इसमें मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है. उक्त चित्र में विद्यार्थियों को पुतलों पर प्रशिक्षण लेते हुए देखा जा सकता है.



डीजी क्लासरूम: यूबीएसएफ़टी ने तटीय कर्नाटक के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से निर्धन विद्यार्थियों के लिए डिजिटल क्लासरूम की स्थापना में सहायता की. उक्त चित्र में डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन करते हुए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.



शारीरिक अक्षमता को सहायता: यूबीएसएफ़टी ने नेशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड्स, इंडिया को वर्ष 2017-18 में अपनी डिजिटल लाइब्रेरी परियोजना के तहत 250 किताबों की आडिओ रिकॉर्डिंग करने में सहायता प्रदान की है. फ़ाउंडेशन ने एनएबी को अपने विद्यार्थियों में निशुल्क ब्रेल किट के वितरण में भी सहायता प्रदान की.



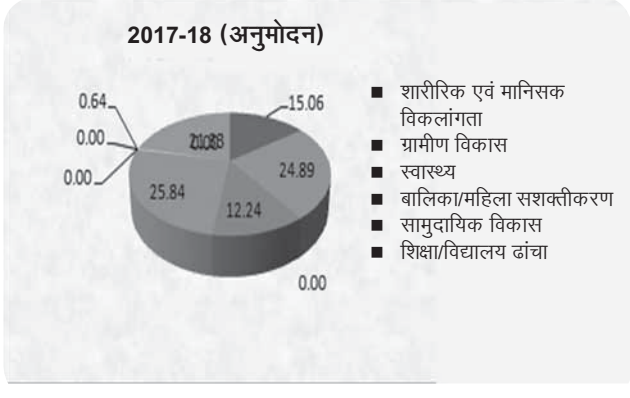
यूबीएसएफ़टी ने चेतना फ़ाउंडेशन, करकला कर्नाटक के पहली मंजिल क्लासरूम के निर्माण में सहायता की. उक्त चित्र में, चेतना फ़ाउंडेशन के विद्यार्थियों के साथ एमडी एवं सीईओ.

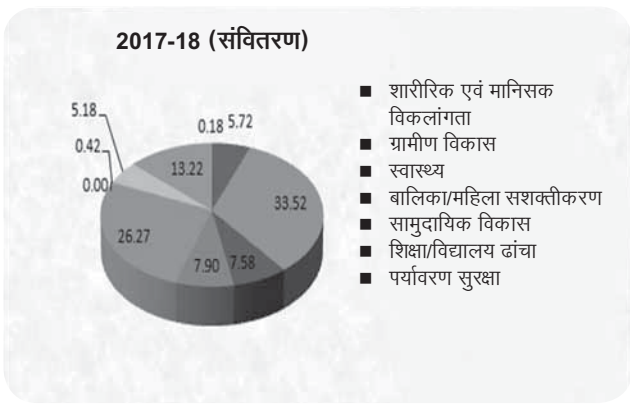


यूबीएसएफ़टी ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार एवं बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 4.60 करोड़ की राशि का अनुमोदन 25 परियोजनाओं के लिए किया है.

वर्ष 2017-18 के दौरान यूबीएसएफ़टी का क्षेत्रवार अनुमोदन एवं संवितरण निम्नानुसार है:

क्षेत्रवार अनुमोदन एवं संवितरण:







वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त पुरस्कार एवं उपलब्धियां

I. इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड

- विजेता-श्रेष्ठ वित्तीय समावेशन पहल
- उप-विजेता-वर्ष का श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक

II. आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सिलेन्स अवार्ड

- वर्ष का श्रेष्ठ उभरता बैंक

III. स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड

- डेबिट कार्ड हेतु ग्रीन पिन सोल्यूशन
- यूनियन मोबाइल एनपीए रिकवरी ऐप
- आपदा प्रबंधन और आपदा रिकवरी रणनीतियां
- कारोबार निरंतरता रणनीतियां
- परिचालनात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन सोल्यूशन
- यूनियन बैंक यूपीआई ऐप
- बैंक ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान मुद्रा योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया है.

IV. गवर्नेंस नाउ द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कार एवं उपलब्धियां

- बैंक को "सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर फोस्टरिंग फाईनेन्शियल इंक्लूजन एंड प्रोवाइडिंग फाईनेंशियल सर्विसेस एट डोरस्टेप्स बाइ गवर्नेंस नाउ" से सम्मानित किया गया है.

V. एम/एस इंफ़ोसिस अवार्ड

- श्रेष्ठ ग्राहक सेवा नवोन्मेष

VI. पीएफ़आरडीए अवार्ड: पीएफ़आरडीए द्वारा 14.09.2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तहत अपने निम्नलिखित अभियान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को तीन अवार्ड से सम्मानित किया गया;

- प्रोस्पेरिटी I (3 मार्च 2017-10 मार्च 2017) के लिए एनपीएस में दूसरा पुरस्कार
- रिटायर विथ प्राइड (14 जुलाई 2017 - 21 जुलाई 2017) - एनपीएस में दूसरा पुरस्कार
- प्रोस्पेरिटी II (17 मार्च 2017 -24 मार्च 2017) के लिए एनपीएस में तृतीय पुरस्कार
- 20 नवम्बर 2017 से 2 दिसम्बर 2017 तक पीएफ़आरडीए द्वारा आयोजित "एनपीएस लाओ अच्छे दिन पाओ" अभियान के लिए द्वितीय पुरस्कार. (पीओपी-एसपी के उच्चतम संख्या से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए).
- 8 सितंबर 2017 से 22 सितंबर 2017 तक पीएफ़आरडीए द्वारा आयोजित "लाइफ्स ग्लोरी" अभियान के लिए द्वितीय पुरस्कार. (एनपीएस खातों के उच्चतम संख्या से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए)
- 8 सितंबर 2017 से 22 सितंबर 2017 तक पीएफ़आरडीए द्वारा आयोजित "लाइफ्स ग्लोरी" अभियान के लिए द्वितीय पुरस्कार. (नई पीओपी-एसपी एक्टिवेशन के उच्चतम संख्या प्राप्त करने के लिए)
- 20 नवम्बर 2017 से 2 दिसम्बर 2017 तक पीएफ़आरडीए द्वारा आयोजित "एनपीएस लाओ अच्छे दिन पाओ" अभियान के लिए तृतीय पुरस्कार. (पीओपी-एसपी के उच्चतम प्रतिशत से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए).
- 18 अक्तूबर 2017 से 28 अक्तूबर 2017 तक पीएफ़आरडीए द्वारा आयोजित "लिव ऑन एनपीएस लाइफ" अभियान के लिए तृतीय पुरस्कार. (एनपीएस खातों के उच्चतम संख्या से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए).

अन्य सामाजिक गतिविधियां :

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 99वां स्थापना दिवस आयोजन



(उपर्युक्त फोटोग्राफ में नेहरू सेंटर, मुंबई में आयोजित बैंक के 99वें स्थापना दिवस समारोह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक, श्री विनोद कथूरिया एवं उनके साथ बैंक द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत लोग देखे जा सकते हैं.)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों एवं बैंक के सम्मानित ग्राहकों की उपस्थिती में 99वां स्थापना दिवस मनाया.

99वां स्थापना दिवस के अवसर पर, बैंक द्वारा 5 प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया, जो निम्न हैं.

	नाम	श्रेणी
1.	सुश्री मिताली दोराई राज	- खेल
2.	डॉ. एम. अन्नादुराई	- विज्ञान
3.	गुंडेचा ब्रदर्स	- संगीत
4.	डॉ. प्रकाश बाबा आमटे	- सामाजिक कार्य
5	डॉ. टी. ई. उदवाडिया	- चिकित्सा

सतर्कता जागरूकता सप्ताह:

"मेरा लक्ष्य: भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय के तहत हमारे बैंक एवं हमारे बैंक द्वारा संयोजित आरआरबी, काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (केजीएसजी) में 30 अक्तूबर से 04 नवंबर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017 यथोचित रूप से मनाया गया. इस अनुष्ठान के एक हिस्से के रूप में, हमने अपने संस्था में विभिन्न सतर्कता कार्यक्रम तथा अखिल भारत स्तर पर भारत के युवा वर्ग एवं आम जनता में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने की भावना जागरूक करने हेतु अन्य गतिविधियों, का संचालन किया हैं.

वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंगीकृत नागेपुर एवं जयापुर गांवों सहित देश में सभी जगहों पर विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों/ग्राम पचायतों/ग्राम सभा/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में उक्त कार्यक्रम संचालित किए गए.

हमने सितंबर 2017 से उक्त कार्यक्रम का संचालन करना आरंभ कर दिया था तथा 04 नवंबर 2017 तक 5187+ कार्यक्रमों को संपन्न किया गया जिसमें 4353 कार्यक्रम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा यूनियन बैंक द्वारा संयोजित काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (केजीएसजी), वाराणसी में 834 कार्यक्रम सम्पन्न किए गए.

वाद-विवाद, निबंध-लेखन, चित्रकला (ड्राइंग), वक्तृत्व कला प्रतियोगिता, क्विज, एक मिनट का छोटा भाषण, शॉर्ट फिल्म, रंगोली प्रतियोगिता इत्यादि जैसे कार्यक्रम संचालित किए गए थे. इन प्रतियोगिताओं की फोटोग्राफ एवं विडियो क्लिप बनायी गयी हैं. मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार-पत्रों में लेख एवं फोटोग्राफ द्वारा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया.

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017 के दौरान ग्रामवासियों/किसानों को भ्रष्टाचार-विरोधी एवं सतर्कता निवारक उपायों जैसे विषयों पर शिक्षित करने के लिए, सभी आर-सेटी/वित्तीय परामर्श केन्द्रों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया.
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017 के दौरान, हमारे सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ सदस्यों एवं उनके परिजनों के लिए भ्रष्टाचार-विरोधी मुद्दों पर क्विज, वाद-विवाद, वक्तृत्वकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.
- **यूनियन सतर्कता सम्मान:** "यूनियन सतर्कता सम्मान" शीर्षक के तहत उत्कृष्ट सतर्कता सम्मान 06 अक्तूबर 2017 को घोषित किया गया. इस योजना का मुख्य उद्देश्य, सिस्टम/कार्यवाही के सख्त अनुसरण द्वारा स्वयं अनुशासित आदत को विकसित करना एवं तदनुसार कारोबार उत्कृष्टता और सांप्रदायिक विकास को प्राप्त करना है.
- क्षेत्र कर्मियों में जागरूकता विकसित करने के लिए "सतर्कता की एबीसीडी" नयी श्रृंखला आरंभ की गयी है जहां उन्हें सहज रूप से प्रत्येक दिन ए से ज़ेड तक सतर्कता की एक शब्दावली प्रेषित की जाएगी.
- बैंक की इंटरनेट/इंट्रानेट वेबसाइट के साथ-साथ एटीएम एवं इलेक्ट्रानिक स्क्रीन पर सतर्कता जागरूकता संदेश/स्लोगन को प्रदर्शित किया गया.

1. आम जनता / नागरिक के लिए आयोजित अन्य गतिविधियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

a) सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2017 के दौरान, बैंक की वेबसाइट एवं इंट्रानेट (यूबीआईनेट) पर ई-प्लेज के लिए लिंक उपलब्ध कराई गयी थी, जिसके माध्यम से 4,00,000 बैंक के ग्राहक, 75,000 नागरिकों एवं 38,390 स्टाफ सदस्यों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली.

b) लोगों तक भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता जागरूकता का संदेश पहुंचाने के लिए देश भर के 38 मुख्य केन्द्रों पर वॉकथॉन, नुक्कड़ नाटक, प्रहसन आदि आयोजित किए गए.

c) वेसिट, मुंबई में भ्रष्टाचार विरोध पर एक लघु फिल्म बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों द्वारा 7 लघु फिल्में बनाई गई. अनाथालय एवं वृद्धाश्रमों में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही भोजन वितरण, रक्त दान शिविर का आयोजन भी किया गया. कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा सतर्कता जागरूकता गतिविधियों के एक भाग के रूप में वृक्षारोपण, दिव्यांगों में भोजन, वस्त्र एवं पुस्तकों का वितरण किया गया.

d) मुद्रा कैम्प, आधार कैम्प आदि के दौरान सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम किए गए.

e) 4789 ग्राम पंचायतों के 425 जिलों में ग्राम सभा और सेमिनार आयोजित किए गए, जिसमें बैठकें, प्रतियोगिताएं, मेलों, चौपाल, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, रंगोली बनाना, भाषण प्रतियोगिताएं जैसी 5187 से अधिक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई. प्रतिभागियों की कुल संख्या 2,22,093 (लगभग) थी, जिसमें यूनियन बैंक के 1,71,243 प्रतिभागी सहित काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक के 50,800 प्रतिभागी शामिल थे.

f) आयोग ने बैंक के लिए 12 शहरों/नगरों में कम से कम 3 कॉलेजों एवं 2 स्कूलों में गतिविधियों के आयोजन करने की सलाह दी थी. हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बैंक द्वारा देश भर के विशिष्ट क्षेत्रों एवं अन्य क्षेत्रों के शिक्षकों एवं छात्रों तक इस संदेश को पहुंचाने के उद्देश्य से 304 स्कूलों एवं 94 कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विचार-विमर्श, ड्राइंग प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया, जिसमें 73,177 छात्रों ने भाग लिया.

g) साथ ही, आयोग के निर्देशानुसार, स्कूलों एवं कॉलेजों में "इंटिग्रिटी क्लब" स्थापित किए जाने थे एवं हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा लगभग 960 छात्रों की सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ विभिन्न शहरों/नगरों में 48 इंटिग्रिटी क्लब बनाए गए हैं.

h) काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक (केजीएसजीबी), वाराणसी के नाम से हमारे बैंक का एक प्रायोजक ग्रामीण बैंक है. केजीएसजीबी की 444 शाखाएं हैं, जिसमें से 390 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी शाखाएं और 54 शहरी शाखाएं हैं. सभी शाखाओं ने 780 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया है. प्रतिभागियों की कुल संख्या 50,800 थी. उन्होंने बैठकें, प्रतियोगिताएं, मेलों, चौपाल, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं, रंगोली बनाने जैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया है.

केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम



नागपुर - विजिथॉन - भ्रष्टाचार के विरुद्ध दौड़



अहमदाबाद - विद्यालय में प्रतियोगिताएं



कोल्हापुर - विद्यालय में इंटेग्रिटी क्लब



गोवा - स्वयं सहायता समूह में जागरुकता कैंप



चेन्नई - विद्यालय में इंटेग्रिटी क्लब



सेलम - महिला एसएचजी द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ



चंडीगढ़ - सतर्कता जागरुकता कार्यशाला



भोपाल - विद्यालय में सत्यनिष्ठा की शपथ एवं कार्यक्रम



लुधियाना - प्रदर्शनी में सतर्कता जागरुकता स्टॉल/कैंप



ग्वालियर - भ्रष्टाचार के विरुद्ध रैली



गुवाहाटी - भ्रष्टाचार मुक्त भारत के विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम



भुवनेश्वर - सतर्कता जागरुकता कैंप के साथ ही मुद्रा कैंप



आजमगढ़ - विद्यालय में प्रतियोगिताएं



समस्तीपुर - विद्यालय में सत्यनिष्ठा की शपथ



गोरखपुर - रक्त दान कैंप



मेरठ - स्कूल/कॉलेज में जागरुकता कार्यक्रम



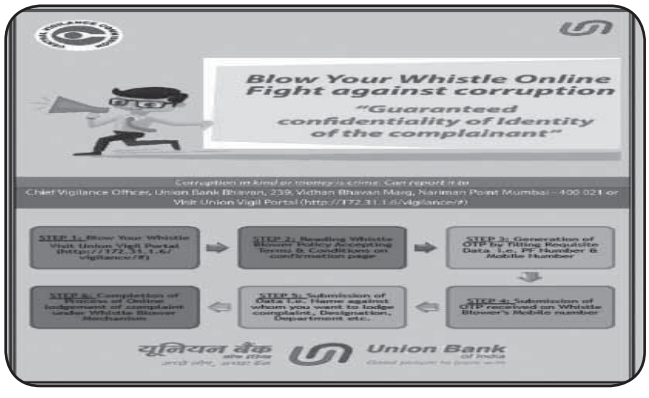
बनारस - विद्यालयों में प्रतियोगिताएं



विद्यालयों में इंटिग्रिटी क्लब



व्हिसिल ब्लोवर पॉलिसी



सिद्धांत 9 - ग्राहक केंद्रीकरण

बैंक बीसीएसबीआई द्वारा निर्देशित मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता है तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, अपनी सारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता रखता है तथा ग्राहकों की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली भी अपनाता है. इस मद में बैंक के कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं;

विश्वस्तरीय ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना:

ग्राहक शिकायतों को प्रभावी और समय पर निवारण एवं साथ ही ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता की सुनिश्चिति को ध्यान में रखते हुए एक प्रमुख एजेंसी, ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है.

ग्राहक सेवा केन्द्र की संरचना:

बैंक में ग्राहक सेवा केन्द्र की स्थापना निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है:

1. आवेदनों पर त्वरित, विश्वसनीय और बिना किसी अवरोध के प्रतिक्रिया हेतु
2. निवेदनों और शिकायतों के मूल कारणों का समाधान - बैंक को लगातार प्राप्त होने वाले आवेदनों और शिकायतों की संख्या को कम करने के लिए उन्नत प्रक्रिया अपनाना
3. ग्राहक संबंधी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचनाएं जेनरेट करना

प्रोजेक्ट 'उत्कर्ष'

हमारे बैंक ने प्रोजेक्ट उत्कर्ष के ध्वज तले कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन की एक नयी यात्रा आरंभ की है. प्रोजेक्ट उत्कर्ष ग्राहक अनुभव बढ़ाकर, बेहतर प्रक्रिया दक्षता और कर्मचारी उत्पादकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर बैंक को उसकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा.

इन उद्देश्यों को बैंक द्वारा निम्न 6 महत्वपूर्ण पहल के माध्यम से हासिल किया जायेगा:

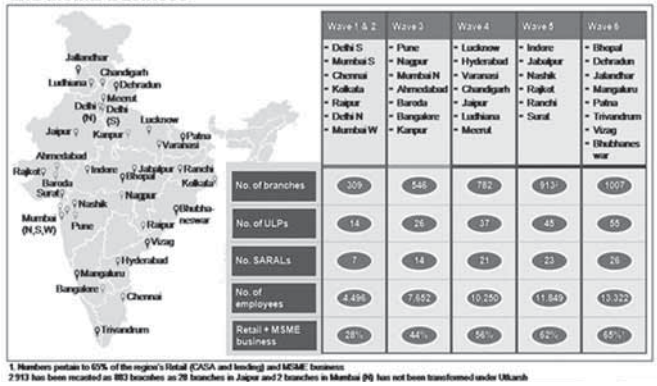
1. **यूनियन एक्सिपीरीअंस:** खुदरा शाखाओं के ऑपरेटिंग मॉडल व संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त बनाना
2. **यूनियन लोन पॉइंट:** फार्म में विशिष्ट खुदरा ऋण प्रोसेसिंग व अधिग्रहण इकाई बनाना
3. **सरल:** अपने वर्ग में सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र एमएसएमई प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करना
4. **व्यापार विश्लेषिकी केंद्र:** डेटा व क्रॉस सेल में सुधार के लिए एनालिटिक्स शक्ति का उपयोग
5. **डिजिटल चैनल:** मल्टी चैनल (यथा एटीएम, इंटरनेट, मोबाइल) के कार्यनिष्पादन और रिटर्न को अधिकतम करना
6. **साझा सेवा केंद्र, सक्सेशन प्लानिंग, कर्मचारी संवर्धन और इंगेजमेंट कार्यक्रमों** जैसे प्रमुख पहलों के माध्यम से **मानव संसाधन प्रथाओं** और कर्मचारी प्रक्रियाओं में सुधार

कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन

बैंक ने 2015-16 में उत्कर्ष प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उत्कर्ष के तहत कारोबार प्रक्रिया परिवर्तन के अधीन विभिन्न कदम उठाए हैं.

प्रोजेक्ट उत्कर्ष पूरे भारत के 35 क्षेत्रों में पंहुच गया है और इसमें खुदरा और एमएसएमई का 65% कारोबार, 1007 यूनियन एक्सिपीरियंस शाखाएं तथा 13000 से अधिक कर्मचारियों को कवर कर लिया गया है. इसमें यूएलपी की अच्छी संख्या, खुदरा ऋणों (73 में से 55) के लिए केंद्रीयकृत हब तथा एमएसएमई ऋणों (28 में से 26) के लिए केंद्रीयकृत हब को शामिल कर लिया गया है.

उत्कर्ष 35 क्षेत्रों में लागू किया गया है और इसने खुदरा एवं एमएसएमई के ~65% कारोबार को कवर कर लिया है



उत्कर्ष परिवर्तन ने जिन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट उत्कर्ष को कार्यान्वित किया है वहाँ प्रोजेक्ट के उद्देश्य से संबद्ध सभी मुख्य पैरामिटर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी है. प्रोजेक्ट उत्कर्ष के अधीन प्रोजेक्ट की अवधि के दौरान मार्च 2018 तक कारोबार कार्यनिष्पादन में बेसलाइन से अधिक वृद्धि हुई है.

विकासमान परिदृश्य के साथ यह आवश्यक हो गया है कि बैंक एक सुदृढ़ केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कारोबारी मॉडल को अपनाए ताकि उसके ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि, जोखिमों को कम करना, ऋण निर्णयों में टीएटी का सुधार तथा बैंकिंग की सुविधा के लिए डिजिटल चैनल का प्रयोग किया जा सके, जिससे ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाकर तथा सुदृढ़ अर्जन प्रणाली द्वारा बैंक के कारोबार में वृद्धि की जा सके.

कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्माण के अंतर्गत नई पहल के रूप में, बैंक ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उत्कर्ष प्रोजेक्ट में निम्नलिखित **मुख्य संरचनात्मक रूपान्तरण के कदम** उठाए हैं.

- **एमसीबी (मिड कॉर्पोरेट शाखा) :** एमएसएमई के अंतर्गत केन्द्रीकरण पहल के रूप में, मिड कॉर्पोरेट कारोबार अनुभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक नए एमसीवी (मिड कॉर्पोरेट वर्टिकल) की स्थापना की गई है. संभावनापूर्ण क्षेत्रों में एमसीबी (मिड कॉर्पोरेट शाखाओं) की स्थापना की गई है एवं मार्च तक, छः विद्यमान एमसीबी का पुनर्निर्माण किया गया तथा एर्णाकुलम में एक नया एमसीबी खोला गया.
- **सरल :** एमएसएमई के अंतर्गत केन्द्रीकरण पहल के रूप में, एमएसएमई ऋणों के लिए एक प्रोसेसिंग प्रणाली सरल की स्थापना की जा रही है. पूरे भारत में 2017-18 के अंत तक 28 सरल की स्थापना/सुदृढ़ की जा चुकी है.
- **आरयूएसयू (ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी परिवर्तन) :** बैंक द्वारा किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन आरयूएसयू हब का निर्माण है. विशाल ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने हब एवं स्पोक मॉडल के माध्यम से (रैम) रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट डिलिवरी केंद्रीकरण का प्रयास किया है, जहां हब केंद्रीकृत प्रोसेसिंग केंद्र (यूनियन समृद्धि केंद्र के रूप में नामित) के रूप में हैं एवं मुख्य जिलों के ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाएं स्पोक होंगे. यह मॉडल शीघ्र निर्णय लेने को आसान बनाने के लिए डिजिटल माध्यम से हब को जानकारी प्रेषित करने पर बल देता है. इसके अतिरिक्त, आरडीओ अर्जन प्रणाली के रूप में कार्य करेंगे; इस क्षेत्र में कंपनी के साथ साझेदारी एवं टाई-अप के अवसरों की तलाश करेंगे. बैंक ने देश में कुछ ऐसे जिलों की पहचान की है, जहां ऐसे यूनियन समृद्धि केन्द्रों को स्थापित करने की बड़ी संभावनाएं हैं. बैंक लेनदेन एवं लीड सृजन के लिए बीसी (बिजनेस कॉरस्पोंडेंट) टच पॉइंट का व्यापक उपयोग करेगा तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी ग्राहकों को एम-पीओएस एवं एईपीएस (आधार समर्थित भुगतान प्रणाली) के जरिए कारोबार लेनदेन के लिए रसीद एवं भुगतान हेतु यूनियन डिजि कैश पॉइंट तथा पार्टनर के रूप में मर्चंट एस्टैब्लिशमेन्ट. बैंक ने पायलट के माध्यम से दिसंबर 17 में नासिक और करनाल क्षेत्र में इस पहल का आरंभ किया है.
- **कारोबार विश्लेषण :** बिज़नस इंटेलिजेंस यूनिट (बीआईयू) ने एटीएम के साथ-साथ शाखा में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए पूर्वसूचना मॉडल विकसित करने तथा आस्ति प्रबंधन के लिए ईडबल्यूएस (पूर्व चेतावनी) की ओर तेजी से कदम बढ़ाया हैं.

ग्राहक-सेवा में उत्कृष्टता लाने के लिए अन्य पहल:

1. कॉल-सेंटर, एटीएम तथा अन्य वैकल्पिक चैनलों को व्यवस्थित करना: बैंक के एटीएम न केवल नकदी प्रदान करते हैं बल्कि हाल ही में प्रेषण के 3 उत्पादों को एटीएम के साथ आरम्भ किया है. बैंक एटीएम के माध्यम से म्युचुअल फंड में निवेश, आयकर भुगतान तथा मोबाईल टॉप-अप जैसे अन्य उत्पाद की सुविधा भी प्रदान की है. इस प्रकार ये अधिकतम सेवा सुविधा का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम हैं. इसीलिये इन्हें **संपूर्ण एटीएम** का नाम दिया गया है.
2. गैर-ग्राहक संबंधी देयता गतिविधियों का नेशनल प्रोसेसिंग सेंटर पर केंद्रीकरण.
3. **यूनियन डिजिगाँव:** ₹500 और ₹1000 के पुराने बैंक नोटों के विमुद्रीकरण के बाद सक्रियता से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने और उनके बीच विभिन्न डिजिटल संव्यवहारों को प्रोत्साहित कराते हुए डिजिटल बैंकिंग जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया है. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से डिजिटल बैंकिंग की जागरूकता बढ़ाने के लिए, बैंक ने प्रत्येक अग्रणी जिलों में ग्रामों को अंगीकृत किया है. बैंक ने इन ग्रामों को "डिजिटल ग्राम" बनाने के लिए अपने अंचलीय कार्यालयों की मदद से 18 जिलों के 60 ग्रामों को अंगीकृत किया है, जिन्हें "यूनियन डिजिगाँव" का नाम दिया गया है, इन ग्रामों में भुगतान के डिजिटल चैनलों तथा व्यापारियों को संव्यवहार लेने, जागरूकता बढ़ाने, ग्राहकों/व्यापारियों को शिक्षित करने और प्रत्येक ग्राम में कैंप के आयोजन किए जा रहे हैं. चूंकि, ग्रामीण जनता और अर्थव्यवस्था में बैंक की उपस्थिति और प्रयास उपयोगी रहे हैं और इसके लिए व्यापारी या ग्राहक पर पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है, उपयोगकर्ताओं द्वारा इसकी बहुत प्रशंसा हुई है और प्रिंट मीडिया/टीवी चैनलों पर से प्रसारित खबरों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अन्य मुख्य बैंकों से अलग पहचान दिलाई है.
4. **पीओएस में नकद:** विमुद्रीकरण के दौरान, ग्राहकों को नकद आहरण की सुविधा के लिए हमने अपनी शाखाओं में 360 पीओएस मशीनें लगाकर शाखा में एक अतिरिक्त चैनल उपलब्ध करवाया था.
5. शिकायत निस्तारण प्रणाली को और अधिक ग्राहकोन्मुख बनाने के लिये बैंक ने आंतरिक बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है, जो ग्राहकों की उन शिकायतों के निस्तारण संबंधी कार्यवाही करते हैं जो 30 दिनों तक लंबित रह जाती हैं. इसके अलावा वे मामले भी देखते हैं, जिनमें बैंक के निर्णय से ग्राहक संतुष्ट नहीं होते हैं.

RISK MANAGEMENT

Disclosures under Basel III Capital Regulations and Pillar III

In accordance with RBI issued Master Circular on Basel III Capital Regulations dated July 1, 2015, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III capital requirements. The Bank has made these disclosures which are available on its website at the following link.

https://www.unionbankofindia.co.in/english/Basel_Disclosures_III.aspx

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2017-18

Section A: General Information about the Company

Union Bank of India, founded on 11thNovember 1919 with its headquarters in Mumbai, was inaugurated by Mahatma Gandhi, the Father of the nation in the year 1921. The Bank's core values of prudent management without ignoring opportunities is reflected in the fact that the Bank has shown steadfast growth and development during all 98 years of its operations. The Bank's focus is on qualitative growth in business while lending to productive sectors and ensuring asset quality is not impaired. This ensures that the Bank's performance in key business parameters improves year after year. The Bank now has 4296 Domestic branches and 7642 ATM's.

The Bank also has four full-fledged international branches in DIFC Dubai, Hong Kong, Sydney and Antwerp. The Bank is also having three representative offices in Shanghai, Beijing & Abu Dhabi and one wholly owned subsidiary, Union Bank of India (UK) Ltd, in London. The Bank has staff strength of 36877 who diligently adhere to the Bank's values and work towards achieving the Bank's vision.



UNION BANK OF INDIA WINS IBA BANKING TECHNOLOGY AWARDS

Union Bank of India won two Banking Technology Awards in an event organized by Indian Bank's Association (IBA). Bank won awards in Best Financial Inclusion Initiatives (Winner) and Best Payment Initiatives (Runner). Managing Director & CEO Shri Rajkiran Rai G. received the awards at the glittering award function organized by IBA at Mumbai on 23.02.2018.

The Bank is primarily engaged in providing Banking and Financial services to its customers and majority of the Bank's products and services broadly falls under three categories:

1. Deposits
2. Loans and Advances
3. Remittances and Collections

The Bank's activities are covered under the activity code - 6419 under "Group K: Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) - 2008" published by Ministry of Statistics and Program Implementation. The Bank has been a leader in infusion of technology and all its branches are computerized. The Bank has also introduced Core Banking Solution with connectivity between branches and cent percent of the business of the Bank is under Core Banking Solution.

Other useful information about the Bank is:

Corporate Identity Number (CIN) of the Company:	Not Applicable
Registered Address:	Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point, Mumbai – 400021	http://www.unionbankofindia.co.in
Website:	http://www.unionbankofindia.co.in
	2017 -18
E-mail Id:	busresponsehead@unionbankofindia.com
Financial Year reported:	2017 -18

Section B: Financial Details of the Company

The Bank's financials during the reporting year are as under:

(₹ In crores)

Paid up Capital	1169.00
Total Deposits	408502.00
Gross Advances	313860.00
Total profit after taxes	(-) 5247.00
Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR)	5.55
Total Spending on CSR as percentage of profit after tax (%)	-

Corporate Social Responsibility:

Union Bank of India is committed to the objective of corporate social responsibility (CSR) and integrates it into its business model by creating enablers for social and community development. The Union Bank Social Foundation, a trust set up by the Bank is spearheading its CSR initiatives. Through the trust, the Bank is engaged in empowering people through various developmental initiatives.

The Bank's CSR spend in 2017-18 is Rs. 5.55 Crores. Some of the notable projects undertaken by the Bank under CSR in the reporting year include:

List of some new CSR initiatives taken in 2017-2018:

- Donation for renovation of Bandra Railway station
- Donation for providing education software in Government schools in Raigad & Thane districts
- Donation for construction of water tank in Jagadguru Ramabhadracharya Handi-capped University, Chitrakoot, Rewa Region.
- Donation to Indian Cancer Society, Mumbai for treatment of cancer affected persons
- Donation for purchase of Ambulance to Sadguru Netra Chikitsalaya, Rewa
- Donation for construction of toilet blocks in Maharshi Dayanand Arts & Science College, Parel, Mumbai

- Donation for running mobile medical services to remote villagers in Hazaribagh, Ranchi, Chhattisgarh
- Donation to National Association for Blind, Mumbai for audio recording of books for blind persons
- Donation to Bharat Loksiksha Parishad for holistic development of tribal children through Ekal vidyalayas in Uttar Pradesh & Bihar.
- Donation to Mahavir International Welfare Association, Faridabad for purchase of Phacomulsifier system for eye treatment.
- Donation to Chaitanya sight Foundation, Tiruvananthapuram, Kerala for purchase of Ambulance for transporting patients.
- Donation for adoption of 300 girls students in Piplantri village, Udaipur by distributing books, Uniform, cycle etc..

Section C: Other Details

The Bank has three subsidiaries (Union Bank of India (UK) Ltd., Union KBC Asset Management Company Private Ltd and Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd), one joint venture (Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd) and one associate (Kashi Gomti Samyut Gramin Bank). The Bank's subsidiaries as well as its partners conduct their business in a responsible manner. The Bank is committed to providing the necessary knowledge and support to its subsidiaries and business partners regarding business responsibility.

Section D: BR Information

Governance related to Business Responsibility

Director responsible for implementation of the BR policy/policies:

DIN Number	03567831
Name	Shri Raj Kamal Verma
Designation	Executive Director

Details of the BR head:

DIN Number (if applicable)	Not Applicable
Name	Mrs. Rekha P Nayak
Designation	General Manager, Personal Banking & Operations Department, Central Office
Telephone number	022-22896600
e-mail id	gm.pbod@unionbankofindia.com

About Business Responsibility Report

This is the 6th year that Union Bank is publishing its BR report. As this is a regulatory requirement it is published annually along with the Annual Report. The BR performance of the Bank is evaluated annually by the Sustainable Development and CSR Committee of the Bank. The BR report of the Bank can be accessed on our website at the following link:

Main Page > Others>Policies & Disclosures

Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Do you have a policy/policies for the Principle/s	Yes									
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Yes									
3	Does the policy conform to any National / International standards? If yes specify? (50 words)	Yes, the Bank's Sustainable Development and Corporate Social Responsibility Policy is based on National Voluntary Guidelines on Social, En-vironmental and Economic Responsibilities of Business as released by Ministry of Corporate Affairs, Government of India.									
4	Has the policy being approved by the Board? If yes, has it been signed by the MD/owner/CEO/ Appropriate director	Yes, the Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy has been approved by the Board and signed by the Managing Director.									
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Direc-tor/ Official to oversee the implementation of the policy?	Yes									
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Main Page > Others > Policies & Disclosures									
7	Has the policy been formally communi-cated to all relevant internal and external stakeholders?	Yes, as the policy is uploaded on the website. However, to further increase awareness of the policy, suitable training programs will be conducted at different levels.									
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies?	Yes									

S No.	Questions	Principles of National Voluntary Guidelines (NVG)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Does the Company have a grievance Redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Yes									
10	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	At present the SD&CSR Committee of the Bank is monitoring the BR performance of the Bank at quarterly intervals. However, going forward it will also be evaluated by an external agency at periodic intervals									

Section E: Principle-wise Performance

Union Bank of India is committed to operating and growing its business in a socially responsible way. The Bank is convinced that businesses that address both the direct concerns of citizens and the needs of the environment will prosper over the long term.

This belief is at the core the Bank's vision is to grow its business, while reducing its environmental footprint and increasing its positive social impact. Union Bank of India is committed to this through the various CSR programs. The Bank's goal is to help people to improve their health and wellbeing, reduce the environmental footprint and enhance the livelihoods of people as the business grows.

The report provides an overview of the activities carried out by the Company under each of the nine principles as outlined in the National Voluntary Guidelines (NVG).

Principle 1 - Sound Corporate Governance

Union Bank of India takes pride in the good governance that dates back to the vision of the founders and of the fact that the subsequent leaders have built on this tradition over the years making Union Bank of India one of the leaders in the Banking Sector. Bank's actions are governed by its values and principles, which are reinforced at all levels of employment within the bank. Union Bank of India is committed to doing things the right way, that is ethical and in compliance with the applicable legislation thus leading to sound corporate governance.

The Bank follows a principle-based approach towards corporate governance which ensures the Bank delivers strong and effective governance which is respected by investors. As part of Corporate Governance the Bank has a Code of Conduct for Directors on the Board and its Senior Management. The Code of Conduct attempts to set forth the guiding principles on which the Bank operates and conducts its daily business with its multitudinous stakeholders, government and regulatory agencies, media, and anyone else with whom it is connected. It recognizes that-the Bank is a trustee and custodian of public money and in order to fulfill its fiduciary obligations and responsibilities, it has to maintain and continue to enjoy the trust and confidence of public at large.

The Code envisages and expects -

- Adherence to the highest standards of honest and ethical conduct, including proper and ethical procedures in dealing with actual or apparent conflicts of interest between personal and professional relationships.
- Full, fair, accurate, sensible, timely and meaningful disclosures in the periodic reports required to be filed by the Bank with government and regulatory agencies.
- Compliance with applicable laws, rules and regulations.
- Address misuse or misapplication of the Bank's assets and resources.
- Maintain highest level of confidentiality and fair dealing within and outside the Bank.

The Code of Business Principles is an extension of the Bank's values and reflects its commitment to ethical business practices across the operations. The Code also sets standards which not only meets the requirements of applicable legislations but goes beyond in many areas of its functioning.

Union Bank of India organizes "Vigilance Awareness Programme :



Mumbai – November 2, 2017: Union Bank of India organized a Vigilance Awareness program on the theme "MY VISION – CORRUPTION FREE INDIA" at Y B Chavan Auditorium, Nariman Point, Mumbai. This function was organized on the occasion of "Vigilance Awareness Week" being observed from 30th October to 04th November 2017. Dr. T M Bhasin, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, New Delhi, addressed the participants on importance of corruption free society, initiatives taken by Government & CVC to curb corruption & role of every citizen in this mission. Various dignitaries from Banking fraternity viz. MD&CEOs/ EDs & other Senior Executives attended the function.

The Bank also publishes a Corporate Governance Report with its Annual Report. The following policies are applicable to all the officers/ employees of the Bank:

- The Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976
- The Union Bank of India Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976
- The Bipartite Settlement/ Joint Note signed between the Management of various Banks represented by the Indian Banks' Association and the Bank Employees represented by various Employees' Associations/ Officers' Federation
- Sustainable Development and Corporate Social Responsibility policy

The Bank's good corporate practices have won it several laurels and recognition in the past years.

CMD, Union Bank of India wins 'Banker of the year' Award

Mumbai – June 20, 2017: Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Union Bank of India, was conferred with prestigious SKOCH AWARD – 'Banker of the year – Consistent Performance'. This highest Independent Honour in India was conferred today at the glittering function held at BSE Convention Hall, Mumbai.



(Seen in the photograph is Shri Arun Tiwari, Chairman & Managing Director, Union Bank of India, receiving prestigious SKOCH Award 'Banker of the year – Consistent Performance' at the glittering function held at BSE Conventional Hall, Mumbai)

UNION BANK WON BEST EMERGING BANK AWARDS AT IDRBT BANKING TECHNOLOGY EX-CELLENCE AWARDS FOR THE YEAR 2016-17

Union bank of india won best emerging bank award for the year 2016-17. The IDRBT banking technology excellence awards is synonymous with excellence in technology adoption, upgrada-tion, absorption and innovation. IDRBT banking technology excellence awards are the benchmark for recognizing banks, which innovate and explore technology to improve cost, reach, customer service and efficiency. 'Best emerging bank' award recognizes bank that has demonstrated commendable performance across multiple categories.



Bank's Executive Director Shri Raj Kamal Verma and GM-DIT Shri R Kandasamy received the award from Shri S. Ganesh Kumar and Shri Sudarshan Sen, Executive Directors, Reserve Bank of India in the function organized by IDRBT on 01.09.2017 at Hyderabad.

Principle 2 – Sustainable Products and Services

The Bank is aware both of the crucial role that it plays in the economy by providing financial products and services to individuals, companies and government bodies, and of the potential that it has to be a powerful agent of change by providing banking services to a wider section of population. The Bank strives to develop and offer financial products and services that, directly or indirectly, lead to long-term environmental benefit and social development.

The Bank's business strategies continue to be aimed at consolidating its business in chosen areas, focusing on core & retail business, taking steps for meaningful financial inclusion and strengthening systems & control. The thrust areas include strategic positioning of the Bank, developing new ideas to reach customers with new technology and deepening relations. As a partner in the progress of the country the Bank extends credit for the requirements of different sectors of economy whether it is big industry or the MSME sector, exports, trade, agriculture,

infrastructure or the personal segment. The Bank has been a pioneer in taking meaningful initiatives for Financial Inclusion catering to the needs of the disadvantaged, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank has the distinction of offering various digital products, services and solutions which provides the customer the convenience in fund transfer, inquiries, user friendly usage, high level security and various other features to attract customers to use digital channels of transactions. The bank has developed products which are environment friendly, especially for persons with disability and those for the benefit the society at large. Some the key products catering to customer needs as well as benefitting the environment/ society, are as follows:

1. **BHIM AADHAAR:** Bhim Aadhaar is a Merchant Payment Application which allows the customers to perform a purchase transaction using his/her Aadhaar Number and Biometric (Fingerprint) authentication. The transaction is interoperable in nature allowing any bank customer to transact on this Aadhaar based Merchant application provided it is an Aadhaar seeded Bank account.
2. **Bharat Bill Payment System (BBPS):** Bharat Bill Payment System (BBPS) functions with a single brand image providing convenience of "anytime anywhere" bill payment to customers. It is a single bill payment platform which covers repetitive payments for everyday utility services such as electricity, water, gas, telephone and direct-to-home (DTH) television service. This facility has been integrated under Bill Presentment module in Internet Banking.
3. **Union Sahyog:** Bank has launched Union Sahyog Application with an aim to simplify the procedure for disseminating various information about the organization and to provide a single interface across all mobile and web based payment channels. It's One App with multiple functionality feature aims to be more customer friendly in providing information on various product offerings of the Bank.
4. **Biometric Authentication ATM:** Union Bank is the first PSU Bank to introduce biometric authentication of ATM transactions. Presently 900+ ATMs have already been configured for biometric authentication across India for our card holders. This enables our ATMs with additional option of authentication by finger print of the card holders whose Aadhaar number has been seeded in their Bank Account.
5. **RuPay Prepaid Card:**RuPay prepaid card is another addition to our kitty of technology based products and services which depicts our bank as a true techno-savvy bank. These cards are to be issued to the customers through Finacle only. Loading and reloading of cards will be done at branch level which will facilitate a better control and reconciliation system.
6. **Debit Card Control:** Debit card control functionality has been introduced in our U Mobile through which customer can deactivate/activate his debit card and set his spending limit. This facility not only enhances customer confidence by exposing them to real time control over their card transaction but also introduce them to a new range of security level.
7. **Chat Bot:** Chatbot is a computer programme designed to simulate conversation with human users using Artificial Intelligence (AI). Chatbot conducts conversation to answer the question or issue at hand, deliver meaningful offers and make every day banking easier, faster and convenient. To cater such requirements Bank has come up with FAQ Chatbot Solution named as UVA (Union Virtual Assistant). At present UVA is integrated in bank's corporate website and official Facebook page. It can be accessed through UVA icon in website and facebook messenger at UnionBank Official.
8. **Contactless Debit Card:**Bank launched Visa Paywave Debit Card for all the customers irrespective of their Avg. Quarterly Balance. The Visa Paywave Debit Cards are based on the Near Field Communication (NFC) technology, which provides customers the improved convenience of speed as these cards require significantly less time than the existing Magnetic Strip/EMV cards to complete a transaction up to Rs.2000/- The Visa Pay wave Debit Card comprises both Chip and Antenna embedded in it which enables the card to work on both contactless and normal PoS terminal as well.
9. **Green PIN Solution for Debit Cards –** Green initiative (Paperless and Digital) and value added service launched; that offers an effortless and hassle free Pin generation by our debit card holder at any Union Bank ATM. Cardholder can generate new Pin and change his existing Pin through this solution.
10. **Union Connect –** Bank's official pages are launched in Facebook & Twitter on foundation day 11-11-2016 under project Union Connect to leverage business opportunities, enhancing brand image, educating customers, spreading awareness about our products & services in our built up community in social media platforms. Users are educated in ongoing business interactions, customer care, educating posts, organizing online events and resolving user's issues etc. We are also learning about the overall sentiment of customers about existing or new products, forwarding suggestion/ feedback to concerned team. Bank has also marked presence on YouTube and Instagram in FY 2016-18.
11. **UPI –** Through UPI(Unified Payment Interface), customer can send/receive money 24X7 using a smart phone with a

single identifier i.e. Aadhaar Number, Account Number with IFSC code or Virtual Payment Address without sharing bank account information.

12. **U Control –** This mobile based application for credit card customers is launched to facilitate card holders, who can disable/enable their credit card transaction for any specific channel. Besides this, customer can also block the card and set his spending limit within the sanctioned limit.

13. **Bharat QR –** A quick response code like 2D barcode, used to provide easy access to information through a smart phone is made available through Bharat QR. This code is allotted to a merchant by the acquirer bank and it contains the details of the merchant to whom the code is being allotted. As such, merchant can accept payment by QR code through scan & pay application available in consumer's Smartphone.

14. **Talking ATMs -** The Bank has pioneered the concept of 'Talking ATMs' in India which enables visually challenged as well as physically challenged persons on wheelchair to handle their transactions on voice guidance and hence called 'Talking ATM'. Bank has installed 1584 such ATMs across the country to facilitate Divyangs.

15. **IRCTC Union Bank Virtual Prepaid card -** The card is generated online and all details of the card viz. card no, PIN , CVV and expiry date is sent over mail to the customer . The details of the card can be used by the customer to book railway ticket and also do online shopping. Since the card is virtual card, it does not involve printing of plastics and also generation of paper PIN.

16. **NPA Recovery Application-** Union Recovery App helps staff members and recovery agents to log NPA recovery field visit notes in an easy, effective and efficient manner. This mobile application facilitates the field functionaries of the Bank to update, track and monitor loan portfolio of the respective branches. It provides Bank officials with the facility to view all the relevant loans with complete demographic details, assign/reassign the loans, update follow up calls and field visit details. This is user friendly application which assists the bank officials/ recovery agents to plan their route for the day to cover maximum accounts with better route planning thus helping in better time management.

17. **Operational Customer Relationship Management (OCRM) -** Union Customer Connect (OCRM) application allows Bank to cater to the needs of its customers in a very effective and efficient manner. It weaves the current applications to provide an end to end customer 360^0 view and enhance the overall experience of customer interaction with Bank. It also helps in customer grievance redressal and addressing service requests. Bank has won "Best Customer Service Innovation" award from M/s Infosys Ltd for this application.

18. **Aadhaar based e-KYC –** Aadhaar based eKYC solution is implemented by Bank for better customer experience. This solution offers an electronic, paperless KYC verification which eliminate the need of physical document verification along with enhanced security and credibility for Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) of customer.

19. **Virtualization and Cloud Computing –** Bank has set up hyper-convergedon-premise Private Cloud with enhanced Hardware, Network and storage performance which can be dynamically allocated among applications for better scalability. Virtualization also helps in efficient resource and security management. It also aids in reducing carbon footprint which clearly indicates Bank's strict commitment towards a sustainable environment.

20. **Toggle for Debit card –** Bank has introduced functionality in existing mobile banking application to turn on/off the debit card which is additional security feature to safeguard the debit card against any misuse. User can also set the withdrawal limit of debit card using this functionality.

21. **Cyber Security Operations Centre (CSOC):** Cyber-attacks targeting financial insti-tutions are increasing day by day. In view of this, Bank has set-up on-premise Cyber Security Operations Centre where all the applications are integrated to prevent any kind of cyber-attack and to safeguard the customer information residing on Bank's Datacentre. Under this project, Bank has implemented various solutions like Security Information and Event Management (SIEM), Web Application Firewall (WAF), Network Behavior Anomaly Detection (NBAD), Privilege Identity Management (PIM), Advanced Persistent Threat (APT), Decoy, Vulnerability Management, Mobile Threat Protection (MTP), Anti-phishing services etc.

22. **LENDperfect mobile application for Agri-loans:** LENDperfect is tab-based appli-cation designed for capturing details for the agricultural based loans. It is being utilized by the Bank staff for on-the-spot documentation process, application filled forms, rules and regulations for loans, required documents etc which are attached to a single profile created within the tab application. This helps the Bank to track and identify if a prospective customer has already approached them for loan earlier. All information related to that customer will be available in one single unit in electronic format with external agencies cross-reference for their creditworthiness.

23. **Integration with Haryana Urban Development Authority (HUDA):** Successfully integrated various Challans issued by Haryana Urban Development Authority (HUDA) with Bank's CBS system in order to generate e-receipt confirmation from HUDA server post challan submission in Branches which

directly sends confirmation to HUDA server for generation of e-receipts without any manual intervention.

24. **Panch-Parmeshwar Portal (Panchayat Raj Directorate, Govt. of Madhya Pradesh):** Bank has successfully integrated with Panch-Parmeshwar Portal (Panchayat Raj Directorate, Govt. of Madhya Pradesh) for centralized payments to its beneficia-ries. This is an end-to-end automated flow for processing the authorized monetary advisories, thus, eliminating any manual intervention. Paperless payments are done directly in the accounts of beneficiaries. It also ensures reconciliation of payments & receipts centrally and proper utilization of funds. It also eradicates the possibility of having garbage data, untimely submission of status reports and accountability. It is digitally signed secured Payment.

25. **Digitization of Processes:** To bring more products under digital platform, for ease of doing business and increasing volumes, as a step towards Responsive Banking.

    a. E-PPO: Integration of e-PPO with Railway, Telecom, Defense etc.

    b. E-NPS: Opening of Account & Contribution through online mode.

    c. E-Sukanya Samridhi Scheme: Opening of Account & Contribution through online mode.

26. Various measures have been taken for digitization of business processes and boosting administrative efficiency like expansion of centralized account opening under Document Management System, digitization of loan proposal, e-Learning.

27. "Online Account Opening" facility for targeting the tech savvy customers. This is a Web based SB account opening facility through which a prospect can open his/her savings account by visiting the Bank's website.

28. Bank is implementing NRLM /NULM Scheme of Government of India for upliftment of poor Women in country through SHG-bank linkage programme.

29. Loans to farmers for purchase of renewable energy equipment for agriculture and allied activities: Scheme to provide loans to farmers to install solar water pumping systems to harness solar energy for pumping water by water pump, solar water heating systems with necessary accessories for usage in Agro Processing Units and solar lighting systems for operating LED lights and small DC loads.

30. **Union Bio Tech -** This product has been designed to promote tissue culture technology and poly houses in the country.

31. All products and services catering to the needs of Micro, Small and Medium (MSMEs).

32. All products, services and schemes falling under Rural and Agri banking.

    The Bank's ATMs are not just cash dispensation machines but also offers remittance facilities viz. NEFT through ATM, Interbank Mobile Payment Services (IMPS), and Union e-Cash: a mobile based funds transfer which facilitates the receiver to draw cash from ATM based on mobile authentication. The Bank has a laid down policy for the disposal of old records after perforation and subsequently sending the same for re-cycling.

    The percentage of recycling of product and waste falls in category above 10%. The Bank procures most of its consumables through locally based suppliers. The Bank's commitment to small and micro enterprises is enshrined in a code of commitment to the segment which ensures easy, speedy and transparent access to banking services in their daily operations and in times of financial difficulty to the unit.

Union Bank of India launches Contactless Debit Cards



The Contactless Debit Card was ceremoniously launched by Shri RajKiran Rai G, Managing Director & Chief Executive Officer, Union Bank of India in the august presence of Executive Director Shri R K Verma and Ms Manmeet Vohra VISA Marketing Head - India South Asia along with her team.

The Union Bank Contactless Debit Card facilitates cardholders to make electronic payments quickly by just waving the card near the merchant terminal in lieu of dipping or swiping the card. In terms of features, the card comprises both Chip and antenna embedded in it, which enables to work on contactless as well as normal POS terminals. Hence, customers can use the card at either of the terminals as per their convenience. Contactless card has the unique proposition of one card for all payments, eliminating the requirement of carrying separate cards for transit payments (Bus, Metro, Cab etc.), toll, parking, small value offline retail payments as well as normal day to day retail payments

Union Bank of India launches Union Sahyog App for its customers

UNION BANK DRIVES HI-END TRANSFORMATION THROUGH HANDS-ON DIGITIZATION

Mumbai, 13th Oct 2017: Driving the rollercoaster wave of India's Digital transformation, Union Bank of India has launched trailblazing innovation with the big launch of its app Union Sahyog, which will bring entire customer facing banking on the mobile.



The Union Sahyog App facilitates easy viewing of the bank's extensive product offerings in both English and Hindi language; seeking to serve hands-on convenience to Union Bank customers and others on their mobile devices. While Union Sahyog is downloadable from Play Store and operable for android phones; it will be available soon in iOS too.

Union Bank of India launches new e-comfort Lobby at Nariman Point



(Seen in the photograph are Shri Rajkiran Rai G, Managing Director & CEO, Union Bank of India along with Shri Rajkamal Verma, Shri Vinod Kathuria, Executive Directors, Union Bank of India, Shri Israq Ali Khan, General Manager (SSD), Dr. K.L. Raju, Field General Manager, Mumbai, Shri H.C. Mittal, Regional Head, Regional Office, South, & Shri Pranjal Bajpai, Branch Head, Mumbai Main Branch on the occasion of launch of new e-comfort lobby at Nariman Point, Mumbai.)

Principle 3 – Employee Welfare

Sustainable, profitable growth can be achieved only when people work in an organization where performance is aligned with values. Bank is an agile and diverse organization, with people motivated to doing good while doing well.

HR INITIATIVES

Union Bank of India believes a trained, motivated and productive workforce is the Bank's biggest asset. Keeping this in view, Bank has taken many proactive steps in improving or ganizational efficiency by augmenting Human Resource Management. It is attracting young talents which are being mentored by the experienced employees of the Bank. Bank has streamlined various policies, processes & systems and defined, documented roles with job clarity and uploaded the same on the Intranet with feedback mechanism. HR has imple-mented the following:

1. Transparent & objective Performance Management System (PMS) incorporating Government of India guidelines on the same.
2. Bank has initiated succession planning for critical roles and is in the process of building leadership pipeline.
3. Introduction of HR Suvidha, a centre for facilitating centralized sanctioning of employee benefits and employee claims including grant of fitment on promotion, etc., has greatly enhanced employee satisfaction.
4. HR Apke Dwar, a dedicated window for redressing employee grievances is helping in narrowing down the friction in employee relations. Union Bank of India is the first PSB to have a dedicated online grievance redressal portal. The issues raised in this platform are addressed on real time basis.
5. Union Bhavishya is a project with the objective of training and equipping such future leaders to take the bank to the next decade with confidence.
6. Similarly, many other such initiatives have been taken during FY 2017-18, the objective of which is to keep the employees engaged, competitive and contended.

WORK-LIFE BALANCE

There are several initiatives undertaken by the Bank to promote work-life balance for Union Bank of India employees and makes every effort to establish employee connect and employee satisfaction. The Bank has an attractive Promotion Policy including Fast Track Promotion to take care of meritorious employees. The object of the policy is to provide wide exposure and motivation through the promotion system and ensure career movement for employees in the Bank.

The Bank also provides facilities, benefits and welfare measures to its employees so that they are able to maintain a good work-life balance. The care of the medical requirements of its employees is undertaken through a hospitalization scheme with a tie-up arrangement with many hospitals across the country. The Bank has 24 welfare schemes grouped under five major categories viz. canteen subsidy, education, medical & hospitalization, retired employees and other welfare measures.

Some of the other measures for the employees include Health Camps, celebrations on Bank's Foundation Day, Hindi Divas, Independence Day, Republic Day, etc., Silver Jubilee Awards and Recognition to employees and their wards for excellence in Education, Sports, Cultural activities etc. As on 31st March 2018, the Bank had a total of 37589 employees, out of which 8922 were women employees and 869 were employees with disabilities.

Union Bank of India celebrates International Women's Day

Mumbai, March 08, 2018 : Union Bank of India celebrated International Women's Day with gaiety and fervor at a glittering function held at Mumbai on 8th March 2018. On the occasion, Shri Rajkiran Rai G, Managing Director & CEO, Union Bank of India, extended warm welcome to Ms. Shikha Sharma, Managing Director and CEO of Axis Bank, who was the Chief Guest for the function. A feeling of pride and sense of belongingness amongst the employees marked the event.



On the occasion of International Women's Day, Union Bank of India felicitated Women Achievers viz. Ms. Rupinder Brar (IRS), Ms. Mumtaz Shaikh (Social Worker)

Respect for Human Rights:

The Bank is committed to respecting and upholding human rights in all areas of its opera-tions and within its sphere of influence. The Bank has established the "Sexual Harassment Redressal Committee at work places" and has put in place adequate grievance redressal mechanism to address any related concerns. The Bank also respects the right of its employees to form groups/associations and collectively voice their concerns. There are several employee associations out of which the Bank recognizes the ones which have the majority membership of the total strength as Representative Union/Association.

Welfare of SC/ST Employees

Bank has appointed a senior executive of the rank of General Manager as Liaison Officer for SC/ST and OBC employees. Regular quarterly meetings are held by the Liaison Officer with representatives of the SC/ST Employees Union for resolving issues concerning their welfare.

Industry Level Wage Settlement

Wage negotiations take place between Indian Banks' Association representing the Banks and the recognized Unions/Associations through a process of collective bargaining and negotiated settlement of demands. This wage revision is valid for a period of 5 years. The wage revision talks for XI Bipartite Settlement is in progress.

Union Bank of India wins Golden Peacock HR Excellence Award

Mumbai - February 9, 2018: Union Bank of India won the Golden Peacock HR Excellence Award for the year 2017. Union Bank of India won this Award fourth time in a row. The award is instituted by the Institute of Directors (IOD), New Delhi and the Award was given away by Hon'ble Justice M.N.Venkatachaliah,Padma Vibhushan,National Chairman,Institute Of Directors ,India and former Chief Justice of India at a glittering function held at Bengaluru.



Seen in the photograph is Shri Atul Kumar, Deputy General Manager (HR), Union Bank of India & Shri Kalyan Kumar, Principal, Staff College, Union Bank of India receiving the Golden Peacock HR Excellence Award from Hon'ble Justice M.N.Venkatachaliah, Padma Vibhu-shan, National Chairman,Institute Of Directors, India and former Chief Justice of India.

Training and Employees' Skill Development

Training in Union Bank is a bank-wide responsibility managed with a sense of total commitment by the top management to meet the needs of its multi-channel service outlets and the employees owning it. As a learning organization, the Bank focuses on acquiring contemporary knowledge, continuous re skilling and up skilling activities and attitudinal improvements. The Training Mission Statement of the Bank is "To promote a culture of continuous learning for the development of the individual and the Bank". The Bank's endeavor is to "train to excel and excel to train". Providing need-based training to the staff members and to match it with the organizational needs is one of the strong features of Bank's training system. The training needs are assessed and catered for all employee cadres' right from a house keeping staff to a Top Executive. The Bank is committed to

ensure that the staff members are competent in basic work skills and knowledge of their individual responsibilities. The training needs in the entire organizational life cycle of an employee from entry to exit is catered by the training system with its Apex college at Bangalore and 8 training Centres located across the country at Aluva, Ahmedabad, Bhopal, Bhubaneshwar, Gurgaon, Kolkata, Lucknow and Powai (Mumbai). To meet the emerging demands, programs are conducted at various regional locations depending on the organizational need. With a view to provide up to date training to the staff, judicious mix of internal and external faculty is engaged. In deserving cases, staff members are also deputed for overseas training. During FY 2017-18, training system conducted 956 Calendar Programs, 87 Locational Programs and 42 Workshops covering 28,172 staff members. Apart from this, 267 officials were also nominated to various programs at reputed external training Institutes.

Union Bhavishya: Capacity building is an ongoing process through which individuals, groups, organizations and societies enhance their ability to identify and meet development challenges. It also aims at understanding the obstacles that inhibit people and organiza-tions from realizing their development goals. Our bank has taken up Union Bhavishya project with the objective of training and equipping such future leaders to take the bank to the next decade with confidence.

To take forward this initiative, the bank has hired M/s McKinsey & Company, a consul-tant of international repute. The salient features of program are as under:

1. To empower employees and make them future ready to take hugher responsibilities and business roles;
2. Enable change of mindset and behaviour of the future leaders to create a desire to excel and take up ownership;
3. Orientation towards driving key business outcomes;
4. Accelerate development of individuals to drive change by equipping themselves with deep functional skills, making them more effective in current roles and ready-ing them for new roles faster;
5. Build internal Capability(Train the trainer) to ensure sustainability e.g. training Branch managers, ULP Heads, Saral heads and Regional Heads;
6. Buildleaders of the future.

EQUAL OPPORTUNITY OF EMPLOYMENT

For recruitment of management and supervisory staff / officers, clear guidelines exist concerning the identification and authorization of vacancies to be filled, with appropriate authority levels for these. For recruitment of skilled as well as unskilled labour, the guidelines specify merit-based approach for selection of candidates. Bank has a sharp focus on gender diversity.

SECURE WORKPLACE

Bank has a policy on affirmative action and a policy on prevention of sexual harassment to ensure a harassment free workspace for its employees. Sexual harassment cases are dealt under the Anti-Sexual harassment Policy & Processes. All employees of Bank and other subsidiaries are communicated on the various aspects of prevention of sexual harassment at work through e-mailer articles and other means of communication regularly.

FREEDOM OF ASSOCIATION, PARTICIPATION AND COLLECTIVE BARGAINING

Bank follows the principle of freedom of association and right to negotiate. Promotion from workman and staff to officer has an exclusive and transparent process.

The human rights practices of Bank assure respect for the right of employees to freedom of association and recognition of employees' rights to collective bargaining, where allowable by law.

GRIEVANCE REDRESSAL

Bank has clearly spelt out guidelines to prevent use of child labour, forced labour, discriminatory employment and sexual harassment in its own operation as also for its business partners / suppliers.

The Bank Policies provide mechanism for reporting of such issues. The Bank has provided a dedicated e-mail address to which all complaints can be sent. The privacy of the complainant is always protected. The Bank has put in place systems and mechanisms to ensure non-retaliation and non-victimization of the complainant.

All complaints, including complaints of sexual harassment, received are dealt as per bank-ing regulations. During the year, there have been no complaints alleging child labour, forced labour, sexual harassment, involuntary labour and discriminatory employment.

Principle 4 – Stakeholder Engagement

For the Bank, stakeholder management is of vital importance as it helps the Bank to deliver its commitments and succeed as a business. Bank actively engages with stakeholders groups such as customers, shareholders, investors, employees, media and NGOs.

The Bank identifies a stakeholder as somebody who is influenced by the Bank's operations or who influences the Bank's operations. Depending on the extent of influence they are either 'Primary', 'Secondary' or 'Key'.'

Primary 'stakeholders of the Bank include, but are not limited to, employees, Customers, 'Secondary' stakeholders include, but are not limited to Local Communities, Suppliers, NGOs, Industry Associations, and 'Key' stakeholders include shareholders

and promoters Regulatory bodies etc. The Bank continues to formally or informally engage with almost all of its stakeholders using a host of communication channels.

The Bank has identified some of its stakeholders as disadvantaged, vulnerable or marginalized and strives to provide special products/ schemes for them. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers, MSME customers, Self-help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes, the details of which can be found on the Bank's corporate website.

The Bank's key stakeholders are as follows:

Customers

The focus of the bank is to provide excellent customer service at all touch points of the Bank, whether it is a branch, ATM, Internet Banking, mobile banking, Call center etc. To continue the aim of achieving excellence in customer service the Bank has taken the following measures:

- Appointed Customer Relationship Officers, whose mandate is to be in constant touch with customers in order to enhance relationship value
- Training programs for its staff members to help them convert the complainants to campaigners.
- Educating customers about various new products and services through campaigns in both the print and electronic media. The Bank has in the past received ABCI (Association of Business Communication of India) award for Marketing and Branch Communication.
- Set up a 24x7 call center to address any queries of the customers.
- Holding quarterly customer meets at the branch, regional and corporate office le-vels. The Bank uses this forum to communicate to its customers, information on the latest product and service offerings as well as on important aspects like 'know your customer' (KYC) compliance, safeguards while using Internet banking and to ensure safe and secure banking. In such meetings, the bank's quarterly performance is also communicated to the customers.
- The Bank has set a dedicated customer care unit which replies to all customer communication and also analyses the feedback for systemic improvements. This has helped in bringing down the number of complaints on non-receipt of PIN generation for Internet Banking, ATM etc. The Customer Care Unit also tracks the satisfaction level of the customer with regard to the resolution of his/her complaint.

Employees

- The Bank's in-house magazine Union Dhara continues to be an excellent means of internal communication between management and employees with the objective of creating oneness among the staff members and also stimulating their duties, loyalty and creativity. Union Dhara has been consistently winning awards from Association of Business Communicators of India (ABCI).
- Through the Bank's Intranet portal hosts all internal policies, guidelines, codes, communication from Chairman and Managing Director which is accessible to all employees.
- MD&CEO/ED/General Managers from Central Office periodically visit the field/branches.
- The Bank has a dedicated online system for obtaining feedback from staff members across the country under the title innovation@unionbankofindia.com. The suggestions received from employees for development/modification in product, process and services are collected, analyzed and considered

Investors

- The Bank publishes abridged balance sheet along with highlights of performance every quarter in prominent newspapers.
- The Bank also sends a half-yearly communication to the shareholders about the performance of the Bank.
- The Bank holds analysts and investors meet on a quarterly basis

Society

- The Bank maintains continuous liaison with the Govt. and other peer banks and proactively participates in various policy formulations and industry level issues to improve the functioning of banking industry in India.
- The Bank has adopted 211 Villages to convert them as Adarsh Villages. The Chair-man, MD & CEO and Executive Directors visit these villages on a periodic basis to interact with the villagers and enhance the effectiveness of the program.

The Bank has identified some stakeholder groups as disadvantaged, vulnerable & marginalized. Some of these stakeholder groups include, but are not limited to, Agri customers; MSME customers, Self-help Groups (SHGs), minority groups, urban labour and hawkers, villagers living in backward villages, visually and physically challenged people etc. For all such stakeholders, the Bank offers special products, services and schemes. The vulnerable & marginal farmers are being organized under Self Help Group & Joint Liability Groups & required financial support is extended in a hassle free manner. Apart from this, under PMJDY overdraft of Rs. 5000/- is made available with simplified formats.

The Bank is also providing schemes under social security schemes/programs of the government such as PMJJBY,

PMSBY and Atal Pension Yojana. Talking ATM enables visually challenged persons to do transactions on voice guidance. The ATM site is so designed that physically challenged persons even on wheel chair can go inside and do transactions.

Principle 5 – Respect for Human Rights

Union Bank of India upholds the principles of human rights and fair treatment and hence conducts operations with honesty, integrity and openness and with respect for human rights and interests of employees. As a responsible Corporate entity, the Bank not only follows in letter and spirit all the guidelines, instructions, directives issued / notified by the Central / State / Local Government/s or other Statutory Authorities regarding Human Rights but also follows them in spirit.

The Bank's SD&CSR policy states that the Bank will uphold the principles of human rights and increase general awareness of human rights for stakeholders across the value chain. The Bank expects its business partners including suppliers, business correspondents etc. to respect human rights of their workforce and avoid any violation regarding the same. The Bank did not receive any complaints regarding violation of human rights in this reporting year.

Principle 6 – Impact on Environment

The Bank, as a responsible corporate entity is aware of its obligations towards environ-ment. The Bank has undertaken several initiatives to reduce its environmental footprint. It has been adopting constant steps in order to reduce its carbon footprint, for example utilizing LED lighting fixtures, eco-friendly refrigerant gas in air conditioners, utilizing energy efficient air-conditioners and non-conventional sources of power like solar energy wherever new projects are initiated. The ultimate gains at present are not measurable. However, the effects are visible in the energy bills and the endeavor is to rigorously implement the initiatives for reduction of greenhouse gas emissions.

The Bank is taking steps towards increasing its use of solar energy primarily for ATMs; heating requirements in the Bank as well as in the Training Centers. Air conditioners and lighting fixtures at use in the Bank's premises are energy efficient and star rated for energy efficiency. The refrigerant gas in the air conditioners (R-407c) used by the Bank reduces its carbon footprint.

Some of the other environment friendly measures introduced by the Bank are:

- Installation of energy efficient systems such as CFL fittings and LED fittings.
- Installations of LED signage.
- Installation of Air Conditioners with BEE certification & Car with CNG
- Rain water harvesting in Bank's building which helps in the conservation and re-charging of ground water level.
- Employing Busbar trunking system to ensure safe and cost efficient flow of power in all kinds of applications. The Bank has carried out re-engineering of External Electrical Distribution system of Central Office Building wherein the power supply distribution of floors was done through state of the art Bus Bar Trunking System.
- Green Data Centre in Powai, Expansion of Data Centre in Technology Centre, Powai Building wherein energy saving the electrical system along with Air-conditioning system has been installed. The precision Air-conditioning system is based on Electronic cooling technology and eco-friendly gas whereas the Variable refrigerant system was incorporated for cooling of UPS/Battery Room.
- Occupancy sensors to regulate the lighting in cabins.
- Maximum usage of day light by improvement through some of the 'green building' concepts.

Principle 7 – Advocacy for Public Good

Union Bank of India practices pro-active advocacy with an aim to bring about a positive impact in the business eco-system and communities. Proactive advocacy for Union Bank of India is not just about lobbying the Government for securing certain benefits for industry, but is also about advocating certain best practices for benefit of the society at large.

Senior executives of the bank are nominated to various committees of Reserve Bank of India (RBI), IBA and other bodies on improvement in customer service. The Bank is also a member of the financial and industry related trade chambers and associations and through these platforms, such as trade chambers and industry associations that the Bank does its advocacy for public policy. The Bank also has a channel of communication with the concerned officials to help shape public policy on laws and regulations that affect its business and its employees. The focus areas of the Bank for policy advocacy have primarily been Inclusive growth, Economic Reforms, Financial Inclusion and Financial Literacy. The Bank is a member of the following financial and industry related trade chambers and associations

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Institute of Banking & Finance (IIBF)
- The Associated Chambers of Commerce and Industry(ASSOCHAM)
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)

- Confederation of Indian Industry (CII)
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

The Bank proactively engages with these bodies and provides inputs on a wide range of issues such as Annual Budget, Credit Policy / Monetary Policy, guidelines on product pricing, various surveys etc.

Principle 8 – Inclusive Growth

RBI defines Financial Inclusion as the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as the weaker sec-tions and low income groups at an affordable cost from mainstream financial institutions. The Bank had drawn a three year Financial Inclusion Plan 2016-19 approved by the Board with a Vision "To reach the unreached by extending financial services at an affordable cost on an "ongoing basis" to improve quality of life of those who have been hitherto deprived of financial services from formal Financial Institutions".

As at 31st March, 2018, the Bank has achieved the following as part of its Financial Inclu-sion initiatives:

- Bank has extended its reach to 18396 unbanked / marginally banked villages by providing basic banking services through Business Correspondent (BC) Model by engaging 5407 Bank Mitrs in these villages;
- 245.55 Lakhs FI customers' accounts were acquired under Business Correspondent & Branch Model and a sum of INR 2332.77 crores was mobilized as deposit through these customers;
- Microloans were extended as emergency credit and also to promote economic activity among the rural/urban poor. The Bank also provides micro insurance & pension at nominal premium/charges;
- The Bank has a tie-up with Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP), a NGO for financing of Self Help Group (SHGs) in Karnataka & Kerala. SHGs are primarily engaged in agriculture & various allied activities to generate gainful employment & income for villagers. The outstanding under Micro Loans (SKDRDP & Pragati) is Rs 884.64 crores under BC Model to SHG/ JLG. The project is presently implemented in Belgaum, Bangalore, Mangalore and Kozhikode Regions.

1. Financial Literacy:

Our bank has established 30 FLC centers in all 14 Lead Districts along with 16 in Non Lead Districts; a total of 5328 village camps were organized to create awareness about financial literacy and banking services amongst customers. Till March 2018; 2,15,820 individuals have been counseled in camps. 54,833 persons were brought to banking fold by opening their accounts and facilitating them with credit facilities.

Bank has conducted several Digital Banking Awareness Camps through our FLCCs especially in Kerala and U.P. apart from routine camps by Rural branches at regular intervals.

We have been accorded approval by NABARD for grant assistant under Financial Inclusion Fund (FIF) to organize "Going Digital" special financial literacy camp. Rural Branches have conducted 230 Going Digital Camps and our FLCs have conducted 814 Going Digital Camps so far.

2. Union Adarsh Gram Yojna (UAGY):

As a part of its commitment to the nation, the Bank launched "Union Adarsh Gram Yojna" under its Corporate Social Responsibility (CSR) project by adopting 211 villages across the nation.

3. Lead Bank Scheme:

The Bank is proudly fulfilling the Lead bank responsibility in 14 districts spread over 4 States of the country. In these districts the Bank not only continuously increases its Branches and carries on its normal banking activities but also works with the local government for the District Credit Plan. It helps monitor its progress of the DCP and other government sponsored schemes. The Bank also has 14 Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) where rural youth are provided with training and skill up-gradation for running their micro enterprises. The Bank is also implementing Women's Self Help Group (WSHG) in 4 identified backward districts to empower women.



4. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

The Government of India launched India's largest Financial Inclusion Programme – Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana in Aug'14 with the aim to provide access to basic Financial Services to all households in the country. The programme consists of an integrated approach using six pillars:

Universal access, Basic Banking Accounts with overdraft facility, Accident Insurance and Rupay Debit Card, Financial Literacy, Credit Guarantee Fund, Micro Finance and lastly unorganized sector pension schemes. These pillars are to be implemented in two phases.

Phase 1 launched on August 28th 2014 aims to providing universal access to Banking Facilities with opening of Basic Banking Account for Saving, remittance and Rupay Debit Card with inbuilt accidental insurance cover of INR1 Lac. It also involves undertaking of Financial Literacy.

Major highlights of our performance under PMJDY		
1	Total Villages covered	18,396
2	Sub Service Areas (SSAs)	5,407
3	Urban Wards	2581
4	Total Households Surveyed	72.34 Lacs
5	w/w a. Rural Households	45.54 Lacs
6	b. Urban Households	26.80 Lacs
Performance as of 31st March 2018		
7	Accounts opened as on 31st March 2018	86.22 Lacs
8	Rupay Cards issued as on 31st March 2018	48.83 Lacs
9	Balance in accounts as on 31st March 2018	1930.64 Crores
10	Accounts opened under E-KYC under PMJDY	15.62 Lacs

5. Financial Literacy:

The Bank has been undertaking various activities for spreading awareness about PMJDY through its 26 FLC Centers and Rural Branches. The Bank has published comic books as well as posters and other reading materials.

Union bank of India launched a unique initiative in this direction on 1st January 2015 and conducted 60 financial literacy camps in eastern Uttar Pradesh in collaboration with Indian School of Micro Finance for Women (ISMW). In these camps, the Bank had set a target of providing financial literacy to around 15000 participants of which 80% were women and to spread the awareness on linkages, benefits and entitlements under PMJDY. In these camps, the Bank disseminated following information about PMJDY

1) Use and benefits of having Rupay card
2) Aadhaar Card linkage and benefits
3) Insurance linkage under PMJDY
4) Loan and overdraft facility
5) Information's on Savings, borrowings and high cost debt
6) Mobile Banking and usage of technology

Each camp had participation of about 250-300 women and the duration of each camp was about 4 hours. The participatory tools and training aids included videos, films, plays, post-ers, FAQs etc. and were conducted by trained personal of ISMW. The participants were also provided some handbooks.

Rural Self Employment Training Institute (RSETI): Bank has established 14 RSETIs in 14 Districts of the country where the Bank has Lead Bank responsibility. Currently Bank's RSETIs are functioning at

- Azamgarh, Bhadohi, Chandauli, Ghazipur Jaunpur, Mau, Varanasi -Uttar Pradesh;
- Khagaria Samastipur - Bihar;
- Rewa, Sidhi & Singrauli - Madhya Pradesh
- Ernakulam, Idukki - Kerala.
- RSETIs have been established with the objectives of providing intensive short-term residential self-employment training programmes with free food and accommodation to rural youth for taking up self employment initiatives.
- As of March 2018, total number of candidates trained in our RSETIs is 63771, out of which 41374 candidates have been settled with settlement rate of 65%.
- As per assessment of the Ministry of Rural Development during FY 16-17 out of our 14 RSETIs, 10 RSETIs received "AA" grade, 3 RSETIs received "AB" grade & 1 RSETI received "BB" .

Self Help Groups:

- The scheme of micro credit through Self Help Groups (SHGs) is an effective instrument providing assistance to the poor by creating self employment opportunities and making them credit worthy. During the year, the Bank has credit linked 1.83 Lac SHGs. As of March 2018, outstanding loans to SHGs stood at Rs. Rs. 1538 crore.
- Considering the role played by SHGs in empowerment of women, the Bank is focusing on formation and financing of women SHGs (WSHGs). As per the directives of the Ministry of Finance, the Bank is implementing the WSHG scheme for women empowerment in 4 identified districts of the country viz. Rewa, Sidhi, Chandauli & Jaunpur.
- The Bank is also implementing the interest subvention scheme under National Rural

  Livelihood Mission (NRLM) for the benefit of Women Self Help Groups in 250 identi-fied Districts

6. Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):

- Under PMMY our Bank extends finance to the micro enterprises which are in the business of manufacturing, trading and service sector in rural, urban & metro areas.

- PM MUDRA Yojana opens door to various new & existing entrepreneurs to avail credit from banking channel. This leads to increased customer base for credit to the bank.
- **Position of Mudra Loan as on 31.03.2018.**

(Amt in Cr)

Loan Category	Sanctioned		Disbursed	
	A/Cs	Amount	A/Cs	Amount
Shishu	41160	162.37	41160	143.46
Kishore	128058	2654.85	128058	2408.48
Tarun	15919	1191.2	15919	1041.53
Total	**185137**	**4008.42**	**185137**	**3593.47**

7. PHASE II OF PMJDY

The second phase of PMJDY involves the following

- Overdraft facility of up to INR 5,000/- after six months of satisfactory performance of saving / credit history.
- Micro – Insurance.

The Bank has disbursed overdraft for ₹**170.13 lakhs** in **7277** accounts under PMJDY as on 31st Mar, 2018. Bank has made OD under PMJDY facility available through ATM and SMS channels also. The Bank will be providing Micro Insurance & Pension to the poor and under privileged through the following three social security schemes.

- **Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana [PMSBY]:** It will cover accidental death risk of INR 2 Lacs for a nominal premium of INR 12 per year for age group 18-70 years.
- **Pradhan Mantri Jeevanjyoti Bima Yojana [PMJBY]:** It will cover natural and accidental death risk of INR 2 Lacs. The yearly premium will be INR 330. It is for age group 18-50 years.
- **Atal Pension Yojana [APY]:** The scheme will provide defined pension to individuals depending upon the amount and period of contribution for age group 18-40 years.

Position of Social Security Schemes as on 31st Mar, 2018

Scheme Name	Male Customer	Female Customer	Total Enrollments
Atal Pension Yojna	214232	102179	316411
Pradhan Mantri Jeevan Beema Yojna	785478	480905	1266383
Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojna	1698233	1172159	2870392
Total	**2697943**	**1755243**	**4453186**



Performance under Stand up India Scheme as of 31.03.2018:

S No	CATEGORY	Since 01.04.2017 to 31.03.2018		
		Sanctioned		Disbursment
		No of Ac	Amount	Amount
1	SC (Only Male)	15	224.26	193.71
2	ST (Only Male)	0	0.00	0.00
3	Woman Entrepreneurs	332	6880.11	5937.87
	Total	347	7104.37	6131.58
6	w/w			
	Minority	50	990.74	855.97

8. Direct Benefit Transfer (DBT)/Direct Benefit Transfer LPG (DBTL):

In Direct Benefit Transfer (DBT), our bank has presence in 113 districts. The Government of India has launched 43 various Schemes under DBT and the fund received from Government is credited directly to beneficiaries' accounts as subsidy/benefits.

The disbursement under the scheme up to 31st March 2018 is as under:

The disbursement under the scheme up to 31st March 2018 is as under:

Period	Transaction Initiated at Union Bank branches				Credit received from other Banks	
	Total Records received as Sponsor Bank	Amt ₹ in lacs	Success Records	Amt ₹ in lacs	Records received as Destination Bank	Amt ₹ in lacs
FY 2014-15	18133	387.38	15106	307.36	4331948	16230.15
FY 2015-16	36839	1547.82	15208	552.12	22035238	53330.33
FY 2016-17	33492	610.75	26044	524.67	29160282	70129.96
FY 2017-18	**162801**	**18462.01**	**152689**	**17353.68**	**40872020**	**165518.53**

Sponsor Bank: As the Sponsor Bank we are receiving list of beneficiaries along with amount to be credited from the Govt. which we are uploading to NPCI server, from which it gets separated Bank wise for crediting at their end as a Destination Bank.

Destination Bank: As a Destination Bank we are receiving Bank wise separated files from NPCI containing list of beneficiaries of our Bank along with the amount for crediting to their accounts.

Commission: Our Bank has received income / commission of ₹768.46 lakh for transactions initiated under DBT / DBTL during April'17 to March'18.

9. IIBF Certification & Capacity Building of Bank Mitrs:

Indian Banks Association vide letter no. SB/CBC/1141 Dated 30.07.2015 instructed all Banks for training and certification of Bank Mitrs by IIBF. Trained and certified Bank Mitrs will be more dependable for Comprehensive Financial Inclusion. Our 4,596 Bank Mitrs (84%) are IIBF Certified.

Bank has completed training of remaining 1686 Bank Mitrs through M/s CRUX Man-agement Services; 60% of expenses are reimbursed by NABARD under FIF, balance 40% borne by Bank.

10. Position of Aadhaar Seeding:

The progress of position of Aadhaar seeding as on 31.03.2018 is as under:

Position as on	No of CASA Operative A/cs Excl. Small A/cs & 3 states (J & K, Assam & Meghalaya)	Aadhaar seeded A/cs	Aadhaar Seeding %	Operative Saving A/cs	Mobile Seeded A/cs	Mobile seeded A/cs %
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
March 2018	33130374	27424808	82.78	33852604	25645522	75.76

However position of Aadhaar seeded in PMJDY Accounts as on 31.03.2018 is as under: :

Bank	No of PMJDY A/Cs	Aadhaar Seeded A/Cs	% Aadhar Seeding
Union Bank	86.22 lakh	69.26 Lakh	80.33%

New Initiatives during the year: 2017-18

1) **Aadhaar Enrollment Centre:** - As per UIDAI guidelines, all commercial banks have been instructed by UIDAI to open Aadhaar Enrollment Centre in 10 % of Bank Branches. Accordingly we have proposed to open Aadhaar Enrolment Centre in 429 Branches across India. At present 255 Bank Branches are activated for enrolling Aadhaar.

2) **Financial Literacy Initiatives:** Our bank has established 30 FLCs centers in all 14 Lead Dis-tricts along with few Non Lead Districts of Kerala State, a total of 5328 village camps were organized to create awareness about financial & digital literacy and banking services amongst customers. Till March 2018; 2,15,820 individuals have been counseled in camps. 54,833 persons were brought to banking fold by opening their accounts and facilitating them with credit facilities.

3) **Going Digital Camps:** - Rural Branches have conducted 230 Going Digital Camps and our FLCs have conducted 814 Going Digital Camps so far.

4) Empanelment of Corporate Business Correspondents through RFP Process which is in final stage. This will enable us to create competition between Corporate BCs for achieving better business targets.

5) Implemented charges for non PMJDY customers at Bank Mitr points. It is new non-interest income source to our bank.

6) Due to charging non PMJDY customers at Bank Mitr points will check for rotational transactions by the field Bank Mitrs & there by our expenditure on Bank Mitr remuneration will also decreased.

7) Recently bank has adopted Registered Device services for Aadhaar based transactions & enrolments to minimize risk associated with it.

8) Mobile based application for Financial Inclusion is in testing phase. It will reduce banks capital & recurring maintenance expenditure on Micro ATMs.

9) Now there are three options i.e. Web Kiosk, Micro ATM & Mobile based application available to Bank Mitrs for doing financial inclusion activities.

10) We rank among peers as a pioneer to the industry in number of Household coverage, activation of accounts & RuPay Cards, seeding of Aadhaar & Mobile numbers etc.

11) Automation of Overdraft through ATM & SMS.

12) Our process for OD in PMJDY accounts through ATM is seamless and the TAT is 24 hours.

13) Deployed 5407 micro ATMs in the field which are capable for doing AEPS & RuPay based transactions. We have provided 100% of Micro ATMs to field BCs.

The CSR activities undertaken by the Bank:

Union Bank of India has been in the forefront in meeting its CSR commitments. Towards this Bank has established Union Bank Social Foundation Trust (UBSFT) in 2006. Major CSR activities of the Bank are being carried out through the trust. Its Board is headed by Bank's Chairman & Managing Director, with executive directors as Vice Chairman Trustees, other trustees including Bank's General Managers and one independent trustee. Board provides directions in accordance with Bank's thrust areas and undertakes review every quarter. The directions are executed by Chief Executive with headquarters at Mumbai.

Bank has also formed CSR committee at its apex level to monitors the CSR activity of bank as well as UBSFT on quarterly basis. The committee is Headed by MD & CEO, with Executive directors, one part time non official Director nominated under 9(3)(h) of the act* and One Share holder Director elected under section 9(3)(i) of the act* as members of the committee.

*The Banking Companies (Acquisition & transfer of Undertaking Act 1970.

UBSFT has been incorporated aiming to support initiatives towards Social Upliftment & improving lives of underprivileged segments, Bank is focusing on assistance mainly in the following activities:-

Education

Union Bank Social Foundation has undertaken creational training program "Pragna plus" for children of 4 schools at Ahmedabad and 1 school at Varanasi for 4 years. Recently the project was visited by Dist. Govt. Authorities and appraised a lot for the program.



Govt. Primary school renovated by UBSFT and visited by Shri Manoj Sinha Hon'ble Minister of communication and minister of State for Railways



Before **After**

Community Welfare:

UBSFT has supported the setting up of community hall in the Kurumanddali Panchayat under Vi-jayawada. Seen in the picture Central Vigilance commissioner inaugurating the building



Distribution of Blankets in the cold affected area of north Bihar:

Seen in the picture District Magistrate Samastipur & RH Samastipur distributing the Blanket



Sanitation

Union Bank Social Foundation has approved Rs.5.00 crore for construction of 273 toilets in various girls' schools. The program is in progress, seen in the picture some of the completed toilet. The foundation has helped in construction of more than 500 individual/ community toilets within which 83 sets of toilets hve been constructed in Girls schools.



UBSFT has also constructed community toilet on Bandra (West) Mumbai Railway station with a child care unit inaugurated by Shri Ashish Shelar MLA Bandra (W). The facility is used by large number of commuters every day.



Skill Development:

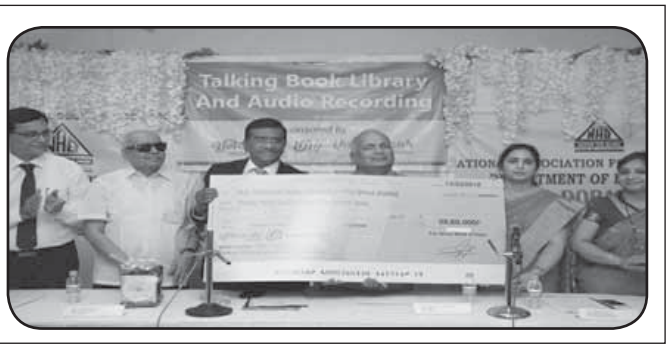
Paramedics lab:- Support of Rs.100.00 lakhs was given to Centurion University of Technology & Management at Bhubaneswar for setting of Paramedic Lab. Students of socio economic backward area are being free of cost training for Nursing & OT assistant in the lab. Seen in the picture students are taking training on dummy bodies.



Digi Class room: UBSFT helped in establishment of digital class room for socially & economically poor students of costal Karnataka. Seen in the picture MD & CEO inaugurating the digital class room.



Support to Physical disability – UBSFT has helped National association for Blinds, India in their digital Library project for audio recording of 250 Books in the year 2017-18. Foundation has also helped NAB in free distribution of Braille kit to their students.



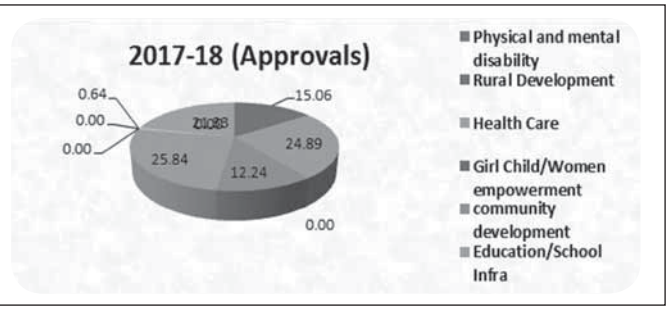
UBSFT also supported 1st floor class room construction of Chetna Foundation, Karkala Karnataka. Seen in the picture MD &CEO with student of Chetna Foundation.

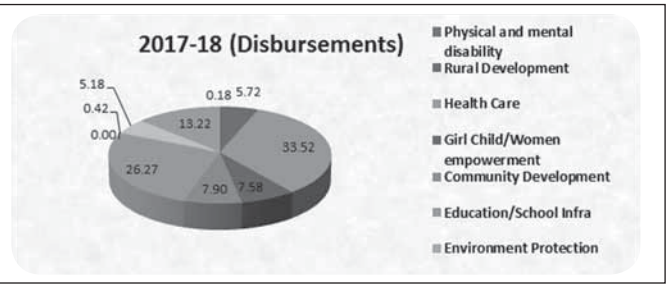


UBSFT has approved 25 no of projects amounting to 4.60 Crs under various sectors like rural development, Education, Health care, Sanitation, Restoration of Heritage site and under Beti Bachavo – Beti Padhavo abhiyan.

The sector wise approval and disbursement of UBSFT during 2017-18 are as under

Sector wise approval & Disbursements:-







AWARDS & ACCOLADES RECEIVED DURING THE YEAR 2017-18

i. Indian Bank's Association (IBA) Banking Technology Awards

- Winner- Best Financial Inclusion Initiative
- Runner-up- Best Technology Bank of the Year

ii. IDRBT Banking Technology Excellence Awards

- Best Emerging Bank for the Year

iii. SKOCH Order of Merit Awards

- Green Pin Solution for Debit Card
- Union Mobile NPA Recovery App
- Disaster Management and Disaster Recovery Strategies
- Business Continuity Strategies
- Operational Customer Relationship Management solution
- Union Bank UPI App
- The Bank has received SKOCH Award for MUDRA Performance during FY 2016-17.

iv. Awards & Accolades received during the year by Governance Now

- Bank has been honored with "Certificate of Recognition for fostering Financial Inclusion and providing financial services at doorsteps by Governance Now".

v. M/s Infosys Awards

- Best customer service Innovation

vi. PFRDA Awards: Union Bank bagged three awards from PFRDA, for their following Campaigns under PSU Banks category on 14.09.2017;

- 2nd in NPS for Prosperity I (3rd Mar 2017 – 10th Mar 2017),
- 2nd in NPS - Retire with Pride (14th July 2017 – 21st July 2017),
- 3rd in NPS for Prosperity II (17th Mar 2017 – 24th March 2017)
- 2nd Prize in "NPS LAO ACCHE DIN PAO "campaign conducted by PFRDA from 20thNovember 2017 to 2nd

December 2017. (For Target achievement by highest number of POP-SPs).

- 2nd Prize in "LIFE"S GLORY " "campaign conducted by PFRDA from 8th September 2017 to 22nd September 2017. (For achieving the highest no of NPS accounts).
- 2nd Prize in "LIFE"S GLORY " "campaign conducted by PFRDA from 8th September 2017 to 22nd September 2017. (For achieving the highest number of new POP-SP activation).
- 3rd Prize in "NPS LAO ACCHE DIN PAO "campaign conducted by PFRDA from 20th November 2017 to 2nd December 2017 (For achieving the Target by highest % among competing POP-SPs).
- 3rd Prize in "LIVE ON NPS LIFE" "campaign conducted by PFRDA from 18th October2017 to 28th October 2017. (For achieving the highest no of NPS accounts)

OTHER SOCIAL EVENTS:

Union Bank of India celebrates 99th Foundation Day



((Seen in the Photograph is Shri Vinod Kathuria, Executive Director, Union Bank of India, along with Life Time Achievement Awardees who were felicitated by the Bank on the occasion of Bank's 99th Foundation Day Event held at Nehru Centre, Mumbai.)

Union Bank of India today celebrated its 99th Foundation Day in the august presence of various dignitaries and esteemed clients of the Bank.

On its 99th Foundation Day, Bank felicitated 5 distinguished personalities with Life Time Achievement Awards viz.

NAME	CATEGORY
1. Ms. Mithali Dorai Raj	- Sports
2. Dr. Mylswamy Annadurai	- Science
3. Gundecha Brothers	- Music
4. Dr. Prakash Baba Amte	- Social Work
5. Dr. Tehemton Erach Udwadia	- Medicine

Vigilance Awareness Week:

Vigilance Awareness Week, 2017, under the theme **"My Vision : Corruption free India"**, was observed in a befitting manner from 30th October to 4th November, 2017 in our Bank & our sponsored RRB, KGSG Bank. As a part of the celebrations, we conducted various Vigilance Awareness Programmes within the organization and outreach activities on PAN India basis, to spread awareness for eradicating corruption among the general public and youth of India.

The programmes were conducted all over the country at various Schools / Colleges/ Village Panchayats / Gram Sabhas / Self Help Groups (SHGs) including Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's adopted villages of Nagepur and Jayapur in Varanasi.

We had started conducting programmes from September 2017 onwards and completed 5187+ events till 4th November 2017, out of which 4353 events in Union Bank of India and 834 events in KGSG Bank, Varanasi, RRB sponsored by our Bank.

Events like debates, essay writing, drawing, elocution, quiz, one minute short speech, short films, rangoli competitions etc. were conducted. The events are captured in the form of photographs and video clippings. Wide publicity was given through the media by publishing articles and photographs in the newspapers and also through digital media.

- Special training sessions were conducted at all R-SETIs / Financial Counselling Cen-ters during the Vigilance Awareness Week 2017, to educate the villagers / farmers on anti-corruption and preventive vigilance measures.
- Quiz programmes, debates and elocution competitions on issues relating to anti-corruption were conducted at all our Regional Offices among the staff and their family members during the Vigilance Awareness Week, 2017.
- **Union Satarkta Samman:**Vigilance Excellence Award under the title "UNION SA-TARKTA SAMMAAN" was announced on 6th October 2017. The main objective of the scheme is to inculcate habit of self discipline through scrupulous adherence to sys-tems & procedures and achieve business excellence and community development.
- A new series "ABCD of Vigilance" was started where various terminologies of Vigilance starting from A to Z were circulated on daily basis in a simple and lucid manner for creating awareness amongst the field functionaries.
- Vigilance Awareness messages / slogans were displayed on Bank's internet / intranet website as well as on ATM & electronic screens.

1. **Details of outreach activities conducted for general public / citizens are as under:**

a) The link to the e-pledge was provided on the Bank's website and Intranet (UBINET) which enabled around 4,00,000

customers of the Bank, 75,000 citizens and 38,390 staff members to take the Integrity Pledge during the Vigilance Awareness Week 2017.

b) Walkathons, street plays, skits, were conducted across the country at 38 major centers, to spread the message of anti corruption and vigilance awareness among the public.

c) A short film making competition on anti-corruption was also conducted at VESIT, Mumbai wherein 7 short films were prepared by the students. Vigilance awareness functions in orphanage & old age homes along with distribution of food, Blood Dona-tion Camps were also organized. Tree Plantation, distribution of food, cloths & Books to Divyaangs were also undertaken as a part of Vigilance Awareness Activities by some Regional Offices.

d) Vigilance awareness was also created during MUDRA Camps, AADHAAR Camps etc.

e) Gram Sabhas & Seminars were organised in 425 districts covering 4789 Gram Panchayats where 5187+ various activities like meetings, competitions, melas, evening choupals, Rangoli making, Elocution etc were conducted. The total number of partici-pants was 1,71,243 of Union Bank + 50,800 of KGSGB totaling to 2,22,093 (approx-imately).

f) The Commission had advised activities to be conducted in at least 3 colleges and 2 schools in 12 cities / towns for the Bank. We are pleased to advise that the Bank has conducted quiz competitions, debates, drawing competitions, elocution competitions in 304 schools and 94 colleges at the specified locations and other locations across the country to spread the message among students and teachers, where 73,177 students participated.

g) Also, as per the instructions of the Commission, 'Integrity Club' in schools and colleges were to be established and we are glad to inform you that we formed 48 Integrity Clubs in various cities / towns with an active and enthusiastic participation of around 960 students.

h) Our Bank has one sponsored Gramin Bank, viz., Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi. KGSGB has 444 branches, out of which 390 rural and semi-urban branches and 54 Urban Branches. All branches have participated in various activities covering 780 Gram Panchayats. Total number of participants was 50,800. They have organized various types of activities viz. meetings, competitions, melas, evening choupals, quiz competition, elocution, rangoli making etc.

FUNCTION AT CENTRAL OFFICE



AHMEDABAD – COMPETITIONS IN SCHOOL



GOA – AWARENESS CAMP IN SELF HELP GROUP



NAGPUR – VIGITHON – RUN AGAINST CORRUPTION



SALEM – INTEGRITY PLEDGE BY WOMEN SHG



KOLHAPUR – INTEGRITY CLUB IN SCHOOL



BHOPAL – INTEGRITY PLEDGE AND PROGRAMME IN SCHOOL



CHENNAI – INTEGRITY CLUB IN SCHOOL



GWALIOR – RALLY AGAINST CORRUPTION



CHANDIGARH – VIGILANCE AWARENESS WORKSHOP



BHUBANESWAR – MUDRA CAMP ALONGWITH VIGILANCE AWARENESS CAMP



LUDHIANA – VIGILANCE AWARENESS STALL / CAMP IN AN EXHIBITION



SAMASTIPUR – INTEGRITY PLEDGE IN SCHOOL



GUWAHATI – CULTURAL PROGRAMME ON THEME OF CORRUPTION FREE INDIA



MEERUT – AWARENESS PROGRAMME IN SCHOOL / COLLEGE



AZAMGARH – COMPETITIONS IN SCHOOL



GORAKHPUR – BLOOD DONATION CAMP



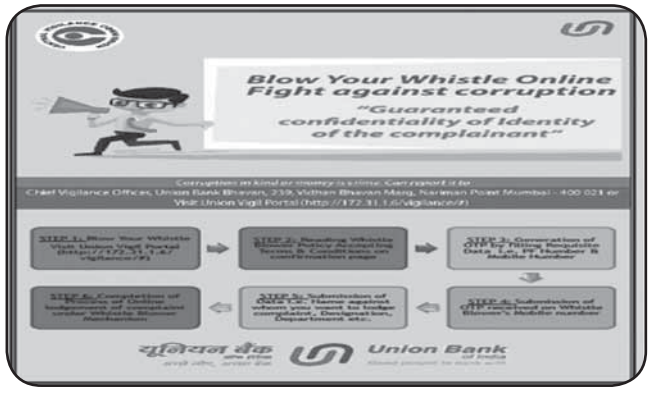
VARANASI – COMPETITIONS IN SCHOOL



INTEGRITY CLUB IN SCHOOLS



WHISTLE BLOWER POLICY



Principle 9 – Customer Focus

The Bank strictly adheres to the principles indicated by the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and strives to meet customer expectations, maintain transparency in all its proceedings and an effective customer redressal mechanism. Some of the initia-tives of the Bank in this are:

Building a world class Customer Care Unit:

With a view to address customer grievances in an effective and timely manner, as well as creating a nodal agency for ensuring customer service excellence in matters dealing with customer grievances, the Customer Care Unit was set up.

Architecture of the Customer Care Unit:

The Customer Care Unit at the Bank has been designed to meet the following objectives:

1. Respond to requests in a fast, reliable and consistent way
2. Solve root causes of requests and complaints- setting up a continuous improvement process to reduce the volume of requests and complaints received by the Bank
3. Generate information to obtain better insights regarding the customer

Project 'Utkarsh'

The Bank has embarked upon a journey of business process transformation – Project Utkarsh. Project Utkarsh will enable the Bank to achieve its aspirations by focusing on key objectives - enhanced customer experience, superior process efficiency and improved em-ployee productivity.

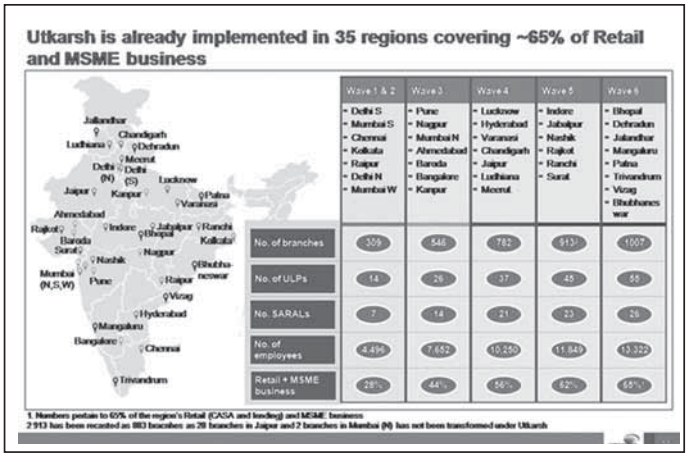
These objectives will be achieved through 6 key initiatives undertaken by the Bank:

1. **UnionXperience:** Revamping operating model and organizational structure of retail branches
2. **Union Loan Points:** Create specialized retail loan processing and acquisition unit in the form
3. **SARAL:** Establish independent best-in-class MSME processing units
4. **Business Analytics Center:** Harness the power of data and analytics to improve cross sell
5. **Digital Channel:** Maximize performance and returns from **Multi-channel**(e.g. ATM, internet, mobile)
6. **Improved HR practices** and employee processes through key initiatives like **Shared Service Center, Succession planning, Employee enrichment and en-gagement programs**

Business Process Transformation

Bank has taken several initiatives under Business Process Transformation under Utkarsh during FY 2017-18 after successful implementation of the project since 2015-16.

Project Utkarsh has now been scaled up to 35 regions covering 65% of retail and MSME business, 1007 Union Xperience branches and 13000+ employees. It also covers significant proportions of ULPs, centralized Hub for retail loans (55 out of 73) and SARALs, centralized hub for MSME loans (26 out of 28)



Utkarsh transformation has delivered significant impact across all the key metrics linked to objectives of the project in the Regions where Project Utkarsh has been implemented. Business performance under Project Utkarsh has significantly improved during the currency of the Project up to March 2018 over baseline.

With the evolving landscape, it was necessary that the Bank shifts its gear to a robust centralized processing business model thereby enhancing its credit underwriting quality, limit risks, improve TAT in credit decisions, use digital channels to improve ease of doing banking to enhance customer experience and set up a robust acquisition engine to propel Bank's business growth. As part of the new initiatives under business process re-engineering, Bank has taken the following **key structural transformation initiatives** in the Project Utkarsh during FY 2017-18.

- **MCB (Mid Corporate Branch) :** As part of centralization initiatives under MSME, a new MCV(Mid Corporate Vertical) is being set up to cater the need of Mid Corporate Business segment. MCB (Mid corporate branches) are being established in potential Regions and till March, six existing MCBs are revamped and one new MCB at Ernakulam were opened.
- **SARALs:** As part of centralization initiatives under MSME, SARALs which are processing engines for MSME loans are being established. 28 SARALS were established/ strengthened till the end of 2017-18 across country.
- **RUSU (Rural and Semi Urban Transformation):** Another major shift the Bank is undertaking is the creation of RUSU Hub. With a view to penetrating the vast rural and semi urban landscape, the Bank has embarked upon centralizing credit delivery in RAM(Retail, Agriculture and MSME) sector through Hub and Spoke model, where the Hubs are Centralized Processing Centre(designated as Union Samriddhi Kendra) and Spokes would be rural/semi-urban branches in key Districts. The model envisages use of digital channels to transmit information to Hubs for faster delivery of decisions. Besides, the RDOs would act as acquisition engines; explore opportunities for partner-ships and tie-ups with Company's value chains in this space. The Bank has identified some high potential Districts in the country where such Union Samriddhi Kendras would be set up in a phased manner. The Bank would also extensively utilise the BC (Business Correspondent) touch points for transaction and lead generation, Union Digi cash points for receipt and payment of business transaction through m-PoS and AEPS (Aadhaar Enabled Payment System) payment gateway and Merchant Establishment as partners for rural and semi urban customers. The Bank has launched the initiative in Dec'17 through pilot in Nasik and Karnal Region.
- **Business Analytics:** Business Intelligence Unit (BIU) has swiftly advanced into developing predictive modeling for cash optimization in ATMs as well as branch, EWS (Early Warning Signals) for asset management.

Other Initiatives taken to improve Customer Service:

1. Streamlining of Call Centre, ATM, and other Alternate Channel operations: ATMs of the Bank not only dispense cash but recently, 3 remittance products were launched with ATM. The Bank also facilitates investment in mutual fund, income tax payment, and mobile top up as other product features through ATM and hence have been named as **Sampoorna ATM.**
2. Centralization of non-customer facing liabilities activities to a National Processing Centre (NPC).
3. **Union DigiGaon:** Post demonetization of old Rs. 500 & Rs.1000 Bank notes, Union Bank of India proactively decided to educate and promote various digital transactions among public at large by delivery and spreading digital banking awareness. To spread digital banking awareness in rural area in an effective manner, Bank adopted villages in each lead district. Bank identified 60 villages in 18 districts with the help of zonal offices for making these villages – "Digital Village" which was named as "Union DigiGaon" by providing Bank's digital channels of payment and merchants acquiring transactions, spreading awareness, educating customers/ merchants and conducting camps at each village. Since, Bank's presence and efforts were useful for rural people and economy and that too without any additional cost either on merchant or consumer, it was much appreciated by users and wide publicity in print media / TV channels spread the news differentiates Union Bank if compared with peers.
4. **Cash at POS:** During demonetization, we installed 360 cash at POS devices at our branches to serve customer for cash withdrawal by providing one more channel in branch.
5. To make the Grievance Redressal Mechanism more customer centric the bank has appointed an Internal Ombudsman who has the authority to look into cases which remain unresolved even after 30 days or if the customer is not satisfied with the bank's decision on his grievance.

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

नामांकन पत्र

(शेयरधारक द्वारा)
(विनियमनों के विनियम 65(डी) का संदर्भ लें)

क्र.सं. _____

प्रति
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400 021.

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

प्रिय महोदय,

आपका नोटिस दिनांक 10 मई 2018 के संदर्भ में _____ यथा स्थिति शुक्रवार 18 मई, 2018 (चुनाव में भाग लेने के लिये निश्चित की गयी विनिर्दिष्ट तिथि) को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का रु. 10/-प्रत्येक के _____ इक्विटी शेयरों का धारक, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ निवासी _____

_____को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार बुधवार 27जून, 2018 को मुंबई में होनेवाली शेयरधारकों की वार्षिक साधारण सभा में निदेशक के रूप में चुने जाने के लिये एतद्वारा नामित करता हूँ.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ क्र. (यदि डिमैटीरियलाइज नहीं किया गया है)	
डीपीआईडी क्र. (यदि डिमैटीरियलाइज किया गया है)	
स्थान	
दिनांक	

नोट:

1) एक निगमित निकाय द्वारा नामांकन किए जाने की दशा में, निदेशक मंडल की जिस बैठक में यह संकल्प पारित किया गया हो, उसके अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प की सत्यापित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए.
2) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मिलान होना चाहिए.
3) ऊपर का कोई कॉलम खाली रहने पर अथवा कोई विवरण गलत पाये जाने पर नामांकन निरस्त किया जा सकता है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)
[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

Serial No. _____

To

The Managing Director & CEO,
Union Bank of India,
Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,

Mumbai-400 021.

NOMINATION FOR ELECTION OF DIRECTOR

Dear Sir,

With reference to your Notice dated 10th May, 2018, I _____ a shareholder of Union Bank of India holding _____ equity shares of Rs.10/- each fully paid up as on Friday, 18th May, 2018 (being the Specified Date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri/Smt. _____ _____ son / daughter / wife of _____ residing at _____ _____ for being elected as a Director of Union Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Friday, 27th June, 2018 at Mumbai.

Name	
Signature	
No. of Shares Held	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

1) In case nomination is made by a Shareholder who is a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Registrar & Transfer Agent of the Bank.
3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank of India
Good people to bank with

प्रधान कार्यालय: यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई -400021.

घोषणा

(प्रत्याशी द्वारा)

(विनियमन के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं,_____पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____

निवासी, _____

_____एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि:

ए. मैं, **शुक्रवार दिनांक 18 मई, 2018** अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तिथि को बैंक का/की शेयरधारक हूँ तथा मेरे पास ₹10/-प्रत्येक के _____इक्विटी शेयर हैं और यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुना गया/चुनी गयी तो मेरी अवधि समाप्त होने तक मैं कम से कम 100 इक्विटी शेयर धारण करूंगा/करूंगी;

बी. मुझे *(i)कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग या (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) रिटेल बैंकिंग (x) मानव संसाधन प्रबंधन या अन्य किसी विषय का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ तथा इसके साक्ष्य के तौर पर आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ (*जो लागू न हो, उसे छोड़ दें);

सी. मैं_____से_____तक क्रमांकित नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ;

डी. मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ;

ई. मैं बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 यथा संशोधित, भारिबैं द्वारा जारी सुसंगत अधिसूचनाएँ तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों से संबन्धित भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं हूँ;

एफ. मैं न तो किसी लाभ के पद पर हूँ और न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का/की अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा(1) अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम,1959 की धारा 3 में दी गयी किसी सहायक बैंक की परिभाषा के अनुसार उनका/ उनकी कर्मचारी हूँ;

जी. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ; तथा

मैं स्पष्ट रूप से उद्घोषणा करता/करती हूँ कि:

एच. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मेरे द्वारा कोई भुगतान लंबित या किसी लेनदार के साथ समझौता नहीं किया गया है;

आई. मैं सक्षम न्यायालय द्वारा कभी खराब दिमागी हालत में नहीं घोषित ठहराया गया/ठहराई गयी हूँ तथा किसी भी दंड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का /की दोषी नहीं ठहराया गया/ठहराई गयी हूँ जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो;

जे. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है;

के. मैं किसी भी किराया क्रय, वित्त, निवेश, लीज़िंग और अन्य अर्ध बैंकिंग गतिविधियों से सम्बद्ध नहीं हूँ तथा मैं एमपी/एमएलए/एमएलसी/स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ;

एल. मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारिबैं या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं हूँ;

एम. मैं पूर्व में किसी भी संवर्ग में दो बार या छ: वर्ष, दोनों में से जो अधिक हो चाहे अंतराल पर या लगातार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान अथवा भारिबैं या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं रहा/रही हूँ;

एन. मैं, चयनित किए जाने पर, बैंक के साथ पेशेवर संबंध यदि कोई हो, तो उसे तत्काल खत्म करूंगा/करूंगी तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान और उसके दो वर्ष बाद तक बैंक के साथ कोई पेशेवर संबंध नहीं रखूंगा/रखूंगी;

ओ. मैं वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में शामिल सनदी लेखाकार फर्म के साथ साझेदार नहीं हूँ;

पी. मैं वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के वैधानिक लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में शामिल सनदी लेखाकार फर्म के साथ साझेदार नहीं हूँ;

क्यू. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जब तक बैंक के निदेशक के पद पर रहूंगा/रहूंगी तब तक सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित, के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन करूंगा/करूंगी;

आर. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस घोषणा के बाद होने वाली किसी भी घटना यदि कोई होगी, उसकी जानकारी यथा शीघ्र बैंक को सूचित करूंगा/करूंगी और बैंक का निदेशक चुने जाने पर, मैं बैंक को प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित करने का वचन देता/देती हूँ;

एस. मैं अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने वर्तमान के साथ-साथ पूर्व के निदेशकत्व के विवरणों को नीचे प्रस्तुत करता/करती हूँ :

कंपनी/बैंक का नाम	निदेशकत्व के विवरण अर्थात कार्यकाल, अवधि आदि

टी. मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सभी तरह से पूर्ण है.

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि डिमैटीरियलाइज नहीं किया गया है)	
डीपीआईडी क्र. (यदि डिमैटीरियलाइज किया गया है)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे.

नाम : _____ सील सहित हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

जज,मजिस्ट्रेट,पंजीयक या एश्योरेंस के उप निबंधक या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर.

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

DECLARATION

(By the Candidate)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____son / daughter / wife of Shri. /Smt. _____,a resident of _____ _____hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding …… equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **Friday, 18th May, 2018,** i.e. the Specified Date for participating in the elections and undertake to hold a minimum of 100 equity shares till the end of my tenure, if elected as a Director of the Bank

b. I have special knowledge or practical experience in *(i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-Operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry, or (viii) Information Technology (ix) Retail Banking (x) Human Resources Management or any other matter special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials (*Delete whichever is not applicable);

c. I accept the nominations numbered from …… to ……;

d. I am willing to contest for the election of Director of UNION BANK OF INDIA;

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Union Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI regarding Non Official Directors of Public Sector Banks;

f. I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under subsection(1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
I specifically declare that:

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors;

i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude;

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;

k. I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock Broker;

l. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company;

m. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer whether intermittently or continuously;

n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter;

o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor;

p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Nationalized Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor;

q. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, till I hold the position as a Director of the Bank;

r. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

s. I give below the details of my present as well as past directorship in other Companies/Banks:

Name of the Company/Bank	Directorship details viz. tenure, period etc.

t. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No (if dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Name : _____ Signature with Seal

Place :

Date :

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Union Bank of India or any nationalised bank.

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन पत्र

(प्रत्याशी द्वारा)

प्रत्याशी द्वारा समुचित अनुलग्नकों के साथ घोषणा एवं वचन पत्र यथास्थिति_____2018 को			
I.	**प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण**		
	ए.	पूरा नाम (बड़े अक्षरो में) पिता का नाम (पूरा)	
	बी.	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	
	सी.	शैक्षिक योग्यता (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्वत: सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें)	
	डी.	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3ए) के अनुसार) (कृपया बैंक के निदेशकपद से संबंधित अपने अनुभव को इंगित करें.)	
	ई.	स्थायी पता	
	एफ.	वर्तमान पता	
	जी.	ई-मेल पता टेलीफोन क्रमांक (लैंडलाइन) टेलीफोन क्रमांक (मोबाईल)	
	एच.	(1) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (कृपया एक प्रति संलग्न करें) (2) आयकर सर्किल/प्रभाग का नाम एवं पता दे जहां व्यक्तिगत आय कर विवरणी फाइल की जा रहे हैं.	
	आई.	संबंधित जानकारी एवं अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें.)	
	जे.	बैंक के निदेशक पद के लिए कोई अन्य संबंधित सूचना	
II.	**प्रत्याशी का संबंध**		
	ए.	बैंक के संबंद्ध रिश्तेदार यदि कोई हो, की सूची (परिभाषा विवरण के विनिर्दिष्टीकरण) कंपनी के नियम, 2014 {कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 एवं अनुसूची (ए)} के नियम 4 के साथ पढ़ी गयी बैंकिंग कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें).	
	बी.	ऐसी संस्थाओं, यदि कोई हो, की सूची जिसमें उसकी रुचि होना माना जाता हैं (कंपनीज़ अधिनियम,2013 की धारा 2 (49) तथा 184 का संदर्भलें.) {कंपनीज़ अधिनियम,1956 की धारा 299(3)(ए) तथा धारा 300}	
	सी	ऐसी संस्थाओं, प्रस्तावित एवं मौजूदा यदि कोई हो, की सूची, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अनुसार उसकी पर्याप्त रुचि होना माना जता है.	
	डी.	जिस बैंक के बोर्ड में वह सदस्य हैं अथवा रहे/रही हैं उसका नाम (जिस अवधि में पद पर रहे/रही हों उसका विवरण)	

	ई.	वर्तमान में उसके द्वारा और/या उपरोक्त II (बी) एच (सी) में सूचिबद्ध संस्था द्वारा बैंक से ली नयी, निधि और गैर-निधि सुविधा, यदि कोई हो.	
	एफ.	मामलें, यदि कोई जहां प्रत्याशी या सूचीबद्ध उपर (2बी) एवं (सी) में सूचीबद्ध संस्था, बैंक अथवा किसी अन्य बैंक से ली गयी साखसुविधा के संबंध में चूककर्ता है या विगत में चूककर्ता रहा हैं.	
III	**व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकार्ड**		
	ए.	युक्तिसंगत व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV	**प्रत्याशी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई हो,**		
	ए.	यदि प्रत्याशी किसा व्यावसायिक एसोसिएशन/संस्था का सदस्य है तो उसके विरुद्ध लंबित, या शुरू की गयी विगत में दोषी पाये गए अनुशासनिक कार्रवाई यदि कोई हो, का विवरण कि क्या उसे किसी समय किसी व्यवसाय/पेशे में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया हैं.	
	बी.	प्रत्याशी या उपरोक्त II(बी) एवं (सी) में सूची बद्ध व्यावसायिक एसोसिएशन/संस्था के विरुद्ध आर्थिक कानूनों एवं विनियमों के उल्लंघन के लिए लंबित या शुरू की गयी या विगत में दोषी पाये जाने पर की गई अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई, का विवरण	
	सी.	प्रत्याशी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमें में लंबित, या शुरू की गयी या विगत में दोषी पाये जाने पर की गई अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण.	
	डी.	क्या प्रत्याशी कंपनी अधिनियम,2013 (कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 274) की धारा 164 में दिये गए अनुसार किसी भी प्रकार अयोग्य करार दिये जाने के लिए पात्र है ?	
	ई.	क्या प्रत्याशी या उपरोक्त II (बी) एवं (सी) में दिये अनुसार कोई संस्था की सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा जांच की गयी हैं?	
	एफ.	क्या प्रत्याशी को सीमा शुल्क/उत्पाद कर/आय कर/विदेशी विनिमय अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया हैं.	
	जी	क्या प्रत्याशी को कभी सेबी, आईआरडीए, डीसीए, आरबीआई, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि से प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है. (यद्यपि एक प्रत्याशी के लिए विनियामक द्वारा पाये गए निष्कर्षो एवं उसके आदेशों, जिसे बाद में पूरी तरह से निरुस्त कर दिया गया हैं, का कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, तथापि यदि इसे गुण दोष के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी कारणों यथा, परिसीमन, न्याय निर्णयन की कमी आदि से निरुस्त किया गया है तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा. यदि नियामक के आदेश को अस्थायी रुप से स्थगित किया गया है और अपीलेट/न्यायालय की कार्रवाई लंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिये).	
V	मद I से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उचित एवं उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी.		

वचन पत्र

मैं_____पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री_____

पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं अपनी नियुक्ति के पश्चात उपर्युक्त किसी भी युक्तिसंगत सूचना के बैंक में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी यथा संभव शीघ्र बैंक को प्रदान करूंगा/करूंगी.

मैं बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रतिज्ञा विलेख निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ.

स्थान :

दिनांक : प्रत्याशी के हस्ताक्षर

अनुलग्णक :

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

(By Candidate)

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ____/_____/2018			
I.	Personal details of Candidate		
	a.	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
	b.	Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
	C.	Educational Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
	d.	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank.)	
	e.	Permanent Address	
	f.	Present Address	
	g.	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	h.	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9 (3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
	j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II.	**Relevant Relationships of Candidate**		
	a	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Schedule 1A of Companies Act 1956]	
	b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2 (49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
	c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949, proposed and existing.	

	d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/ or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f.	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III	**Records of professional achievements**		
	a.	Professional achievements relevant	
IV	**Proceedings, if any, against the Candidate**		
	a.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
	c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate.	
	d.	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013 (Section 274 of the Companies Act, 1956)?	
	e.	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/ foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars.	
	g	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper		

UNDERTAKING

I _____Son/ Daughter / Wife of Shri _____ _____confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief is true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.

Place :

Date : Signature of Candidate

Enclosures:

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

लाभांश अधिदेश फॉर्म

{यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो पंजीयक को प्रस्तुत करें और यदि शेयर डीमैट/इलक्ट्रॉनिक रुप में है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें}

प्रिय महोदय,

विषयः बैंक खाता विवरण अद्यतन करने हेतु अनुदेश

1.	प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम	
2.	फोलिओ क्र. (यदि शेयर डिमैटीरियलाइज्ड नहीं किए गए हैं)	
3.	डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी (यदि शेयर डिमैटीरिलाइज्ड किए गए हैं)	
4.	बैंक खाते का विवरण	
4.1	बैंक का नाम	
4.2	शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता	
4.3	पूर्ण अंकों सहित खाता क्र. (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.4	खाते का प्रकार (एसबी / सीडी / सीसी)	
4.5	आईएफएससी (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	
4.6	एमआईसीआर कूट क्र. (9 अंक) (चेक बुक पर दर्शाये गए अनुसार)	

कृपया जानकारियों के सत्यापन के लिए आपके बैंक द्वारा जारी आपके खाते से संबंधित चेक की एक प्रति/ब्लैंक कैंसल्ड चेक की एक प्रतिलिपि संलग्न करें.

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूर्ण है. यदि अपूर्ण अथवा गलत जानकारी के कारण संव्यवहार में विलंब होता है अथवा संव्यवहार नहीं होता है तो मैं उपयोगकर्ता संस्था को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा. मैं समझता हूँ/समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली किसी ऐसी अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को भौतिक रूप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

(_____)
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांकः

पंजीयक का पता :
डाटामैटिक्स बिजिनेस सोल्यूशन्स लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं. बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी, मरोल,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.
टेली : 022-66712151-6
ई मेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

Dividend Mandate Form

{To be submitted to Registrar if shares are in physical form and
to the Depository Participant (DP) if shares are in demat/electronic form}.

Dear Sirs,

Subject: Instruction to update the Bank Account Details

1.	First/Sole Shareholder's Name	
2.	Folio No. (If shares are not dematerialized)	
3.	DPID / Client ID (If shares are dematerialized)	
4.	Particulars of Bank Account	
4.1	Bank Name	
4.2	Branch Name & Address with City PIN Code	
4.3	Complete Account No. (as appearing on the Cheque Book)	
4.4	Account Type (Saving/Current/Cash Credit)	
4.5	IFSC (as appearing on the Cheque Book)	
4.6	MICR Code (9 digit) (as appearing on the Cheque Book)	

Please attach a photocopy of cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your bank relating to your account for verifying the details.

DECLARATION

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through electronic means.

Yours Faithfully,

(_____)
Signature of the First/Sole Shareholder

Place :
Date :
Encl.:

1. Self attested copy of PAN and
2. A original cancelled cheque leaf or attested Bank passbook of an active bank account showing name of account holder

Address of the Registrar:
Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,Crosslane,
MIDC, Andheri (East),
Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail Id:ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षर किया जाए)

रजि. फोलिओ क्र. (यदि डिमैटिरियलाइज्ड न हो)
डीपीआईडी तथा क्लाइंट आईडी (यदि डिमैटिरियलाइज्ड हो)

मैं/हम _____ राज्य_____ के_____जिले के निवासी _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का एक शेयरधारक होने के नाते _____ राज्य के _____ जिले के निवासी श्री/श्रीमती _____ अथवा उनके असफल रहने पर _____ राज्य के _____ जिले _____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को **बुधवार, 27 जून, 2018 को प्रातः 11 बजे रामा एंड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020** में होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की **16वीं वार्षिक साधारण बैठक** या उसके स्थगित होने पर होने वाली बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से वोट डालने के लिए तथा उसके किसी भी स्थगन के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त करता/करते हूँ/हैं.

_____ 2018 के _____ दिन हस्ताक्षरित.

कृपया रसीदी टिकट लगाए

_____ _____

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

प्रॉक्सी फॉर्म हस्ताक्षर करने तथा दर्ज करने के लिए निर्देश

1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा जब तक
   - ए) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, इस पर उसके अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
   - बी) संयुक्त धारकों के मामले में, इस पर रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो,
   - सी) एक निगमित निकाय के मामले में इस पर इसके अधिकारी अथवा उसके अधिवक्ता द्वारा विधिवत लिखित रूप से अधिकृत करते हुए हस्ताक्षर न किया गया हो.
2. प्रॉक्सी लिखत पर किसी भी शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पर्याप्त होगा जो किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, बशर्ते उनके अंगूठे के निशान इसके साथ संलग्न है तथा इसे किसी जज, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंस के पंजीयक या उप पंजीयक अथवा सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
3. निम्न के साथ प्रॉक्सी
   - ए) मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार(यदि कोई) जिसके अधीन इस पर हस्ताक्षर किया गया हो, या
   - बी) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक प्रति निवेशक सेवाएँ प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 के पास वार्षिक साधारण बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात बैंक कार्यकाल समाप्ति तक या उससे पहले अर्थात शुक्रवार, 22 जून, 2018 को सायं 5.00 बजे** जमा कर दिया जाना चाहिए.
4. जब तक विधिवत रूप से स्टैम्प न लगाया गया हो कोई भी प्रॉक्सी लिखत वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में अनुमत किए गए प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
7. शेयरधारक ने जिस वार्षिक साधारण बैठक से संबन्धित प्रॉक्सी लिखत निष्पादित किया है उसमें वह व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए अधिकृत नहीं है.
8. ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधिवत रूप से अधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नहीं नियुक्त किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी है.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)
DP ID & Client ID (If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him / her, Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the **16th Annual General Meeting** of the shareholders of Union Bank of India to be held on **Wednesday, 27th June 2018 at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Please Affix Revenue Stamp

_____ Signature of Proxy

_____ Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 not less than FOUR DAYS before the date of the **Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018.**
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

नोटिस / वार्षिक रिपोर्टों तथा
अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना.

डिमेट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रुप से शेयर रखने वाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

वे अपनी सहमति इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें:

डाटामैटिक्स बिजिनेस सोल्यूशन्स लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS &
OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to : Register an email ID their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

डाटामैटिक्स बिजिनेस सोल्यूशन्स लि.
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट नं.बी-5, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई - 400 093
टेली : 022-66712151-60
ईमेल : ubiinvestors@datamaticsbpm.com

प्रिय महोदय,

मैं/हम _____ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्पोरेट गवर्नेस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से सभी संदेश अपने नीचे दिये गए ई-मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ/चाहते हैं. मेरे/हमारे पास बैंक के _____ शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियो नम्बर _____
ई-मेल आईडी _____@_____

मैं/हम इस आशय से वचन देता हूँ/देते हैं कि मेरे/हमारे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गये दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं/हम यह भी वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि किसी तकनीकी/अन्य कारणों से मेरा/हमारा ई-मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

_____
प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF UNION BANK OF INDIA

Date :

Datamatics Business Solutions Ltd.
Unit : Union Bank of India,
Plot No.B-5, Part B, Crosslane,
MIDC, Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712001- 6
E-mail ID: ubiinvestors@datamaticsbpm.com

Dear Sir,

I/We _____ holding _____ shares of Union Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Union Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Union Bank of India.

Folio Number:_____
Email ID _____@_____

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Union Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Union Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

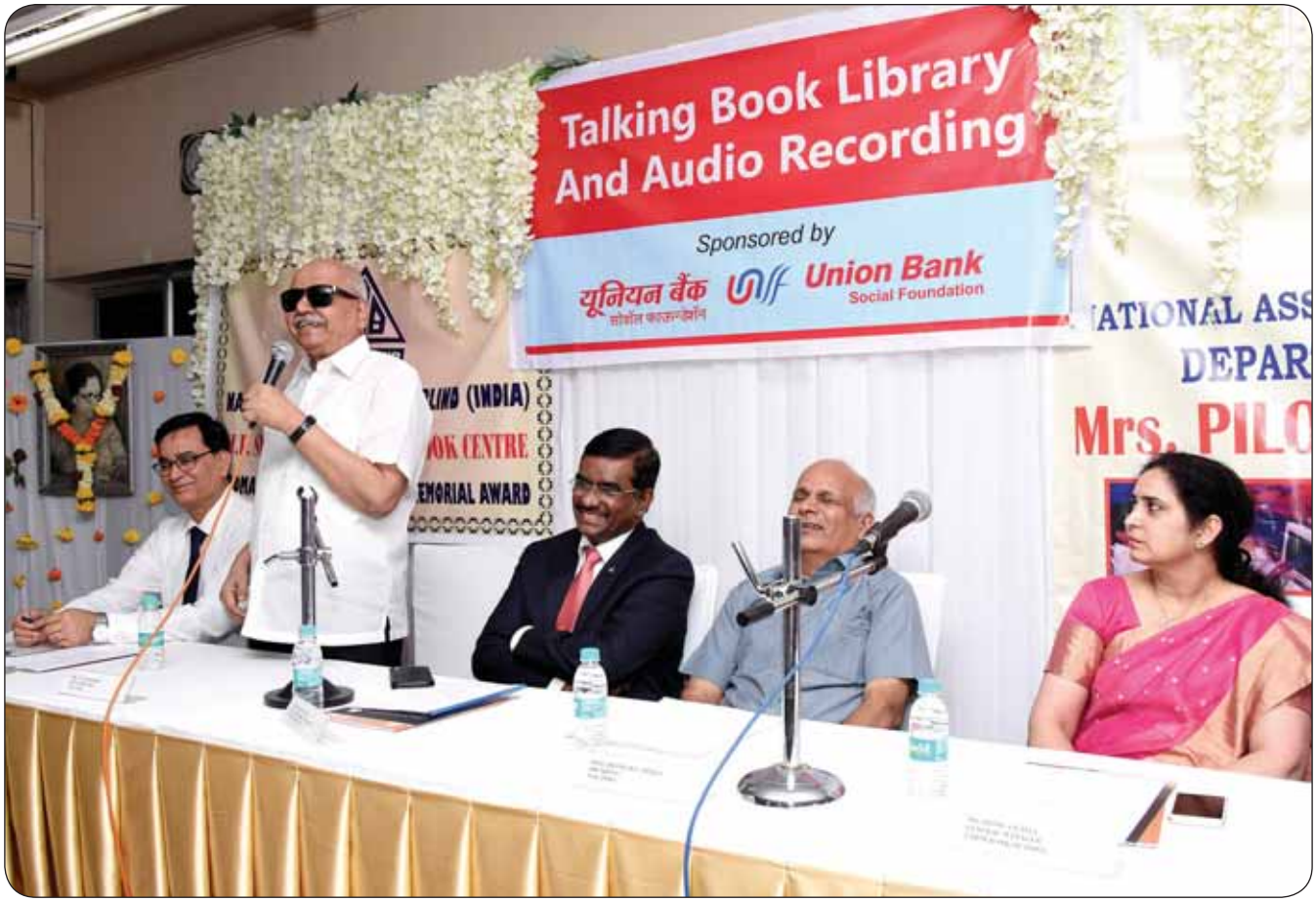
_____
Signature of the First/Sole Shareholder

टॉकिंग बुक लाइब्रेरी एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग

यूनियन बैंक सोशल फ़ाउंडेशन ने दृष्टि-बाधित लोगों के लिए श्रव्य साहित्य (ऑडियो लिटरेचर) की सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल असोशिएशन फॉर द ब्लाइंड, इंडिया को टॉकिंग बुक लाइब्रेरी स्थापित करने में सहायता की. नेशनल असोशिएशन फॉर द ब्लाइंड को डोनेशन चेक प्रदान करने के अवसर पर मुंबई में एक समारोह का आयोजन किया गया.

Talking Book Library and Audio Recording

Union Bank Social foundation has supported National Association for the Blind, India for setting up Talking Book Library by facilitating audio recording of books for providing audio literature to visually impaired people. An event was organized at Mumbai on the occasion of presenting the donation cheque to National Association for the Blind.



(तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं - नेशनल असोशिएशन फॉर द ब्लाइंड, मुंबई के अधिकारियों के साथ श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया; श्रीमती मोनिका कालिया, महा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया; श्री पी. के. सिंह, सीईओ, यूनियन बैंक सोशल फ़ाउंडेशन ट्रस्ट)

(Seen in the photograph are Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Union Bank of India, Smt. Monika Kalia, General Manager, Union Bank of India, Shri P. K Singh, CEO, Union Bank Social Foundation Trust along with officials of National Association for the Blind, Mumbai)

भ्रष्टाचार मुक्त भारत

दिनांक 02.11.2017 को, बैंक द्वारा वाई. बी. चव्हाण ऑडिटोरियम, नरीमन पॉइंट, मुंबई में "मेरा लक्ष्य-भ्रष्टाचार मुक्त भारत" थीम पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का आयोजन 30 अक्टूबर, 2017 से 04 नवम्बर, 2017 तक मनाए जा रहे "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" के उपलक्ष्य में किया गया. डॉ. टी एम भ सीन, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली, ने प्रतिभागियों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज के महत्व, सरकार एवं सीवीसी द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम तथा इस अभियान में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को लेकर संबोधित किया. विभिन्न बैंकों के गणमान्य व्यक्तियों यथा एमडी एवं सीईओ, सीएमडी, ईडी एवं अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों ने इस समारोह में भाग लिया.

Corruption Free India

On 2.11.2017, Bank organized a Vigilance Awareness program on the theme "My Vision – Corruption Free India " at Y.B.ChavanAuditorium, Nariman Point, Mumbai. This function was organized on the occasion of "Vigilance Awareness Week" observed from 30th October, 2017 to 4th November, 2017. Dr. T M Bhasin, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, New Delhi, addressed the participants on importance of corruption free society, initiatives taken by Government & CVC to curb corruption & role of every citizen in this mission. Dignitaries from various Banks viz. MD & CEOs, CMDs, EDs & other Senior Executives attended the function.



(तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं- दायें से बायें, श्री डेविड रसकिन्हा, एमडी, एक्सिम बैंक; श्री एम. के. जैन, एमडी एवं सीईओ, इंडियन बैंक; श्री राजीव ऋषि, सीएमडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया; श्री राजकिरण रै जी., एमडी एवं सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया; श्री टी. एम. भसीन, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली; श्री अश्विनी कुमार, सीएमडी, देना बैंक एवं श्री एम. वी. एस. एन. मूर्ति, सीवीओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)

(Seen in the Photograph from left to right are Shri David Rasquinha, MD, Exim Bank, Shri M. K. Jain, MD & CEO, Indian Bank, Shri Rajiv Rishi, CMD, Central Bank of India, Shri Rajkiran Rai G, MD&CEO, Union Bank of India, Shri T. M. Bhasin, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, New Delhi, Shri Ashwini Kumar, CMD,
Dena Bank and Shri M.V.S.N. Murthy, CVO, Union Bank of India)

यूनियन सहयोग का उद्घाटन

भारत में डिजिटल परिवर्तन के अभियान को गति देने की दिशा में, हमारे बैंक ने दिनांक 13.10.2017 को अपने ऐप यूनियन सहयोग के शुभारंभ द्वारा पथ प्रदर्शक नवाचार की शुरूआत की, जिसके द्वारा ग्राहकों को संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएंगी. यूनियन सहयोग ऐप, बैंक के व्यापक रूप से उपलब्ध उत्पादों को हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में देखने की सुविधा प्रदान करता है; इस उद्देश्य के साथ कि बैंक के ग्राहकों तथा अन्य ग्राहकों को उनके मोबाइल पर हाथों-हाथ सेवा प्रदान की जा सके.

Union Sahyog Inaugration

Driving the rollercoaster wave of India's Digital transformation, Bank on 13.10.2017 launched trailblazing innovation with the big launch of its app Union Sahyog, which caters to bring entire customer facing banking on the mobile. The Union Sahyog App facilitates easy viewing of the Bank's extensive product offerings in both English and Hindi language; seeking to serve hands-on convenience to our Bank's customers and others on their mobile devices.



(तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं- श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ; श्री राज कमल वर्मा एवं श्री अतुल कुमार गोयल, कार्यपालक निदेशक; श्री अनिल कुमार मिश्रा, आरबीआई नामित निदेशक; डॉ. के. रमेश, अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक; डॉ. उत्तम कुमार सरकार, शेयरधारक निदेशक एवं बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकगण.)

(Seen in the photograph are Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Shri Raj Kamal Verma & Shri Atul Kumar Goel, Executive Directors, Shri Anil Kumar Misra, RBI Nominee Director, Dr. K. Ramesha, Part-Time Non-Official Director, Dr. Uttam Kumar Sarkar, Shareholder Director and Senior Executives of the Bank.)

स्थापना दिवस

दिनांक 11 नवम्बर, 2017 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेहरू सेंटर, मुंबई में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों एवं बैंक के सम्मानित ग्राहकों की गरिमामयी उपस्थिति में अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया. अपने 99वें स्थापना दिवस के अवसर पर, बैंक ने 5 मशहूर हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया यथा सुश्री मिताली दोराई राज - खेल, डॉ. एम. अन्नादुराई - विज्ञान, गुंडेचा ब्रदर्स - संगीत, डॉ. प्रकाश बाबा आमटे - सामाजिक कार्य, डॉ. टी. ई. उदवाडिया - चिकित्सा.

Foundation Day

Union Bank of India on November 11, 2017 celebrated its 99th Foundation Day at Nehru Centre, Mumbai in the august presence of various dignitaries and esteemed clients of the Bank. On its 99th Foundation Day, Bank felicitated 5 distinguished personalities with Life Time Achievement Awards viz. Ms. Mithali Dorai Raj – Sports, Dr. Mylswamy Annadurai – Science, Gundecha Brothers – Music, Dr. Prakash Baba Amte - Social Work, Dr. Tehemton Erach Udwadia – Medicine.



(तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं - बैंक द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत गणमान्यों के साथ, श्री विनोद कथूरिया, कार्यपालक निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.)

(Seen in the Photograph is Shri Vinod Kathuria, Executive Director, Union Bank of India, along with Life Time Achievement Awardees who were felicitated by the Bank.)

यूनियन उड़ान

8 मार्च, 2018 को मुंबई में आयोजित भव्य समारोह में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उत्साह एवं उल्लास के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया. श्रीमती शिखा शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एक्सिस बैंक इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं. कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों में एक गौरव एवं सहयोग की भावना चिन्हित हुई. इस अवसर पर बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए महिलाओं यथा सुश्री रुपिंदर बरार (आईआरएस), सुश्री मुमताज़ शेख (सामाजिक कार्यकर्ता) को सम्मानित किया एवं "यूनियन धारा" के "महिला विशेषांक" का विमोचन किया गया.

Union Udaan

Union Bank of India celebrated International Women's Day with gaiety and fervor at a glittering function held at Mumbai on 8th March 2018. Ms. Shikha Sharma, Managing Director and CEO of Axis Bank, was the Chief Guest for the function. A feeling of pride and sense of belongingness amongst the employees marked the event. On this occasion, Bank felicitated Women Achievers viz. Ms. Rupinder Brar (IRS), Ms. Mumtaz Shaikh (Social Worker) and launched "Women's special edition" of 'Union Dhara'.



(तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं - अन्य गणमान्यों के साथ कार्यक्रम की मुख्य अतिथि - सुश्री शिखा शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, एक्सिस बैंक ;एवं श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.)

(Seen in the photograph are Ms. Shikha Sharma, Managing Director and CEO of Axis Bank, Chief Guest for the function along with Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO, Union Bank of India and other dignitaries.

बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड

बैंक ने इंडियन बैंक असोशिएशन (आईबीए) से दो बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड प्राप्त किए - बेस्ट फाइनेंसियल इनिशिएटिव्स (विजेता) और बेस्ट पेमेंट इनिशिएटिव्स (उप-विजेता). श्री राजकिरण रै जी., एमडी एवं सीईओ ने आईबीए द्वारा मुंबई में आयोजित एक भव्य पुरस्कार समारोह में ये पुरस्कार, श्री आर. आर. गांधी, पूर्व उप-गवर्नर, आरबीआई और श्री अजय एस, सचिव एमईआईटीवाय से प्राप्त किया.

Banking Technology Award

Bank won two Banking Technology Awards from Indian Bank's Association (IBA) - Best Financial Inclusion Initiatives (Winner) and Best Payment Initiatives (Runner). Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO received the award from Shri R. Gandhi, Former Deputy Governor, RBI and Shri Ajay Sawhney, Secretary MeitY at the glittering award function organized by IBA at Mumbai.



(तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं - श्री आर. गांधी, पूर्व उप-गवर्नर, आरबीआई एवं श्री अजय एस., सचिव एमईआईटीवाय से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री राजकिरण रै जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)

(Seen in the photograph is Shri Rajkiran Rai G., Managing Director & CEO receiving the award from Shri R. Gandhi, Former Deputy Governor, RBI and Shri Ajay Sawhney, Secretary MeitY)



Support your daughter's aspirations. Open ***Sukanya Samriddhi*** account today!

- Parents or legal guardian of a girl child up to the age of 10 Years.
- Initial Deposit of ₹1000 and from thereon any multiple of ₹100. Maximum deposit of ₹1,50,000 per year.
- Maturity - 21 years from the date of opening the account.
- Partial withdrawal upto a maximum of 50% after the girl child attains 18 years of age.
- Annual Tax exemption under Section 80C. No tax on maturity amount.

*** Beti Bachao, Beti Padhao ***

Online Internet Banking | Mobile Banking | BHIM BHARAT INTERFACE FOR MONEY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

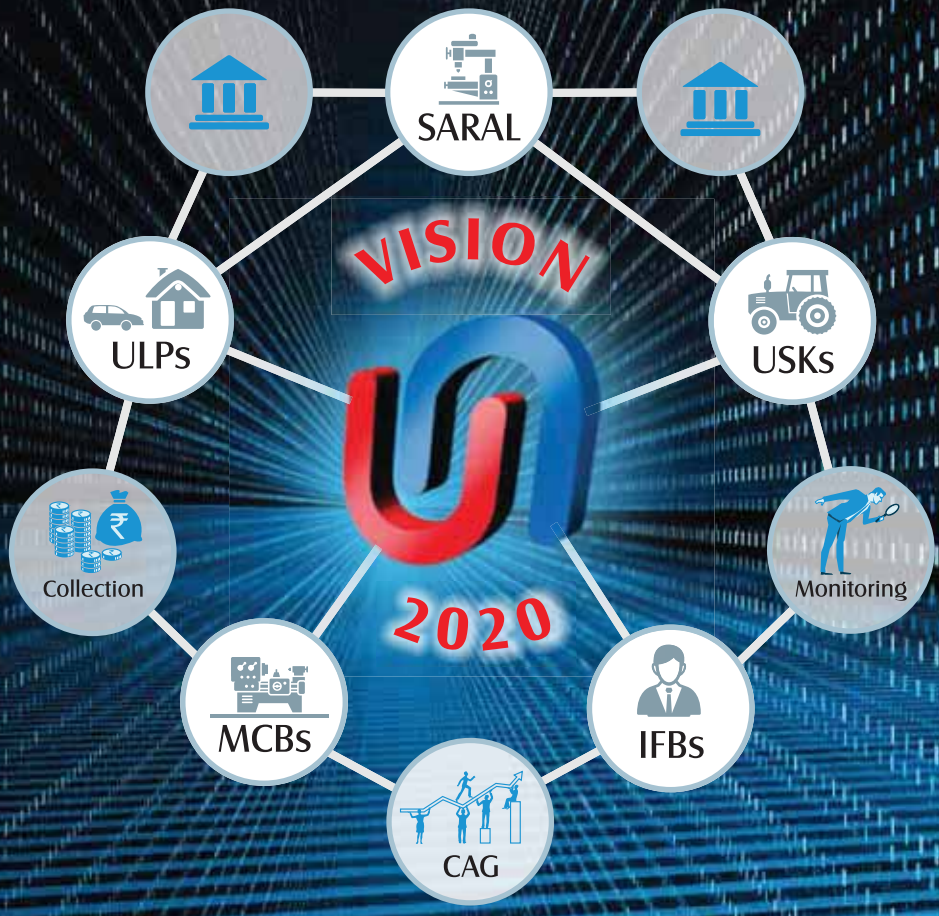
Union Bank of India
Good people to bank with

भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के सदस्य Member of Banking Codes & Standards Board of India

Proud to be associated with

Follow us on @unionbankofindia @UnionbankTweets @UnionBankInsta @UnionBankofindiaUtube @unionbankofindia

Toll Free no.:1800 22 2244 & 1800 208 2244 | 080 2530 0175 (Chargeable) | +91 80 2530 2510(For NRIs) | www.unionbankofindia.co.in



Helpline Nos.: 1800 22 2244 (Toll free no.) | 080 2530 0175 (Chargeable)
080 2530 2510 (For NRIs) | www.unionbankofindia.com

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank
of India
Good people to bank with

www.uchitha.com